त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 18

गुरुवार, 16 अगस्त, 2001
25 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

FOR REFERNCE ONLY.

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 18, गुरुवार, 16 अगस्त, 2001/25 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कालम
नाईजीरिया संघीय गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 और 343 से 346	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 342 और 347 से 360	31–63
अतारांकित प्रश्न संख्या 3564 से 3688 और 3690 से 3793	63–392
सभा पटल पर रखे गए पत्र	393–95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2001-2002	396
बीमा संशोधन विधेयक	396–400
सभा के कार्य के बारे में	400–01
श्री पी.एस. सुब्रहमण्यम की भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बारे में	401–11
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पुनरुज्जीवन के बारे में	411–18
सी.एन.जी. की कमी के कारण फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के बंद होने के बारे में	418–19
गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में	421–22
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) हिमाचल प्रदेश की तरखाना जाति को अनुसूचित जातियों तथा गद्दी और गुज्जर जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	433
(दो) मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	434

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	बिलासपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	434
(चार)	उत्तर प्रदेश में कृभको की गोरखपुर इकाई को अर्थक्षम बनाये जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	435
(पांच)	मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामनरेश त्रिपाठी	435
(छह)	गुजरात में पालनपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	435
(सात)	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, विशेष रूप से कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण सेठ	436
(आठ)	केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	डा. नीतिश सेनगुप्ता	436
संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक		437–54
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री सीएच. विद्यासागर राव	437
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	438
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	439
	श्री पवन कुमार बंसल	443
	श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	447
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	449
	श्री मणि शंकर अय्यर	451
खंड 2 से 9 और 1		453
पारित करने के लिए प्रस्ताव		454
ऊर्जा संरक्षण विधेयक		454–75
विचार करने के लिए प्रस्ताव		454
	श्री सुरेश प्रभु	454

विषय		कालम
	श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	457
	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	463
	श्री ए. ब्रह्मनैया	466
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	468
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	471
नियम 193 के अधीन चर्चा		475–578
शिक्षा का भगवाकरण		
	श्री सोमनाथ चटर्जी	475
	डा. विजय कुमार मल्होत्रा	484
	श्रीमती सोनिया गांधी	519
	डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	523
	श्री रामजी लाल सुमन	524
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी	527
	श्री राशिद अलवी	534
	श्री अनंत गंगाराम गीते	549
	श्री मणि शंकर अय्यर	553
	श्री विजय गोयल	562

लोक सभा

गुरुवार 16 अगस्त, 2001/25 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

नाईजीरिया संघीय गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से महामहिम सीनेटर इब्राहिम मांटू, सीनेट के डिप्टी प्रेजीडेन्ट, माननीय एन. चिबुडम, नाईजीरिया संघीय गणराज्य की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डिप्टी स्पीकर और नाईजीरियाई शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं। वे हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर हैं।

यह शिष्टमंडल मंगलवार, 14 अगस्त, 2001 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से नाईजीरिया के राष्ट्रपति, संसद और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने हेतु नीति

***341. डॉ. अशोक पटेल:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विद्युत संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए देश को कितने डॉलर राशि के निवेश की आवश्यकता है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने हेतु नीति के बारे में दिनांक 16.8.2001 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न 344 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित और आकर्षित करने के लिए नीति वर्ष 1991 में घोषित की गयी थी। क्षेत्र में पूंजी की अत्यधिक खपत होने और उत्तरोत्तर क्षमता अभिवृद्धि की वृहत आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सरकार की अकेले ही पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थता के मद्देनजर निजी विद्युत नीति घोषित की गयी थी। विद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों को सरल व कारगर बनाने की दृष्टि से समय समय पर, जब भी आवश्यक हुआ है, नीति की समीक्षा की गयी/नीति संशोधित की गयी। उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) 18.2.1995 के बाद विद्युत परियोजना का ठेका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किये जाने को अनिवार्य बना दिया गया है।

(2) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अधिकार प्रत्यायोजन।

(3) जिस पूंजीगत लागत सीमा से अधिक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) से स्वीकृति अपेक्षित है उसमें वृद्धि करना।

(4) बिना किसी सीमा के विदेशी निवेश का स्वचालित अनुमोदन।

(5) विविध प्रकार की विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रचालन मानकों और निवेश पर प्रतिफल दर का निर्धारण करने संबंधी टैरिफ अधिसूचना

(6) संशोधित मेगा विद्युत नीति, केप्टिव विद्युत नीति, तरल ईंधन नीति, जल विद्युत नीति आदि तैयार किया जाना।

(7) भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ऋण एक्सपोजर पर 40% सीमा से छूट।

(8) वैकल्पिक भुगतान सुरक्षा तंत्र के विकास को सुधार कार्य संबंधी लक्ष्यों से जोड़ा गया है।

(ग) सन 2012 तक "मांग पर विद्युत" को पूरा करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 100000 मेगा अतिरिक्त क्षमता स्थापित किये जाने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त क्षमता अभिवृद्धि को पूरा करने और अनुरूपी पारेषण व वितरण नेटवर्क प्रदान करने के लिए निधियों की आवश्यकता लगभग 8 लाख करोड़ रुपये (1 अमेरीकी डालर = 47 रुपये पर लगभग 170 बिलियन अमेरीकी डालर) है।

[हिन्दी]

डॉ. अशोक पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में विदेशी निवेश आकर्षित करने संबंधी नीति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में कितनी धनराशि के निवेश आकर्षित किए गए? उक्त निवेश किन-किन देशों से तथा कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुए? क्या सरकार ने विद्युत संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए निर्धारित निवेश धनराशि प्राप्त कर ली है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, पिछले दस सालों में विदेशी निवश से पावर सैक्टर डैवलपमेंट करने के लिए जनरेशन सैक्टर में बहुत कम्पनियों ने भारत में आने की इच्छा व्यक्त की थी और काफी कम्पनियां आई थीं। इतनी कम्पनियां आईं, उसके बावजूद सिर्फ सात कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक हमारे देश में विदेशी निवेश से जनरेशन का काम शुरू किया। आज उनकी तरफ से 2798 मैगावाट बिजली का निर्माण हो रहा है और उसमें 13029 करोड़ रुपये का निवेश पूरे देश में हुआ है। हमारे देश में इतनी कम्पनियां आईं और उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की लेकिन दुर्भाग्य से उन कम्पनियों से कमर्शियल प्रोडक्शन करने का काम शुरू नहीं हुआ। उसमें जो बुनियादी वजह है, उस बुनियादी वजह को ही दूर करने के लिए आज भारत सरकार की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं। वितरण व्यवस्था पावर सैक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और जब तक हम वहां ध्यान नहीं देंगे तब तक देश में सही मायने में निवेश नहीं हो सकता। पिछले दस सालों में हमने जब निवेश आकर्षित करने की कोशिश की तो जनरेशन में किस तरह निवेश आए, सिर्फ इसकी कोशिश की लेकिन साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत थी, उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया।

उसकी वजह यह हुई कि काउंटर गारंटी और गारंटी देने के बावजूद कुछ कम्पनियां आज अपने देश में अपना निवेश करने की इच्छा होने के बावजूद नहीं कर पाई। ऐसी सात कम्पनियां थी, जिनको हमने काउंटर गारण्टी दी थी, लेकिन काउण्टर गारण्टी देने के बावजूद भी सिर्फ दो कम्पनियों ने ही आज देश में कामर्शियल प्रोडक्शन का काम करने की शुरुआत की है। इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में इस तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजिज प्रावर सैक्टर में आने चाहिए, वे स्ट्रक्चरल चेंजिज नहीं आयेंगे और सिर्फ हम लोगों को विदेश से आमंत्रित करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। किन्तु विदेश से आने के बाद यदि उनकी समस्याएं हल नहीं हो पातीं तो दुर्भाग्य से जो स्थिति है और जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि आज हमारे देश में पावर सैक्टर में क्योंकि विदेश की पूंजी यहां काम नहीं कर पाई, लेकिन उसकी बुनियादी जो वजह है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में रिफार्म लाने की जरूरत है। यदि हम 1990-91 में डिस्ट्रीब्यूशन से ही शुरुआत करते तो आज हमारे सामने जो समस्या खड़ी है, वह खड़ी नहीं होती।

डॉ. अशोक पटेल: क्या बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशों से प्राप्त हजारों करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? सरकार को गत तीन वर्षों में विदेशी सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी राशि को सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार में उपयोग किया गया? शेष राशि के उपयोग न करने के क्या कारण हैं? इस संबंध में सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य शायद यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेश के निवेश की जब हम बात करते हैं तो दो तरफ की विदेश की पूंजियां देश में आ सकती हैं। एक तो निजी क्षेत्र से फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो निवेश करना चाहता है, वह एक सैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है और दूसरा मल्टीलेटरल एजेंसीज की तरफ से हमारे देश में निवेश किया जाता है, जो राज्यों को दिया जाता है, केन्द्र सरकार को दिया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डवलपमेंट बैंक है, टी.एफ.आई.डी. जैसी संस्थाएं हैं। इनसे जो निवेश आता है, वह एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब एफ.डी.आई. की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसमें अनस्पेंट एमाउंट की कोई बात नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डायरैक्ट की जाती है, लेकिन यदि आप यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपने देश में जो निवेश है, उसको निवेश तो नहीं कहा जाता, लेकिन जो मल्टीलेटरल एजेंसीज की असिस्टेंस मिली है, उसमें क्या स्थिति है तो शायद यह पहले क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन यदि आप यह जानना चाहेंगे तो मैं यह जानकारी आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

श्री रामपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा विदेशों से प्राप्त विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश राशि आकर्षित करने के

उपरान्त विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि विद्युत विस्तार के संबंध में प्राप्त करने के लिए आठ लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि उक्त राशि को प्राप्त करने की क्या प्रतियोजनाएं हैं?

श्री सुरेश प्रभु: यदि हमारी 16वीं पावर सर्वे रिपोर्ट, जो सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथॉरिटी ने कुछ समय पहले प्रसारित की है, उसके तहत एक लाख मैगावाट बिजली की जरूरत देश में आने वाले 12 साल में पड़ेगी। यदि एक लाख मैगावाट बिजली का निर्माण करना है तो जैनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर आठ लाख करोड़ रुपये की पूंजी की बात होगी। लेकिन हमारा जो आठ लाख करोड़ रुपये की पूंजी किस तरह से जुटाई जायेगी। इसके लिए हम अलग-अलग तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह जरूरी नहीं है कि एक लाख मैगावाट बिजली का निर्माण करने के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजैक्ट्स ही लगाये जायें? आज हमारे पास जो प्रोजैक्ट्स लगाये गये हैं, उनमें भी हम इम्प्रूवमेंट करके रिपेयर एंड माडर्नाइजेशन की तरफ से प्लांट लोड फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो कम से कम इस देश में हमारी बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। साथ में जो बिजली की चोरी हो रही है, उस बिजली की चोरी को रोकने की भी हम कोशिश करेंगे। उससे भी हमारे पास धन आ सकता है। 20 हजार करोड़ रुपये की चोरियां हर साल की जाती हैं और 12 साल में कम से कम ढाई लाख करोड़ रुपया तो उससे भी जुटाया जा सकता है। हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आज 52 परसेंट से भी ज्यादा कुछ राज्यों में लासेज हो रहे हैं। उन लासेज को यदि हम 10-12 परसेंट तक ला सकते हैं और नीचे लाने के लिए हमने एक्शन प्लान बनाया है तो उस तरह से जो पैसा जुटाया जायेगा, वह पैसा हम दोबारा निवेश करने के लिए ला सकते हैं। साथ ही केन्द्र सरकार ने यह तय किया है कि 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 46 परसेंट तक हम निवेश करेंगे।

ताकि प्राइवेट सेक्टर कुछ वजह से नहीं आ सकता, तो केन्द्र की पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निजी निवेश भी जिस तरह से आना चाहिए, उनको लाने की कोशिशें जारी हैं। हम अलग-अलग देशों से बातचीत कर रहे हैं और अलग-अलग इंडस्ट्रियल हाउसेज से भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा पावर जेनरेट तभी कर पाएंगे, जब हमारी जो कॉस्ट आफ जेनरेशन तीन रुपए है और कॉस्ट आफ पावर दो रुपए है, उसमें एक रुपए का अंतर आए। यह हम करेंगे तो इससे हमारी इंटरनल जेनरेशन बढ़ेगी। उससे भी राज्यों की सरकारें और केन्द्र सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं जो पूछना चाहता था वह डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है जिसके बारे में माननीय मंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक नए निवेशकों को विद्युत उत्पादन क्षेत्र और वितरण क्षेत्र सहित अनुमति नहीं दी जाती है तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसे अत्यधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि सात विदेशी निवेश प्रस्ताव आए लेकिन एनरान के अलावा किसी को भी सफलता नहीं मिली? मैं समझता हूं कि हमें इनमें से प्रत्येक परियोजना के मामले का अध्ययन करना चाहिए ...*(व्यवधान)*। विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता मिली है लेकिन एक बात यह है कि हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं भी हैं। मुझे याद है कि तत्कालीन योजना आयोग जिसका मैं भी सदस्य था ने प्रति गारंटी के सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रश्न है वहां गारंटी का प्रश्न कहां है? उन्हें 40 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करने दे और इसे लौटा दें। इसमें कोई समस्या नहीं है। तत्कालीन वित्त मंत्री ने सारे आरोपों को नकार दिया और इस प्रति गारंटी की अनुमति के सिद्धांत को थोप दिया। मैं समझता हूं कि वह बहुत गलत बात थी। एनरान एक बहुत दुखद मामला है और मंत्रीजी को इस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक संबंधित पार्टी को बराबर त्याग करना चहिए और इससे स्वयं ही शेष विश्व को सही संदेश मिल जाएगा कि भारत में निवेश करना सुरक्षित है और इससे आप सुरक्षित हैं।

श्री सुरेश प्रभु: मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में सफलतापूर्वक सुधारों का मूलमंत्र है। इसलिए हमने अनेक उपाय किए हैं। मैं आपसे सभी संसद सदस्यों के समक्ष यह घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र में अब हमने किस तरह के सुधार शुरू किये हैं। यदि आप मुझे जब कभी अनुमति दें, तो डेढ़ घंटे का समय लूँगा।

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं।

श्री सुरेश प्रभु: अभी नहीं, मैं संसद सदस्यों को विस्तार से बताऊंगा। मैं उन्हें विस्तृत कार्ययोजना के बारे में एक बुकलेट भी दूंगा जो हमने तैयार की है और इसे विद्युत क्षेत्र के विकास का ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसे हमने गत कुछ सप्ताह पहले ही तैयार किया है और ब्लूप्रिंट से आपको पता चल जाएगा कि हम विद्युत वितरण की समस्या को किस तरह हल करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ' ,

माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विद्युत वितरण के लिए जनरेटर की भी अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक आदर्श है जो कोलकाता, मुम्बई, अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर सफल रहा है और यही गारंटी और प्रति गारंटी देने के लिए काफी हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: विद्युत बोर्डों को इन सुविधाओं को खरीदने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु: वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी से सुधारों में विलम्ब होता है क्योंकि राज्य सरकार विद्युत वितरण क्षेत्र में बदलाव लाने को आवश्यक नहीं समझती।

श्री पी.सी. थामस: जब सरकार इस संबंध में नीति बनाती है, तो उसे क्षेत्रीय संतुलन के प्रति भी बहुत ईमानदार होना चाहिए। मैंने ऐसा पाया है कि यद्यपि विदेशी निवेश इसी क्षेत्र में प्रमुख रूप से हुआ है, फिर भी कुछ राज्यों और क्षेत्रों में निवेश बहुत कम हुआ है, उदाहरणस्वरूप, पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिण के राज्यों में। केरल में वर्ष 1998 में विदेशी निवेश 0.36 प्रतिशत हुआ था, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह 14 प्रतिशत था, कर्नाटक में 7 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 6 प्रतिशत, तमिलनाडु में 6 प्रतिशत। यह अच्छा है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि कुछ क्षेत्रों और राज्यों के संबंध में पूर्ण असंतुलन क्यों है? जबकि यह प्रश्न नीति से संबंधित है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कृपया यह समझने की कोशिश करें कि यह प्रश्न विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश से संबंधित है।

श्री पी.सी. थामस: हां, महोदय, इसलिए मैंने कहा था कि नीति बनाते समय सरकार को चाहिए कि क्षेत्रीय समानता बरकरार रखी जाये और सभी क्षेत्रों में बराबर विदेशी निवेश हो। यही कारण है कि मैं इस बिंदु पर जोर दे रहा हूं। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े देता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पूरक प्रश्न पूछना है, सभी तरह के आकंड़े देना नहीं।

श्री पी.सी. थामस: मेरा विशेष प्रश्न है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रहे। इस संबंध में, मैं केरल के अपने चुनाव क्षेत्र की एक परियोजना का उदाहरण देना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अपना पूरक प्रश्न नहीं पूछने जा रहे हैं तो मैं आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं अपना प्रश्न पूरा कर रहा हूं। यद्यपि इस विद्युत परियोजना को जिसके लिए विदेशी निवेश की आशा थी वर्ष 1998 के शुरु में ही स्वीकृति दे दी गई थी। ...*(व्यवधान)* यह अब तक कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कोई पूरक प्रश्न नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है?

अब डा. रामचन्द्र डोम।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह नीति से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभा के समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी.सी. थामस: यह क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: कोई पूरक प्रश्न नहीं।

श्री पी.सी. थामस: मैं समझता हूं, मंत्री मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री तैयार हैं लेकिन आप उचित पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभा का समय नष्ट न करें।

डा. रामचन्द्र डोम: मंत्री ने वक्तव्य दिया है। मैं वर्ष 2012 तक विद्युत समस्या के समाधान के प्रति उनके संकल्प की प्रशंसा करता हूं। वास्तविक अनुमानित मांग 1 लाख मेगावाट है। यह एक सकारात्मक उद्यम है। मैं समझता हूं, जब हम विदेशी निवेश पर नजर डालकर अपने अनुभव का आकलन करते हैं तो यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी जैसा लगता है। इस सरकार की नीति से एक गलत परंपरा डाल दी गई है। उदाहरणस्वरूप महाराष्ट्र में एनरान परियोजना को ही ले लीजिए। इसका क्या हुआ? एनरान परियोजना सफल होने की बजाय विफल होने जा रही है ...*(व्यवधान)* ऐसी परिस्थिति में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में विदेशी निवेश का क्या होगा? एनरान परियोजना का क्या होगा? काउंटर-गारंटी के संबंध में केन्द्र सरकार की अद्यतन स्थिति क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय, क्या आप इसका जवाब देंगे?

श्री सुरेश प्रभु: सर्वप्रथम, आठवीं और नौवीं योजना में हमारे घटिया प्रदर्शन के बावजूद, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम अपने लक्ष्य का सिर्फ 53 प्रतिशत ही प्राप्त कर सके, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य का 51 प्रतिशत प्राप्त कर लेने की संभावना है। अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उससे मैं सभा को विश्वासपूर्वक कहता हूं कि हम सप्ताह-दर-सप्ताह के आधार पर सभी परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में आने वाली हैं ताकि दसवीं योजना के लक्ष्य को अवश्य पूरा किया जा सके।

दसवीं और ग्यारहवीं योजना के 100,000 मेगावाट लक्ष्य को जरूर पूरा कर लिया जाएगा। दसवीं योजना के आधे लक्ष्य को इसके अंदर ही पूरा कर लिया गया है।

दूसरी नीति यह है कि भारत सरकार ने उन नई आई.पी.पीज. को और काउंटर गारंटी न देने का निर्णय पहले ही ले लिया है, जो देश में आने वाली हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि सन् 2012 तक उन्होंने एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस सबसे सस्ता उर्जा उत्पादन का साधन है। यह प्राकृतिक गैस पर आधारित सबसे सस्ता साधन होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एचबीजे पाइप लाइन बिछायी थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्राकृतिक गैस पर आधारित अधिक बिजली का उत्पादन हो सके और आपका लक्ष्य पूरा हो सके, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? माननीय मंत्री श्री राम नाइकजी आपके पीछे बैठे हैं, अगर मंत्रालय में कोई समन्वय है, तो क्या प्राकृतिक गैस देंगे, जिससे बिजली का अधिक उत्पादन हो सके?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस पर ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो। श्रीराम नाइकजी पीछे बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि समर्थन देने के लिए पीछे बैठे हैं। प्राकृतिक गैस देंगे, तो बिजली का लक्ष्य पूरा करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह: कब तक देंगे?

श्री सुरेश प्रभु: यह तो राम नाइक जी बता सकते हैं।

गौ-वध पर प्रतिबंध

*343. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से कितनी मात्रा में गाय के मांस का निर्यात होता है और इससे कितनी आय होती है;

(ख) गाय के प्रजनन संबंधी विशेष योजनाओं के अंतर्गत क्या प्रयास किये जा रहे हैं और कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कई संगठनों, विशेषत: कुंभ मेले में संत सम्मेलन की ओर से गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) किन-किन राज्यों में गौ-वध पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आयात-निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस का आयात पूर्णत: प्रतिबंधित है। अत: आय अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) गायों के प्रजनन के संबंध में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग ने 2000-2001 में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक व्यापक योजना शुरु की है और 2000-2001 के दौरान इस योजना के तहत 2492.325 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ग) और (घ) अनेक संगठनों ने अपील/अनुरोध करके तथा कुछ संसद सदस्यों ने संसद प्रश्नों/संकल्पों तथा निजी सदस्य विधेयक के माध्यम से भारत में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त कानून बनाने की मांग की है। इस अनुरोध में जनवरी, 2001 में इलाहाबाद में कुंभ मेले में संत सम्मेलन में की गई मांग शामिल है।

भारत के संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि "राज्य कृषि और पशपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने की कोशिश करेगा और विशेषकर नस्लों के परिरक्षण और उनमें सुधार लाने तथा गाय और इसके बछड़ों तथा दुधारु और भारवाही गोपशु के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा।"

गोपशु संरक्षण का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति राज्य विधान मंडलों के पास है।

उच्चतम न्यायालय की तीन विभिन्न संविधान पीठों ने, जिन्होंने मुकदमों और अपील की सुनवाई की थी, कहा कि संवैधानिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण संघ सरकार गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय कानून नहीं बना सकती।

(ङ) विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

उन राज्यों के नाम, जिन्होंने गो वध पर प्रतिबंध/रोक लगाने के लिए कानून बनाया

गाय और उसकी संतति के वध पर प्रतिबंध लगाने/रोक लगाने के लिए निम्न राज्यों ने कानून बनाया है:

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गोवा
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू एवं कश्मीर
9. कर्नाटक
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. राजस्थान
15. सिक्किम
16. तमिल नाडु
17. उत्तर प्रदेश
18. पश्चिम बंगाल
19. मणिपुर

गोवध के संबंध में संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति

गाय और उसकी संतति के वध पर प्रतिबंध लगाने/रोक लगाने के लिए निम्न संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून बनाए हैं:

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
3. चंडीगढ़
4. दादर एवं नागर हवेली
5. दमन एवं दीव
6. पांडिचेरी

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के पास कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से पहले यह जानना चाहता हूं, मैंने प्रश्न किया था कि भारत से कितनी मात्रा में गाय के मांस का निर्यात होता है और उससे कितनी आय होती है। मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आयात-निर्यात नीति के अनुसार गो मांस का आयात पूर्ण प्रतिबंधित है, इसलिए आय अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह हमें गुमराह करने का जवाब है। पहले हमें इसका सही जवाब मिलना चाहिए, फिर उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: महोदय, अधिकारी लोग जो जवाब देते हैं, वह हमें मिलता है। ये लोग पढ़ते भी नहीं हैं, कितनी प्रोब्लम हो जाती है। हमें ठीक से जवाब ही नहीं मिलता। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रेश पटेल: महोदय, मुझे सही जवाब मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका पूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1951 में एक हजार जनसंख्या के सामने कितनी गाय संख्या थी और वर्ष 2000 में एक हजार की जनसंख्या के सामने कितनी गाय संख्या है?

डा. देवेन्द्र प्रधान: अभी गायों की संख्या से संबंधित आंकड़े मेरे पास नही हैं। मैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को बाद में दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गो पूजा होती है। गाय के अंदर देव का वास होता है। हर घर में उनकी पूजा होती है। सावन के महीने में पूरे देश में उनकी पूजा होती है। हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में गो-हत्या होती है। गाय के मांस का निर्यात करके हम जो आय कमाते हैं तो रसायनिक खाद आयात करने में कितनी धनराशि खर्च की जाती है। मंत्री जी ने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया, अब इसका जवाब ठीक से दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. देवेन्द्र प्रधान: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को बाद में दे दूंगा।

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हालांकि अपने स्तर में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

महोदय, हम कई बार सुनते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) विश्व हिन्दू परिषद (वी.एच.पी.) और अन्य कट्टरवादी पार्टियों ने गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सेठ, क्या आपने माननीय मंत्री महोदय के उत्तर का अवलोकन कर लिया है।

श्री लक्ष्मण सेठ: जी हां। महोदय।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

डा. देवेन्द्र प्रधान: महोदय, हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में गाय और गौ-वंश की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक राष्ट्रीय पशुधन आयोग का गठन किया गया है। अत: उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा, संरक्षण, विकास और अच्छी देखभाल के लिए देश के कानूनों की समीक्षा करने जैसे सभी संभव उपाय किए जाएं। इसके अतिरिक्त गौ-शालाओं के कार्यसंचालन में और सुधार करने व पशुधन की आवाजाही के मानकों, विनियमों और कानूनों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। भारत में पशुधन की सुरक्षा हेतु अन्य आवश्यक उपाय सुझाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसद सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि सरकार गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने जा रही है या नहीं।

डा. देवेन्द्र प्रधान: महोदय, वर्तमान में देश का कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1948 में सरदार दातार सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने गौ-वध परपूर्ण प्रतिबध लगाने की सिफारिश की थी। सन 1979 में भी इसी सदन में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें भारत की ऋषि और कृषि प्रधान संस्कृति को ध्यान में रखते हुए गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में सरकार ने गौ-वंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या किसी केन्द्रीय आयोग का गठन किया है, यदि हां तो इस आयोग का उद्देश्य क्या है और पूरे देश में गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस आयोग की क्या सीमाएं होंगी?

[अनुवाद]

डा. देवेन्द्र प्रधान: महोदय, पशुधन का संरक्षण राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार रूलिंग दिया है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि दूध की आपूर्ति के स्रोत और भारवाही पशुओं के संरक्षण हेतु बनाए गए अनुच्छेद 48 के निदेश के अनुसार सांडों, बैलों (पशुधन व भैंसों), गायों और उनके बछड़े-बछियों (पशुधन या भैंस) के वध को प्रतिबंधित करने हेतु पर्याप्त संवैधानिक रोक लगाई गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपकी तैयारी पूरी नहीं है। अगली बार आप पूरी तैयारी के साथ उत्तर देंगे। अब प्रश्न संख्या 344 ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ...*(व्यवधान)* इस पर आधे घंटे की चर्चा करायी जाए। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में सरकार गौ हत्याओं पर रोक लगाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

दल-बदल विरोधी कानून

***344. श्रीमती कान्ति सिंह:**
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी दल विशेष के टिकट पर संसद् या राज्य विधान सभा में जन-प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के बाद मौजूदा दल-बदल विरोधी कानून की खामियों का लाभ उठाते हुए बार-बार पार्टी बदले जाने की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत दल-बदल के मामलों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-परिवर्तन विरोधी विधि) के उपबंधों पर काफी बहस होती रही है। विद्यमान उपबंधों के अनुसार, सदन के पीठासीन अधिकारी को दसवीं अनुसूची के अधीन किसी सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर विनिश्चय करने की शक्ति है। किहोता होलसोहान बनाम जचिल्हू और अन्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 412, पृष्ठ 449 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन कार्य कर रहा किसी सदन का पीठासीन अधिकारी एक अधिकरण है। अतः, पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किये जाने के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) न्यायिक पुनर्विलोकन की समस्या से निपटने के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 तथा अनुच्छेद 192 के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि दसवीं अनुसूची पर आधारित सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने इस विषय में कोई मत निश्चित नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जवाब में जो इन्होंने बताया है कि दल-बदल कानून के जो अधिकार हैं।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन विधेयक के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय होता है, उस निर्णय के आलोक में उच्चतम न्यायालय में जाने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगी कि 22.5.1998 को सभी राजनैतिक दलों की एक बार बैठक हुई थी और संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन विधेयक में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव शामिल किया गया था। यहां तक कि दल परिवर्तन विधेयक के तहत पूर्व राष्ट्रपति डा. आर. वेंकटरमण ने भी सुझाव दिया था कि यदि कोई सदस्य दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आये दिन यह देखा जा रहा है और जब दसवीं लोकसभा के चुनाव हुये तो इस तरह की बातें देखी गईं। दल परिवर्तन के कई मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं और आज वर्ष 2001 चल रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या इन तीन-चार वर्षों में सरकार ने दोबारा सभी राजनैतिक दलों को बुलाकर इस मामले पर विचार-विमर्श किया या नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभा में इस प्रकार व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

अरुण जेटली: विभिन्न मंचों से समय-समय पर विभिन्न सुझाव आते रहे हैं। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने दसवीं अनुसूची में संशोधन करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। उसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा दसवीं अनुसूची के संबंध में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध समीक्षा करने का निर्णय लिया। विधि आयोग और चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए हैं।

यह सही है कि 1998 में इस विषय विशेष पर चर्चा करने हेतु एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद यह विषय सर्वदलीय बैठक में नहीं उठा। लेकिन, सभी दलों में आम सहमति बनाए जा सकने से पूर्व सरकार उस आयोग की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है, जिसका गठन सरकार ने संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए किया, जिससे कि सिफारिशों के अंतिम प्रारूप पर विस्तृत चर्चा के लिए उसे उपलब्ध कराया जा सके। जब अंतिम सुझाव आ जाएंगे तो सरकार निश्चित रूप से उन पर एक बड़े मंच पर चर्चा कराना चाहेगी। इसमें बहुत बड़े-बड़े मुद्दे सम्मिलित हैं जिनका व्यापक असर पड़ेगा। इनमें एक सुझाव यह भी है कि पीठासीन अधिकारियों से दसवीं अनुसूची के अंतर्गत न्याय-निर्णय का अधिकार वापस लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे दिया जाए जो चुनाव आयोग की सलाह से क्रियान्वित करे। चूंकि यह एक बहुत बड़ा सुझाव है अत: इस पर विचार करने या कोई निर्णय लेने से पूर्व इस पर सभी दलों के बीच सहमति कायम करना आवश्यक है। यह बहस चल रही है और हम भी प्रारूप प्रस्तावों के संबंध में अंतिम सिफारिशों का भी इंतजार कर रहे हैं, ये सिफारिशें प्रकाशित हो चुकी हैं, सरकार भी इस मामले पर अंतिम नजरिये पर पहुंचने से पहले सभी दलों से परामर्श करने की इच्छुक है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है क्योंकि यह सही बात है कि आज भी दल परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है। अचानक ही किस दल का कोई सदस्य ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार में बहुत दल-बदल हुआ है।

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती और उसकी मंशा साफ रहती तो कोई भी सदस्य दल बदल का कार्य नहीं करता। अभी देखा जा रहा है कि कोई भी सदस्य दल-बदल तभी करता है जब उसे कोई प्रलोभन दिया जाता है। अभी भी इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि आप दल छोड़कर चले आओ, आपको मंत्री बना देते हैं। कुछ सदस्यों को गाड़ी दी गई है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या आयकर विभाग ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल क्या है?

श्रीमती कान्ति सिंह: जिन लोगों की आय, रहन-सहन, खान-पान और कपड़े-लत्तों में अचानक परिवर्तन आता है, क्या सरकार ऐसे लोगों की आयकर विभाग द्वारा जांच करायेगी या नहीं? मैं मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: हमने किसी को कोई प्रलोभन नहीं दिया और न ही आपको कोई प्रलोभन दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जायसवाल जी, आपको क्या हो गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार के तथ्य किसी सदस्य के संबंध में सरकार की नजर में आते हैं या लाये जाते हैं तो निश्चित रूप से कानून में या आयकर विभाग के कानून में जो प्रावधान है, उसके द्वारा उनकी जांच हो सकती है। लेकिन बिना किसी तथ्य की जानकारी दिये बगैर केवल यह कह देना कि सदस्यों की आय में वृद्धि हो रही है, यह कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर जांच हो सके। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: हम लोग यह कहते हैं कि आर.जे.डी. में टूट हुई है और हमें जानकारी मिली है कि लोगों को बलेनो गाड़ियां मिली हैं और उनकी आय में अचानक वृद्धि हुई है, आप आयकर विभाग से इसकी जांच कराइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उदार अर्थव्यवस्था ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कुछ निगमित घरानों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यद्यपि हमारा प्रजातंत्र परिपक्व है फिर भी इस बात

को नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में सत्ता में किसी विशेष दल का संतुलन रखने के लिए, चाहे जो हो, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों और संकल्पों में, यदि पार्टी में एक तिहाई विभाजन की विद्यमान व्यवस्था को न्यायोचित ठहराया जाता है, तो औद्योगिक घराने देश में विभाजन करने में और इस राष्ट्र की प्रजातांत्रिक संस्कृति, जो सदियों में बनाई गई है, को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह शीघ्र ही इसकी सूक्ष्म समीक्षा करेंगे। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि एक चिन्ह पर निर्वाचित सदस्य, जैसे ही वह दल बदलता है, उसे एक तिहाई अथवा आधे अथवा किसी भी संख्या की किसी व्यवस्था के बिना पुनर्निर्वाचन के लिए लोगों के पास जाना चाहिए? मेरे प्रश्न का ख भाग यह है। संसद की सत्ता सर्वोच्च है। सदन के पीठासीन अधिकारी को छोड़कर दलबदल के गुण दोष का निर्णय करने में उच्चतम न्यायालय अथवा किसी न्यायालय द्वारा अतिक्रमण के किसी मामले के बारे में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह संसद की सर्वोच्चता की पुन: स्थापन को सुनिश्चित करेंगे।

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है।

जिसमें कुछ विभिन्न पहलु हैं। मैं नहीं समझता कि मात्र आर्थिक उदारीकरण की तथ्यसूची राजनीतिक दलों के परिवर्तन के प्रश्न से जुड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1990 में उदारीकरण की प्रक्रिया के शुरू हो से पहले भी हमारे पास बहुत मामले थे। वास्तव में इस संबंध में दी गई रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट में एक आंकड़े का सुझाव दिया गया है कि 1970 तक पचास प्रतिशत सदस्यों ने किसी उदारीकरण न होने पर ही दलबदल कर लिया था। अत: यदि हम दलबदल और विलय के आंकड़ों को देखें तो जहां तक संसद का संबंध है तो नब्बे के दशक के शुरू में अनेक मामले हुए। अत: दसवीं लोक सभा में ही दल बदल के पांच मामले हुए थे। यह संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। वास्तव में बारहवीं लोक सभा में दो सदस्यों के छोटे मोटे मामले ही थे। अत: यह कहना कि इसका संबंध उदारीकरण से ही हो सकता है तो हो सकता है यह ठीक संबंध न हो।

श्री ए.सी. जोस: उत्तर प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है

श्री अरुण जेटली: जहां तक बड़े प्रश्नों का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ये बहुत विदादास्पद मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर एक क्षण में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विधि आयोग, चुनाव आयोग और दिनेश गोस्वामी समिति की अनेक सिफारिशें हैं और सर्वदलीय बैठक को विचार-विमर्श की अनुमति दे दी गई है। मुख्य मुद्दे दो हैं, क्या हमें दसवीं अनुसूची के तहत वर्तमान प्रणाली के साथ चलते रहना चाहिए जहां किसी मूल राजनीतिक दल से अलग होने वाले एक तिहाई सदस्यों के दल को अलग माना जाए अथवा नहीं। इस विशेष विषय पर दो विचार हैं जो पहले से ही राजनीतिक प्रणाली में हैं। वास्तव में जब कानून को लाने के लिए 1970 में प्रारम्भिक सुझाव दिए गए थे, तो इस पर एक बहुत स्पष्ट राय यह थी कि क्या विघटन होना चाहिए अथवा नहीं। दूसरा मुद्दा भी चल रहा है जिस पर प्रत्येक समिति ने सिफारिश की है और सभा के विशेषाधिकारों को देखते हुए इस पर माननीय सभा और राजनीतिक दलों को विचार करना होगा कि क्या पीठासीन अधिकारियों की शक्तियां इस मामले में वापस ले ली जाएं और सभा के बाहर किसी अन्य निकाय को दे दी जाएं।

यह दूसरा सुझाव है। अत: जैसाकि माननीय सदस्य श्रीमती कान्ति सिंह ने इससे पूर्व कहा है कि पूर्ण वाद-विवाद के बिना सिफारिशें स्वीकार की जाएं और राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति तत्काल सम्भव नहीं हो सकती। हम इस सभा में इस विषय पर और अधिक चर्चा कर सकते हैं ताकि माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त कर सकें। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्षण भर में चर्चा हो सके।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस सभा में चर्चा हो और सभा किसी और बात की सिफारिश करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सब कुछ न्यायालयों द्वारा ही तय किया जाना है तो हम यहां किसलिए हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, जो भी चुनाव होता है, वह पांच वर्ष के लिए होता है और इन पांच वर्षों की अवधि में विभिन्न परिस्थितियों में दल-बदल होता है। इसका कहीं लाभ होता है और कहीं नुकसान भी होता है। नुकसान यदि मणिपुर में हुआ तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है और खासकर अभी राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में टूटा हुआ है और बिहार में टूटने की स्थिति में है और बहुत जल्दी टूटने जा रहा है।

हम जानना चाहते हैं कि जो सदस्य जीतकर आते हैं, उनके दल के नेताओं के निरंकुशपूर्ण व्यवहार और मुद्दे और सिद्धांत से हटने के कारण जब सदस्यों की जन-भावनाएं जनहित में जागती हैं और उनके अपने नेता निरंकुश हो जाते हैं, तब दल में बिखराव होता है। वैसी स्थिति में दल पर अंकुश लगाकर जन भावनाओं को दबाने की साजिश की जाती है, ऐसे दबाने की साजिश करने का सरकार का क्या औचित्य है यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि इसका संबंध इस प्रश्न से है।

श्री अरुण जेटली: सरकार के पास कोई नीति नहीं है। नीति तो सीधे दसवीं अनुसूची द्वारा ही बताई गई है। दसवीं अनुसूची में कहा गया है; व्हिप जारी किए जाने वाले मामलों में पार्टियों द्वारा जारी व्हिप का अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन एक समिति द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह है, जो इस मुद्दे के बारे में दी गई हैं, वह यह है कि व्हिप को वित्त विधेयकों अथवा उन अन्य मामलों तक सीमित करना होता है जहां सरकार का अस्तित्व खतरे में होता है; और इसलिए अन्य मामलों में चर्चा की स्वतंत्रता दी जा सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए दसवीं अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी जिस पर सभा को विचार करना होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दल बदल विरोधी कानून में दो स्वाभाविक कमजोरियां हैं?

उन कमजोरियों में एक यह है कि यह छोटे स्तर पर दल बदल की अनुमति नहीं देता, लेकिन बड़े स्तर पर दलबदल की अनुमति है। छोटे स्तर पर दलबदल की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका अर्थ है कि एक या दो व्यक्त दल बदल नहीं कर सकते; लेकन समूह में ऐसा करने की अनुमति है। जब कोई व्यक्ति दांडिक अपराध करता है तो यह बात कोई अर्थ नहीं रखती चाहे वह एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया हो। यहां दलबदल एक अपराध है। जब यह अपराध पार्टी के एक तिहाई से कम सदस्यों, एक अथवा दो लोगों द्वारा किया जाता है तो यह अपराध बन जाता है। यदि यह संख्या एक तिहाई से अधिक होती है तो यह कार्य पवित्र हो जाता है। यह एक ऐसी स्वाभाविक कमजोरी है जिससे हमें निपटना है; कि छोटे स्तर पर दल-बदल की अनुमति न देना और थोक आधार पर दल-बदल की अनुमति देना। यह हमारे कानून में एक अंतर्निहित कमजोरी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उसी पर आ रहा हूं।

दूसरे, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय किया है कि अध्यक्ष की शक्तियां न्यायाधिकरण की शक्तियों के बराबर हैं। हमें प्रक्रिया नियमों के तहत सुरक्षा नहीं दी गई है। संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अध्यक्ष द्वारा इस सभा के लिए क्रियाविधि संबंधी पूर्वनिर्णयों पर दिए गए निर्णयों की रक्षा संविधान द्वारा अनुच्छेद 208 के तहत की जाती है। यह संविधानिक सुरक्षा है लेकिन यह सुरक्षा दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून के तहत लिए गए निर्णय तक नहीं बढ़ाई जाती है। यह समीक्षा बन जाती है और वह निर्णय न्यायाधिकरण के निर्णय की तरह लिया जाता है। अतएव, अध्यक्ष द्वारा दल-बदल विरोधी कानून के तहत निर्णय करते समय हमें उसे सांविधानिक संरक्षण देना पड़ेगा।

और एक बात है, आप जानते ही हैं कि भारत में जो भी अध्यक्ष बनता है, उसे थोड़ी कठिनाई रहती है। यूनाइटेड किंगडम में, अध्यक्ष का प्रायोजन नहीं किया जाता और न ही निर्वाचन में उसके विरुद्ध कोई प्रत्याशी खड़ा होता है। किन्तु, भारत में राजनीतिक दल अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी रखते हैं। इससे यह होता है कि अध्यक्ष भले ही कितना भी न्यायपूर्ण व तार्किक निर्णय ही क्यों न दे, जो भी उससे असहमत होता है वह उसे एक संवेद्य निर्णय की संज्ञा देता है। अतएव, जहां तक अध्यक्ष के किसी निर्णय लेने का प्रश्न है, सदैव एक प्रकार की विहित दुर्बलता वहां विद्यमान रहती है। इसके अलावा, जब उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दे दी कि अध्यक्ष का निर्णय समीक्ष्य है, तो पूरा परिदृश्य अब ऐसा बन गया है। अध्यक्ष की उपस्थिति इस दृश्य में कहीं नहीं है।

अब ऐसा भी सुझाव दिया गया है कि निर्णय लेने का प्राधिकार राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को दे दिया जाय, क्योंकि वे भी सदन से संबद्ध हैं। इन सभी कारकों पर विचार किया जाना होगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह दलबदल-विरोधी कानून के न्यायकरण के विषय में इन सभी विवादों और संभ्रमों का निवारण करने के लिए एक विधि लाए।

अध्यक्ष महोदय: ये तो केवल सुझाव हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मेरे विद्वान मित्र ने जो सुझाव दिए हैं, उनका मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में उठने वाले मुद्दों से अनभिज्ञ हैं, अपितु विचारणीय बात तो यह है कि क्या ये दोष हैं अथवा परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण। इसके पूर्व माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने जो मत व्यक्त किया, वह यह था कि वस्तुत: हमें सचेतक (व्हिप) का प्रावधान ही समाप्त कर देना चाहिए और चर्चा करने की पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। यह एक बिलकुल अलग सा मत है। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन् की राय यह है कि किसी दल की टूट ही स्वयं में एक विरोधाभासी बात है-यदि हम यह देखें कि एक या दो व्यक्तियों के दल बदल लेने से राजनैतिक रूप से अनर्हता सिद्ध हो जाती है, जबकि पूर्वोक्त प्रकार के विभाजन से नहीं। यह एक प्रश्न है।

यह संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया पर एक विचारधारा यह बनी थी कि हमें कुछ

ऐसे प्रावधान रखने चाहिए, जिनमें स्वतंत्रता का बोधन होता हो। किन्तु जब इसका राजनीतिक अवसरवाद के प्रयोजन से दुरुपयोग किया जाने लगे, तो कानून को दखल देना पड़ता है। यही कारण है कि इस स्थिति में, विधायिका इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक-तिहाई टूट को विभाजन माना जायेगा। अब, विभाजन संबंधी यह प्रावधान जारी रखा जाये या न रखा जाये-यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके विषय में दो तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं और सरकार इन दोनों परस्पर-विरोधात्मक दृष्टिकोणों से अनभिज्ञ है।

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह राजनीतिक प्रश्न होने के साथ साथ ही एक सांविधानिक प्रश्न भी है। अनर्हता के प्रश्न का निर्णय करते समय अध्यक्ष 'हाउस ऑफ कॉमन्स' द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का उपयोग करता है, सभी देशों के सभाध्यक्ष भी ऐसा ही करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना और उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वे जापान की संसद् 'डाइट' द्वारा वहां के स्पीकर को दी गई उन शक्तियों का अनुपालन करेंगे, जिनके अंतर्गत वहां की निर्वाचन संबंधी याचिकाओं पर निर्णय 'डाइट' ही करती है। संसद् की गरिमा, प्रतिष्ठा और संप्रभुता को संप्रतिष्ठित रखने का निर्णय न्यायालय नहीं करेगा।

अध्यक्ष संसद् का प्रतिनिधि होता है। यदि अधिकार संबंधी प्रश्न पर अध्यक्ष के निर्णय पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया जायेगा, तो फिर किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने की संसद् की शक्ति ही विवादास्पद बन जायेगी। 1985 में हमारे द्वारा दल-बदल विरोधी इस कानून को पारित कर दिये जाने के छह वर्ष पश्चात् अब उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि अध्यक्ष की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

क्या सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सांविधानिक अधिकारों के विभाजन के प्रश्न पर, इस प्रश्न पर कि संसद् की शक्ति सर्वोच्च है-इस निर्णय की समीक्षा करने हेतु इसे पुन: उच्चतम न्यायालय के पास ले जायेगी? इस प्रश्न के विषय में संसद् की सर्वोच्चता का निर्णयानिर्णय उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। दलबदल-विरोधी कानून के अंतर्गत कृत कार्यवाही को संसद् की सभाओं की कार्यवाही माना जायेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्होंने विभेद किया है।

श्री पी.एच. पांडियन: हां, उन्होंने किया है। क्या सरकार अनर्हता के प्रश्न का निर्णय करने के विषय में अध्यक्ष को उसके सांविधानिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने देने की प्रबल पक्षधर रहेगी, चूंकि अध्यक्ष ऐसी स्थिति का सर्वोत्तम न्यायकर्ता होता है? क्या सरकार इस पक्ष को उच्चतम न्यायालय के ध्यानार्थ रखेगी कि अध्यक्ष द्वारा किये गये सांविधानिक निर्णय की सांविधानिकता का निर्णयानिर्णय करने के लिए न्यायिक समीक्षा अनुप्रयोज्य नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति यही कह रहा है कि संसद् सर्वोच्च हैं; दोनों सभा सर्वोच्च हैं। किन्तु हमें यह भी देखना होगा कि सभा में हम कितनी गरिमापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, जनता सर्वोच्च है। हम संसद् में संवैधानिक रूप से निर्वाचित होकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको इस पहलू पर भी विचार करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय सभासद श्री पांडियन बहुआयामी व्यक्तित्व रखते हैं-वे अधिवक्ता रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और अब इस सभा के सदस्य हैं। वे यह मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जहां तक समीक्षा के अधिकारों का संबंध है, निर्णयों की समीक्षा उनके जारी किए जाने के दस वर्ष पश्चात् दायर समीक्षा आवेदनों के आधार पर नहीं की जाती। जब और जिस प्रकार यह मुद्दा किसी स्थितिवश पुन: न्यायालय के समक्ष आता है, तो सरकार, संविधान की भावना का समादर करते हुए, उच्चतम न्यायालय में उपयुक्त रूप से अपना पक्ष रखेगी।

सिले-सिलाए कपड़ों और वस्त्रों के उत्पादन के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

***345. श्री हरिभाई चौधरी:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिले-सिलाये कपड़ों और वस्त्रों के उत्पादन के कार्य-निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की कितनी आवश्यकता है; और

(घ) उत्पादन और निर्यात के अंतर को कम करने के लिए सिले-सिलाए कपड़ों और वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) परिधानों और वस्त्रों के उत्पादन के निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान वस्त्रों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

मदें	यूनिट	1999-2000*	2000-01(अ)*
यार्न (सूती, स्पन और मानव निर्मित)	मिलियन कि.ग्रा.	3940	4079
फैब्रिक (सूती, ब्लैंडेड और 100% गैर-सूती)	मिलियन वर्गमीटर	39202	40908

स्रोत: वस्त्र आयुक्त, मुंबई
टिप्पणी: * = कपास वर्ष, अ. = अनंतिम

पिछले दो कलैंडर वर्ष के दौरान परिधानों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:

(मिलियन अदद)

मद	1999	2000
परिधान	5528.2	5893.7

स्रोत: भारतीय क्लोदिंग विनिर्माता संघ (सीएमएआई)

(ग) और (घ) वस्त्रों और परिधानों का उत्पादन विद्यमान घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, घरेलू और निर्यात बाजारों में हमारे वस्त्र और क्लोदिंग उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाये रखने और निर्यात बढ़ाने के लिए गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए अतिरिक्त निवेश करना जरूरी है। राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के अनुसरण में जरूरी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय बजट 2001-02 में **वस्त्र पैकेज** की घोषणा की गई है। **वस्त्र पैकेज** के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(1) वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क ढांचे को सामान्यत: सुव्यवस्थित बना दिया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

(2) 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर उत्पाद शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 महत्वपूर्ण मदों को भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने की घोषणा की गई है।

(3) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने के लिए ब्याज के 5% तक की प्रति पूर्ति करने की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टीयूएफएस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्य ह्रास की स्वीकृति 50% तक बढ़ा दी गई है।

(4) परिधानों के उत्पादन और निर्यात के लिए अपैरल पार्क बनाने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजना हेतु 15 करोड़ रु. भी प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बराबर है, लेकिन गारमेंट उद्योग के लिए उसमें जो एक्साइज ड्यूटी की बात है उसके कारण विदेशों को गारमेंट का जो निर्यात किया जाता है उसमें कमी आ रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गारमेंट का निर्यात बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि गारमैंट्स का निर्यात कम हो रहा है। मैं कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। सन् 2000-2001 में भी हमारा निर्यात बढ़ा है। 1999-2000 में 10,508.5 मिलियन डालर, 2000-2001 में 12,097.4 मिलियन डालर का हमारा निर्यात हुआ है। हमने 2001-2002 के लिए 13.7 बिलियन डालर का टारगैट बनाया है। मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर में जो थोड़ी गिरावट आई है, वह वर्ल्ड वाइड रिसैशन का इफैक्ट है, अमरीकन स्लोडाउन का इफैक्ट है। आने वाले दिनों में टारगैट के मुताबिक निर्यात अवश्य होगा।

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि हमने निर्यात बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन वे बार-बार उसका टारगैट फिक्स करते हैं। मई महीने में उसका टारगैट 17 अरब डालर किया था, उसके बाद कहा गया कि 50 अरब डालर का निर्यात होगा लेकिन प्रतिशत कम हो जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं?

श्री काशीराम राणा: हम जो टारगैट तय करते हैं, उसे बदलते नहीं हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 17 बिलियन डालर का कहा था, हमने अवश्य कहा था लेकिन पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स ने सब एक्सपोर्ट काउंसिल की टारगैट में कुछ चेंजेस की हैं। उसके मुताबिक टैक्सटाइल एक्सपोर्ट के निर्यात के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स ने जो तय किया है, वह 13.7 बिलियन डालर का है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, इससे पहले एन.टी.सी. मिल्स के कपड़े बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते थे। इन्होंने बताया

[अनुवाद]

कि ''क्या सिले-सिलाये कपड़ों और वस्त्रों के उत्पादन के कार्य-निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की गई है;

[हिन्दी]

एन.टी.सी. में पुरानी मशीनरी की वजह से उत्पादन में बढ़त नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं, कपास, रॉ मैटीरियल, आप वर्किंग कैपिटल नहीं दे रहे हैं, क्या उसका असर हो रहा है? आप माडर्नाइजेशन कब करने जा रहे हैं और एन.टी.सी. के बारे में क्या स्कीम है?

श्री काशीराम राणा: एन.टी.सी. मिल में हमारा जो फैबरिक बनता है, वह अच्छे किस्म का हो, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टैप्स लिए हैं जैसे टैक्नोलौजी मिशन आन काटन भी बनाया है। अच्छी काटन हो तो उसका फैबरिक भी अच्छा बनेगा, इसके लिए भी कोशिश की है। जहां तक माडर्नाइजेशन की बात कही है, मिलों के माडर्नाइजेशन के लिए जो एप्रोच बनाई है, वह अभी बी.आई.एफ.आर. के सामने प्रस्तुत है। जो एन.टी.सी. मिल अनवॉयबल होगी या जिसकी एक्सैस लैंड होगी, यदि राज्य सरकार उसे बेचने की छूट देती है तो वही पैसा हम वहां की एन.टी.सी. मिल को माडर्नाइज करने में इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है। मुझे लगता है कि बी.आई.एफ.आर. थोड़े समय में अवश्य डिसीजन लेगी।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि वे निर्यात को और विशेषत: कपास के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ इस वर्ष मूलत: हमारा निर्यात, इस वर्ष कच्चे माल की लागत और उसकी उपलब्धता पर निर्भर रहेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं और इस दर से गिर रही हैं कि यह दाम उन दामों से अधिक होंगे जो सीसीआई आगामी फसल के लिए देने वाला है।

निर्यातकों को बचाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और आप क्या कदम उठा रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारतीय बाजार में कपास को आने देने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? दूसरे तरीके से कहूं तो आप निर्यातकों को बचाने और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय बाजार मे किस प्रकार प्रतिस्पर्धी बनाने जा रहे हैं?

श्री काशीराम राणा: महोदय, सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: उन्हें इस हेतु उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए न कि मात्र यह कह देना चाहिए कि कई कदम उठाए गए हैं।

श्री काशीराम राणा: हमने अपने निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की घोषणा की है। इस नीति के तहत, सरकार पुरानी, अप्रचलित मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगाना चाहती है। उदाहरणार्थ, भारत में शटल रहित करघों की संख्या मात्र 8,000 है जबकि चीन में इनकी संख्या दो लाख है। राष्ट्रीय वस्त्र नीति के तहत, सरकार इनकी संख्या 8,000 से बढ़ाकर 50,000 करना चाहती है। हमने पुराने पड़ गए करघों को बदलने का भी निर्णय लिया है। हमने 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने का भी निर्णय लिया है।

जहां तक निर्यातकों को संरक्षण देने का संबंध है तो हमारे निर्यातकों को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में संरक्षण मिलना चाहिए, और माननीय सदस्य ने इसके बारे में उचित ही कहा है। सरकार और वस्त्र मंत्रालय सम्पूर्ण स्थिति की अक्सर समीक्षा करता रहता है और भारतीय वस्त्र क्षेत्र और निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करते रहते हैं। हम अपनी निर्यात नीति की भी समीक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार, हम निर्यातकों को ही नहीं बल्कि पूरे वस्त्र क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: कपास का जो निर्यात शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 346 ।

बोली लगाने की नई प्रणाली

*346. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल की खोज हेतु बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में माडल उत्पादन भागीदारी संविदा के स्थान पर मानक संविदा लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोली लगाने की नई प्रणाली से संविदा को अंतिम रूप देने में होने वाले अनावश्यक विलम्बों से बचा जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने अन्य कौन से कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के तहत वर्तमान में पालन की जा रही आदर्श उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (एम पी एस सी) प्रणाली में संविदाओं पर अन्वेषण ब्लाक प्रदान कर दिए जाने के बाद चर्चा की जाती है जबकि मानक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (एस पी एस सी) प्रणाली के तहत अन्वेषण ब्लाक प्रदान कर दिए जाने के बाद कोई संविदा चर्चा नहीं की जाती है। तथापि कंपनियां बोली के समय मानक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रति अपवाद ले सकती हैं और यह सरकार पर है कि वह ऐसे अपवादों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। आदर्श उत्पादन हिस्सेदारी संविदा और मानक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा प्रणालियों के अपने अपने सापेक्ष गुण-दोष होते हैं। विभिन्न पहलुओं विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों और निवेशकों, कम्पनियों और अन्यों से प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आदर्श उत्पादन हिस्सेदारी संविदा सहित बोली प्रलेखों का संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। संशोधनों का उद्देश्य निवेशकों के मध्य बोली प्रलेखों को और अधिक स्पष्ट करना, व्यापक सुधार और इसकी स्वीकार्यता में वृद्धि करना होता है।

(ग) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के दूसरे दौर के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। ब्लाक प्रदान करने की तारीख से छह सप्ताहों से कम समय के भीतर कम्पनियों के साथ संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया और 17.7.2001 को हस्ताक्षर किए गए। एन ई एल पी-2 के तहत पालन किया गया बोली मूल्यांकन, मूल्यांकन की मात्रात्मक प्रणाली पर आधारित था और मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए बोली प्राचल अधिमानों को प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एन आई ओ) के माध्यम से पहली बार सार्वजनिक किया गया। एन ई एल पी-2 के तहत पालन की गई विश्वव्यापी बोली प्रणाली में बोलियों के मूल्यांकन, ब्लाकों के प्रदान किए जाने और संविदाओं पर हस्ताक्षर करने की सारी प्रक्रिया लगभग साढ़े तीन महीनों की अवधि में पूरी कर ली गई जो पिछले बोली दौरों से बहुत शीघ्र है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: प्रगति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्ट पूरक प्रश्न पूछिए। अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, तेल की खोज का काम देश के विकास और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत महत्व रखता है। क्या सरकार को नई लाइसेंसिंग नीति के तहत आदर्श उत्पादन हिस्सेदारी संविदा प्रणाली से स्थिति स्पष्ट हुई है? यदि हां, तो हमें इससे क्या-क्या लाभ होंगे?

श्री राम नाईक: 1980 से 1996 तक नई खोज लाइसेंसिंग नीति से पहले हमने खोज के लिए केवल 35 ब्लॉक्स बनाए थे; केवल 35 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमने एनईएलपी-I के तहत 24 और एनईएलपी-II के तहत 23 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने डेढ़ साल में 47 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जबकि पिछले 10 साल में केवल 35 संविदाओं पर ही हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रकार, हम तेल की खोज के काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हमें कतिपय स्थानों पर तेल और गैस मिले हैं और इन स्थानों से हमें देश के आर्थिक विकास के लिए और अधिक तेल और गैस प्राप्त होगी।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या माननीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा बताए गए इन उत्साहवर्धक परिणामों के साथ-साथ कृष्णा-गोदावरी बेसिन के कुछ और ब्लाकों में खोज का काम शुरू किये जाने की योजना है? वहां पर गैस और तेल के भंडार हैं और इन्हें अन्य तेलशोधक कारखानों को भेजा जा रहा है। क्या इस वर्ष के दौरान कुछ अधिक ब्लॉकों में खोज का काम शुरू करने की योजना है?

श्री राम नाईक: महोदय, हम एनईएलपी ब्लाकों के तीसरे दौर के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें अपतटीय, गहरे समुद्र और जमीन पर खोज कार्य शामिल होंगे। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इसलिए, अगले दौर में हम आंध्र प्रदेश में जमीनी ब्लॉक को अवश्य शामिल करेंगे ताकि आंध्र प्रदेश की जमीन से अधिक गैस निकाली जा सके।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: धन्यवाद, महोदय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

*342. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का प्रमुख कारण निधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या 48 परियोजनाओं में से 42 रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निधियों की कमी के कारण विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेल विभाग ने परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से बचने के लिए उन्हें निर्धारित समय -सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वीकृत चालू परियोजनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है:

नई लाइनें	81
आमान परिवर्तन	71
दोहरीकरण	85
रेल विद्युतीकरण	23
महानगर परिवहन परियोजनाएं	18

बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाओं और निधि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय कर पाना संभव नहीं है;

(घ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से, रेलें राजस्व के आंतरिक सृजन में वृद्धि करके, रेल परियोजनाओं के निष्पादन में निजी पार्टियों और राज्य सरकारों की वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था करके, अतिरिक्त बजटीय सहायता, आदि प्राप्त करके संसाधनों में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं।

संसाधनों का ठीक प्रकार से आवंटन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इन परियोजनाओं की प्राथमिकता उनकी वास्तविक प्रगति, परिचालनिक महत्व, राष्ट्रीय तथा सामरिक महत्व और सामाजिक वांछनीयता के आधार पर निर्धारित की गई है।

फास्ट ट्रैक योजना

*347. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्पनी रजिस्ट्रार की सूची से बंद पड़ी कंपनियों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस फास्ट ट्रैक योजना के अन्तर्गत कितनी कंपनियों के नाम हटाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का बंद पड़ी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के लिए कुछ और कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। 28.9.2000 से 31.1.2001 (गुजरात राज्य के लिए यह स्कीम 31.3.2001 तक चली) के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई फास्ट ट्रैक धारा 560 योजना के अन्तर्गत 5181 कंपनियों के नाम हटाए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 'ग' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृमिनाशियों का प्रयोग

*348. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खतरनाक कृमिनाशियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को व्यापक रूप से प्रयुक्त और विज्ञापित हो रहे एलेथ्रिन और इसके आइसोमर्स के अति घातक दुष्प्रभावों की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार विनिर्माताओं को ऐसे विज्ञापन न देने की सलाह देगी; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले की समीक्षा विज्ञापन संबंधी ''एफ.ए.ओ.'' नियम संहिता के अनुसार भी करेगी जिसमें भारत सरकार भी एक पार्टी है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। देश में अब तक 27 कृमिनाशियों तथा 3 अन्य कृमिनाशियों के 4 सूत्रों के उपयोग पर रोक लगाई जा चुकी है जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकरण समिति, द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग करने पर एलीथ्रीन और इसके आइसोमर मानव स्वास्थ्य पर कोई खतरनाक प्रभाव नहीं डालते।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारत में प्रतिबंधित कृमिनाशियों की सूची

(क) विनिर्माण, आयात एवं उपयोग के लिए प्रतिबंधित कृमिनाशी (सं.-24)

1. एल्ड्रीन
2. बेन्जीन हेक्साक्लोराईड
3. कैल्सियम सायनाइड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसीटोआरसेनाइट
6. डाईब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एन्ड्रीन
8. इथायल मरकरी क्लोराईड
9. इथायल पराथीओन
10. हेप्टाक्लौर
11. मेन्जीन
12. नाईक्रोफेन
13. पैराक्वेट डाईमिथायल सल्फेट
14. पेन्टाक्लोरो नाईट्रोबेन्जीन
15. पेन्टाक्लोरोफिनौल
16. सोडियम मीथेन आरसोनेट
17. टेट्राईफेन
18. टेक्साफेन
19. अल्डीकार्ब
20. क्लॉरहेन्जीलेट
21. डाईएल्ड्रीन
22. माईलेक हाईड्रोजाईड
23. इथीलीन डाईब्रोमाईड
24. टी.सी.ए.

(ख) कृमिनाशी जो उपयोग के लिए प्रतिबंधित है लेकिन निर्यात के लिए इनका उत्पादन अनुमत है (सं. 3)

25. निकोटिन सल्फेट
26. फिनायल मरकरी एसीटेट
27. केप्टफॉल

(ग) आयात, विनिर्माण, एवं उपयोग हेतु प्रतिबंधित कृमिनाशी के सूत्र (सं. 4)

1. मीथोमायल 24% एल
2. मीथोमायल 12.4% एल
3. फास्फामीडॉन 85% एस.एल.
4. कारबोफ्यूरॉन 50% जी

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध

***349. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कपास के निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाकर इसके निर्यात से सभी प्रतिबंधों को हटाने और गुणवत्ता सुधार और किसानों को अपेक्षित एक-समान कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कपास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों ने क्या सिफारिशें की है;

(घ) क्या कपास उत्पादकों, आपूर्तिकर्त्ताओं, उपभोक्ताओं और कपास उद्योग के संयुक्त मंच ने इस संबंध में अनुरोध किया है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार किया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) भारत सरकार ने कपास के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। 2 जुलाई, 2001 के कपास के निर्यात को स्वतंत्र और प्रतिबंध रहित बना दिया गया है। कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य कपास की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाना है ताकि उद्योग को कोटि का कच्चा माल और कपास कृषकों को लाभप्रद आय प्राप्त हो सके।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल (फिक्की), नई दिल्ली के कार्य समूह ने भारत राष्ट्रीय कपास बोर्ड की स्थापना करने की परिकल्पना की है। तथापि, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मौजूदा कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) जिसमें सभी संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, सरकार को सामान्यत: कपास के उत्पादन खपत और विपणन से संबंधित मामलों में सलाह देता है और साथ ही सूती वस्त्र मिल उद्योग, कपास उपजकर्ताओं, कपास व्यापारियों और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। कपास सलाहकार बोर्ड वे सभी कार्य करता है जिसकी परिकल्पना फिक्की द्वारा भारत राष्ट्रीय कपास बोर्ड के लिए की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बड़ी विद्युत परियोजनाओं की प्रगति

***350. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा शुरू की गई बड़ी विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

(ख) इन परियोजनाओं के वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं को लक्ष्य के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क), (ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वयन हेतु अभिज्ञात वृहत् विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:-

परियोजना/राज्य	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति	परिकल्पित चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4
अंता विस्तार संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सीसीपीपी) चरण-2 राजस्थान	650	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है।	2005-06 उपयुक्त एवं स्थिर कीमतों पर दी जा रही एलएनजी और लाभभोगी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित विद्युत
औरैया विस्तार सीसीपीपी चरण-2 उत्तर प्रदेश	650	-परियोजनाओं को लाभभोगी राज्यों द्वारा तरल प्राकृतिक	क्रय करारों के तहत्।
कवास विस्तार सीसीपीपी चरण-2, गुजरात	650	गैस (एलएनजी) पर आधारित उत्पादन की लागत वहन	

1	2	3	4
झनोर-गांधार विस्तार सीसीपीपी चरण-2 गुजरात	650	करने पर सहमत होने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा।	
कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) चरण-2 बिहार	1320 (2×660)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध	यूनिट-1 2006-07 यूनिट-2 2007-08
उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी झारखंड	1980 (3×660)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है।	यूनिट-1 2006-07 यूनिट-2 2007-08 यूनिट 3 2008-09
बाढ़ एसटीपीपी, बिहार	1980 (3 × 660)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है।	यूनिट-1 2006-07 यूनिट-2 2007-08 यूनिट-3 2008-09
कोल बांध जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश	800 (4 × 200)	-परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश से ले लिया गया है। -के.वि.प्रा. से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दी गयी है। -एनटीपीसी द्वारा के.वि.प्रा. को जून, 2001 में स्वीकृति हेतु संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है।	2008-09
चेय्यूर एसटीपीपी, तमिलनाडु	1000	-कोस्टल रेग्युलेशन जोन (सीआरजोन) स्वीकृति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थल संबंधी स्वीकृति उपलब्ध होने के पश्चात् व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी।	2011-12

* वृहत् विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात 1300 मेगावाट की विस्तार क्षमता। इसे 650 मेगावाट प्रत्येक के चरणों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

** वृहत् विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात नयी क्षमता 1500 मेगावाट है। इसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

\# आवश्यक स्वीकृतियों/प्रबंधों तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के तहत्।

(ख) इन वृहत् विद्युत परियोजनाओं को एनटीपीसी द्वारा 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाएगा। इक्विटी के हिस्से की पूर्ति कम्पनी के आंतरिक संसाधनों में से तथा ऋण हिस्से की पूर्ति विदेशी तथा घरेलू उधार से की जाएगी।

हाइड्रोकार्बन के भंडार

***351. श्री रामजी मांझी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यदि अन्य भण्डारों की खोज नहीं की गई तो एक अनुमान के अनुसार मौजूदा उत्पादन दर पर वर्ष 2016 तक पूरे हाइड्रोकार्बन भंडार समाप्त हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऊर्जा की बढ़ रही आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार हाइड्रोकार्बनों अर्थात कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार लगभग 714 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) तेल और 729 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) तेल और 729 बिलियन धन मीटर (बी सी एम) गैस थे। 2000-2001 के दौरान देश में तेल और गैस का कुल उत्पादन क्रमश: 32.46 एम एम टी और 29.48 बी सी एम थे। इन उत्पादन दरों के आधार पर तेल के भंडार अगले लगभग 22 वर्ष और गैस के भण्डार अगले लगभग 25 वर्ष तक चलने की आशा है। तथापि हाइड्रोकार्बनों का उपचय एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में लाने और महत्वपूर्ण निवेश के किए जाने, जिनके परिणामस्वरूप नई खोजें की जाती है और मौजूदा क्षेत्रों का विकास किया जाता है, पर विभिन्न अन्वेषणात्मक और विकास क्रियाकलापों के माध्यम से नए भण्डारों का पता लगता है।

तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल का उत्पाद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन ई एल पी के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पाद हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन ई एल पी के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को पी एस सीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों जिनमें से 8 गुजरात में हैं और 1 असम में हैं, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(6) विदेशों में रकबों का अर्जन करना।

(ग) और (घ) सरकार विभिन्न बोली दौरों के तहत 1991 से निजी कंपनियों को अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव करती आ रही है। 1999 में सरकार ने एन ई एल पी लागू की जिसके तहत राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) और निजी कंपनियों दोनों अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली भेज सकती है और अब तक दो बोली दौर निकाले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने दो बोली दौरों के तहत निजी कंपनियों की खोजे गए क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है। अन्तत: कोल बेड मीथेन (सी बी एम) नीति के तहत अप्रैल, 2001 में सात ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है जिनके लिए एन ओ सीज और निजी कंपनियों दोनों बोली भेज सकती हैं।

जमा राशियों का भुगतान न किया जाना

***352. श्री किरीट सोमैया:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कंपनियां छोटे निवेशकों से प्राप्त सावधि जमा राशि का भुगतान अथवा उनकी वापसी नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान प्रत्येक कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या केबल कारपोरेशन ऑफ इंडिया निवेशकों को राशि का भुगतान नहीं कर रहा है अथवा विलम्ब से भुगतान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं और कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, हां। परिपक्व निक्षेपों के गैर-पुनर्भुगतान के संबंध में निक्षेपकर्त्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अन्तर्गत कंपनी विधि बोर्ड को शक्तियां दी गई हैं, जहां भी निक्षेपों के पुनर्भुगतान में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा या गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा चूक के मामले में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क के अन्तर्गत कोई चूक हो। कंपनी विधि बोर्ड आदेश में यथानिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ऐसे निक्षेपों या उसक भाग को या यथानिर्दिष्ट समय के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए चूककर्त्ता कंपनी को निदेश दे सकता है।

जहां तक गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या के संबंध में ब्यौरों को इकट्ठा करने का संबंध है, यह वर्णित है कि इस सूचना को इकट्ठा करने में लगा समय और प्रयास संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

तथापि, कंपनी विधि बोर्ड जो एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, वर्ष 2000-2001 के दौरान निक्षेपकर्त्ताओं से इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) के अन्तर्गत

अवधि	बी/एफ	प्राप्त	कुल	निपटाई गई	लम्बित
1.4.00 से 31.3.01 तक	4201	5957	10158	6354	3804

आर बी आई अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अन्तर्गत

अवधि	बी/एफ	प्राप्त	कुल	निपटाई गई	लम्बित
1.4.00 से 31.3.01 तक	9347	11347	20694	14274	6420

(घ) और (ङ) जी, हां। केबल कारपोरेशन आप इंडिया लि. वित्तीय वर्ष 2000-2001 से निक्षेप धारकों को निक्षेपों का पुनर्भुगतान करने में चूक कर रही है।

इस संबंध में सी एल बी (डब्ल्यू आर पीठ) ने निक्षेपों के उन पर ब्याज सहित गैर-भुगतान के लिए पूरे देश के विभिन्न निक्षेपकर्त्ताओं से 693 आवेदन प्राप्त किए थे। निक्षेपकर्त्ताओं के आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् सी एल बी ने परिपक्व निक्षेपों और भविष्य में $4^{1}/_{2}$ वर्ष की अवधि में परिपक्व होने वाले सभी निक्षेपों के उन पर ब्याज सहित पुनर्भुगतान के लिए दिनांक 1.8.2001 से प्रभावी एक आदेश दिनांक 9.7.2001 के पारित किया है। सी एल बी के आदेश की गैर अनुपालना कारावास सहित या रहित जुर्माने को अपरिहार्य बनाती है।

नारियल उत्पादों हेतु बाजार संबंधी बुनियादी ढांचे आदि का विकास

***353. श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में नारियल उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजार संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार की ओर से प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल करने के लिए अनुसंधान, उत्पाद विविधीकरण और मूल्य वर्धन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) विशेष रूप से नारियल के लिए बाजार अवसंरचना के विकास हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, नारियल विकास बोर्ड नारियल उत्पादों हेतु मंडियों के प्रवर्धन पर कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इसमें शामिल हैं (1) बाजार सूचना/आसूचना सेवा की स्थापना (2) देश में नारियल आधारित उद्योग के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मंडियों के विस्तार हेतु प्रचार, प्रदर्शनियों में सहभागिता आदि के जरिए मंडी प्रवर्धन (3) एग्मार्क मानक लागू करने के लिए नारियल आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता।

(ग) और (घ) केरल सरकार से प्रौद्योगिकी मिशन पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें अनुसंधान, उत्पाद विविधीकरण और मूल्य-वर्धन को शामिल किया गया था, किन्तु यह केवल केरल राज्य तक ही सीमित है। नारियल विकास बोर्ड के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी मिशन हेतु प्रस्ताव का एक प्रारूप तैयार कराया गया, जिसमें सभी नारियल उत्पादक राज्यों को शामिल किया गया है और इसमें इन सभी समस्याओं का भी समाधान किया गया है। इस क्षेत्र में सभी विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया तथा बैठक में दस्तावेज के प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में केरल सरकार के सभी प्रतिनिधियों सहित स्टैक होल्डरों (पणधारियों) ने भाग लिया था। सहभागी राज्यों से आगे और संशोधन के लिए अपने सुझाव, यदि कोई हों, देने का अनुरोध किया गया है। केरल राज्य सहित सहभागी राज्यों के सुझावों के आधार पर प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डेयरी उद्योग

*354. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाजार में आयातित दुग्ध उत्पादों की भरमार की रिपोर्टों के मद्देनजर 5,000 करोड़ रुपये के घरेलू डेयरी उद्योग को बचाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से बहुत से उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो उन आयातित दुग्ध उत्पादों का ब्यौरा क्या है जो कानून में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ङ) क्या इन आयातित उत्पादों में से कुछ में भारत में प्रतिबंधित पशु रेनेट पाया गया था;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई किसी भी जांच का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारतीय बाजार में इनके प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (छ) भारत 1991 से चरणबद्ध तरीके से आयात से प्रतिबंध हटा रहा है। प्रतिक्रिया में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कुछ मदों पर 31.3.2000 को प्रतिबंध हटा लिया गए थे और अन्य पर से 31.3.2001 को हटा लिए थे। वास्तव में दुग्ध उत्पादों के कुल आयात में गिरावट आनी शुरू हो गई है और यह गिरावट 1999-2000 में 18040.68 लाख रुपये की तुलना में 2000-2001 के दौरान 4808.64 लाख रुपये के क्रम से है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने उपभोक्ता पैकों में चीज, मक्खन, क्रीम और यू.एच.टी. दूध जैसे दुग्ध उत्पादों के आयात की कुछ घटनाओं के बारे में सूचना दी है जिनमें से कुछ डिब्बाबंद पर खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम और माप-तोल मानक (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 1977 के तहत लेबल नहीं लगा है और अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं दिया गया है। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियम, 1955 के तहत पशु रैनेट का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है।

निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाईयां की गई हैं:

1. स्वास्थ्य मंत्रालय जो पी.एफ.ए. अधिनियम नियमों का प्रशासनिक मंत्रालय है, ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि सभी खाद्य वस्तुओं, चाहे वह आयातित हो अथवा देश में ही उत्पादित और विपणित हो, की नियमित जांच-पड़ताल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में बेची गई वस्तुओं की गुणवत्ता, चाहे आयातित हो अथवा देश में उत्पादित, पी.एफ.ए. अधिनियम, 1954 और पी.एफ.ए. नियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप है।

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना के तहत यह आदेश दिया है कि ऐसे सभी डिब्बाबंद उत्पाद जो मापतोल (डिब्बाबंद वस्तु) नियम 1977 के मानदंडों के प्रावधानों के अधीन हैं, को जब घरेलू बाजार में उत्पादित/पैक/बेचा जाता है तो

जब वे भारत में आयातित हों तब उपरोक्त नियमों के सभी प्रावधानों के अनुसार हो।

3. सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों और सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्तों को संबोधित दिनांक 13.3.2001 के पत्र के तहत राजस्व विभाग ने यह निदेश दिया कि वे खाद्य मदों के ऐसे क्लीयर न किए कार्यों के निपटान में प्रर्याप्त सावधानी बरतने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि इससे पहले कि इनको घरेलू खपत के लिए मंजूरी दी जाए यह पी.एफ.ए. अधिनियम के तहत सभी जरूरतों के अनुरूप हैं। यह भी निदेश दिया गया है कि ऐसी वस्तुओं के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए निपटान के लिए वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होने चाहिए ताकि उपभोक्ता/उद्योग के हितों की रक्षा हो सके।

4. कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपनी ओर से 7 जुलाई, 2001 को प्रकाशित अधिसूचना सा.का. संख्या 655 (ई) के तहत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों सहित सभी पशुधन उत्पादों के आयात पर भी रोक लगाई है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

***355. श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कौन सी दीर्घावधि योजना तैयार की है;

(ख) इस दीर्घावधि योजना के अंतर्गत कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(ग) विदेशी कंपनियों से विद्युत उत्पादन के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितनी योजनाएं तैयार की जा रही हैं; और

(ङ) वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उनके द्वारा कितना-कितना निवेश किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 9,75,222 मि. यूनिट की ऊर्जा आवश्यकता और 157107 मे.वा. की व्यस्तकालीन मांग की पूरा करने के लिए वर्ष 2012 तक कुल 213000 मे.वा. कुल क्षमता की आवश्यकता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी प्रगति पर है और इस संबंध में विद्युत संबंधी कार्यकारी दल के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) कुल 58 निजी विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें अभी तक सीईए द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, में से 51 परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी शामिल हैं, पश्चिम बंगाल में दो परियोजनाओं (यथा गौरीपुर और बकरेश्वर) पर राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के माध्यम से अब कारवाई नहीं की जा रही है। तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी विद्युत परियोजनाओं, जिनमें विदेशी इक्विटी शामिल है के संबंध में अनुमानित लागत, विदेशी इक्विटी की धनराशि और विदेशी निवेशकों का ब्यौरा दर्शाने वाला राज्य वार विवरण संलग्न है।

विवरण

के.वि.प्रा. स्वीकृत निजी विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें विदेशी निवेश प्राप्त हो गया है, का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और क्षमता (मेगावाट)	परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत	विदेशी इक्विटी की मात्रा	विदेशी निवेशक का नाम
1	2	3	4	5
1.	रोजा टीपीएस (2 × 83.5 मेगावाट)	यू.एस.डालर 280.7267 एम + रु. 1435.5 करोड़ (यू.एस. डालर = रु. 35.5)	यू.एस. डालर 53.437 एम (रु. 189.70 करोड़) पावर जेन पीएलसी.	
2.	भीलपुर टीपीएस (702.7 मेगावाट)	यू.एस. डालर 364.29 एम. + रु. 855.133 करोड़ (यू.एस. डालर = रु. 39.5)	यू.एस. डालर 105.42 एम. (रु. 416.41 करोड़) प्रवर्तक एवं अन्य	

1	2	3	4	5
3.	बरसिंगसर लिग्नाइट (2×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 322.716 एम.+ रु. 1090.08 करोड़) (1 यू.एस. डालर = रु. 31.50)	यू.एस. डालर 114.36 एम. रु. (360.23 करोड़)	वित्तीय पैकेज में उल्लिखित नहीं
4.	श्रीनगर एचईपी (4×82.5)	यू.एस. डालर 95.054 एम. + रु. 1299.89 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 42.00)	यू.एस. डालर 117.10 एम. (रु. 491.82 करोड़)	एसईडी
5.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (2×35 मेगावाट)	यू.एस. डालर 10.91 एम+ रु. 393.04 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 43.00)	यू.एस. डालर 10.91 एम. (रु. 46.91 करोड़)	पीईएससीएल एवं हजारा यूएसए
6.	भद्रावती टीपीएस (1072 मेगावाट)	रु. 5187 करोड़	जीईसी - यू.एस. डालर 131.238 एम. (रु. 413.40 करोड़) ईडीएफ-यू.एस. डालर 62.73 एम. (रु. 197.6 करोड़)	जीईसी ईडीएफ
7.	कोरबा (पूर्व) (1070 मेगावाट)	यू.एस. डालर 863.95 एम + रु. 1623.04 करोड़	यू.एस.डालर 396.36 एम. (रु. 1407.078 करोड़)	मै. डेवू
8.	महेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	यू.एस. डालर 213.29 एम.+ रु. 812.09 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	पैसेफिक जेन यू.एस. डालर 69.8 एम. (रु. 247.790 करोड़) सीमेंस यू.एस. डालर 38.10 एम. (रु. 135.255 करोड़)	पैसिफिक जेन सीमेंस
9.	नरसिंहपुर सीसीजीटी (166 मेगावाट)	यू.एस. डालर 77.74 एम.+ रु. 253.697 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	जीब्लासो - यू.एस. डालर 9.98 एम. (रु. 31.879 करोड़) ओआईआईआई लि. - यू.एस. डालर 11.680 एम. (रु. 41.429 करोड़) अन्य यू.एस. डालर 21.10 (रु. 74.905 करोड़)	जीबीएल एसो. ओ आईआईआई लि. अन्य
10.	बीना टीपीएस चरण-1 (578 मेगावाट)	यू.एस. डालर 175.412 एम.+ रु. 1820.627 करोड़ (1 यू.एस. डालर = (रु. 35.50) (रु. 190.582 करोड़)	बिरला (शेयर) यू.एस. डालर 30.0 एम. (रु. 106.5 करोड़) पावर जेन. यू.एस. डालर 53.685 एम. (रु. 190.582 करोड़)	बिरला (आफ शेयर) पावर जेन, जोड़
11.	जामनगर टीपीएस (2×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 434.36 एम. + रु. 726.43 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 42.00)	यू.एस. डालर 87.45 एम. (रु. 367.29 करोड़)	वित्तीय पैकेज में उल्लेख नहीं
12.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी (420 मेगावाट)	यू.एस. डालर 164.643 एम. + डीईएम 169.75 एम. + रु. 834.351 करोड़ (1 यू.एस. डालर = 35.50) (1 डी ई एम = रु. 20.50)	आईटीपीएल यू.एस. डालर 76.155 एम. (रु. 270.35 करोड़) 23.892 एम. सीमेंस यू.एस. डालर 49.277 एम. (रु. 174.933 करोड़) टोमेन- यू.एस. डालर (रु. 84.817 करोड़	आइटीपीएल सीमेंस टूमैन
13.	पेंच टीपीपी (500 मेगावाट)	यू.एस. डालर 284.908 एम.+ रु. 1172.155 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	सोरोस यू.एस. डालर 145.777 एम. (रु. 517.508 करोड़) एबीबी- यू.एस. डालर 38.751 एम. (रु. 137.566 करोड़)	सोरोस एंड एफलिकेट एबीबी एंड एफलिकेट

1	2	3	4	5
14.	रायगढ़ टीपीपी चरण-1 (550 मेगावाट)	यू.एस. डालर 85.176 एम. + डी ई एम 240.676 एम. +रु. 1628.075 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50) (1 डी ई.एम. = रु. 20.00)	जीबीएच लि. यू.एस. डालर 53.0 एम. (रु. 188.15 करोड़) आईवीएमवीआरएस यू.एस. डालर 97.831 एम. (रु. 317.3 करोड़)	जीपीएच लि. (मलेशिया) आईवीएसवीआरएस
15.	भिलाई टीपीपी (574 मेगावाट)	यू.एस. डालर 419.699 एम. + रु. 939.781 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	यू.एस.डालर 76.10 एम.	शपूरजो पलोनजी अन्य विदेशी इक्विटी (मॉरीशस एंड फिनलैंड)
16.	पीठमपुर खेडा डीजीपीपी (119.7 मेगावाट)	यू.एस. डालर 68.729 एम.+ रु. 174.053 करोड़ (1 यू.एस.डालर = रु. 39.00)	शपूरजी यू.एस. डालर 8.50 एम. (रु. 33.158 करोड़) पलोनजी- यू.एस.डालर 16.66 एम. (रु. 64.990 करोड़)	प्राइम ग्वालियर लि. अन्य विदेशी इक्विटी
17.	भाण्डेर पीएस (342 मेगावाट)	यू.एस. डालर 197.622 एम.+ रु. 346.514 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	यू.एस. डालर 43.399 एम. (रु. 154.066 करोड़) + यू.एस. डालर 36.375 एम. (रु. 127.31 करोड़)	प्राइम ग्वालियर लि. अन्य विदेशी इक्विटी
18.	खंडवा सीसीपीपी (171.17 मेगावाट)	यू.एस. डालर 76.0345 एम.+ रु. 250.331 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39.50	एजीआईओ (सिंगापुर) यू.एस. डालर 27.185 एम. (रु. 107.38 करोड़) (मरुबेन कार्पोरेशन (जापान) यू.एस. डालर 13.802 एम. (रु. 54.516 करोड़)	एजीआइओ (सिंगापुर) मरुबेन कारपोरेशन (जापान)
19.	गुना सीमीजीटी (330 मेगावाट)	यू.एस. डालर 152.37 एम. + रु. 484.86 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	यू.एस. डालर 78.02 एम. (रु. 276.971 करोड़)	एसटीआई
20.	रतलाम डीजीपीपी (118.63 मेगावाट)	यू.एस. डालर 73.88 एम.+ रु. 163.162 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39.00)	जीवीके यू.एस. डालर 34.72 एम. (रु. 135.408 करोड़)	जीवीके
21.	सुरत लिग्नाइट टीपीएस (250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 44.538 मिलियन + डी.एम. 4.92 एम + रु. 999.99 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.00) 1 डी.एम. = रु. 23.00	यू.एस. डालर 19.05 एम. (रु. 66.675 करोड़)	विदेशी इक्विटी
22.	पातालगंगा सीसीजीटी (447 मेगावाट)	यू.एस. डालर 319.02 एम.+ रु. 246.66 करोड़ (1 यू.एस. डालर = (रु. 35.50)	यू.एस. डालर 50.75 एम. (रु. 172.669 करोड़)	विदेशी इक्विटी
23.	डाभोल (2015 मेगावाट	यू.एस. डालर 2828.524	यू.एस. डालर 738 एम.	(मै. एनरॉन यूएसए) पब्लिक इश्यू
24.	जेगरूपाडु सीमीजीटी (216 मेगावाट)	रु. 827 करोड़	एईएस (यूएसए) 39 करोड़ रुपये एबीबी (स्वीडन) 13 करोड़ रुपये आईपीसी/एडीबी 39 करोड़ रुपये एनआरआई पब्लिक 19 करोड़ रुपये	एईएस (यूएसए) 39 करोड़ रुपये एबीबी (स्वीडन) 13 करोड़ रुपये आईपीसी/एडीबी 39 करोड़ रुपये एनआरआई पब्लिक 19 करोड़ रुपये

1	2	3	4	5
25.	गोदावरी मीसीजीटी (208 मेगावाट)	रु. 748.43 करोड़	एसटी यूएसए 28.5 करोड़ रुपये आरआर/वेस्टिंग हाउस एवं सीओडी (यू.के.) 76.01 करोड़ रुपये	एसटी यूएसए 28.5 करोड़ रुपये आरआर/वेस्टिंग हाउस एवं सीओडी (यू.के.) 76.01 करोड़ रुपये
26.	विशाखापटनम टीपीपी (2×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 943.75 एम.+ रु. 1324.99 करोड़ (1 यू.एस. डालर = 35.00)	हिन्दुजा (यूएस) यू.एस. डालर 354.35 एम. (रु. 1240.225 करोड़)	हिन्दुजा (यूएस) यू.एस. डालर 354.35 एम.
27.	रामागुण्डम टीपीपी विस्तार (2×260 मेगावाट)	यू.एस. डालर 369.3 एम.+ रु. 1073.56 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50) रु.	यू.एस. डालर 134.34 एम. (रु. 476.91 करोड़)	प्रवर्तक एवं अन्य बीपीएल (इंडिया) यू.एस. डालर 50.36 एम. अन्य यू.एस. डालर 83.98 एम.
28.	कोंडापल्ली मीसीपीपी (350 मेगावाट)	यू.एस. डालर 180.616 एम.+ रु. 385.254 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 36.00)	यू.एस. डालर 93.862 एम. (रु. 337.91 करोड़)	मैसर्स ई जी एल (यू.के.), सीडीसी (यू.के.), हानजुंग (कोरिया)
29.	कृष्णापटनम "बी" (2×260)	यू.एस. डालर 355.131 एम.+ रु. 960.614 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.50)	यू.एस. डालर 205.442 एम. (रु. 729.319 करोड़	मै. बीबीआइ यू.एस. डालर 25.68 एम. मै.पीएमडीसी यू.एस. डालर 50 एम. मै. सीइएस यू.एस. डालर 30 एम. मै. आइजीसी यू.एस. डालर 25 एम. मै. एनआईसी यू.एस. डालर 10 एम. अन्य यू.एस. डालर 64.76 एम.
30.	वेमागिरी सीसीजीटी (492 मेगावाट)	यू.एस. डालर 248.02 एम. + रु. 638.223 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 42.00)	यू.एस. डालर एम.	मै. इस्पात पावर लि. (इंडिया) यू.एस. डालर एम. अन्य यू.एस. डालर 95 एम.
31.	तोरांगल्लू टीपीएस (2×130 मेगावाट)	यू.एस. डालर 106.87 एम.+ रु. 725.16 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 34.5	यू.एस. डालर 47.9 एम. (रु. 165.255 करोड़)	मै. ट्रैक्टेबल, बेल्जियम
32.	मंगलौर टीपीपी (4×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 751.574 एम. +रु. 1580.89 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 31.50)	यू.एस. डालर 329.362 एम. (रु. 1037.49 करोड़	कोर्जेट्रिक्स (यूएसए)
33.	विपीन सीसीजीटी (एलएनजी) (3×146.9 मेगावाट) +(1×238.5 मेगावाट) एसटी-679.2 मे.वा.	यू.एस. डालर 6.90 एम. एस.एफ.आर. 439.84 एम.× रु. 771.75 करोड़ (1 यू.एस. डालर = 39.5) 1 यू.एफ.आर. = रु. 26.50/-)	मै. सियासिन ट्रेडिंग (सिंगापुर) एस.एफ.आर. 209.1 एम. (रु. 554.115 करोड़)	सियासिन ट्रेडिंग (सिंगापुर) एस.एफ.आर. 89 एम. पेम्बिनाम रेडजइ (मलेशिया)
34.	नैवेली टीपीएस-0 यूनिट (1×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 261.59 एम.+ रु. 501.10 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 31.50)	यू.एस. डालर 114.28 एम. (रु. 246.982 करोड़	मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी (मारीशस)
35.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (330.5 मेगावाट)	यू.एस. डालर 585.96 एम.+ रु. 429.8 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 33.50)	यू.एस. डालर 73.45 एम. (रु. 246.058 करोड़	सीईए पीपीएन एनर्जी कंपनी लि. पीपीएन मॉरीशस कंपनी मरूबेनी कार्पोरेशन (जापान)

1	2	3	4	5
36.	उत्तर मद्रास टीपएस-2 (2×525 मेगावाट)	यू.एस. डालर 585.96 एम.+ रु. 2402.24 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 34.50)	मै. मिशन एनर्जी (यूएसए) यू.एस. डालर 84.69 एम. (रु. 292.181 करोड़)	मै. मिशन एनर्जी (यूएसए)
37.	बोसिन ब्रिज चरण-4 (1×525 मेगावाट)	यू.एस. डालर 125.82 एम.+ रु. 328.99 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 34)	यू.एस. डालर 33.41 एम. (रु. 113.594 करोड़) + यू.एस. डालर 26.71 एम. (रु. 90.814 करोड़	
38.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (1×525 मेगावाट)	यू.एस. डालर 321.779 एम.+ डीईएम 145.893 एम. × रु. 875.389 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.5 1 डी एम. = रु. 21/-)	यू.एस. डालर 145.4 एम. (रु. 292.181 करोड़)	एमसीएन कार्पोरेशन एवं अन्य
39.	समयानल्लूर डीजीपीपी (7×15.143)	यू.एस. डालर 59.840 एम. + रु.150.845 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39	यू.एस. डालर 17.73 एम (रु. 69.147 करोड़)	मै. वार्टसिला एवं अन्य
40.	समलपट्टी डीजीपीपी (7 15.094 मेगावाट)	यू.एस. डालर 61.222 एम.+ रु. 153.098 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39/-)	यू.एस. डालर 25.769 एम. (रु. 101.79 करोड़)	मै. एसपीसी एवं अन्य
41.	उत्तर मद्रास टीपीपी-3 (1×525 मेगावाट)	यू.एस. डालर 147.915 एम. + जीबीपी 122.927 एम. + एफ.एफ.आर. 458.023 एम. + रु. 736.560 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 35.5 1 जी.बी.पी. = रु. 57.0 1 एफ.एफ.आर. = रु. 6.21)	यू.एस. डालर 189.875 एम. (रु. 674.056 करोड़)	प्रर्वतक
42.	कुड्डालोर टीपीपी (2×660 मेगावाट) 1320 मेगावाट	यू.एस. डालर 488.193 एम. + जी.बी.पी. 203.922 एम. + एफ.एफ.आर. 1258.811 एम. + रु. 2036.501 करोड़ (यू.एस. डालर = रु. 42.5 1 जीबीपी = रु. 68.0 1 एफ.एफ.आर. = रु. 7.0)	यू.एस. डालर 427.876 एम.(रु. 1818.473 करोड़)	इंटरनेशनल कंट्रक्टिंग एंड मार्केटिंग कारपोरेशन (आई सीएमसी), न्यूयार्क, यूएसए इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक इंक, बोस्टन, यूएसए पेम्बिनन रेडजई ग्रुप, मलेशिया
43.	वेम्बर सीसीजीटी (1873 मेगावाट) (374.6 मेगावाट प्रत्येक के 5 माड्यूल)	यू.एस. डालर 694.94 एम.+ रु. 2106.67 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 42.50)	यू.एस. डालर 355.09 एम. (रु. 1509.133 करोड़)	इंटेक ग्लोबल रिसोरसेस इंक, यूएसए मोक्ष इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्रा. लि., सिंगापुर
44.	नागार्जुन टीपीपी (1015 मेगावाट) (2×507.5 मेगावाट)	यू.एस. डालर 210.010 एम. + रु. 587.971 करोड़ (1यू.एस. डालर = रु. 42.00	यू.एस. डालर 77.70 एम. (रु. 326.34 करोड़)	कोरटेक कारपोरेशन लि., मॉरीशस फायरसीड लि. हांगकांग

1	2	3	4	5
46.	कनीमिंक मीसीजीटी (107.6 मेगावाट) (2×35.3 मेगावाट जीटी+1×37.0 मेगावाट एसटी)	यू.एस. डालर 56.577 एम. + रु. 152.969 करोड़ (1यू.एस. डालर = रु. 42.0)	यू.एस. डालर 23.648 एम. (रु. 99.32 करोड़)	कोस्टल पावर कंपनी, टेक्सास यूएसए
47	बक्रेश्वर टीपीपी (420 मेगावाट)	यू.एस. डालर 23.400 एम. + जे. येन 20544.27 एम. + रु. 925.157 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39.50) (1 येन = रु. 0.29)	यू.एस. डालर 34.4 एम. (रु. 134.3 करोड़) + यू.एस. डालर 62.75 एम. (रु. 247.863 करोड़)	डीएलसी कुलजन
48.	डब्ब वैली टीपीएस (500 मेगावाट)	यू.एस. डालर 326.02 एम.+ रु. 983.90 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 42.50)	यू.एस. डालर 166.0 एम (रु. 705.5 करोड़)	एईएस
49.	गौरीपुर टीपीएस (1×150 मेगावाट)	यू.एस. डालर 28.07 एम.+ रु. 548.57 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39.50)	यू.एस. डालर 41.74 एम. (रु. 164.87 करोड़)	मै. थर्मो इकोटेक कारपोरेशन, यूएसए
50.	धुबरी टीपीएस (2×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 313.59 एम.+ रु. 952.82 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 39.50)	यू.एस. डालर 166.45 एम. (रु. 657.478 करोड़	प्रवर्तक
51.	बालागढ़ टीपीएस (2×250 मेगावाट)	यू.एस. डालर 227.96 एम.+ रु. 1517.02 करोड़ (1 यू.एस. डालर = रु. 31.50)	यू.एस. डालर 54.0 एम (रु. 170.09 करोड़ + यू.एस. डालर 37.0 एम. (रु. 116.56 करोड़)	राल्स रॉयस

भूमि के उपजाऊपन की समस्या

***356. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने हैक्टेयर भूमि में उपजाऊपन की समस्या आ रही है;

(ख) सरकार ने इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाए किए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त उपाय अपनाने के बाद से ?नी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) आकलन के अनुसार देश में 1736.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मृदा अपरदन और भूमि अवक्रमण की समस्या का सामना कर रहा है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा रहे हैं:-

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

(2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

(3) क्षारीय मृदा का सुधार

(4) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना

पिछले दो वर्षों में कार्यक्रमों के अधीन लगभग 18.0 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जा चुका है।

विवरण

देश में विभिन्न प्रकार की अवक्रमित भूमि का क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जल अपरदन	वायु अपरदन	बीहड़ प्रभावित	लवण	जल भराव	झूम खेती	अवक्रमित वन	विशेष समस्याएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	103.54	–	–	2.40	3.39	1.50	11.48	–	122.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.58	–	–	–	–	2.10	22.86	–	26.54
3.	असम	13.34	–	1.93	–	4.50	1.30	8.83	–	29.99
4.	बिहार	32.39	–	6.00	0.04	7.07	0.81	10.21	9.00	65.52
5.	गोवा	1.35	–	–	–	–	–	0.65	–	2.00
6.	गुजरात	94.62	7.04	4.00	10.42	4.84	–	4.84	0.10	125.86
7.	हरियाणा	15.35	14.00	–	5.26	6.20	–	0.56	0.25	41.62
8.	हिमाचल प्रदेश	10.75	–	–	–	–	–	8.39	–	19.14
9.	जम्मू और कश्मीर	6.73	–	–	–	0.10	–	2.10	–	8.93
10.	कर्नाटक	102.25	–	–	4.04	0.10	–	7.64	–	114.03
11.	केरल	15.77	–	–	1.17	0.61	–	1.80	–	19.35
12.	मध्य प्रदेश	155.10	–	6.83	2.42	0.57	1.25	41.00	–	207.17
13.	महाराष्ट्र	175.89	-	0.20	5.34	1.11	–	15.92	–	198.46
14.	मणिपुर	2.94	–	–	–	–	3.60	0.80	–	7.34
15.	मेघालय	5.48	–	–	–	–	2.65	2.89	–	11.02
16.	मिजोरम	2.87	–	–	–	–	1.89	1.34	–	6.10
17.	नागालैण्ड	2.77	–	–	–	–	6.33	1.28	–	10.38
18.	उड़ीसा	27.71	–	1.13	4.04	0.60	26.48	18.07	2.95	78.03
19.	पंजाब	9.14	–	1.20	7.18	10.90	–	0.93	–	32.30
20.	राजस्थान	188.41	156.92	4.52	10.00	3.48	–	10.61	–	373.94
21.	सिक्किम	2.58	–	–	–	–	–	0.45	–	3.03
22.	तमिलनाडु	32.42	–	0.60	1.04	0.18	–	3.98	–	38.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	त्रिपुरा	0.45	-	-	-	-	1.12	1.22	-	2.79
24.	उत्तर प्रदेश	58.98	-	12.30	12.95	19.80	-	12.12	15.0	131.15
25.	पश्चिम बंगाल	7.64	-	1.04	9.86	21.80	-	2.69	-	43.03
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1.21	-	-	-	0.01	-	2.28	-	3.50
	कुल	1071.26	177.96	39.75	76.16	85.26	49.12	194.94	27.30	1721.75

तटीय भूमि- राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं 14.65

कुल योग 1736.40*

(*) इसमें तीन नए राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल का क्षेत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. ईंधन

***357. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 2001 को ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''सी एन जी नाट ए क्लीन फ्यूल नाट एक्सेप्टेल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूरे लाल समिति ने बिजली को ही एकमात्र प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई दिशानिर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। तथापि, समाचार का शीर्षक था - ''सी एन जी नाट ए क्लीन फ्यूल, ओनली एक्सप्टेबल''।

(ख) बिजली, सौर ऊर्जा और ईंधन सेलों जैसे गैर हाइड्रोकार्बन ईंधनों को ही भूरे लाल समिति द्वारा स्वच्छ ईंधन माना गया है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 28.7.1998 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ निम्न निदेश दिया है:-

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1.9.98 से सीसायुक्त पेट्रोल हटाना।
* 1990 से पहले के सभी आटो और टैक्सियों को 31.3.2000 तक स्वच्छ ईंधनों वाले नए वाहनों से बदलना।
* आठ साल पुरानी कोई भी बस 1.4.2000 से सी एन जी या किसी अन्य स्वच्छ ईंधन के अलावा नहीं चलेगी।
* समूचे नगर बस बेड़ा (डी टी सी और निजी) को 31.3.2001 तक सी एन जी के एकल स्वच्छ ईंधन पद्धति में सततता के साथ परिवर्तित करना।

माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 26.3.2001 का अगला आदेश निम्नानुसार है:-

> ''कोई अन्य वाणिज्यिक वाहन तब तक दिल्ली में नहीं चल सकेगा जब तक इसे 1.4.2001 से सी एन जी के एकल ईंधन पद्धति में परिवर्तित न कर दिया जाए .....''

राउरकेला इस्पात संयंत्र के रक्षित विद्युत संयंत्र

***358. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के रक्षित विद्युत संयंत्र के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों के भी ऐसे ही मूल्यांकन किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रक्षित विद्युत संयंत्रों का कार्य निष्पादन कैसा है;

(ङ) क्या इन संयंत्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जी हां। राऊरकेला के केप्टिव विद्युत संयंत्र-2 (सीसीपी-2) (2×60=120 मे.वा.) का मूल्यांकन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. द्वारा किया गया था और इसे व्यवहार्य पाया गया था। बाद में राऊरकेला के सीपीपी-2 को स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) तथा एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् सेल पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड (एसपीएससीएल) को मार्च, 2001 में हस्तांतरित कर दिया गया।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 2000 के दौरान एक मूल्यांकन दुर्गापुर सीपीपी-2 (2×60 =120 मे.वा.) के मामले में किया गया है। दुर्गापुर की सीपीपी-2 को व्यवहार्य पाया गया है और इसे सेल एवं एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात सेल पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड (एस.पी.एस.एल.) को मार्च, 2001 में हस्तांतरित किया गया है राउरकेला सीपीपी-2 और दुर्गापुर सीपीपी-2 के संयंत्र कार्य निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

केप्टिव विद्युत संयंत्र	2000-01		2001-02 (जुलाई 2001 तक)	
	एम यू	पी.एल.एफ.	एम.यू.	पी.एल.एफ.
राऊरकेला सीपीपी-2	988	93.9%	346	98.5%
दुर्गापुर सीपीपी	667	63.4%	242	68.7%

एम यू-मिलियन यूनिट
पी एल एफ- संयंत्र भार घटक

बोकारो केप्टिव विद्युत संयत्र (302 मे.वा.) का मूल्यांकन वर्तमान में एन टी पी सी द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है

(छ) इन संयंत्रों के विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा का अधिशेष है।

कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग

*359. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फलों को पकाने, विशेषत: आम को पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कैंसर का कारण बन सकने वाले कैल्शियम कार्बाइड के बड़े पैमाने पर प्रयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) थोक फल व्यापारियों को फलों को पकाने के लिए वैकल्पिक रसायनों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आम, पपीता और अन्य फलों के खराब होने वाली वस्तुएं होने के कारण अपमिश्रण की जांच करने के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अपराधियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) विगत में प्रेस में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं जिनमें मंडियों में कार्बाइड गैस का उपयोग करके फलों की बिक्री करने का आरोप लगाया गया है।

पी.एफ.ए. नियमावली, 1955 के नियम 44 ए.ए. के अनुसार ऐसे फलों की बिक्री करने की मनाही है जिन्हें कृत्रिम रूप से ऐसीटिलीन गैस, जिसे सामान्यतया कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, से पकाया गया हो।

प्राकृतिक रूप में फलों का पकना एक मान्य प्रक्रिया है। फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए वैकल्पिक रसायनों के उपयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यकता से अधिक कैल्शियम कार्बाइड पाऊडर फलों की सतह पर चिपका रह जाता है। ऐसे पाऊडर को नग्न आंख से देखा जाता है। पुष्टिकारी परीक्षण कि पाउडर कैल्शियम कार्बाइड ही है, यह रसायनिक विश्लेषण से ही पता चल सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से समय-समय पर कहा गया है कि वे फलों को पकाने में कार्बाइड गैस के उपयोग पर निगाह रखें और उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करें।

शीरे का अन्तर्राज्यीय स्तर पर लाना-ले जाना

*360. **श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शीरे के अन्तर्राज्यीय स्तर पर लाने-ले-जाने पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने शीरा से और मूल्यवर्द्धित उत्पाद निर्मित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैरीन रेगुलेशन एक्ट

3564. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में मैरीन रेगुलेशन एक्ट को क्रियान्वित न करने के कारण मछुआरों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मछुआरों के समक्ष आ रही समस्या को नियंत्रित करने हेतु राज्य-वार क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार व्यवस्था का कालीन उद्योग पर प्रभाव

3565. **श्री जय प्रकाश:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त व्यापार व्यवस्था शुरू होने से देश के कालीन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार आई.टी.डी.सी. के होटलों में, सरकारी कार्यालयों में, व्यापार केन्द्र इत्यादि में स्वदेशी विनिर्मित कालीन के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) मुक्त व्यापार व्यवस्था 1 अप्रैल, 2001 से ही शुरू हुई है, अत: भारतीय कालीन उद्योग पर इसके प्रभाव के बारे में फिलहाल कोई निर्णय लेना असामयिक होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) अनुमान है कि स्वदेशी विनिर्मित हाथ से गुथे कालीनों में से लगभग 90 प्रतिशत कालीन निर्यात किए जाते हैं। सरकार निर्यात में वृद्धि करने पर बल दे रही है।

मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम

3566. **श्री सुन्दरलाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** दिल्ली में रह रहे विदेशी नागरिकों के बारे में 19 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4675 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की मतदाता सूची में कितने विदेशी नागरिक दर्ज हैं;

(ख) मतदाता सूची से उनके नाम हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) मूल मतदाता पहचान-पत्र के खो जाने की स्थिति में मतदाता पहचान-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में आम जनता को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय को पुलिस विभाग से विदेशी राष्ट्रिकों की, जिनकी कुल संख्या 2077 है, तीन सूचियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो उपराज्यपाल के कार्यालय के मध्यम से और एक प्रभागीय आयुक्त,

दिल्ली के माध्यम से प्राप्त हुई है। इन सूचियों को संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को, निर्वाचन नामावलियों में उक्त विदेशी राष्ट्रिकों के नामों की जांच करने और उक्त नाम पाए जाने की दशा में उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था। पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई विदेशी राष्ट्रिकों की सूचियों में यह जानकारी नहीं दी गई है कि क्या उनके नाम निर्वाचक नामावलियों में हैं या नहीं है। उन्होंने साधारण रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की सूचियां भेजी हैं।

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों की सूची, निर्वाचक नामावलियों में उक्त नामों के सत्यापन तथा यदि ये नाम पाए जाएं तो उन्हें हटाने के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र सं. 6-(ओखला), 39-(मंडावली) और 58- (मटियामहल) और 43-विश्वासनगर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को भेजी गई थीं। विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र सं. 6-ओखला और 39-मंडावली के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों ने अपने उत्तर में यह कथन किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख से सूचियों की जांच की है किन्तु उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में किसी विदेशी राष्ट्रिक की पहचान नहीं हुई है। तथापि, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र 58-(मटियामहल) और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र 43-विश्वास नगर में सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

(ग) मतदाता पहचान के खो जाने पर पुलिस के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का किया जाना उसके संभाव्य दुरूपयोग से बचने के लिए अधिकथित प्रथम उपाय/नियम है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार ने फोटो पहचान-पत्र परियोजना के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् किसी खो गए फोटो पहचान-पत्र के संबंध में दूसरा फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए 25/-रुपये प्रभारित किए जाएंगे और निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र की अभिरक्षा की बाबत निर्वाचकों की कतिपय जिम्मेदारियां भी होंगी। इन नियमों से सामान्य लोगों को अवगत कराने के लिए विभाग ने पहले से ही यह जानकारी अपने नागरिक संबंधी चार्टर में सम्मिलित की हुई हैं जिसे लोक प्रतिनिधियों और दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों और संयुक्त मुख्य निर्वाचक आफिसरों के कार्यालयों में उपलब्ध है। तथापि, भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि चालू वर्ष में किए जाने वाले फोटो पहचान-पत्र के जारी करने के लिए नए चरण में, गुम हो गए पहचान-पत्रों के स्थान पर बिना किसी प्रभार के नए पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

तुगलकाबाद किले में हैरीटेज सिटी

3567. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले के भीतर हैरीटेज सिटी को विकसित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सिटी को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 में किसी शहर/स्मारक को दाय नगर घोषित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद दुर्ग परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया है और वह स्थापित पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार उसका संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू विकास निदेशालय को बंद किया जाना

3568. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में राइट साइजिंग कमेटी ने चेन्नई में तम्बाकू विकास निदेशालय को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) मंत्रालय की राइट साइजिंग समिति ने विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों एवं सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की कार्य प्रमात्रा की समीक्षा करके अन्य बातों के अलावा तम्बाकू विकास निदेशालय, चेन्नई के लिए स्वीकृत 29 पदों को समाप्त करने हेतु अभिज्ञात किया है। यह भी सिफारिश की गई है कि रिक्त पद तत्काल समाप्त कर दिए जाएं और भरे हुए पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति आदि के उपरान्त रिक्त होने पर समाप्त किए जाएं।

तदनुसार, सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ए.एम.डी.पी. के अन्तर्गत उन्नत किस्म के उपकरणों की आपूर्ति

3569. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में मक्का के उत्पादन की क्षमता रखने वाले सभी जिलों में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, बीज मिनीकिट और उन्नत किस्म के उपकरणों का ब्यौरा और उनकी मात्रा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप मक्का के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) ए.एम.डी.पी. के बेहतर क्रियान्वयन हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों/राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अच्छी क्वालिटी के बीज, बीज मिनिकिट और उन्नत उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते हैं। किन्तु बीज मिनिकिट प्रदर्शन (अधिक उपज देने वाली किस्मों के 2 किलोग्राम बीज के लिए प्रति किट 50 रु. की दर से और संकर बीजों की 2 किलोग्राम की किट के लिए 60 रु. प्रति किट की दर से) किस्मीय प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने हेतु अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीज के उपयोग हेतु प्रोत्साहनों, 400 रु. प्रति क्विंटल की दर से किसानों द्वारा स्थान विशिष्ट अधिक उत्पादन देने वाली जर्म-प्लाज्म के प्रचार और समय पर तथा प्रभावी क्षेत्र प्रचालन हेतु खासकर मक्का फसलों के लिए उपयोग में आने वाले बैलवाहित/हस्तचालित/विद्युत चालित कृषि उपकरणों के उपयोग हेतु लागत के 50% की दर से प्रोत्साहन, जो बीज-सह-उर्वरक ड्रिल-बैलवाहित-मैज प्लान्टर-बैलवाहित और मेज-शेलर हस्तचालित हेतु प्रति किसान प्रति उपकरण 1500 रु. के अधीन, हेतु वित्तीय सहायता त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मेजशेलर (विद्युत प्रचालित) हेतु लागत के 25% की दर से जो प्रति किसान प्रति यूनिट 5000 रु. तक सीमित है की सहायता भी प्रदान की जाती है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आबंटन उन्हीं राज्यों को किया जाता है। जहां राज्यों में मक्का की क्षमता वाले सभी जिलों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मक्का उत्पादन की क्षमता है। भारत सरकार के स्तर पर जिला के लिए कोई आबंटन नहीं किया जाता है, अत: भारत सरकार के स्तर पर जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा किए गए वास्तविक एवं वित्तीय आबंटनों, अच्छी क्वालिटी के बीजों, बीज मिनिकिटों और उन्नत उपकरणों के वितरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा सूचित वास्तविक और वित्तीय व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ख) देश में मक्का का उत्पादन 111.50 लाख मी. टन (1998-99) से बढ़कर 118.40 लाख मी. टन (2000-2001) हो गया है। संगत ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है:-

(लाख मीटर टन)

वर्ष	मक्का उत्पादन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
1998-99	111.50	3.30
1999-2000	114.70	3.20
2000-2001	118.40	3.70

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तीन उप-घटकों के कारण पिछले तीन वर्षों में मक्का के उत्पादन में हुई वृद्धि का परिणाम बताना संभव नहीं है। इस प्रकार उत्पादन में उपर्युक्त वृद्धि मिशन प्रणाली दृष्टिकोण पर सभी बाधाओं का समाधान करते हुए तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के सभी घटकों के लिए सहायता देते हुए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समेकित प्रयास के कारण हैं।

(ग) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 9वीं योजना के लिए व्यय वित्त समिति के ज्ञापन/प्रस्ताव मक्का के कम उत्पादन के लिए जिम्मेवार बाधाओं का समाधान किया गया है जिसमें मक्का के न्यूक्लियस, प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन से संबंधित घटकों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता भारतीय राज्य फार्म निगम/राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आधारी बीज उत्पादन के लिए सहायता तथा बीज बैंक स्कीम के लिए सहायता का प्रस्ताव है। इस सभी घटकों को भारत सरकार द्वारा 100% की दर से सहायता दी जानी है। अन्य नये घटक जो प्रस्तावित की गई थी और जहां भारत सरकार द्वारा 75% की दर से सहायता दी जानी है और राज्य सरकारों द्वारा 25% का अंशदान दिया जाना है, उनमें किसानों के खेतों पर बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए खर-पतवार नाशकों का प्रदर्शन बीज उपचार/पादप रक्षक रसायनों हेतु प्रोत्साहन तथा उन्नत फसल और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन शामिल है। किन्तु व्यय वित्त समिति और कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा सहमति नहीं दी गई। माननीय कृषि मंत्री ने 10वीं योजना के लिए मक्का पर नया प्रौद्योगिकी मिशन शामिल करने का अनुमोदन किया है।

विवरण-I

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा संकर बीजों, बीज मिनिकिटों तथा उन्नत उपस्करों के वितरण के बारे में भारत सरकार द्वारा किया गया वास्तविक एवं वित्तीय आवंटन एवं राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एजेन्सी का नाम	संकर तथा उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का वितरण				बीज मिनिकिट				उन्नत उपस्करो का वितरण		
		आबंटन		व्यय		आबंटन		व्यय		आबंटन		व्यय
		वास्तविक मी. टन	वित्तीय	वास्तविक मी. टन	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	300	12.00	600.00	24.00	5730	2.65	0	0.00	7.50	2146	3.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	240	9.60	–	0.00	4584	2.12	4380	1.99	6.00	12	6.00
3.	असम	220	8.80	14.27	5.71	4202	1.94	4190	1.94	5.50	2000	5.50
4.	बिहार	760	30.40	–	0.00	14516	6.72	0	0.00	19.00	–	0.00
5.	गुजरात	140	5.60	1.25	0.05	4202	1.94	0	1.01#	3.50	127	1.02
6.	हरियाणा	40	1.60	–	0.00	764	0.35	0	0.00	1.00	–	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	200	8.00	44.21	1.34	3820	1.77	0	0.00	5.00	1503	2.26
8.	जम्मू और कश्मीर	200	8.00	45.00	1.80	3820	1.77	0	0.00	5.00	10	0.15
9.	कर्नाटक	280	11.20	123.51	3.77	5348	2.47	6819	3.27	7.00	1579	5.95
10.	मध्य प्रदेश	400	16.00	70.41	2.80	7640	3.54	0	0.00	10.00	1776	2.96
11.	महाराष्ट्र	320	12.80	–	0.00	6112	2.82	317	0.14	8.00	201	2.35
12.	मणिपुर	160	6.40	36.75	1.47	3056	1.41	2302	1.11	4.00	1500	3.00
13.	मेघालय	40	1.60	सू.न.	सू.न.	764	0.35	664	0.35	1.00	–	0.00
14.	मिजोरम	40	1.60	90.00	1.60	764	0.35	3000	1.35	1.00	20	1.50
15.	नगालैण्ड	40	1.60	40.00	1.60	764	0.35	650	0.30	1.00	70	1.00
16.	उड़ीसा	260	10.40	0.00	0.00	4966	2.29	1892	0.95	6.50	0	0
17.	राजस्थान	320	12.80	40.00	1.57	6112	1.24	7846	2.82	8.00	610	6.94
18.	पंजाब	140	5.60	0.00	0.00	2674	2.83	2000	1.00	3.50	0	0.00
19.	सिक्किम	80	3.20	80.00	3.20	1528	0.71	0	0.00	2.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	तमिलनाडु	80	3.20	0.40	0.02	1528	0.70	1400	0.70	2.00	सू.न.	2.0
21.	त्रिपुरा	40	1.60	0.50	0.02	764	0.35	0	0.00	1.00	0	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	840	33.60	11.00	0.39	12224	5.66	6702	2.41	21.00	0	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	80	3.20	0.00	0.00	1528	0.71	0	0.00	2.00	0	0.00
	कुल	5220	208.80	-	49.34	97410	45.04	42162	19.34	130.50	-	44.19

#1996-97 के दावों के समायोजन तक सू.न. -सूचित नहीं।

विवरण-II

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा संकर बीजों, बीज मिनिकिटों तथा उन्नत उपस्करों के वितरण के बारे में भारत सरकार द्वारा किया गया वास्तविक एवं वित्तीय आवंटन एवं राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एजेन्सी का नाम	संकर तथा उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का वितरण				बीज मिनिकिट				उन्नत उपस्करों का वितरण		
		आबंटन		व्यय		आबंटन		व्यय		आबंटन		व्यय
		वास्तविक मी. टन	वित्तीय	वास्तविक मी. टन	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	232	9.28	सू.न.	0.31	4600	2.15	1643	0.38	5.8	941	9.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	185.00	7.40	48.75	1.95	3055	1.41	384	0.19	4.63	12 जिले	4.63
3.	असम	170.00	6.80	0.00	0.00	2760	1.28	0	0.00	4.25	-	0.00
4.	बिहार	587.00	23.48	0.00	0.00	6615	2.97	0	0.00	14.67	-	0.00
5.	गुजरात	108.00	4.32	0.00	0.00	3050	1.42	2599	1.24	2.70	113	0.87
6.	हरियाणा	31.00	1.24	0.00	0.00	510	0.24	0	0.00	0.77		0
7.	हिमाचल प्रदेश	154.00	6.16	35.02	1.39	2562	1.19	336	0.17	3.86	2058	2.95
8.	जम्मू और कश्मीर	154.00	6.16	0.00	0.00	2562	1.19	0	0.00	3.86	0	0.00
9.	कर्नाटक	216.000	8.640	32.21	1.29	3684	1.71	1826	0.92	5.40	2650	9.10
10.	मध्य प्रदेश	309.00	12.36	0.00	0.00	5193	2.41	20	0.01	7.72	10546	2.58
11.	महाराष्ट्र	247.00	9.88	650.00	17.37	4300	2.00	1929	0.96	6.18	837	7.24
12.	मणिपुर	124.00	4.96	124.00	4.96	2.37	0.94	0	0.00	3.09	206	3.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मेघालय	31.00	1.24	0.00	0.00	610	0.29	870	0.44	0.77	0	0.00
14.	मिजोरम	31.00	1.24	105.00	2.20	610	0.29	50	0.03	0.77	4 जिले	1.75
15.	नागालैण्ड	31.00	1.24	90.00	2.52	610	0.29	50	0.03	0.77	180	1.00
16.	उड़ीसा	201.00	8.04	0.00	0.00	3311	1.53	50	0.03	5.02	0	0.00
17.	राजस्थान	247.00	9.88	19.40	0.69	4575	0.82	4575	3.88	6.18	2432	17.79
18.	पंजाब	108.00	4.32	0.00	0.00	1790	2.14	250	0.13	2.70	0	0.00
19.	सिक्किम	62.00	2.48	62.00	2.48	1018	0.47	0	0.00	1.54	0	0.00
20.	तमिलनाडु	62.00	2.48	28.28	1.13	1020	0.47	920	0.47	1.54	सू.न.	1.54
21.	त्रिपुरा	31.00	1.24	1.60	0.06	610	0.29	0	0.00	0.77	सू.न.	0.77
22.	उत्तर प्रदेश	648.00	25.92	16.00	0.63	8550	3.97	##	##	16.21	40	0.30
23.	पश्चिम बंगाल	62.00	2.48	0.00	0.00	1158	0.54	0	0.00	1.54	0	0.00
	कुल	4031.00	161.24	-	36.98	64790	30.01	15502	9.24	100.74	-	62.80

##उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1999-2000 मे लेबल बीज का उपयोग करके मक्का सी.बी. प्रो-311(4640) के 3,707 मिनिकिटों का उपयोग किया है। अत: 1.85 लाख रुपये के व्यय की अनुमति नहीं दी गई है।

सू.न.- सूचित नहीं ।

विवरण-III

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा संकर बीजों, बीज मिनिकिटों तथा उन्नत उपस्करों के वितरण के बारे में भारत सरकार द्वारा किया गया वास्तविक एवं वित्तीय आवंटन एवं राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एजेन्सी का नाम	बीज मिनिकिट				उन्नत उपस्करों का वितरण		
		आबंटन		व्यय		आबंटन	व्यय	
		वास्तविक संख्या	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय	वित्तीय	वास्तविक संख्या	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1440	0.80	0	0.00	4.00	250	1.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	2880	1.60	2880	1.60	4.80	308	4.63
3.	असम	2520	1.40	42560	22.80	4.40	0	0.00
4.	बिहार	360	0.20	0	0.00	1.00	0	0.00
5.	गुजरात	720	0.40	655	0.40	1.00	81	0.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हरियाणा	360	0.20	0	0.00	0.00	0	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	900	0.50	0	0.00	6.00	4510	3.32
8.	जम्मू और कश्मीर	540	0.30	0	0.00	1.00	सू.न.	0.08
9.	कर्नाटक	1440	0.80	936	0.5	7.00	1230	6.05
10.	मध्य प्रदेश	1800	1.00	1376	0.75	9.40	10493	1.49
11.	महाराष्ट्र	1440	0.80	800	0.48	4.80	सू.न.	1.51
12.	मणिपुर	1800	1.00	1000	0.60	3.20	120	2.40
13.	मेघालय	720	0.40	720	0.40	0.80	0	0.00
14.	मिजोरम	720	0.40	320	0.16	0.80	0	0.00
15.	नागालैण्ड	720	0.40	750	0.46	0.80	2 जिले	0.88
16.	उड़ीसा	720	0.40	0	0.00	1.30	0	0.00
17.	राजस्थान	1440	0.80	1400	0.78	1.00	911	5.49
18.	पंजाब	540	0.30	0	0.00	4.80	0	0.00
19.	सिक्किम	900	0.50	0	0.00	0.80	0	0.00
20.	तमिलनाडु	720	0.40	661	0.40	0.80	सू.न.	0.80
21.	त्रिपुरा	540	0.30	240	0.12	0.80	0	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	3240	1.80	5819	2.98	10.40	9563	5.76
23.	पश्चिम बंगाल	540	0.30	0	0.00	0.80	0	0.00
	कुल	27000	15.00	60117	32.36	69.70	27466.00	34.46

राज्य कृषि विभाग कर्नाटक से लेखा विवरण तथा अन्तिम कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त होने की शर्त पर अनन्तिम रूप से स्वीकृत।
टिप्पणी : योजना आयोग के निर्देशानुसार संकरों/उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों के उपयोग पर प्रोत्साहन 1-4.2000 से समाप्त कर दिया गया है।
सू. न. - सूचित नहीं ।

कृषि उत्पादन की दर

3570. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की दर भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादन की भिन्न-भिन्न दर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि भूमि को श्रेणीबद्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत भूमि को बांटा गया है और ऐसे श्रेणीकरण के क्या मानदंड हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, हां। योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रीय

नियोजन परियोजना के अन्तर्गत मृदा प्रसार, तापक्रम जल संसाधन आदि जैसे कारकों की सामान्यता के आधार पर देश को 15 भागों में बांटा है। इन कृषि जलवायु क्षेत्रों का सीमांकन कृषि विकास हेतु नियोजन कार्यनीतियों में महत्व रखता है। महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत के महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र

पश्चिमी हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र जो भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इस घाटी में अच्छी वर्षा होती है और अच्छी मृदा है, यद्यपि लद्दाख के समशीतोष्ण क्षेत्रों को कृषि वृद्धि के लिए जलवायु संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मृदा का अधिक अपरदन भी उर्वरता में कमी लाता है।

पूर्वी हिमालय क्षेत्र

इस क्षेत्र में सिक्किम, उत्तर-पश्चिमी बंगाल के भाग और सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल है। इन पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी विरल है तथा यह क्षेत्र कई जातियों और संस्कृति का मिश्रण है। इसकी जलवायु भी अलग-अलग है। मैदानी इलाकों में उष्णकटीबन्धीय है और ऊंची पहाड़ी में एल्पाईन । करीब एक तिहाई खेती झूम खेती है।

गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र

इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के 12 जिले शामिल हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आती हैं और यहां 1200 मि.मी. से 1700 मि.मी. तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में गाद के भराव ने बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि कर दी है। सितम्बर के अन्त में या अक्तूबर में बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आती है और नवम्बर से जून तक सूखा पड़ता है। यह एक सामान्य बात हो गयी है जिसके कारण फसलों की खेती बहुत ही जोखिम भरा काम हो गया है।

गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिले और बिहार के मैदानी भाग के 27 जिले गंगा के मैदानी भाग के मध्य में आते हैं। इस क्षेत्र की भूमि समृद्ध है और यह जल संसाधनों से परिपूर्ण है। यहां अधिक गर्मी पड़ती है तथा जाड़े ऋतु में काफी शीत गिरता है। पूरे साल कई फसलें उगाई जा सकती हैं। यदि सावधानी से नियोजन कार्य किया जाए तथा कार्य-योजनाएं क्रियान्वित की जाएं।

गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र

यह वृहत्तर तथा बहुत घनी आबादी वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में से एक हैं। इसमें 32 जिले शामिल हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र के बहुत बड़े भाग में खेती की जाती है तथा यह सुनिश्चित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के करीब 70% भाग में बुवाई की जाती है और लगभग 65% क्षेत्र सिंचित है। सतही और भू-सिंचाई का अनुपात करीब 1:2 है। कृषि मजदूर और भूमि की उत्पादकता अधिक है।

इस क्षेत्र में अर्द्ध-मरूभूमि, अर्द्ध-शुष्क और उप-आर्द्र स्थितियां हैं। माध्य वार्षिक वर्षा 700 और 1000 मि.मि. के बीच है।

ट्रास-गंगा मैदानी क्षेत्र

इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चण्डीगढ़ और राजस्थान का गंगानगर जिला शामिल है। यह उप-क्षेत्र राज्य की सीमाओं के आर-पार है। जलवायु विभिन्न जिलों में शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और उपार्द्र है। गर्मी के महीनों में तापमान 43 डिग्री से. ग्रेड तक हो जाती है, जिससे लू तथा कभी-कभी धूल भरी आंधी चलती है। वर्षा 190 मि.मी. से 1150 मि.मि. के बीच होती है। व्यास, रावी, सतलुज, यमुना, घघ्घर इस क्षेत्र में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र

यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है जो करीब 400 हजार वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। यह महाराष्ट्र के भाग, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला है तथा 5 उप-क्षेत्र में विभाजित है। आबादी मुख्यत: ग्रामीण है जिसमें अधिक संख्या जनजातीय लोगों की है। औसत वार्षिक वर्षा करीब 1350 मि.मी. है। झूम खेती इस क्षेत्र की कृषि का परंपरागत पैटर्न रहा है।

कृषि उत्पादकता बहुत कम है। एक चौथाई से भी अधिक भाग में वन हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले मध्य प्रदेश के भागों और महाराष्ट्र में लगभग आधे भौगोलिक क्षेत्र में जंगल हैं।

मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र

इस क्षेत्र में तीन राज्यों के 46 जिले आते हैं और यह केन्द्र में स्थित है। इसमें पठार और पहाड़ी क्षेत्र फैले हुए हैं। इसमें बंजर और अकृषि भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जल अपवाह बहुत अधिक है। लगभग 15% भूमि कषि के लिए उपलब्ध नहीं है।

पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र

इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के भाग तथा राजस्थान का एक जिला शामिल है। यह संतरा, अंगूर तथा केला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देश के ज्वार उत्पादन के लगभग आधे का उत्पादन यहीं होता है।

दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र

इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के 35 जिले शामिल हैं। यह अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है तथा यहां 74% भूमि में शुष्क भूमि कृषि होती है। केवल लगभग आधा क्षेत्र कृष्य है और फसल गहनता लगभग 112% पर कम है। अल्प-विकसित सिंचाई के कारण अस्थाई और निम्न कृषि उत्पादकता है।

पूर्व तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्र

इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के सामने वाला समुद्री तट के साथ-साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भाग आते हैं। वार्षिक वर्षा 780 मि.मी. और 1300 मि.मी. के बीच होती है। इस क्षेत्र में पूरब की ओर बहने वाली प्राय:द्वीपीय नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा के कारण धान की खेती की प्रधानता है।

पश्चिमी मैदानी एवं घाट क्षेत्र

यह पौध रोपण फसलों और मसालों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह पश्चिमी तट के पास से गुजरता है और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के भागों को कवर करता है। इसमें विविध प्रकार की मृदा और वर्षा का प्रतिमान है।

गुजरात का मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र

यह क्षेत्र पूरे गुजरात राज्य को कवर रहता है। इसको मोटे तौर पर दक्षिण, मध्य, उत्तर और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। राज्य का बहुत बड़ा भाग मैदानी है। पर्वतीय भाग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की पूर्वी सीमाओं पर है। लगभग 20% क्षेत्र को सूखा-प्रवण माना जाता है। राज्य के दक्षिणी भागों में नहर का अच्छा नेटवर्क है।

पश्चिमी शुष्क क्षेत्र

इस क्षेत्र में राजस्थान के 9 जिले अर्थात बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू, जोधपुर, नागौर और सीकर शामिल हैं। इस क्षेत्र में शुष्क मरूभूमि की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्षा विरल और अनियमित है। वाष्पीकरण की दर काफी अधिक है, यहां कोई बारहमासी नदी नहीं है। भूजल स्तर काफी गहरा है और बहुधा खारा है। वनस्पति भी छुट-पुट है।

औसत वर्षा लगभग 400 मि.मी. है किन्तु वर्ष दर इसमें काफी उतार-चढ़ाव है। औसत तापमान में भी उतार-चढ़ाव है। मई-जून में लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड और दिसम्बर-जनवरी में 2 डिग्री सेटीग्रेड से भी कम है। गर्मी के महीनों के दौरान उच्चवेग वाली हवा, झुलसाने वाली गर्मी और रेतीली आंधी यहां की सामान्य विशेषताएं हैं।

मृदा अधिकतम रेतीली, दुमट रेतीली और रेतीली दुमट है। लगभग 28% भूमि जोती जाती है, 11% कृष्य क्षेत्र सिंचित है। देश के सबसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

3571. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोटा ताप विद्युत संयंत्र के छठे एकक की स्थापना हेतु वार्षिक योजना में कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस एकक के माध्यम से राजस्थान में विद्युत की कमी को किस हद तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र 2001-02 के उनके वार्षिक योजना प्रस्ताव में कोटा ताप-विद्युत यूनिट (195 मे.वा.) की छठी यूनिट की स्थापना हेतु कोई योजना प्रावधान नहीं किया गया है। यह एक नई स्कीम है और इसके लिए अभी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) द्वारा प्रस्तुत परियोजना के अनुसार, यूनिट को प्रमुख संयंत्र उपस्कर हेतु आर्डर देने में 30 माह के भीतर समकालित किए जाने का कार्यक्रम है। 16वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान में 9वीं योजना के अंत तक 2274 मे.वा. की व्यस्ततकालीन सभी और 11609 मिलियन यूनिट की ऊर्जा की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। कोटा ताप विद्युत संयंत्र (195 मे.वा.) की छठी यूनिट को चालू करने से इस कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3572. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के विशेष आर्थिक जोन की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए गहरा समुद्र मत्स्यन उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार की योजना बहुराष्ट्रीय कंपनियों/बड़े व्यापारियों के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन के उद्योग को चलाने की है;

(ग) क्या मछुआरे मत्स्यन के क्षेत्र में विदेशियों के पहुंचने के कारण मछुआरे धरने के लिए राजधानी में आ गए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जैड,) के भीतर विस्तृत मात्स्यिकी क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम नीति (1991) के तहत अनेक भारतीय कंपनियों को गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान को चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित एक समुद्री मात्स्यिकी संबंधी बृहद नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय समुद्र में विदेशी मत्स्यन जलयानों के प्रचालन के संबंध में मछुआरों ने आशंका व्यक्त की है। इसकी तटरक्षकों से जांच-पड़ताल करवाई गई और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि हमारे समुद्र में कोई भी अनाधिकृत विदेशी मत्स्यन जलयान मछली नहीं पकड़ रहे हैं। तटरक्षकों को ई.ई.जैड. में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और गैर-कानूनी मत्स्यन को रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

विज्ञापन एजेंट

3573. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल टिकटों के पीछे विज्ञापन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ एजेंट नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एजेंटों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली क्षेत्र में उत्तर रेलवे के लिए विज्ञापन एकत्रित करते हैं; और

(ग) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ऐसे एजेंटों के माध्यम से प्राप्त विज्ञापनों से मिलने वाले राजस्व का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेलवे टिकटों के पीछे केवल विज्ञापन देने के लिए रेलवे ने किसी विज्ञापन एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है। विज्ञापन या तो विज्ञापनदाता से सीधे स्वीकार किए जाते हैं अथवा विभिन्न मीडिया के विज्ञापन कारोबार की खरीद के लिए रेलवे द्वारा प्राधिकृत विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली क्षेत्र सहित उत्तर रेलवे में विज्ञापन इकट्ठा करने के लिए उनसठ एजेंसियां प्राधिकृत की गई हैं और वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान इनमें से एक एजेंसी ने टिकटों के पीछे विज्ञापन के प्रदर्शन हेतु 3.75 लाख रु. का कारोबार किया।

बिहार में सड़क उपरिपुलों/अंडरब्रिजों का निर्माण

3574. श्री राजो सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले रेल समपारों पर सड़क उपरिपुलों के निर्माण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अगले वर्ष के दौरान ऐसे उपरिपुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) निर्माणाधीन उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है और स्थानवार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन उपरिपुलों का कब तक निर्माण कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव सड़क यातायात आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा प्रयोजित किए जाते हैं। रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर तभी विचार करती हैं यदि समपार पर यातायात का घनत्व एक लाख या उससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई हो (गाड़ी वाहन इकाई- वह इकाई है, जिसे 24 घंटों में समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से सड़क वाहन की

संख्या से गुणा करके प्राप्त की जाती है।) अन्यथा निछेप शर्तों के आधार पर, बशर्ते कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रारम्भिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए राज्य सरकार प्रस्ताव प्रायोजित करे। इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है और यदि व्यावहारिक पाया जाता है तो उन्हें रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। बिहार राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर भी इसी प्रकार से विचार किया जाएगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) रेलें राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्य पूरा करने से पहले अथवा साथ-साथ पुल खास के निर्माण कार्य को पूरा करेगी।

विवरण

(ग) बिहार में लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर कि.मी. 168/2-3 पर समपार सं. 163-ए के स्थान पर मोतिहारी में ऊपर सड़क पुल का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है।
2.	समपार सं. 31/स्पेशल के स्थान पर सहरसा-पंचगछिया ऊपरी सड़क पुल।	हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित कर दिया गया है।
3.	महेशखूट और मानसी के बीच (कि.मी. 113/5-6) समपार सं. 28/स्पेशल के स्थान पर चुकाहिया ऊपरी सड़क पुल।	पुल खास के लिए सामान्य प्रबंधन आरेखण भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। सामान्य प्रबंधन आरेखण और पहुंच मार्गों के अनुमान की प्रतीक्षा है.
4.	भागलपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल सं. 153 का बदलाव।	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित हो गया है। समेकित अनुमान राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं।
5.	मौठापुर के निकट पटना-गया खंडपर कि.मी. 543/14-15 पर समपार सं. 193 के बदले में ऊपरी सड़क पुल।	अनुमान स्वीकृत अभिकल्प और आरेखणों को अंतिम रूप देने के लिए ठेका दे दिया गया है।
6.	फतुहा के निकट कि.मी. 522/295 पर समपार सं. 70 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	दोनो पाये और पटना की ओर पील पाया पूरा हो गया है परंतु दूसरी ओर भूमि संबंधी झगड़े के कारण गांव वाले कार्य को रोक दिया है, अत: कार्य रुका हुआ है।
7.	दीदारगंज के निकट पटना साहिब-बनका घाट खंड पर कि.मी. 530/16-17 पर समपार सं. 70 ए स्पेशल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं, नींव संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। पहुंच मार्गों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
8.	चिरियाटांडा में ऊपरी सड़क पुल मौजूदा ऊपरी सड़क पुल के बदले में-न्यू केबल स्टेचंद पुल।	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है परंतु पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पहुंच मार्गों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। मैसर्स इरकॉन से रेलवे के हिस्से के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद हेतु समर्थन मूल्य

3575. श्री टी. गोविन्दन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नारियल, रबड़ इत्यादि जैसे कुछ कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने/घोषित करने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सरकार को केरल राज्य सरकार से रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बहरहाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं पाया गया क्योंकि औद्योगिक कच्ची सामग्री होने के कारण रबड़ का मूल्य मांग और आपूर्ति के घटकों द्वारा निर्धारित होता है। किन्तु सरकार रबड़ अधिनियम, 1947 के खण्ड 13 के तहत प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और अधिसूचित करने पर विचार कर रही है। जहां तक खोपरा का प्रश्न है, सरकार प्रत्येक वर्ष खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और चालू वर्ष के लिए खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

विद्युतीकरण के लिए मानक निर्धारित करना

3576. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युतीकरण परियोजनाओं हेतु मानक निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र अध्ययन के लिए समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की समिति की नियुक्ति करने के पीछे क्या कारण हैं और उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) विद्युतीकरण परियोजनाओं के मामले में इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(घ) समिति की रिपोर्टें कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) हाल ही में रेल विद्युतीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। अब समय आ गया है कि रेल कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं और कर्षण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की जाए और भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाए। अत: यह विनिश्चित किया गया है कि अगली तीन योजना अवधियों के लिए आगे विद्युतीकरण के लिए मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई जाए।

समिति एक उचित मानदंड अपनाएगी जिसमें अगली तीन योजना अवधियों अर्थात वर्ष 2016-17 तक विद्युतीकरण परियोजनाएं शुरू करने के लिए संवेदनशील विश्लेषण शामिल हैं. इन मानदंडों को तैयार करने में समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी:-

(1) देश में ऊर्जा (विद्युत और पेट्रोलियम दोनों) के कुल उपलब्धता और ऊर्जा कुशलता पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में इसका अधितकम उपयोग;

(2) भारतीय रेलों द्वारा कर्षण प्रयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा के उपोग के लिए दी जाने वाली अपेक्षित प्राथिमिकता जिसके लिए अन्तर्निहित कुल पूंजी आवश्यकता को ध्यान में रखना।

(3) उच्चतर औसत/अधिकतम गति पर लंबी/भारी यात्री और माल गाड़ियों को सम्भालने के लिए दो कर्षण प्रणालियों की क्षमताएं किन्तु जो भारतीय रेलों की परिचालनिक और अवसंरचनात्मक सीमाओं के भीतर ही परिचालित हों।

(4) मौजूदा परिसंपत्तियों/जनशक्ति की अधिकता के कारण संगठन के लागत और विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप संबद्ध लाभ जैसे विद्युतीकृत मार्ग पर विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति पर्यावरण पर प्रभाव इत्यादि, और

(5) लाइन हाल लागत के आकलन की मौजूदा पद्धति, सुधार सुझाना और ब्रेक ईवन प्वांइट्स को निर्धारित करने सहित सबसे अधिक अर्थक्षम मानदंड को प्रस्तावित करना। समिति 5 वर्ष से अधिक पहले पूरी की गई 3 क्रमिक विद्युतीकृत परियोजनाओं (उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व तथा निम्न घनत्व वाली) पर प्राप्त वास्तविक प्रतिफल की दर का मूल्यांकन करेगी और इसकी तुलना प्रक्षेपित प्रतिफल की दर से करेगी जब इस परियोजना को प्रस्तावित किया गया था।

(ग) इस समय, ऐसी परियोजनाओं के रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताओं और वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं को शुरू किया जाता है।

(घ) समिति का कार्यकाल 20.09.2001 को समाप्त होगा। उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

खलारी में उपरिपुल का निर्माण

3577. **श्री रामटहल चौधरी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रांची में खलारी में रेल उपरिपुल और राय कोलफील्ड्स में पैदल यात्रियों के लिए उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[अनुवाद]

नागपुर मंडल में चोरी के मामले

3578. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत दो वर्षों के दौरान मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में हुई चोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इन मामलों में जी.आर.पी. के उच्च अधिकारी संलिप्त पाये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल के पांच सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्ट गतिविधियों और लापरवाही से कार्य करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता

3579. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक मुस्लिम महिलाएं अपने गुजारे के बारे में समस्याओं का सामना कर रही हैं क्योंकि मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड कतिपय शर्तों के अधीन उन्हें गुजारा भत्ते का भुगतान करता है लेकिन वक्फ बोर्ड कुल मिलाकर दिवालिया हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शरियत के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम महिलाओं की वास्तविक समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में हाल ही में दो दिवसीय सत्र हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल

3580. **प्रो. आर. आर. प्रमाणिक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन ने मजदूरी संबंधी समझौते के असफल हो जाने पर विरोध स्वरूप मुम्बई और

कोलकाता में 23 अप्रैल से 15 मई 2001 तक सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यूनियन की मांगों को किस हद तक मान लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आई बी पी कंपनी लिमिटेड, मुंबई तथा कोलकाता के पेट्रोलियम कर्मचारी संघ ने 23,24 तथा 25 अप्रैल, 2001 को मुम्बई में तथा 17 से 19 अप्रैल, 2001 तक कोलकाता में सांकेतिक हड़ताल की थी।

(ख) पेट्रोलियम कर्मचारी संघ, आई बी पी, मुम्बई की मांगों को दीर्घावधिक समझौते (एल टी एस) पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से समाधान कर लिया गया है। आई बी पी के पेट्रोलियम कर्मचारी संघ (पूर्वी शाखा), कोलकाता ने न तो कोई मांग घोषणपत्र प्रस्तुत किया था और न ही समझौता वार्ता में प्रतिभागिता की थी, इसलिए उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सका।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति

3581. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों को धान, मूंगफली, ज्वार, मक्का और कुछ अन्य फसलों के गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति करने में हुई विफलता की जांच करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न फसलों की मांग कितनी है और किसानों को बीजों की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) बीजों की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं; और

(घ) घटिया स्तर की बीजों की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न फसलों के लिए किसानों को आपूर्ति हेतु प्रमाणित एवं गुणवत्ता बीजों की आवश्यकता/मांग तथा उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है बीज विधि प्रवर्तन के अंतर्गत 1.4.2000 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान घटिया स्तर के बीज आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत हैं:-

- बिक्री रोक आदेश जारी किए गए मामलों की सं.	55
- न्यायालय में दर्ज किए गए मामलों की सं.	245
- न्यायालय द्वारा निर्णित उन मामलों की सं. जिन में दण्ड दिया गया	3
- न्यायालय में लंबित मामलों की सं.	242
- उन मामलों की सं. जिनमें बीजों को जब्त किया गया	42

जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है, घटिया स्तर के बीज आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत 1.4.2000 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत हैं:-

- बीज निरीक्षकों द्वारा लिए गए निदेशों की सं.	11023
- उन मामलों की सं. जिनमें बीजों को जब्त किया गया	42
- उन मामलों की संख्या जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई	2
- लायसेंस का निलम्बन	2

विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में खरीफ 2001 तथा रबी 2001-2002 के लिए प्रमाणित एवं गुणवत्ता बीजों की आवश्यकता/मांग तथा उपलब्धता का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.सं.	फसल	खरीफ 2001			रबी 2001-02		
		आवश्यकता/मांग	उपलब्धता	घाटा (-)/अधिशेष (+)	आवश्यकता/मांग	उपलब्धता	घाटा (-)/अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धान	4,92,700	9,53,600	+ 4,60,900	2,93,520	7,38,322	+ 4,44,802
2.	ज्वार	20,600	1,32,000	+1,09,400	4,300	1,36,815	+1,32,515
3.	संकर बाजरा	4,800	21,800	+ 17,000	300	59,362	+ 59,062
4.	बाजरा	1,700	39,200	+ 37,500	–	–	
5.	संकर मक्का	32,600	1,96,000	+ 1,63,400	15,900	54,081	+ 38,181
6.	रागी	–	–	–	160	634	+ 474
7.	अरहर	9,500	10,100	+ 600	–	–	–
8.	मूंग	14,300	50,000	+ 35,700	3,630	34,400	+ 30,770
9.	उड़द	2,980	28,007	25,027	20,800	44,061	+ 23,261
10.	चना	–	–	–	7,800	19,013	+ 11,213
11.	मूंगफली	3,04,800	3,82,050	+ 77,250	71,400	3,30,251	+ 2,58,851
12.	अरण्ड	5,500	17,625	+ 12,125	–	–	–
13.	तिल	530	550	+ 20	630	700	+ 70
14.	सूरजमुखी	6,300	6,400	+ 100	15,400	49,992	+ 34,592
15.	सोयाबीन	16,400	17,500	+ 1,100	540	5,500	+ 4,960
16.	कुसुम	–	–	–	2,750	4,060	+ 1,310
17.	संकर कपास	2,855	2,855	–	–	–	–
18.	कपास	20,345	51,145	+ 30,800	–	–	–
19.	मेस्ता	820	820	–	–	–	–
	कुल योग	9,36,730	19,07,652	9,70,922	4,37,130	14,77,191	10,40,061

गैस का मूल्य निर्धारण तंत्र

3582. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2002 तक गैस का मूल्य निर्धारण तंत्र के अनियमित होने की संभावना है और इसके बाद गैस का मूल्य 4100 के.सी.ए.एल. पर 2500 रुपये प्रति हजार एस.सी. एम. होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या 1000 के.सी.ए.एल. गैस का मूल्य बिना छूट के 6.098 रुपये प्रति हजार एस.सी.एम. के बराबर होगा;

(ग) गैस आधारित कुल मूल्य 2500 रुपये एस.सी.एम. (4100 के.सी.ए.एल. पर) 557.38 प्रति हजार एस.सी.एम. के परिवहन शुल्क सहित 3057.38 प्रति हजार एस.सी.एम. बैठता है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान औसत मूल्य 1783 रुपये प्रति हजार एस.सी.एम. (परिवहन के लिए 510.08 रुपये सहित) की तुलना में गैस का कुल मूल्य बहुत अधिक होगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान में प्राकृतिक गैस संसाधन के उपयोग हेतु गैस मूल्य सूत्र की समीक्षा करने, गैस मूल्य निर्धारित करने और परिवहन भार उचित स्तर तक लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) 1 अक्तूबर, 1997 से भू उतराई स्थलों पर प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य, उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य सभी उपभोक्ताओं के संबंध में, प्रथम तीन वर्षों में लिंकेज वृद्धियों, 1997-98 में 55 प्रतिशत से 1998-99 में 65 प्रतिशत और 1999-2000 में 75 प्रतिशत, के साथ ईंधन तेलों के एक समूह के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध किया गया था। वर्ष 2001-02 तक ईंधन तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ शत प्रतिशत समता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च, 2002 तक प्राकृतिक गैस के मूल्य में संशोधन सरकार के सक्रिया विचाराधीन है। 1 अप्रैल, 2002 से प्राकृतिक गैस का मूल्य सरकार द्वारा नियत नहीं किया जाएगा।

हुगली गोदी और पोत कंपनी का आधुनिकीकरण

3583. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हुगली गोदी और पोत कंपनी, हावड़ा की दोनों वित्तीय और उत्पादन-वार एवं संभाग-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन दो इकाइयों के आधुनिकीकरण का वित्तीय पैकेज वर्ष 1985 से उनके पास पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. (एच डी पी ई एल), कोलकाता की दो उत्पादक इकाइयां हैं अर्थात् सल्किया वर्क्स और नजीरगंज वर्क्स। दोनों इकाइयों में जहाज मरम्मत और जहाज निर्माण की सुविधाएं हैं। जहाज निर्माण की संस्थापित क्षमता 1100 टन प्रतिवर्ष है और जहाज मरम्मत की संस्थापित क्षमता 125 पोत प्रतिवर्ष है। जहाज निर्माण की संस्थापित क्षमता का उपयोग क्रयादेशों की कमी के कारण कम है। कंपनी अत्यन्त गंभीर स्थिति से गुजर रही है। कंपनी पिछले कई वर्षों से घाटा उठा रही है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कंपनी का संचयी घाटा 167.07 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) सरकार कंपनी को इसकी दो इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत सहायता दे रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार ने 21.42 करोड़ रु. की निधियां जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार कंपनी को अपने कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन पर होने वाले व्यय को पूर करने के लिए गैर योजनागत सहायता भी प्रदान कर रही है। तथापि, कंपनी ने योजनागत निधियों का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया है।

एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने संबंधी मामले

3584. डा. वी. सरोजा: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्याप्त तंत्र के अभाव में एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने के बहुत से मामलों का पता नहीं चलता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में सशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक संशोधन कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन द्विविवाह शून्य है और ऐसे विवाह के संबंध में, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 494 और धारा 495 और के उपबंध लागू किए गए हैं।

जहां तक भारतीय दंड संहिता के अधीन तंत्र का संबंध है, इस बाबत गृह मंत्रालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

अधोगामी पुलों का निर्माण

3585. श्रीमती कैलाशो देवी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में शाहबाद के निकट तक छोटा अधोगामी पुल का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) रेल विभाग कुरूक्षेत्र-यमुनानगर रेल लाइन के निर्माण पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) राज्य सरकार द्वारा भूमिगत पैदल पार पथ का नक्शा और अनुमान अभी अनुमोदित नहीं किया गया है,

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू कार्यों के भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की तंगी।

ऊन का आयात

3586. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित ऊन तथा इसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य क्या है और वर्ष 2001-2002 के लिए गुणवत्ता-वार उत्पाद-वार और देश-वार कितना आयात किये जाने का अनुमान है;

(ख) इसके आयात के क्या कारण हैं और घरेलू उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊन और उसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य पर (देशवार) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I से VII में है। वर्ष 2001-2002 के लिए प्राक्कलन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ऊनी वस्त्र उद्योग एक निर्यात उन्मुख उद्योग है। भारत में अधिकांशत: मोटी किस्म की ऊन निर्मित की जाती है। भारत बमुश्किल प्रतिवर्ष 4-5 मिलियन क्रि.ग्रा. अपैरल ग्रेड की ऊन का उत्पादन करता है जबकि उद्योग की मांग 40-50 मिलियन कि.ग्रा. है। इस अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है और इसलिए ऊन के आयात पर प्रतिबंध लगाने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

ऊन, जो कोर्डड/काम्बड नहीं है

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	24536.02	29261.59	25668.38	26412.10	22781.90	25622.96
न्यूजीलैण्ड	11365.77	11349.25	12034.59	11431.68	11266.12	10173.01
ईटली	3006.91	1101.66	4628.62	1474.97	3724.34	1161.57

1	2	3	4	5	6	7
तुर्की	2495.48	828.56	3742.82	1076.10	2614.59	787.82
सउदी अरब	2878.63	979.79	2057.87	697.25	1461.96	506.82
अर्जेंटीना	132.51	103.69	235.35	186.76	600.67	493.51
ईरान	9785.48	1771.82	4621.49	1684.80	1083.42	438.54
नीदरलैंड	311.97	182.27	1100.36	554.19	504.31	294.28
बेलजियम	896.40	420.72	746.16	343.29	607.73	230.34
ग्रीक	129.48	46.40	256.76	84.92	573.48	189.36
चीन पी आर पी	321.07	205.29	183.29	152.51	166.07	184.25
आस्ट्रिया	27.71	69.28	0.00	0.00	145.91	174.39
यू.के.	407.76	244.57	533.19	320.94	321.29	185.22
साउथ अफ्रीका	608.42	543.23	421.02	280.42	205.91	151.48
केनिया	375.41	197.49	533.09	185.71	440.67	144.32
चाइनीज टेपल	61.18	26.75	217.66	88.83	291.74	127.29
यू.एस.ए.	81.34	51.75	856.75	634.14	223.44	115.89
सीरिया	302.86	111.40	396.44	139.43	342.72	108.72
जर्मन एफ. रिप	125.66	51.42	341.73	178.63	157.52	93.29
स्पेन	275.06	88.59	147.11	59.29	176.66	61.51
कुवैत	620.65	222.79	226.54	71.91	234.73	78.63
उरूग्वे	338.59	195.76	219.76	128.32	147.67	65.48
इंडोनेशिया	60.58	27.14	28.86	12.61	17.00	39.44
मंगोलिया	143.85	66.22	214.20	110.39	61.19	38.47
यु अरब अमीरात	560.03	216.08	304.06	118.06	104.59	36.41
तुर्कमेनिस्तान	0.00	0.00	257.31	44.72	84.00	28.30
जार्डन	0.00	0.00	32.98	11.31	76.32	25.01
जापान	8.00	15.29	0.00	0.00	19.20	24.26
फ्रांस	152.14	60.44	126.97	44.53	44.88	21.29
रोमानिया	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48	21.28
साइप्रस	0.00	0.00	117.51	91.68	57.80	19.71

1	2	3	4	5	6	7
न्यू कैलेडोनिया	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	17.09
आयरलैंड	19.41	45.89	0.00	0.00	37.82	16.48
थाइलैंड	4.00	8.00	0.00	0.00	21.51	11.61
हांगकांग	55.12	36.84	13.52	18.82	59.50	11.06
सिंगापुर	132.02	118.57	75.40	72.47	32.84	8.86
इक्वाडोर	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.71
पाकिस्तान	354.76	102.20	255.21	88.49	24.98	7.09
लेबनान	16.58	2.75	13.25	4.62	15.06	6.61
उजबेकिस्तान	62.53	15.27	37.20	11.55	4.20	6.18
उगांडा	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	5.21
स्वीडन	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	3.17
रसिया	181.90	134.48	4.74	1.62	0.60	0.68
अफगानिस्तान	0.00	0.00	13.63	8.38	0.00	0.00
ब्राजील	17.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
कनाडा	0.00	0.00	11.55	13.09	0.00	0.00
डेनमार्क	0.00	0.00	13.04	7.84	0.00	0.00
हंगरी	0.00	0.00	11.00	10.03	0.00	0.00
आइसलैंड	60.52	22.58	111.89	43.18	0.00	0.00
इजराइल	0.00	0.00	16.92	6.88	0.00	0.00
कजाकिस्तान	20.07	11.71	17.52	7.94	0.00	0.00
कोरिया आरपी	17.43	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
किरगिस्तान	13.32	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्वे	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीटजरलैंड	21.63	27.03	112.97	121.85	0.00	0.00
उक्रेन	0.00	0.00	7.50	2.00	0.00	0.00
जाम्बिया	0.00	0.00	12.52	3.32	0.00	0.00
कुल योग	64886.37	49030.05	61376.65	49192.69	48827.21	41742.73

विवरण-II

महीन/मोटे पशु बाल जो कॉडेड/काम्बड नहीं हैं

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दक्षिण अफ्रीका	141.89	261.21	44.71	48.95	215.47	327.96
आस्ट्रेलिया	151.28	236.10	109.90	146.62	87.89	194.58
चीन पी आर पी	8.57	43.40	12.39	70.53	25.02	93.43
फ्रांस	30.20	127.53	15.80	84.34	14.45	74.85
कोरिया आरपी	5.00	26.14	0.00	0.00	58.28	73.63
यू.के.	6.84	34.78	0.07	0.71	7.92	55.39
हांगकांग	0.00	0.00	8.46	39.57	5.79	37.84
यूएसए	0.05	1.51	21.37	54.80	21.54	31.72
नीदरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	23.89
अर्जेंटीना	0.00	0.00	6.51	8.13	20.17	23.83
बेलजियम	0.00	0.00	1.01	3.56	4.03	11.98
सउदी अरब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	3.61
जर्मन एफआरईपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.66
कनाडा	1.42	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
ईटली	3.83	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
मारीशस	0.00	0.00	1.68	7.06	0.00	0.00
मंगोलिया	0.00	0.00	18.73	11.91	0.00	0.00
नेपाल	0.20	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
न्यूजीलैंड	14.62	22.95	13.06	16.88	0.00	0.00
स्विटजरलैंड	0.28	1.20	2.35	8.61	0.00	0.00
कुल योग	364.18	769.36	256.04	501.67	463.81	953.37

विवरण-III

ऊन तथा महीन/मोटे पशु बाल/काम्बड (ऊन टॉप सहित)

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आस्ट्रेलिया	118.85	241.30	81.68	230.93	94.42	219.21
यूके	2.20	24.14	15.74	90.43	33.63	186.48
ईटली	17.24	92.32	9.71	49.26	29.70	165.07
न्यूजीलैंड	43.26	61.37	9.24	28.31	11.00	31.74
स्विटजरलैंड	5.46	36.14	8.10	56.18	1.51	27.32
चीन पीआरपी	11.97	52.92	0.35	1.28	0.50	24.68
चाइनीज ताइपे	216.03	516.77	110.71	254.67	3.03	6.07
फ्रांस	61.80	77.44	21.19	131.13	0.05	0.45
बेलजियम	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00
कनाडा	1.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
जर्मन फैड. रिप.	11.70	27.70	43.07	80.24	0.00	0.00
आयरलैंड	0.06	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
नीदरलैंड	0.00	0.00	2.90	30.86	0.00	0.00
सिंगापुर	0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण अफ्रीका	566.11	1235.19	24.89	57.63	0.00	0.00
स्वीडन	0.00	0.00	0.96	5.62	0.00	0.00
तुर्की	0.30	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
संयुक्त अरब अमीरात	1.88	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
यू.एस.ए.	0.02	0.10	11.60	24.57	0.00	0.00
कुल योग	1057.98	2393.14	340.17	1041.17	173.84	661.02

विवरण-IV

पशुओं के बाल के यार्न सहित ऊनी यार्न

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
चीन पीआरपी	25.76	114.42	30.03	289.32	89.42	353.38
ईटली	65.33	422.58	13.05	83.66	40.97	288.75
यूएसए	1.30	4.10	5.73	74.58	33.41	132.26
यूके	22.17	103.90	34.55	133.98	42.23	121.88
तुर्की	7.55	20.26	0.00	0.00	3.08	37.80
इंडोनेशिया	6.74	23.37	9.98	17.82	13.47	26.94
मारीशस	6.75	29.47	7.49	32.18	9.32	21.97
स्विटजरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	20.51
सं.अ. अमीरात	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	20.00
ईरान	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	17.20
थाइलैंड	0.42	1.52	19.91	11.59	5.41	15.37
आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	12.94
दक्षिण अफ्रीका	5.64	26.66	0.00	0.00	3.04	11.18
इजराइल	4.94	4.55	8.89	7.58	7.56	5.14
जर्मन फैड. रिप.	1.82	13.57	12.13	24.34	1.28	3.13
कोरिया आरपी	66.33	177.76	6.60	27.45	0.50	1.87
चाइनीज ताइपे	5.00	18.07	11.26	37.38	0.54	1.11
फिलिपींस	0.00	0.00	0.14	0.80	0.20	0.96
हांगकांग	0.05	0.67	1.05	31.77	0.09	0.72
आयरलैंड	4.30	14.18	0.00	0.00	0.06	0.43
नीदरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14
जापान	0.00	0.00	2.70	10.88	0.02	0.13

1	2	3	4	5	6	7
बेलजियम	2.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
कनाडा	0.10	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
फ्रांस	2.50	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
मंगोलिया	0.00	0.00	0.02	0.84	0.00	0.00
पेरू	0.00	0.00	0.21	2.58	0.00	0.00
स्वीडन	0.75	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
यूक्रेन	6.12	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	236.52	1028.86	163.74	786.75	276.48	1093.81

विवरण-V

ऊन के बुने परिधान/महीन पशु बाल

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
ईटली	52.01	410.68	16.88	115.12	70.94	419.74
रियूनियन	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	86.81
चीन पी आरपी	14.77	78.62	0.23	0.33	14.30	52.03
फ्रांस	10.45	44.80	5.35	27.51	2.37	32.11
यूके	16.70	116.22	2.41	23.37	4.91	27.75
सिंगापुर	0.00	0.00	0.54	6.56	2.95	23.47
कोरिया आरपी	41.40	252.41	4.22	20.49	5.74	21.24
थाइलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	15.34
नाम्बिया	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14.31
यूएसए	16.11	143.88	10.66	56.06	2.54	11.33
कनाडा	0.00	0.00	1.20	7.93	2.61	9.63
न्यूजीलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	5.63

1	2	3	4	5	6	7
जर्मन एफ आरईपी	23.71	124.74	3.91	26.53	1.06	5.49
स्विटजरलैंड	0.01	0.26	0.06	0.21	0.21	3.12
स्पेन	0.49	1.57	0.86	2.93	0.73	2.60
संयुक्त अरब अमीरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.36
जापान	2.23	8.95	0.30	1.99	0.09	0.89
नीदरलैंड	1.04	2.63	0.14	0.76	0.17	0.73
नेपाल	0.00	0.00	1.66	39.93	0.06	0.53
बेलजियम	0.82	15.42	0.50	0.35	0.15	0.50
इंडोनेशिया	1.01	3.05	3.37	22.05	0.09	0.41
चाइनीज तोइपे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.26
हांगकांग	13.57	42.32	0.23	0.72	0.05	0.17
मलेशिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
आस्ट्रेलिया	0.06	0.52	0.00	0.00	0.01	0.06
ब्राजील	0.03	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
डेनमार्क	0.14	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
आयरलैंड	2.00	10.38	7.76	39.20	0.00	0.00
कोरिया डीपी आरपी	0.06	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
पुतंगाल	0.00	0.00	0.07	0.56	0.00	0.00
तुर्की	0.00	0.00	2.20	27.99	0.00	0.00
ऊरूग्वे	0.00	0.00	0.75	10.86	0.00	0.00
कुल योग	196.61	1257.29	63.30	431.45	147.25	735.66

विवरण-VI

ऊन अपशिष्ट (महीन मोटा पशु बाल)

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
यूके	2807.64	452.07	2746.18	423.15	2768.07	365.66
आस्ट्रेलिया	796.18	133.61	996.94	152.73	303.77	49.93

1	2	3	4	5	6	7
ईटली	43.50	7.18	77.21	16.45	167.49	38.88
न्यूजीलैंड	263.25	81.56	405.68	133.80	196.92	38.86
दक्षिण अफ्रीका	37.38	28.01	74.52	23.79	163.57	32.95
सउदी अरब	0.00	0.00	280.16	51.64	141.17	29.50
थाइलैंड	90.23	37.21	122.19	51.00	82.60	23.05
बेलजियम	73.68	22.14	53.93	7.33	88.70	21.11
तुर्की	383.50	56.76	835.31	154.56	131.37	20.66
जापान	16.00	3.06	32.00	6.26	105.41	20.53
यूएसए	113.12	20.45	184.27	32.49	112.69	19.67
ग्रीस	26.31	10.42	48.48	8.57	80.56	16.06
चीन पी आरपी	0.00	0.00	57.19	23.66	22.68	14.81
नार्वे	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	12.83
सं.अ. अमीरात	38.00	4.27	59.33	13.29	59.64	11.96
फ्रांस	24.36	3.78	13.60	2.85	113.68	11.02
साइप्रस	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	10.04
ईरान	82.96	12.53	106.76	22.60	77.58	9.82
चाइनीज ताइपे	0.00	0.00	14.29	8.33	20.28	6.78
नीदरलैंड	202.07	31.31	109.08	13.60	44.40	6.01
अर्जेंटीना	31.51	12.72	0.00	0.00	12.87	5.72
डेनमार्क	0.00	0.00	9.37	2.47	15.24	3.59
कोरिया आरपी	14.00	3.58	20.00	3.53	2.04	3.06
आयरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	2.62
सीरिया	0.00	0.00	41.62	5.21	9.89	2.60
स्पेन	21.76	2.87	10.73	1.75	13.65	2.17
बंगलादेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रसिया	6.72	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
सिंगापुर	21.78	3.02	88.00	14.00	0.00	0.00
उरूग्वे	33.33	12.76	45.98	8.05	000	0.00
उजबेकिस्तान	0.00	0.00	92.00	14.18	0.00	0.00
कुल योग	5203.08	958.53	6667.54	1218.35	5035.45	810.81

विवरण-VII

ऊनी चिथड़े (एच.एस. कोड 63101002, 63109002)

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

	1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	
राज्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
कनाडा	3733.13	503.54	4604.10	634.37	4170.70	592.06
यूके	2042.58	334.29	1903.44	280.30	3377.56	491.66
इटली	2858.15	419.39	3906.66	508.60	3409.13	483.74
फ्रांस	2226.54	379.99	2251.68	321.27	2473.34	356.87
यूएसए	7561.18	1023.18	5380.24	761.86	2357.55	352.97
बेलजियम	1432.41	195.57	1288.24	176.88	1628.76	243.42
नीदरलैंड	3518.67	494.34	1442.87	192.71	1560.00	222.92
आस्ट्रेलिया	1099.65	216.66	782.58	118.58	1165.93	184.39
पोलैंड	285.25	41.97	1146.04	214.09	1028.76	152.47
तुनिशया	443.30	64.89	514.59	69.35	691.19	97.52
जर्मन एफ आरइपी	1304.56	184.31	2385.77	326.42	622.88	84.69
फिलिपींस	157.20	21.89	87.07	12.79	365.53	53.25
स्पेन	302.49	44.12	522.81	71.34	317.95	46.28
चाइनीज ताइपे	0.00	0.00	207.88	29.33	280.56	41.37
जापान	94.04	11.57	67.80	11.39	214.34	30.42
न्यूजीलैंड	281.44	65.80	81.97	15.94	150.02	30.34

1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	132.60	26.68	98.00	14.87	189.32	29.36
सं.अ. अमीरात	23.66	3.74	14.51	2.05	29.15	4.16
चीन पी आरपी	0.00	0.00	74.35	11.43	20.00	3.43
रसिया	47.08	5.53	23.17	3.25	23.23	3.30
थाइलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.37
इंडोनेशिया	0.00	0.00	4.00	0.49	0.00	0.00
आयरलैंड	36.80	3.79	32.43	4.58	0.00	0.00
कोरिया आरपी	8.80	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
पुर्तगाल	22.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
स्विटजरलैंड	0.00	0.00	43.02	5.45	0.00	0.00
कुल योग	27611.53	4045.33	26863.22	3787.34	24076.29	3504.99

रेल द्वारा शाहजहांपुर-तिकुनिया-बरेली को लखनऊ से जोड़ना

3587. **श्री रवि प्रकाश वर्मा**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी रेल लाइन से शाहजहांपुर को तिकुनिया से और बरेली को लखनऊ से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) बड़ी लाइन से शाहजहांपुर को तिकुनिया से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, बरेली पहले से ही बड़ी लाइन से बरास्ता शाहजहांपुर लखनऊ से जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र हेतु केन्द्रीय सहायता

3588. **डा. चरणदास महंत**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में राज्य-स्तरीय कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार से कब तक शत-प्रतिशत सहायता मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ से अलग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय प्रायोजित वृहत् प्रबंध स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार चालू कार्यक्रमों अथवा नए कार्यक्रमों के लिए आबंटन करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्येक राज्य द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम घटकों तथा उनके लिए प्रस्तावित आबंटन का ब्यौरा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार भोपाल में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। कार्य योजना दस्तावेज में प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना की अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2001 -2002 के दौरान छत्तीसगढ़ की कार्य योजना के लिए कुल 17.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 7.65 करोड़ रुपये की राशि छत्तसीगढ़ को जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के लिए परोक्षी मतदान

3589. **श्री राम मोहन गाइडे:**
श्री पी.आर. खुंटे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** सशस्त्र बलों के लिए परोक्षी मतदान के बारे में 10 अगस्त, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए परोक्ष मतदान की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने, सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों को निर्वाचनों में परोक्षी मतदान प्रणाली के माध्यम से मत देने के लिए अतिरिक्त विकल्प का उपबंध करने का विनिश्चिय किया है। तदनुसार निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 तारीख 9.12.1999 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक गृह मंत्रालय की विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा और रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने तारीख 18.4.2001 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, विधेयक के उपबंधों पर इसके सदस्यों में राय के स्पष्ट मतभेद को ध्यान में रखते हुए विधेयक के पक्ष में या विरोध में कोई सिफारिश न करते हुए यह सुझाव दिया है कि सरकार को प्रमुख राजनैतिक दलों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने, एक बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों की राय प्राप्त करने का विनिश्चय किया है।

मामलों का पकड़ा जाना

3590. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 23.24 करोड़ रुपये के रेल सामग्रियों की हानि वाले 2,22,983 मामले रेलवे सुरक्षा बल के ध्यान में आए हैं जिनमें से केवल 45,511 मामलों को ही पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी कितने मामले पकड़े जाने हैं और उनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) मामलों को शीघ्र पकड़े जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। इन मामलों की 1994-95 से 1998-99 के पांच वर्षों की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई थी और उनमें चोरी और हानि शामिल थी।

(ख) 7.96 करोड़ रु. मूल्य की संपत्ति के 1,77,423 मामलों का अभी आकलन किया जाना है।

(ग) मामलों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. मामलों को पकड़ने पर सभी पर्यवेक्षणीय स्तरों पर निगरानी रखी जाती है।
2. पकड़े गए और दर्ज किए गए मामलों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
3. प्रभावी ढंग से आसूचना एकत्रण के लिए रे.सु.ब. की अपराध आसूचना शाखा को जांच अधिकारियों से संबद्ध किया जाता है।
4. मामलों को रोकने तथा पकड़ने के लिए अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है।
5. मामलों को पकड़ने के लिए रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।
6. अपराधियों और अपराधियों के गैंग की पहचान करने के लिए पुलिस के साथ अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

डीलरशिप पुनर्गठन हेतु डीलर

3591. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेनामी लेन-देन के अंतर्गत ऐसी डीलरशिप को चलाने से बचने के लिए डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पुनर्गठन हेतु डीलरों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की भागीदारी फर्मों के एक डीलर को अनुमति देने और डीलरशिप छोड़ने की इच्छा रखने वाले भागीदार पर प्रतिबंध न लगाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुनर्गठन के तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ने वाले भागीदार को अनुमति देने हेतु क्या शर्तें/दिशानिर्देश दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन तेल कंपनियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं।

(ख) और (ग) साझेदारी फर्मों के मामले में अगर एक या अधिक साझेदार हटना चाहता (चाहते) है (हैं) तो बाकी का (के) साझेदार तेल कंपनी को स्वीकार्य होने के अधीन बाकी साझेदार (साझेदारी) को फर्म के पुनर्गठन की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान साझेदार (साझदारों) को अधिकांश हिस्सा रखना चाहिए। नए सम्मिलित किए गए साझेदार (साझेदारों) को अधिकांश धारिता रखने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न परिस्थितियों के अलावा स्थापना की तारीख से तीन वर्ष पहले पुनर्गठन और इसके बाद तीन वर्षों से पहले परवर्ती पुनर्गठन की अनुमति नहीं होगी;

(क) अनुकम्पा आधार।

(ख) मालिक/साझेदार (साझेदारों) की मृत्यु और

(ग) परिवार के भीतर।

महाराष्ट्र में क्षारीय भूमि

3592. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि अधिक जल उपयोग, उर्वरक और जलधारा क्षेत्रों में प्रवाह प्रणाली की असफलता के कारण महाराष्ट्र में ही 24 हजार एकड़ भूमि क्षारीय हो गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र में भूमि का क्षारीय होना प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में भूमि को क्षारीय होने से होने रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई और क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भूमि की क्षारीयता में वार्षिक वृद्धि आंकने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि अत्यधिक सिंचाई, उर्वरक अनुप्रयोग और खेतों से पानी की पर्याप्त निकासी के अभाव के कारण मृदा की क्षारीयता बढ़ती जा रही है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने स्रोतों के आधार पर जलमग्न क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी कार्यक्रम का निरूपण किया है:-

(1) बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं

ऐसी परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में प्रभावित मृदा का सुधार खेतों में नहरें तथा नालियां आदि बनाकर किया जा रहा है। इस समय ड्रेनेज स्कीम का कार्यान्वयन सिंचाई विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) निजी तथा सहकारी लिफ्ट सिंचाई स्कीमें

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम की स्थापना की है। यह निर्णय लिया गया है कि लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के कमान में प्रभावित मृदा संबंधी ड्रेनेज स्कीमों की योजना निरूपण तथा कार्यान्वयन छोटी सिंचाई (स्थानीय क्षेत्र) विभाग के सहयोग से महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम द्वारा किया जाए।

भारतीय तेल निगम द्वारा अतिरिक्त प्रभार की वापसी

3593. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 23 नवम्बर, 2001 के अतरांकित प्रश्न संख्या 822 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह माना था कि तेल निगम चेक द्वारा भुगतान करने वाले बाहर के डीलरों से बैंक संग्रहण शुल्क के रूप में हाई स्पीड डीजल (एच. एस जी) पर केवल 15 रुपये प्रति के. एल. और पेट्रोल पर 37 रुपये प्रति के. एल. वसूलने के लिए अधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल निगम विशेषकर भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) नीति का घोर उल्लंघन करते हुए उक्त श्रेणी के डीलरों से बैंक संग्रहण शुल्क के रूप में प्रति हजार रुपये 70 पैसे वसूल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों उत्पादों के ए.पी.एम. के अंतर्गत आने के कारण ऐसे डीलरों से भारतीय तेल निगम द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रभार को वापस करने हेतु निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) दिनांक 23.11.2000 के प्रश्न संख्या 822 के उत्तर के अनुबंध में चेक सुविधा वाले डीलरों से बैंक प्रभारों की बतौर वसूली की दर 1.4.1993 से एम एस के लिए 37 रुपये प्रति कि.ली. और एच एस डी के लिए 15 रुपये प्रति कि.ली. सूचित की गई थी। तथापि इसे 21.5.1993 से निलम्बित कर दिया गया था।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) डीलरों से प्राप्त बाहरी चेकों के मूल्य पर संग्रह प्रभारों के रूप में 7 रुपये प्रति हजार वसूल रही है क्योंकि इतने बैंक प्रभारों का आई सी द्वारा बैंकरों को भुगतान करना होता है।

(ग) और (घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना

3594. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने के बारे में 26 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 5874 तारीख 26 अप्रैल, 2001 में यथानिर्दिष्ट हिन्दुस्तान टाइम्स, तारीख 26 मार्च, 2001 में ''एस.सी. रूलिंग म्यूजिक टू पार्लिटिशियन्स इयर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार श्रीमती अरुतरी बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य- 2001 दांडिक अपील संख्या 320 [2000 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिका) सं. 4092] के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 22.3.2001 के निर्णय से संबंधित था, जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि के पश्चात् उच्च न्यायालयों में मामले लंबित रहने के कारण अपीलों के निपटारे में होने वाले विलंब के प्रति निर्देश करते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षण किया:-

> ''चूंकि अपील कानूनी अधिकार है, अत: विचारण न्यायालय का अधिमत अपील के लंबित रहने के दौरान अंतिम चरण में नहीं पहुंचता और उस प्रयोजन के लिए वह विचारण दोषसिद्धि के बावजूद भी विचारण की स्थिति में ही माना जाएगा।''

उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त संप्रेक्षण और निर्णय निर्वाचन विधियों के मुकाबले में कोई नए निर्वचन के प्रति अग्रसर नहीं होता और समाचार पत्र की यह रिपोर्ट संबंधित संवाददाता द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ही है।

पेट्रोल और डीजल का फिलिंग तापमान

3595. **डा. रमेश चंद तोमर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलशोधक कारखानों के तेल टर्मिनलों में पेट्रोल और डीजल का फिलिंग तापमान आसपास के तापमान से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने तेलशोधक कारखानों के पास स्थित ऐसे टर्मिनलों से आसपास के तापमान और प्राकृतिक तामपान की तुलना में उच्च तामपान पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले ऐसे डीलरों को मुआवजा देने की सिफारिश की है;

(ग) क्या तेल टर्मिनलों ने संबंधित तिथि और समय के आसपास के तापमान के साथ उत्पाद को भरने के समय के तापमान की तुलना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत रिफाइनरियों की संस्थापनाओं/सुविधाओं से एम एस और एच एस डी की सभी सुपुर्दगियों के लिए डीलरों को तापमान विचलन भत्ते (टी वी ए) द्वारा पहले ही प्रतिपूर्ति की

जा रही थी। समिति ने तापमान विचलन भत्ते की परिगणन विधि में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) मौजूदा व्यवहार के अनुसार उक्त उत्पाद का लदाई तापमान और उस स्थान पर परिवेशी तापमान, प्रचलन में तापमान विचलन सूत्र के अनुसार इन दो तापमानों के विचलन के कारण प्रतिपूर्ति की अनुमति देने के प्रयोजनार्थ दर्ज/विचारित किए जाते हैं।

गोवा संग्रहालय से दुर्लभ सिक्कों का गायब होना

3596. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा संग्रहालय में जमा कुछ प्राचीन सिक्के अब गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) ए.एस.आई. द्वारा ऐसी चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) मध्य उन्नीसवीं शताब्दी अवधि का एक पुर्तगाली चांदी का सिक्का 16 अप्रैल, 1989 गोवा स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय से गायब हो जाने की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) स्थानीय पुलिस ने इस मामले की छानबीन की थी और वे किसी व्यक्ति विशेष/व्यक्तियों का हाथ होने के प्रति निश्चित रूप में कुछ नहीं बता सके।

(घ) प्रचलित ग्लास प्रदर्शन मंजूषाओं में प्रदर्शित करना, प्राइवेट सुरक्षा लगाना और धातु संसूचक द्वार ढांचों से होकर आगंतुकों का प्रवेश जैसे पर्याप्त उपाय अपनाए गए हैं।

घाटों को माफ किया जाना

3597. श्री वाई.वी. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश के समेकित सहकारी ऋण ढांचे को सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहकारी बैंकों को सहायता देने हेतु सहकारी पुनर्वास विकास निधि की स्थापना के समय हुए भारी घाटे को भी माफ करने का निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री के दिनांक 13.02.2001 के पत्र द्वारा प्रस्तावित सहकारिता पुनर्स्थापन और विकास निधि से आंध्र प्रदेश की समेकित सहकारी ऋण संरचना को सहायता देने का अनुरोध किया, ताकि लगभग 1161 करोड़ रु. की समस्त संचित हानियों तथा असंतुलन को समाप्त किया जा सके। इसका 23.4.2001 को कृषि मंत्री द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया गया था।

(ग) और (घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) के उत्तर में उल्लिखित है, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित सहकारिता पुनर्स्थापन और विकास निधि से सहायता का अनुरोध किया ताकि समेकित सहकारी ऋण संरचना की लगभग 1161.00 करोड़ रु. की क्षति और असंतुलन को समाप्त किया जा सके। संचित हानियों को माफ करने के लिए अलग से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

नए स्थलों का उत्खनन

3598. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पुरातात्विक उत्खनन, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक उत्खनन के अंतर्गत किन्हीं नए स्थलों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उत्खनन कार्य पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी,हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 34 नए स्थलों का उत्खनन तथा 22 नए स्थलों का सर्वेक्षण किया है। ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) इन उत्खननों पर किया गया कुल व्यय 1,84,31,566/- रुपये है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान पहचाने गए नए स्थलों तथा उत्खननों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल का नाम
1	2
	असम
1	तालाताल घर, जॉय सागर, जिला शिव सागर
2.	चारएदेव में मैदान सं. 2 (दफनाने का टीला)
	बिहार
3.	चांदी मॉउ, जिला नालन्दा
4.	केसरिया, जिला पूर्वी चम्पारन
5.	राजगीर, जिला नालन्दा
	दिल्ली
6.	तुगलकाबाद किला, दिल्ली
	गोवा
7.	चन्दौर, जिला उत्तरी गोवा
	हरियाणा
8.	नौरंगाबाद, जिला भिवानी
	जम्मू और कश्मीर
9.	कानिसपुर, जिला बारामुल्ला
10.	जफ़रचाक, जिला जम्मू
11.	अम्बारन, जिला जम्मू
	कर्नाटक
12.	मिरजान किला, जिला उत्तरी कनारा
	केरल
13.	बेकल किला, जिला कौसरपोड़े
	मध्य प्रदेश
14.	चिचली, जिला पश्चिमी नीमार
15.	उभेरिया, जिला बेतुल
16.	घटवालिया, जिला पश्चिमी नीमार
17.	कोटवाल (कुतवार) जिला मुरैना
18.	बीजा मंडल टीला, खुजराहों, जिला छत्तरपुर
19.	बारहट, जिला रीवा
	महाराष्ट्र
20.	हिंगोना-सिम, जिला जलगांव
21.	एलिफेन्टा, जिला रायगढ़
	पंजाब
22.	ढलेवान, जिला मनसा
	राजस्थान
23.	लच्छूरा, जिला भीलवाड़ा
24.	ओजीयाना, जिला भीलवाड़ा
	त्रिपुरा
25.	श्याम सुंदर का टीला, जिला पील्लक, दक्षिण त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश
26.	बीसोकर, जिला गाजियाबाद
27.	मदरपुर, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद
28.	मंडी गांव, तहसील तितावी, जिला मुज्जफ्फरनगर
29.	ओराझार, जिला श्रावस्ती
30.	बीर-छबीली का टीला, जिला आगरा
31.	चौखण्डी, जिला वाराणसी
32.	साहपुर, जिला गोंडा
	पश्चिमी बंगाल
33.	राजपट खालिसा, जिला कूच बिहार
34.	चन्द्रकेतु गढ़, जिला चौबीस परगना

विवरण-II

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के ब्यौरे:-

क्र.सं.	सर्वेक्षण का ब्यौरा
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	आदीलाबाद जिले में अन्वेषण
	अरूणाचल प्रदेश
2.	इतिहास-पूर्व सर्वेक्षण
	गुजरात
3	गुजरात की लकड़ी की वास्तुकला
	हिमाचल प्रदेश
4.	तहसील कारसोग, जिला मंडी, अनी, जिला कुल्लु बंजार, जिला शिमला
5.	पोभारंग, जिला लाहौल और स्पीति
6.	पांगी घाटी, जिला चम्बा
	जम्मू और कश्मीर
7.	कारगिल के सिंधु की पद्मा घाटी, जिला डोडा, और जासकार
	कर्नाटक
8.	दवनाहल्ली, जिला बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सूची बद्ध 14 गांवों का अन्वेषण
9.	जिला मांड्या में अन्वेषण
10.	जिला बेल्लारी, खानापुर ताल्लुक, जिला बेलगांव में अन्वेषण
	केरल
11.	इदुक्की, कोट्यम, पट्नामुथिट्टा और इरनाकुलम जिले को कवर करने वाली पम्पा नदी में समस्या-अभिमुख सर्वेक्षण
	महाराष्ट्र
12.	पुरापाषाण काल और ताम्र पाषाण काल स्थल, जिला याएटोमल
	मध्य प्रदेश
13.	उभारीया तथा इसके आस-पास, जिला बैतुल
	मेघालय
14.	इतिहासपूर्व सर्वेक्षण, जिला जंगतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स
	उड़ीसा
15.	जिला खुर्दा, सोनपुर और कालाहांडी में महानदी नदी घाटी
16.	जिला कालाहांडी में ऊंची तेल घाटी
17.	जिला धेनकनाल में ब्राहमणी नदी की घाटी
	राजस्थान
18.	बनास घाटी-टोंक से इसके चम्बल नदी में रामेश्वर में इसके संगम स्थल तक, जिला टोंक तथा सवाई माधोपुर
	उत्तर प्रदेश
19.	चित्रकूट तथा आस-पास का क्षेत्र
20.	आगरा की सिविल वास्तु-कला का सर्वेक्षण
21.	उत्तर भारत में ईंट के मंदिरों का सर्वेक्षण
22.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पुरालेखीय सर्वेक्षण

[अनुवाद]

एल.पी.जी. के कनैक्शन

3599. श्री डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान कितने नए एल.पी.जी. कनैक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने नए वितरक नियुक्त किए जाने का विचार हैं;

(ग) क्या विकलांग व पूर्व-सैनिकों को वरीयता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने कैलेन्डर वर्ष 2001 के दौरान देश में 1.3 करोड़ नए एल पी जी (घरेलू) कनेक्शन जारी करने की नामांकन योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत 334 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने की योजना बनाई है।

(ग) और घ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 8 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूटरशिपें रक्षा श्रेणी (डी सी), 8 प्रतिशत अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी एम पी) और 5 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

[हिन्दी]

सड़क उपरिपुलों का निर्माण

3600. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर शहर में परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किन-किन स्थानों पर रेल उपरिपुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) संबधित राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा सड़क यातायात का प्रबंधन और इसके लिए योजना बनाई जाती है। इसलिए उपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं. इस समय जयपुर शहर में न तो किसी ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और न ही राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से ऐसे किसी निर्माण कार्य के लिए कोई प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मक्का का उत्पादन

3601. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार मक्का का कुल कितने मीट्रिक टन उत्पादन हुआ;

(ख) देश में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में मक्का की खेती होती है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को किस सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) देश से वर्तमान में देश-वार मक्का का कितना वार्षिक निर्यात किया जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान मक्का की फसल का राज्यवार क्षेत्र एवं उत्पादन आकलन संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ग) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान क्रमश: 415 लाख रुपये 435 लाख रुपये, 475 लाख रुपये तथा 108.37 लाख रुपये निर्मुक्त किए थे। इसके अतिरिक्त मक्का आधारित फसलन प्रणाली पर सं.रा. विकास कार्यक्रम के उपकार्यक्रम के अधीन राज्यों को वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान क्रमश: 45 लाख रुपये एवं 30 लाख रुपये की धनराशि भी निर्मुक्त की गई।

(घ) भारत से अन्य देशों को मक्का के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान भारत में मक्का के क्षेत्र एवं उत्पादन का आकलन

क्षेत्र '000' है।
उत्पादन '000' मी.टन

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र			उत्पादन		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	396.0	399.0	439.0	1083.0	1383.0	1397.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.5	36.2	35.6	50.0	47.0	48.3

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	19.2	19.8	19.7	14.7	14.0	14.1
4.	बिहार	705.2	711.1	804.1	1309.5	1527.5	1611.3
5.	गोवा	0.2	0.3	0.2	0.6	1.2	0.8
6.	गुजरात	399.8	408.3	391.0	658.2	696.0	504.0
7.	हरियाणा	24.0	21.0	21.0	46.0	41.0	51.0
8.	हिमाचल प्रदेश	311.9	305.0	299.9	620.7	671.3	681.4
9.	जम्मू और कश्मीर	310.9	311.4	317.3	440.9	532.4	471.2
10.	कर्नाटक	561.4	512.4	608.0	1510.9	1671.3	1688.0
11.	मध्य प्रदेश	860.7	852.2	854.7	1135.4	1232.7	1354.7
12.	महाराष्ट्र	240.7	278.4	279.9	297.7	511.4	417.0
13.	मणिपुर	3.6	3.0	4.3	13.1	10.1	10.7
14.	मेघालय	17.2	17.2	16.6	24.9	25.3	24.1
15.	मिजोरम	8.2	8.7	5.3	16.5	16.5	9.7
16	नागालैण्ड	30.0	32.0	32.0	30.0	41.6	48.0
17.	उड़ीसा	52.1	51.0	54.5	64.0	66.3	80.8
18.	पंजाब	165.0	154.0	162.0	345.0	352.0	417.0
19.	राजस्थान	974.5	951.0	933.6	1232.0	1032.2	973.2
20.	सिक्किम	39.4	39.4	39.4	55.7	50.8	52.8
21.	तमिलनाडु	58.0	55.7	117.0	94.9	88.3	188.2
22.	त्रिपुरा	2.0	2.3	2.3	1.8	1.7	1.7
23.	उत्तर प्रदेश	1063.2	995.8	954.0	1640.3	1012.9	1358.0
24.	पश्चिम बंगाल	43.5	38.5	35.1	130.4	121.2	69.7
	अखिल भारत	6321.2	6203.7	6426.5	10816.2	11147.7	11472.7

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 में भारत से मक्का का निर्यात (कि.ग्रा.)

क्र.सं.	देश	मक्का बीज	अन्य मक्का	कुल
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश	12000	-	12000
2.	इन्डोनेशिया	794160	-	794160

1	2	3	4	5
3.	मारीशस	-	1500	1500
4.	नेपाल	31000	20000	51000
5.	ओमन	30000	-	30000
6.	फिलीपीन्स	199420	-	199420
7.	श्रीलंका	25000	-	25000
8.	संयुक्त अरब अमीरात	12000	146500	158500
	कुल	1103580	168000	1271580

प्रशिक्षण देना

3602. श्री पी. आर. किन्डिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मेघालय के राई भोई जिले में, जहां आई.सी.ए.आर. का मुख्यालय स्थित है, वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है और इस बारे में कोई जागरूकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) आई.सी.ए.आर. द्वारा पूर्वोत्तर के किसानों/व्यक्तियों को बागवानी, पुष्प कृषि और पशु-पालन के बारे में तकनीकी जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आई.सी.ए.आर. में स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के अनुसंधान काम्पलेक्स, बड़ापानी, जिला- राई-भोई, मेघालय ने 1,111 किसानों की सहभागिता के साथ खेत दिवस, किसान दिवस और किसान मेलों जैसे विभिन्न ज्ञानप्रद कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

इस संस्थान ने 1,160 किसानों, लघु स्तर के 62 उद्यमियों और 216 विस्तार कार्यकर्ताओं की सहभागिता के साथ 42 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निधि प्राप्त कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पुष्पोत्पादन एवं पशुपालन सहित बागवानी में 3494 किसानों, 1625 ग्रामीण युवाओं और 1279 विस्तार कार्यकर्त्ताओं की सहभागिता के साथ 253 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(घ) और (ङ) 'ग' और 'घ' वर्ग के पदों की भर्ती स्थानीय/केन्द्रीय रोजगार केन्द्र के माध्यम से की जाती है। इस संस्थान ने भर्ती पर लगाई गई मौजूदा रोक के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भर्ती नहीं की है, लेकिन इस दौरान अनुकंपा के आधार पर वर्ग 'घ' श्रेणी में 5 नियुक्तियां की गई हैं।

दाभोल विद्युत परियोजना को मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा देना

3603. श्री मोहन रावले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना को मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत मेगा विद्युत परियोजना घोषित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना (2184 मेगावाट) को वृहत् विद्युत परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने हेतु विद्युत मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव भेजा था। डाभोल विद्युत परियोजना जिसे समझौता-ज्ञापन माध्यम से सौंपा गया था, अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है। यह परियोजना भारत द्वारा 1998 में घोषित संशोधित वृहत् विद्युत नीति की शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। अत: महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को नहीं स्वीकार किया गया।

हथकरघा/हस्तकला पर प्राकृतिक आपदाओं का असर

3604. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी भागों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों के लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा व इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हथकरघा/हस्तशिल्प शिल्पकारों के लिए कोई विशेष स्कीम विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बुनकरों की सहायता हेतु उनके लिए राज्य में विद्यमान स्कीमों में विशेष वितरण किये जाते हैं तथा/अथवा विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी मामले

3605. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक तिहाई से अधिक मुकदमों में केन्द्र सरकार स्वयं एक पक्षकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने हेतु कोई समिति गठित की है कि जिन मामलों में सरकार स्वयं एक पक्षकार हैं, उनमें आगे मुकदमा लड़ा जाए या नहीं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) संघ सरकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित अनेक मामलों में पक्षकार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन, लोक अदालतों का गठन, माध्यस्थम् और सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का अधिनियम करने, और विवादों का शीघ्र निपटान करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता फोरम, रेल दावा अधिकरण, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण आदि जैसे अनेक मंचों का गठन करने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

न्यास का गठन

3606. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएसन द्वारा 1992 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सम्मेलन से बचाए गए एक करोड़ बीस लाख रुपये के कोष का प्रबन्धन करने हेतु संस्कृति विभाग ने 5 मई, 1995 को एक न्यास का गठन किया था और 18 मई, 1995 को न्यासियों को पत्र भी जारी कर दिए जाने थे, परन्तु 22 मई, 1995 को संबंधित अधिकारी ने व्यक्तिगत कारणों से इसे रोक दिया;

(ख) क्या संबंधित अधिकारी ने जान-बूझकर इस न्यास के गठन से संबंधित फाइल गायब कर दी;

(ग) यदि हां, तो इस न्यास को पुनरूज्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। यद्यपि इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन' 92 की बचतों का प्रबंध करने के लिए एक न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया गया था परन्तु न्यास स्थापित नहीं किया गया।

(ख) फाइल गायब नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) मामले की समीक्षा की गई है तथा विधि विभाग के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि ये राशियां इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की हैं।

अफजल खां स्मृति न्यास की गतिविधियां

3607. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ जिले की तलहटी में अफजल खां स्मृति न्यास की गतिविधियों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या उक्त न्यास ने ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए पुरातत्व विभाग से आवश्यक अनुमति ले ली है;

(ग) क्या सरकार अफजल खां के स्तुतिमान और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि धूमिल करने की न्यास की गतिविधियों से सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। सरकार को प्रतापगढ़ स्थित अफजल खॉ स्मृति न्यास की गतिविधियों की जानकारी है। उक्त न्यास एक धर्मशाला (अरोग्यघर) का संचालन कर रहा था, जिसे अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है।

(ख) यह न्यास पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी कभी नहीं मिली है।

लुधियाना-चण्डीगढ़ रेलमार्ग का निर्माण

3608. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लुधियाना-चण्डीगढ़ रेल मार्ग के निर्माण के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और अभी तक इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सर्वप्रथम चंडीगढ़ से मोरिंडा (47.5 कि.मी.) तक का कार्य शुरू किया गया है। 20 कि.मी. लम्बाई में, जहां कहीं राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है, मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) परियोजना की प्रत्याशित लागत 200 करोड़ रुपये और 31.3.2001 तक खर्च की गई राशि 24.77 करोड़ रुपये है।

(ग) अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। परियोजना का पूरा होना भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कृषि योजनाओं में कमी

3609. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं की संख्या घटाकर आधी करने या इन्हें बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) कृषि के सम्पूर्ण विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2000 में 27 चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को समेकित करके एक वृहत प्रबंधन स्कीम "कार्ययोजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता" शुरू की गई। वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत मिलाई गई 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

कृषि विकास नियोजन में राज्यों की श्रेष्ठता बहाल करने के अनुसरण में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में यह एक प्रमुख कदम है। वृहत् प्रबंधन प्रणाली के अधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के समेकन से विरल वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकेगा तथा किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार विशिष्ट कार्ययोजनाओं, जिसमें कृषि के विकास के लिए खण्ड/फसल/क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप शामिल हैं, के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग/सहायता देगी। राज्य सरकारों ने नई स्कीम का स्वागत किया है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता।
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता।
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम।
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम।
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
8. मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास।
11. उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग।
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन।
13. शुष्क, उष्णकटीबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।
14. वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति।
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
16. औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास।
17. कन्द एवं मूल फसलों का विकास।
18. कोको तथा काजू का विकास।
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।
20. खुम्भी विकास।
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।
22. मधुमक्खी पालन।
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
24. सब्जी फसलों के आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए स्कीम।
25. नदीघाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
26. क्षारीय मृदा का सुधार व विकास।
27. राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।

कर्नाटक की पर्यटन परियोजनाएं

3610. श्री कोलूर बसवनागौड:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** कर्नाटक की पर्यटन परियोजनाओं के बारे में 21 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5220 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अभी तक कर्नाटक के विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ख) ऐसे प्रस्तावों के लिए दूसरी किश्त जारी करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष स्वीकृत राशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, कर्नाटक राज्य सरकार से प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए 1174.00 लाख रुपयों के 37 परियोजना-प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गयी है। सभी तरह से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर परस्पर प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जाती है।

(ख) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राशि के उपयोग में लाए जाने संबंधी उपयोगिता-प्रमाण-पत्र, भूमि स्थानान्तरण कागजात, प्रबंधन समझौते से संबंधित सभी तरह से पूर्ण कागजात प्राप्त होने पर ही दूसरी किश्त अवमुक्त किए जाने संबंधी कार्रवाई की जाती है।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता की शेष/अंतिम राशि के दावे के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह भारत सरकार को उपयोगिता तथा पूर्णता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का ब्यौरा	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	उडुपी जिल में पाजाका क्षेत्र में पर्यटक गृह	49.00	37.00
2.	हनुमंत नगर में पर्यटक गृह	44.30	34.30
3.	सागर शिमोगा में यात्री निवास	48.00	14.40
4.	सिरसी में यात्री निवासी	48.00	14.40
5.	गुलबर्गा में टी आर सी	22.40	6.72
6.	कुडलिगी (बेलारी) में डब्ल्यू एस ए	26.00	7.80
7.	बांकापुर क्रास (धारवाड़ जिला) में डब्ल्यू एस ए	25.00	7.50
8.	जल्की क्रास (बीजापुर) में डब्ल्यू एस ए	25.00	7.50
9.	बानेर घाटा राष्ट्रीय पार्क में डब्ल्यू एस ए	27.35	8.35
10.	मुथयालामाडू में नई पर्यटक कुटीर	44.66	13.40
11.	श्रीरंगपटना में अतिरिक्त पर्यटक कुटीरें	27.50	8.00
12.	नंदी हिल्स में अतिरिक्त आवास सुविधा	14.30	4.50
13.	जोग के मिडवे में अरसीकेरे-होन्नावर रोड में जनसुविधाएं	8.00	2.40
14.	शिवनसमुद्रा (दरगाह के पास) में जनसुविधाएं	8.00	6.40
15.	श्री रामदेवरकाटे में जनसुविधाएं	8.00	2.40
16.	बांदीपुर के पास माल्लेकामनाहल्ली में जनसुविधाएं	8.00	6.40
17.	गुलबर्गा जिले में गनिगापुरा (मंदिर के पास) में जनसुविधा	8.00	6.40
18.	हम्पी में जनसुविधाएं (4)	32.00	9.60
19.	टुमकुर-होन्नावर रोड में जनसुविधाएं	8.00	2.40
20.	बादामी (गुफाओं के पास) में जनसुविधाएं	8.00	6.40
21.	श्रीरंगपटना (गुम्बज के पास) में जनसुविधाएं	8.00	2.40
22.	होरानाडू (कालासा के पास) में जनसुविधाएं	8.00	2.40

1	2	3	4
23.	मंगलौर के पास पीलीकुला निसर्गधाम में जनसुविधाएं (2)	16.00	12.80
24.	हम्पी में जंगल लाजिस टूरिज्म रिजार्ट	49.00	14.70
25.	डोडा मकाली मंडला जिले में कावेरी फिशिंग कैंप यूनिट-II में लॉग हट्स का निर्माण	45.40	13.62
26.	चिकमंगलूर जिले में कॉमनगुंडी में पारिस्थिकीय पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	45.45	13.63
27.	मैसूर, बेलगांव में ओ बी एम की खरीद	13.62	6.80
28.	देवबाग बीच रिजार्ट में जल-क्रीड़ा उपकरणों की प्राप्ति	5.00	2.50
29.	विभिन्न बोट क्लबों के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण	8.67	3.00
30.	चित्रदुर्ग फोर्ट का प्रदीप्तिकरण/प्रकाशपुंज व्यवस्था	18.55	5.56
31.	जोग फाल्स में संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट	10.00	5.00
32.	सिद्धारूद्धा स्वामीमठ में यात्री निवास	38.27	10.40
33.	गडग/लाकुंडी में डब्ल्यू एस ए	30.00	9.00
34.	सैंके बोट क्लब में जेट्टी	5.50	1.65
35.	बानेर घाटा में स्टूडैंट नेचर कैंप का निर्माण	32.00	9.60
36.	बानेरघाटा राष्ट्रीय पार्क में पारिस्थिकीय पर्यटन रिजार्ट	48.00	14.40
37.	टीपू के समर पैलेस में गुम्बज का प्रदीप्तिकरण/प्रकाशपुंज व्यवस्था	17.23	4.97
38.	हम्पी उत्सव	2.40	2.40
39.	मैसूर दशहरा उत्सव	6.40	6.40
40.	कोयसाला उत्सव	1.00	1.00
41.	पाटाडाकल उत्सव	2.00	2.00
42.	करावली उत्सव	1.00	1.00

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4
	कर्नाटक		
1.	बेलगांव जिले के मंगसुली में यात्री निवास	56.00	16.80
2.	हजरत फाखी शाह वाली दरगाह स्थल पर यात्री निवास	56.00	16.80

1	2	3	4
3.	दत्तात्रेय पीठ स्थल पर यात्री निवास	56.00	16.80
4.	बीलीगिरि, रंगनबेट्टा में यात्री निवास	56.00	16.80
5.	कोंकर्ण में जन सुविधाएं	7.20	2.16
6.	गोलगुम्बज और इब्राहिम रोजा में जन सुविधाएं	14.40	4.32
7.	कारवार में जनसुविधाएं	7.20	2.16
8.	कोंडाजी, दावनगिरि में जन सुविधाएं	7.20	2.16
9.	बसवाना बागेवाड़ी में जनसुविधाएं (2)	14.40	4.32
10.	चित्रदुर्ग में रेस्तरां और जलपान गिरि	24.00	7.20
11.	बनवासी, सिरसी ताल्लुक में जनसुविधाएं	7.20	2.16
12.	मल्लाई मंदिर में यात्री निवास	56.00	16.80
13.	पिलकुला, निसर्गधाम में आयुर्वेदिक उपचार का प्रबंध	12.50	3.75
14.	मैसूर में पच्छी अभ्यारणय स्थित कर्णजी टैंक का विकास	9.00	3.00
15.	उड्डपी जिले में मरवंथी समुद्रतट स्थल पर प्रकाशपुंज व्यवस्था	29.54	9.00
16.	उड्डपी जिले में मालपेय समुद्रतट स्थल पर प्रकाशपुंज व्यवस्था	29.54	9.00
17.	गुलबर्ग टैंक के लिए जलक्रीड़ा उपकरण	8.00	2.40
18.	बीदर में जनसुविधाएं	7.20	2.16
19.	मांडया में पर्यटक स्वागत केन्द्र	31.92	9.58
	कुल	447.38	147.37

विद्युत वित्त निगम का कार्यनिष्पादन

3611. श्री अनंत गुढ़े : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विद्युत वित्त निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन की गहन समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत निगम द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत किए गए कुल निवेश का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के लिए आबंटित और वास्तव में जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है और 2001-02 कितना आबंटन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सरकार वार्षिक और त्रैमासिक कार्यनिष्पादन समीक्षाओं के माध्यम से पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा/मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त पीएफसी वर्ष 1993-94 से विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती रही है और समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में पीएफसी के कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग/मूल्यांकन विद्युत मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग दोनों द्वारा की गई है। समझौता ज्ञापन की तुलना में कार्यनिष्पादन होने के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग ने वर्ष 1993-94 से सभी वर्षों के लिए पीएफसी को निरंतर "उत्कृष्ट" दर्जा प्रदान किया है।

(ग) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान पीएफसी द्वारा किए गए संवितरण का स्कीम वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वचनबद्ध की गई ऋण धन राशि और संवितरित की गई धनराशि तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान वचनबद्ध की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में गत 3 वर्षों के दौरान संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	संवितरित राशि		
		1998-99	1999-2000	2000-01
क	**एमएसईबी**			
1.	थर्मल उत्पादन	192.72	205.51	-
2.	पारेषण	202.50	132.94	69.16
3.	आर एण्ड एम	6.45	23.53	37.33
4.	शंट कैपेसिटर	13.97	1.17	0.50
5.	शहरी वितरण	11.11	10.12	27.04
6.	अध्ययन कार्य/परामर्श	2.41	0.63	6.90
7.	लीस वित्त	1.07	0.63	-
	कुल	430.23	374.53	140.93
(ख)	**निजी विद्युत यूटिलिटीयां**			
1.	शहरी वितरण-बीएसईएस	47.5		

विवरण-II

एमएसईबी को गत 3 वर्ष के दौरान वचनबद्ध और संवितरित किए गए ऋण धनराशि का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वचनबद्ध की गई राशि	संवितरण
1998-1999	286.33	429.16
1999-2000	468.30	373.90
2000-2001	204.50	140.93
2001-2002	249.25	27.82*

*अप्रैल-जून, 2001 की अवधि के लिए

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

3612. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में रेलवे की आय में कई करोड़ रुपये की कमी रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हानि को पूरा करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस हानि के लिए रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेदार है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस कमी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय रेलों द्वारा अर्जित राजस्व का जोनवार ब्यौरा तथा 2000-2001 के लिए संशोधित बजट अनुमान इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

रेलवे	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक	कमी-वेशी
मध्य	5820.00	5737.15	-82.85
पूर्व	3855.00	3793.43	-61.57
उत्तर	6391.00	6301.56	-89.44
पूर्वोत्तर	1182.00	1164.14	-17.86
पूर्वोत्तर सीमा	728.00	767.90	39.90
दक्षिण	2619.00	2600.25	-18.75
दक्षिण मध्य	3592.00	3625.03	33.03
दक्षिण पूर्व	6482.00	6561.94	79.94
पश्चिम	4814.00	4701.80	-112.20
जोड़	35483.00	35253.20	-229.80

(ग) आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) वर्ष 2001-02 के लिए मात्रा छूट योजना चलाना.

(2) "स्टेशन दर स्टेशन" दरों की स्वीकृति के लिए शर्तों को उदार बनाना।

(3) बहुत ही कम वहन दूरी यातायात को आकर्षित करने के लिए मैरी-गो-राउंड संकल्पना के माध्यम से संचलित यातायात के लिए घटायी गई मुश्त दर की योजना शुरू करना।

(4) उच्च लाभ कमाने वाले पण्यों के लदान पर निगरानी रखना।

(5) परम्परागत आप्टिक फाइबर केबल को बिछाने के लिए मार्गाधिकार के उपयोग, भूमि और आकाशीय क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग, स्टेशनों और चलस्टाक पर विज्ञापनों के अधिकार जैसे राजस्व के गैर-परम्परागत स्रोतों का दोहन।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) माल आमदनी में कमी का मुख्य कारण मुख्य पण्यों यथा कोयला, लोहा एवं इस्पात, उर्वरक आदि में मांग का कम होना है।

फुटकर आमदनियों में कमी का कारण आप्टिक फाइबर केबलों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार का उपयोग, भूमि का वाणिज्यि उपयोग तथा वाणिज्यिक प्रचार प्रत्याशित स्तर तक न होना है।

[अनुवाद]

बांग्लादेश और भारत के बीच गैस पाइप लाइन

3613. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश से उत्तर भारत के लिए बरास्ता पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए मेगा गैस पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

योजना परिव्यय में वृद्धि

3614. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय परियोजना का योजना परिव्यय अत्यधिक रूप से बढ़ा दिया गया है जबकि कच्चे तेल/गैस का उत्पादन, भण्डारों का सहवर्धन आदि के लिए वास्तविक लक्ष्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कच्चे तेल/गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) के लिए आरम्भ में 20199 करोड़ रुपये का परिव्यय 9वीं योजना के लिए अनुमोदित किया गया था। प्रथम दो वर्षों के वास्तविक के आधार पर 1999-2000 में मध्यावधि पुनरीक्षण (एम टी आर) के दौरान 1999-2000 के संशोधित अनुमान, 2000-01 के बजट अनुमान और 2001-2002 के संकेतक आंकड़ों के आधार पर योजना परिव्यय के 23771 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। नौवीं योजना की तुलना में एम टी आर में वृद्धि मुख्यत: अन्वेषण के कार्यक्रम में वृद्धि के कारण हैं।

जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) का संबंध है 2961 करोड़ रुपये के 9वीं योजना के परिव्यय और वास्तविक लक्ष्य बाद में संशोधित नहीं किए गए हैं।

(ग) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन ई एल पी के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन ई एल पी के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को पी एस सीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में है और 1 असम में हैं, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के बेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

केरल में उपरिगामी पुलों का निर्माण

3615. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान शोरनपुर-मंगलौर लाइन पर कुल कितने रेल उपरिगामी पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) किन-किन स्थानों पर प्रस्तावित उपरिगामी पुल स्थित हैं;

(ग) इन पुलों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) शोरनपुर-मंगलौर लाइन पर रेल उपरिगामी पुलों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य स्थल	अनुमानित लागत	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड (कोचिन हार्बर यार्ड) खंड पर चेरावत्तूर और नीलेश्वर स्टेशनों के बीच किमी. 805/5-6 पर समपार संख्या 269 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1010	सामान्य प्रबंध आरेखण (जीएडी) सहमति के लिए 28.11.2000 को सीई/एनएच/ तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को भेज दिया गया। मूल्य बोली खोल दी गई।
2.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कन्हांगडी और नीलेश्वर स्टेशनों (पदनाक्काड) के बीच किमी. 810/1-2 पर समपार संख्या 272 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1010	सामान्य प्रबंध आरेखण (जीएडी) सहमति के लिए 28.11.2000 को सीई/एनएच/ तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को भेज दिया गया।
3.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एट्टाकोट और कन्नानू स्टेशनों के बीच किमी. 749/2-3 पर समपार संख्या 239 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1010	सामान्य प्रबंध आरेखण (जीएडी) सहमति के लिए 30.11.2000 को सीई/एनएच/ तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को भेज दिए गये। संशोधन के लिए सीई/एनएच ने 4.5.2001 को जीएडी में अनुरोध किया।
4.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एलात्तूर और क्विलांडी वेंगालम स्टेशनों के बीच किमी. 679/1-2 पर समपार संख्या 196 के बदले ऊपरी सड़क पुल	998.4	जीएडी अनुमोदित. सीएओ/सी द्वारा 11.1.2001 को अनुमान सहमति ठेका दे दिया गया। फाउंडेशन आरेख संवीक्षाधीन।
5.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर वेस्टहिल और एलात्तूर स्टेशनों के बीच किमी. 673/8-9 पर समपार संख्या 192 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1161.92	कार्य सड़क और इमारत विकास निगम, केरल (आरबीडीसीके) को सौंप दिया गया। जीएडी अनुमोदित. 12.1.2001 को जीएम/मद्रास द्वारा अनुमान स्वीकृत ठेका दे दिया गया/ 24.4.2001 को फाउंडेशन आरेखण अनुमोदित और जारी।
6.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कालीकट और वेस्टहिल्स स्टेशनों के बीच किमी. 666/11-12 पर समपार संख्या 186 के बदले ऊपरी सड़क पुल	16.94	आरबीडीसीके द्वारा जीएडी पर सहमति। अनुमान लेखा के विधीक्षाधीन। ठेका दे दिया गया। फाउंडेशन आरेख संवीक्षाधीन।
7.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एट्टाकोट और कन्नानूर स्टेशनों के बीच किमी. 743/3-4 पर समपार संख्या 238 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1010	सामान्य प्रबंध आरेखण (जीएडी) सहमति के लिए 30.11.2000 को सीई/एनएच/ तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को भेज दिया गया। सीई/एनएच ने 4.5.2001 को जीएडी में संशोधन का अनुरोध किया।

1	2	3	4
8.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एट्टाकोट और कन्नानूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 695/12-13 पर समपार संख्या 206 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1219.74	जीएडी पर 30.12.2000 को सहमति। 22.1.2001 को जीएम/मद्रास द्वारा अनुमान स्वीकृत। ठेका दे दिया गया।
9.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एलात्तूर और क्विलांडी स्टेशनों के बीच किमी. 686/1-2 पर समपार संख्या 199 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1212.64	जीएडी पर 30.12.2000 को सहमति। 19.1.2001 को जीएम/मद्रास द्वारा अनुमान स्वीकृत। ठेका दे दिया गया।
10.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर धर्मादम और एट्टाकोट (मुज्जूपल्लीयांगडी) स्टेशनों के बीच किमी. 738/7-8 पर समपार संख्या 232 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1251.41	जीएडी पर 30.12.2000 को सहमति। 19.1.2001 को जीएम/मद्रास द्वारा अनुमान स्वीकृत।
11.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर किमी. 732/9-10 पर समपार संख्या 229 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1071.58	केरल सरकार ने निर्माण कार्यक्रम से इस कार्य को हटाने का अनुरोध किया है।
12.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर फेरोक और कल्लाई स्टेशनों के बीच किमी. 660/4-5 पर समपार संख्या 177 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1071.58	आरबीडीसीके द्वारा जीएडी पर सहमति। अनुमान 26.7.2001 को विधीक्षा के लिए लेखा को भेजा गया। उपसंरचना अभिकल्प और आरेखण संवीक्षाधीन। अनुमान लेखे के विधीक्षाधीन। ठेका दे दिया गया।
13.	शोरूवण्णर-मंगलोर खंड पर किमी. 626/10-11 पर समपार संख्या 171 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1071.58	आरबीडीसीके द्वारा जीएडी पर सहमति। अनुमान 26.7.2001 को विधीक्षा के लिए लेखा को भेजा गया। ठेका दे दिया गया।
14.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर समपार संख्या 271 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1071.58	25.4.2001 को एमडी/आरबीडीसी के द्वारा जीएडी पर सहमति। अनुमान 18.7.2001 को विधीक्षा के लिए लेखा को भेजा गया।
15.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर किमी. 639/14-15 पर समपार संख्या 174 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1130.2	सीई/राजमार्ग से स्थल योजना और एल एस की प्रतीक्षा।

नौवीं योजना में गैस के उत्पादन की वृद्धि दर

3616. श्री मंजय लाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में गैस के उत्पादन के संबंध में कमी को रोकने और लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण नीति के तहत औद्योगिक उपयोग हेतु सी एन जी के आबंटनार्थ कोई उदारीकृत नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने

के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्तेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन ई एल पी के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन ई एल पी के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को पी एस सीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में हैं और 1 असम में हैं, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमवर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(ग) और (घ) प्राकृतिक गैस का आबंटन विभिन्न उपभोक्ताओं को किया जाता है जिनमें बिजली, रसायन, उर्वरक और इस्पात क्षेत्र, और गैस के उपलब्ध होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अन्तरमंत्रालयीन समिति, गैस लिंकेज समिति (जी एल सी) की सिफारिश पर स्वचालित वाहनों में उपयोग के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) के रूप में आपूर्ति के लिए आबंटन भी शामिल है।

[हिन्दी]

निविदाओं का दिया जाना

3617. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निविदा देने की प्रक्रिया के दौरान निविदा की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। निविदा समिति द्वारा स्वीकार्य समझी जाने वाली कतिपय धाराओं में मामूली विचलनों को (निविदा प्रदान करने की प्रक्रिया को रद्द किए बिना) तथा जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, को भी संविदाओं में शामिल कर लिया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार के अवसरों का सृजन

3618. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में राजभाषा प्रभाग ने हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग हेतु कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्मिक शोध को कम करने और बदलने के रूप में देखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो निष्क्रिय कार्मिकों को रोजगार प्रदान करने और भविष्य में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु किन उपायों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे आपरेशनों में कार्मिकों के बजाय कम्प्यूटरों के बड़े पैमाने पर उपयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) राजभाषा प्रभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े होने के कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार रेल मंत्रालय ने भी रेल कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए कंप्यूटरीकरण किया है, लेकिन इससे हिन्दी संगठन में पदों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटरों के बदले कर्मचारियों की संख्या कम करने की धारणा कभी भी नहीं रही है। हिंदी संगठन में कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।

(ङ) हिन्दी संगठन में रिक्त पदों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

(1) रेल मंत्रालय

पदनाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	टिप्पणी
निदेशक राजभाषा (वेतनमान: रु. 14,300-18,300)	1	-	-
संयुक्त निदेशक राजभाषा (वेतनमान: रु. 12,000-16,500)	1*	-	-
उप निदेशक राजभाषा (वेतनमान: रु. 10,000-15,200)	5	-	-
सहायक हिंदी अधिकारी वेतनमान: रु. 6,500-10,500+300 रु. विशेष वेतन	3	-	-
संपर्क अधिकारी वेतनमान: रु. 6,500-10,500+300 रु. विशेष वेतन	1	-	-
अनुभाग अधिकारी (वेतनमान: रु. 6,500-10,500)	7	-	-
हिंदी सहायक ग्रेड-1 (वेतनमान: रु. 5,500-9,000)	12	-	-
हिंदी सहायक ग्रेड-2 (वेतनमान: रु. 5,000-8,000)	26	-	-
हिंदी आशुलिपिक ग्रेड 'डी' (वेतनमान: रु. 4,000-6,000)	6	-	-
अवर श्रेणी लिपिक (वेतनमान: रु. 3,050-4,590)	13	1	-

*डाउनग्रेड करके उपनिदेशक के रूप में परिचालित किया जा रहा है।

(2) क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन कारखाने एवं अधीनस्थ कार्यालय आदि:

पदनाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	टिप्पणी
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी (वेतनमान: रु. 12,000-16,500)	5	-	-
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (वेतनमान: रु. 10,000-15,200)	34	21	ये पद तदर्थ आधार पर भरे गए हैं। इन्हें नियमित आधार पर भरने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।
राजभाषा अधिकारी (वेतनमान: रु. 7,450-11,500)	65	06	इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।
राजभाषा अधीक्षक (वेतनमान: रु. 6,500-10,500)	116	04	
राजभाषा सहायक ग्रेड-I (वेतनमान: रु. 5,000-8,000)	176	15	
हिंदी सहायक ग्रेड-II (वेतनमान: रु. 4,500-7,000)	542	120	राजभाषा सहायक ग्रेड-II का पद हिंदी संवर्ग का फीडर पद है। उच्चतर ग्रेड में किसी भी पदोन्नति के कारण राजभाषा ग्रेड-II में, जो कि निम्नवत ग्रेड है, रिक्ति हो जाती है। राजभाषा ग्रेड-II, के पद रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा एवं विभागीय चयन द्वारा भरे जाते हैं। 96 पदों के लिए इंडेट संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों को भेजा जा चुका है। इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है और इनमें से 21 पदों के लिए पैनल पहले ही प्राप्त हो चुका है। शेष 24 पदों को विभागीय चयन से भरने की प्रक्रिया चल रही है।
हिंदी आशुलिपिक ग्रेड 'घ' (वेतनमान: रु. 4,000-6,000)	56	05	इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।
अवर श्रेणी लिपिक (वेतनमान: रु. 3,050-4,590)	256	27	

[अनुवाद]

पानीपत तेलशोधक कारखाने हेतु कच्चे तेल का आयात

3619. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री मंजय लाल:
श्री अरुण कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम निमिटेड ने दिसम्बर, 1997 के दौरान पानीपत के अपने तेलशोधक कारखाने हेतु अधिक मूल्य पर कच्चे तेल का आयात किया था जिससे 97.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे घाटों के संबंध में क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घाटों पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) दिसम्बर, 1997 में पानीपत रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल का आयात, इस प्रत्याशा से कि पानीपत रिफाइनरी फरवरी, 1998 में आरम्भ हो जाएगी, तत्समय के प्रचलित मूल्य पर तथा क्रूड प्रापण से संबंधित मानक प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। मौसमी बेमेल, तेलहा जल-निर्यास प्रणाली के अंतर्गत समस्या, इत्यादि, जैसी कुछेक अप्रत्याशित समस्याओं, जो इस रिफाइनरी के शुरूआत पूर्व क्रियाकलापों के समय उत्पन्न हो गई थी, के कारण इस इकाई के चालू होने में विलंब हो गया तथा प्रथम परीक्षण प्रचालन फरवरी, 1998 के पूर्व अनुमान के बजाए मई, 1998 में किया जा सका। इस प्रकार, हानि ऐसे अप्रत्याशित कारकों से हुई जिनके कारण इकाई आरम्भ होने की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल की खोज

3620. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितने खुदाई/खोज कार्य किए गए;

(ख) कितने कुंओं में तेल पाया गया;

(ग) गैर-सरकारी बोलीदाताओं को कितने कुएं आबंटित किए गए; और

(घ) गैर-सरकारी खोजकर्ताओं द्वारा कितने कुंओं की खुदाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने विगत तीन वर्षों के दौरान 419 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है जिनमें से 151 कूप तेलयुक्त थे।

(ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत ब्लाकों समेत कुल 47 अन्वेषण ब्लाकों तथा 27 खोजे गए क्षेत्रों के लिए निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यम (जे वी) परिसंघों को ठेके दिए गए हैं।

(घ) उपरोक्त ब्लाकों/क्षेत्रों के अंतर्गत निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यम परिसंघों ने मार्च, 2001 तक 35 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में आमान परिवर्तन

3621. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी मीटर लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदले जाने का लक्ष्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) बजट 2001-02 में शामिल और राजस्थान राज्य में पूर्णत:/आंशिक तौर से शुरू किए गए आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों और वर्ष 2001-2002 के लिए परिव्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

परियोजना	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपये में)	परिव्यय 2001-02 (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
भिलड़ी-समदड़ी	223	244.90	5.00
लूनी-बाड़मेर--मुनाबाव	297	283.90	25.4
लूनी-जोधपुर	28	58.10	0.55
लूनी-मारबाड़	72	60.67	0.05
श्रीगंगानगर-स्वरूपसर	116	68.72	0.10

1	2	3	4
हिसार-सादुलपुर सहित रेवाड़ी-सादुलपुर	211	282.76	2.00
फुलेरा-जोधपुर-पीपाड़ रोड़-बिलाड़ा	41	21.46	0.10
फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	572	632.35	13.50
उदयपुर-उमरा सहित अजमेर-चितौड़गढ़- उदयपुर	311	294.69	15.00
अगरा फोर्ट-बांदीकुई	152	178.03	10.00
	जोड़	2125.58	71.7

(ग) दसवीं योजना दस्तावेजों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

बकाया धनराशि का निपटान

3622. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों पर अपनी बकाया धनराशि को एकबारगी माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों पर कुल कितनी धनराशि और कितना अधिभार बकाया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की निगरानी करती है; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों को अपने समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) रा.वि.बोर्डों की बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए विशेषज्ञ दल ने 50% अधिभार की छूट देने की सिफारिश की बशर्तें कि अन्य शर्तों को पूरा किया जाए। विशेषज्ञ दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त दल जिसमें वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, विद्युत मंत्री एवं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 26.6.2001 एवं 6.7.2001 को बैठक हुई। अधिकार प्राप्त दल ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का सामान्य संशोधनों के साथ अनुसमर्थन किया। अब छूट प्राप्त अधिभार विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तावित 50% के बदले में 60% होगा। हाल ही में विद्युत मंत्री ने राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर देय राशि के एक मुश्त भुगतान के संबंध में की गयी सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। 31 मार्च, 2001 तक की बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मामलों समेत राज्य विद्युत बोर्डों की कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के साथ अनेक सम्मेलन आयोजित किया है।

3.3.2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह माना गया कि प्रबंधन की वास्तविक समस्या एवं विद्युत क्षेत्र की चुनौती वितरण क्षेत्र में है, और सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि:

(1) सभी 11 के.वी. फीडरों पर लेखा परीक्षा 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय सतर पर जिम्मेवारी नियत की जाएगी।

(2) इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का प्रचालन किया।

(3) उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

(4) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग पूरी करने का लक्ष्य बनाया जाएगा। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

(5) विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में एपीडीपी के जरिए सुधार किया जाएगा।

(6) निम्नलिखित में से किसी एक या सभी के माध्यम से 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।

- पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन
- पंचायतें/स्थानीय निकायों/मतदाताओं/उपभोक्ता संघों, को, जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय वितरण हस्तांतरित करना
- वितरण का निजीकरण
- या अन्य कोई साधन

(7) विद्युत क्षेत्र में वितरण क्षेत्र के संबंध में निजी निवेश आमंत्रित करने में राज्यों के प्रयासों पर जोर प्रदान करने की आवश्यकता है।

(8) वितरण में चालू प्रचालन के दो वर्षों के भीतर न लाभ-न हानि की स्थिति पर पहुंचने की आवश्यकता है और उसके बाद सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार राज्यों के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर रही है लेकिन तभी जब राज्य पारेषण तथा वितरण हानियों को रोकने, चोरी के उन्मूलन, बिलिंग व राजस्व संग्रह में सुधार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना आदि के लिए प्रतिबद्ध हों। भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के जरिए वित्तीय सहायता और केन्द्रीय पूल के अनावंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत आदि का आबंटन करती है। अब तक 16 राज्यों ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत निगम को भुगतान हेतु बकाया देयताएं (मूल एवं अधिभार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एनटीपीसी			एनचपीसी			पीजीसीआईएल			नीपको		
		मूल	ब्याज	जोड़	मूल	ब्याज	जोड़	मूल	ब्याज	जोड़	मूल	ब्याज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-22.73	43.37	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.12	0.57	0.69	7.00	1.50	8.50	14.88	2.29	17.17
3.	असम	33.55	19.23	52.78	0.23	0.01	0.24	168.00	35.00	203.00	509.73	193.10	702.83
4.	बिहार	1830.89	1285.36	3116.25	10.78	25.07	35.85	152.00	42.00	194.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	-3.86	227.78	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
7.	एचवीपीएनएल (एचएसइबी)	68.63	275.06	343.69	127.69	551.36	679.05	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	22.50	15.25	37.75	39.25	32.60	71.85	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	33.78	0.00	33.78	533.83	303.63	837.46	120.00	37.00	157.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	180.31	92.80	273.11	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	21.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	455.04	75.45	530.49	0.00	0.00	0.00	11.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1058.32	368.38	1426.70	0.00	0.00	0.00	57.00	10.00	67.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	421.48	230.61	652.09	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	14.14	6.68	20.82	41.00	9.00	50.00	105.14	24.30	129.44
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.16	1.31	1.47	10.00	1.00	11.00	11.71	1.26	12.97
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	4.01	1.04	5.05	5.00	0.00	5.00	31.38	5.43	36.81
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	5.10	2.51	7.61	17.00	5.00	22.00	46.62	14.22	60.84
18.	उड़ीसा(ग्रिडको)	410.71	143.25	553.96	6.73	11.75	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	77.73	19.88	97.61	125.09	172.52	297.61	0.50	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	291.58	115.25	406.83	61.34	8.65	69.99	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	25.47	11.79	37.26	1.99	0.26	2.25	9.00	4.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	306.60	145.53	452.13	0.00	0.00	0.00	0.70	0.0	0.70	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.92	1.15	3.07	10.00	0.00	10.00	40.36	5.65	46.01
24.	उत्तर प्रदेश	2041.34	690.35	2731.69	441.20	258.32	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उब्ल्यूबीएएसईबी	836.73	620.56	1457.29	9.53	8.58	18.12	53.00	22.00	75.00	0.00	0.00	0.00
26.	डीवीबी (डेसू)	1445.84	1463.76	2909.60	241.64	268.29	509.93	105.00	52.00	157.00	0.00	0.00	0.00
27.	डीवीसी	268.89	399.49	668.38	0.00	0.00	0.00	0.10	4.00	4.10	0.00	0.00	0.00
28.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़ (यूटी)	-0.71	0.00	-0.71	6.20	5.32	11.52	0.50	0.500	0.50	0.00	0.00	0.00
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.92	7.75	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	-1.02	1.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	21.52	13.29	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
33.	कोओपरेटिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकार	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावर ग्रिड	0.44	3.12	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य (पवन)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	निजी (जेपीएचपीसीएल)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	रेलवे	0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	एमईए (नेपाल को विद्युत)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.	छत्तीसगढ़ (सीएसईबी)	-2.23	0.00	-2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	9800.65	6262.84	16063.49	1631.87	1667.37	3299.25	812.90	253.70	1066.60	759.82	246.25	1006.07

31 मार्च, 2001 तक

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य	पीएपसी			डीबीसी			आरईसी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.84	0.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.03	3.87
3.	असम	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	56.64	118.77	175.41
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	889.12	1084.24	1973.36	141.32	303.17	444.49
5.	गुजरात	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
7.	एचवीपीएनएल (एचएसइबी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
8.	हिमाचल प्रदेश	$$0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.06
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	3.74
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	*14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	805.98	600.48	1406.46
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.33	3.17
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	19.71	31.42
16.	मिजोरम	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.0	2.72	2.66	5.38
17.	नागालैंड	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
18.	उड़ीसा(ग्रिडको)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	4.15	11.84
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	1.01	1.04
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.59	0.61
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.62	452.49	860.11
25.	डब्ल्यूबीएसईबी	0.00	0.00	0.00	404.19	408.31	812.50	157.47	361.32	518.79
26.	डीवीबी (डेसू)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	डीवीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़ (यूटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	कोओपरेटिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91	22.32	37.23
34.	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.07	0.34
35.	पावर ग्रिड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य (पवन)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	8.00	4.80	12.80
37.	निजी (जेपीएचपीसीएल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	रेलवे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	एमईए (नेपाल को विद्युत)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.	छत्तीसगढ़ (सीएसईबी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड	17.36	0.00	17.36	1295.31	1492.55	2787.86	1626.18	1893.91	3520.09

* महेश्वर के 14.23 करोड़ रुपये सहित

$$एचपीजीसीएल के 0.43 करोड़ रुपये सहित

(अधिभार सहित)

(करोड़ रुपये)

पीएसयू का नाम	मूल	अधिभार	जोड़
एनटीपीसी	9800.65	6262.84	16063.49
एनएचपीसी	1631.87	1667.37	3299.24
पीजीसीआईएल	812.90	253.70	1066.60
नीपको	759.82	246.25	1066.07
पीएफसी	17.36	0.00	17.36
डीवीसी	1295.31	1492.55	2787.86
आरईसी	1626.18	1893.91	3520.09
जोड़	15944.09	11816.62	27760.71

31.3. 2001 तक

[हिन्दी]

अहमदाबाद राजमार्ग पर उपरिगामी पुल का निर्माण

3623. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मेघनगर रेलवे स्टेशन के निकट अहमदाबाद राजमार्ग पर उपरिगामी पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार समपार पर उपरिगामी पुल के निर्माण हेतु कब तक अपनी स्वीकृति देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊपर सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ऑप्टिक फाइबर केबिल बिछाना

3624. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलटेल निगम ने दस हजार किमी ऑप्टिक फाइबर केबिल नेटवर्क बिछाने हेतु परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा और लागत क्या है; और

(ग) रेलवे नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं द्वारा किन सुविधाओं और फायदों के प्राप्त किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। रेल मंत्रालय ने 62,800 मार्ग कि.मी. रेलपथ के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर रेलवे के मार्गाधिकार का उपयोग करते हुए एक पेशेवर प्रबंधन निगम के जरिए एक राष्ट्रव्यापी ब्राडबैंड दूरसंचार एवं मल्टी मीडिया नेटवर्क बनाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रेलटेल निगम बनाया जा चुका है। यह निगम विभिन्न चरणों में आप्टिकल फाइबर केबुल बिछाएगी। पहले चरण में 10,000 मार्ग कि.मी. में बिछाया जाएगा जिसके तहत दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता चार महानगर जुड़ जाएंगे।

(ग) इस उद्यम से रेलवे की दूरसंचार प्रणाली का तीव्रता से आधुनिकीकरण होगा जिससे न केवल रेलवे की परिचालनिक कुशलता में सुधार आएगा, अपितु रेल यात्रियों एवं गाड़ियों की संरक्षा भी बेहतर होगी।

[हिन्दी]

भागलपुर-मंदार हिल-दुमका रेल लाइन का निर्माण

3625. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंदार हिल के रास्ते भागलपुर को दुमका से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीरपैंती के रास्ते राजमहल परियोजना लाल मटिया कोलफील्ड से फरक्का तक रेलवे लाइन है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोड्डा के रास्ते बौसी रेलवे स्टेशन से दुमका तक रेलवे लाइन बिछाने और इसे प्रस्तावित रेलवे लाइन के साथ जोड़ने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। भागलपुर-मंदारहिल पहले से ही मौजूद बड़ी रेल लाइन है। दुमका के रास्ते मंदारहिल से रामपुरहाट तक नई बड़ी लाइन का कार्य अनुमोदित कार्य है और प्रगति पर है। इस लाइन के पूरा होने पर भागलपुर, दुमका से जुड़ जाएगा।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) संसाधनों की तंगी।

रेल इंजनों की कमी

3626. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी रेलवे समेत सभी रेलवे जोनों द्वारा रेल इंजनों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेल इंजनों के निर्माण हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं, उत्तर रेलवे सहित रेलवे जोनों पर इंजनों की कोई कमी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव खाद्य सामग्री

3627. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव खाद्य सामग्री और बीजों का उपयोग करने में अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो बरती जाने वाली अपेक्षित सावधानियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सावधानियों के बारे में कृषि उत्पादकों को सावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य स्तर पर किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ङ) इसके तहत अब तक कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सभी आनुवंशकीय संशोधित खाद्य एवं बीजों का भारतीय पर्यावरण में प्रवेश से पूर्व भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली, 1989 के अंतर्गत प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है। ऐसा प्राधिकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) द्वारा मानव और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा सहित ऐसी सामग्रियों के प्रयोग से सुरक्षा के सन्तोषजनक मूल्यांकन करने के पश्चात् किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने आनुवांशिक रूप से निर्मित खाद्य तथा बीजों को देश में वाणिज्यिक तौर पर जारी करने की मंजूरी अभी नहीं दी है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार आनुवंशकीय संशोधित खाद्य एवं बीजों के प्रयोग की उपयोगिता और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में तथ्यात्मक सूचना का प्रचार करने के लिए विभिन्न व्यवसायों वाले भागीदारों को शामिल करते हुए परिचर्चाएं एवं कार्यशालाएं आयोजित करती है।

[अनुवाद]

समुद्र तटवर्ती मार्गों का अध्ययन

3628. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय ने देश में तटवर्ती मार्गों के अध्ययन की निगरानी हेतु संचालन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निगरानी समिति के गठन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पत्तनों आदि में आधारभूत संचरना के विकास के लिए तटीय रूटों, वापसी कार्गों सहित कार्गो की उपलब्धता, विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावित अध्ययन जिसमें व्यावहारिकता के अनुसार तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन को सम्मिलित करना भी शामिल है, पर निगरानी रखने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री

3629. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 2001 के 'हिंदुस्तान' के पटना संस्करण में 'आरक्षित कोच में जबरन चढ़ रहे हैं लोग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। 21.7.2001 को पटना से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) अधिकांशत: कम दूरी/स्थानीय यात्रियों द्वारा अप्राधिकृत यात्रा करने के कुछ मामले सामने आए हैं। आरक्षित डिब्बों में टिकट जांच कर्मचारियों को तैनात करने के अलावा, अप्राधिकृत यात्रियों के आरक्षित कम्पार्टमेंट में प्रवेश को रोकने के लिए रेलवे द्वारा पुलिस के साथ मिलकर गहन अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

सिलिंडरों पर प्रतिभूति राशि

3630. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) एल पी जी सिलिंडर पर प्रतिभूति राशि के रूप में 1963 में कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) विनिर्माताओं द्वारा वर्ष-वार और धनराशि-वार इसमें कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति सिलिंडर रख-रखाव प्रभार और प्रतिभूति राशि को स्पष्ट करने का है;

(घ) क्या सिलिंडर पर प्रतिभूमि राशि को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.63 से पहले एल पी जी सिलेन्डरों और प्रेशर रेगूलेटर के लिए संयुक्त प्रतिभूति राशि 25 रुपये थी। इसके बाद प्रतिभूति राशि में निम्नानुसार संशोधन किया गया:-

अवधि	प्रतिभूति राशि रुपये	
	सिलेन्डर	प्रेशर रेगूलेटर
1	2	3
01.04.63 से 08.01.70	40	10
09.01.70 से 15.02.70	60	10
16.02.70 से 15.07.74	90	10
16.07.74 से 01.04.78	175	20
02.04.78 से 30.04.82	250	30
01.05.82 से 15.07.83	300	50
16.07.83 से 11.08.95	450	50
12.08.95 से आज तक	900	100

30.04.1982 तक लागू उपर्युक्त दरें उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी लागू थीं। इसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सिलेन्डरों के लिए 250 रुपये और प्रेशर रेगुलेटर के लिए 30 रुपये की प्रतिभूति राशि 11.8.95 तक लागू थी और 12.8.1995 से सिलेन्डरों और प्रेशर रेगुलेटरों के लिए क्रमश: 500 रुपये और 50 रुपये की दरें प्रचलन में हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कम्पोजिट मिलों का पुनरूद्धार

3631. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि 121 कम्पोजिट मिलें बंद हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है और अनेक कामगार भी बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरूद्धार हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी, हां। तथापि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान, सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र की सात (7) मिश्रित मिलें जिनमें 5500 कामगार कार्यरत थे, बंद की गई थी। 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान, वस्त्र निर्यात में क्रमश: 13.3 प्रतिशत व 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) स्थायी रूप से अथवा आंशिक रूप से बंद हुई वस्त्र मिलों के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा वस्त्र कामगार पुनरुद्धार निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) तैयार की गयी है। इस योजना के तहत, योजना के प्रावधानों के अनुसार, बंद हुई वस्त्र मिलों के पात्र कामगारों को तीन वर्षों की अवधि के लिए टैपरिंग आधार पर अंतरिम सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को लागू किया गया है और रुग्ण तथा संभावित रुग्ण कंपनियों की यथासमय पड़ताल के मद्देनजर एवं बचाव संबंधी सुधारात्मक एवं विचारात्मक उपाय, जो इस प्रकार के कंपनियों के संबंध में किये जाने आवश्यक हैं, तो तीव्रता से सुनिश्चित करने के लिए बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की गयी। बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं में विभिन्न प्रकार के उपाय शामिल हैं, जैसे पूंजी की पुनर्संरचना, प्रयोक्ताओं द्वारा नयी निधियों को प्रवेश दिलाना, अन्य कंपनियों के साथ विलय द्वारा प्रबंधन में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी के लिए प्रावधान तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा आवधिक ऋण।

भूकंपरोधी भवनों का निर्माण

3632. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री रामदास आठवले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में सभी संरचनाओं और भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी विनिर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विशिष्ट तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने मौजूदा संरचनाओं और भवनों की भूकंप से रक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। संहिता और नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार ढांचे और भवनों का निर्माण किया जाता है। संहिता और नियमावलियों में भूकम्प के झटकों के संबंध में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) निर्माण के वक्त ढांचों का डिजाइन पहले ही संहिताओं और नियमावलियों में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बहुत पुराने भवन भी समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

तेल खोजी उपस्करों का आयात

3633. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल खोज उपस्करों का आयात शून्य शुल्क पर आयात किए जाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन तेल खोजी उपस्करों का ब्यौरा क्या है जिनका आयात तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा शून्य शुल्क पर किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत होने की आशा है;

(ग) क्या तेल की खोज का कार्य करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस निर्णय से लाभान्वित होंगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में तेल के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे उपस्करों, जिनका आयात शुल्क मुक्त किया जा सकता है, का उल्लेख दिनांक 1 मार्च, 2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 17/2001-सीमा शुल्क (क्रम संख्या 247,249,250) की सूची 19 के अंतर्गत है। कंपनियों के लिए बचत की सीमा आयातित वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती है।

(ग) जी, हां।

(घ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए शुल्क मुक्त उपस्कर का आयात, ऐसे अन्वेषण एवं उत्पादन क्रियाकलापों, जो अन्ततोगत्वा बर्द्धित तेल एवं गैस उत्पादन में परिणामित होंगे, को तेज करने के लिए निवेशकों को उपलब्ध कराई गई राजकोषीय रियायत है और यह विभिन्न कंपनियों द्वारा अन्वेषण क्रियाकलापों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

महानदी द्रोणी में तेल का पता लगाया जाना

3634. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी द्रोणी में तेल की खोज का कार्य बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महानदी द्रोणी में तेल की खोज के कार्य पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है;

(घ) क्या किसी विदेशी कंपनी ने वहां तेल की खोज का कार्य जारी रखने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) एक विदेशी कंपनी नामत: मैसर्स नाईको रिसोर्सीज लि. कनाडा ने एक भारतीय कंपनी मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) के साथ परिसंघ बनाकर महानदी के गहरे पानी वाले अपतट क्षेत्र में पड़ने वाले एक ब्लाक नामत: एम एन-डी डब्ल्यू एन-98/2 के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन का संरेखण

3635. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित चंडीगढ़-लुधियाना रेल लिंक के एक भाग को वृत्ताकार संरेखण किए जाने के बारे में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के फदा/झुमरू के लोगों के असंतोष की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के उक्त आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेल लाइन को रोकने और उक्त खंड में रेल लाइन की सीधी व्यवस्था करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) झुमरू-फेदा गांव में चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन के संरेखण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। झुमरू और फेदा गांव संरेखण पर कि.मी. 7 से 8 के बीच पड़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ क्षेत्र में रेल संरेखण मास्टर प्लान में पहले से ही निर्धारित गलियारे के माध्यम से कि.मी. 6.8 तक निर्धारित किया हुआ है। गलियारे के दोनों ओर का क्षेत्र पूरी तरह निर्मित है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत संरेखण में परिवर्तन व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना

3636. श्री रामदास आठवले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में बिजली की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और दूसरी वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु सरकार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस ग्रिड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (च) वर्तमान में भारतीय विद्युत प्रणाली पांच क्षेत्रीय ग्रिडों

में विभाजित है एवं प्रत्येक क्षेत्र के भीतर सुदृढ़ अंत:संयोजन तथा सुविकसित क्षेत्रीय ग्रिड क्रियाशील है। पूरे देश में विद्युत उत्पादन का लाभ पहुंचाने और विद्युत आधिक्य वाले क्षेत्रों से विद्युत अभाव वाले क्षेत्र में विद्युत के अंतरण हेतु क्षेत्रों के अंत:संयोजन की योजना बनायी गयी है।

केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी के रूप में पावरग्रिड अंत:राज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए ऊर्जा के पारेषण तथा सभी केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत की प्राप्ति कर संघटक राज्यों को आवंटित विद्युत उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार है। पावरग्रिड ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया है और 1997-98 एवं 1998-99 में 10 उत्कृष्ट पीएसयू में स्थान प्राप्त कर प्रधानमंत्री का समझौता ज्ञापन पुरस्कार प्राप्त किया है।

पावरग्रिड ने पहले ही सभी क्षेत्रों को एचवीडीसी केन्द्रों/ बाइपोल एवं 765 के.वी. एसी रिंग के जरिए एकीकृत करने की योजना तैयार की है जिससे कि क्षेत्रों के मध्य बिना किसी बाधा के विद्युत का अंतरण हो सके। पश्चिमी एवं उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी तथा पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों के बीच एचवीडीसी अंत:क्षेत्रीय लिंग पहले से मौजूद हैं तथा पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच एचवीडीसी लिंक निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड के और अधिक सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च क्षमता वाले लम्बे एचवीडीसी लिंक तथा ए.सी. लिंक को वृहद् परियोजनाओं के साथ-साथ लागू करने की योजना है। इन अंत:संयोजनों के फलस्वरूप कुल अंत:क्षेत्रीय विद्युत विनिमय क्षमता बढ़कर 2006-07 तक लगभग 23.400 मेगावाट हो जाएगी। अंतिम चरण में बड़े उत्पादन स्रोतों से विद्युत की निकासी हेतु एक सुदृढ़ तुल्यकालिक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने की योजना है इसमें घाटी क्षेत्र में उच्च क्षमता पारेषण कोरीडोर के विकास तथा 765 के.वी. वाले लाईन की स्थापना शामिल होगी, जो पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों को अंत:संयोजित करेगा। प्रस्तावित अंतिम राष्ट्रीय ग्रिड की अंत-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2012 तक बढ़कर लगभग 30,000 मेगावाट हो जाएगी।

पावरग्रिड ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन समेत वर्ष 2012 तक 30,000 मेगावाट विद्युत के अंतरण में सक्षम राष्ट्रीय ग्रिड के विकास हेतु लगभग 80,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनायी है। इस वृहद् निवेश योजना को पूरा करने के लिए पावरग्रिड बाजार तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एवं विश्व बैंक से समय-समय पर ऋण प्राप्त कर रहा है। एडीबी ने हाल ही में पावरग्रिड को इसके ग्रिड के सुदृढ़ीकरण, अंत:क्षेत्रीय एवं उत्पादन से जुड़ी पारेषण परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष ऋण मंजूर किया है। यह ऋण 10 जनवरी, 2001 से प्रभावी है। अपनी विभिन्न पारेषण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक से 450 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण प्राप्त करने हेतु पावरग्रिड ने 13 जून, 2001 को विश्व बैंक के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन का निर्माण

3637. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2001-2002 के रेल बजट में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले लंबे रेल मार्ग वाले राज्यों के लिए नई रेल लाइन के निर्माण हेतु आवंटन के अधिकतर भाग को अन्यत्र प्रयुक्त किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में नए रेल लाइन के निर्माण हेतु विशिष्ट नीति है; और

(घ) राष्ट्रीय औसत से कम प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लंबे रेल मार्ग वाले राज्यों को चालू राष्ट्रीय औसत के निकट लाने के लिए कम से कम गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को लाने के लिए क्या विशेष कार्यक्रम बनाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) रेल अवसंरचना का विकास राज्य-वार नहीं किया जाता है। परिचालनिक आवश्यकताओं, सामरिक कारणों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के विकास और सामाजिक-आर्थिक आधार पर नई लाइन संबंधी कार्य शुरू किए जा रहे हैं। लाइनों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निधियां आबंटित की जा रही हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की अधिष्ठापन क्षमता

3638. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अपारंपरिक ऊर्जा की अधिष्ठापन क्षमता का मौजूदा प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ाने और उत्पादन में 10,000 मेगावाट की वृद्धि किए जाने हेतु हाल में कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितने धन की आवश्यकता हैं; और

(घ) इससे देश में बिजली की मांग को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) देश में कुल स्थापित क्षमता में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की वर्तमान हिस्सेदारी लगभग 3% है

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है जिसमें वर्ष 2012 तक स्थापित क्षमता में अपारंपरिक ऊर्जा के लिए 10% हिस्सेदारी या 10,000 मेवा. की परिकल्पना की गई है। इस नीति विवरण के मसौदे को आगे अनुमति प्राप्ति के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। इस नीति विवरण पर अनुमोदन मिल जाने के बाद निधियों की आवश्यकता सहित एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी।

(घ) यह नीति विवरण ग्रिड विद्युत को बढ़ाने के लिए तथा देश के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के योगदान को बढ़ाना चाहती है।

[हिन्दी]

डी.वी.सी. के लिए झारखंड से प्राप्त प्रस्ताव

3639. प्रो. दुखा भगत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी विद्युत निगम का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या झारखंड सरकार ने उक्त निगम के मुख्यालय को स्थानान्तरित करके झारखंड में स्थापित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। दामोदार वेली कारपोरेशन (डीवीसी) का मुख्यालय इसके अस्तित्व में आने से ही कोलकत्ता में अवस्थित है।

(ग) से (ङ) डीवीसी के मुख्यालय को रांची में स्थानांतरित करने के लिए झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है क्योंकि डीवीसी के प्रचालन का अधिकतर क्षेत्र झारखंड राज्य में पड़ता है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि एक भागीदार राज्य है, विचार प्राप्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

सस्ते एल पी जी कनैक्शन

3640. श्री विजय गोयल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसाधारण को रसोई गैस के सस्ते कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव से उपभोक्ता को कितना लाभ पहुंचाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को और क्या लाभ उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रंगिया-जोराई रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3641. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम में रंगिया-जोराई मीटर लाइन का आमान परिवर्तन करके उसे बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए लम्बे समय से चली आ रही मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, जोराई-न्यू बोंगाइगांव के आमान परिवर्तन के कार्य को न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाइगांव के आमान परिवर्तन के भाग के रूप में शुरू किया गया है, जो प्रगति पर है।

क्षेत्रीय कार्यालयों को खोला जाना

3642. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर ग्रिड देश में व्याप्त विशाल पारेषण प्रणाली नेटवर्क का रख रखाव कर रहा है। प्रभावी ग्रिड प्रबंधन को कारगर बनाने, सही प्रचालन, पारेषण प्रणाली निर्माण कार्य कलापों के रख रखाव की दृष्टि से क्षेत्रीय स्थापनाओं के जरिए पावरग्रिड में श्रंखलाबद्ध प्रणाली की स्थापना की गई है। ये क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र निर्णय लेने में सहायता करते हैं और कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। जिससे बेहतर प्रबंधन और उन्नत पारेषण प्रणाली विकसित होती है।

आरंभ में विद्युत क्षेत्र का विकास क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता संबंधी संकल्पना पर आधारित था और इसके लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र 5 क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी केन्द्रों में विभक्त था। पावरग्रिड ने उक्त संकल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय ढांचा विकसित किया और तदनुसार 5 क्षेत्र बनाए गए। बाद में पारेषण प्रणाली के भौगोलिक आकार को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र को दो अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया ताकि कार्यकलापों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। देश में पावरग्रिड के क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रशासनिक व्यय से संबंधित निर्णय पावरग्रिड द्वारा ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

पावरग्रिड के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली	क्षेत्रीय मुख्यालय
1.	उत्तरी क्षेत्र टीएस-I	फरीदाबाद
2.	उत्तरी क्षेत्र टीएस-II	जम्मू
3.	पूर्वी क्षेत्र टीएस	पटना
4.	पश्चिमी क्षेत्र टीएस	नागपुर
5.	दक्षिणी क्षेत्र टीएस-I	सिकंदराबाद
6.	दक्षिणी क्षेत्र टीएस-II	बंगलौर
7.	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र टीएस	शिलांग

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के नाम	मुख्यालय
1.	उत्तरी क्षेत्र	नई दिल्ली
2.	पूर्वी क्षेत्र	कोलकता
3.	पश्चिमी क्षेत्र	मुम्बई
4.	दक्षिणी क्षेत्र	बंगलौर
5.	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	शिलांग

[हिन्दी]

नई कृषि नीति के परिणाम

3643. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई कृषि नीति की घोषणा किए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो नई नीति अपनाए जाने का क्या औचित्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा सर्वप्रथम जुलाई, 2000 में की गई। जैसा कि कृषि नीति में प्रावधान है, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र एवं

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार का तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। विकासात्मक गतिविधियों की रफ्तार में तेजी लाने तथा कृषि नीति के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल हाल ही में की गई है:-

* राज्य स्तर पर फसल/क्षेत्र विशेष के लिए क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न नीतियां बनाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर छोटे स्तर पर योना बनाने हेतु 27 चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलय करके वृहद प्रबंध स्कीम शुरू की गई है, ताकि राज्यों को सुविधा प्रदान करके सीमित वित्तीय स्रोतों का यथासमय एवं कारगर अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

* कार्यान्वयन मानदण्डों को अन्य पनधारा विकास कार्यक्रमों के अनुरूप बनाने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु पनधारा विकास परियोजना के लिए एक समान दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक तथा कृषि सहकारिता विभाग से 200-200 करोड़ रुपये के कोष से एक पनधारा विकास निधि का सृजन किया गया है।

* पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

* किस्म अनुसंधान तथा पौध प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए बीज कानून की समीक्षा की जा रही है। पौध किस्म एवं कृषि अधिकार संरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है और राष्ट्रीय बीज नीति का निरूपण किया जा रहा है। बीज उत्पादन में शामिल जोखिमों को कवर करने के लिए एक बीज फसल बीमा स्कीम शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीजों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बीज बैंक की स्थापना की गई है।

* कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि किसानों को ऋण दिलाने में सुविधा तथा सुरक्षा प्रादन करते हुए जनवरी, 2001 तक 115 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में सभी पात्र किसानों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। जीवन तथा दुर्घटना संबंधी जोखिम को कवर करते हुए कार्डधारियों हेतु एक वैयक्तिक बीमा पैकेज लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

* बागवानी उत्पादों के लिए शीतगृहों भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पूंजी सब्सिडी प्रादन करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

* ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का कोष 2001-2002 में 4500 करोड़ रुपये से कम कर 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

* कृषि जिन्सों के मूल्यों के उतार चढाव संबंधी नवीनतम जानकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मण्डी आसूचना नेटवर्क शूरू किया गया है।

* सहकारी क्षेत्र में सुधार मौजूदा बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को प्रति-स्थापित करने के लिए एक नये विधेयक का निरूपण करके संसद में प्रस्तुत किया गया।

* ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए एक नई सब्सिडी संबंधी स्कीम का निरूपण।

* उत्पाद शुल्क में छूट तथा अन्य हस्तक्षेप के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन एवं कृषि में मूल्य वर्धन।

इन पहलों/स्कीमों के परिणाम आने वाले समय में दृष्टिगोचर होंगे।

[अनुवाद]

रेलवे में निजी निवेश

3644. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे की गई बी.ओ.एल.टी. योजनाओं को बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों से आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में रूचि दिखाने वाले निजी निवेशकों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन क्षेत्रों में निवेश के लिए इच्छा जाहिर की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेलवे के

संसाधनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। रेल परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु राज्य सरकारों तथा उपभोगकर्ता एजेंसियों जैसे बंदरगाह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं;

चूंकि बोल्ट योजना (बनाओ, अपनाओ, पट्टा और हस्तांतरण) काफी सफल नहीं हुई है और निवेशकर्ताओं को आकर्षित नहीं कर पायी, इसलिए सरकार ने बोल्ट योजना की पुनरीक्षा की है ताकि यह और अधिक ग्राहकोन्मुखी हो सके। नई योजना अर्थात् बॉट (बनाओ, अपनाओ, हस्तांतरण) की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

परीक्षण के तौर पर निम्नलिखित परियोजनाओं को बॉट योजना के तहत शुरू करने का प्रस्ताव है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु. में)	बॉट के तहत किया जाने वाला कार्य
1.	उतरेटिया-चंद्रौली और सुल्तानपुरी- बंधुआकंला	47	केवल रेलपथ, गिट्टी और सिगनल संबंधी
2.	कर्पूरीग्राम-सिहो दोहरीकरण	33	संपूर्ण कार्य
3.	विरमगांव-मेहसाण आमान परिवर्तन (पश्चिम रेल)	65	केवल रेलपथ, गिट्टी और सिगनल संबंधी

सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं और रेलों में निजी निवेश के दरवाजे खोले हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अपने माल डिब्बों के मालिक बनें योजना

(2) निजी टर्मिनलों की स्थापना

(3) मौजूदा रेलवे टर्मिनलों पर माल गोदाम मुहैया कराना

(4) ब्रेक वैनों को पट्टे पर देना

(5) पार्सल वैनों को पट्टे पर देना

(6) बिंदु दर बिंदु पार्सल सेवा

इन क्षेत्रों में अभी तक उत्साहवर्धक नतीजे मिले हैं।

सहभागिता आधार पर रेल लाइन का निर्माण

3645. प्रो. ए. के. प्रेमाजम:
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री टी. एम. सेल्वागनपति:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई परियोजनाओं के लिए राज्यों से भूमि की मांग की है;

(ख) क्या रेलवे ने इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों से आर्थिक हिस्सेदारी की भी मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के सामने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद रेलवे द्वारा उठाए गए कदम का अनुमोदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं से संबंधित कुछ परियोजनाओं के लिए नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है।

(ख) संबंधित राज्यों के राज्य सरकारों से वित्तीय भागीदारी की मांग की गई है।

(ग) नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक वित्तीय भागीदारी का संबंध है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें कुछ रेल परियोजनाओं की लागत में भागीदारी की सहमति पहले ही दे चुकी हैं अथवा पहचानी गई रेल परियोजनाओं में वित्तीय भागीदारी के लिए उनका रेलवे के साथ समझौता हो चुका है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने भी रूचि दिखाई है।

(घ) और (ङ) रेलें वित्तीय तंगी का सामना भी कर रही हैं और चूंकि रेल अवसंरचना के विकास क्षेत्र की जनता के लाभ

के लिए होता है इसीलिए कतिपय पहचानी गई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी की मांग की गई है जो अवसंरचना के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पर्यटन का विकास

3646. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 जुलाई, 2001 के 'पायनीयर' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र के अग्रणी ई.आई.एच. लिमिटेड, जिसे पहले ईस्ट इंडिया होटल्स के नाम से जाना जाता था, ने पर्यटन उद्योग से प्रयास करने के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई.आई.एच. ने किस प्रकार की सहायता के लिए आग्रह किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग में पर्यटन उद्योग से संयुक्त प्रयासों से संबंधित कोई प्रस्ताव मैसर्स ई.आई.एच. लिमिटेड से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन विभाग ने प्राप्त हुए अनुसार, निम्नलिखित मामले उठाए हैं:-

अन्य बातों के साथ-साथ 'आगमन पर वीजा' का मामला गृह मंत्रालय के साथ विचाराधीन है। नागर विमानन से संबंधित यातायात अधिकार पारस्परिकता और द्विपक्षीय करार के सिद्धांत द्वारा संचालित किए जाते हैं जो संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई प्रक्रिया है। पिछले एक साल में वायुयानों की संख्या (एयर सीट कंपेसिटी) में भी वृद्धि की गई है। हवाई अड्डों पर सेवाओं में और सुधार किए जाने के लिए, पर्यटन विभाग ने चार महानगरों में टच स्क्रीन सूचना कियोस्कस की स्थापना की है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर होटल आरक्षण के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है।

पर्यटन क्षेत्र में "करों की तर्कसंगत व्याख्या" के प्रश्न पर राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन, पर्यटन विकास परिषद, अंतर्राज्जीय परिषद की क्षेत्रीय बैठक और विभिन्न अन्य मंचों पर विचार-विमार्श किया गया था। तथापि, राज्य सरकारों से अभी तक कोई सर्व-सम्मति संभव नहीं हो पाई है।

राष्ट्रीय कृषि विपणन बैंक की स्थापना

3647. **श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय कृषि विपणन बैंक और 'मैंगा बाजारों की स्थापना करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कृषि विपणन कार्य को बेहतर बनाने के तरीके सुझाने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि विपणन बैंक एवं देश में "मैगा बाजारों" की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं:-

(1) विनियंत्रित मण्डियों से संबंधित संस्था को शासित करने वाले कानूनी ढांचे की सरकार द्वारा जांच एवं ऐसे सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटाए जाने आवश्यक हैं, जो देश में प्रतिस्पर्धात्मक विपणन संरचना के विकास में बाधक हैं।

(2) किसानों द्वारा कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उसके मूल्य में उनके अंश को अधिकतम बनाया जा सके।

(3) जिन जिंसों को आगमी तथा भावी व्यापार की अनुमति दी गई है। उनकी सूची में और अधिक जिन्सों को शामिल किया जाए, ताकि मूल्य संबंधी जोखिम को कम करके घरेलू मण्डी के अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में विलय को सुगम बनाया जा सके।

(4) कृषि क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि की उपलब्धि को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य जोखिम प्रबंध में वृद्धि हेतु सरकार को कृषि जिसों के लिए राष्ट्रीय भण्डार गृह आवक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

(5) सरकार की ऋण नीति के अन्तर्गत रेहनदारी वित्त प्रणाली को सहायता दी जानी चाहिए और इसे रियायती पुनर्वित्त सुविधा सहित कृषि को प्राथमिक क्षेत्र ऋण माना जाए।

(6) किसानों को निम्नलिखित के बारे में परामर्श देने के लिए सरकार द्वारा कृषि विस्तार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए:- (क) उत्पाद नियोजन (ख) मण्डी आसूचना (ग) मण्डी की खोज (घ) वैकल्पिक/प्रत्यक्ष विपणन, (ङ) ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग सहित उन्नत विपणन तथा सामूहिक विपणन से लाभ।

(ङ) सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु उपायों के सुझाव देने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी कार्य दल का गठन किया है।

भारत से विदेशी कंपनियों का वापस जाना

3648. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में आ रहे विदेशी कंपनियों के विभिन्न प्रस्ताव वापस ले लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कंपनियों ने अपने प्रस्ताव वापस लिए हैं; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निवेश के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित विदेशी निवेश के हाल ही में विद्युत परियोजनाओं से हट गए हैं:-

- मैसर्स कोजेंट्रिक्स एनर्जी इंक, जो कर्नाटक में 1013.2 मे.वा. वाले मंगलौर विद्युत परियोजना के एक मुख्य प्रवर्तक है, ने सूचित किया कि 11 फरवरी, 2000 से कंपनी ने परियोजना एवं मंगलौर पावर कंपनी से अपना अधिकार हटा कर चाहना लाईट (मारीशस लि. जो एमपीसी में इक्विटी पार्टनर है, को हस्तातंरित कर दिया है, उन्होंने परियोजना से हटने का कोई कारण नहीं बताया है।

- मैसर्स इलेक्ट्रिक डी फ्रांस (इडीएफ) एक फ्रेंच विद्युत कंपनी, जो कि 1082 मे.वा. भद्रावती विद्युत परियोजना में एक सह-प्रवर्त थी, ने परियोजना से हटने का अपना निर्णय सूचित कर दिया है। उन्होंने परियोजना से हटने के निम्न कारण इंगित किए हैं:-

(1) विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने में असाधारण विलंब।

(2) कोयला आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मांगी गयी अधिक उच्च कोयला कीमत।

(3) एस्क्रो व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त वचनबद्धता की कमी।

- मैसर्स महेश्वर हाइडल पावर प्रोजैक्ट (10×40 मे.वा.) के मामले में विदेशी सहयोग कर्त्ता में, बयेनवर्क वेव ने गैर परियोजना विशेष कारण की वजन से परियोजना से हटने का निर्णय लिया है। मैसर्स आगडेन एनर्जी, यूएसए अपनी आंतरिक पुनर्संरचना और परिवर्तित व्यापारिक लक्ष्य के कारण परियोजना से हट गया।

- 1070 मे.वा. कोरबा ईस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के मामले में मैसर्स देबू पॉवर (इंडिया) लि. ने. 14.8.2000 को राज्य सरकार प्राधिकारियों को समाप्ति नोटिस दे दिया है, जिसमें उन्होंने भुगतान सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की असमर्थता का उल्लेख किया है।

- 2×210 मे.वा. बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना यूनिट 4 एवं 5 के मामले में, पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स बकरेश्वर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीपीडीसीएल) जो पश्चिम बंगाल-विद्युत विकास निगम (डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एस.) मैसर्स डीसीएल और मैसर्स ओगडन एनर्जी एशिया पैसिफिक लिमिटेड द्वारा 2×210 मे.वा. बकरेश्वर टीपीपी यूनिट 4 और 5 की स्थापना के लिए गठित एक संयुक्त उपक्रम कंपनी (जे.बी.सी. है) अब बंद हो चुकी है तथा मैसर्स ओगडेन एनर्जी एशिया पेसिफिक लिमिटेड जेवीसी से बाहर निकल गया है। मैसर्स वीपीजीसीएल ने सूचना दी है कि परियोजना में उनकी काई रूचि है। डब्लू.वी.पी.डी.सी.एल. ने

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को प्रदान की गई तकनीकी आर्थिक स्वीकृति को पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय के अनुसार हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1991 में नीति घोषित की गई थी और विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र विकास के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से समय-समय पर इस नीति का संशोधन/समीक्षा की गई है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने तथा विद्युत क्षेत्र में और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने एवं विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नवत् हैं:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों की संख्या को कम-से-कम करना।

- चुनिंदा श्रेणियों में विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: अनुमोदन मुहैया करवाकर तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के स्वत: अनुमोदन के लिए प्रावधानों को बढ़ाकर विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड की भूमिका को कम-से-कम करना। तदनुसार, बिना किसी परिसीमा से स्वत: अनुमोदन माध्यम पर 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के लिए परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

  पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करना।

- पूंजीगत लागत सीमा को जहां तक के.वि.प्रा. से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं होता है, को बढ़ाना।

- परियोजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुलभ करवाने तथा निष्पादन के समय में कमी लाने के लिए परियोजनाओं की एक सूची तैयार कराना।

- शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने, रूकावटों को हटाने तथा वित्तीय समापन में ''अंतिम समय'' पर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर गहन मानीटरिंग करना।

- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया गया जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना हो सकी है।

- एक अलग क्रियाकलाप के रूप में संचारण को संस्थापित करने के लिए विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 को लागू किया गया ताकि निजी क्षेत्र में निवेश में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिले।

- तीव्र गति से विस्तृत जल विद्युत शक्यता के दोहन, निजी निवेश को बढ़ावा, लघु तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल विद्युत विकास की गति त्वरित करने के लिए जल विद्युत विकास पर एक नीति बनाई गई।

- अन्य क्षेत्रों की विद्युत की निकासी के लिए सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र में जल विद्युत शक्यता वाले क्षेत्रों में और खान पिट हेडों, तटीय स्थल में पारेषण सुविधाओं के साथ मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यमान मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात मेगा परियोजनाओं को कुछ राजकोषीय रियायतें प्रदान की गई हैं जैसे आय कर अवकाश और उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क के भुगतान से छूट आदि।

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र

3649. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2012 तक विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारत में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र को 70,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इतनी बड़ी मात्रा में संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कौन-कौन से लाभ मिलने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के त्वरित विकास के लिए एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है। नीति विवरण का मसौदा

आगे के अनुमोदन के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नीति विवरण के अनुमोदन के पश्चात निधियों की आश्यकता सहित एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। बजटीय आवंटनों, निजी निवेशों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से वित्त-पोषण और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण तंत्रों से निधियां जुटाने की आशा की जाती है।

(घ) और (ङ) नीति विवरण का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर, पवन बायोमास तथा लघु पनबिजली जैसे अक्षय स्रोतों की भागीदारी को बढ़ाना, कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरों के लिए विकेन्द्रीकृत/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराना और ग्रिड गुणवत्ता विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति करना है। नीति विवरण वर्ष 2012 तक की अवधि के लिए 10,000 मे.वा. प्रक्षिप्त नई विद्युत क्षमता संयोजन का 10% तक उत्पादन करने का लक्ष्य परिकल्पित करता है।

जूट की खरीद

3650. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय जूट निगम के खरीद केन्द्रों पर मात्रावार और राज्यवार कितनी मात्रा में जूट की खरीद की गई और वर्ष 2001-2002 में इसे कितनी मात्रा में खरीदें जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन राज्यों के जूट उत्पादकों को किस सीमा तक उनके कच्चे जूट के उत्पाद के लिए समर्थन-मूल्य मिल रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन द्वारा कच्चे पटसन की अधिप्राप्ति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुमानित अधिप्राप्ति फसल के आकार, उत्पादन, कच्चे पटसन की आमद और बाजार कीमत पर निर्भर करेगी।

(ख) पटसन वर्ष 2000-2001 के दौरान, कच्चे पटसन की 94 लाख गांठों के कुल उत्पादन में से, भारतीय पटसन निगम के साथ-साथ राज्य सहकारिताओं द्वारा 4.62 लाख गांठें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रचालन के तहत खरीदी गई है। भारतीय पटसन निगम, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों/संगठनों के सहयोग से, वर्तमान वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति प्रचालनों के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय पटसन निगम को निदेश दिया गया है कि जब भी कीमतों का रूख न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे जाने लगे, वह बाजार में प्रवेश करें।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की राज्य-वार अधिप्राप्ति:

(आंकड़े 180 किग्रा. प्रत्येक की '000' गांठों में है)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
प. बंगाल	48.7	91.8	276.9
बिहार	0.5	13.5	71.4
असम	5.3	1.3	113.3
मेघालय			
त्रिपुरा	-	-	-
उड़ीसा	-	0.4	0.9
आंध्र प्रदेश	-	-	1.1

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा अधिप्राप्ति किस्म/गुणवत्ता:

वर्ष	किस्म/गुणवत्ता	मात्रा/खरीद (180 किग्रा. की गांठ में)
1998-99	सफेद	5619
	तोसा	48531
	मेस्टा	नगण्य
1999-2000	सफेद	419
	तोसा	103622
	मेस्टा	2982
2000-2001	सफेद	15751
	तोसा	386505
	मेस्टा	2235

[हिन्दी]

मधुबनी में कृषि विज्ञान महाविद्यालय

3651. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मधुबनी में कृषि विज्ञान महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु जल-विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने हेतु प्रोत्साहन

3652. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी खर्च की गई;

(घ) क्या 3 से 25 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु कोई योजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। ये विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी, पुरानी लघु पनबिजली परियोजनाओं के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु योजना तथा पनचक्कियों के विकास एवं उन्नयन हेतु हैं।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2000-01 के लिए 27.00 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में इन योजनाओं के अंतर्गत 27.03 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(घ) और (ङ) जी हां। ऊपर उल्लिखित योजनाओं में 25 मेवा. तक की लघु पनबिजली परियोजना भी शामिल हैं और इनके प्रोत्साहन तालिका में दिए गए हैं।

विवरण

लघु पनबिजली कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन

योजनाएं	क्षेत्र	500 कि.वा. से कम	500 कि.वा. से 1 मे.वा. तक	1 मे.वा. से अधिक और 5 मे.वा. तक	5 मे.वा. से अधिक और 15 मे.वा. तक	15 मे.वा. से अधिक और 25 मे.वा. तक
1	2	3	4	5	6	7
सर्वेक्षण और अन्वेषण	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु.		1.50 लाख रु. तक
	पहाड़ी	1.00 लाख रु. तक		2.00 लाख रु. तक		3.00 लाख रु. तक
विस्तृत परियोजना	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक		1.50 लाख रु. तक
रिपोर्ट	पहाड़ी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक		2.00 लाख रु. तक
वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए लिए ब्याज सब्सिडी	मैदानी	5.00%		2.50%	2.00%	1.50%
	पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र,	7.50%		5.00%	3.00%	2.00%
सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	परियोजना की लागत का 90% जो 75000/- रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 90%जो 60000/-रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 75% जो 45000/-रु. कि.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 22.50 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
	मध्य हिमालय, लद्दाख, अंडमान व निकोबार	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 45,000 रु/कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 3.00 करोड़ रु./मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 15 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है	शून्य
	अन्य क्षेत्र (केवल अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र)	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 30,000 रु/कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 1.5 करोड़ रु./मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 7.5 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है	शून्य
पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण			2 करोड़ रु./मे.वा. तक		10 करोड़ रु. प्रति परियोजना तक सीमित	शून्य
पनचक्कियों का विकास/उन्नयन						
यांत्रिक पद्धति		30,000 रु.				
यांत्रिक/विद्युत पद्धति		60,000 रु.				

मेजगांव डॉक में आमूल चूल परिवर्तन करना

3653. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई हाई के तेल कुओं में प्रोसेस प्लेटफार्म को नए सिरे से तैयार करने में मेजगांव डॉक की असफलता से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्य उसमें हुए विलंब से तेल शोधक कंपनियों द्वारा और आगे की जाने वाली आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मुम्बई हाई क्षेत्र में बी एच एन काम्प्लेक्स में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मझगांव डाक्स लि. को ठेके पर दिए गए जीर्णोद्धार कार्यों के पूरा होने में कुछ विलंब हुआ है जिससे आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. का कच्चे तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित हुआ।

(ग) चूंकि रिफाइनरियों को कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त आयातित क्रूड उपलब्ध करा दिए गए थे, इसलिए उनके प्रचालन प्रभावित नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटे में वृद्धि

3654. श्री बलराम सिंह यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी रेलवे स्टेशन विशेष पर किसी विशेष रेलगाड़ी में आरक्षण कोटा निर्धारित के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार को मैनपुरी स्टेशन से कालिंदी एक्सप्रेस में एक टु टीयर कोच जोड़ने या आरक्षित शायिकाओं की संख्या में 20 से 30 तक की वृद्धि करने हेतु कुछ संसद सदस्यों और विभिन्न संगठनों की ओर से अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) किसी गाड़ी विशेष में किसी स्टेशन विशेष, के लिए आरक्षण कोटा का आबंटन मार्गवर्ती विभिन्न स्टेशनों पर यातायात की मांग के स्वरूप तथा गाड़ी में आरक्षित स्थान की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) से (घ) मैनपुरी स्टेशन पर 4023 कालिंदी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा 8 शायिकाओं से बढ़ाकर 20 शायिकाएं करने और

एक दो टियर/तीन टियर सवारी डिब्बा लगाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, मांगों की जांच की गई है। मौजूदा कोटे के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, इस गाड़ी में आरक्षण कोटा को 8.7.2001 से 8 स्लीप श्रेणी शायिकाओं से बढ़ाकर 10 स्लीपर श्रेणी शायिकाएं कर दिया गया है। जहां तक अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने का संबंध है, अनुरोध की जांच की गई है, परंतु इसे वाणिज्यिक आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

3655. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **रेल मंत्री** रेल भूमि वाणिज्यिक उपयोग के बारे में 23 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक स्थल का व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। वाणिज्यिक दोहन के लिए पहचाने गए स्थलों पर व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

(ख) 25 स्थलों का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बोली प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इरुगुर और कोयम्बटूर रेल लाइन का दोहरीकरण

3656. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इरुगुर और कोयम्बटूर रेलवे स्टेशनों के बीच सिंगल रेल लाइन है और इसकी वजह से आनेवाली/जानेवाली रेलगाड़ियां निरंतर विलंब से चला करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेल लाइन का दोहरीकरण करने को कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। गाड़ियां कभी-कभी विलम्ब से चलती हैं।

(ख) और (ग) जी हां। इरुगुर-कोयम्बटूर के बीच लाइन के दोहरीकरण का कार्य एव अनुमोदित कार्य है और यह प्रगति पर है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू कर लिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य में प्रगति लाई जाएगी और उसे पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय के उपकरणों को बेचना

3657. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "करोड़ों के यंत्र कबाड़ियों को बेचने की मंशा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) इन उपकरणों के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जापानी सरकार की सहायता-अनुदान योजना के तहत वर्ष 1990 में राष्ट्रीय संग्रहालय को प्राप्त हुए उपकरणों को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसाकि समाचार में आरोप लगाया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय संग्रहालय ने इन उपकरणों की सफाई-धुलाई करने और संग्रहालय के संरक्षकों को प्रशिक्षण देने के मामले को भारत में जापानी दूतावास के साथ उठाने की पहल की है।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट स्थापित करना

3658. श्री एस.डी. एन. आर. वाडियार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार के पास नौवीं योजना के दौरान देश में कुछ फास्ट ट्रैक मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार किन-किन राज्यों में इन प्रोजेक्टों को स्थापित करने की संभावना है;

(ग) क्या कर्नाटक के मंगलोर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार ने नवम्बर, 1998 में घोषित संशोधित वृहत् विद्युत नीति के अनुसार 19 वृहत् विद्युत परियोजनाओं का उनके क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी, संस्थापित क्षमता एवं स्थल के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन 19 परियोजनाओं में से किसी का भी चालू होना निर्धारित नहीं है।

(ग) कर्नाटक के मंगलौर में वृहत् विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	हिरमा ताप विद्युत परियोजना, मै. सदर्न इलेक्ट्रिक एशिया पावर लि. (एसईएपी), उड़ीसा	3960
2.	कुड्डालोर ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	1000
3.	कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश	1500
4.	पिपावाव ताप विद्युत परियोजना, गुजरात	2000
5.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (एलएनजी), गुजरात	1000
1.	कहलगांव ताप विद्युत परियोजना चरण-2, एनटीपीसी बिहार	1500
2.	उत्तर करनपुरा ताप विद्युत परियोजना, एनटीपीसी, बिहार	2000
3.	बाढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-1, एनटीपीसी बिहार	2000
4.	मैथान ताप विद्युत परियोजना, दामोदर वैली कारपोरेशन	1000
5.	चेय्यूर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1 एनटीपीसी, तमिलनाडु	1500
6.	अंता सीसीपीपी चरण-2 एनटीपीसी, राजस्थान	1300
7.	औरैया सीसीपीपी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	1300
8.	कवास सीसीपीपी, चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
9.	गांधार सीसीपीपी, चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	710
10.	कोयल कारो एचईपी, एनएचपीसी, बिहार	300

1	2	3
11.	चमेरा एचईपी, चरण-2 एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	510
12.	तीस्ता एचईपी, एनटपीसी, हिमाचल प्रदेश	800
13.	कोलडैम एचईपी, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश	800
14.	पार्वती एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	800

त्रिची-मनमदुरई-रामेश्वरम् रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3659. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिची-मनमदुरई-रामेश्वरम् रेल लाइन की बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने लम्बे समय से लंबित योजना को शुरू करने के लिए धन आवंटित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या तीन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों यथा, कम्बन रामेश्वरम् और सेतु को एगमोर (चेन्नई) स्टेशन तक बढ़ाया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। त्रिची-मनमदुरै-रामेश्वरम के आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण में दो अलग-अलग सर्वेक्षण शामिल हैं, यथा त्रिची-मनमदुरै और मदुरै-रामेश्वरम बरास्ता मनमदुरै, जो पूरे हो गए हैं।

(ख) त्रिची-मनमदुरै का सर्वेक्षण 1999-2000 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 151 किमी. लम्बी लाइन के आमान् परिवर्तन की लागत 12.79 प्रतिशत की प्रतिफल की दर सहित 170.94 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

मदुरै-रामेश्वरम का सर्वेक्षण अगस्त 1997 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 161.5 किमी. लम्बी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 3.45 प्रतिशत की प्रतिफल की दर सहित 193.98 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निधियों की व्यवस्था की जा रही है।

(ङ) 2001-2002 के दौरान त्रिची-मनमदुरै और मदुरै-रामेश्वरम के कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(च) और (छ) 6875/6876 ताम्बरम- कराइकुड्डी नागौर कमबन एक्सप्रेस, 6701/6702 ताम्बरम-रामेश्वर एक्सप्रेस और 6713/6714 ताम्बरम-रामेश्वरम सेतु एक्सप्रेस को फिलहाल, चेन्नई-एषम्बूर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटक गाइड

3660. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकृत पर्यटक गाइडों में सुधार लाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। अधिकृत पर्यटक गाइडों से अपेक्षा की जाती है कि पर्यटकों को विस्तृत, पूर्ण और अद्यतन सूचना दें। अत: अद्यतन सूचना इकट्ठा करना और ज्ञान तथा विवेक को बढ़ाना तथा प्रवीणता, पर्यटक गाइडों के लिए एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) यात्रा व्यवसाय और राज्य सरकार के पर्यटन विभागों के सहयोग से भारत में भारत सरकार पर्यटक कार्यलयों के माध्यम से समय-समय पर पर्यटक गाइडों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विदेशी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इन्टिग्रेटिड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट एक्ट

3661. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नियमित करने वाले वर्तमान कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में बने विधान की तर्ज पर इन्टिग्रेटिड प्रोसेस्ड फूड डेवलमेंट एक्ट नाम से एक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार की राय पर भी विचार किया गया था; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय सेंमिनारों का आयोजन किया । इन सेमिनारों में, इस बात पर आम सहमति थी कि खाद्य प्रसंस्करण पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के अलावा एक उपयुक्त विकासोन्मुखी कानून भी बनाया जाए क्योंकि विद्यमान कानून इस क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रहे हैं।

तदनुसार राज्य सरकारों समेत विभिन्न वर्गों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधान में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान कानूनों में तालमेल लाने एवं उन्हें सरल बनाने, विकास को बढ़ावा देने, एक विकास निधि का सृजन करने, एक प्रसंस्कृत खाद्य प्राधिकरण के जरिए मानक निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए अधिनियम को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय करना कठिन है।

[हिन्दी]

यांत्रिकी कृषि

3662. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस संबंध में रिपोर्टें मिली हैं कि यांत्रिकी कृषि और जानवरों से की जाने वाली कृषि के अनुपात में महत्वपूर्ण बदलाव आया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बदलाव से कृषि को नुकसान हुआ है या लाभ मिला है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि कार्य में जानवरों के उपयोग के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) यद्यपि इस बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तथापि उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारतीय कृषि की कुल शक्ति की उपलब्धता में भारवाही पशुओं के योगदान में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। यह योगदान जो 1971-72 में 45.30% था, चालू वर्ष के दौरान 9.89% आंका गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि की कुल शक्ति की उपलब्धता में ट्रैक्टर और पावर टिलर का योगदान 7.75% से बढ़कर 42.50% हो गया है। इस अवधि के दौरान शक्ति की कुल उपलब्धता 0.295 किलोवाट/हैक्टेयर से बढ़कर 1.231 किलोवाट/हैक्टेयर हो गई है।

(ग) चूंकि किसान मशीनी उपकरणों का चुनाव करने लगे हैं, अत: शक्ति के स्रोतों में ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों से भारतीय कृषि को लाभ हुआ है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेती में पशु शक्ति के उपयोग एवं कृषि प्रचालनों में पशुचालित उपकरणों के विकास के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बैल वाही उपकरणों की खरीद के लिए राजसहायता भी दी जा रही है।

[अनुवाद]

मुगलसराय रेल मंडल द्वारा बिहार में दी गई सुविधाएं

3663. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** मुगलसराय रेल मंडल द्वारा बिहार में दी गई सुविधाओं के बारे में 22 मार्च,

2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 3763 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने 11 दिसम्बर, 2000 के 'हिन्दुस्तान' (पटना संस्करण) में प्रकाशित रिपोर्ट की स्वप्रेरण से जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने मुगलसराय रेल मंडल द्वारा बिहार में सुविधाएं प्रदान कराने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी हां। अपेक्षित सूचना इकट्ठी की गई थी और दिनांक 14.6.2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी गई थी। सूचना की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

तेरहवीं लोक सभा का छठा सत्र, 2001 रेल मंत्रालय

पूरा करने की तारीख

प्रश्न सं. तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
22.3.2001 को श्री रामजी मांझी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 3763	**मुगलसराय रेल मंडल द्वारा बिहार में दी गई सुविधाएं पूछा गया था कि:-** (क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 2000 के "हिंदुस्तान" (पटना संस्करण) में "मुगलसराय रेल मंडल का अधिकांश हिस्सा बिहार में, सुविधा उत्तर प्रदेश को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है; (ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और (ग) बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(ख) और (ग) स्थिति अनुलग्नक में स्पष्ट की गई है।	

विवरण

प्रश्न मुख्यत: यात्री आरक्षण प्रणाली/गया पर उपलब्ध 3010 डाउन दून एक्सप्रेस, 9305 शिप्रा एक्सप्रेस और 1160/1182 चम्बल एक्सप्रेस में आरक्षण कोटे का यात्री आरक्षण प्रणाली/मुगलसराय में उपयोग होने और गया के लिए 3009/3010 हवड़ा-देहरादून एक्सप्रेस के स्लिप कोचों का चालन मुगलसराय तक बढ़ा दिए जाने, अनुरक्षण सुविधाओं के सृजन आदि से संबंधित है, स्थिति इस प्रकार है:-

1. **3010 देहरादून-हवड़ा एक्सप्रेस में हवड़ा से गया तक चलने वाले सवारी डिब्बों को मुगलसराय तक चलाने के परिणामस्वरूप गया में आरक्षित स्थान कम पड़ना।**

मुगलसराय मंडल के गया से आरक्षण के लिए 3009/3010 दून एक्सप्रेस में हवड़ा-गया स्लिप कोच के रूप में दो स्लीपर कोचों की व्यवस्था की गई है। पिछले दशक के दौरान इन स्लिप कोचों का चालन मुगल सराय तक बढ़ाया गया था। इन कोचों को गया और मुगलसराय के बीच दैनिक यात्रियों की निकासी करने के लिए बढ़ाया गया था तथा गया से और उससे आगे हवड़ा की ओर आरक्षित यात्री गया से बुक किए जाते थे। चूंकि 3009 अप 3010 डाउन में स्लिप कोच परिचालनिक कारणों से मुगलसराय तक चल रहे थे और गया में इनका उपयोग 50-55% के बीच पाया गया था इसलिए रेलवे पर इन कोचों के उपयोग में सुधार करने के उद्देश्य से तथा सामान्य यात्रियों के व्यापक हितों को पूरा करने के लिए 27.1.2001 से इन सवारी डिब्बों में मुगलसराय से टिकटें बुक कराने की सुविधा मुगलसराय के यात्रियों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

2. 2307/2308 हवड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस और 9305/9306 हवड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में गया के लिए आबंटित आरक्षण कोटे का मुगलसराय के यात्रियों द्वारा उपयोग।

गया को 1182 डाउन/1160 डाउन चम्बल एक्सप्रेस में 72 शायिकाओं और 9305 डाउन शिप्रा एक्सप्रेस में 52 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध कराया गया है। ये शायिकाएं केवल गया से ही यात्रा के लिए बुक की जा सकती हैं। पूर्व रेलवे प्रशासन को इसके दुरूपयोग, यदि कोई हो, को रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

3. 2801 पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस और 8605 में गया के कोटे को समाप्त करना और इसे पहले आओ पहले पाओ प्रणाली बनाना।

एक नई आरक्षण नीति की शुरूआत के बाद विभिन्न स्टेशनों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में आबंटित आरक्षण कोटे को समीपवर्ती स्टेशनों के कोटे को कल्ब करके तथा अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए यौक्तिकीकरण कर दिया गया है। तद्नुसार, 2801 पुरी एक्सप्रेस और 8605 झारखंड स्वर्ण जयंती के लिए गया में उपलब्ध आरक्षण कोटा सासाराम, डेहरी ऑन सोन और मुगलसराय के आरक्षण कोटे के साथ मिला दिया गया है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन गाड़ियों में वर्धित आरक्षण कोटे के लिए आम पहुंच सुलभ करा दी गई है।

4. गया में टर्मिनल सुविधाओं का विकास

गया में उपलब्ध सुविधाएं गया में संभाले जाने वाले यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

5. गया-धनबाद गाड़ियां चलाना जैसी कि 3 वर्ष पहले रेल बजट में घोषणा की गई थी।

3 वर्ष पहले रेल मंत्री जी के बजट भाषण में घोषणा की गई थी कि धनबाद-गोमो-गया खंड पर मुख्य लाइन ईएमयू (एमईएमयू) सेवाएं चलाई जाएंगी। तद्नुसार 043/044 धनबाद-हजारी बाग और 045/046 हजारी बाग-गया गाड़ियां मीमू रेकों के साथ चलाई जा रही हैं।

6. गया में जेट क्लीनर की व्यवस्था

गया में सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपुओं में दो हाई प्रेशर जेट क्लिनिंग मशीनें हैं जिनका गया में अनुरक्षण के लिए खड़ी की जाने वाली गाड़ियों के रेकों की सफाई के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

7. गया स्टेशन पर दवाई की दुकान की व्यवस्था

क्षेत्रीय रेलवे को यात्रियों की आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दे दिया गया है।

ओंगोल कैटल ब्रीडिंग

3664. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देश आंध्र प्रदेश के ओंगोल कैटल ब्रीड के ब्रीडिंग में सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देशों ने इसमें अपनी रूचि दिखाई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का देश के इस विशिष्ट ओंगोल कैटल ब्रीड की किस तरह रक्षा करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

'समपारों पर दुर्घटना

3665. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 16 अप्रैल, 2001 को बंगलौर नगर की सहमद पर ब्याप्नाहल्ली के निकट समपार पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने ट्रक के टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए और इससे कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का परिणाम निकला; और

(च) उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) 16.4.2001

को जब 272 पैसेंजर गाड़ी बैय्यप्पनाहल्ली और हीलालिगे स्टेशनों के बीच चल रही थी तो बेंगलूरू सिटी के समीप बिना चौकीदार वाले समपार पर एक लारी अचानक पटरी को पार कर गई और गाड़ी से टकरा गई। यह दुर्घटना दक्षिण रेलवे के बेंगलूरू मंडल में हुई है।

(ग) इस दुर्घटना में लारी के ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आइं। इस दुर्घटना से सरकारी सम्पत्ति की 50,000/-रुपये की हानि हुई।

(घ) से (च) इस दुर्घटना की जांच रेलवे प्राधिकारियों की एक समिति ने की और जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, यह दुर्घटना लॉरी ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी, उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

आंध्र प्रदेश में मत्स्य पत्तन

3666. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पत्तनों का निर्माण कहां-कहां किया जाएगा; और

(ग) इन पत्तनों का निर्माण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी,हां। गुंटूर जिले में निजामपत्तनम मत्स्यन बंदरगाह चरण-2 के निर्माण का प्रस्ताव है। केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरी मात्स्यिकी संस्थान(सी.आई.सी.ई.एफ.) बंगलौर ने विस्तृत जांच-पड़ताल की है और परियोजना के लिए व्यापक लागत अनुमान तैयार करने के लिए राज्य सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य सरकार द्वारा अभी परियोजना का विस्तृत लागत अनुमान भेजा जाना है।

(ग) चूंकि परियोजना प्रस्ताव इस समय बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है अत: अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3667. श्री जय प्रकाश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में सफल बीमा योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी क्षति के समय बीमा का लाभ प्रदान करने तथा उनकी फसलों का उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन खरीफ 2000 मौसम से किया जा रहा है। उत्तरांचल सरकार ने अब तक इस स्कीम के लिए विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक स्कीम है। उत्तरांचल ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है और इस स्कीम में लगभग सभी प्रकार की जोखिमों (जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती) का बीमा शामिल है। यदि बीमित फसल मौसम के दौरान, परिभाषित क्षेत्र में बीमित फसल की प्रति एकड़ वास्तविक उपज विनिर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम होती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त परिभाषित क्षेत्र में उपज कम हुई है और उस फसल की खेती करने वाले सभी किसान प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस स्कीम का उद्देश्य उपज के नुकसान को कवर करना है, न कि कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य को।

[अनुवाद]

राज्यों में अतिरिक्त खाद्यान्न

3668. श्री महबूब जहेदी:
डा. राम चन्द्र डोम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के कार्यान्वयन के कारण पंजाब जैसे अतिरिक्त खाद्यान्न वाले राज्यों के लिए उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं की जांच करने के संबंध में कोई कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कृतिक बल कब तक गठित कर लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) पंजाब सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली और पटना रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण कोटा

3669. श्री राजो सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में नयी दिल्ली/दिल्ली और पटना रेलवे स्टेशनों के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित कितना आरक्षण कोटा है;

(ख) क्या इस कोटे से यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टर्मिनलों पर संभलाई खर्च को कम करना

3670. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैरिफ ऑथोरिटी ऑन मेजर पोर्टस (टी.ए.एम.पी.) के मुम्बई पत्तन पर टर्मिनल से संभलाई प्रभार में कमी करने के हाल के आदेश से विदेशी नौवहन कंपनियों और घरेलू नौवहन कंपनियों के बीच बड़ा विवाद छिड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 20 जुलाई को लंदन में विदेशी कंटेनर लाइन्स की बैठक हुई थी और उसमें टी.ए.एम.पी. के आदेश का पालन न करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश के अन्य बड़े पत्तनों पर भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। प्रैस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न पक्षकारों के बीच हितों का टकराव है परन्तु मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.) एक सांविधिक प्राधिकरण है और संबंधित पक्षकारों द्वारा इसके आदेश का पालन करना आवश्यक है।

(घ) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का आदेश केवल मुम्बई पत्तन से संबंधित है और यह अन्य महापत्तनों पर लागू नहीं होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की लंबित विद्युत परियोजनाएं

3671. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूरी हेतु भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक लंबित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बिहार में चल रही विद्युत परियोजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्तमान में बिहार में विद्युत परियोजना स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इसके तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु जांचाधीन नहीं है। हालांकि निम्नलिखित स्कीमें आवश्यक शर्तों जैसे विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29 (2) का अनुपालन, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 18 ए के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत करना, ईंधन लिंकेज/परिवहन जल उपलब्धता, एमओइएंड एफ की स्वीकृति, सुनिश्चित वित्तीय पैकेज आदि को पूरा नहीं किए जाने के कारण परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दी गई है।

1.	कटिहार (2 250 मेगावाट)	10/95 को वापस
2.	खंडवा एमपीपी (5 90 मेगावाट)	3/95 को वापस
3.	पटना जीटी संयुक्त साइकिल (जीटी 2 50 मेगावाट+एसटी 2 30 मेगावाट)	5/89 को वापस
4.	बरौनी जीटी संयुक्त साइकिल (2 50 मेगावाट + एसटी 2 30 मेगावाट)	1/89 को वापस
5.	पटना टीपीएस (2 67.5 मेगावाट)	9/90 को वापस

लम्बित परियोजनाओं पर टीईसी हेतु विचार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक शर्तों/स्वीकृतियों को पूरा करने के बाद किया जाएगा।

(ग) मुजफ्फरपुर टीपीपी (2 250 मेगावाट) केवल ऐसी विद्युत परियोजना है जिसे के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मिली थी, किन्तु जिस पर अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ है। परियोजना को योजना आयोग ने दिसम्बर, 1995 में स्वीकृति दी। परियोजना को आरंभ में 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान चालू किया जाना था। मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आदेश दिया जाना शेष है। वित्तीय समस्याओं के कारण परियोजना का क्रियान्वयन नहीं शुरू किया जा सका है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऊपरि पुलों का निर्माण

3672. **राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में चिलबिला और बाबूगंज समपारों पर नये ऊपरि पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों को दान

3673. **प्रो. आर. आर. प्रमाणिक: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. आई. आई. के अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया है कि राजनैतिक दलों को निगमों द्वारा प्रदान किया जाने वाला कोई भी दान चेक द्वारा दिया जाना चाहिए और इस प्रकार के सारे योगदान पर शत-प्रतिशत कर की छूट दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) भारतीय उद्योग मंडल विभिन्न अन्य प्रतिनिधि निकायों की तरह सरकार को वित्त मंत्रालय में बजट पूर्व और बजट पश्चात ज्ञापन भेजता है। भारतीय उद्योग मंडल द्वारा उनके ज्ञापनों में राजनैतिक पार्टियों को चेक के द्वारा दान देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। यद्यपि, अन्य क्षेत्रों से भी सरकार को वित्त मंत्रालय में इसी तरह के सुझाव प्राप्त हुए हैं। शत प्रतिशत टैक्स छूट के लिए ऐसे चंदों को छूट जताने संबंधी प्रस्ताव का वित्त मंत्रालय ने समर्थन नहीं किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के क्षेत्र में प्रगति

3674. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा राजस्थान

राज्य सहित सम्पूर्ण देश में सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार उपलब्धियों का विवरण संलग्न हैं। इस मंत्रालय ने राजस्थान राज्य सहित सम्पूर्ण देश में विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन जैसे केन्द्रीय सब्सिडी, 100% संवद्धित ह्रास, रियायती सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क/बिक्री कर छूट, उदार शर्तों पर ऋण, अक्षय ऊर्जा विद्युत की वीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी, तीसरे पक्ष को बिक्री और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराकर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के समग्र विकास और संस्थापना के लिए कई कदम उठाए हैं।

विवरण

राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों के विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां
क.	**विद्युत उत्पादन**	
1.	पवन विद्युत	7.30 मे.वा.
2.	लघु पन बिजली (25 मे.वा. तक)	0.55 मे.वा.
ख.	**विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां**	
1.	बायोगैस संयंत्र (परिवार आकार)	3,135 सं.
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	15 सं.
3.	उन्नत चूल्हा	1.95 लाख सं.
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	1. सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	1,106 सं.
	2. घरेलू रोशनी प्रणालियां	16,164 सं.
	3. सौर लालटेन	2,910 सं.
	4. एसपीवी विद्युत संयंत्र	25.8 कि.वा.पी.
5.	सौर कुकर	1,255 सं.
6.	सौर जल तापन प्रणालियां	6,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
7.	पवन पंप	50 सं.
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	9 सं.
(ग) अन्य कार्यक्रम		
1.	ऊर्जा पार्क	3 सं.
2.	आईआरईपी ब्लॉक	36 सं.

कि.वा.पी. - किलोवाट पीक मे.वा. - मेगावाट
कि.वा. - किलोवाट

[अनुवाद]

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

3675. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के जून माह की इसी अवधि में कच्चे तेल का उत्पादन 2,682 मिलियन टन की तुलना में जून, 2001 में कच्चे तेल का उत्पादन 7.5 प्रतिशत से घटकर 2,481 मिलियन टन रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समीक्षा माह के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगमों की उपयोग क्षमता क्या थी;

(घ) पिछले तीन वर्ष के इसी माह की तुलना में इस वर्ष कितनी कमी आई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) के उत्पादन में मासिक लक्ष्य की तुलना में जून, 2001 में कमी के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:-

(1) बी एच एन का जीर्णोद्धार तथा बी एच एन-एस बी एम में टैंकर मूरिंग/डिमूरिंग।

(2) रिजर्वायर दशा की वजह से गांधार के 7 कूपों की बंदी।

(3) के एस पी (ई एंड डब्ल्यू) तथा गोपावरम क्षेत्र के अंतर्गत जल कटाव में वृद्धि

जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) का संबंध है, कुछ कूपों से जटिल वर्क ओवर तथा लंबे वर्क ओवर परीक्षण के कारण मामूली कमी आई है।

(ग) स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग की अवधारणा तेल के लिए लागू नहीं होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्न सम्मिलित हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने इस उद्देश्य के लिए 10,00) करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन ई एल पी के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन ई एल पी के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को पी एस सीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में हैं और 1 असम में है, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

करवाड़ पत्तन

3676. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने करवाड़ पत्तन को समुद्री पत्तन की सूची में सम्मिलित करने और इस खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति प्रदान करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान करवाड़ पत्तन द्वारा कितने जहाजी माल की संभलाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा करवाड़ पत्तन को समुद्री पत्तन की सूची में सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) और (ङ) कारवाड़ पत्तन सहित सभी अधिसूचित समुद्री पत्तनों के माध्यम से खाद्य तेल के आयात की अनुमति है।

(घ) कारवाड़ महापत्तन न होने के कारण कार्गो हैंडलिंग सहित इसके प्रशासन की कर्नाटक सरकार द्वारा देखरेख की जाती है।

लघु और सीमांत किसान विषय पर कार्यशाला

3677. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 28-29 नवम्बर, 2000 को गोरखपुर पर्यावरण कार्वाई समूह द्वारा लखनऊ में लघु और सीमांत किसान कार्यक्रमों से संबंधित महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सहायता हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुवक्किल को मुकदमें की फाइल लौटाया जाना

3678. श्री रामजी मांझी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगे जाने पर वकील अपने मुवक्किल (लों) को मुकदमें की फाइल (लें) वापस करने से मना नहीं कर सकता;

(ख) यदि हां, तो अपने मुवक्किल (लों) को मुकदमें की फाइल (लें) वापस न करने वाले वकीलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) खाता लेखकों के विरुद्ध वापसी समुदाय को वर्ष के बीच में उन्हें असहाय छोड़कर चले जाने पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या व्यवसायी लोगों को जब अपने खाते किसी और व्यक्ति से दुबारा लिखवाने पड़े तो उस वर्ष में लिए गए धन को लौटाने के लिए वे बाध्य हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) यदि कोई मुवक्किल वकील बदलना चाहता। और फाइल वापस करने की मांग करता है तो वकील फाइल को वापस करने के लिए बाध्य है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वकीलों का ऐसी फीस के लिए जिसमें संदाय नहीं किया गया है, फाइल पर कोई धारणाधिकार नहीं है। सामान्यत: किसी मुवक्किल को वकील की नियुक्ति को समाप्त करने के पूर्व फीस का संदाय करना चाहिए। पूर्व में, यह मत था कि वकील का संदत्त न की गई फीस के लिए फाइल पर धारणाधिकार है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को, ध्यान में रखते हुए, वकील फाइल वापस किए जाने के लिए बाध्य है।

(ख) यदि वकील फाइल को वापस करने से इंकार करता है तो मुवक्किल वृत्तिक कदाचार के लिए वकील के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं रखती है।

(घ) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी आयातकों द्वारा खाद्य कानूनों का उल्लंघन

3679. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विदेशी आयातकों द्वारा खाद्य कानूनों का उल्लंघन किये जाने की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष, 1999, 2000 और 2001 के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत शर्तों को पूरा न करने वाली आयातित मदों के वर्ष-वार पाए गए नमूनों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	शर्तों को पूरा न करने वाले पाए गए नमूनों की संख्या
1999	549
2000	797
2001	359

यह सूचना राज्यवार या संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं रखी जाती।

(ग) खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। सीमा अधिकारी खाद्य की खेप को रोक सकता है, नमूना ले सकता है और ऐसे खाद्य की गुणवत्ता का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत पता लगाने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण करवा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य के आयात से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ आयातकर्ताओं/व्यापारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं।

संवेदनशील बनाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्रमश: 30.05.2001, 14.06.2001, 20.06.2001 और 23.06.2001 को मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और कोचीन के पत्तनों पर किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीमाशुल्क अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पत्तन एवं हवाईपत्तन स्वास्थ्य संगठनों, आयातकर्ताओं, सीमाशुल्क कार्यालय के निकासी एजेण्टों तथा व्यापार संगठनों ने भाग लिया।

स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग, भारतीय खाद्य व्यापार एवं उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसंघ की एक अनुषंगी संस्था तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के विशेषज्ञों ने खाद्य उत्पादों के आयात से संबंधित विभिन्न कानूनों के विभिन्न प्रावधानों का ब्यौरा दिया और संवेदनशील बनाने संबंधी कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें यह प्रावधान है कि सभी आयातित खाद्य उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। तदनुसार मानवीय खपत के लिए जारी करने से पूर्व सभी आयातित उत्पादों का विश्लेषण किया जाता है। नमूनों का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों का रसायनिक विश्लेषण करने के अलावा लेबल संबंधी प्रावधानों की जांच भी करती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने आयातित खाद्य उत्पादों की लेबलिंग संबंधी अपेक्षाओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के वास्ते राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है।

[हिन्दी]

नकली ऐतिहासिक शिल्पकृतियों का निर्माण

3680. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदर्शनी के उद्देश्य से विदेश ले जायी गई कई ऐतिहासिक शिल्पकृतियों के स्थान पर नकली शिल्पकृतियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी और इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशों में विपणन-पटल का खोला जाना

3681. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों की शुल्क-मुक्त दुकानों में अपने उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से भारत के नाम एक पटल खोलने के लिए वहां की संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया है अथवा ऐसा करने का उसका कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर उक्त एजेंसियों ने अनुकूल प्रतिक्रिया जाहिर की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल का कोटा

3682. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं मिट्टी तेल देश में कमी वाला उत्पाद है और उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता की बन्दिशों के कारण वितरण विवेकपूर्ण ढंग से करना होता है और इसलिए ऐसे अनुरोधों को मानना हमेशा संभव नहीं हो पाता है।

डामर का उत्पादन तथा आयात

3683. श्री किरीट सोमैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डामर संबंधी उत्पादन क्षमता और उसकी आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या डामर को आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईरान से आयातित डामर अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या डामर के आयात के बारे में ईरान के साथ कोई संधि की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 2000-01 के दौरान बिटूमन का उत्पादन/की मांग तथा वर्ष, 2001-02 के दौरान तत्संबंधित अनुमान निम्नवत है:-

(आंकड़ें हजार मीट्रिक टन में)

		उत्पादन	मांग
2000-01	(ए सी टी)	2,721	2,714
2001-02	(ई एस टी)	2,729	2,726

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ए.पी.डी.पी. को मॉनीटर करने के लिए समिति

3684. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपो) निगरानी संबंधी समिति ने विभिन्न राज्यों के आबंटन की क्षेत्र स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति को ठोस रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के तहत् वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान, वर्तमान विद्युत आधार

संरचना के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) संबंधी मॉनीटरिंग समिति के.वि.प्रा. और आर.ई.सी. तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल करते हुए एक विस्तृत क्षेत्र स्तरीय मॉनीटरिंग नीति तैयार कर रही है ताकि क्षेत्र स्तरीय मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

(ख) पुराने विद्युत उत्पादक स्टेशनों के आर एंड एम कार्यों तथा अभिज्ञात वितरण नेटवर्क के उच्चीकरण के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान अलग-अलग आवंटित की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2001-02 के लिए के.वि.प्रा. द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं के अनुमोदन और निधियां आवंटन पर विचार मॉनीटरिंग समिति की आगामी बैठक में किया जाएगा।

विवरण

2000-2001 के दौरान एपीडीपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य यूटिलिटी	स्कीम का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		एपीडीपी के अधीन जोड़
1	2	3	4	5	6		7
					अनुदान	ऋण	
आंध्र प्रदेश							
1.	एपीजेनको	विजयवाड़ा टीपीएस यू 1 और 2 का आर एंड एम (2×210 मेगावाट)	आर एंड एम	22.30	5.58	5.58	11.15
2.	एपीजेनको	केटीपीएस बी और सी का आर एंड एम (2×105 + 2×110))	आर एंड एम	67.76	16.94	16.94	33.88
3.	एपीजेनको	त्वरित विद्युत उत्पादन, निकासी एवं नवीकरण, (पेजर) कार्यक्रम के अंतर्गत जल विद्युत केन्द्र के लिए विभिन्न कार्य	आर एंड यू	2.06	0.52	0.52	1.03
4.	एपीजेनको	नागार्जुन सागर एचईपी (1×110 मेगावाट + 7×100 मेगावाट) के लिए बाढ़ सुरक्षा दीवार	आर एंड यू	3.00	0.75	0.75	1.50
5.	एपीट्रांस्कों	इलुरु सर्किल	वितरण रूपांतरण	7.38	1.85	1.85	3.69
6.	एपीट्रांस्कों	इलरू सर्किल	मीटर	29.26	7.32	7.32	14.63
7.	एपीट्रांस्कों	तिरूपति सर्किल	वितरण रूपांतरण	13.53	3.38	3.38	6.77
8.	एपीट्रांस्कों	तिरूपति सर्किल	मीटर	19.72	4.93	4.93	9.86
9.	एपीट्रांस्कों	वारंगल सर्किल	वितरण रूपांतरण	9.97	2.49	2.49	4.99
10.	एपीट्रांस्कों	वारंगल सर्किल	मीटर	19.72	4.93	4.93	9.86
				194.70	46.68	48.68	97.35
बिहार							
11.	बीएसईबी	पीईएसयू (पूर्व)	पारेषण	8.93	2.23	2.23	4.47

1	2	3	4	5	6		7
12.	बीएसईबी	आर एंड एम, मुजफ्फरपुर	आर एंड एम	20.55	5.14	5.14	10.28
13.	बीएसईबी	पीईएसयू(पूर्व)	मीटर	5.58	1.40	1.40	2.79
14.	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर	मीटर	7.82	1.96	1.96	3.91
				42.88	10.72	10.72	21.45
	गुजरात						
15.	जीईबी	वनाकबोरी टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	4.45	1.11	1.11	2.23
16.	जीईबी	साबरमती सर्किल	मीटर	12.98	3.25	3.25	6.49
17.	जीईबी	पालनपुर एवं हिम्मतनगर जोन	मीटर	9.80	2.45	2.45	4.90
18.	जीईबी	कच्छ जिले में विद्युत प्रणाली का पुन:स्थापन (कुल लागत-470 करोड़ रुपये, केवल प्रथम छ: माह हेतु व्यय)	पारेषण	192.00	48.00	48.00	96.00
				219.23	54.81	54.81	109.62
19.	डोएचबीवीएनएल	हिसार शहर	रूपांतरण	7.71	1.93	1.93	3.86
20.	डोएचबीवीएनएल	हिसार सर्किल	रूपांतरण	4.50	1.13	1.13	2.25
21.	डोएचबीवीएनएल	फरीदाबाद शहर	रूपांतरण	8.84	2.21	2.21	4.42
22.	डोएचबीवीएनएल	फरीदाबाद सर्किल	रूपांतरण	8.50	2.13	2.13	4.25
23.	डोएचबीवीएनएल	सोनीपत सर्किल	मीटर	8.77	.19	2.19	4.39
24.	डोएचबीवीएनएल	सोनीपत सर्किल	रूपांतरण	1.98	0.50	0.50	0.99
25.	डोएचबीवीएनएल	करनाल सर्किल	मीटर	10.00	2.50	2.50	5.00
26.	डोएचबीवीएनएल	करनाल सर्किल	रूपांतरण	6.56	1.64	1.64	3.28
27.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	23.70	5.93	5.93	11.85
28.		हिसार	कैप	0.34	0.09	0.09	0.17
29.		फरीदाबाद	कैप	1.93	0.48	0.48	0.97
30.		हिसार	वितरण, रूपांतरण	2.40	0.60	0.60	1.20
31.		फरीदाबाद	वितरण, रूपांतरण	14.00	3.50	3.50	7.00
				99.23	24.83	24.83	49.66
	झारखंड						
32.	झारखंड	रांची सर्किल	रूपांतरण	29.89	7.47	7.47	14.95
33.	झारखंड	लोया बाद सर्किल	रूपांतरण	14.05	3.51	3.51	7.03
				43.94	10.99	10.99	21.97

1	2	3	4	5	6		7
	कर्नाटक						
34.	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस यू-1, 2 व 3 का आर एंड एम (3×210)	आर एंड एम	28.84	7.21	7.21	14.42
35.	केपीसीएल	शरावती, सुपा, लिंगनामाकी, भद्रा एवं वाराही एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	16.00	4.00	4.00	8.00
36.	वीवीएनएल	28 मेगावाट की मुनिराबाद जल विद्युत केन्द्र (2×9+1×10 मेगावाट)	आर एंड यू	3.64	0.91	0.91	1.82
37.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल	वितरण, रूपांतरण	9.98	2.50	2.50	4.99
38.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल	मीटर	10.00	2.50	2.50	5.00
39.	केपीटीसीएल	बीजापुर सर्किल	रूपांतरण	27.48	6.87	6.87	13.74
40.	केपीटीसीएल	बीजापुर सर्किल	मीटर	5.84	1.46	1.46	2.92
41.	केपीटीसीएल	बीजापुर सर्किल	रुपांतरण	39.90	9.98	9.98	19.95
42.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	वितरण, रूपांतरण	9.99	2.50	2.50	5.00
43.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	मीटर	6.59	1.65	1.65	3.30
44.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	रूपांतरण	4.72	1.18	1.18	2.36
				162.98	40.74	40.74	81.49
	मध्य प्रदेश						
45.	एमपीईबी	1142.5 मेगावाट सतपुड़ा टीपीएस का आर एंड एम (5×625 + 1×200 + 3×210 मेगावाट)	आर एंड एम	22.34	5.59	5.59	11.17
46.	एमपीईबी	ग्वालियर	मीटर	12.41	3.10	3.10	6.21
47.	एमपीईबी	इंदौर	मीटर	19.35	4.84	4.84	9.68
48.	एमपीईबी	उज्जैन	मीटर	21.36	5.34	5.34	10.68
49.	एमपीईबी	ग्वालियर	कैप	0.42	0.11	0.11	0.21
50.	एमपीईबी	इंदौर	कैप	2.99	0.75	0.75	1.50
51.	एमपीईबी	उज्जैन	कैप	1.70	0.43	0.43	0.85
52.	एमपीईबी	इंदौर	वितरण, रूपांतरण	18.49	4.62	4.62	9.25
				99.06	24.78	24.78	49.55

1	2	3	4	5	6		7
	महाराष्ट्र						
53.	एमएसईबी	परली टीपीएस स्कीम का एफलुयेंट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता	आर एंड एम	4.41	1.10	1.10	2.21
54.	एमएसईबी	परली टीपीएस स्कीम एश वाटर रिकवरी	आर एंड एम	8.05	2.01	2.01	4.03
55.	एमएसईबी	ईएसपी संवर्धन नासिक टीपीएस का रिट्रोफिट	आर एंड एम	22.00	5.50	5.50	11.00
56.	एमएसईबी	एमपी एसपी प्रणाली द्वारा कोराडी, नासिक एवं परली टीपीएस के कोयला मिलों की मरम्मत एवं नवीकरण	आर एंड एम	6.00	1.50	1.50	3.00
57.	एमएसईबी	कोराडी टीपीएस का आर एंड एम (यू-5) ईएसपी का संवर्धन)	आर एंड एम	48.00	12.00	12.00	24.0
58.	एमएसईबी		मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
59.	एमएसईबी	रत्नागिरि सर्किल	वितरण,रूपांतरण	10.00	2.50	2.50	5.00
60.	एमएसईबी	रत्नागिरी सर्किल	मीटर	14.15	3.54	3.54	7.08
61.	एमएसईबी	उस्मानाबाद सर्किल	मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
62.	एमएसईबी	जलगांव सर्किल	वितरण,रूपांतरण	26.27	6.57	6.57	13.14
63.	एमएसईबी	जल गांव सर्किल	मीटर	50.00	12.50	12.50	25.00
				268.88	67.22	67.22	134.44
	उड़ीसा						
64.	ओएचपीसी	हीराकुड-1का आर एम एवं यू (बुरला) यू-3व 4	आर एंड यू	126.13	19.00	19.00	38.00
				126.13	19.00	19.00	38.00
	पंजाब						
65.	पीएसईबी	शानन एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	11.98	3.00	3.00	5.99
66.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	वितरण, रूपांतरण	8.51	2.13	2.13	4.26
67.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	मीटर	9.68	2.42	2.42	4.84
68.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	रूपांतरण	25.00	6.25	6.25	12.50
69.	पीएसईबी	खन्ना सर्किल	वितरण, रूपांतरण	7.44	1.86	1.86	3.72

1	2	3	4	5	6		7
70.	पीएसईबी	खन्ना सर्किल	मीटर	12.79	3.20	3.20	6.40
				75.40	18.85	18.85	37.70
	राजस्थान						
71.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	वितरण, रूपांतरण	27.89	6.97	6.97	13.95
72.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	मीटर	15.62	3.91	3.91	7.81
73.	आरआरवीपीएनएल	अलवर सर्किल	रूपांतरण	7.12	1.78	1.78	3.56
74.		अलवर	मीटर	9.00	2.25	2.25	4.50
75.		झुंझनू	मीटर	8.15	2.04	2.04	4.08
75.		जोधपुर	मीटर	10.85	2.71	2.71	5.43
76.		अलवर	कैप	3.20	0.80	0.80	1.60
77.		झुंझन	कैप	3.70	0.93	0.93	1.85
78.		जोधपुर	कैप	4.45	1.11	1.11	2.23
				89.98	22.50	22.50	45.00
	तमिलनाडु						
79.	टीएनईबी	तूतीकोरिन टीपीएस आर एंड एम चरण-2 के अधीन रूटीन आर एंड एम गतिविधियां	आर एंड एम	33.84	8.46	8.46	16.92
80.	टीएनईबी	एन्नौर टीपीएस का आर एंड एम (एश डाइक का निर्माण)	आर एंड एम	73.04	18.26	18.26	36.52
81.	टीएनईबी	कैपेसिटर्स	कैपेसिटर्स	24.03	6.05	6.05	12.10
				130.91	32.77	32.77	65.54
	उत्तर प्रदेश						
82.	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा टीपीएस का आर एंड एम (3×210 मेगावाट)	आर एंड एम	32.80	8.20	8.20	16.40
83.	यूपीआरवीयूएनएल	पनकी टीपीएस यूनिट-3 व 4 का आर एंड एम	आर एंड एम	31.43	7.86	7.86	15.72
84.	यूपीआरवीयूएनएल	अनपारा "ए" टीपीएस का आर एंड एम (3×210 मेगावाट)	आर एंड एम	26.10	6.53	6.53	13.05

1	2	3	4	5	6		7
85.	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा टीपीएस का आर एंड एम (3×210 मेगावाट)(पेजर)	आर एंड एम	8.02	2.01	2.01	4.01
86.	यूपीजेवीएनएल	खोदरी एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	10.50	2.63	2.63	5.25
87.	यूपीजेवीएनएल	चिल्ला एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	47.10	11.78	11.78	23.55
88.	यूपीजेवीएनएल	चिबरो एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	20.90	5.23	5.23	10.45
89.		मुरादाबाद	मीटर	14.41	3.60	3.60	7.21
		गोरखपुर	मीटर	11.64	2.91	2.91	5.82
				202.90	50.72	50.72	101.46
	पश्चिम बंगाल						
90.	डब्ल्यूबीएसईबी	जलढका चरण-1 (3×9 मेगावाट) और चरण-2 (2×4 मेगावाट) का आर एंड यू	आर एंड यू	49.79	12.45	12.45	24.90
91.	डब्ल्यूबीएसईबी	अभिज्ञात 3 सर्किलों (हावड़ा, बिधाननगर एंव 24 परगना) के घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मीटर	मीटर	7.20	1.80	1.80	3.60
92.	डब्ल्यूबीएसईबी	3 सर्किलों में मीटर, कैपेसिटर्स	मीटर	30.00	7.50	7.50	15.00
				86.99	21.75	21.75	43.50
	छत्तीसगढ़						
93.		रायपुर	मीटर	6.40	1.60	1.60	3.20
94.		बिलासपुर	मीटर	5.00	1.25	1.25	2.50
95.		रायनंदगांव	मीटर	6.10	1.53	1.53	3.05
95.		रायपुर	कैपेसिटर्स	1.00	0.25	0.25	0.50
96.		बिलासपुर	कैपेसिटर्स	1.40	0.35	0.35	0.70
97.		राजनंदगांव	कैपेसिटर्स	0.61	0.15	0.15	0.31
				20.51	5.13	5.13	10.26
	उत्तरांचल						
98.		देहरादून	मीटर	3.60	0.90	0.90	1.80
99.		रूड़की	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
100.		रूद्रपुर	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
				9.60	2.40	2.40	4.80
		कुल जोड़		1873.32	455.66	455.66	911.33

[हिन्दी]

रेल-टिकटों की कालाबाजारी

3685. श्री मानसिंह पटेल:
श्री महेश्वर सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान सरकार ने दलाली तथा धोखाधड़ी में लगे ऐसे अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो रेल विभाग के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से निश्चित आरक्षण वाले रेल-टिकटों की कालाबाजारी कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने पिछले छह महीनों के दौरान और अब तक उन अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं जो रेल-टिकटों की कालाबाजारी में दलालों का साथ दे रहे हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बिहार की पर्यटन-परियोजनाएं

3686. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की सरकार ने पर्यटन संबंधी अनेक परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में भेजी गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार से प्राप्त प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजना प्रस्तावों और स्वीकृत तथा अवमुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार से प्राप्त प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजना प्रस्तावों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	टिप्पणी
1	2	4	5	6
	1998-99			
1.	औरंगाबाद में पर्यटक परिसर	25.00	07.50	
2.	सिंधेश्वर अस्थान (मधेपुरा) में यात्रीनिवास	19.39	06.00	
3.	भागलपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	15.00	04.50	
4.	मुंगेर में पर्यटक स्वागत् केन्द्र	15.00	05.00	
5.	जीवक विहार, राजगीर में विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं विस्तार	-	-	स्वीकृत नहीं हुई
6.	होटल बिरसा बिहार, रांची का नवीकरण	20.00	06.00	

1	2	4	5	6
7.	होटल रत्न विहार, धनबाद का नवीकरण	25.00	07.50	
8.	कौटिल्य विहार, पटना (चरण-2) में विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं विस्तार	08.06	02.50	
9.	विक्रमशिला में स्मारकों का सौन्दर्यकरण	16.66	05.00	
10.	कुण्ड क्षेत्र, राजगीर के पश्चिम में हैल्थ रिजार्ट एवं गर्म पानी स्नान/एसपीए परिसर का निर्माण	13.92	04.18	
11.	महाबौद्धि मन्दिर, बोधगया का प्रदिप्तीकरण	24.00	12.00	
12.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नालन्दा, वैशाली, पटना और राजगीर के बौद्ध स्थलों मे प्रवेश द्वार/ नोटिस बोर्ड/बिजली के खम्बे तथा बैंच	13.32	04.00	
13.	राजगीर उत्सव	10.00	10.00	
14.	सोनपुर मेला	02.22	02.22	
15.	बौद्ध महोत्सव	13.56	13.56	
16.	पर्यटक केन्द्र का एकीकृत विकास- कुण्ड क्षेत्र, राजगीर (जिला नालन्दा) का भू-दृश्यांकन एवं पुनर्विकास	50.00	25.00	
	1999-2000			
1.	मधुबन में यात्रिका	41.65	12.50	
2.	पुर्निया में पर्यटक परिसर एवं सूचना केन्द्र	49.28	14.78	
3.	मुजफ्फरपुर चरण-2 में पर्यटक परिसर	-	-	स्वीकृत नहीं हुई
4.	मुंगेर में पर्यटक परिसर	-	-	-वही-
5.	देवगढ़ में बैद्यनाथ विहार का नवीकरण	20.00	06.00	
6.	सहरसा में पर्यटक परिसर एवं सूचना केन्द्र	49.28	14.78	
7.	सहरसा में पर्यटक सूचना केन्द्र	-	-	स्वीकृत नहीं हुई
8.	देवघर में पर्यटक सूचना केन्द्र	15.00	04.50	
9.	मुजफ्फरपुर में पर्यटक सूचना केन्द्र	15.00	04.50	
10.	पूर्णिया में पर्यटक सूचना केन्द्र	-	-	स्वीकृति नहीं हुई

1	2	4	5	6
11.	पावापुरी में मार्गस्थ सुविधाएं	-	-	स्वीकृत नहीं हुई
12.	खाजाना में मार्गस्थ सुविधाएं	-	-	-वही-
13.	किशनगंज/गोपीगंज में मार्गस्थ सुविधाएं	-	-	-वही-
14.	बाहरगोरा में मार्गस्थ सुविधाएं	-	-	-वही-
15.	राजगीर उत्सव	10.00	05.00	
16	सोनपुर मेला	-	-	-वही-
	2000-2001			
1.	रिखिया (देवगढ़) में पर्यटक परिसर	49.28	14.78	
2.	पटना में पर्यटक स्वागत केन्द्र	46.16	13.85	
3.	भीम बांध में पर्यटक परिसर	49.28	14.78	
4.	काकोलात (नावाड़ा) में पर्यटक स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	24.40	07.32	
5.	देव (औरंगाबाद) में पर्यटक स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	18.73	05.62	
6.	कुनेरी (जिला गया) में पर्यटक स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	18.73	05.62	
7.	इटाखोरी (चतरा)* में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	05.86	
8.	गोडरमन्ना (गढ़वा)* में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	05.86	
9.	जमशेदपुर* में पर्यटक परिसर	49.28	14.78	
10.	राजरप्पा* में पर्यटक परिसर	49.28	14.78	
11.	टेनुघाट* में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	05.86	
12.	पटना बाईपास (एनएच), पटना साहिब में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	05.86	
13.	रिवलगंज (छपरा) में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	05.86	
14.	तीसरा बौद्ध महोत्सव	15.00	03.75	
15.	राजगीर महोत्सव	05.00	00.77	
16.	सोनपुर मेला	05.00	01.25	
17.	हाजीपुर में पर्यटक परिसर	-	-	स्वीकृत नहीं हुई

*राज्य निधियों के अलग-अलग करने के परिणाम स्वरूप निधियां झारखंड सरकार के पक्ष में अवमुक्त की गई।

[हिन्दी]

राजस्थान की रेल-परियोजनाएं

3687. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की चालू तथा प्रस्तावित रेल-परियोजनाएं पर्याप्त बजटीय-आबंटन के अभाव में विलंबित होती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) राजस्थान में रेल परियोजनाओं सहित, सामान्यत: रेल परियोजनाएं और विशेषकर नई लाइन आमान परिवर्तन योजना शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाएं संसाधनों की तंगी का सामना कर रही हैं।

(ख) परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए रेलें आन्तरिक रूप से सृजित राजस्व को बढ़ाकर, रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निजी पार्टियों और राज्य सरकारों की वित्तीय भागी दारी की व्यवस्था करके, अतिरिक्त बजटीय सहायता प्राप्त करके आदि द्वारा संसाधनों के स्रोतों में वृद्धि करने के प्रयास कर रही हैं।

नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए संसाधनों का आबंटन विवेकपूर्ण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को इनकी वास्तविक प्रगति, परिचालनिक महत्व, राष्ट्रीय व सामरिक महत्व और सामाजिक वांछनीयता के आधार पर प्राथमिकता दी गई है।

[अनुवाद]

रेल मजदूरों की समस्याएं

3688. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 31 मई, 2001 के 'दि हिन्दू' समाचार पत्र में 'बुक आन 1974 रेल स्ट्राइक रिलीज्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के विषय में जानकारी है;

(ख) क्या यह सही है कि रेल मजदूरों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है और वे वैसी ही दुर्दशा तथा समस्याएं भोग रहे हैं जैसी सन् 1974 में भोग रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई उप-नगरीय रेल सेवा में सुरक्षा-जोन

3690. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई उप-नगरीय रेल सेवा के अन्तर्गत 30 फीट का सुरक्षा -जोन रखने को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) सुरक्षा-जाने से कितनी झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाया गया है और उनमें से कितनों का पुनर्वासन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों को पुनर्वासित करने के लिए मुम्बई स्थित उस भूमि को इस्तेमाल में लेने की योजना बनाई है जो अप्रयुक्त है; और

(घ) मुम्बई में रेल विभाग के स्वामित्व वाली भूमि को आगे अतिक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) संरक्षा जोन में आने वाले क्षेत्र के अधिकांश भाग को अतिक्रमणों से मुक्त करा लिया गया है।

(ख) हटाई गई झुग्गियों की संख्या -10540

पुनर्वासित झुग्गियों की संख्या - लगभग 9000

बहरहाल, पुनर्वास की सही स्थिति राज्य सरकार, जो पुनर्वास कार्य कर रही है, द्वारा रखी जाती है।

(ग) झुग्गी वासियों का पुनर्वास महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए कुछ साल्ट भूमि का उपयोग करने की योजना बनाई है।

(घ) चाहरदीवारी बनाकर और तार लगाकर तथा भेद्य भूमि को 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के तहत रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर देकर, अतिक्रमण ध्यान में आते ही शीघ्र हटाकर और इस दिशा में अधिक सतर्कता बरतकर भूमि को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचना डाटाबेस प्रणाली तैयार करना

3691. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों में हस्तशिल्प के विषय में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से एक भौगोलिक-सूचना डाटाबेस प्रणाली तैयार करने पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भौगोलिक सूचना पद्धति पर आधारित पोर्टल का विकास किया जा रहा है। इस पोर्टल में हस्तशिल्प क्षेत्र के सभी पहलुओं के बारे में सूचना और आंकड़े उपलब्ध होंगे और इससे विश्वभर में कारीगरों, डिजाइनरों राज्य और केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगमों, अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं और अन्य इच्छुक दलों जैसे विभिन्न प्रयोक्ता दलों के बीच सूचना और आंकड़ों का आदान-प्रदान हो सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में सूचना और आंकड़ों का पोर्टल 2.3.2001 को इन्टरनेट पर जारी कर दिया गया है और अखिल भारतीय आंकड़े अक्तूबर 2001 के अन्त तक अपलोड होने की आशा है।

''रिलायंस'' कंपनी द्वारा रूस में निवेश

3692. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिलायंस को उसकी रूग्ण प्राकृतिक गैस की इकइयों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए रूस में निवेश करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में निवेश किया जाएगा तथा इसमें सरकार की कितनी हिस्सेदारी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सूचना संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से उत्पादन-क्षमता

3693. श्री सुबोध मोहिते: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि के संस्थापन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी दशक के दौरान नवीकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत-उत्पादन क्षमता के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कार्यनीति तैयार की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी निधि (नेटकॉफ) की निम्नलिखित के लिए स्थापना की है:-

(1) स्वदेशी रूप से विकसित अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को सहायता।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उत्पादों/युक्तियों के वाणिज्यीकरण में तेजी लाने की दृषि से उनके निर्माण के लिए प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता।

(3) व्यापक घरेलू उपयोग के लिए आयातित अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तेजी से वाणिज्यीकरण को सहायता।

(4) घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूलन को समर्थ बनाने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रक्रियाओं/उत्पादों का अनुकूलन/संशोधन।

(5) ऐसे नवीन उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का विकास करना जो अपने प्रारंभिक चरणों में हैं, किन्तु जिनमें विकास और प्रतिलाभ की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

मंत्रालय द्वारा नेटकॉफ योजना को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से और इसके साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) और आईसीआईसीआई के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। कुल परियोजना लागत की 75% तक विभिन्न रूपों में सहायता की परिकल्पना है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 तक संस्थापित क्षमता संयोजन में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 10% भाग (10,000 मेवा) के लक्ष्य की परिकल्पना है। इस मंत्रालय ने एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है और इस लक्ष्य को अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली आदि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

डालीगंज में उपरि पुल का निर्माण

3694. श्री रामपाल सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ में डालीगंज रेल-क्रॉसिंग के लिए स्वीकृत उपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त रेल क्रॉसिंग पर उपरि पुल का निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) राज्य सरकार ने ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को लंबित रखने की सलाह दी है, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह समपार संख्या 6 जिसके लिए मूलत: स्वीकृति दी गई थी अथवा समपार संख्या 7 के बदले बनेगा।

(ख) राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

(ग) वर्ष 1998-99 में ऊपरी सड़क पुल को स्वीकृत करते समय 7.00 करोड़ रु. की कुल लागत का अनुमान लगाया गया था। (मूलत: स्वीकृत स्थान पर)।

उड़ीसा में विद्युत आपूर्ति

3695. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को की जा रही विद्युत आपूर्ति उसकी आवश्यकता से कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उड़ीसा को पर्याप्त मात्रा में तथा यथाआवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) अप्रैल, 2001-जुलाई, 2001 के दौरान उड़ीसा राज्य विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:-

	आवश्यकता	उपलब्धता	अभाव	%
ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	3908	3908	0	0.0
व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	1924	1797	127	6.6

उड़ीसा में ऊर्जा का अभाव नहीं है। हालांकि यहां 6.6% व्यस्ततकालीन ऊर्जा का अभाव अवश्य है। पूर्वी क्षेत्र में समग्र रूप से विद्युत का आधिक्य है और अन्य क्षेत्र को अंतरण करता है। द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत उड़ीसा 150 मे.वा. विद्युत आंध्र प्रदेश को भी आपूर्ति करता है।

छोटे किसानों के लिए मशीन-आधारित कृषि योजनाएं

3696. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार छोटे किसानों को मशीन-आधारित कृषि की तरह प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई योजना चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में, विशेषकर वहां के जालना और औरंगाबाद जिलों में, इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ किसानों को 30 हजार रु. से अधिक की राज-सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। कृषि उपकरण तथा मशीनें खरीदने के लिए किसानों को विभिन्न स्कीमों के अधीन राजसहायता मुहैया कराई जा रही है। राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

(घ) कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 30,000/- रु. से अधिक की राजसहायता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

कृषि यंत्रीकरण के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र.सं.	उपकरण/मशीन का नाम	राजसहायता दर	
1	2	3	
1.	ट्रैक्टर	30% की दर पर 30,000/- रु. तक सीमित	
2.	पावर टिलर	50% की दर पर 30,000/- रु. तक सीमित	
3.	विद्युत चालित उपकरण	30% की दर पर 10,000/- रु. तक सीमित	
4.	विद्युत थ्रैशर (सभी प्रकार के)	30% की दर पर 10.000/- रु. तक सीमित	
5.	डीजल/इलैक्ट्रिक पम्प सेट	50% की दर पर 8,000/- रु. तक सीमित	
6.	स्प्रिंकलर	**स्प्रिंकलर सेट-**	
		(क) छोटे, सीमान्त, अ.जा. व अ.ज.जा. तथा महिला कृषकों के लिए लागत की 50% की दर पर प्रति सेट 15,000/-रु.की सीमा तक	
		(ख) अन्य दूसरे किसानों (2 है. तक) के लिए लागत की 33% की दर पर प्रति सेट 10,000/-रु. की सीमा तक	
7.	ड्रिप सिंचाई	अ.जा. व अ.ज.जा., छोटे, सीमान्त तथा महिला कृषिकों के लिए लागत की 50% की दर पर, और अन्य किसानों के लिए लागत की 50% की दर पर निम्नलिखित सीमा के साथ	
	राज्य	अ.जा./अ.ज.जा. छोटे/सीमान्तर व महिला कृषक	अन्य किसान
	(क) पूर्ण* विकसित	22500/-	16000/-
	(ख) कम* विकसित	26000/-	18200/-
	(ग) पर्वतीय* क्षेत्र	28500/-	20000/-
8.	पशुवाहित उपकरण	50% की दर पर 2,000/-रु. की सीमा तक	
9.	मानव प्रचालित उपकरण/औजार	50% की दर पर 2,000/-रु. की सीमा तक	

1	2	3
10.	**पौध संरक्षण उपकरण**	
	(1) मैनुवल	50% की दर पर 800/-रु. की सीमा तक
	(2) ऊर्जा प्रचालित	50% की दर पर 2,000/- रु. की सीमा तक
	(3) ट्रैक्टर प्रचालित	25% की दर पर 4,000/रु. की सीमा तक
11.	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर पैडी ट्रांस्पलांटर और अन्य इसी तरह की सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनें	50% की दर पर 30,000/रु. की सीमा तक
12.	सुगर केन कटर प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर ड्रान रीपर आदि	30% की दर पर 20,000/रु. की सीमा तक

नोट:

1. (1) ट्रैक्टर और पावर टिलर पर राजसहायता उन पर दी जा सकती है जिनका परीक्षण केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी में किया गया हो और इस संबंध में दिशा-निर्देशों को पूरा करते हों।
   (2) ट्रैक्टर और पावर टिलर पर राजसहायता की उन पर अनुमति है जो क्रमश: 30 पीटीओ हार्स पॉवर तक और 8 से 15 हार्स पॉवर के हों।
2. जबकि राज्य सरकारें राजसहायता की वही दरें रखेंगी, अधिकतम राशि उपकरणों की लागत पर निर्भर रहते हुए कम की जा सकती है।

*पूर्ण विकसित- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
*कम विकसित-हिमालयी क्षेत्र के अलावा अन्य
*पर्वतीय क्षेत्र- पूर्वोत्तर क्षेत्र व हिमालयी क्षेत्र
(हि.प्र., ज. एवं क., उत्तरांचल, दार्जिलिंग)

[अनुवाद]

कोट्टूर-हास्पेट रेल मार्ग को हरिहर तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण

3697. श्री कोल्लुर बसवनागौड़: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोट्टूर-हास्पेट रेल लाईन को हरि-हर तक बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कोट्टूर-हास्पेट रेल लाईन को हरिहर तक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) कोट्टूर से हरिहर तक नई लाइन के निर्माण के कार्य को बजट में शामिल कर लिया गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत 124.13 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सस्ती बिजली के लिए नई रणनीति

3698. श्री अनंत गुडे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए नई रणनीति बनाने हेतु कोई नयी पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण ग्रामीण विद्युतीकरण, पन बिजली उत्पादन की बढ़ती हिस्सेदारी पर आने वाली लागत को कम करने तथा उपस्करों और बिजली खरीद समझौतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शुरु किए गए/विचाराधीन नये सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृतिक बल ने सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) अनंतिम उपयोगकर्त्ता द्वारा विद्युत की लागत कम किए जाने तथा विद्युत परियोजनाओं की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने के संबंध में सरकार द्वारा विशेष सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंत: अनुशासनात्मक दल का गठन किया गया। आईडीजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है:

* परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था
* पूंजीगत लागत की बेंच मार्किंग
* विद्युत संयंत्रों का परिचालन एवं अनुरक्षण
* विद्युत संयंत्रों का नवीकरण
* पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी
* मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण।

मार्च, 2001 में आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सुधार कार्यों, ग्रामीण विद्युतीकरण पारेषण एवं वितरण आदि मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में किया गया संकल्प संलग्न विवरण में है। जहां तक जल विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाने का संबंध है सरकार ने देश जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जल विद्युत 1998 में लागू की है।

विवरण

3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का संकल्प

1. मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु यह सहमति हुई कि विद्युत सुधारों को राजनीति से अलग करने की नितांत आवश्यकता है तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाए। इस परियोजना के लिए सर्वदलीय सहमति सृजित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं समेत एक सर्वदलीय बैठक करने का अनुरोध किया गया।

2. निम्नलिखित संकल्प किए गए:

(क) सभी गांवों तथा घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत् ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(2) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2012 तक के लिए सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

(4) जहां कहीं भी अपेक्षित हो विद्युतीकरण के कार्य को हाथ में लेने के लिए गांव/ब्लॉक पंचायत की सहमति के साथ ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत् निधियों का उपयोग करने के लिए राज्य का पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु नम्यता प्रदान की जाए।

(5) यह सहमति हुई कि राज्यों में दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान सहायता समेत वित्त पोषण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी।

(ख) वितरण सुधार

प्रबंधन तथा सुधारों की चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्रण में पड़ती है।

(1) अगले छ: महीनों के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तथा स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(2) इस प्रयोजन के लिए एक प्रभाव प्रबंधन सूचना प्रणाली को कार्यरूप देने की आवश्यकता है।

(3) अगले दो वर्षों में विद्युत चौरी का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने के लिए उपरोक्त आधार पर एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(4) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

(5) संभरित विद्युत की गुणवत्ता पर विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों को, एपीडीपी तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(6) निम्नलिखित में से एक अथवा सभी के माध्यम से दो अथवा तीन वर्षों में वितरण व्यवहारिता को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है।

* पूरी जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्र सृजित करके।

* पंचायतों/स्थानीय निकायों/मतदाता संघ/उपभोक्ता संघ/ जहां पर आवश्यक हो स्थानीय वितरण को सौंपा जाए।

* वितरण को निजीकरण करके।

* अथवा किसी अन्य साधन से।

(7) राज्यों द्वारा अगर आवश्यक हो विद्युत के वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने पर ध्यान देने के प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

(8) वितरण पर वर्तमान प्रचालन को दो वर्षों में छोड़े जाने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जाएं।

(ग) विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं आर्थिक सहायता

(1) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अगले छ: महीने में कार्यात्मक बनाया जाए तथा टैरिफ संबंधी याचिका दायर की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित अथवा अस्थगित नहीं कर दिया जाता। नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

(2) केवल बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक ही आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(3) 50 पैसे के न्यूनतम कृषि टैरिफ को मुख्य मंत्रियों के पिछले निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए।

(घ) उत्पादन

(1) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयंत्रों के पीएलएफ में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(2) कम समय में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि करने का कोई विकल्प नहीं हैं क्योंकि उत्पादन में वृहत् स्तर निजी निवेश केवल सुधारों के वित्तीय व्यवहार्यता पुन: प्राप्त करने में सफल होने के पश्चात् ही आएगा। केन्द्र और राज्यों को 10वीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उन स्थलों पर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करते हैं। के.वि.प्रा. ने 2012 तक 100,000 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है।

(3) जहां राज्य और वित्तीय संस्थान आईपीपी के विकास की आवश्यकता पर सहमत हैं, वहां उन्हें शीघ्र ही वित्तीय समापन करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्र सुधार आधारित बहुपक्षीय करारों को अंतिम रूप दिए जाने को सरल एवं कारगर बनाएगा।

(4) एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है।

(5) विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के लिए वन सुरक्षा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन

1. निम्नलिखित के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रभावी कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समुचित लोग, जागरूकता तथा व्यापक प्रयास किए जाएं-ऊर्जा दक्ष बल्ब, ट्यूब लाईट तथा कृषि पम्पसेट, शिखर तथा गैर-शिखर घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ और दिन के समय बिजली की मीटरिंग।

(च) भारत सरकार से समर्थन

(1) भारत सरकार राज्यों को उनके सुधार प्रयासों में सहयोग देगी। यह सहयोग तभी होगा जब राज्यों में समयबद्ध विद्युत सुधारों के प्रयासों से लिंक होगा तथा वित्तीय व्यवहार्यता की बहाली के प्रति निश्चित मील के पत्थर के समान लिंक होगा।

(2) पीएफसी तथा आरईसी की ब्याज दरों को बाजार की स्थितियों के अनुरुप कम किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी विद्युत क्षेत्र के पिछली बकाया राशियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य विद्युत यूटिलिटियों की देय बकाया राशियों का एक ही बार में निपटाने हेतु संस्तुति के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन सुधारों के कार्यकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह दल अपने गठन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सतत् आपूर्ति की चालू खरीद के लिए अभिज्ञात करने की क्षमता प्रदर्शित करने के साथ तथा पिछली बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त दल

विद्युत मंत्री तथा कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लेकर एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल का गठन सुधारों के समन्वयन, मॉनीटर तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

केरल में वर्षा

3699. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल, उड़ीसा आदि में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रभावित राज्य सरकारों ने राहत उपायों के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तरांचल की सरकारों ने दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 2001 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जन और धन हानि को सूचित किया है। जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जन और धन हानि से हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) और (ग) मुख्यत: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि बाढ़ों सहित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएं। केन्द्रीय सरकार राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। तत्काल राहत उपाय करने के लिए राज्यों के पास आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) की राशि उपलब्ध है। वर्ष 2001-2002 में सी.आर.एफ. की केन्द्रीय अंशपूंजी की निर्मुक्ति का राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केरल की सरकारों ने भारी वर्षा और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ज्ञापन प्रस्तुत किए। उड़ीसा सरकार ने प्राथमिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है।

वर्ष 2001-02 में केरल में बाढ़ों को देखते हुए तत्काल उपाय करने के लिए उसे सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशपूंजी की दूसरी किस्त के 26.48 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी है। उड़ीसा को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 100 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख मी. टन चावल आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के अंतर्गत और केन्द्रीय सहायता अंतरमंत्रालयीय दलों की सिफारिशों पर निर्भर है जो स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केरल और छत्तीसगढ़ का पहले ही दौरा कर चुके हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	मानवों की मृत्यु (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टे.)	क्षतिग्रस्त गृह (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	असम	एन.आर.	0.13	एन.आर.
2.	बिहार	15	1.08	0.33
3.	छत्तीसगढ़	13	0.77	0.07
4.	हिमाचल प्रदेश	18	नगण्य	नगण्य

1	2	3	4	5
5.	केरल	125	0.40	0.24
6.	उड़ीसा	100	9.00	2.00
7.	पंजाब	6	0.58	नगण्य
8.	त्रिपुरा	9	0.14	0.07
9.	उत्तरांचल	18	एन.आर.	नगण्य

एन.आर. - सूचित नहीं किया गया।

विवरण II

निर्मुक्त आपदा राहत कोष की केन्द्रीय अंशपूंजी

क्र.सं.	राज्य का नाम	(लाख रुपए में)
1.	असम	3996.00
2.	बिहार	-
3.	छत्तीसगढ़	2163.00
4.	हिमाचल प्रदेश	3424.00
5.	केरल	8603.61
6.	उड़ीसा	6465.75
7.	पंजाब	-
8.	त्रिपुरा	-
9.	उत्तरांचल	-
	कुल	24652.36

औद्योगिक उपयोग के लिए सी एन जी का आवंटन

3700. श्री मंजय लाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उपयोग के लिए सी एन जी के आवंटन हेतु अपनी नीति को उदार बनाया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सी एन जी के आवंटन की अनुमति के लिए कितनी कंपनियों ने आवेदन किया और इस संबंध में दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 30.6.2001 की तिथि के अनुसार सरकार के पास सी एन जी के आवंटन की अनुमति देने के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) शून्य।

[हिन्दी]

निविदाओं की वैधता

3701. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान 25 करोड़ रुपये से अधिक की कितनी निविदायें खोली गई;

(ख) उन निविदाओं पर किन तिथियों को अंतिम फैसला लिया गया;

(ग) उक्त निविदाओं की वैधता तिथियां क्या थीं और वैधता तिथि तक फैसला न लिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) या इससे रेलवे की कार्यप्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

युवक द्वारा रेलगाड़ी का चलाया जाना

3702. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री मंजय लाल:
श्री जय प्रकाश:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 वर्ष के एक युवक ने 19 जुलाई, 2001 को खाली रेलगाड़ी के इंजन को 115 किलोमीटर तक विपरीत दिशा में चलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विपरीत दिशा में दौड़ रही ट्रेन को रोकने के लिए कोई प्रयास किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) ऐसी खतरनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं;

(छ) क्या इस घटना में कुछ लोग घायल हुये हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार ने घायल लोगों को कोई मुआवजा दिया है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। 19.7.2001 को 556 डाउन यात्री गाड़ी का एक खाली रेक मंडुआडीह स्टेशन पर खड़ा था। इंजन से लोको शंटर नीचे उतरा और जब इंजन में कोई नहीं था, उसी समय एक शरारती इंजन पर चढ़ गया और उसने कंट्रोल से छेड़छाड़ की तथा गाड़ी को उल्टी दिशा में चला दिया। यह दुर्घटना पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में हुई। गाड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किए गए तथा लाइन निर्बाध रखी गई तथा सीधे चालन के लिए निर्धारित कर दी गई। विस्फोटक रखे गए और गाड़ी को रोकने के लिए पत्थर फेंके गए। अंत में इलाहाबाद सिटी स्टेशन की डेड एंड साइडिंग के लिए मार्ग को निश्चित कर दिया गया था जहां गाड़ी ने प्रवेश किया और 118 कि.मी. की दूरी तय करने के पश्चात् गाड़ी पटरी से उतर गई।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी और जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, यह दुर्घटना इंजन के शंटर की लापरवाही की वजह से हुई जो इंजन की जिम्मेदारी किसी प्राधिकृत कर्मचारी को बिना सौंपे चला गया था अथवा इंजन छोड़ने से पहले अपेक्षित उचित सावधानी नहीं बरती। इस दुर्घटना में लोको शंटर/वाराणसी को मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया गया है और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/लोको/वाराणसी को दूसरा जिम्मेदार कर्मचारी पाया गया है। अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

(च) उस शंटर को निलंबित कर दिया गया है जिसने रेल इंजन को लावारिस छोड़ दिया था। ड्राइवरों/शंटरों की गहन मानीटरिंग की जा रही है और उन्हें यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किए बिना इंजन को न छोड़ें।

(छ) और (ज) इस दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति मारा गया था तथा एक रेल सुरक्षा बल का हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया था।

(झ) से (ट) गाड़ी दुर्घटनाओं में दावों की क्षतिपूर्ति का निर्धारण रेल दावा अधिकरण की पीठों द्वारा किया जाता है। अभी तक किसी क्षतिपूर्ति दावे की मांग नहीं की गई है। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल के घायल हवलदार को अनुग्रह राशि के रूप में 5000 रु. का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे के अंतर्गत चलाये जा रहे स्कूल

3703. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय के अंतर्गत कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने स्कूलों में सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम और कितने स्कूलों में संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है;

(ग) क्या इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पारदर्शिता बरती जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रेलवे स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती, जो रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाती है, में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है।

(घ) देश भर से आवेदन पत्र मंगाने के लिए रोजगार समाचारों/अग्रणी समाचार पत्रों के माध्यम से रिक्तियां विज्ञापित की जाती हैं। अध्यापकों का चयन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। साक्षात्कार एक समिति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें सामान्य, अ.जा./अ.ज.जा., अल्पसंख्यक और अ.पि.व. समुदाय के सेवारत/सेवानिवृत्त रेल अधिकारी होते हैं ताकि इन समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। अंतिम परिणाम 'रोजगार समाचारों'/समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त दुकानों में अनियमिततायें

3704. श्री अधीर चौधरी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.टी.डी.सी. की शुल्क मुक्त दुकानों में बरती जा रही विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.डी.सी. के सतर्कता विभाग द्वारा शुल्क मुक्त दुकानों में मारे गए छापों के दौरान जानकारी में आयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आई.टी.डी.सी. की शुल्क मुक्त दुकानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न अनियमितताओं के कारण आई.टी.डी.सी. को कितना घाटा हुआ और सरकार द्वारा इन दुकानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के सतर्कता प्रभाग द्वारा शुल्कमुक्त दुकानों पर आकस्मिक जांचों के दौरान पाई गई अनियमितताएं मुख्यतया बेहिसाब भारतीय एवं विदेशी मुद्रा रखने; कैश मैमो तैयार करने में गलतियों; उच्चतर दरों पर सामान की बिक्री; शुल्कमुक्त सामान की जाली बिक्री हैं।

(ग) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निगम के नियमों के अनुसार की जाती है।

(घ) शुल्कमुक्त दुकानों की कार्यप्रणाली की विशेष लेखा परीक्षा के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया है।

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की वजह से उठाई गई वित्तीय हानि का मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, शुल्क मुक्त दुकानों की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं की जांच करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

कोलकाता मेट्रो रेलवे

3705. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलकाता मेट्रो रेलवे के अंतर्गत वर्तमान में इंजनों/सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने इंजन/सवारी डिब्बे चालू हालत में हैं; और

(ग) कितने इंजन/सवारी डिब्बे चालू हालत में नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस समय, मैट्रो रेलवे, कोलकाता के पास 144 सवारी डिब्बे (108 मोटर सवारी डिब्बे और 36 ट्रेलर सवारी डिब्बे) उपलब्ध हैं।

(ख) 128 सवारी डिब्बे (96 मोटर सवारी डिब्बे और 32 ट्रेलर सवारी डिब्बे) चालू हालत में हैं।

(ग) 16 सवारी डिब्बे (आग लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त 3 सवारी डिब्बों सहित) निर्धारित ओवरहालिंग और भारी मरम्मत के कारण चालू स्थिति में नहीं हैं।

नैफेड की बाजार हस्तक्षेप नीति को बैंक गारंटी

3706. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 15,000 मीट्रिक टन लाल मिर्च की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मिर्च की खरीद के लिए नैफेड को अग्रिम धनराशि या बैंक गारंटी देने के लिए भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हाँ।

(ख) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत इस विभाग द्वारा 20 मार्च से 15 जून, 2001 तक की अवधि के दौरान 2400 रु. प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 15,000 मी.टन लाल मिर्च की स्वीकृति दी।

(ग) जी, हां।

(घ) नैफेड को इस विभाग द्वारा अनुमोदित विनियमों और शर्तों के अनुसार लाल मिर्च की खरीद करने के निदेश दिए गए थे।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प शोरूम का खोला जाना

3707. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा दी गई सहायता से गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार स्थानवार कितने हस्तशिल्प शोरूम खोले गये;

(ख) क्या हस्तशिल्प बोर्ड से धनराशि लेने के बाद इनमें से कुछ शोरूम बंद हो गये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा उन शोरूमों से धनराशि की वसूली हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों में और आज तक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की सहायता से खोले जाने हेतु मंजूर किए गए स्थानवार हस्तशिल्प एम्पोरियम/शोरूम नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	मंजूर किए गए एम्पोरियम/शोरूम	संख्या
1.	इम्फाल, मणिपुर	1
2.	बोरजर, असम	1
3.	कोलकता, पश्चिम बंगाल	1
4.	नई दिल्ली	1
5.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	1
6.	दिमापुर, नागालैण्ड	1
7.	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	2
8.	लुंगलई मिजोरम	1
9.	पांडिचेरी	1
	कुल	10

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड और बिहार में शाम को चलने वाले विधि महाविद्यालयों का बंद होना

3708. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखंड में कितने सायंकालीन विधि महाविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या 'बार कौंसिल ऑफ इंडिया' न उक्त महाविद्यालयों को बंद करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसे महाविद्यालयों के बंद किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में सायंकालीन विधि महाविद्यालयों को जारी रखने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई.सी.ए.आर. में कम्प्यूटर घोटाला

3709. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. में कम्प्यूटरों की खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) भास्कर बरूआ समिति ने 'सी.बी.आई.' जैसी एजेन्सी द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल करवाए जाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों के अनुसार इस मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का खपत से अधिक उत्पादन

3710. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का उत्पादन, इसकी खपत से अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत का अनुमान है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दोनों उत्पादों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) तत्संबंधी उत्पादन में सरकारी और निजी तेलशोधक कारखानों का हिस्सा प्रतिशत के संदर्भ में कितना-कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 2000-2001 के दौरान पेट्रोल और डीजल का उत्पादन क्रमश: 8,068 टी एम टी और 39,048 टी एम टी था।

पेट्रोल के उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों का प्रतिशत हिस्सा क्रमश: 69.7 प्रतिशत और 22.6 प्रतिशत था और 2000-01 के दौरान डीजल का प्रतिशत हिस्सा क्रमश: 67.8 प्रतिशत और 24.6 प्रतिशत था।

पेट्रोल के उत्पादन में 7.7 प्रतिशत और डीजल में 7.6 का शेष प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र रिफाइनरी से था।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों का बकाया

3711. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ रही बकाया धनराशि के कारण तेल कंपनियों को नया ऋण लेना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी बकाया धनराशि लंबित है;

(ग) कितना और ऋण लिये जाने की संभावना है; और

(घ) तेल कंपनियों द्वारा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार तेल पूल लेखे में घाटा लगभग 12,600 करोड़ रुपए था जिसमें मुख्य रूप से तेल कंपनियों को देय बकाया राशि थी। उधारियों का स्तर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, पूंजीगत व्यय, तेल पूल बकाया आदि सहित विभिन्न घटकों के आधार पर कंपनी दर कंपनी अलग होता है।

(घ) तेल कंपनियां, तेल समन्वय समिति के साथ निरन्तर सम्पर्क रखती हैं जबकि तेल पूल लेखा उन्हें तेल पूल बकाया पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देता है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में सुविधायें

3712. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 जुलाई, 2001 को 'हिंदुस्तान' के पटना संस्करण में 'रेल मंत्री के शिकार हुये राजधानी एक्सप्रेस की कुव्यवस्था के' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के अनुसार रेलगाड़ियों में कुप्रबंधन को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या रेलगाड़ी संख्या 2309/10 में दिये जा रहे खाद्यों की गुणवत्ता अन्य राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तुलना में घटिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी की खान-पान प्रणाली की कभी जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण सभी डिपुओं में अनुरक्षण पद्धति में सुधार लाने और इनका बार-बार निरीक्षण करने के अनुदेशों को दोहरा दिया गया है। सभी मेल एक्सप्रेस गड़ियों के डिब्बों को अच्छी हालत में रखने के लिए 2 सप्ताह का एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बाढ़

3713. श्री जे एस. बराड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आई भयंकर बाढ़ के क्या कारण हैं और चूंकि इसका पूर्व अनुमान था लेकिन फिर भी एहतियाती उपाय समय पर क्यों नहीं किये जा सके;

(ख) बाढ़ के कारण जान-माल और फसलों को हुए नुकसानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न नदियों के तटबंधों और बांधों के किनारों में दरार के कारण स्थिति बदतर हो गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्वेदी नदियों और बांध रख-रखाव प्रबधकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्रभावी बाढ़ नियंत्रण प्रणाली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचनानुसार, हाल में उड़ीसा में आई बाढ़ मुख्य रूप से महानदी सिस्टम के आवाह क्षेत्रों में भारी वर्षा होने तथा हीराकुण्ड जलाशय तथा छत्तीसगढ़ के जलाशयों से फालतू पानी छोड़ने के कारण आई थी। उड़ीसा सरकार से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ से 100 जानें गयीं। 9 लाख हैं। फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 2.00 लाख मकानों को नुकसान हुआ। प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक उपाय करने की मूल जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार राज्य के प्रयासों में मदद करती हैं। बाढ़ नियंत्रण की विभिन्न दीर्घकालिक स्कीमें राज्य योजना-वित्तपोषण से कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

अधिवक्ताओं को चैम्बरों का आबंटन

3714. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** अधिवक्ताओं को चैम्बरों का आबंटन के बारे में 26.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5824 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वांछित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) वांछित जानकारी कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, नहीं। विभिन्न उच्च न्यायालयों अर्थात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय से मांगी गई जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(घ) मांगी गई जानकारी प्राप्त होने में अभी कुछ और समय लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

जैविक खाद द्वारा की जाने वाली खेती

3715. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव खाद द्वारा धान, गेहूं, सब्जी और फूलों की खेती करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे जैविक खाद द्वारा की जाने वाली खेती शुरू की जा रही है;

(ग) जैविक खाद द्वारा की जाने वाली कृषि/बागवानी और पुष्प कृषि अपनाने में किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने जैविक उत्पादों को अपनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क)और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा)ने कार्बनिक खेती के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

राज्य	क्षेत्र	मद
1	2	3
असम	शिपझाड	धान
त्रिपुरा	झुमेरदिपा	अनन्ना
मणिपुर	माओ	सलीबी(पैसन)फल
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	शहद
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	अखरोट
मध्य प्रदेश	इंदौर, जऔरा	दलहन, अनाज
हरियाणा	सोनीपत, सिरसा	धान, गेहूं, गन्ना, दलहन
महाराष्ट्र	भुसावल, नासिक नागपुर, रत्नागिरी	आम, केला, दलहन
तमिलनाडु	गंगोर पाटी, कोदाई कैनल	ताजा/प्रसंस्कृत फल/ सब्जियां
गुजरात	जूनागढ़, फोकदी	मूंगफली

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने मुख्य कार्बनिक मसालों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

राज्य	क्षेत्र	मद
केरल	इदुकी और वयनाद जिला	मिर्च, अदरक, हल्दी, लोंग, जायफल
कर्नाटक	कुर्ग और शिमोगा	मिर्च, वनिला
तमिलनाडु	नीलगिरी	रोजमेरी, थिमे, पार्सले, औरेंगानों
उड़ीसा	फुलबानी	हल्दी, अदरक, सरसों, इमली

कृषि एवं सहकारिता विभाग, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के एक दृष्टिकोण के रूप में फार्मयार्ड खाद के वृद्धित उपयोग का संवर्धन कर रहा है।

(ग) कार्बनिक कृषि एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव-विविधता, जैविक क्रमों तथा मृदा जैविक कार्यकलापों सहित कृषि परिस्थितिकी प्रणाली की स्थिति का सवंर्धन करती है तथा इसे बढ़ावा देती है। प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण के माध्यम से आर्गनिक उत्पाद खाद्य में मूल्य जोड़ा जाता है। कार्बनिक प्रणाली से किसानों द्वारा मसालों में 20-30% वृद्धि दिखाई गई है।

(घ) और (ङ) कार्बनिक प्रणाली से उगाए उत्पादों के प्रत्यायन, प्रमाणीकरण तथा संवर्धन से संबंधित मामलों को देखने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

पटरियों का नवीकरण

3716. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल द्वारा पटरियों के नवीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ था;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार नवीकरण हेतु कुल कितनी लंबाई की पटरी का नवीकरण किया जाना है;

(ग) क्या सरकार ने देश में शेष पटरियों के नवीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पटरियों का नवीकरण बहुत धीमी गति से होता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पटरियों का शीघ्रता से नवीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए रेलपथ नवीकरण के लक्ष्य क्रमश: 2710 कि.मी., 2550 कि.मी. और 3250 कि .मी. थे। तीन वर्षों के दौरान कार्य की प्रगति क्रमश: 2967 कि.मी., 3006 कि.मी., और 3250 कि.मी. थी।

(ख) 1.4.2001 को बड़ी लाइन पर 12500 कि.मी., मीटर लाइन और छोटी लाइन पर 5000 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण का कार्य अपेक्षित था।

(ग) और (घ) रेलों के योजना आकार के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली निधियों का पता चलने के बाद ही रेलपथ नवीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी नहीं। नवीकरण कार्य की प्रगति निधियों की उपलब्धता के अनुरूप होती है।

तीस हजारी न्यायालय में सुविधाएं

3717. श्री विजय गोयल: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित तीस हजारी न्यायालय बदबूदार सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाली गंदी और खराब दुर्गन्ध तथा परिवाही जल से प्रभावित है जिसके कारण लोगों को न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई वाले प्रकोष्ठों में पहुंच पाना असंभव हो जाता है;

(ख) क्या 50 वर्ष पुराने न्यायालय के परिसर में उचित रख-रखाव व शौचालय संबंधी सुविधाओं की कमियों सहित उठाईगिरी की समस्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सुविधाओं में सुधार करने और परिसरों के उचित रख-रखाव करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आरक्षण केन्द्रों पर सुविधाएं

3718. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मई, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' में 'दलालों के गढ़ बन गए हैं रेलवे आरक्षण केन्द्र' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा आरक्षण केन्द्रों पर यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे समस्याओं से अवगत है और व्यवहार्यता के अनुसार निरंतर और अधिक बुकिंग खिड़कियां खोल रही है। पिछले चार वर्षों में, दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा तथा तीन नए स्थलों पर 27 यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर खोले गए। चार नए स्थलों पर और यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर खोलने का कार्य चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए निधियों की उपलब्धता के आधार

पर विभिन्न सुविधाओं यथा आरक्षण उपलब्धता प्रदर्श बोर्ड/टीवी, टच स्क्रीन, टर्मिनलों, टर्मिनल इनफारमेशन रिपीटर्स आदि की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रिड का फेल होना

3719. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने कहा है कि कुछ राज्य स्थापित प्रक्रियाओं के विरूद्ध कार्य करते हैं;

(ख) क्या राज्य विद्युत नियामक आयोगों को ऐसी सुविचारित खामियों के कारण हाल में ग्रिड के फेल होने के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन को विद्युत के पूर्ण वितरण हेतु अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उपलब्ध सम्पूर्ण विद्युत के उचित उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी नीति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावरग्रिड, सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, को क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्राय: देखने में आया है कि संघटक राज्य निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं, यथा अधिक निकासी से कम फ्रीक्वेंसी, कम निकासी से उच्च फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटरों की स्थापना न करना, जिससे वोल्टेज आदि कम हो जाता है। पावरग्रिड समय-समय पर ग्रिड संबंधी अनुशासनहीनता के मामले संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष लाता रहता है।

(ग) पावरग्रिड को देश में विद्युत वितरण का दायित्व सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) उत्पादन संसाधनों के लाभ पूरे देश तक पहुंचाने और अधिशेष विद्युत को एक क्षेत्र से कम विद्युत वाले क्षेत्र में अंतरित करने, क्षेत्रों के अंत: संयोजन के जरिए नेशनल ग्रिड की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली की मौजूदा कुल विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 4850 मे. वा. (220 के.वी तथा ऊपरी स्तर एवं एचवीडीसी प्रणाली में) है। इस क्षमता को बढ़ाकर सन् 2012 तक 30.000 मे.वा. करने का प्रस्ताव है।

काकीनाड़ा-कोटीपल्ली रेल मार्ग

3720. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाड़ा-कोटील्ली रेल मार्ग कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): काकीनाड़ा-कोटीपल्ली रेल लाइन की पुन: स्थापना का कार्य पूरा होना, राज्य सरकार द्वारा भूमि दिए जाने और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हथकरघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना

3721. **श्री के. येरननायडू:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने हथकरघा बुनकरों को बेहतर डिजाइन और बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई सहमति, विशेष तौर पर ए.पी.सी.ओ. के साथ बनी सहमति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के विचारों के साथ संबद्ध होने के लिए बुनकरों ने कितनी रुचि प्रदर्शित की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी हां। निफ्ट राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के लिए प्रवाहों तथा पूर्वानुमानों को प्रदान करता है जो विपणन की मांग तथा आवश्यकताओं के लिए अच्छी प्रतिक्रिया तथा उन्हें तैयार करने और उन्हें प्रयोग करने के लिए बुनकरों को तैयार करता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में हथकरघा क्षेत्र के पुन: प्रचलन के संदर्भ में सामान्य रूप से तथा एप्को के संदर्भ में विशेष रूप से तथा राज्य में पावरलूम क्षेत्र तथा हथकरघा की समस्याओं का सामना करने के लिए तथा पुन: प्रचलन के लिए रणनीति के लिए अध्ययन हेतु निफ्ट, हैदराबाद से अनुरोध किया गया था। तदानुसार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है।

आर.ए.पी.पी. की 5 से 8 तक की इकाई से विद्युत की भागीदारी

3722. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आर.ए.पी.पी. की 5 से 8 तक की इकाई के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाभिकीय विद्युत के दीर्घावधि कार्यक्रम के अधीन इकाई 5 से 8 तक की इकाई (प्रत्येक की क्षमता 800 मे.वा. है) के क्रियान्वयन की योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना के आगे बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने इन इकाईयों के लिए अपेक्षित 400 क्यूसेक जल के आवंटन की मांग की है; और

(घ) राजस्थान में मांग और आपूर्ति के बीच की दूरी को कम करने हेतु इन इकाईयों के निष्पादन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) रावतभाटा, राजस्थान (आरएपीपी 5-8) में 500 मेगावाट की चार यूनिट स्थापित करने की योजना है। इन्हें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 10वीं योजना के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

(ग) राजस्थान सरकार ने इन यूनिटों के लिए अपेक्षित जल देने की सहमति दी है।

(घ) इनके पूर्णता की निर्धारित तारीख 10वीं योजना प्रस्तावों के सुनिश्चित होने के बाद पता चलेगा।

कृत्रिम गर्भाधान

3723. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के घरों पर उन्नत कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिमित वीर्य उत्पादन के लिए क्षमता को दोगुना करने हेतु अखिल भारतीय नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना में राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में किसानों के दरवाजे तक प्रजनन आदानों की डिलीवरी पर ध्यान दिया गया है। इस योजना में संगठित प्रजनन कार्यक्रम के तहत गोजातीय संख्या के कवरेज में मूल सुधार लाना, प्राकृतिक सेवा के लिए उपयोग में लाए गए सांडों की गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, संस्थागत अंत:संरचना क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा उसमें वृद्धि के साथ-साथ बड़े प्रजनकों में सहक्रियाशीलता विकसित करने पर भी विचार किया गया है।

(ग) राज्य उप परियोजना को तैयार करने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं तथा आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों को सहायता की राशि जारी कर दी गई है। अनेक राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी छटनी की जा रही है। राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्यों में प्रजनन आदानों की गुणवत्ता तथा इसकी आपूर्ति में सुधार लाने के लिए संस्थागत पुनर्संरचना युक्त स्पर्म केन्द्र तथा सांड मदर फार्मों के सुदृढ़ीकरण, कार्मिकों के क्षमता उन्नयन के लिए एक मूल मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, सेवाओं तथा आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण, सेवाओं तथा आदानों की लागत रिकवरी और आनुवांशिक सुधार के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम लगाव पर जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पंपों का आबंटन

3724. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पंप आबंटित किए गए;

(ख) इनमें से कितने पेट्रोल पंपों को संबंधित कंपनियां स्वयं चला रही हैं;

(ग) क्या पेट्रोल कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पंपों की डीलरशिप इन पंपों के ठेकेदारों को आबंटित कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के दौसा के जिले के मंडावरी कस्बे के ठेकेदार को डीलरशिप न देने के क्या कारण हैं जबकि उसके पास स्वयं का स्थान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-

2001 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 245 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आवंटित की गई थी।

(ख) उपरोक्त डीलरशिपों में से कोई भी डीलरशिप संबंधित तेल कंपनी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है।

(ग) और (घ) डीलरशिप का आवंटन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलर चयन बोर्ड के द्वारा करना होता है। दौसा जिलान्तर्गत मन्डावाड़ी में आई बी पी कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलर चयन बोर्ड द्वारा डीलर के चयन के लंबित रहते मार्च, 2000 में चालू किया गया था तथा इसका प्रचालन श्रम ठेकेदार के रूप में उनकी मृत्यु तक स्व. श्री रियाज खान के साथ कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित के आधार पर किया गया था तथा इस खुदरा बिक्री केन्द्र का प्रचालन 6.4.2001 को बंद कर दिया गया था। अब एक डीलर का चयन कर लिया गया है तथा 1.5.2001 को आशय-पत्र जारी कर दिया गया था।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

3725. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से कुल कितनी प्रमात्रा में विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(ख) इन स्त्रोतों के माध्यम से उत्पादित कुल विद्युत में पवन, सौर और ज्वारीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने में निजी क्षेत्र के उत्पादकों को कितना प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और खर्च की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से लगभग 340 मेंवा. की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। पवन विद्युत का भाग 51% है और सौर विद्युत परियोजनाओं का भाग 1% से भी कम है। देश में अब तक कोई ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) कर तथा शुल्क में राहत; त्वरित अवमूल्यन तथा उदार ऋण जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारिता को आकर्षित करने के लिए अनेक राज्यों द्वारा प्रेरक नीतियां भी आरंभ की गई हैं। निजी क्षेत्र की अपारंपरिक ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 19.17 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्यात घाटा

3726. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की किसी कंपनी ने सरकार से अपने निर्यात घाटों की भागीदारी के लिए तेलशोधक कारखानों और राज्य द्वारा संचालित अन्य कंपनियों से वहन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सकरी-हसनपुर रेल मार्ग का निर्माण

3727. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकरी-हसनपुर रेल मार्ग परियोजना को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुए कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति लाई जाएगी और पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज द्वारा कंप्यूटरों की खरीद

3728. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इंस्टीट्यूट द्वारा खरीदे गए कम्प्यूटरों की संख्या कितनी है और इस पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कम्प्यूटर प्रणाली के लाए जाने से इंस्टीट्यूट में कर्मचारियों की आवश्यकता में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो कम्प्यूटर प्रणाली के लाए जाने के पहले इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी थी और आज की स्थिति के अनुसार कितनी है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा खरीदे गए कम्प्यूटरों की संख्या तथा इस पर खर्च की गई कुल धनराशि निम्नलिखित है:-

क्र.स.	वर्ष	खरीदे गए कम्प्यूटरों की संख्या (उपसाधन सहित)	खर्च की गई कुल राशि (लाख रु. में)
1.	1998-99	10	17.99
2.	1999-2000	8	14.02
3.	2000-2001	15	13.79

(ग) जी, हां।

(घ) इंस्टीट्यूट में काम कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

01.04.1998	239
01.04.1999	237
01.04.2000	239
01.04.2001	228
11.08.2001	223

पूर्व कम्प्यूटरीकरण अवधि के दौरान औसतन 50-60 आकस्मिक कर्मी प्रतिमाह लगे हुए थे जिसमें कम्प्यूटरीकरण अवधि के पश्चात निम्नलिखित कमी आई है:-

वर्ष	प्रतिमाह कार्य कर रहे कार्मिकों की औसत संख्या
1998	10
1999	9
2000	8
2001	4

रेलगाड़ियों में सेलो फोन का उपयोग

3729. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुर्घटनाओं तथा लूटपाट को रोकने हेतु सभी रेलगाड़ियों में सेलो फोन के पूरे उपकरणों का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं। दुर्घटनाओं और लूटपाटों को रोकने के लिए सैलपुर फोन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पटरी के साथ निरंतर सैलुलर कवरेज उपलब्ध नहीं है और इसलिए इस प्रयोजन के लिए सैलुलर फोन का उपयोग संभव नहीं होगा।

लघु और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण

3730. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लघु और सीमांत किसानों को पर्याप्त संस्थागत ऋण की कमी के कारण सूदखोरों से बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप लघु और सीमांत किसान ऋण के जाल में फंस जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कुछ किसानों ने पूर्व में ऋण की वापसी न कर पाने के कारण आत्महत्या की है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को आसान, पर्याप्त और समय पर धन उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए ऋण व्यवस्था को संस्थागत बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। देश के कुछ भागों से ऐसी कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली है।

(ग) किसानों को समय पर तथा पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए कृषि और समवर्गी क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न उपाय/पहल किये गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बैंकों द्वारा किसानों को 10,000 रुपये तक के फसल ऋणों, आवधिक ऋणों हेतु मार्जिन धन पर जोर नहीं देना चाहिए।

(2) बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक के फसल ऋणों के लिए समर्थक ऋणाधार/तृतीय गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए। फसलों के रेहन को ही प्रतिभूति के रूप में माना जाना चाहिए।

(3) जहां तक 10,000 रुपये से ऊपर के ऋणों का प्रश्न है, "मार्जिन मनी" से संबंधित मामलों में यह बैंकों के विवेक पर निर्भर है।

(4) केवल निर्धारित ऋण/किस्त की चुकौती के समय ही ब्याज की अदायगी पर जोर दिया जाना चाहिए।

(5) बैंकों द्वारा दीर्घावधिक ऋणों /किस्तों, जो आवधिक ऋणों के संबंध में देय नहीं है, के संबंध में वर्तमान देयताओं पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनाया जाना चाहिए।

(6) छोटे और सीमांत किसानों के खाते में डाला गया कुल ब्याज लघु आवधिक अग्रिमों के मामले में मूलधन से अधिक न हो।

क्योंझर के पर्यटन स्थलों का विकास

3731. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्योंझर अर्थात् रामायण से संबद्ध सीताबनजी और महाभारत से संबद्ध भीमकुण्ड पर्यटक स्थलों के संरक्षण और उनके प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में भविष्य में किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) अपने-अपने राज्यों/संघ राज्यों में, पर्यटक स्थलों का संरक्षण और विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की, जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने क्योंझर में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए 45.00 लाख रुपए की राशि और क्योंझर जिले में देवगांव में मार्गस्थ सुविधाओं के लिए 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

घाटे में कम्पनियां

3732. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में निर्गमित क्षेत्र में कुछ कम्पनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) निगमित क्षेत्र की इन कम्पनियों को कब से घाटा हो रहा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में (1) आयरन और स्टील, (2) टेक्सटाइल और (3) विलायक निष्कर्षण क्षेत्रों में कुछ कम्पनियां इन क्षेत्रों में अर्थ में मन्दी के कारण लगभग गत तीन वर्षों से घाटे में चल रही हैं।

प्रमुख पत्तनों का निजीकरण

3733. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अपने कुछ प्रमुख पत्तनों का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो निजीकरण के लिए कौन-कौन से पत्तनों की पहचान की गई है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन प्रमुख पत्तनों का निजीकरण किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पारदीप पत्तन का निर्जीकरण विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) जी नहीं। तथापि, अतिरिक्त निवेश और नई प्रौद्योगिकी आकर्षित करने, इष्टतम पत्तन अवसंरचना का सृजन करने हेतु बेहतर प्रबंधन प्रद्धतियां शुरू करने और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध बनाने के लिए 26.10.1996 और 1.6.1998 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मौजूदा महापत्तनों के भीतर अभिनिर्धारित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता का पता लगाया जाता है।

यू आई ए और एच ए आई के बीच समझौता ज्ञापन

3734. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उगांडा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अतिथि-सत्कार और पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग हेतु भारतीय होटल संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उगांडा सरकार द्वारा कुल कितने निवेश की योजना पर पर्यटन क्षेत्र में विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या भारत उगांडा में पर्यटन क्षेत्र प्रदान करने तथा विकसित करने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जिन पर विचार किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन में जिन तथ्यों/बातों को शामिल किया गया है, वे हैं-होटल सेक्टर की प्रवृत्ति और विकास से जुड़ी सूचना का आदान-प्रदान, आतिथ्य क्षेत्र में अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान तथा भारत और उगांडा में इन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाना।

(ग) उगांडा में पर्यटक आगमन की बढ़ती संख्या के अनुरूप, पर्यटन अवंसरचना के सृजन हेतु निवेश आमंत्रित करना उगांडा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की प्रमुख योजना है।

(घ) उगांडा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और भारतीय होटल संघ के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में भारत सरकार शामिल नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी हाट

3735. **डा. वी. सरोजा:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी हाट का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उससे कारीगरों तथा बुनकरों को कितना लाभ हुआ;

(ग) इससे अब तक राज्य-वार कितने बुनकरों तथा कारीगरों को लाभ हुआ; और

(घ) इन हाटों में कारीगरों तथा बुनकरों को किस दर पर स्थान प्रदान किए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) तिरुपति, आगरा, इलाहाबाद, जम्मू, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकता, भुवनेश्वर, करनाल और रांची में दिल्ली हाट की तरह 10 और शहरी हाटों की स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) प्रमुख शहरों और पर्यटक स्थलों पर शहरी हाटों की स्थापना देश के कारीगरों और बुनकरों को विशेष विपणन

दुकानें उपलब्ध कराने हेतु की गई है ताकि कारीगर एवं बुनकर अपने उत्पाद बिना बिचौलियों के सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें। अब तक इससे लाभान्वित हुए कारीगरों और बुनकरों की राज्यवार संख्या सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) इस समय केवल एक हाट अर्थात दिल्ली-हाट प्रचलन में है। स्थान दर का निर्धारण हाट की प्रबन्ध-समिति द्वारा किया जाता है। दिल्ली हाट में इस समय प्रत्येक कारीगर/बुनकर से 250/- रुपये प्रति स्टाल प्रतिदिन किराया लिया जाता है।

पुरातत्व स्थानों की खुदाई

3736. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश में रामायण और महाभारत तथा बौद्ध स्थानों की खुदाई कराई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत खुदाई किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्षों, कालक्रम और सांस्कृतिक क्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों की खुदाई पर कुल कितना खर्च किया गया और अब तक कितनी अलग-अलग खुदाई रिपोर्टें सामने आई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस सम्बंध में 1,90,27,301/- रुपये व्यय किया गया, अब तक दस अलग-अलग उत्खनन रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रामायण तथा महाभारत एवं बौद्ध स्थलों के लिए गए उत्खननों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल का नाम	प्राप्तियों एवं सांस्कृतिक क्रम का ब्यौरा
1	2	3
	रामायण स्थल	
	उत्तर प्रदेश	
1.	श्रृंगवेरपुर, जिला इलाहाबाद	सात-पर्ती सांस्कृतिक क्रम का पता चला है जो गेरूआ मृदभांड (द्वित्तीय सहस्त्राब्दी ई.पू. की अन्तिम शताब्दियां), चित्रित धूसर मृदभांड, काले चिकने तथा काले एव लाल मृदभांड (10वीं शताब्दी ई.पू.), उत्तरी काले ओपदार मृदभांड (7वीं-2सरी शताब्दी ई.पू.) लाल मृदभांड (प्रथम शताब्दी ई.पू.-ईसवी सन), गुप्त, राजपूत, उत्तर मध्यकालीन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि के हैं। स्थल की एक प्रसिद्ध खोज ईटों का बना बड़ा हौज परिसर है जो प्रथम शताब्दी ई.पू.-ईसवी सन् का है।
2.	अयोध्या, जिला फैजाबाद	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के सहयोग से 1977-78 से 1985-86 के दौरान आर्कयोलॉजी आफ रामायण साइट्स'' परियोजना के अन्तर्गत अयोध्या का उत्खनन किया। उत्खनन से पता चला कि यह स्थल प्रथमश: 7वीं शताब्दी ई.पू. में कब्जा किया गया था और शुंग, कुषाण, गुप्त अवधि से मध्यकाल तक कब्जा रहा।
3.	भारद्वाज आश्रम, इलाहाबाद	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के सहयोग 1978-79 के दौरान ''आर्कयोलॉली आफ रामायण साइट्स'' परियोजना के अन्तर्गत भारद्वाज आश्रम का उत्खनन किया। उत्खनन से दो काफी अन्तराल वाली अवधियों के पेशे का पता चला है जिनमें अवधि -1 उत्तरी काली ओपदार मृदभांड अवधि (लगभग 6 वीं शताब्दी ई.पू. से 2 शताब्दी ई.पू. तक), दोनों में अन्तराल के साथ में अवधि-II, गुप्त काल (लगभग 4-5 वीं शताब्दी ईसवी) हैं

1	2	3
4.	पेरिआर, जिला उन्नाव	एक लघु उत्खनन से 5 कालों की पुरातत्व सामग्री का पता चला है जिनमें गेरुआ ओपदार मृदभांड (2 सहस्राब्दि ई.पू.), काले चिकने मृदभांड, काले तथा लाल मृदभांड (प्रथम सहस्राब्दि ई.पू. का उत्तरार्ध), चित्रित धूसर मृदभांड (लगभग 1100-600 ई.पू.), उत्तरी काले ओपदार मृदभांड (लगभग 6-2 शताब्दी ई. पू.), शुंग-कुषाण (2 शताब्दी ई.पू.-3 शताब्दी ईसवी) शामिल हैं।
	महाभारत स्थल	
	दिल्ली	
5.	पुराना किला, नई दिल्ली	पुराना किला जिसका नाम इन्दरपत है और जिसकी पहचान इन्द्रप्रस्थ से है जो कुरु राज्य के बंटवारे के बाद पांडवों की राजधानी थी, जिसकी खुदाई पहले 1954-55 में और बाद के चार क्षेत्रीय मौसमों में की गई थी। यह अष्ट-सांस्कृतिक क्रम मौर्यकाल (चौथी-तीसरी शताब्दी ई.पू.), शुंग काल (दूसरी -प्रथम शताब्दी ई.पू.) शक-कुषाण काल (प्रथम-तीसरी शताब्दी ई.), गुप्त काल (चौथी-छटवीं शताब्दी ई.) उत्तर-गुप्त काल (सातवीं-नौवीं शताब्दी ई.) राजपूत काल (10वीं-12वीं शताब्दी ई.), सल्तनत)। 13वीं-15वीं शताब्दी ई.), मुगल काल (16वीं-19वीं शताब्दी ई.) का है।
	हरियाणा	
6.	पानीपत, जिला पानीपत	चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति (प्रथम सहस्राब्दि ई.पू.का लगभग प्रारंभिक समय) के अवेशष निचले स्तरों में पाए गए हैं।
7.	सोनीपत, जिला सोनीपत	चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति (प्रथम सहस्राब्दि ई.पू. का लगभग प्रारंभिक समय) निचले स्तरों में पाई गई है।
8.	तिलपत, जिला सोनीपत	चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति (प्रथम सहस्राब्दि ई.पू. का लगभग प्रारंभिक समय) निचले स्तरों पाई गई है।
	उत्तर प्रदेश	
9.	बागपत, जिला मेरठ	चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति (प्रथम सहस्राब्दि ई.पू. का लगभग प्रारंभिक काल) के क्षितिज पाए गए हैं।
10.	अहिच्छत्र, जिला बरेली	द्रुपद (पांडवों की पत्नी द्रोपदी के पिता) के अधीन पूर्वी पांचाल की राजधानी से नौ सांस्कृतिक स्तरों: स्तर 9 (300 ई.पू.से पहले), 8 (300-200 ई.पू.), 7 (200-100 ई.पू.) 6 तथा 5 (100 ई.पू. -100ई.), 4 (100-350 ई.) 3(350-750 ई. 2 (750-850 ई.), 1 (850-1100 ई. की प्राप्ति हुई है।
11.	हस्तिनापुर, जिला मेरठ	यशस्वी महाभारत के कुरू राज्य की राजधानी की खुदाई की गई ताकि स्थल के सांस्कृतिक क्रम का पता लगाया जा सके और उसे महाकाव्य को पुरातत्वीय सामग्री से जोड़ा जा सके पांच-स्तरीय सांस्कृतिक क्रम ओ.सी. डब्ल्यू (दूसरी सहस्राब्दि ई.पू. का पूर्वार्ध पी.जी. डब्ल्यू) (11वीं- 18वीं शताब्दी ई.पू.) एन.बी.पी. (छठवीं-तीसरी शताब्दी ई.पू.), शुंग-कुषाणकाल (प्रारंभिक दूसरी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई.) और से लेकर मध्यकाल (उत्तर ग्यारवीं से प्रारंभिक 15 शताब्दी ई.) का है। इसके परिणामत: उत्खनन ने चित्रित धूसर मृदभांड नामक डीलक्स मृदभांड से प्रतिपादित काल II की पुरातत्वीय सामग्री से सम्बंध जोड़ा जिसे उन्होंने बाद में ऐसे स्थलों जैसे पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और अन्दरपत में पाया जो महाभारत काल के कुरु परिवार से सम्बंधित हैं।

1	2	3
12.	गंवारिया और पिपरहवा, जिला सिद्धार्थनगर	प्राचीन कपिलवस्तु के जुड़वॉ टीलों-गंवारिया और पिपरहवा की खुदाई से पूर्व स्थान पर बुद्ध के पार्थिव अवशेषों के संबंध में मठ के साथ स्तूप का पता चला है और बाद के स्थान पर मठ के रूप में परिवर्तित एक प्राचीन नगर का पता चला है। इन स्थानों पर लोग छठवी शताब्दी ई.पू. से पहले से कुषाण काल तक रहते थे।
	बौद्ध स्थल	
	आंध्र प्रदेश	
13.	नागार्जुनकोंडा, जिला गुंटूर	मुख्यतया तीसरी और चौथी शताब्दी ई. के सम्पन्न नगर विजयपुरी के अवशेषों को खोदकर निकालने के अलावा निम्न पुरापाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक के सांस्कृतिक क्रम का पता चला। अनेक बौद्ध संरचनाएं मिली हैं।
14.	कोट्टूरू, जिला विशाखापटनम	बौद्ध विहार परिसर का पता चला।
15.	अमरावती, जिला गुंटूरू	इस स्थल से तीसरी-दूसरी शताब्दी ई.पू. के 9वीं-10वीं शताब्दी ई. के अवशेष मिले। खुदाई से मूलड्रम महास्तूप के आयक-चबूतरों तथा प्रदक्षिणा पथ के क्षतिग्रस्त भाग भी मिले हैं। 1990-91 में जब मलवे को साफ किया गया था तो पश्चिमी आयक चबूतरे के निकट अवशेष टोकरियां मिली थीं।
16.	भट्टीप्रोलु, जिला गुंटूर	ईंट निर्मित स्तूप, आयक चबूतरों, रेलिंगों तथा विहारों के दो स्कधों का पता चला।
17.	कोंडापुर, जिला मेडक	एक स्तूप टीला मिला। हैदराबाद के पुरातत्व विभाग द्वारा पहले की गई खुदाइयों से यह पता चलता है कि कोंडरपुर 100 ई.पू. से 200 ई. तक एक समृद्ध नगर था जो दोनों ओर एक शताब्दी का एक सीमान्त समयावधि थी।
18.	घंटाशाला, जिला कृष्णा	स्थल का कालक्रम स्थापित किया गया। इस स्थल पर एक सुप्रसिद्ध पूर्व बुद्ध स्तूप था।
19.	पेड्डावेगी, जिला पश्चिम गोदावरी	टीला धनम-दिब्बा से दो ईंट निर्मित संरचनाएं (शायद बौद्ध स्तूप) मिली हैं।
20.	अदुर्रू, जिला पूर्वी गोदावरी	आरादार पट्टिया प्रकार के स्तूप का पता चला
21.	जुज्जुरू, जिला कृष्णा	परीक्षण खुदाइयों से चूना पत्थर कोपिंगो तथा लघु स्तर पर खुदाई से एक ईंट मान्नत स्तूप और शीशा तथा तांबें के सिक्के मिले हैं जो सादा और सातवाहन काल के हैं।
	बिहार	
22.	अशोक स्तंभ स्थल कोलहुआ, जिला मुजफ्फरपुर	पूर्व प्रसिद्ध ईटों का बड़ा स्तूप एवं सिंह शीर्ष वाले मौर्य स्तंभ के उत्खनन से बड़ी संख्या में पूर्व मौर्यों 3-4 शताब्दी ई. के एक हौज एवं एक मठ के अलावा बड़ी संख्या में मन्नत स्तूपों, विविध वस्तुओं एवं मृदभांडों का पता चला है।
23.	केसरिया, जिला चंपारन	चूना एवं जैली मिश्रित मिट्टी से निर्मित बुद्ध तथा अन्य देवताओं की आदम-कद प्रतिमाएं जो चिकनी हैं तथा जिन्हें एक बड़े स्तूप में रखा गया है जो ईसा सन की आरंभिक शताब्दी का है।

1	2	3
24.	चांदीमऊ, जिला नालंदा	यहां पक्की ईटों से बना गलियारा वाला बुद्ध मंदिर तथा कुछ मन्नत स्तूप खोजे गए हैं। महत्वपूर्ण प्राप्तियों में सूर्य एवं विष्णु के अलावा टेकाकोटा की मुहरें, बुद्ध तारा की प्रस्तर, मूर्तियों के टुकड़े शामिल हैं।
25.	अन्तिचाक (विक्रमशिला) जिला. भारालपुर	यहां पर 9-13 शताब्दी ई. का विक्रमशिला महावीहारा नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा बौद्ध मठ प्रकाश में आया है। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में प्रस्तर तथा कांसे की बौद्ध देवताओं की मूर्तियां हैं।
26.	बक्रायर (सुजाता कुटीर) जिला बोधगया	1972-73 में उत्खनित इस स्थल से बौद्ध संरचनागत अवशेष एवं उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं का पता चला है।
	हिमाचल प्रदेश	
27.	चैत्र, जिला कांगड़ा	दो संरचनागत चरणों वाला एक बौद्ध स्तूप प्रकाश में आया है। चरण 1 से एक अर्द्ध चक्रीय अपरिष्कृत पिण्ड प्रस्तर संरचना जबकि चरण-2 से पकी ईंट एवं अपरिष्कृत पिण्ड प्रस्तर चक्रीय संरचना का पता चला है।
	जम्मू एवं कश्मीर	
28.	अंबारान, जिला जम्मू	बौद्ध स्तूप जिसमें उत्तर 3 शताब्दी ईसवी की तबरूर्क तांबा टोकरी एवं टेराकोटा मानव सिरों के टुकड़े शामिल हैं, खोदे गए हैं।
29.	थिस्सेरू, लेह, जिला लेह (लदाख)	उत्खनन से मृदा ईंटों की बनी एक ऊंची बौद्ध बेदी प्रकाश में आई है (ऐतिहासिक काल)
	कर्नाटक	
30.	सनाथी, जिला गुलबर्गा	स्तूप टीला का उत्खनन किया है। टीले के आस-पास ईंट पलस्तर दीवार का साक्ष्य मिला, जो उत्तर-पूर्वी और स्तूप की परिधि तक विस्तृत थी तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं, जो संभवत: मन्नत प्लेटफार्म थीं और जो स्तूप की उत्तर-पश्चिम की दीवार के ठीक समानांतर जाती थीं, की श्रंखला का पता चला है।
31.	कंगनहल्ली (सोन्नटी) जिला गुलबर्गा	सातवाहन काल (प्रथम शताब्दी ई.पू. से प्रथम शताब्दी ई.) के शीशे के सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर सिरी सतकरनी, पुलमवी और यज्ञ श्री जैसे सातवाहन राजाओं के नाम अंकित हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज "राया अशोक" के नामवाली एक मूर्तिकार चट्टान है, मिली है।
32.	कोप्पल, जिला कोप्पल	सातवाहन काल (दूसरी शताब्दी ई.) की एक ईंट संरचना और शीशे के सिक्के, अशोक कालीन शिला लेख के लिए मशहूर एक स्थान गविमथ के निकट पाए गए हैं।
	महाराष्ट्र	
33.	एलिफैंटा गुफाएं, एलिफैंटा	ईंट निर्मित और गुंबद पर डिजाइन से अलंकृत स्तूप का निचला हिस्सा खुदाई में मिला जो शायद ऐतिहासिक काल का है।
34.	पौनी, जिला भण्डारा	एक बौद्ध स्तूप मिला। इसके अलावा, उत्तरी काले ओपदार मृदभांड (छठवीं-तीसरी शताब्दी ई.पू.), मौर्यकालीन ब्राह्मी में अभिलेख (तीसरी-दूसरी शताब्दी ई.पू.), लाल ओपदार मृदभांड (ऐतिहासिक काल) और सातवाहन काल के सिक्के पाए गए हैं।

1	2	3
	उड़ीसा	
35.	रत्नागिरी, जिला	बौद्ध स्तूप और ऐतिहासिक काल का मठ परिसर पाया गया है। (रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई)
36.	ललितगिरि, जिला	ऐतिहासिक काल का बौद्ध मठ परिसर की खुदाई की गई।
37.	उदयगिरि, जिला जाजपुर	बुद्ध और बोधिसत्व के सिर, एक लघु गणेश, देवताओं के धड़, उत्कीर्ण टेराकोटा सीलें, उत्कीर्ण पत्थर, टेराकोटा तथा लौह वस्तु जो नौवीं-बारहवी शताब्दी ई. की है।
	त्रिपुरा	
38.	श्यामसुन्दर का टीला, जिला पिल्लक, दक्षिणी त्रिपुरा	क्रुसिफार्म पद्धति पर निर्मित और नौवीं-दसवीं शताब्दी ई. का एक बौद्ध स्तूप प्रकाश में आया है। उत्खनित महत्वपूर्ण खोजों में हैं अवलोकेश्वर की एक आदमकद प्रस्तर मूर्ति, कुछ पत्थर की मूर्तियां तथा भारी संख्या में टेराकोटा फलक हैं।
	उत्तर प्रदेश	
39.	चौखण्डी स्तूप समठ, उत्तर प्रदेश	ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जहां अपने पांच साथियों से मिले थे, जो उनके अनुयायी बन गए थे, उस स्थान पर एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष। यह स्थान गुप्त काल का है।
40.	संकिस्सा, जिला फर्रूखाबाद	स्तूप अवशेषों के अलावा, चित्रित धूसर मृदभांड (नौवीं शताब्दी ई.पू. से छठवीं शताब्दी ई.पू.), उत्तरी काले ओपदार मृदभांड (छठवी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई.पू.) और कुषाण काल (प्रथम शताब्दी ई. से तीसरी शताब्दी ई.) के सांस्कृतिक क्रम का पता चला है।

एन ए टी पी के उद्देश्य

3737. श्री ई.एम.सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी) के उद्देश्य क्या हैं और इसके अन्तर्गत कौन से राज्य शामिल किए गए; और

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत 2000-2001 के दौरान राज्यवार कितनी निधियां आवंटित की गई और कितनी खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क)

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का विकास, मूल्यांकन, परिष्करण तथा प्रसार प्रणाली में पुन: जान डालना;
2. स्थान विशिष्ट उत्पादन प्रणाली की समस्याओं का समाधान जिसके लिए तकनीकी हल उपलब्ध हैं;
3. फिलहाल उपलब्ध आधुनिक औजारों का फायदा उठाने के लिए अनुसंधान के अग्र क्षेत्रों को सुदृढ़ करना;
4. प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और इन संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाना;
5. प्रबंधन साधनों और प्रक्रिया को सुदृढ़ करना और देश की आवश्यकता के अनुरूप सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास करना;
6. अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन नीति नियोजन, प्राथमिकता निर्धारण, निगरानी की राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना और उनका मूल्यांकन करना ताकि कृषि विकास की मौजूदा और उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार जारी की गई/व्यय की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार जारी निधियां/खर्च

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी/खर्च (2000-2001) राशि			
		भा.कृ.अ.प. संस्थान	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	गैर-सरकारी संगठन	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,863,18	151.09	64.92	4.079.19
2.	असम	-	152.06	24.80	176.86
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-
4.	बिहार	7.99	62.29		70.28
5.	छत्तीसगढ़	-	1.31		1.31
6.	गोवा	-	-	-	-
7.	गुजरात	15.03	57.99		73.02
8.	हरियाणा	483.66	26.33		509.99
9.	हिमाचल प्रदेश	31.18	91.39		122.57
10.	जम्मू एंड कश्मीर	-	32.89		32.89
11.	झारखंड	-	15.13		15.13
12.	कर्नाटक	569.05	281.18	21.73	871.96
13.	केरल	111.61	95.16		206.77
14.	महाराष्ट्र	138.19	108.92		247.11
15.	मेघालय	33.61	-	9.41	43.02
16.	मणिपुर	-	0.67	-	0.67
17.	मध्य प्रदेश	627.39	115.36		742.75
18.	नागालैण्ड	-		-	-
19.	नई दिल्ली (पी आई यू सहित)	3,637.92	-	63.38	3,701.30
20.	उड़ीसा	73.11	38.15		111.36
21.	पंजाब	11.97	52.48		64.45
22.	राजस्थान	550.97	26.55		577.52
23.	सिक्किम	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	6.00	231.50	22.94	260.44
25.	पोर्ट ब्लेयर (यू टी)	66.91	-		66.91
26.	उत्तर प्रदेश	578.79	193.06	28.78	800.63
27.	उत्तरांचल	12.50	-	-	12.50
28.	पश्चिम बंगाल	12.04	40.45		52.49
	कुल	10,831.10	1,773.96	235.96	12,841.02

प्रौद्योगिकी आधारित नीति का निर्माण

3738. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए एक ''टेक्नोसैवी'' नीति निर्मित की है;

(ख) यदि हां, तो नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य

3639. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **विधि, न्याय कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुकदमे की कार्यवाही के दौरान चश्मदीद गवाहों के मुकरने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही देने को अनिवार्य बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप पत्तन के साथ रेल सम्पर्क

3740. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय पारादीप पत्तन को और उपयोगी तथा उत्पादक बनाने हेतु उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत पारादीप पत्तन के साथ रेल सम्पर्क के लिए जोर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ायी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय पारादीप पत्तन को लाभ देने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:-

1. कटक-पारादीप रेल लिंक को डबल करना

(1) रघुनाथपुर-रहामा

(2) रहामा-पारादीप

(3) रजतगढ़-नेरगुन्डी

(4) नेरगुन्डी-रघुनाथपुर

(5) तल्चर-कटक-पारादीप

2. तल्चर-पारादीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर का विद्युतीकरण।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध विधवाओं को पेट्रोल पंप/ एलपीजी एजेंसियां

3741. श्री जय प्रकाश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कारगिल युद्ध के ''आपरेशन विजय'' के दौरान मारे गए सैनिकों के कुछ आश्रितों ने सरकार द्वारा एक विशेष योजना के अंतर्गत उन्हें आवंटित किए गए पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कारगिल में ''आपरेशन विजय'' में युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों के लिए विशेष योजना के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अन्तरण का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

राजस्थान में अकाल

3742. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अकाल के कारण राजस्थान के किसानों को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से किसानों को फसल की हानि के संबंध में ब्यौरा मांगा है, यदि हां, तो यह जानकारी किस तारीख को मांगी गई और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार अकालग्रस्त किसानों की मदद करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान 64.96 लाख है. वर्ष 1999-2000 के दौरान 78.18 लाख है. तथा वर्ष 2000-01 के दौरान 89.47 लाख है. फसल क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ।

(ग) प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी प्रथमत: राज्य सरकारों की ही है। भारत सरकार वित्तीय तथा संभार तंत्र सहायता के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। संघ सरकार ने अन्य वस्तुओं के अलावा सहायता के तौर पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 113.97 करोड़ रुपये तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करने के लिए 6.68 मी. टन गेहू नि:शुल्क प्रदान किया है।

[अनुवाद]

मांस का निर्यात

3743. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल मांस उत्पादों का मात्र 1% ही प्रसंस्कृत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुल कितने मांस का निर्यात किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मांस के प्रसंस्करण तथा निर्यात के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी इकाइयों को सहायता दी गई;

(घ) क्या पश्चिमी तथा अरब देशों को मांस के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अच्छे किस्म के मांस के प्रसंस्करण और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कुछ प्रसंस्करण के बाद चूंकि देश से मीट का निर्यात कुल मीट उत्पादन का लगभग 3.4% है, अत: प्रसंस्करण की प्रतिशतता 1% से अधिक है।

(ख) 1999-2000 में 1,80,270.66 मी. टन और 2000-2001 में 3,00,302.70 मी. टन निर्यात किया गया था।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा सहायता की गई यूनिटों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या
1998-99	13
1999-2000	14
2000-2001	14

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाले मीट के प्रसंस्करण तथा इसके निर्यात के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे कि मानक निर्धारित करना, निर्यात करने वाली यूनिटों का पंजीकरण तथा व्यापार मेलों में भागीदारी।

कृषि में आय बढ़ाने वाली योजनाएं

3744. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्तमान उदारीकरण नीति के द्वारा अधिक सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि और गैर-कृषि संबधों को मजबूत करने का प्रस्ताव है;

(ख) किसानों के लिए विपणन लागत को कम करने तथा वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा बेहतर प्रबंधन तथा कृषक नियंत्रित विपणन व्यवस्था की स्थापना हेतु कोई प्रायोगिक परियोजना की मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विपणन ढांचे/सुविधाओं के विकास तथा विपणन संघों में सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

(1) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन स्कीम तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही पश्चात पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अंतर्गत शीत भण्डार सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार विपणन बोर्डों/विभागों द्वारा विपणन यार्डों में कृषि विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का सृजन/सुदृढ़ीकरण तथा गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

(4) बिचौलियों की प्रथा को समाप्त करते हुए किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्डों द्वारा अपनी मंडियों की स्थापना की गई है।

(5) कृषि उत्पादों की आवाजाही पर लगे आवांछित प्रतिबंधों एवं कृषि विपणन क्षेत्र में निजी निवेश में बाधा डालने वाले अधिनियमों/नियमों की समीक्षा करके उन्हें शनै: शनै: समाप्त किया जा रहा है।

(6) कृषि मंत्रालय द्वारा विपणन के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(7) मण्डी आसूचना के त्वरित संकलन एवं प्रचार-प्रसार हेतु एक देशव्यापी नेटवर्क की स्थापना करने के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि विपणन आसूचना नेटवर्क" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से 210 केन्द्रों (17 महत्वपूर्ण कृषि/बागवानी मंडियों तथा राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों के 39 कार्यालयों) को इंटरनेट सहित कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निदेशालय ने यह सुविधा 500 अन्य केन्द्रों को भी देने का प्रस्ताव किया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार प्रदत्त मण्डी आसूचना से किसानों को अपने उत्पाद लाभकारी मूल्य पर बेचना सुविधाजनक होगा।

हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

3745. श्री मानसिंह पटेल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान निर्यातित हस्तशिल्प उत्पादों की मात्रा और मूल्य कितना था और 2001-02 हेतु उत्पादवार और देशवार निर्धारित लक्ष्य कितना है;

(ख) हस्तशिल्प उद्योग और उनके निर्यातकों द्वारा किन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है; और

(ग) शिकायतों को निपटाने और लघु कुटीर उद्योगों में बनाए जा रहे हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी आरम्भ की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) हस्तशिल्प मदों के लिए मात्रानुसार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात मूल्य 9270.50 करोड़ रुपये आंकलित किया गया है। वर्ष 2000-01 के लिए उत्पादानुसार और देशानुसार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 2001-02 के लिए हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प निर्यात के लिए 10610.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पादवार और देशवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

(ख) हस्तशिल्प उद्योग एवं हस्तशिल्प निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं में बढ़िया कच्चे माल की कमी, ऋण पर उच्च ब्याज दर, डिजाइनों के प्रति सतत् बदलती अभिरूचि, बाजार आसूचना की कमी, अनियमित विद्युत आपूर्ति, अपर्याप्त यातायात सुविधाएं और शिल्प पाकेटों के बीच पर्याप्त रेल एवं वायु सम्पर्कों की अनुपलब्धता जैसी अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) हस्तशिल्प राज्य का विषय है। तथापि, हस्तशिल्प उद्योग और इसके निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में-शिल्प विकास केन्द्रों और सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों की स्थापना, बैंकों द्वारा लादान पूर्व एवं लादान पश्च ऋण हस्तशिल्प पर वेबसाइट शुरू करना, नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित मौजूदा क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों को कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन (केड) सुविधाएं मुहैया कराके उन्नत बनाना, नई दिल्ली और मुरादाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना, भदौही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, वाणिज्य मंत्रालय की क्रिटिक्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेलेंस (सी.आई.बी.) स्कीम के तहत् आवश्यकता के आधार पर आधारभूत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देना शामिल है।

हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए, उठाए गए कदमों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; विदेशों में प्रचार; डिजाइन विकास; निर्यात विपणन एवं पैकेजिंग आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन; विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा क्रमश: भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला (शरद् एवं बसंत) और भारतीय कालीन एक्सपो का नई दिल्ली में वार्षिक आयोजना शामिल है।

विवरण

16.8.2001 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3745 के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

देश का नाम	हाथ से बुने कालीन	कलात्मक धातुपात्र	काष्ठ पात्र	हाथ से छपे वस्त्र एवं स्कार्फ	कशीदाकारी एवं कशीदाकारी की वस्तुएं	कलात्मक शाल	जरी एवं. जरी की वस्तुएं	नकली आभूषण	विविध हस्तशिल्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्ट्रेलिया	34.97	16.45	12.8	28.64	22.32	1.35	1.72	2.27	20.85
कनाडा	41.29	30.58	6.68	101.27	63.46	1.41	3.86	2.91	25.66
फ्रांस	68.85	55.92	23.15	55.02	113.12	0.81	6.12	4.65	60.97
जर्मनी	568.01	176.16	26.55	139.96	224.11	1.5	11.99	7.26	153.51
इटली	34.88	56.09	24.22	36.57	44.41	0.36	11.1	6.47	71.81
जापान	62.44	9.28	18.1	53.65	31.22	2.32	2.77	14.63	115.99
नीदरलैण्ड	30	43.7	21.46	25.81	61.14	0.67	2.43	1.23	30.45
सऊदी अरब	0	41.64	18.6	29.08	20.13	10.24	4.26	5.76	31.59
स्विटजरलैण्ड	20.2	15.58	18.51	11.51	55.7	0.16	3.17	0.64	1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संयुक्त राज्य अमरीका	1008.47	614.13	109.93	348.27	659	3.61	29.11	25.65	368.68
इंग्लैण्ड	106.82	208.2	54.05	144.14	211.65	2.15	25.55	20.18	103.12
अर्जेंटीना	2.33	0	0	0	0	0	0	0	0
आस्ट्रीया	22.15	0	0	0	0	0	0	0	0
बेल्जीयम	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
डेनमार्क	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
फिनलैण्ड	18.11	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्जमबर्ग	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
नार्वे	6.11	0	0	0	0	0	0	0	0
स्वीडन	47.02	0	0	0	0	0	0	0	0
स्पेन	33.75	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	168.39	510.37	100.39	302.83	458.52	2.62	40.24	30.03	225.95
कुल	2315.15	1778.1	434.44	1276.75	1964.78	27.2	142.32	121.68	1210.08
कुल जोड़									9270.5

बिहार और झारखंड के बीच विवाद

3746. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सरकार द्वारा तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विद्युत संयंत्र के मुद्दे पर कोई विवाद उत्पन्न किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस मुद्दे को विधि न्यायालय में ले जाने की धमकी दी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एक वर्ष के भीतर इस विवाद के निपटारे के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दो राज्यों के बीच के इस विवाद को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (1) के प्रावधानों के अनुसार विद्यमान बिहार राज्य के किसी भी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रम से संबंधित परिसम्पत्तियां और देयताएं उस राज्य को दी जाएगी जहां वह उपक्रम स्थित है। झारखंड सरकार ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का स्वामित्व लेते हुए दिनांक 27.2.2001 को एक अधिसूचना जारी की है। झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 27.2.2001 की अधिसूचना, जिसके द्वारा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का झारखंड राज्य के उपक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया था, को निरस्त करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में भारत सरकार और अन्य के खिलाफ एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की गई। तथापि, उच्च न्यायालय के दिनांक 27.6.2001 के अपने निर्णय में पी आई एल को रद्द कर दिया।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 62 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार और झारखंड के बोर्डों के मध्य परिसम्पतियों, देयताओं, अधिकारों तथा विद्यमान बोर्ड के

उपक्रम के अनंतिम आवंटन हेतु 22 मार्च, 2001 को आदेश अधिसूचित किया है जो 1.4.2001 से प्रभावी होगा।

फास्ट ट्रैक अदालतें

3747. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री गुर्नीपाटी रामैया:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फास्ट ट्रैक अदालत योजना के बारे में भारत के माननीय उच्चतम की टिप्पणी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के बारे में अपनी नीति की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने से पहले उच्चतम न्यायालय की सहमति ले ली गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ऐसी कितनी अदालतों की स्थापना की जा चुकी है और इन अदालतों में औपचारिक तौर पर कितने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

(छ) उक्त अदालतों में अब तक राज्य-राज्य वार कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ज) क्या इन अदालतों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क): से (ग) जी, हां। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार, सेवानिवृत्त सेशन न्यायाधीशों को त्वरित निपटान न्यायालयों में नियुक्त किया जाना है। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों में कुछ याचिकाएं फाइल की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 2001 की डब्ल्यू.पी.एम.पी. सं. 11305 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई थी और इन उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को अंतरित किए जाने का आदेश किया था। अब, ये मामले भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन हैं।

तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई संप्रेक्षण नहीं किया है, जो त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन की नीति का पुनर्विलोकन करने के लिए आवश्यक हो।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय को त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम के बारे में जानकारी दी जाती रही थी।

(च) अभी तक पूरे देश में 459 त्वरित निपटान न्यायालय गठित किए गए हैं। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय/राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।

(छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में एल पी जी डीलर

3748. **श्री राजो सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के शेखपुरा और लक्खी सराय जिलों में एल पी जी डीलरों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक के पास कितने गैस कनेक्शन हैं;

(ख) क्या इन डीलरों में से अधिकतर डीलर एल पी जी की कमी के बहाने सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस समय बिहार के शेखपुरा जिले में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) की केवल एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत है और 30.6.2001 तक इसकी ग्राहक संख्या 4300 थी। इसी प्रकार लक्खी सराय जिले में आई ओ सी एल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत है और 30.6.2001 तक इसकी ग्राहक संख्या 8452 थी।

(ख) से (घ) आई ओ सी ने 11.7.2001 को किए गए निरीक्षण के दौरान मैसर्स पूनम इंटरप्राइसेस, लक्ख्खी सराय के प्रचालन में रीफिलों पर अधिक पैसा लेने सहित कुछ अनियमितताओं का पता लगाया है और डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों, 2001 के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

राहत कोष को जारी किया जाना

3749. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों के लिए राहत अभियान कोष को शीघ्र जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राहत अभियानों को चलाए जाने हेतु महाराष्ट्र को कितना धन जारी किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूखे के पश्चात् केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया था। स्थिति का जायजा लेने के लिए जुलाई, 2001 के दौरान एक अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया। सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में आवश्यक उपाय के लिए राज्य को वर्ष 2001-2002 के आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की समस्त राशि जो 123.80 करोड़ रुपये बनती है जारी कर दी गई है, जिसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु 50,000 मी. टन नि:शुल्क अनाज शामिल है।

आपरेशन फ्लड परियोजना

3750. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आपरेशन फ्लड के अंतर्गत महाराष्ट्र में आनंद जैसे तथा आनंद से भिन्न सभी सरकारी संस्थाओं की असफलता के संबंध में जून, 2000 के "इंडियन डेयरीमैन" में प्रकाशित गोखले राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थान के अध्ययनों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि योजना आयोग की अध्यक्षता वाली कार्यशाला में प्रस्तावना समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट में भी किसी प्रकार के निष्कर्षों तक पहुंचा गया था;

(ग) क्या ईईसी, विश्व बैंक, इंडो डच समूह, प्रस्तावनाओं द्वारा पूर्व में तैयार किए गए रिपोर्टों के गहन अध्ययन की तथा एल के झा समिति की रिपोर्ट की भी पुनर्समीक्षा की जाएगी जिससे कि आनंद मॉडल की तथाकथित सफलता का रिकार्ड स्थापित किया जा सके ताकि हम पूर्व की गलतियों और असफलताओं, विशेषकर महाराष्ट्र के नलगांव से सीख ले सकें और अपने भविष्य की योजना में सहायता पहुंचा सकें; और

(घ) क्या सरकार इस पाठ का परीक्षण करेगी कि आनंद प्रतिमान केवल आनंद जैसे संस्थानों और जीसीएमएमएफ द्वारा चलाई जा रही सहायक सहकारी संस्थाएं, जहां कम मूल्य वाले एसएमपी और बटर आयल को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदले जाने के लिए भारी मात्रा में डाला जाता था, पर ही सफल था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) उक्त अध्ययन में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि आपरेशन फ्लड परियोजना के तहत महाराष्ट्र में आनंद किस्म तथा गैर आनंद किस्म दोनों की सभी सहकारी समितियां "असफल" रही थी। लेखक ने अपने लेख में मुख्य रूप से यह कहा है कि जहां तक सहकारी समितियों के कार्यकरण का प्रश्न है, "महाराष्ट के जलगांव और कोल्हापुर जिले जैसा कि अध्ययन में दर्शाया गया है, चरम सीमा को प्रस्तुत करते हैं। जबकि कोल्हापुर दुग्ध उत्पादक अधिकांशत: सहकारिताओं से सन्तुष्ट थे, जलगांव के उत्पादकों ने सामान्यत: समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आदानों तथा सेवाओं के बारे में शिकायतें की थी" तथापि, अध्ययन में निकाले गए निष्कर्ष अपर्याप्त सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित हैं और इस लिए उन्हें किसी माडल की सफलता अथवा विफलता निर्धारित नहीं करनी चाहिए।

(ख) ''इनिसिएटिव'' द्वारा किया गया अध्ययन सीमित क्षेत्रों में अपर्याप्त नमूना आकार से ग्रसित है। उसमें कोई ऐसे कड़े यादृच्छिक नमूनों का अनुसरण नहीं किया गया है जिससे सांख्यिकी रूप से अवैध परिणामों को निकाला जा सके तथा भ्रामक सामान्यकरण किया जा सके। अध्ययन में भारत के दुग्ध उत्पादन तथा उत्पादकता विकास दर को गलत दर्शाया गया है तथा ऐसी नीतियों की सिफारिश की गई है जिनसे भारत के अधिसंख्यक छोटे उत्पादकों को डेयरी क्षेत्र से होने वाली उनकी आय से वंचित रहना पड़ सकता है।

(ग) झा समिति तथा विश्व बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट दोनों ने आपरेशन फ्लड (भारत-डच, विश्व बैंक आदि) के खिलाफ की गई आलोचनाओं पर गौर किया किन्तु इस कार्यक्रम की उपलब्धियों की प्रशंसा की। इसी प्रकार ई.ई.सी. ने भी आपरेशन फ्लड अनुभव को संतोषजनक पाया।

इस प्रकार देश में डेयरी विकास के लिए भावी नियोजन आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की सफल विशिष्टताओं तथा संभावित कमियों से सीखे गए पाठ पर आधारित होगा।

(घ) आनंद में डेयरी सहकारिताओं तथा जी.सी.एम.एम.एफ. से संबद्ध सहकारिताओं की सफलता कृषक सदस्यों की बेहतर भागीदारी, व्यावसायिक प्रबंधन तथा बेहतर संचालन के कारण रही। जी.ए.सी.एम.एम.एफ. से सम्बद्ध उच्च सहकारिताओं में उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने के लिए अल्प मूल्य एस.एम.पी. तथा बटर आयल की अधिक मात्रा को नहीं खपाया गया था।

शिपयार्ड

3751. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान शिपयार्ड की संख्या और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) अब तक कितने पोतों का निर्माण किया गया है; और

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार कितनी परियोजनाएं चल रही हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) देश में कुल 28 शिपयार्ड मौजूद हैं जिनमें से 9 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और लगभग 19 शिपयार्ड निजी क्षेत्र में हैं। सभी भारतीय शिपयार्डों की कुल वार्षिक क्षमता अनुमानत: लगभग 0.15 मिलियन क्षतिपूरित सकल टन भार है।

(ख) शिपयार्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जोकि निजी क्षेत्र के शिपयार्डों और राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो शिपयार्डों की एसोसिएशन है) के सदस्य शिपयार्डों द्वारा कुल 597 पोतों/जलयानों का निर्माण किया गया है। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार शिपयार्डों द्वारा निर्मित पोतों की कुल संख्या इस प्रकार है-

(1)	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम	115
(2)	कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन	34
(3)	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकता का राजाबगान डॉकयार्ड	93
(4)	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकता	95

(ग) आज की तारीख में पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शिपयार्डों द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आज की तारीख में पोत परिहवन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शिपयार्डों की चल रही परियोजनाएं

शिपयार्ड का नाम	जलयान की किस्म	जलयानों की संख्या
1	2	3
1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम	100 यात्री जलयान (अंडमान एवं निकोबार के लिए)	10
	45 बी पी टग (मुम्बई पत्तन न्यास के लिए)	1
	50 टन बी पी टग (नव मंगलूर पत्तन न्यास के लिए)	1

1	2	3
	500 मीटर ड्रेजर (विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिए)	1
	50 टन बी पी टग (विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिए)	1
	तेल प्राप्ति और प्रदूषण नियंत्रण जलयान (विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिए)	1
	700 यात्री कार्गो जलयान (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए)	1
कोचीन शिपयार्ड लि. कोचीन	93000 डी डब्ल्यू टी डबल हल टैंकर (भारतीय नौवहन निगम के लिए)	1
	150 यात्री जलयान (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए)	1
	समुद्रगामी ड्रेजर (चैन्ने पत्तन न्यास के लिए)	1
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	400 यात्री जलयान (अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए)	1
कलकता	दीपघर टैंडर जलयान	1
	सरफेस ड्रेजर (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए)	1
	बहुउद्देशीय टग (भारतीय निकर्षण निगम लि., के लिए)	1
	30 टन बोलार्ड पुल टग (कलकत्ता पत्तन न्यास के लिए)	1
भारतीय केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता का राजाबागान डॉकयार्ड	पुश एवं साइड टोइंग टग 1400 टन स्व-नोदित तेल टैंकर	4 1

उड़ीसा में बाढ़

3752. **श्री किरीट सोमैया:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) बाढ़ के कारण मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इससे कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता समय पर लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ का असर और भी प्रचंड था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही में आई बाढ़ से राज्य के 24 जिले प्रभावित हुए, परिणामत: 100 लोग मारे गए तथा 6000 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) निचले स्तर पर राहत सामग्री के वितरण का दायित्व राज्य सरकार का है।

सूखा संभावित क्षेत्र

3753. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-01 में विभिन्न राज्यों में पड़े प्रचंड सूखे और गेहूं, चावल और दलहन की कम खेती का प्रतिकूल प्रभाव खाद्यान्नों पर पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परिदृश्य राज्य कृषि उत्पादन आयुक्तों, राज्य कृषि सचिवों, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके दो दिवसीय सम्मेलन में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सम्मेलन में वर्ष 2000-01 के दौरान उत्पादन में सम्भावित कमी के सन्दर्भ में खरीफ 2001 के दौरान अधिक उत्पादन हासिल करने संबंधी नीति पर विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार बीजों के गहन उपयोग, बीजों, उर्वरकों जैसे आदानों की यथासमय आपूर्ति तथा कीटों एवं रोगों की नियमित निगरानी तथा किसानों के लिए मददगार भा.कृ.अ.प. द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र कवर करने पर ज्यादा जोर देंगे।

सम्मेलन में विश्व व्यापार समझौते, पनधारा प्रबंध के अंतर्गत हासिल प्रगति, वृहद प्रबंध स्कीमों तथा सूखे की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की बारीकी से मानिटरिंग करने का भी निर्णय लिया गया।

(घ) सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परिणामस्वरूप अनाज फसलों जैसे चावल, गेहूं तथा तिलहन आदि के उत्पादन में दीर्घावधिक वृद्धि का रूख देखा गया है। तथापि, कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण फसलों के उत्पादन में कभी-कभी वर्षानुवर्ष आधार पर उतार-चढ़ाव आता है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं बनाई जाती हैं जो स्थान एवं स्थिति विशेष से संबंधित होती हैं।

गोंडिया-जबलपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3754. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के वन विभाग ने रेलवे से गोंडिया-जबलपुर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए उपलब्ध कराई भूमि के बदले अपने कर्मचारियों की नि:शुल्क यात्रा के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे ने इस मांग के कारण आमान परिवर्तन की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो गोंडिया-जबलपुर लाइन के आमान परिवर्तन को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) वन विभाग ने गोंदिया-बिरसोला खंड पर अवैध वन गतिविधि की रोकथाम के लिए अपने कर्मचारियों को गाड़ी में नि:शुल्क यात्रा करने देने की मांग की थी।

(ख) शर्त रेलवे को स्वीकार्य नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति की जाएगी और उसे पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

लम्बित जल विद्युत परियोजनाएं

3755. श्री रामपाल सिंह:
श्री पदमसेन चौधरी:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितनी जल विद्युत परियोजनाएं/लघु जल विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) उनके लम्बन के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण उनमें अनुमानित लागत वृद्धि कितनी हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में रहुघाट जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत के क्षेत्र में सरकार के कब तक आत्म निर्भर होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) देश में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा, उनके समय एवं लागत में वृद्धि तथा उसके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 186 लघु जल-विद्युत परियोजनाएं (25 मे.वा. तक) जो कुल मिलाकर 527 मे.वा. है, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

(घ) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा के.वि. प्रा. को जून, 1987 में प्रस्तुत राहुघाट जल-विद्युत स्कीम की परियोजना रिपोर्ट को फरवरी, 1988 में मध्य प्रदेश के साथ अंत:राज्यीय पहलुओं के समाधान के पश्चात् पुन: प्रस्तुत किए जाने हेतु वापिस लौटा दिया गया था। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि चंबल के पानी का समुपयोजन (1) राहु का गांव/देवीपुरा (2) गुजापुरा (3) जैतपुरा और (4) बारसाला जल-विद्युत स्कीमों का निर्माण करके किया जा सकता है। तथापि, इन स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के.वि.प्रा. में जांच हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) विद्युत मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2012 तक मांग पर विद्युत उपलब्ध करवाने का है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना एजेन्सी क्रियान्वयन नाम	सीसीईए स्वीकृति/ निवेश निर्णय की तारीख	आरंभन समय-सीमा आरंभिक अद्यतन		समय आधिक्य (वर्षों में)	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) आरंभिक अद्यतन (मूल्यस्तर)		लागत आधिक्य प्रतिशत रु. करोड़ में		समय एवं लागत आधिक्य का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केन्द्रीय क्षेत्र										
एनजेपीसी										
1.	नाथपा झाकरी एच ई परियोजना (6×250 में. वा.)हिमाचल प्रदेश	5.4.1989	1996-97	2003-04	7	1678.02 7666.31 [12/85] [6/98]		356.87 5988.29		बांध एवं एचआरटी कार्य पुरा/आमंत्रित मूल्य अनुमानित मूल्य से ज्यादा अगस्त, 2000 की बाढ़
एनएचपीसी										
2.	दुलहस्ती एच.ई.	12.7.1989	1994-95 2003-04		9	1262.97 3559.77		181.86 2296.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	परियोजना [3×130 मे.वा.] जम्मू और कश्मीर					[10/88] [11/96]				
3.	चमेरा एच. ई. परियोजना स्टेज-II [3×100 मे.वा.] हिमाचल प्रदेश	18.5.1999	2004-2005 2004-05		शून्य	1684.02 1684.02 [8/98] [8/98]		0.00 0.00		
4.	दुलहस्ती एचई परियोजना [4×70 मे. वा.] उत्तर प्रदेश	8.4.1991	1998-99	2004-2005	6	601.98 1578.31 [12/89] [8/99]		162.19 976.33		निधि सुनिश्चित करने में विलंब/निजी भूमि की प्राप्ति एवं एनएचपीसी में विस्थापितों की रोजगार के लिए मांग।
5.	लोकटक डी/एस एचइ परियोजना [3×30 मे. वा.] मणिपुर	30.12.1999	2006-200 2006-07		शून्य	0.0 578.62 [4/99] [4/99]		0.00 0.00		शून्य
6.	तीस्ता एचइ परियोजना स्टेज-5 [3×170 मे.वा.] सिक्किम	11.2.2000	2006-07 2006-07		शून्य	2198.04 2198.04 [4/99] [4/99]		0.00 0.00		शून्य
नीपको										
7.	रंगानाडी एचइ परियोजना [3×135 मे.वा.] आंध्र प्रदेश	अप्रैल, 87	1994-95 2001-02		7	312.78 1446.09 [2/88] [7/99]		362.33 1133.31		वित्तीय समस्या। एचआरटी कार्य में धीमी प्रगति, बांध एवं विद्युत गृह।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	तूरियल एचइ परियोजना [2×30 मे. वा.] मिजोरम	जुलाई, 98	2005-07 2005-07	शून्य		368.72 368.72 [6/97] [6/97]		0.00 0.00		शून्य
9.	कोपिली स्टेज-2 1×25 मे.	जुलाई, 99	2003-04 2003-04	शून्य		76.09 76.09 [9/98] [9/98]		0.00 0.00		शून्य
टीएचडीसी										
10.	टेहरी एचई परियोजना [4×250 मे. वा.] उत्तर प्रदेश	मार्च, 94	1997-99 2002-03		4	3391.40 5690.64 [3/93] [8/99]		67.80 2299.24		आर एण्ड आर समस्या। उत्तराखंड आंदोलन। स्पिलवे, पीएच एवं डैम कार्यों को सौंपने में विलंब। विपथनसुरंग का बंद नहीं होना।
11.	कोटेश्वर एचई परियोजना [4×100 मे. वा.] उत्तर प्रदेश	अप्रैल, 2000	2005-06 2005-06	शून्य		1301.56 1301.56 [10/99] [10/99]		0.00 0.00		शून्य
एनएचडीसी										
12.	इंदिरा सागर [8×125 मे. वा.]	6.9.89	1997-2000 2003-06		6	1190.12 3381.32 [12/88]		184.12 2191.20		
उत्तरी क्षेत्र										
हरियाणा										
13.	डब्ल्यू. वाई. सी-2 [2×7.2 मे. वा.] एचपीजीसीएल	4.2.2000 राज्य सरकार	10वीं योजना		शून्य	70.00 94.00 [12/98]		34.29 24.00		ओईसीएफ ऋण की समाप्ति। वित्तीय समस्या। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बीच जल विवाद।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश										
14.	लारजी [3×42 मे.वा.] एचपीएसईबी	14.1.2000 (टीईसी)	2002-03 2003-05		1-2	796.98 796.98 [3/99] [3/99]		0.00 0.00		सिविल कार्यों के ठेका पैकेज को सौंपने में विलंब 1 ई एण्ड एम उपस्कर के मामले में एलसीबी के बदले आईसीबी माध्यम का चयन।
जम्मू और कश्मीर										
15क.	अपर सिंध-2 2×35 मे.वा. जम्मू और कंपीडीसी	22.11.83	1988-89,	1999-2002	11-13	76.46 [11/83] [6/2000]	399.50	422.50 323.04		कानून-व्यवस्था ममस्या। विधि समस्या। सामान्य मूल्य वृद्धि
15ख.	अपर सिंध (विस्तार) (1×35 मे. वा.) जम्मू और कंपीडीसी	26.6.89	1993-94 2001-02		8	20.69 42.27 [6/89] [4/96]		104.30 21.58		कानून-व्यवस्था समस्या। विधि समस्या। सामान्य मूल्य वृद्धि।
16.	सेवा स्टेज-3 [3×3 मे.वा.] जम्मू और कंपीडीसी	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत	1997-98 2001-02		4	16.92 60.00 [3/88] [5/98]		254.61 43.08		निधि समस्या, भूमि अधिग्रहण, कार्य की धीमी प्रगति पावर हाउस में बाढ़।
पंजाब										
17.	शाहपुर-कान्डी [2×40+ 2×40 मे.वा.] 1×8 मे.वा.] पीआईडब्ल्यू/ पीएसईबी	5.7.93	10वीं योजना	11वीं योजना	लगभग	895.08 1538.00 [12/91] [4/99]		71.83 642.92		निधि समस्या
उत्तरांचल										
18.	लखवर-व्यासी [3×100+ 2×60 मे.वा.] यूपीजेवीएनएल/ एनएचपीसी	9.1.76	1989-90	2004-2006	15-16	140.97 1446.00 [1/78] [3/96]		925.75 1305.03		निधि समस्या कार्यकारी एजेन्सी में परिवर्तन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	मनेरी भाली-2 [4×76 मे. वा.] टीएचडीसी	21.2.2000 [सीईए]	2003-05	2003-05	शून्य	0.0 [2/99] [2/99] (पूर्णता लागत) (पूर्णता लागत)	1249.18	0.00 0.00	–	
पश्चिमी क्षेत्र										
गुजरात										
20.	सरदार सरोवर एचइपी 6×200+ 5×50 मे.वा. एसएसएनएल	5.10.88	1994-96 2003-05		9	1551.86 3267.25 [86-87]	[1996-97]	110.54 1715.39		विश्व बैंक ऋण निरस्तीकरण। ओइसीएफ ऋण का सस्पेंसन आर एण्ड आर में वृद्धि। स्पिल वे ऊंचाई को पहले 80.3 मी. और बाद में 85.0 मी. करने में सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर।
मध्य प्रदेश										
21.	बानसागर टोन्स पी.एच.-2 और 3 2×15+3×20 मे.वा. एमपीईबी	30.6.84	पीएच-2 2002-03 1990-91 पीएच-3 2000-02 1989-91		12 11	301.17 966.81 [सहित] [2000] पीच-1 3×105 मे.वा. [6/84]		221.02 665.64		बानसागर बांध में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण नागरिक कार्यों की धीमी प्रगति
22.	बानसागर टोन्स पीएच-4 2×10 मे.वा. एमपीएसइबी	31.7.92	1996-97 2002-03		6	51.06 84.97 [9/90] [2000]		66.41 33.91		निधि दबाव के कारण धीमी प्रगति। कार्यकारी एजेंसी के निर्णय में विलम्ब। आर एंड आर समस्या
23.	मारीखेड़ा 2×20+ 1×20 मेवा.	11.5.0 1 राज्य सरकार द्वारा	2003-04 2003-04		शून्य	177.38 177.38 [2000 पीएल] [2000 पीएल]		0.00 0.00	–	
महाराष्ट्र										
24.	घाटघर पीएसएस 2×125 मेगावाट आइडी/महाराष्ट्र सरकार	11.8.92	1995-96 2004-05		9	485.96 830.00 [1992] [5/97]		70.80 344.04		राज्य सरकार द्वारा कम प्राथमिकता। भूमि अधिग्रहण सामान्य कीमत वृद्धि। प्रमुख कार्यों में विलम्ब।
25.	भिवपुरी पीएसएस 1×90 मेगावाट टाटा इलेक्ट्रिक कारपोरेशन	4.12.90	2001-02 2003-04		2	89.87 89.87 [11/89] [11/89]		0.00 0.00		अंतरराज्यीय विवाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण क्षेत्र										
आंध्र प्रदेश										
26.	श्रीसेलम एलबी एचइपी (6×150 मेगावाट) एपीजेनको	1.9.1986	1993-95	2000-2003	7-8	418 2482.00 [85/86]	[2000-01]	493.78 2064.00		सिविल कार्यों की धीमी प्रगति विनिमय दर में भिन्नता सामान्य कीमत वृद्धि।
कर्नाटक										
27.	बृन्दावन एचइपी (2×6 मेगावाट) केपीसीएल	10.4.1990	1993-94 2002-03		8	15.23 51.24 [8/89] [97/98]		236.44 36.01		कोर्ट से स्टे आर्डर के कारण कार्य आरंभ में विलम्ब। सामान्य कीमत वृद्धि। कार्यकारी एजेंसी में परिवर्तन।
28.	शरावती टीआर (4×60 मे.वा.) केपीसीएल	6.5.1987	1993-94 2001-02		8	160.59 531.00 [82/83]	[2001-02]	230.66 370.41		निधि समस्या तथा बांध कार्य व पीएच सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। सामान्य कीमत वृद्धि। कोर्ट का स्टे आर्डर। विश्व बैंक ऋण का निरस्त होना।
केरल										
29.	मालनकारा एचईपी 3×3.5 मे.वा. केएसईबी	अगस्त, 86	1990-91 2002-03		12	7.80 41.57 [86/87]	[1999-2000]	432.95 33.77		सिविल कार्य में विलम्ब तथा क्षमता संशोधन। सामान्य कीमत वृद्धि।
30.	कुटियाडी टीआर 3×1.25 मे.वा.	मई, 89	2000-01 2002-03		2	3.97 12.92 [98/99]	[99-2000]	225.44 8.95		सामान्य कीमत वृद्धि। काम के निष्पादन में विलम्ब
तमिलनाडु										
31.	पाइकारा अल्टीमेट 3×50 मे.वा. टीएनईबी	1.8.1988	1994-95	10वीं योजना	8	70.16 373.06 [87/88] [98/99]		431.73 302.90		सामान्य कीमत वृद्धि। वित्तीय समापन दर में परिवर्तन। टीआर तथा इ/एम कार्यों में विलम्ब। प्रेशर शाफ्ट कामों की धीमी प्रगति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह										
32.	कलपोंग (5.2 मे.वा.) ए एंड एन प्रशासन	15.7.98 ए एंड एन प्रशासन व एनएचपीसी के साथ समझौते की तारीख)	2001-02 2001-02		शून्य	49.37 47.31 [1/98] [वर्ष 2000 पीएल]		-4.16 2.06	-	
पूर्वी क्षेत्र										
झारखंड										
33.	चांडिल 2×4 मे.वा.	14.4.87	1988-90 2001-02		12-13	12.95 32.49 [4/87] [1996]		150.89 19.54		निधि समस्या। आपूर्ति तथा इओटी क्रेन इरेक्शन में विलंब पीएच सिविल कार्य। सामान्य कीमत वृद्धि। भेल द्वारा आपूर्ति में विलम्ब।
34.	उत्तर कोयल 2×12 मेगावाट	10.3.84	1988-89 2002-03		14	21.94 [47.34] [3/83] [1996]		115.77 25.40		निधि समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। स्टाफ की कमी। वन स्वीकृति। कानून व्यवस्था की समस्या।
उड़ीसा										
35.	पोत्तेरू 1×3 +1×3 मेगावाट ओएचपीसी	30.7.84	1989-90 2001-02		12	5.46 18.83 [1984] [1997]		244.87 13.37		निधि समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब। स्टाफ की कमी। वन स्वीकृति। कानून व्यवस्था की समस्या। आइडी द्वारा सिविल कार्यों में विलम्ब
36.	बालीमेला बांध टो [2×30 मेगावाट) ओपीसीएल	26.2.77	1982-83	10वीं योजना	19	17.77 69.30 [12/76] [1997]		289.98 51.53		अंतरराज्यीय विवाद। सामान्य कीमत वृद्धि।
पश्चिम बंगाल										
37.	राम्मम चरण-1 3×12 मेगावाट डब्ल्यूएसईबी	17.3.1993	9वीं योजना	10वीं योजना	लगभग 5 वर्ष	90.88 176.59 [3/91]	[1998-99]	94.31 85.71		कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	पुरुलिया पीएसएस 4×225 मेगावाट डब्ल्यूबीएसइबी	9.2.94	2002-03 2004-06		2-3	1456.56 3188.90 [9/91] [4/94]		118.93 1732.34		मंजूरी के एक वर्ष बाद ओइसीएफ के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर। सामान्य कीमत वृद्धि। आपूर्ति आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब
सिक्किम										
39.	रोलेप चरण-1 2×3 मेगावाट संशोधित 2 4.5 मेगावाट	16.8.97	2001-02 2003-04		2	35.13 45.00 [1996] [1999]		28.10 9.87		निधि समस्या के कारण काम आरंभ नहीं हुआ।
उत्तर-पूर्वी राज्य										
असम										
40.	कारबी-लांग्पी (लोअर बोरपानी) 2×50 मेगावाट)	24.9.79	1985-86 2003-04		18	36.36 288.37 [1979] [1998]		693.10 252.01		कार्यकारी एजेंसियों में बार-बार बदलाव। बांध का काम पूरा। संयुक्त क्षेत्र में खराब निष्पादन
41.	धनश्री 5×3× 1.33 मेगावाट एएसइबी	6.2.85	1988-89 2002-03		14	10.53 78.63 [1985] [1999]		646.72 68.10		कानून व्यवस्था की समस्या। विगत 7 वर्षों में निधियों की कमी
नागालैंड										
42.	लकिमरो 3×8 मेगावाट विद्युत विभाग नागालैंड	18.10.89	1993-94 2001-02		8	33.84 215.88 [3/88] [2000]		537.94 182.04		सिविल कार्यों में विलम्ब। पावर चैनल तथा सिविल कामों की धीमी प्रगति। निधि दबाव
निजी क्षेत्र										
43.	बास्पा-2 (निजी) 3×100	29.4.94 (टीईसी)	2001-02 2003-04		2	949.23 949.23 [12/93]		0.00 0.00		31 जुलाई/1 अगस्त, 2000 को भीषण बाढ़ के कारण विलम्ब।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मेगावाट मै. जेएचपीएल हि.प्र.					[12/93]				
	विष्णुप्रयाग (निजी) 4×100 मेगावाट मै. जेपीवीएल उत्तर प्रदेश	30.6.97 [टीईसी]	10वीं योजना	10वीं योजना	शून्य	1614.66 1614.66 [6/97] [6/97]		0.00 0.00	-	
45.	श्रीनगर 4 82.5 मेगावाट डीएनएचपी सी	14.6.2000 (टीसी)	2005-06 2005-06		शून्य	1699.12 1699.12 [3/99] [3/99]		0.00 0.00	-	
46.	महेश्वर (निजी) 10×40 मेगावाट एसएमपीएच सी मध्य प्रदेश	30.12.96	2001-02 2003-05		2-3	1569.27 1673.00 [96-97] [4/2000]		6.61 103.73		कार्यकारी एजेंसी द्वारा अंतिम रूप देने में विलम्ब सामान्य कीमत वृद्धि। आर एंड आर समस्या। ऋण के लिए निश्चित वित्त पैकेज को अंतिम रूप देने में विलम्ब
47.	बूथाथनकेटू 16 मेगावाट केरल मै. सिलीकल मैट. लि.		2000-01 2001-02		1	32.83 35.65 [1989] [1993]		8.59 2.82	-	

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को आबंटित धन

3756. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में पश्चिम बंगाल को अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र हेतु परियोजना-वार कुल कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इन परियोजनाओं के मद में कुल कितना धन जारी किया गया है; और

(ग) अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) मंत्रालय के अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों

के लिए पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि और चालू वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान मंजूर/रिलीज की निधियों और 31.3.2001 तक संचयी उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां और 31.3.2001 तक संचयी वास्तविक उपलब्धियों के विवरण

क्र.सं.	स्रोत/प्रणाली	9वीं योजना (1997-2001) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां (करोड़ रु. में)	वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां (करोड़ रु. में)	31.3.2001 के अनुसार संचयी वास्तविक उपलब्धियां
क.	**विद्युत उत्पादन**			
1.	पवन विद्युत	0.97	0.45	0.5 मे.वा.
2.	लघु पनबिजली (25 मे.वा. तक)	4.92	-	89.28 मे.वा.
3.	बायोमास गैसीफायर	0.66	-	1030 कि.वा.
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	0.60	-	25कि.वा.पी.
ख.	**विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां**			
1.	बायोगैस संयंत्र (परिवार आकार)	17.40	2.29	1,87,129 सं.
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	0.64	0.05	61 सं.
3.	उन्नत चूल्हा	9.99	0.13	34.41लाख (सं.)
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	11.08	0.48	
	(1) सौर सड़क रोशनी प्रणालियां			1,309सं.
	(2) घरेलू रोशनी प्रणालियां			14,549सं.
	(3) सौर लालटेन			3,471सं.
	(4) एसपीवी विद्युत संयंत्र			352.3 कि.वा.पी.
5.	सौर कुकर	0.11	-	7,391 सं.
6.	सौर जल तापन प्रणालियां	0.17	-5,500	वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	-	-	47 सं.
ग.	**अन्य कार्यक्रम**			
1.	ऊर्जा पार्क	0.51	-	7 सं.
2.	आईआरईपी ब्लॉक	0.06	-	34सं.

मे.वा. मेगावाट; कि .वा. =किलोवाट; कि.वा. पी. =किलोवाट पीक

मंत्रियों द्वारा विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा

3757. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा विशेष रेलगाड़ियों से कितनी बार विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई;

(ख) प्रत्येक बार विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) खर्च में कमी लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवा नियम

3758. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवा नियमों के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में एक समान कानून लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1998 की सिविल अपील सं. 6469, 1999 की अपील सं. 722 और 1999 की अपील सं. 2411-गंगा राम मूल चन्दानी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में तारीख 17 जुलाई, 2001 को राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवा नियमों के संबंध में अपना निर्णय दिया है। अपीलों में, अपीलार्थियों ने राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969 के नियम 8 (ii) और नियम 15 (ii) की, जिसमें, यह उपबंध है कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर विचार किए जाने के लिए केवल वे अधिवक्ता ही पात्र होंगे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में व्यवसाय कर रहे हैं, की विधिमान्यता को, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अधीन भारत के नागरिक को गारंटीशुदा मूल अधिकारों के उल्लंघन में थे।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969 के नियम 8 (ii) और नियम 15 (ii) संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अधिकारातीत हैं और अभिखंडित किए जाने के लिए दायी हैं। निर्णय को भविष्यलक्षी प्रभाव दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 233, 234, 235 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय/राज्य सरकार से संबद्ध विषय-वस्तु के रूप में न्यायिक अधिकारियों के सेवा संबंधी विषयों के बारे में एकसमान विधियां/नियम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पालनपुर रेलवे स्टेशन पर शेड का निर्माण

3759. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या पालनपुर रेलवे स्टेशन पर शेड नहीं हैं जिसके कारण ढोए जा रहे सामान नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन पर शेड लगाए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) पालनपुर में माल शैड नहीं है। बहरहाल, वहां पर एक यानान्तरण प्लेटफार्म है जिसके एक ओर बड़ी लाइन है और दूसरी ओर मीटर लाइन है। यानान्तरण के लिए ब.ला. और मी.ला. मालडिब्बों को आमने-सामने रखा जाता है और इस प्रकार सामान सीधे मी. ला. मालडिब्बे से ब. ला. में और विलोमत: यानान्तरिक कर दिया जाता है। इस यानान्तरण प्लेटफार्म पर कोई सायबान नहीं है और वास्तव में यानान्तरण की उपरोक्त व्यवस्था के कारण इसकी आवश्यकता भी नहीं है। प्लेटफार्म की चौड़ाई कम है ताकि दोनों रेलपथों के बीच में ज्यादा जगह न हो और यानान्तरण में सामान को हानि न हो। स्टेशन पर 5 यात्री प्लेटफार्म हैं और सभी यात्री प्लेटफार्मों पर पर्याप्त प्लेटफार्म सायबान उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

लोक अदालतें

3760. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान और 31 जुलाई 2001 तक प्रत्येक राज्य में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) 1.1.2000 से 31.12.2000 की अवधि के दौरान लगाई गई लोक अदालतों की और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1.1.2001 से 31.7.2001 की अवधि तक प्रत्येक राज्य में लगाई गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की बाबत जानकारी संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1.1.2000 से 31.12.2000 तक लगाई गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लगाई गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,759	82,308
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	37	10,735
4.	बिहार	214	23,601
5.	गोवा	64	509
6.	गुजरात	4,944	6,75,556
7.	हरियाणा	95	22,687
8.	हिमाचल प्रदेश	402	3,898
9.	जम्मू-कश्मीर	133	3,311
10.	कर्नाटक	266	16,337
11.	केरल	1,913	28,390
12.	मध्य प्रदेश	1,110	35,282
13.	महाराष्ट्र	587	18,363
14.	मणिपुर	1	32
15.	मेघालय	3	3
16.	मिजोरम	9	6
17.	नागालैंड	1	30
18.	उड़ीसा	385	3,13,238
19.	पंजाब	225	8,201
20.	राजस्थान	8,259	1,74,504
21.	सिक्किम	71	243
22.	तमिलनाडु	895	7,977
23.	त्रिपुरा	2	242
24.	उत्तर प्रदेश	918	3,66,350
25.	पश्चिमी बंगाल	224	4,240
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	46
27.	संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़	59	13,205
28.	दादरा नागर हवेली	-	-
29.	दमण और दीव	1	25
30.	दिल्ली	440	10,308
31.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं कराई गई	
32.	पांडिचेरी	5	444
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	-	-
	कुल	26,025	18,20,071

[हिन्दी]

स्वदेशी और आयातित सवारी डिब्बों का मूल्य

3761. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री उत्तमराव पाटील:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जर्मनी से आयातित सवारी डिब्बों की तुलना में स्वदेशी सवारी डिब्बों की विनिर्माण लागत क्या है;

(ख) इन सवारी डिब्बों के आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में रेलवे के सवारी डिब्बों के उत्पादन में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में रेलवे के सवारी डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सम्भावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 1950 के दशक में पुरानी प्रौद्यौगिकी से बने ऐसे ही देशी सवारी डिब्बों की लागत लगभग 50.6 लाख रु. (वर्ष 1998-1999 के दौरान) है। आयातित डिब्बों की औसत लागत लगभग 4.46 करोड़ रु. (पोत पर्यन्त निशुल्क) है जिसमें विकास लागत एवं सवारी डिब्बों के साथ सप्लाई की गई जिग्स एवं फिक्चर्स की लागत शामिल है। आयातित सवारी डिब्बों में बहुत सी विकसित संरक्षा एवं यात्री की आरामतलब विशेषताएं होती हैं।

(ख) चूंकि भारतीय रेल 1950 के दशक की प्रौद्यौगिकी का इस्तेमाल कर रही थी जबकि विकसित देशों में यात्री संरक्षा एवं आरामतलब स्तरों में काफी प्रगति हुई, इसीलिए बेहतर सरंक्षा, आराम तथा परिचालन की कम लागत के मद्देनजर आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत महसूस की गई। इससे पहले कि प्रौद्योगिकी अंतरण करार के तहत इन सवारी डिब्बों को स्वदेशी रेलवे उत्पादन इकाइयों में निर्मित किया जाए, सवारी डिब्बों का आयात किया गया था ताकि इनकी प्रौद्योगिकी की जांच वास्तविक कार्य क्षेत्र में की जा सके।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सवारी डिब्बों का लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1998-1999	2571	2466
1999-2000	2397	2453
2000-2001	2262	2256

सवारी डिब्बों का उत्पादन संसाधन की उपलब्धता तथा सवारी यातायात की जरूरतों पर आधारित हैं। सवारी डिब्बों का मौजूदा उत्पादन स्तर संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्त होने वाले यातायात के अनुरूप है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा का उत्पादन

3762. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं और राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में इनकी उत्पादन/स्थापित क्षमता कितनी थी;

(ख) देश में राज्य-वार कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन की कुल मांग और उपलब्धता कितनी है और इसकी अनुमानित कमी कितनी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और पवन ऊर्जा प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एसपीवी प्रणालियों से 1 अप्रैल, 2001 के अनुसार अनुमानित ऊर्जा उत्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में 35,000 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 3000 सड़क रोशनियां, 220 कि.वा.पी.

स्टैंड एलोन विद्युत परियोजनाएं, 300 कि.वा.पी. ग्रिड संबद्ध विद्युत परियोजनाएं और 800 एसपीवी पम्पन प्रणालियां लगाने तथा 85,000 सौर लालटेन वितरित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 2001 में संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार विद्युत की कुल आवश्यकता 43,343 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया था जबकि उपलब्धता 40,474 मिलियन यूनिट थी और कमी 2869 मिलियन यूनिट थी।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01) के दौरान 31.3.2001 के अनुसार पवन विद्युत क्षमता, एसपीवी विद्युत क्षमता, एसपीवी पंप, सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियों और सड़क रोशनियों की राज्यवार संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत	एसपीवी विद्युत	एसपीवी पंप	सौर प्रकाशवोल्टीय		
		मे.वा.	कि.वा.	सं.	सड़क रोशनी प्रणाली संख्या	घरेलू रोशनी प्रणाली संख्य	सौर लालटेन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	36.10	175.00	160	285	283	13208
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	393	2000
3.	असम	-	-	-	-	973	366
4.	बिहार	-	-	23	50	550	17735
5.	गोवा	-	-	1	10	20	235
6.	गुजरात	-	-	4	262	1837	20782
7	हरियाणा	-	-	57	288	3348	10749
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	571	4920	6324
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	40.00	1	30	7411	2500
10.	कर्नाटक	27.60	-	131	123	1004	2867
11.	केरल	-	25.00	369	65	1714	12637
12.	मध्य प्रदेश	10.30	100.00	39	110	84	1503
13.	महाराष्ट्र	184.30	75.00	35	259	295	2353
14.	मणिपुर	-	-	11	-	50	500
15.	मेघालय	-	-	5	-	50	995
16.	मिजोरम	-	-	4	82	385	2288
17.	नागालैंड	-	-	-	-	135	95
18.	उड़ीसा	-	3.00	1	3497	1296	2508
19.	पंजाब	-	136.00	527	1200	2320	11495

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	7.30	25.80	9	1106	16164	2910
21.	सिक्किम	–	–	–	–	54	50
22.	तमिलनाडु	105.40	10.00	185	194	69	5226
23.	त्रिपुरा	–	–	–	125	315	12029
24.	उत्तर प्रदेश	–	125.00	109	238	27044	21896
25.	पश्चिम बंगाल	0.50	240.00	1	181	11241	637
26.	अंडमान व निकोबार	–	–	–	31	1	146
27.	चंडीगढ़	–	–	2	–	150	875
28.	दिल्ली	–	–	28	–	-	939
29.	लक्षद्वीप	–	200.00	–	90	–	5400
30.	पांडिचेरी	–	–	4	–	–	394
31.	अन्य	–	–	–	–	6	10851
	कुल	371.50	800.00	1706	8797	82112	172493

मे.वा - मेगावाट; कि.वा.=किलोवाट

विवरण-II

31.3.2001 तक संस्थापित एसपीवी प्रणालियों से 1.4.2001 के अनुसार अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादित ऊर्जा मिलियन यूनिट में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.55
3.	असम	0.24
4.	बिहार	4.88
5.	गोवा	0.06
6.	गुजरात	3.29
7.	हरियाणा	3.04
8.	हिमाचल प्रदेश	2.68
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.3
10.	कर्नाटक	0.82
11.	केरल	4.75
12.	मध्य प्रदेश	1.08
13.	महाराष्ट्र	0.97
14.	मणिपुर	0.42
15.	मेघालय	0.44
16.	मिजोरम	0.53
17.	नागालैंड	0.03
18.	उड़ीसा	0.91
19.	पंजाब	1.81
20.	राजस्थान	2.48

1	2	3
21.	सिक्किम	0.05
22.	तमिलनाडु	1.82
23.	त्रिपुरा	1.65
24.	उत्तर प्रदेश	11.93
25.	पश्चिम बंगाल	1.8
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.31
27.	चंडीगढ़	0.14
28.	डी एन एच	0
29.	डी एंड डी	0
30.	दिल्ली	0.73
31.	लक्षद्वीप	0.86
32.	पांडिचेरी	0.08
33.	बी ई एल	0.56
34.	बी एच ई एल	0.56
35.	सी ई एल	0.09
	कुल	49.67

[हिन्दी]

तेल शोधन शालाओं की कच्चे तेल की आवश्यकता और क्षमता

3763. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल शोधन शालाओं की अधिष्ठापित क्षमता को पूरा करने के लिए कुल वार्षिक कच्चे तेल की आवश्यकता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी यात्रा कितनी है और 2001-2002 के दौरान अलग-अलग इस मांग को पूरा करने के लिए आयात से तथा देश में उत्पादित अनुमानित कितना कच्चा तेल उपलब्ध है; और

(ग) 2000-2001 के दौरान आयातित कच्चे तेल से 2001-2002 के दौरान कितने अधिक तेल के आयात का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए आकलित संसाधन के लिए अपेक्षित कुल तेल की आवश्यकता 113.5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) है। 2001-2002 के दौरान संसाधन के लिए 29.1 एम एम टी घरेलू कच्चे तेल के उपलब्ध होने का अनुमान है। 84.4 एम एम टी की बकाया संसाधन जरूरत आयातों के माध्यम से पूरी किए जाने की संभावना है।

(ग) 2000-01 के दौरान कच्चे तेल का वास्तविक आयात 2001-02 के दौरान 84.9 एम एम टी की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में 74.1 एम एम टी था। इस प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे तेल का आयात पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.8 एम एम टी अधिक होने का अनुमान है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित पेट्रोल पंप के मालिकों की सुरक्षा के प्रबंध

3764. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित लोगों और विधवाओं को सरकार द्वारा आबंटित पेट्रोल पंपों के मालिकों को कोई सुरक्षा प्रदान करती है;

(ख) सरकार द्वारा लोगों के स्वायित्व अधिकार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति बहुधा उनकी निर्धनता का अनुचित लाभ उठाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गरीब लोगों के लिए सुरक्षा की जांच करने हेतु कोई अभियान शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) संग्रह निधि योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के चयनित डीलरों को तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिपें पूर्ण हालत में दी जाती हैं तथा उन्हें (पुरूष/महिला) 100 मासिक किश्तों, जो

प्रचालन के 13वें माह से आरंभ होती हैं, में वसूलनीय, 11 प्रतिशत ब्याज पर उचित कार्यशील पूंजी का ऋण दिया जाता है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आशय पत्र धारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की वजह से सभी श्रेणियों के आवंटिती आशय पत्र जारी होने के उपरांत, शुरूआत से ही वित्तीय साझेदारी रख सकते हैं बशर्ते कि नए साझेदार पुनर्गठन के समय चयन के विषय में लागू राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आय, आवास, बहु डीलरशिप मानक, इत्यादि से संबंधित पात्रता मानदंड पूरा करते हों। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में ऐसा वित्तीय साझेदार केवल उसी श्रेणी का होना चाहिए।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

समझौते का कार्यान्वयन

3765. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल कर्मचारी संघ ने सरकार और कर्मचारियों के बीच हुए 1997 के समझौते को लागू न करने के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो समझौते को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल कर्मचारी संघ ने खानपान और स्टेशन के रख-रखाव कार्य के निजीकरण के प्रति विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय रेलों पर खान-पान सेवाओं का निजीकरण करने का निर्णय वर्ष 1992 में लिया गया था। इस संबंध में शुरूआत से ही संगठित श्रम को विश्वास में लिया गया है और इस कदम के प्रति उनके विरोध और विभागीय इकाइयों के कर्मचारियों की सुरक्षा की उनकी मांग पर उनके साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया था। रेल मंत्रालय ने कमीशन वेयरों/वेंडरों सहित खान-पान विभाग में कार्यरत कार्मिकों को नौकरी की गारंटी का आश्वासन दिया है। उन्हें भारतीय रेलों के खान-पान तथा अन्य विभागों में समाहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

जहां तक स्टेशन के अनुरक्षण कार्य का संबंध है, फिलहाल इसके निजीकरण का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

मात्स्यिकी केन्द्र

3766. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अन्य आदिवासी और अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों समेत महाराष्ट्र में पंढरपुर में कितने मात्स्यिकी केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया है;

(ख) इस योजना पर राज्य-वार और वर्ष-वार खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में नए मात्स्यिकी केन्द्र स्थापति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) ताजा जल जलकृषि के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के शोलापुर में मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (एफ.एफ.डी.ए.) की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान की गई है जिनमें पंधारपुर को कवर किया गया है। इसीलिए विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पंधारपुर में अलग से कोई मात्स्यिकी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन एफ.एफ.डी.ए. की एजेंसी के अंतर्गत मात्स्यिकी केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का प्रावधान है और यह सहायता आदिवासी और अनुसूचित जाति क्षेत्र के मछुआरों सहित सभी मछुआरों को प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में मछली उत्पादन के संवर्धन और 26 एफ.एफ.डी.ए. से जुड़े मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए अन्तर्देशीय मात्स्यिकी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। शोलापुर जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान 162 युवकों को मछली पकड़ने के क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 12 युवक अनुसूचित जाति के थे।

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान ताजाजल जलकृषि संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत जारी की गई सहायता के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस समय महाराष्ट्र का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

एफ.एफ.डी.ए. के जरिए ताजा जल जलकृषि का विकास

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	24.00	0.00	8.00	25.00
3.	असम	38.44	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	114.00	0.00	70.11	0.00
5.	गुजरात	51.00	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	25.39	20.00	38.06	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3.00	15.00	0.00	22.73
8.	जम्मू और कश्मीर	11.00	0.00	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	42.57	30.00	31.24	0.00
10.	केरल	40.00	0.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	227.00	200.00	185.84	87.00
12.	महाराष्ट्र	78.91	59.29	40.00	184.46
13.	मणिपुर	22.74	0.00	0.00	43.47
14.	मेघालय	35.60	0.00	0.00	0.00
15.	मिजोरम	9.50	10.00	10.00	30.00
16.	नागालैंड	40.00	60.00	26.66	103.14
17.	उड़ीसा	120.00	0.00	0.00	0.00
18.	पंजाब	50.00	34.00	0.00	50.00
19.	राजस्थान	15.00	0.00	0.00	0.00
20.	सिक्किम	5.00	0.00	3.50	5.86

1	2	3	4	5	6
21.	तमिलनाडु	16.25	0.00	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	16.00	8.90	31.00	40.00
23.	उत्तर प्रदेश	259.28	120.00	283.34	205.00
24.	पश्चिम बंगाल	222.56	240.81	140.25	333.99
25.	पांडिचेरी	2.00	0.00	0.32	2.32
26.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	35.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	27.07
	कुल	1494.24	798.00	868.32	1195.04

[अनुवाद]

फलों का आयात/निर्यात

3767. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ''नैफेड'' द्वारा निर्यातित और आयातित ताजे फलों और सब्जियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना मुनाफा और घाटा हुआ;

(ग) ताजे फलों और सब्जियों के विपणन हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त करने हेतु क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा कमीशन एजेंटों से वर्ष-वार कितनी बकाया धनराशि वसूल की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ताजे फलों एवं सब्जियों की बिक्री के लिए कमीशन एजेन्टों की नियुक्ति की शर्तें नैफेड की ''कारोबार प्रक्रिया'' के अनुसार भागीदार पक्षों द्वारा किए गए करार से शासित होती हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा कमीशन एजेन्टों से निम्नलिखित राशि की वसूली की जानी है:-

वर्ष	वसूल की जाने वाली राशि
1998-99	शून्य
1999-2000	30.000 रुपये
2000-2001	शून्य

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा फलों एवं सब्जियों से संबंधित मदों के निर्यात/आयात तथा उनसे हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा निम्नवत है

निर्यात

वर्ष	मद	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)	लाभ/घाटा (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1998-99	प्याज	15992	1882.97	565.86
	आलू	275	25.00	4.02

1	2	3	4	5
	लहसुन	34	11.98	2.57
1999-2000	प्याज	24909	2429.31	391.79
	आलू	1450	165.46	31.89
2000-2001	प्याज	38941	3453.25	473.88
	आलू	1450	178.28	28.32
आयात				
1998-99	प्याज	431	208076 अमरीकी डालर	शून्य
1999-2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2000-2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

प्राचीन शिलालेखों तथा अवशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपना

3768. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर और मल्लार में मिले कलचुरी राजवंश-काल के प्राचीन शिलालेख और अवशेषों (मूर्ति) को सरंक्षित रखने के दृष्टिकोण से, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में रिक्त पदों को भरना

3769. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2001 के "राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र में पर्यटन विकास निगम में खत्म होने वाले पद भरने की तैयारी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के मोटलों को कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण रहे?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) रिक्त पदों को भरने पर लगी रोक जैसे कठोर उपायों पर सरकार द्वारा निर्देश सामान्य दिशा-निर्देशों को प्रकृति के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बोर्ड स्तर से नीचे की रिक्तियों को भरे जाने के विशिष्ट मामले संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों द्वारा सुनिश्चित किए जाने हैं।

(ग) व्यय विभाग के दिनांक 10.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं.-7(3) ई-कोर्ड/2001 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार बोर्ड स्तर से नीचे के विभिन्न पदों पर भर्ती/पदोन्नति संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अधीन आती है और भर्ती/पदोन्नति के विशिष्ट मामलों का निर्णय इन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बोर्डों

द्वारा लिया जाता है। तत्कालिक मामले में उपाध्यक्ष के दो पदों को भरने का निर्णय भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लिया गया था। उपाध्यक्ष (होटल) के दो पदों में से, जिनके लिए साक्षात्कार हुआ था, एक पद के लिए स्थानापन प्रबंध कर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान होटल प्रभाग को हुई हानि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01
हानि	13.9	45.36	43.73

अन्य बातों के साथ-साथ हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियां निम्नलिखित के कारण हैं-

1. उच्चतर मजदूरी लागत और उच्चतर निश्चित अस्थिर लागत।
2. जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और मूल्य प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अनुमोदित क्षेत्र के होटलों में कमरों की उपलब्धता में वृद्धि।
3. सन्निकट विनिवेश आदि के कारण अनिश्चितता।

[अनुवाद]

क्षतिग्रस्त पोतों की मरम्मत

3770. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भूकंप और चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त पोतों की मरम्मत कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त पोतों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी हां। कांडला पत्तन को चक्रवात और भूकम्प के कारण इसके स्थायी ढांचों जैसे कार्गो जेटियों, उपकरण, वेयर हाउसों, गोदामों, जल आपूर्ति तेल पाइप लाइनों, गांधीधाम में प्रशासनिक कार्यालय भवन और कांडला में पत्तन तथा सीमा शुल्क भवन, आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की चारदीवारी, सड़कों और तूफानी जल नालियों, विद्युत संस्थापना/उपकरण क्वार्टरों आदि को क्षति पहुंची है। कांडला पत्तन न्यास द्वारा युद्ध स्तर पर तुरंत बचाव और राहत कार्य किए गए थे और भूकंप से क्षतिग्रस्त पत्तन में 3 फरवरी, 2001 को पुन: प्रचालन शुरू हो गया था।

[हिन्दी]

नवसृजित राज्यों में विद्युत का बंटवारा

3771. **श्री पी. आर. खुंटे:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास नवसृजित राज्यों में विद्युत के बंटवारे के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच विद्युत का बंटवारा उचित रूप से कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 31.1.2001 को एक आदेश जारी कर पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य को विद्युत का आवंटन किया है। आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश का हिस्सा 1116 मेगावाट तथा छत्तीसगढ़ का हिस्सा 498 मेगावाट निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2001 की धारा 75(II) के अनुसार निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ द्वारा इसे आवंटित विद्युत का उपयोग नहीं कर सकने की सीमा तक विद्युत अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश को आवंटित रहेगा।

भारत सरकार ने पुन: आदेश जारी किए जिसके अंतर्गत 12.4.2001 को मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 75(1) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि विद्युत क्रय करने का पहला अधिकार मध्य प्रदेश का होगा (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत), जो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को पूरा करने के बाद बचेगा तथा जिसकी दर को पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर दर का निर्धारण अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.ए.एस.आर.आई. के अन्तर्गत छात्रावासों/ अतिथि गृहों की क्षमता

3772. श्री. ए.पी.अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत आने वाले भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) में दिल्ली आने वाले वैज्ञानिकों/अधिकारियों के लिए कई छात्रावास/अतिथि गृह हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छात्रावासों/अतिथि गृहों की कुल क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसतन कितने कमरे खाली रहे हैं;

(घ) क्या आई.सी.ए.आर. यात्रा पर आने वाले अधिकारियों हेतु एन.ए.एस.सी. परिसर, पूसा में बड़े छात्रावास का निर्माण कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निर्माण में अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और इसके निर्माण में विश्व बैंक ऋण के एक भाग को लगाने का क्या औचित्य है जबकि पहले ही आवश्यकता से अधिक आवास उपलब्ध हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) इस संस्थान में एक छात्रावास है जिसमें केवल छात्र रहते हैं और इसके अलावा संस्थान में पांसी छात्रावास नामक एक अतिथि गृह भी है। छात्रावास में कमरों की उपलब्धता के मद्देनजर दौरा करने वाले वैज्ञानिकों/अधिकारियों को ठहराया जाता है।

(ग) पांसी छात्रावास में 24 कमरे हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस छात्रावास में प्रतिदिन औसतन 9 कमरे उपलब्ध रहे हैं। तथापि, कार्यशालाओं, सम्मेलनों या परिचर्चाओं के आयोजन के समय छात्रावास में हमेशा स्थान-उपलब्धता की भारी समस्या बनी रहती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एन.ए.एस.सी. परिसर में बनाए जाने वाले अतिथि गृह की अनुमानित लागत 800 लाख रु. है जिसमें से 100 लाख रु. भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में 30000 से भी अधिक वैज्ञानिक हैं। इसके अतिरिक्त, भा.कृ.अ.प. ने कई विकासशील देशों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों से संबंधित परामर्शदात्री दल (सी.जी.आई.ए.आर.) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा परिषद से यह अपेक्षा भी की गई है कि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अपने को सहयोजित करें। अत: भा.कृ.अ.प. ने इस अतिथि गृह को बनाने की योजना इसलिए बनाई है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोजनों के प्रतिभागियों तथा भा.कृ.अ.प. से सम्पर्क करने के लिए दिल्ली का दौरा करने वाले वरिष्ठ शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों को ठहराया जा सके। भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली का दौरा करने वाले शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को रहने के स्थान की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। किन्तु, इस अतिथि गृह के निर्माण के लिए विश्व बैंक ऋण से कोई धनराशि नहीं दी गई है।

आई.ए.एस.आर.आई. में डिवीजनल प्रमुखों के रिक्त पद

3773. डा. बलिराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में डिवीजन प्रमुख के पद लगभग दो वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थायी नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन पदों के लिए कोई अस्थायी व्यवस्थाएं/अंतरिम नियुक्तियां की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या अंतरिम नियुक्तियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्तियां की गई थीं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। भर्ती की कार्रवाई इसलिए प्रारम्भ नहीं की जा

सकी क्योंकि प्रभागों की नामावली में से नाम निकालने/विलयन/परिवर्तन करने के संबंध में पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा की गई सिफारिशों पर परिषद द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ) जी, हां । अन्तरिम व्यवस्था करते हुए चार प्रभागों में से दो प्रभागों में वरिष्ठतम प्रधान वैज्ञानिकों को इनका कार्यकारी प्रभारी बनाया गया है और शेष दो प्रभागों का कार्यभार आई.ए.एस.आर.आई. के निदेशक के पास है।

(ङ) और (च) प्रभागाध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि नियमित प्रभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति में प्रभाग में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को प्रभागाध्यक्ष का कार्यभार देकर अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है। दिशानिर्देशों में संस्थान के निदेशक को नियमित प्रभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी प्रभाग का कार्यभार लेने से रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

भारत खाद्य वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक

3774. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विश्व में खाद्य वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) खाद्य और कृषि संगठन की उत्पादन वर्ष पुस्तिका, 1999 के अनुसार, भारत का स्थान कुल दलहन, गेहूं और धान कुल अनाज उत्पादन में क्रमशः पहला दूसरा और तीसरा है। महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान खाद्य मदों के उत्पादन में भारत का स्थान

मद	उत्पादन मिलियन मी. टन			भारत की स्थिति	
	भारत	विश्व	% अंश	स्थान	के बाद
1	2	3	4	5	6
1. कुल अनाज	230	2064	11.1	तृतीय	चीन,यू.एस.ए.
1.1. गेहूं	71	584	12.2	द्वितीय	चीन
1.2. चावल (धान)	131	596	22.0	द्वितीय	चीन
1.3. मोटे अनाज	28	884	3.2	चतुर्थ	यू.एस.ए., चीन, ब्राजील
2. कुल दलहन	16	59	27.1	प्रथम	-
3. तोरिया	6	43	14.0	तृतीय	चीन, कनाडा
4. फल और सब्जियां					
4.1 सब्जियां और खरबूजा	59	629	9.4	द्वितीय	चीन
4.2 खरबूजा के अलावा फल	39	445	8.8	द्वितीय	चीन,
4.3.आलू	23	294	7.8	तृतीय	चीन, रूस
4.4 प्याज (सूखा)	5	44	11.4	द्वितीय	चीन

1	2	3	4	5	6
5. वाणिज्यिक सफल में					
5.1 गन्ना	282	1275	22.1	द्वितीय	ब्राजील
5.2 चाय	0.75	2.87	26.1	प्रथम	–
5.3 कॉफी (हरी)	0.27	6.48	4.2	सातवां	ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम इण्डोनेशिया, कोट डीवोरी मैक्सिको
5.4 कम्बाकू (पत्तियां)	0.70	7.09	9.9	द्वितीय	चीन

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तिका, 1999

चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट

3775. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या-55.159 में चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। पैरा 55.159 में की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

समीक्षा समिति की रिपोर्ट को परिचालित करना	55.159 समीक्षा समिति ने पुस्तकालयों के कार्यकरण में सुधार तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति के संबंध में अनेक उल्लेखनीय सिफारिशें की हैं। तथापि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है तथा सरकार द्वारा रिपोर्ट के जिस भाग को स्वीकार किया गया है केवल उसी भाग का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यान्वयन आदेश में उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्षों के व्यावसायिक संघ की यह मांग कि समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सभी संबंधितों में परिचालित किया जाना चाहिए था, पूर्णतया उचित समझी जाती है। अत: हम सिफारिश करते हैं कि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

लखनऊ जंक्शन पार्सल कार्यालय में अनियमितताएं

3776. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लखनऊ जंक्शन पार्सल कार्यालय में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण प्रतिदिन हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) व्यापारियों द्वारा दावा की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लखनऊ जंक्शन पार्सल कार्यालय में अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री.ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) एक शिकायत 2001-2002 के दौरान प्राप्त हुई थी।

(ग) व्यापारियों द्वारा दावा की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	दावा की राशि (लाख रु. में)
1999-2000	12.22
2000-2001	52.18
2001-2002 (जुलाई तक)	12.14

(घ) लखनऊ जंक्शन पार्सल कार्यालय में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु वाणिज्यिक और सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से तथा अचानक जांचें की जाती हैं ताकि वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं का पता लगाया जा सके और निवारक कार्रवाई की जा सके, इसके अलावा पार्सल परेषण के टूट-फूट/गुम हो जाने पर दावे की क्षतिपूर्ति के कारण राजस्व की हानि पर रोक लगाने के लिए नियमित रूप से दावा निवारक जांचें की जाती हैं।

[अनुवाद]

कपास की खरीद

3777. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक प्रति वर्ष एन.टी.सी. व्यापारियों/परिसंघों से राज्यवार कितनी मात्रा में कपास की खरीद की गई;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) एन.टी.सी. के सभी कपास व्यापारियों/परिसंघों/आपूर्तिकर्ताओं को उनकी बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान सभी प्रकार के स्रोतों से एन.टी.सी. द्वारा खरीदी गयी कपास की मात्रा 1,46,831 गांठें हैं तथा जून, 2001 की अवस्थिति अनुसार संचित बकाया (ब्याज सहित) लगभग 375.69 करोड़ रुपए है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कपास तथा अन्य के बकाया की क्लियरेंस, जो मसौदा पुनरूद्धार योजना (डी.आर.एस.) का एक हिस्सा है, वर्तमान में प्रचालन एजेंसी बी.आई.एफ.आर. द्वारा तैयार की जा रही है। तथापि, एन.टी.सी. वर्तमान देयताओं का नियमित रूप से भुगतान कर रही है।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल.पी.जी. एजेंसियों का आबंटन

3778. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
डा. वी. सरोजा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में कितने एल पी जी के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित और अन्य वितरक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने वितरक नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वर्तमान में वितरकों की संख्या पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे कितने उपभोक्ता लाभान्वित हुये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नवत् हैं:-

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1999-2000	455	489
2000-2001	417	259

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन एक चरणबद्ध तरीके से डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) के माध्यम से किया जाता है और इस स्थिति में वर्ष 2001-2002 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटनों के लिए सही संख्या निर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) की 6477 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन कर रही थीं और इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पास कुल ग्राहक संख्या लगभग 579 लाख थी। आगे देश में एल पी जी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने पिछली विपणन योजनाओं से चयन हेतु लंबित स्थानों के अलावा विपणन योजना 1999-2000 के तहत नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए लगभग 700 स्थानों की पहचान की है।

[अनुवाद]

बाजार से ऋण

3779. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मार्च 2001 तक बाजार से धन उधार लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उधार चुकाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। रेल योजना को वित्त पोषित करने के लिए रेलवे की ओर से भारतीय रेल वित्त निगम लि. (भा.रे.वि.नि.) द्वारा बाजार से धन उधार लिया गया था।

(ख) भा.रे.वि.नि ने मार्च, 2001 के अंत तक बाजार ऋण के रूप में लगभग 19440 करोड़ रुपए की राशि जुटायी है।

(ग) और (घ) जी हां। मार्च 2001 के अंत तक भा.रे.वि.नि. द्वारा कुल उधार राशि में से लगभग 5445 करोड़ रुपए की राशि की अदायगी पहले ही कर दी गयी है। ऋण की अदायगी बाजार ऋण के जरिए वित्त पोषित किए गए चल स्टॉक के प्रति रेलवे राजस्व से भा.रे.वि.नि. को अदा किए गए पट्टा प्रभारों में से किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पर्यटन क्षेत्र

3780. श्री **कालवा श्रीनिवासुलु:**
श्री **अनन्त नायक:**
श्री **के.पी. सिंह देव:**

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में विकास करने के लिए कुछ स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्ष 2001-2002 के दौरान विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में पहचान किये गए प्रत्येक स्थान के लिये कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी;

(घ) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों से इस उद्देश्य के लिये व्यापक योजना तैयार करने के लिये कहा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी के लिए सौंपी गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेष पर्यटन क्षेत्र योजनाओं को लागू करने में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर 5 विशेष पर्यटन क्षेत्रों का निर्धारण किया है। ये क्षेत्र हैं केरल में बेकल, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु में मामल्लापुरम, उड़ीसा में पुरी तथा दमन और दीव में दीव। इन विशेष पर्यटन क्षेत्रों के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष पर्यटन क्षेत्र	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
केरल	बेकल	कुछ नहीं
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	281.32
तमिलनाडु	मामल्लापुरम	27.00
उड़ीसा	पुरी	83.00
दमन और दीव	दीव	कुछ नहीं
योग		391.32

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर वर्ष 2001-2002 के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष पर्यटन क्षेत्र	प्राथमिकता प्रदत्त राशि
केरल	बेकल	कुछ नहीं
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	140.00(3)
तमिलनाडु	मामल्लापुरम	65.00(4)
उड़ीसा	पुरी	134.50(4)
दमन और दीव	दीव	91.20 (3)

(कोष्ठक में दी गई संख्याएं परियोजनाओं की संख्या है)

(घ) से (च) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने सम्बद्ध राज्यों से मुख्य योजनाएं/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तथा भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की है।

[हिन्दी]

पैदावार से पूर्व और इसके पश्चात् किसानों को दी जाने वाली सुविधा

3781. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों को कृषि क्षेत्र में पैदावार से पूर्व और इसके पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं में कमी के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है और इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) क्योंकि, फसल कटाई से पहले और उसके पश्चात् हानियों की निश्चित मात्रा मालूम नहीं है इसलिए विभिन्न अध्ययनों में खाद्यान्नों में फसल कटाई पश्चात की हानियों की परिवर्तनशील मात्रा दर्शाई गई है। उदाहरणार्थ:

> डा. वी.जी. पानसे की अध्यक्षता वाली समिति ने 1968 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में खाद्यान्नों में फसल कटाई पश्चात् की वार्षिक हानियों का विभिन्न चरणों पर 9.33% का अनुमान लगाया था।
>
> विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों में हुई फसल कटाई पश्चात् हानियों का लगभग 5% होने का अनुमान लगाया गया था।
>
> - भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय अनाज भण्डारण प्रबंधन तथा अनुसंधान द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में वर्ष 1985-88 के दौरान गेहूं में फसल कटाई पश्चात हुई कुल हानि का लगभग 4.12% होने का अनुमान लगाया गया था।

फलों और सब्जियों के मामले में, नौवीं योजना हेतु फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन, विपणन और निर्यात पर एक उप-कार्य दल के अनुसार अपर्याप्त फसल कटाई पश्चात् अवसंरचना और प्री कूलिंग, रीफर वैन, आदि जैसी शीत श्रृंखला की कमी के कारण रखरखाव के विभिन्न चरणों पर फलों और सब्जियों की बर्बादी 8% से 37% तक पाई गई।

(ग) और (घ) फसल कटाई पश्चात् की हानियों में सुधार लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, फसल कटाई पश्चात् की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की हानियों को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1969-70 में अन्न बचाओ अभियान शुरू किया। खेत स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन तथा प्रचार, अनाज भण्डारण ढांचों और अन्य कार्यकलापों का सुधार अन्न बचाओं अभियान द्वारा किया जाता है ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। वर्ष 2001-02 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 6.33 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जो कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा फसल कटाई पश्चात् की हानियों को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) बागवानी उत्पादों के लिए शीत भण्डारों तथा भण्डारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता। वर्ष 2001-02 के दौरान इस स्कीम के अधीन 65.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है।

(2) बागवानी उत्पादों के उत्पादन तथा फसल कटाई पश्चात् प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास। वर्ष 2001-02 के दौरान इस स्कीम के अधीन 12.10 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3782. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइनों का आवश्यक विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना हैं;

(ख) इसके लिये आवश्यक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) रेल लाइनों का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) भारतीय रेलों पर रेलपथों के विद्युतीकरण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। विद्युतीकरण परियोजनाएं, वार्षिक बजटीय प्रावधानों पर निर्भर करते हुए तकनीकी-आर्थिक गुण-दोषों और नेटवर्क आधार पर परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार शुरू की जाती हैं।

केवल उन्हीं खण्डों को विद्युतीकृत करने के लिए विचार किया जाता है जो निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल देते हैं या परिचालनिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं।

[हिन्दी]

पवन और सौर ऊर्जा का विकास

3783. श्री विष्णुदेव साय: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के विकास के अंतर्गत पवन और सौर ऊर्जा के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुसंधान और विकास हेतु कितनी धनराशि मुहैया कराई गई और इस संबंध में वास्तविक रूप मे कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक हासिल की गई विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान पवन तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रमों पर 168.83 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई।

(ख) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं सामान्यतया विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों को प्रायोजित की जा रही हैं। अनुसंधान एवं विकास के लिए राज्य सरकारों को अलग से निधियां नहीं दी जाती है।

(ग) 31.3.2001 तक इस क्षेत्र में प्राप्त की गई संचयी वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

1.	पवन विद्युत:	1340 मेवा.
2.	पवन पंप:	714
3.	लघु एरोजनरेटर/पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियां:	91.5 किवा.
4.	ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत :	1.6 मेवा.
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय:	
	(1) सौर सड़क रोशनी प्रणालियां:	41403
	(2) घरेलू रोशनी प्रणालियां:	1.52 लाख
	(3) सौर लालटेन:	3.5 लाख
	(4) एसपीवी विद्युत संयंत्र:	1132 कि.वा.पी.
6.	सौर पीवी पंप:	4148
7.	सौर जलतापन प्रणालियां:	5.9 लाख वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र
8.	सौर कुकर:	5.1 लाख

महाराष्ट्र की लंबित विद्युत परियोजनाएं

3784. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की लंबित विद्युत परियोजनाओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) महाराष्ट्र में तकनीकी-आर्थिक रूप से के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत लंबित विद्युत परियोजनाओं पर कार्य आरंभ होने

के संभावित समय समेत उनका जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	परियोजना/जिले का नाम	क्षमता (मेगावाट)	टिप्पणियां
1.	परली टीपीएस विस्तार चरण-1(बीड़)	250	राज्य सरकार को निवेश संबंधी निर्णय अभी करना है
2.	भद्रावती टीपीपी (चन्द्रपुर)	1082	परियोजना को अभी वित्तीय समापन प्राप्त करना है
3.	पातालगंगा सीसीजीटी(रायगढ़)	447	परियोजना को अभी वित्तीय समापन प्राप्त करना है।
4.	भिवपुरी पीएसएस	90	परियोजना को अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है क्योंकि इसमें अंतराज्यीय मुद्दे शामिल हैं
5.	मलशेज घाट पीएसएस (थाणे/पुणे)	600	के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी की विभिन्न टिप्पणियों का अनुपालन न करने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1999 में परियोजना अधिकारियों को वापस कर दी गयी।
6.	हम्बराली पीएसएस (सतारा)	400	के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी की विभिन्न टिप्पणियों का अनुपालन न करने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 2000 में परियोजना अधिकारियों को वापस कर दी गयी।
7.	चिकलधारा पीएसएस (अमरावती)	400	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1996 में परियोजना अधिकारियों को वापस कर दी गयी क्योंकि परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने से के.वि.प्रा. की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए स्कीम को अब निजी निवेश के लिए रखा गया है।

[अनुवाद]

रिफाइनरियों का उन्नयन

3785. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्वच्छ डीजल प्रदान करने के लिये रिफायनरियों के उन्नयन में लगभग 35,000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियां वर्ष 2000 तक केवल सात शहरों में 0.035 प्रतिशत सल्फर युक्त डीजल की आपूर्ति कर पाएगी;

(ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के अनुसार अन्य देशों से वैकल्पिक रूप से यू एल एस डी का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मौजूदा और प्रस्तावित रिफाइनरियों के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) 2000 विनिर्देशों से यूरो-3 के समतुल्य विनिर्देशों में उन्नयन की लागत रिफाइनरियों द्वारा 35,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2005 के लिए पेट्रोल और डीजल के गुणवत्ता मानकों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल देश यूरो-1 समतुल्य वाहन प्रौद्योगिकी से यूरो-2 समतुल्य वाहन प्रौद्योगिकी में अंतरण की प्रक्रिया में है जिसके लिए अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाला डीजल अपेक्षित विनिर्देश है। इस विनिर्देश को पूरा करने वाले डीजल का उत्पादन देश में किया जा रहा है। निम्नतर गंधक अंश वाले डीजल की आवश्यकता वाली इंजिन प्रौद्योगिकियां अभी देश में विकसित/परीक्षित की जानी है। अत: अत्यधिक निम्न गंधक वाले डीजल की फिलहाल जरूरत नहीं है।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

3786. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय में और विभिन्न उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय-वार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है; और

(ख) इस समय उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की अनुमोदित पद संख्या और तारीख 13.8.2001 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय

स्वीकृत पद संख्या	:	26
भरे गए पद	:	24
रिक्तियां	:	02

उच्च न्यायालय

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	अनुमोदित पद संख्या	वास्तविक पद संख्या	रिक्तियां
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	95	50	45
2.	आंध्र प्रदेश	39	26	13
3.	बम्बई	60	52	08
4.	कलकत्ता	50	38	12
5.	छत्तीसगढ़	06	03	03
6.	दिल्ली	33	32	01
7.	गुवाहाटी	19	12	07
8.	गुजरात	42	34	08
9.	हिमाचल प्रदेश	08	07	01
10.	जम्मू-कश्मीर	14	10	04
11.	झारखंड	12	05	07
12.	कर्नाटक	40	34	06
13.	केरल	29	18	11
14.	मध्य प्रदेश	29	21	08
15.	मद्रास	42	36	06

1	2	3	4	5
16.	उड़ीसा	16	14	02
17.	पटना	31	21	10
18.	पंजाब और हरियाणा	40	30	10
19.	राजस्थान	32	22	10
20.	सिक्किम	03	02	01
21.	उत्तरांचल	07	03	04
	कुल	647	470	177

पुल पुनर्वास समिति का कार्यकरण

3787. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुल पुनर्वास समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति अब भी अस्तित्व में है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस मंत्रालय में 'पुल पुनर्वास समिति' नामक कोई समिति गठित नहीं की गई थी। बहरहाल, फरवरी, 1986 में पुराने रेल पुलों के पुनर्निर्माण के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उप-समिति द्वारा भारतीय रेलों पर पुराने पुलों के पुनर्निर्माण की समस्या की गंभीरता का आंकलन करने के लिए गहन अध्ययन करना था तथा पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम के संबंध में सुझाव देना था। उप-समिति ने 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए (1987 की कीमतों के आधार पर) के परिव्यय पर एक कार्यक्रम की सिफारिश की थी। रेलें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रमबद्ध आधार पर पुनर्स्थापन संबंधी कार्य कर रही हैं।

स्वीकृत किये गये पदों से संबंधित विवाद

3788. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच रेलवे पुलिस के लिए मंजूर किये गये पदों और रेल पुलिस कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी बड़ी धनराशि को लेकर कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस विवाद को निपटा दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त विवाद को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आग के कारण रेलवे को हुई हानि

3789. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक रेलवे स्क्रैप में आग की घटनाओं के कारण रेलवे को स्थान-वार कितनी हानि हुई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक कदम उठाये गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जॉडिएक क्लॉथिंग कम्पनी लिमिटेड

3790. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जॉडिएक क्लॉथिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(ए) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है और 31 मार्च, 1999 और 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान् अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कानून में विनिर्धारित सीमा से अधिक वेतन आदि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के नामों का खुलासा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तथ्य कम्पनी कार्य विभाग के ध्यान में लाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष, 1999-2000 के लिए निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के उल्लंघन को कम्पनी कार्य विभाग के नोटिस में लाया गया था। विभाग ने पूर्वोक्त धारा के उल्लंघन के लिए अभियोजन का आदेश दिया था। कम्पनी ने उल्लंघन से इन्कार किया है। मामले को विधि कार्य विभाग के पास उनकी राय हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

बंद पड़े रेलवे स्टेशन

3791. श्री अमर राय प्रधान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हल्दीबाड़ी-चिल्हाटी मार्ग पर भारतीय सीमा पर लगभग आधा किलोमीटर और बंग्लादेश सीमा पर पांच किलोमीटर तक कोई रेल मार्ग न होने के कारण कोई यातायात न होने के कारण हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर सीमा शुल्क कार्यालय बंद पड़े होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गायब रेल लिंक को दुबारा स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस लिंक को कब तक दुबारा स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) इस लिंक को बहाल करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नोडल अधिकारी की तैनाती

3792. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने केरल के विकास-कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक नोडल अधिकारी की तैनाती न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केरल में नोडल अधिकारी की तैनाती के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। चीफ इंजीनियर, निर्माण, तिरूवनंतपुरम को केरल में रेल परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

राज्यों को अधिक विषयों का हस्तांतरण

3793. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केंद्र और समवर्ती सूची से राज्यों को और अधिक विषय हस्तांतरित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्र योजनाओं के क्रियान्वयन को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(छ) में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व के संबंध में है, जिसमें उन्हें न्यायगत करने की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिसके अंतर्गत विद्युत के वितरण, परिवार कल्याण, सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण, पेयजल कृषि आदि सहित ग्रामीण आवासन, ग्रामीण विद्युतीकरण भी हैं। उस दृष्टि से संघ और समवर्ती सूचियों से राज्यों को और विषय अंतरित करने की स्पष्ट आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3978/2001]

(3) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3979/2001]

(5) (एक) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3980/2001]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

"उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2001 जो 28 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3981/2001]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3982/2001]

(3) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3983/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3984/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं-

"महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (कार्यग्रहण की अवधि) विनियम, 2001 जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-24011/2/98-टी.ए.एम.पी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।"

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3985/2001]

अपराह्न 12.01

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2001-2002

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं वर्ष 2001-2002 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3986/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

बीमा (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री राधाकृष्णन से भी एक और सूचना मिली है। वह हर विषय पर बोलते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बीमा विनियामक विकास अधिनियम को गत वर्ष अधिनियमित किया गया था और उस विधेयक के पारित होने के परिणामस्वरूप बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

अब भारत सरकार इस बीमा अधिनियम में संशोधन के द्वारा मध्यस्थों के नाम पर दलालों को बीमा क्षेत्र में शामिल करने की योजना बना रही है। हमारे सामने शेयर बाजार की घटनाओं का

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 16-8-2001 में प्रकाशित।

अनुभव है और हमने दलालों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी देखा है। यदि मध्यस्थों के नाम पर बीमा क्षेत्र में दलालों को शामिल किया जाता है तो बीमा क्षेत्र में भी यही सब होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह विधेयक पर विचार करने की स्थिति नहीं है। हम केवल पुर:स्थापन के स्तर पर हैं। आप इन मुद्दों को विधेयक पर विचार किए जाने के समय उठा सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस संबंध में श्री रूपचन्द पाल द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और उसे आपने याचिका समिति के पास भेजा था।

याचिका समिति ने इस पर विचार किया है और जब याचिका समिति ने इसे अपने पास रख लिया है तो इस प्रकार का विधेयक सभा में नहीं लाया जाना चाहिए। यह संविधान के विरुद्ध है और सभा की विधायी सक्षमता से परे है। जब तक याचिका समिति इस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है तब तक इस सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): इन सभी मुद्दों को शामिल करते हुए मैंने एक याचिका प्रस्तुत की थी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इस देश के 86,000 से अधिक विधिवेताओं, अर्थशास्त्रियों, संसद सदस्यों आदि जैसे लोगों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे कि इससे हमारे उद्योगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाएगा। यह मुद्दा याचिका समिति के विचाराधीन है। ऐसे समय में इस विधेयक को सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है या यह वह मुद्दा है जिसे आप उठाना चाहते थे?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, जब माननीय वित्त मंत्री ने 1938 के मूल अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किया तो उन्होंने इस सभा में घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निजी भागीदारी की अनुमति लोक हित में है और सरकार तत्कालीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उनका तात्पर्य था कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। उस समय विधान का भी यही आशय था। मंत्री महोदय ने जोर शोर से घोषणा की थी कि साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम को इस संशोधन के माध्यम से निजीकरण की अनुमति देते हुए सुदृढ़ किया जाएगा। अब मंत्री जी ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने पहले कहा था कि सरकारी उपक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि साधारण बीमा निगम को चार इकाइयों में बांट दिया और उनसे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने को कहा गया। अब पूरे कारोबार को प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, हम अभी विधेयक के उपबंधों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के बारे में आपकी विशिष्ट आपत्तियां क्या हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्होंने उस समय ऐसी घोषणा की थी और अब वे ऐसे उपबंध ला रहे हैं जिनसे हर्षद मेहता जैसे लोगों के लिए बीमा व्यवसाय में आने का मार्ग ही प्रशस्त होगा। अब बीमा में भी दलाली की अनुमति दी जा रही है। हर्षद मेहता जैसे लोग जो अब तक शेयर बाजार में सक्रिय थे वे भी बीमा व्यवसाय में आने लगेंगे। इसके कारण कई आन्दोलन होंगे और भविष्य में सरकार को भविष्य में कई जांचें बिठानी पड़ेंगी।

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, इसमें दलालों का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दिए जाने के आशय से अधिनियम की धारा 8 में सीमित संशोधन है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है?

श्री बसुदेव आचार्य : हम बीमा व्यवसाय में सहकारी क्षेत्र के प्रवेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो आपत्तिजनक है वह है दलालों को शामिल किया जाना। इस उपबंध में संशोधन किया जा रहा है। सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में दलालों को आमंत्रित किया जा रहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य और अन्यों ने इस संशोधन विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध इस आधार पर किया है कि यह सभा की विधान सक्षमता से परे है। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वे लोग क्यों कह रहे थे कि यह सभा की विधान सक्षमता से परे है। उनके विचारों को समझने के प्रयास के बावजूद भी मैं उनके वक्तव्य में कोई औचित्य नहीं पा सका कि यह इस सभा की विधान सक्षमता के बाहर है।

उन्होंने कुछ ऐसे उपबंधों के गुण दोषों के बारे में चर्चा की जिन्हें इस संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जाना है। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा कि इस देश के सहकारी क्षेत्र द्वारा की गई मांग के परिणामस्वरूप इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है वह बीमा व्यवसाय में सहकारी समितियों

[श्री यशवन्त सिन्हा]

को भाग लेने के लिए अनुमति देने से संबंधित है। यही सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है जिसे इसमें शामिल किया गया है।

श्री रूपचंद पाल : कमीशन एजेन्टों को शामिल करने के बारे में क्या है?

श्री यशवन्त सिन्हा : इसी प्रकार से हम उन अन्य कतिपय खंडों में संशोधन का सुझाव भी दे रहे हैं जहां अनुभव से पता चलता है कि ऐसे संशोधन देश में बीमा व्यवसाय के विकास के हित में ही होंगे।

श्री रूपचंद पाल : श्री मल्होत्रा ने स्वयं ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे भारी संकट पैदा होगा। अमेरिका में इनसे बीमा क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो गया है *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अमेरिका में जो कुछ होता है उसे इस देश में भी निश्चित रूप से दोहराया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यहां वही हो रहा है *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जो मुद्दा उठाया गया है वह बीमा क्षेत्र में मध्यस्थों के बारे में था। यदि इस समय मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाती है तो मैं एजेन्टों के बारे में ही बोलूंगा। बीमा व्यवसाय में ये एजेन्ट बीमा कम्पनियों की ओर से कार्य करते हैं। इसमें लोगों का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि बीमा करवाने के इच्छुक ग्राहक की ओर से कार्य करता हो और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि अल्प बीमा लाभ की तलाश कर रहे है। यहां ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि अपनी बीमा संबंधी आवश्यकताओं के लिए बीमा उत्पाद की तलाश में हैं, और उन्हें सलाह की आवश्यकता है। बीमा मध्यस्थ इस सेवा को उपलब्ध करवा सकते हैं। एजेन्टस इस सेवा को उन लोगों को उपलब्ध नहीं करवा सकते जो कि बीमा लाभ की तलाश में हैं *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस तरह के लोग? *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यही कारण है कि यह पद्धति विश्व के सभी देशों में व्याप्त है और यह एक ऐसी आधुनिक पद्धति है जिसे हम अपने देश में इस संशोधन के माध्यम से आरम्भ करना चाहते हैं।

महोदय हम इस मुद्दे के गुण दोषों पर तब चर्चा करेंगे जब विधेयक चर्चा के लिए लाया जाएगा। इस समय, मैं नहीं मानता हूं कि इस तर्क में कोई ऐसा गुण है कि यह इस सभा की विधायी सक्षमता से परे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सभा की विधान संबंधी मर्यादा के बारे में कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बीमा अधिनियम 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

सभा के कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, आज की कार्यसूची में नियम 193 के अन्तर्गत 'शिक्षा का भगवाकरण' और 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश' पर दो चर्चाएं शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश संबंधी चर्चा अपराह्न 4.00 बजे शुरू होगी। मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि आज राज्य सभा में भी इसी विषय पर चर्चा होगी, जिसका जवाब विनिवेश विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री अरुण शौरी देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश संबंधी चर्चा आज न की जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): संसदीय कार्य मंत्री द्वारा ऐसी इच्छा करने के बजाए अनुरोध करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

चूंकि संबंधित मंत्री महोदय श्री अरुण शौरी के लिए एक ही समय में दोनों सदनों में उपस्थित हो पाना संभव नहीं होगा,

इसलिए मैं शिक्षा का भगवाकरण संबंधी चर्चा को आज अपराह्न 4.00 बजे शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश संबंधी चर्चा की तिथि और समय का निर्णय आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

श्री पी.एस. सुब्रहमण्यम की भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बारे में

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आपके और समस्त सभा के ध्यान में लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)* पिछले दो दिनों से मैं इसे उठाने के लिए नोटिस देता रहा हूं *...(व्यवधान)* वित्त मंत्री महोदय कृपा करके एक मिनट उपस्थित रहें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी 'शून्य काल' आरंभ नहीं किया है।

क्या यह 'शून्य काल' का मामला है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हां, महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तो आपको मामला उठाने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अनुमति दें तो हम 'शून्य काल' आरंभ कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस सभा के हमारे लब्धप्रतिष्ठ सदस्य और पूर्व मंत्री *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, कृपया मुझे स्पष्ट करें। यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए पड़ा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं महोदय, यह संयुक्त संसदीय समिति के पास नहीं है। यह एक समसामयिक मामला है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं इस मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह संयुक्त संसदीय समिति का विषय है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, यह संयुक्त संसदीय समिति का विषय नहीं है। इस सभा के लब्धप्रतिष्ठ सदस्य, भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक ने एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री के आचरण और कार्यकरण पर सीधा आरोप लगाया था। *...(व्यवधान)* यह क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सर, जेपीसी बैठी हुई है। इसको बार-बार उठाने का क्या औचित्य है। आप न्यूज पेपर देख लीजिए, माननीय जयपाल रेड्डी जी ने खुद कहा है। *...(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): इस पर चर्चा हो चुकी है, दुबारा इस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार में यह स्थापित परंपरा रही है कि उच्च स्तर की नियुक्तियां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर करती है। यहां इस सभा के एक प्रतिष्ठित सदस्य ने सार्वजनिक रूप से अभियोग लगाया है कि ए.आई.ए.डी.एम.के. की नेता सुश्री जयललिता, जो कि पूर्व में श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में सहयोगी थी, ने प्रधानमंत्री को लिखित रूप से पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री ने श्री सुब्रमण्यम को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। *...(व्यवधान)* महोदय, यह प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के कार्यकरण के ऊपर गंभीर आरोप है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त संसदीय समिति भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आप इसे संयुक्त संसदीय समिति में भी उठा सकते हैं। यह क्या है? आप इसे यहां क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं मांग करता हूं कि सुश्री जयललिता द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र को तत्काल संयुक्त संसदीय समिति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को अपने इस आचरण के संबंध में एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रधानमंत्री सहयोगियों के दबावों के आधार पर इसी तरह बोर्डों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? ...*(व्यवधान)* महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस गठबंधन सरकार में 24 सहयोगी हैं। यदि प्रधान मंत्री जी सहयोगी पार्टियों की सिफारिशों के आधार पर एक के बाद एक व्यक्ति की नियुक्ति करते चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि सभा को प्रधान मंत्री की कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं देने जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मुझे उसका उत्तर देना है। मैं एक मिनट में जवाब दे दूंगा। महोदय, मेरी नेत्री सुश्री जयललिता ने इस वक्तव्य का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और कहा है कि वे श्री सुब्रहमण्यम को नहीं जानती थी और उन्होंने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। मेरी नेता ने इस वक्तव्य को देने से साफ इनकार किया है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मुझे इस पर जवाब देने के लिए एक मिनट का समय दें। मुझे इसका उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज 38 से अधिक सदस्यों ने 'शून्य काल' के दौरान मुद्दे उठाने के लिए सूचनाएं दी हैं। कृपया इसे समझें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मुझे इसका जवाब देना ही होगा। यह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की ओर से कुछ कहना है?

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, हमारी नेत्री ने उस वक्तव्य का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और कहा है कि वे श्री सुब्रहमण्यम को नहीं जानती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको किसी भी बात का उत्तर नहीं देना है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप पहले अपनी सीट पर जाइए। आप नहीं जानते हैं कि सभा में कहां खड़ा होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सभा में कुछ प्रक्रिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपनी सीट पर जाइए। श्री पप्पु यादव, आप भी अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : श्री पांडियन भी अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : मैं एक पार्टी द्वारा लोक सभा के लिए चुना गया हूं। हमारी नेता का नाम इसमें घसीटा गया है। क्या

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं जवाब देने का पात्र नहीं हूं ...*(व्यवधान)* हमारी नेता डा. जयललिता ने इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और कहा है कि वे श्री सुब्रहमण्यम को नहीं जानती हैं और उन्होंने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। राज्य सभा में वित्त मंत्री ने कहा है कि एक उप समिति ने श्री सुब्रहमण्यम को नियुक्त किया था और उनकी नियुक्ति तमिलनाडु की मुख्य मंत्री, डा. जयललिता की सिफारिश पर नहीं की गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप यहां से किसी मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुनने की कोशिश की है, उसके अनुसार इस सदन के माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस सदन के सम्माननीय सदस्य श्री जॉर्ज फर्नान्डीज द्वारा इस सदन के बाहर दिये गये किसी बयान के बारे में जिक्र किया। मेरा कहना है कि लोक सभा में काम-काज करने का जो नियम है, उसके अंतर्गत मैं नियम-40 को उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "गैर-सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछा जा सकता है बशर्ते कि प्रश्न का विषय इससे संबंधित हो....."

तत्पश्चात् कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि

[अनुवाद]

यदि किसी सदस्य को दूसरे सदस्य से कुछ प्रश्न पूछना हो जैसाकि इस मामले में श्री दासमुंशी को पूछना है तो इस नियम के अंतर्गत उन्हें श्री जार्ज फर्नान्डीज को सूचना देनी चाहिए और जिसके पश्चात् वे उनके प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बीच सरकार यहां आती है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : यह सरकार की जिम्मेदारी है ...*(व्यवधान)* यह प्रधान मंत्री के विरुद्ध सीधा आरोप है ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): श्री दासमुंशी ने किसी विशेष सदस्य के बारे में प्रश्न नहीं किया है। इससे सरकार के कार्यकरण के बारे में बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या सरकार बाहरी लोगों के परामर्श पर कार्य करती है अथवा नियमों और मानदंडों के अनुसार अपना निर्णय लेती है जो किसी भी मंत्रिमंडलीय सरकार के लिए निर्धारित है।

हम समझते हैं कि अब तक महत्वपूर्ण नियुक्तियां नियुक्ति समिति द्वारा की गई हैं। लेकिन राजग के संयोजक यहां कहते हैं कि यह नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर की गई थी। इससे सरकार के संपूर्ण कार्यकरण के बारे में संदेह पैदा होता है और सरकार इस मामले के स्पष्टीकरण के लिए इस सभा के प्रति जिम्मेदार है। मंत्री जी नियम 40 के अधीन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। वे नियमों को प्रतिदिन पढ़ते हैं। लेकिन यह मौलिक प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कृपया नियम पढ़ें।

श्री चन्द्रशेखर : मैं नियमों को नहीं पढ़ता हूं। मैंने नियमों को कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरा संसदीय अनुभव आपसे ज्यादा है और संसदीय जीवन में शालीनता, मर्यादा, गरिमा, नियम और परंपराओं से कार्य होते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच.पांडियन : महोदय, वित्त मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया है, वह स्पष्टीकरण नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह खेद का विषय है कि आप अन्य सदस्यों को इस सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने नहीं दे रहे हैं। यही समस्या है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, इस पर सोमनाथ दादा कैसे बोलने के लिए खड़े हो गये। यह जीरो ऑवर है। इसमें श्री प्रियरंजन जी ने बात रखी, उसका जवाब मिल गया *...(व्यवधान)* यह ज्यादती है। हमारा भी मैटर है, हमारी भी कांस्टीटुएंसी है, वहां की भी समस्याएं हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलायेंगे।

श्री विजय गोयल : इस पर बहस नहीं हो सकती *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलायेंगे।

[अनुवाद]

आपको अन्य सदस्यों की पीड़ा को समझना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्यों नहीं बोल सकता *...(व्यवधान)* महोदय, मैं मुश्किल से आधा मिनट लूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): सर, इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, यह क्यों बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, वित्त मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि एक उप-समिति ने उन्हें नियुक्त किया था *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत ही बुनियादी मुद्दा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम मेरे पास है। मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, हम सुबह आकर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इंतजार करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे स्थान ग्रहण करने की अपील करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस समय तक मैं भाषण समाप्त कर चुका होता। महोदय, मुश्किल यह है कि मैं अपने कैरियर की इस अवस्था में पाता हूं कि इस सभा में 'स्पीकर' बहुत हो गए हैं। यही मुश्किल है। यदि किसी सदस्य को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है तो अनेक सदस्य आपसे दूसरे सदस्य को बुलाने के आपके प्राधिकार पर अंगुली उठाने लगते हैं। यह सब क्या है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप हमेशा हमारे ऊपर कमैन्ट्स करते हैं *...(व्यवधान)* यह गलत बात है *...(व्यवधान)* क्या इन्होंने बोलने के लिए नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में एक परंपरा है कि जब भी कोई वरिष्ठ सदस्य बोलता है तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। यह क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : इन्हें कहिए कमेन्ट पास न करें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको परंपरा का भी पालन करना है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उस पक्ष से किसी नेता को बोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो रूल दिखा दिया, लेकिन सीनियर मैम्बर्स हैं क्या उनके लिए कोई रूल है। एकदम से बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ सदस्यों से भी कनिष्ठ सदस्यों की वेदना, रोष और पीड़ा को समझने की अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संबंधी एक प्रश्न उठाया गया है। महोदय, चाहे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ कहा हो या नहीं, इसका इससे संबंध है। इसका उत्तर माननीय सदस्य द्वारा निजी तौर पर नहीं बल्कि सरकार की ओर से वित्त मंत्री अथवा किसी और द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए नियम 40 यहां संगत नहीं हैं। महोदय, ऐसा इसलिए कहा गया कि किसी का नाम एक कागज के टुकड़े पर लिखा गया और प्रधान मंत्री को भेजा गया और उसी आधार पर नियुक्ति की गई। इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिसको स्पष्ट करना होगा। यह कोई व्यक्तिगत मामला अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा सभा के बाहर दिया गया वक्तव्य नहीं है। इस अंदाज में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, वित्त मंत्री ने इस संबंध में राज्य सभा में वक्तव्य दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई वक्तव्य।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को भी इस बारे में कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, दूसरी सभा में एक उल्लेख किया गया था। दूसरी सभा में मैं प्रश्न काल के दौरान एक विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा था।

श्री बसुदेव आचार्य : यह भी एक विशेष प्रश्न है।

श्री प्रमोद महाजन : लेकिन यह प्रश्न काल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, हमेशा यह समस्या रहती है। आप मामला उठा रहे हैं और आप मंत्री से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : यहां मामला उठाया गया है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): मुझे एक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैंने आपका नाम बोलने के लिये नहीं पुकारा है। केवल मंत्री महोदय जो कहेंगे वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जायेगा। आप प्रश्न पूछने के बाद मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : यहां शून्य काल के दौरान अचानक यह मुद्दा उठाया गया है। शून्य काल के दौरान सभी मुद्दों का जवाब देना सरकार के लिये जरूरी नहीं है। यह इस सभा की मान्य परम्परा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, काफी हो गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिन्हा : लेकिन इस तथ्य के मद्देनजर कि हम सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार कोई समस्या नहीं खड़ा करना चाहती, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि मैंने अपने रिकार्ड को चेक कर लिया है; हमने इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति की पूरी प्रक्रिया का पालन किया है।

श्री पी.एच. पांडियन : प्रक्रिया क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के रेलवे स्टेशन बिल्हा की ओर दिलाना चाहता हूं जहां से सारनाथ एक्सप्रैस गुजरती है, लेकिन वहां रुकती नहीं है। *...(व्यवधान)*

महोदय, सारनाथ एक्सप्रैस के बिल्हा रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकने के कारण स्थानीय लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां से बड़ी संख्या में लोग सारनाथ एक्सप्रैस से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन सारनाथ एक्सप्रैस वहां नहीं रुकती है। इससे पूर्व भी मैंने मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सारनाथ एक्सप्रैस के जिला बिलासपुर के बिल्हा रेलवे स्टेशन पर ठहराव के आदेश देने की कृपा करें। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.35 बजे

[अनुवाद]

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पुनरूज्जीवन के बारे में

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी 'इस्को' हमारे देश की अग्रणी और प्रमुख स्टील इंडस्ट्री है, जिसके पास अपनी रक्षित लौह अयस्क खानें, कोलियरी और एशिया का सबसे बढ़िया ढलाई कारखाना है। इसका नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है। भारत सरकार ने 1972 में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर इसका अधिग्रहण कर लिया था, बाद में इसे सेल को हस्तांतरित कर दिया गया था। 'इस्को' सेल की अकेली सहायक कंपनी है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि 1994 में इसे बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया गया था। अभी तक भारत सरकार ने गत सात वर्षों के दौरान कोई पुनरुद्धार पैकेज या प्रस्ताव नहीं दिया है। 'इस्को' हमारे देश का मूलभूत इस्पात उद्योग है। केवल 'इस्को' ही नहीं विजाग इस्पात संयंत्र और सलेम इस्पात संयंत्र भी डूब रहे हैं। अत: देश के हित में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उसे 'इस्को' और अन्य इस्पात संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु उचित कदम उठाने और उपाय करने हेतु आगे आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए सरकार को 'इस्को' और देश के अन्य संयंत्रों को बचाने के लिये आगे आने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, श्री रुपचंद पाल, श्री बसुदेव आचार्य, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री बीर सिंह महतो इस मुद्दे पर श्री अजय चक्रवर्ती के विचारों से स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): प्रधानमंत्री ने उस दिन सभा में कहा था कि वे इस मामले को देखेंगे। इसका क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): प्रधानमंत्री ने हमें इस सभा में आश्वासन दिया था कि 'इस्को' के पुनरुद्धार के मामले को देखा जायेगा। लेकिन 15 दिन बीत गये हैं और 'इस्को' के पुनरुद्धार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है *...(व्यवधान)* बी.आई.एफ.आर. ने 'इस्को' के पुनरुद्धार के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सरकार को दो महीने का समय दिया है। लेकिन भारत सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। यह सबसे अधिक पुराना इस्पात संयंत्र भी है। तीन लाख लोग अपनी जीविका के लिये 'इस्को' पर आश्रित हैं। जब तक भारत सरकार दो महीने के भीतर यानि सितम्बर तक पुनरुद्धार पैकेज नहीं प्रस्तुत करता, बी.आई.एफ.आर., इस्को को बंद करने का आदेश दे देगा। इसीलिये हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह इस संबंध में तुरंत कदम उठाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हम श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा उठाये गए मुद्दे का पूरी तरह समर्थन करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी आप भी श्री अजय चक्रवर्ती के विचार से स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रधानमंत्री के पास अपना प्रतिवेदन भेजा है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, इस बात का शून्य काल में जवाब देना मुश्किल है क्योंकि मुझे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, हम सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ यही समस्या है। आप अध्यक्षपीठ को भी सरकार से जवाब देने के लिये कहने नहीं दे रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सहायता के अभाव में कंपनी संकटग्रस्त है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में भी ऐसी ही स्थिति है *...(व्यवधान)* मैं भी उनके विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं, महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सलेम): महोदय, ऐसा ही सलेम इस्पात संयंत्र के साथ हुआ है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। सलेम *...(व्यवधान)* मैं भी इस मुद्दे पर व्यक्त विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, श्री सेल्वागनपति, आप बिना नोटिस दिये किसी सदस्य के विचारों से कैसे जुड़ सकते हैं? यदि आप स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहते हैं, आपको पहले नोटिस देना चाहिए। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के पुनरुद्धार के संबंध में प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन दिया है। अब मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या इस मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय सदस्य प्रधानमंत्री से मिले हैं। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने साथ चलने के लिये मुझसे नहीं कहा। इस समय यदि वे खड़े होकर मुझसे इस बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें जवाब कैसे दे सकता हूं? कृपया मेरी भी स्थिति समझिये महोदय *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जब प्रधानमंत्री ने इस सभा में इसी सत्र में आश्वासन दिया तो उस समय आप प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुये थे। आपने सुना होगा कि उन्होंने उस समय क्या कहा *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि प्रधानमंत्री ने इस सभा में कोई आश्वासन दिया है तो वह आश्वासन अब भी कायम है। आप इस मामले में मुझसे क्या करने की अपेक्षा करते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बंगलादेशी घुसपैठिए हिन्दुस्तान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में घुस कर आ गए हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले डरबन सम्मेलन के मुद्दे पर सूचना दी थी ...*(व्यवधान)* उन्होंने मामले को संबंधित मंत्रालय को भेज दिया था। मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या ''शून्य काल'' में मामला उठाने का यह तरीका है? मैंने पहले ही प्रो. रासा सिंह रावत को बोलने के लिये कहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप मेरे चैम्बर में आ सकते हैं पर इस तरह से नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उन्हें राज्य ने मतदाता सूची में स्थान दे दिया है। ...*(व्यवधान)* बंगलादेशी घुसपैठियों ने सामाजिक और राजनैतिक असन्तुलन पैदा कर दिया है। आपराधिक गतिविधियां और साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है। ...*(व्यवधान)* असम, मणिपुर, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मुम्बई आदि अनेक स्थानों पर राजनैतिक आश्रय पाकर बंगलादेशी भारी संख्या में बस गए हैं। यहां तक कि हमारे राजस्थान में भी हजारों की संख्या में बंगलादेशी परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर में बंगलादेशियों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और पुलिस के लोगों को बंधक बना कर रखा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बंगलादेशी घुसपैठियों का अविलम्ब सर्वेक्षण करवा कर उनको भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा जाए और जिन राजनैतिक दलों ने वोट के लालच में उनको मतदाता सूची में स्थान दिया है, उनका पर्दाफाश किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेराम्बुदुर): महोदय, मैं तमिलनाडु में स्थिति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। कटपड़ी में आग दुर्घटना के कारण 50 लोग मर गए। पूर्व में इरवड़ी में भी 27 निर्दोष और मानसिक रूप से विकलांग लोग आग दुर्घटना में मर गए थे। इस तरह की घटनाएं तमिलनाडु में लगातार हो रही हैं। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की तवज्जह इस बारे में दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। आप इसे यहां कैसे उठा सकते हैं?

श्री राशिद अलवी : नहीं महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर हाल ही में चर्चा की है।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : जी नहीं, हमने इस मामले पर चर्चा नहीं की है। मैं तीन दिन से लगातार नोटिस देता आ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के हालात सरकार जानबूझकर खराब कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की वजह से ये पूरे उत्तर प्रदेश को फिरकापरस्ती की आग में झोंक देना चाहते हैं। पहले मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद जलालाबाद, इन सारी की सारी घटनाओं के अन्दर भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मुरादाबाद के अन्दर छः लोगों को जान से मारा गया, चार औरतों के साथ रेप किया गया, 13 लोग किडनैप किये गये। मुजफ्फरनगर के अन्दर जान-बूझकर ये हालात पैदा किये जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि काशीपुर ब्लॉक में रायगाडा जिले में भूख से मौत होने की रिपोर्ट मिली हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि के.बी.के. के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना को योजना आयोग द्वारा आज तक अनुमोदित नहीं किया गया है और अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी बहुत धीमी गति से चल रहा है।

इसलिए, मेरा सरकार से के.बी.के. के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना को स्वीकृति देने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध है ताकि के.वी.के. जिलों में भविष्य में भूख से होने वाली मौतों को रोका जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह विफल रही है। वहां लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आप माननीय सदस्य को क्यों सम्बोधित कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से घोषणा की कि टूरिज्म के ऊपर नेशनल पॉलिसी बनाई जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड से दिल्ली में हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। ये पर्यटक मेरी कांस्टीट्वेंसी चांदनी चौक के लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली के पुराने शहर को देखने आते हैं, उन पर क्या इम्प्रैशन पड़ता होगा। चांदनी चौक में हवेलियां सैकड़ों की तादाद में हैं, जो कि ध्वस्त हो रही हैं, उनमें अवैध निर्माण हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन हवेलियों के रख-रखाव के लिए, स्मारकों के रख-रखाव के लिए सरकार पुरानी दिल्ली को हैरीटेज सिटी डिक्लेयर करे और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार ऐसा मत करिये। बैठ जाइये।

श्री विजय गोयल : अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि चांदनी चौक वह कांस्टीट्वेंसी है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आई.एस.बी.टी. है, लाल किला है, टाउन हॉल है और जामा मस्जिद है। इस सिटी को अगर आप हैरीटेज सिटी डिक्लेयर करेंगे तो मैं समझता हूं कि देश-विदेश से जो हजारों पर्यटक आते हैं, उनके ऊपर अच्छा इम्प्रैशन पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल फण्ड दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सदन मेज थपथपाकर मेरी बात का स्वागत करेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपूजा): महोदय, कॉफी का मूल्य, जिसका काफी उत्पादकों पर प्रभाव पड़ता है, गत 42 वर्षों में सबसे कम मूल्य पर पहुंच गया है। इसी प्रकार, चाय, रबड़, काली मिर्च और नारियल जैसे अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य में भी गिरावट आई है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को कुछ सख्त कार्य योजना के बारे में निर्णय लेने के लिए संबंधित किसानों की तत्काल बैठक बुलानी चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इनमें से प्रत्येक फसल के लिए 300 करोड़ रुपए इनकी खेती के लिए खर्च किए जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.50 बजे

सी.एन.जी. की कमी के कारण फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के बंद होने के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से वहां की औद्योगिक इकाईयों के लिए यह तय हुआ कि कोयला आधारित इकाईयों को बन्द कर दिया गया और गेल ने कारखाने वालों से एक अनुबन्ध किया कि हम आपको सी.एन.जी. देंगे, प्राकृतिक गैस देंगे।

फिरोजाबाद में लगभग 400 औद्योगिक इकाइयां हैं। जिनमें से 74 कारखानों को सी.एन.जी. मिल रही है। करीब डेढ़-दो साल से 90 लोगों के साथ अनुबंध हो चुका है। वहां पर लगभग दो लाख मजदूर कांच उद्योग से सम्बद्ध हैं और वे इस समय भुखमरी के शिकार हैं। यह लघु और कुटीर उद्योग है। इसके अलावा वहां पर जो गैस मिल रही है, वह अन्य शहरों की तुलना में काफी महंगी है। बड़ौदा में 3200 रुपए प्रति हजार क्यूबिक मीटर, दिल्ली में 4000 रुपए प्रति हजार क्यूबिक मीटर और फिरोजाबाद में 5100 रुपए प्रति हजार क्यूबिक मीटर की दर से मिल रही है। फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। राम नाईक जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वहां जो लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए उनको राहत देने के लिए वे तुरंत हस्तक्षेप करके अग्रिम गैस सप्लाई की व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट पर जाएं, आगे कैसे आ रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): आगरा और फिरोजाबाद का उल्लेख किया गया है। मैं वहां खुद गया था। वहां कुछ लोगों को इसके तहत हमने नई सुविधा प्रदान की है। माननीय सदस्य कुछ स्पेसिफिक बात हो तो वे मुझे बताएं या लिखकर दे दें, मैं जरूर ख्याल रखूंगा। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : वहां 90 इकाइयों का अनुबंध हुए दो साल के करीब हो गए हैं। आप उनको गैस नहीं दे रहे हैं। केवल 74 इकाइयों को ही दी है, जबकि एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और माननीय रेल मंत्री का भी ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वाल्टेयर और चेन्नई के बीच रात्रिकालीन रेलगाड़ी शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। वाल्टेयर दक्षिण-पूर्व रेल मंडल में बहुत महत्वपूर्ण मुख्यालय है। चेन्नई दक्षिण रेल मंडल में है।

अपराह्न 12.52 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

व्यावसायिक समुदाय के बहुत सारे लोग वाल्टेयर और चेन्नई के बीच यात्रा करते समय कठिनाई का सामना करते हैं। इसलिए, वाल्टेयर और चेन्नई के बीच रात्रिकालीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता है। यदि यह शुरू हो जाती है तो दैनिक यात्री चेन्नई से विशाखापत्तनम सुबह के समय पहुंच जाएंगे। उसी तरह, जो वाल्टेयर से यात्रा करते हैं, उन्हें चेन्नई वापस जाने के लिए शाम के समय चलना पड़ेगा और अपना कारोबार पूरा करके रात्रिकालीन, रेल से उसी दिन वापस चले जाएंगे। इसलिए यह एक तत्काल आवश्यकता है *...(व्यवधान)*। यहां दैनिक यात्रियों, व्यावसायिक समुदाय, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और विद्यार्थियों द्वारा इसकी मांग की जा रही है। एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को शुरू करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां मुख्य रूप से एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। स्वंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व मुरादनगर में एक पैसेंजर ट्रेन में हुआ बम विस्फोट इस बात को प्रमाणित करता है। हर व्यक्ति जानता है कि उस दिन विस्फोट में जिन लोगों का हाथ है, वे लोग देवबंद के दारुल उलूम में तालीम लेते हैं। यही नहीं, बस्ती के दारुल उलूम में डेढ़ करोड़ रुपए के 500 के जाली नोट भी बरामद हुए थे। इस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा जिस तरह से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देने के लिए धार्मिक स्थल इस समय कार्य कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। भारत-नेपाल सीमा पर जो नेपाल में माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर भी रोक लगाने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर अलग से एक फोर्स को तैनात कर इस पर रोक लगाई जाए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मामला उठाया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। पहले वक्ता ने अपना भाषण पूरा कर लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसी तरह जारी रखा तो मुझे आपको चेतावनी देनी पड़ेगी। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह आपका आचरण वांछित नहीं है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्या अपनी बात कहने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको अनुमति दूं; तभी आप बोल सकते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। क्या आप अपनी सीट पर बैठने का कष्ट करेंगे? एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, यदि आप इसी तरह आचरण करते रहे तो मैं आपके विरुद्ध सख्त कदम उठाऊंगा। आप इस तरह बात नहीं कर सकते। आप इस तरह की बात मत करिए। एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अध्यक्षपीठ की अनुमति से आप बात कर सकते है और इस तरह नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.56 बजे

गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन गोवा में पुर्तगाली सरकार रही। उस वक्त गोवा भारत में नहीं मिला था। स्वतंत्रता दिलाने के लिए नागागोरे, एसएम जोशी, जसवन्त राव जोशी, मधु दंडवते, मधु लिमये और अन्य के माध्यम से बड़ा संग्राम हो गया। गोवा को मुक्ति मिली, कई लोग शहीद हुए, गोली चली, लाठी चार्ज हुआ और लोग जेल में गए। इन लोगों को महाराष्ट्र सरकार की पैंशन मिलती है, लेकिन भारत सरकार की पेंशन नहीं मिलती है। दादरा-नागर हवेली क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार ने भारत सरकार की पैंशन लागू की है और अन्य सुविधायें दी हैं, लेकिन अन्य लोगों को नहीं मिली है। माननीय मंत्री, श्री राम नाइकजी बैठे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक गोवा के मुक्ति संग्राम लोगों को भारत सरकार की ओर से पेंशन नहीं मिली है। ये लोग जन्तर-मन्तर पर धरने पर बैठे हैं। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इन लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल। उन्होंने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सम्बद्ध होने की आपको अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): दादर और नगर हवेली में पुर्तगाली कालोनी के 82 स्वतंत्रता सेनानियों को गत 26 जनवरी को पेंशन दी गई। लेकिन 2000 लोग जो धरने पर बैठे हैं उनमें से अधिकांश 70 वर्ष से ऊपर के हैं। पूर्व गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री मधु दंडवते द्वारा एक फार्मूला दिया गया। फार्मूले के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार की सूची के आधार पर उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)* आपको कुछ करना चाहिए *...(व्यवधान)* मंत्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आपने इस मुद्दे को पहले ही उठाया है। मैं मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): नियम के अंतर्गत, उन्हें जेल की सजा के रिकार्ड प्रदान करना चाहिए पर पुर्तगालियों ने यहां से जाते समय सारे रिकार्ड नष्ट कर दिए। जेल संबंधी कोई रिकार्ड नहीं है। इसलिए, गोवा के वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को कोई मान्यता या पेंशन नहीं मिली।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं सरकार से इन लोगों के मामले को अलग से जांचने का निवेदन कर रही हूं क्योंकि उनके साथी जानते हैं कि वे उनके साथ ही जेल में थे, यद्यपि कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि पुर्तगालियों ने यहां से जाने के पूर्व सारे रिकार्ड नष्ट कर दिए थे *...(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): जब मेरे नाम का उल्लेख यहां किया गया है तो मैं इसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। यह सही है कि पिछले कई वर्षों से गोवा के कई स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन नहीं मिली है। जब मैं गृह राज्य मंत्री था, तो हमने पहल की थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह न चिल्लायें।

श्री राम नाईक : प्रो. मधु दंडवते और अन्य नेताओं ने माननीय गृह मंत्री से इस बारे में भेंट की है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी का संबंध है, क्योंकि मैं अभी इस मंत्रालय में नहीं हूं, इस मामले को माननीय गृह मंत्री जी ही देख रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर नाल्को, नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो भारत सरकार के खान विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का एक प्रमुख उपक्रम है, के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए चौथे दीर्घकालिक मजदूरी समझौता (फोर्थ लौंग-टर्म वेज सेटलमेंट) को क्रियान्वित न किए जाने संबंधी प्रश्न उठा रहा हूं। यह एक लघु ''रत्न'' है जिसे संभवत: आज नहीं तो कल ''नवरत्न'' में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

महोदय, 28 जुलाई को कंपनी के सभी 21 संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और बोर्ड के समक्ष 30 और 31 जुलाई को इसे रखा गया था। अब बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया है। यह समझौता ज्ञापन पर सहमत नहीं होगा। इसलिए यह विश्वासघात है।

कंपनी में लागू किए गए पूर्व के मजदूरी संबंधी सभी समझौतों के परिणामस्वरूप चहुंमुखी विकास हुआ है। कंपनी का वित्तीय कारोबार इस वर्ष 22,700 करोड़ रुपये है। कर्मचारियों का मेहनताना केवल 159.8 करोड़ रुपये है जबकि पुनरीक्षण के बाद अतिरिक्त 23 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। पिछले दस वर्षों में से पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारियों का उपयोगिता मूल्य 19.9 लाख से बढ़कर 29.5 लाख हो जाने पर कंपनी के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर क्या हम व्यर्थ में बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं? वर्ष 1992 से बिक्री और कारोबार 884 करोड़ से बढ़कर 2,406 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात 277 करोड़ रुपये से बढ़कर 314 करोड़ रुपये हो गया। कुल लाभ 56 करोड़ रुपये से बढ़कर 653 करोड़ रुपये हो गया।

इसलिए, महोदय मैं आपसे मजदूरों का हौसला बुलंद रखने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का निवेदन करता हूं क्योंकि ये मजदूर ही हैं जिनके कारण कंपनी को यह विशिष्ट सफलता हासिल हुई है, जिससे देश भी लाभान्वित हो रहा है। वर्तमान समय में यह देश की सबसे बड़ी अल्यूमिनियम निर्यातक कंपनी है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए, सरकार को इस बारे में ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान कोलकाता की क्षेत्रीय समाचार इकाई के अंशकालिक संवाददाताओं की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। इन अंशकालिक संवाददाताओं को सिर्फ 500 रुपये मासिक मिल रहे हैं। लेकिन उन्हें प्रतिदिन कम से कम 13 बुलेटिन कवर करने पड़ते हैं। उनके लिए इस 500 रुपये की अल्प राशि से अपना परिवार चलाना काफी कठिन है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : इसलिए, मैं सरकार से कोलकाता के क्षेत्रीय समाचार इकाई के अंशकालिक संवाददाताओं को नियमित करने और उनके पारिश्रमिक को यथोचित रूप से बढ़ाने का निवेदन करता हूं। यह मेरी मांग है। इस तरह से वे अपने परिवार का सम्मानपूर्वक भरण-पोषण करने में समर्थ हो जाएंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): उपाध्यक्ष महोदय, आज 'शून्य काल' के दौरान मैं निम्नलिखित मामले को उठाना चाहूंगा।

पंजाब में लुधियाना जिले के जगरांव में हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना के एस.के. फायरिंग रेंज से संबंधित एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

प्रारंभ में रेंज की योजना सिद्धवां कला में बनाई गई थी जो वर्तमान स्थल से करीब 30 कि.मी. दूर है लेकिन इसे कुछ राजनीतिक दबाव के कारण वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

आस-पास के नौ गांवों के किसान इस भूमि के टुकड़े पर खेती करते थे और इसके लिए वे पिछले 30 वर्षों से नियमित रूप से भारतीय वायु सेना को राशि का भुगतान कर रहे हैं। अब भारतीय वायु सेना ने किसानों को उस भूमि पर खेती करने से रोक दिया है जिसे किसानों ने अपने पैसों और मेहनत-मशक्कत से खेती लायक बनाया था जबकि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 16 मई 1976 के पत्र संख्या 1026/1/75/रक्षा (भूमि) के अनुसार यह करार हुआ था कि वर्तमान किसानों को नाम मात्र दर पर यह भूमि दे दी जाए।

लेकिन अब, भारतीय वायु सेना अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है जिसके कारण उस भूमि पर निर्भर करीब 20,000 लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रश्न पैदा हो गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : भान सिंह भौराजी, जीरो आवर में नियम 377 के अंतर्गत जो सूचना होती है उसे पढ़ने का नियम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा : किसानों को खेती करने से रोकने के साथ-साथ इस क्षेत्र के किसानों को दूसरी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायु सेना द्वारा भूमि से जुड़ी छः सड़कों को बंद कर देने के कारण उन्हें औसतन 25 से 30 कि.मी. अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने पहले यह कहा था कि भारतीय वायुसेना सड़कें बंद नहीं कर सकती है।

इस समस्या से प्रभावित स्थानीय लोग कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं और यदि समय रहते कोई उचित समाधान न किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग से इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने की और स्थिति को सामान्य बनाने हेतु यथोचित उपाय करने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भान सिंह भौरा, यह ''शून्य काल'' है।

[हिन्दी]

जीरो-आवर में पढ़ने की इजाजत नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जीरो-आवर में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताना चाहती हूं। महिला एवं बाल विकास के लिए हमें विदेशों से बहुत सहायता मिलती है। उसी क्रम में राजस्थान के सवाई माधोपुर के करोली जिला के सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। कनाडा सरकार ने बहुत कीमती दवाइयां गर्भवती महिलाओं और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए दी थीं। उनका वितरण राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने नहीं किया और कागजों में फर्जी वितरण कर दिया और सारी दवाइयां तालाब के गहरे पानी में डालकर नष्ट कर दीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक अति-संवेदनशील मामला है। एक तरफ तो हमारा देश महिला सशक्तीकरण वर्ष मना रहा है और दूसरी तरफ गरीबी से नीचे रहने वाली गर्भवती महिलाओं और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए जो विदेशों से दवाइयां सहायता के रूप में मिलती हैं उनका दुरूपयोग जिस तरह से राजस्थान में किया गया है वह शोचनीय विषय है। राजस्थान का बाल विकास विभाग आंकड़ों का मकड़जाल बना हुआ है। भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस तरह के जघन्य अपराधियों को कभी न बख्शा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आई.सी.डी.एस. का यह मामला है और केन्द्र सरकार राज्यों को ग्रांट्स देती है। हम चाहते हैं कि इस बारे में सरकार कार्रवाई करे। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : सर उत्तर प्रदेश में दो करोड़ से ज्यादा आदमी इससे प्रभावित हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह मैंने डा. नीतिश सेनगुप्ता को बोलने की अनुमति दी है आपको नहीं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, 2 जुलाई से 'बदला' के जरिए मनमाने तरीके से पैसा निकालने के कारण पूंजी बाजार में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।

अचानक 2 जुलाई को, महान मुगल शासक की भांति आधी रात को की गई घोषणा के द्वारा सेबी ने निम्नलिखित परिवर्तन किए: ए.एल.बी.एम./बी.एल.ई.एस.एस. जैसे 'डैफरल उत्पादों' पर प्रतिबंध, 'ऑपान ट्रेडिंग' शुरू करना; सभी एक्सचेंजों में एक समान निपटारा प्रणाली; अग्रणी शेयरों में 'रॉलिंग सैटलमेंट'; और प्रतिभूति उद्योग में बैंक द्वारा वित्तपोषण में कमी।

इसके परिणामस्वरूप दलाल समुदाय बदनाम हुआ है उनके साथ बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात हो गई है। व्यवहारिक रूप से वे कंगाल हो गए हैं। वार्षिक बाजार मूल्य दो-तीन महीने पहले के लगभग 20 करोड़ रुपये से घटकर जुलाई-पूर्व की अवधि में लगभग 5 करोड़ रुपये हो गया है। बहुत से स्टाक एक्सचेंज बंदी के कगार पर हैं। बहुत से 'ब्रोकर हाउस' भी बंदी का सामना कर रहे हैं। इस प्रतिबंध के कारण कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मेरे विचार से वित्त मंत्रालय द्वारा इस बीमारी का जो इलाज किया गया है वह बीमारी से भी घातक है। उन्हें पूंजी बाजार के सबसे बड़े कारक जिसे 'भावना' कहते हैं की कोई परवाह नहीं है। उसे उन्होंने समाप्त कर दिया है। पिछले पूरे वर्ष के दौरान एक

भी सार्वजनिक निर्गम नहीं आया है। 'प्राइमरी मार्केट' के बंद होने के साथ-साथ 'सेकेन्डरी मार्केट' भी इसके परिणामस्वरूप बंद हो गई है। अत: सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिएं। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि बदला व्यापार हमेशा चलता रहना चाहिए, इसे समाप्त किया जाना चाहिए परन्तु अचानक नहीं अपितु चरणबद्ध तरीके से। इसे समाप्त किया जाना चाहिए परंतु साथ ही कुछ बदलावों के साथ इसे कुछ समय के लिए जारी रखना चाहिए।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मैं इस सदन और नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वह राजकोट और मुंबई के बीच की उड़ान के मार्ग का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में है। इसे बरास्ता वडोदरा होना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि मुंबई और वडोदरा के बीच की प्रत्येक उड़ान बंद होने जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यह कदम मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि राजकोट-मुम्बई की उड़ान को बरास्ता वडोदरा पुन: निर्धारित किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले ने जो नोटिस दिया है, वह सब्जैक्ट स्पीकर साहब का है जिसे उन्होंने डिसअलाऊ कर दिया है और काम रोको प्रस्ताव को उन्होंने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री ऊधम सिंह के बारे में बोलना चाहता था...

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने आपका काम रोको प्रस्ताव रिजैक्ट कर दिया है। और आप जो मामला अब उठाना चाहते हैं वह अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार में आता है। अत: इसे यहां नहीं उठाना चाहिए।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, उनका चित्र लगाने की बात थी...

उपाध्यक्ष महोदय : यह सत्य है लेकिन यह अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र का विषय है। यह यहां नहीं उठाया जा सकता। आपके काम रोको प्रस्ताव को सब्जैक्ट को स्पीकर साहब ने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नोटिस लोक महत्व का है। मैं आग्रह करूंगा कि मुझे जीरो ऑवर में इस मामले को उठाने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सब्जैक्ट मैटर दो मिनट में प्रस्तुत करेंगे तो जरूर टाइम दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार में उद्योग नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसी सप्ताह के अंदर वहां के चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष श्री बी.पी. गुप्ता के लड़के श्री अश्वनी गुप्ता जिसके बहनोई श्री अनिल अग्रवाल हैं और जिन्होंने बालकों खरीदा है, का अपहरण कर लिया गया है। जिस कार से उनका अपहरण किया गया, वह एक मंत्री के घर से मिली है। फिर एक दिन के बाद डी.आई.जी. श्री खान के घर के बगल संजय कुमार, फार्मासिस्ट का अपहरण किया गया। फिर कुछ दिन पहले दिल्ली के एक फार्मासिस्ट चावला का युवा राजद के प्रदेश महासचिव गोविन्द कनोडिया द्वारा कृष्णपुरी थाना अंतर्गत अपहरण किया गया। गोविन्द कनोडिया गिरफ्तार हो गये लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया। इसके ठीक कुछ दिन बाद गया के श्री जे.के. जैन का अपहरण किया गया। इतना ही नहीं, संजय फार्मासिस्ट के अपहरण के बाद वैसाली के रजिस्ट्रार का अपहरण कर लिया गया। इस अपहरण में तीन लोगों को मार दिया गया। अशोक जलान का अपहरण कुछ राजनैतिक विधायकों और मंत्रियों द्वारा किया गया। रमेश तोदी का अपहरण करके फिरौती ली गई।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का अपहरण किया जाता है, उन्हें बिहार ले जाया जाता है। दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा से भी किडनैप किये गये लोगों को बिहार ले जाया जाता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार का है। यह विषय राज्य का विषय है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा मामला है और अश्वनी गुप्ता का अपहरण कर लिया जाये। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री के घर से गाड़ी पकड़ी गई है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि इस मामले में सरकार से जरूर कह दें कि बिहार में कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है।

पूरा बिहार समाप्त हो गया है। बिहार से व्यापारी लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार सरकार के इस चुप्पी के सवाल पर विचार सबसे पहले होना चाहिए। बिहार पर किसी का ध्यान नहीं है *...(व्यवधान)* यह बिहार सरकार का फेल्योर है *...(व्यवधान)* वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे गार्जियन हैं। वहां कोई सुरक्षित नहीं है। वहां मंत्रियों पर गोलियां चल रही हैं, सब लोगों पर गोलियां चल रही हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि वहां लोगों को सुरक्षा दी जाए। केन्द्र सरकार वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों को सुरक्षा प्रदान करे। केन्द्र सरकार वहां के प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत दे दी, अब बस कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): वहां संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जसवंत सिंह बिश्नोई के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार बाहर से जो खाद्य तेल और खाद्य सामग्री मंगा रही है, उस पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। तीन वर्ष पहले किसान को रायडा और सरसों के भाव तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे। लेकिन आज वही रायडा और सरसों सात सौ और आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। पिछले तीन वर्षों में बिजली के भाव बढ़ गये, डीजल के भाव बढ़ गये, खाद के भाव बढ़ गये और किसानों के काम आने वाली चीजों के भाव बढ़ गये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने आपको बोलने का चान्स दे दिया है। यह शून्यकाल है, क्या आपको मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : सभी चीजों के दाम बढ़ गये लेकिन किसानों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं के दाम घट गये। खास तौर से आज सारे किसान बहुत ज्यादा दुखी हैं। राजस्थान में पिछले तीन वर्षों से अकाल था। राजस्थान में बिजली के भाव बढ़ गये, लेकिन किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यह सुनने में आया है कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा आग्रह है प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए तथा प्याज के निर्यात की परमीशन दी जए। यह भी सुनने में आया है कि भारत सरकार बाहर से लहसुन और प्याज मंगा रही है, इस पर तुरन्त रोक लगाई जाए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। यह पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र के असफल होने का मामला है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस यह राज्य का विषय है। फिर भी मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। क्या सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का यही तरीका है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय मामूली सा अंतर है। यह केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं सरकार पर इसका उत्तर देने के लिए दबाव कैसे डाल सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : यदि इन पर से रोक तुरंत नहीं हटाई गई तो किसानों का प्याज और लहसुन सड़ जायेगा और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं वह बोलिये, भाषण मत कीजिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करे, ताकि किसान जिन्दा रह सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव कृपया अब परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश के संविधान की रक्षा हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। लेकिन अपने देश में बजरंग दल द्वारा उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर क्रिश्चियन मिशनरियों पर अटैक करने

का प्रयास हो रहा है। उसके पीछे बजरंग दल का यह कहना है कि ये लोग दबाव डालकर क्रिश्चिएनिटी एक्सैप्ट कराने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें एक जानकारी देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन मिशनरियों के स्कूलों में 10 से 12 परसेन्ट बच्चे क्रिश्चियन होते हैं, बाकी 85 प्रतिशत से भी ज्यादा बच्चे हिन्दू होते हैं। इसलिए किसी विद्यार्थी पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव डालने का आरोप लगाना उचित नहीं है। इसके बावजूद परसों छः तारीख को ठाणे में एक क्रिश्चियन मिशनरी के फादर पर हमला हुआ है। क्रिश्चियन्स के चर्च पर हमला हुआ है। इस प्रकार बजरंग दल की एक्टीविटीज हमारे देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं, सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहती हैं। इसलिए बजरंग दल को खत्म करने की आवश्यकता है, उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बजरंग दल अगर हनुमान जी का नाम रोशन करना चाहता है तो उन्हें क्रिश्चियन समाज पर हमला नहीं करना चाहिए।

अगर ये इसी तरह से हमला करने का काम चालू रखेंगे तो बजरंग दल पर बैन लगाने की हमारी मांग है। हमारे प्रभु जी यहां बैठे हैं, राम नाईक जी भी इधर हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बजरंग दल पर आप जल्दी से जल्दी बैन लगाने वाले हैं या नहीं और नहीं लगाने वाले हैं तो क्यों नहीं और लगाने वाले हैं तो कब तक लगाने वाले हैं यह भी उत्तर हमें आपसे चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाली चीनी मिलें एक-एक करके उत्तर प्रदेश में बंद होती जा रही हैं। महाराजगंज जनपद में गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर वर्षों से बंद चल रही है। पिछले वर्ष ही महाराजगंज जनपद की एक घुघुली चीनी मिल को बंद कर दिया गया। गोरखपुर में पिपराईच चीनी मिल और सरदारनगर चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। इसी तरह से संत कबीरनगर में खलीलाबाद बस्ती जनपद के अंतर्गत कुशीनगर में एवं ककुइयां, पडरौना चीनी मिलें बंद हैं। किसान जब अपना बकाया गन्ना मूल्य के लिए और चीनी मिलों को चलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं तो राज्य सरकार उनके साथ बर्बर तरीके से पेश आ रही है। अभी पिपराईच चीनी मिल को चलाने के लिए किसान सेना के अध्यक्ष दिवाकर सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। वहां की राज्य सरकार के मंत्री के इशारे पर किसान सेना के अध्यक्ष दिवाकर सिंह को जेल में बंद कर दिया गया और उनके समर्थन में जब दूसरे दिन किसान बैठे तो उसमें से 93 किसानों को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया। जो लोग मंदिर में छिपे थे, पुलिस ने उनके ऊपर भी डंडे बरसाने का काम किया। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिलें बंद हो रही हैं, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनको चलाने के लिए सार्थक प्रयास करे। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली चीनी मिलों के लिए तो वह जिम्मेदार हैं ही, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत जो चीनी मिलें हैं, उनको चलाने के लिए भी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने का काम करे और राज्य के मंत्रियों के इशारे पर किसानों पर जो जुल्म और अत्याचार पुलिस कर रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम करे और जिन राज्य मंत्रियों के इशारे पर पुलिस अत्याचार और अन्याय कर रही है, उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी आपकी सूचना 10 बजे के बाद कार्यालय में पहुंची थी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं आपका ध्यान निर्दोष बोडो लोगों और मेरे परिवार के सदस्यों पर पुलिस के बर्बर और अपूर्व अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप कल के लिए सूचना दे सकते हैं। आज की सूचना 10 बजे के बाद दी गई थी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं या नहीं *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल सूचना दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको पता होना चाहिए। क्या आप यह सोचते हैं कि इस सदन में कोई भी विषय उठाया जा सकता है? यहां के कुछ नियम हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, जब आप अनुमति मांगते हैं तो मैं यहां मामले को देखता हूं। आप कल बोलने के लिए सूचना दे सकते हैं।

अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

अपराह्न 1.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश की तरखाना जाति को अनुसूचित जातियों तथा गद्दी और गुज्जर जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लकड़ी का कार्य करने वाले तरखानों (बढ़ई) जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है और इसी प्रकार पुराने हिमाचल प्रदेश में रह रहे गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और वे समुदाय अपने-अपने हिस्से के अनुसार सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन राज्य पुनर्गठन के पश्चात् हिमाचल प्रदेश में पंजाब के कुछ भागों को शामिल किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में रहने वाले तरखानों को अनुसूचित जाति एवं गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के एक भाग में रहने वाले तरखानों तथा गुज्जरों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं मिल रही हैं और दूसरे भाग में रहने वाले इन्हीं जाति के लोगों को उन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार से एक विसंगति पैदा हो गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय की महत्ता एवं गंभीरता को समझते हुए तत्काल विसंगति को दूर करने का निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठन के पश्चात् शामिल हिस्सों में रह रहे तरखानों को अनुसूचित जाति एवं गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

(दो) मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बीच जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी पर पश्चिमी देशों की नकल पर प्रगति के नाम पर बांधों की अनवरत श्रृंखला बनाई गई है। नर्मदा नदी की पौराणिक एवं भूगर्भीय स्थिति का पुन: अध्ययन आवश्यक हो गया है क्योंकि नर्मदा नदी की क्षरण की गति मैदानी भागों में बहने वाली नदियों में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में विलंब से निर्मित होने वाली सिंचाई परियोजनाएं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगी, वहीं दूसरी ओर नर्मदा से मिलने वाली नदियों को आपस में जोड़ने की कार्य योजना सरकार को तत्काल बनानी चाहिए। बांधों की मुख्य नहरों को भी आपस में जोड़ने की योजना सरकार बनाए ताकि अधिक वर्षा तथा भूकंप की स्थिति में बाधों में पानी के दबाव को कम करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय प्राथमिकता से किए जाएं।

नर्मदा के उद्गम के बाद पहले सबसे ऊंचे एवं बड़े बांध रानी अवंती बाई सागर परियोजना की दायीं तट नहर को तत्काल पूर्ण किया जाए क्योंकि दायीं तट नहर, बांध की सुरक्षा तथा नर्मदा घाटी परियोजना की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

(तीन) बिलासपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर में मेडीकल कालेज खोलने के लिए जिला बिलासपुर के गुरूघासी दास विश्वविद्यालय द्वारा मेडीकल कॉलेज खोलने हेतु संपूर्ण औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं, प्रथम अध्ययन दल केन्द्र सरकार द्वारा माह अप्रैल, सन् 2001 जिला बिलासपुर गया था। उन्होंने अपना प्रतिवेदन लोक स्वास्थ्य विभाग को दिया था। रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम स्वीकृत कर जांच हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेज दी थी। इसके बाद मेडीकल काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा जुलाई, सन् 2001 माह में जांच दल बिलासपुर में पहुंचा। रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। बिलासपुर में मेडीकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता इस कारण है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरे नंबर का शहर है तथा यहां पर हाईकोर्ट भी है। रेलवे जोन का मुख्यालय, कमिश्नर मुख्यालय, बड़े-बड़े कारखाने, एस.ई.एल. मुख्यालय तथा दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विकास हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर में मेडीकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश में कृभको की गोरखपुर इकाई को अर्थक्षम बनाये जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर इकाई की स्थापना सन् 1969 में हुई थी। यह उर्वरक कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार के किसानों के लिए वरदान था, परन्तु 10 जून, 1990 को एक साधारण दुर्घटना के चलते उक्त कारखाना बन्द कर दिया गया। औद्योगिक दृष्टि से पहले से ही पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे इस कारखाने के बन्द हो जाने के कारण वहां के कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों में भी भारी निराशा व्याप्त है।

सरकार ने व्यापक जनहित में उक्त बन्द पड़े उर्वरक कारखाने को कृभको द्वारा चलवाने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन करते हुए पी.आई.बी. से इसे निवेशात्मक मूल्य निर्धारित करने का निर्देश दिया था। पी.आई.बी. ने परियोजना का निवेशात्मक मूल्य निर्धारित कर के शासन को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया गोरखपुर में कृभको द्वारा प्रस्तावित खाद कारखाने को अंतिम मंजूरी देने का कष्ट करें।

(पांच) मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 मध्य प्रदेश में जबलपुर से सिवनी (लंबाई लगभग 14.5 कि.मी.) लम्बे समय से जर्जर था जिसका नव निर्माण पिछले वर्ष ही कराया गया था। यह निर्माण कार्य बरसात की पहली झड़ी के साथ ही संपूर्ण 14.5 कि.मी. मार्ग बह गया तथा पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। मेरा विभागीय मंत्री से आग्रह है कि इस मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराएं तथा आगे से यह सुनिश्चित करें कि इतने महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण कार्यों में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इस मार्ग का पुन: शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि जनता को हो रही असुविधा तथा आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

(छह) गुजरात में पालनपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर व्यापक गंदगी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पालनपुर बनासकांठा जिले का मुख्यालय है। इस रेलवे स्टेशन पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ब्राडगेज लाइन बनने के बाद प्लेटफार्म पर पूरा शेड नहीं है जिसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर आता है, वह खुले में रहता है जिसके कारण फर्टिलाइजर के खराब होने की आशंका रहती है और बहुत सा सामान खराब हो जाता है। अत: पालनपुर में एक शेड बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर को एक आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया जाए, साफ-सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जाए और प्लेटफार्म पर एक शेड तुरन्त बनाया जाए।

[अनुवाद]

(सात) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों विशेष रूप से कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पर उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। उनमें अधिकांश लोग बेकार हैं। वे लोग आवश्यकता आधारित मजदूरी से वंचित हैं।

किंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रमिकों का यह तबका हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की किसी योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है। कृषि श्रमिकों में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय से आते हैं, जिनकी दयनीय हालत वर्णन योग्य नहीं है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाने के लिए एक कानून बनाए।

(आठ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हालत बहुत नाजुक हो गई है। इनमें से अधिकांश लोग भविष्य निधि नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से की जाने वाली बचत के अलावा और कोई बचत नहीं कर सकते हैं। कई लोग इस बचत पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर होते हैं और ब्याज दर में कटौती किये जाने से उन्हें आघात लगा है, और वह भी तब जब सरकार

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर हो रही मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने में असक्षम है। इस तरह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर गहरा प्रहार किया गया है। सरकार को इनके नुकसान की भरपाई करने और इनके लिए उच्च ब्याज दर के लाभ को बनाए रखने की चिन्ता होनी चाहिए।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

(**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*)

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा पुनरीक्षित कार्य-सूची की मद संख्या 10 अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, इस विधेयक में पांडिचेरी के मामले में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में संशोधन की बात कही गई हैं। इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधान सभाएं होने के कारण इसमें संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी देने के लिए बजार से उधार लेने का उन्हें अधिकार दिए जाने का उपबंध किया गया है। इसका कारण है कि उक्त दोनों ही संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपनी-अपनी भारतीय संचित निधि है किन्तु उन्हें बाजार से उधार लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपालों को इस मामले में भारत सरकार के अधिकार के प्रयोग की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में अपना अलग सरकारी खाता खोलने और अपना नकद बैलेंस रखने का उपबंध किया जा रहा है। इस व्यवस्था में दैनिक आधार पर इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थोपाय की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी रखने और इन शासनों में पहले से लागू ओवर ड्राफ्ट की स्थिति के परिसीमन और विनियमन से संबंधित सामान्य अनुशासन के भीतर इन्हें लाने की बात कही गई है। इससे दोनों संघ राज्य क्षेत्र सही अर्थों में अपने-अपने वित्तीय परिचालन कर सकेंगे और कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

महोदया, इसी के साथ मैं इस सम्मानित सदन के अनुमोदन के लिए पेश इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि संघ राज्य क्षेत्र के शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदया, मंत्री जी ठीक बिल लाए हैं। 1963 के बिल में संशोधन करने के लिए विधेयक यहां लाया गया है। पांडिचेरी और दिल्ली दोनों संघ से सम्बन्धित राज्य क्षेत्र हैं। इसके द्वारा वे अपनी संचित निधि के विपरीत बाजार में जाकर रुपया उधार ले सकेंगे और रिजर्व बैंक में जमा कराएंगे। रिजर्व बैंक उनके खातों पर बराबर अपनी निगाह रखेगा। दिल्ली या पांडिचेरी के किसी विशेष अधिकारी को यह पैसा निकालने का अधिकार होगा। वह उसमें ठीक प्रकार से विचार-विमर्श कर सकेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की सरकारें शिक्षा के क्षेत्र के लिए बांड निकाल सकती हैं। वे लाटरी भी निकाल सकती हैं और उसके आधार पर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। यदि कहीं पर कोई विकास करना हो, तो दिल्ली और पांडिचेरी की सरकारें विकास के नाम पर कुछ पैसा लाटरी के नाम पर इकट्ठा कर सकती हैं।

मैं चाहता हूं और इस संबंध में भी आप विचार करें कि राज्य सरकारें भी कई बार अच्छा ब्याज देने का प्रयास करती हैं। लक्ष्मी योजना और कई अन्य योजनाएं जो डाक-तार विभाग द्वारा निकाली जाती हैं उसमें जो आदमी पांच हजार या दस हजार जमा कराएगा,

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

उसको सोने और चांदी के सिक्के देने की भी उन्होंने घोषणा की है। साथ ही एक लाख रुपए पर एक हजार रुपए एकमुश्त रकम छोड़ने की भी उन्होंने घोषणा की है। इस प्रकार से आप शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर अच्छा ब्याज और आकर्षक योजनाएं हों तो निश्चित रूप से दिल्ली और पांडिचेरी की सरकारों के पास पैसा इकट्ठा हो सकेगा। बॉण्ड जारी करने की आपकी शक्ति हो लेकिन केन्द्रीय सरकार तो दूसरे दल की है और दिल्ली और पांडिचेरी में सरकारें दूसरी हैं तो उनको भुगतान करने की गारंटी कौन लेगा? या तो केन्द्रीय सरकार गारंटी लेगी या राज्य सरकार गारंटी लेगी। लेकिन अगर सरकारों में आपस में तालमेल नहीं होगा तो किस प्रकार से लोगों का पैसा वापस किया जाएगा, इस संबंध में भी आप निश्चित रूप से विचार करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बॉण्ड, लॉटरी और आकर्षक योजनाओं के द्वारा आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और आपने यह ठीक प्रकार की व्यवस्था की है। दिल्ली और पांडिचेरी के पास धन का अभाव है और उनको आपने शक्ति दी है जिससे वे अपनी सिक्योरिटी के आधार पर रिजर्व बैंक के पास जो जमा है, उसके आधार पर पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। मै इस बिल का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: लॉटरी तो दिल्ली में बैन हुआ है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: लॉटरी पर बैन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है और कई स्टेटों में लॉटरी निकल रही है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, केन्द्र-राज्य और राष्ट्रीय राजधानी, दो विधेयकों में संशोधन एक साथ माननीय मंत्री जी लाए हैं। पहले दो प्रकार का कानून था। एक केन्द्रीय टैरेटरी से संबंधित और दूसरा 1991 वाला राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित। दोनों में एक साथ संशोधन ये लाए हैं। दिल्ली और पांडिचेरी में विधान सभाएं हैं। दोनों में मांग हो रही है कि इनको राज्य का दर्जा दिया जाए, तो क्यों नहीं इनको राज्य का दर्जा दे रहे हैं? ये बिल लाए हैं कि संचित निधि है, विधान सभा है लेकिन उन्हें बाजार से कर्ज लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए कानून के द्वारा कर्जा लेने का अधिकार देने का बिल लाए हैं। कर्जा लेने की शक्ति अपने कंसोलिडेट फंड पर नहीं थी, ये चाहते हैं कि यह शक्ति उसको मिले। दिल्ली पर 5 हजार 46 करोड़ कर्जा है और 1570 करोड़ उसको वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। कर्जे के बोझ से तो दिल्ली पहले ही दबी पड़ी है और ये कहते हैं कि हम उसको बाजार से कर्ज लेने की क्षमता दे रहे हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से ये चाहते है कि उन्हें कर्जा लेने का अधिकार दिया जाए।

दिल्ली में समस्या क्या है। दिल्ली 1911 में देश की राजधानी बनी। उस समय इसकी चार लाख थी जो अब बढ़कर 1 करोड़ 46 लाख हो गयी है, लेकिन पीने के पानी की क्या स्थिति है? यहां दिल्ली में 5 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए लेकिन उपलब्धता केवल 3 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। सन् 2011 तक यह आवश्यकता 7 मिलियन लीटर हो जायेगी। आज देश की राजधानी की क्या स्थिति है? यहां पानी और बिजली का संकट है।

सभापति महोदय, मैं कल तिमारपुर गया था जहां अनुसूचित जाति के लोगों की झुग्गी-झोंपड़ियां हैं। सी.पी.डब्लू.डी. के लोगों ने उनका रास्ता बंद किर दिया था। हजारों लोग गिरफ्तारी के लिये तैयार थे। इधर 15 अगस्त को पुलिस आतंकवादियों के मुकाबले में थी लेकिन उधर रास्ता बंद कर दिया गया था। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन हजारों लोगों के बच्चे कहां पढ़ने के लिये जायें। वे कैसे बाजार जायेंगे, कैसे काम करेंगे? मैं जब थाना में गया तो पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ केस बनाने के लिये कहा लेकिन मैंने घेरा तोड़ने के लिये कहा कि मैं ही हूकूमत हूं। मेरे जोर देने पर उन लोगों को छोड़ देने के लिये कहा गया।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले हजारों लोग मेहनतकश मजदूर हैं, कारखाने में काम करते हैं और जिन्होंने दिल्ली बसाई है, उन्हें उजाड़ने का काम क्यों किया जा रहा है। ऐसे लाखों-लाख लोग दिल्ली में बाहर से यहां काम करने के लिये आये हुए हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू के समय दिल्ली के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया था। दिल्ली के लिये दुबारा एक मास्टर प्लान बना जिसमें पर्यावरण के नाम पर छोटी इंडस्ट्रीज को बंद करके उन्हें उत्तर प्रदेश, हरियाणा में फैला देने के लिये कहा गया। उन छोटे उद्योगों में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये। सरकार ने कहा था कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को बिना विकल्प नहीं उजाड़ा जायेगा लेकिन उन्हें उजाड़ा जा रहा है। यह दृश्य हमने स्वयं देखा है। श्री वी.पी. सिंह ने दिसम्बर, 2000 में धरना, आन्दोलन करके रोक लगवाई। उनके बाल बच्चे सड़क पर पड़े हुये हैं और वे अपना कलेजा पीट रहे हैं। सरकार के पास विकल्प नहीं है। यह सरकार गरीबों को देखने वाली नहीं है। बड़े आदमी सैनिक फार्मों में दखल किये हुये हैं और उन गरीबों के पास जाने के लिए किसी के पास फुरसत नहीं है। एम.सी.डी., डी.डी.ए., एन.डी.एम.सी. न जाने कितने रावण रूप में 10-20 मुंह वाले राक्षस पड़े हुये हैं, विभिन्न नामों से कई संस्थायें पड़ी हुई हैं जो गरीबों पर हमला कर उन्हें उजाड़ रही हैं। उन गरीबों को नरेला में बसाया गया जहां इनके लिए न पीने के लिये पानी है, न बिजली है, न सफाई की व्यवस्था है और न ही पढ़ाई के लिये स्कूल हैं। जब राजधानी में इस तरह से

गरीबों पर जुल्म-अन्याय और अत्याचार होगा, उद्योग-धंधे बंद किये जायेंगे तब अन्य स्थानों के बारे में क्या कहा जा सकता है। शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन हैं। गुजरात में लोग तबाह हुये भूकम्प से और दिल्ली में लोग तबाह हुये जगमोहन के हड़कम्प से।

सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह निर्देश दिया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार नहीं है, कर्मचारी राज है। सरकार का मतलब है कि उसकी जनता कैसे, कहां और किस ढंग से रह रही है? कहीं लोगों की तबाही है, कहीं लोग कष्ट में हैं। यह सब दिल्ली का संकट है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, कांग्रेस की तो निचली सरकार है लेकिन उसे कर्जा दिलाने के अधिकार का विधेयक यह सरकार लाई है, लेकिन वह सरकार कर्ज में डूबी हुई है। 5046 करोड़ रुपया दिल्ली की राज्य सरकार पर कर्जा है और 1500 करोड़ रुपया उसे सालाना ब्याज देना पड़ता है। आप देखें कि उस सरकार की क्या हालत होगी। आप कहते हैं कि कांग्रेस का राज है। वहां चाहे किसी का भी राज हो, लेकिन आज दिल्ली की क्या हालत है। इसलिए यह कर्ज के अधिकार दिलाने वाला विधेयक लाये हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है।

सभापति महोदय, देश भर के सभी महानगरों में उतनी गाड़ियां नहीं हैं, जितनी गाड़ियां यहां हो गई हैं। हम रोज टी.वी. पर देखते हैं कि दिल्ली में सल्फर डाइआक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। दमा करने वाली गैस की मात्रा सबसे ज्यादा दिल्ली में हैं। पीने के पानी की कठिनाई दिल्ली में सबसे ज्यादा है। यह देश को क्या चलायेंगे। दिल्ली ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, उस समय लुटियन नाम के इंजीनियर ने नक्शा बनाया था कि कौन सी सड़क पर कौन से पेड़ लगेंगे। इसमें एक तरफ इमली और एक तरफ नीम के पेड़ हैं। रायसीना पर्वत पर क्या कलाकृति उसने बनाई, उसके क्या सपने थे, लेकिन आज क्या दुर्दशा है। आज दिल्ली में रहने का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है। दिल्ली के गरीब, कमजोर लोग, मेहनतकश मजदूरों ने दिल्ली को बनाया - दिल्ली को किन्होंने बनाया, दिल्ली को मेहनत करने वाले, कारखाना चलाने वाले, उद्योग-धंधे चलाने वाले, फैक्टरी चलाने वाले और पसीना बहाने वाले लोगों ने बनाया - पॉश कालोनी में रहने वाले बड़े लोगों, एयरकंडीशंड घरों में रहने वाले लोगों ने दिल्ली नहीं बनाई। दिल्ली पसीना बहाने वाले मेहनतकश मजदूरों ने बनाई। लेकिन इन बीते वर्षों में दिल्ली की क्या दुर्दशा हुई। इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है - होश करो दिल्ली के देवों, अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ पांडिचेरी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। केवल विधान सभा दे देने से और कर्ज लेने का अधिकार दे देने से इन्हें सहूलियत मिलने वाली नहीं है। इनकी कठिनाई हल होने वाली नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): बिहार की तरह बर्बादी नहीं हो रही हैं।

सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, क्या आप और लम्बा भाषण चाहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बर्बाद करने वाले लोग उधर बैठे हुए हैं। अब इनसे देश को बचाना है। इसलिए हम लोगों को बोल-बोल कर जगा रहे हैं कि इनसे देश को बचाया जाए, ये लोग देश को बरबादी कर तरफ ले जा रहे हैं। कहा गया है - मुझको बरबादी का कोई गम नहीं, गम है बरबादी का चर्चा क्यों हुआ। जैसा ये लोग चाहते हैं, वैसा होने वाला नहीं है।

जनता के दबे हुए करोड़ों, मेहनतकश लोगों के सवाल को यहां उठाया जाता रहेगा। हैन्डिल आप लोगों के हाथों में हैं। देश की गाड़ी चलाने वाले उधर बैठे हैं। हम लोग गाड़ी में पीछे बैठे हैं, हम बार-बार बोल रहे हैं कि दाहिनी ओर खाई का खतरा है, उधर मत जाओ। हैन्डिल आपके हाथ में हैं, चाहे तो आप गाड़ी को चकनाचूर कर दें। हम लोगों को केवल बोलने का अधिकार है। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि दिल्ली में पीने के पानी का संकट, बिजली का संकट और सफाई का संकट है। यमुना सूख गई है इसलिए भी बिजली और पानी का संकट बना हुआ है। ...*(व्यवधान)* ये इसी बात से प्रसन्न होंगे, लेकिन बाढ़ के बाद क्या होगा। गंगा और यमुना के साफ करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी बरसात में प्रथम बार पानी हो गया है, लेकिन जब वर्षा न होगी तब आपका भांडा फूटेगा और जहां-जहां पर बारिश नहीं हुई है, वहां-वहां आपका भांडा फूटा है। बाकी और जगहों पर भी आपका भांडा फूटेगा। इसलिए दिल्ली के सभी गरीबों और पसीने बहाने वाले लोगों के कल्याण के लिए इसे पास होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदया, जहां तक इस विधेयक में संचित निधि की प्रतिभूति से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी को ऋण लेने के लिए प्राधिकार देने और इसके लिए पृथक लोक लेखा की व्यवस्था करने की मांग की गई है, वह स्वागत योग्य कदम है।

काफी लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है कि पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि यह इस दिशा में उठाया गया एक कदम है लेकिन सरकार इन वर्षों में जो कुछ करती रही है उससे यह पता चलता है कि यह सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों की प्रजातांत्रिक आकांक्षाओं के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। ऐसा एक लम्बे संघर्ष के बाद हुआ कि दिल्ली को विधान सभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। तत्पश्चात्, ऐसी आशा थी कि जैसे-जैसे समय-समय गुजरता जाएगा, दिल्ली सरकार को अधिक से अधिक शक्तियां दी जाएंगी ताकि वे इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों की वास्तव में सेवा कर सकें। दुर्भाग्यवश, हमें हर कदम पर यह पता चलता है कि वर्तमान सरकार दिल्ली सरकार के कार्यकरण के तौर तरीके में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि वे इस तथ्य से सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं कि वे अपनी पूर्व शासनावधि के दौरान कुशासन के बाद दिल्ली खो चुके हैं। सरकार की ओर से सदैव ऐसा प्रयास किया जाता है कि दिल्ली की अपनी सारी जिम्मेदारियों और विफलताओं के लिए, दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराएं।

हम जानते हैं कि दिल्ली की इस अर्थ में विचित्र दुर्दशा है कि स्थानीय सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण और पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस क्षेत्र का शासन चलाने के नाम पर जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है, जहां तक दिल्ली के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं तथा मांगों का संबंध है यह सरकार बंद दिमाग से कार्य कर रही है।

कुछ ही दिन पहले हमें पता चला कि जब कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में सी.एन.जी. की आपूर्ति करने की विफलता मुख्यत: भारत सरकार की थी तथापि इसका दोष दिल्ली सरकार पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है जिसका इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कार्य एक अलग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन मैंने यह मामला इस सरकार की सोच को प्रकट करने और उसकी एक झलक दिखाने के लिए उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तीन मुख्यमंत्री जल्दी-जल्दी बदले गए और ये तीनों भूतपूर्व मुख्य मंत्री अब इस सभा तथा दूसरी सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने उन्हें दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करने के लिए मिल-बैठकर कार्य करने के लिए समय निकालते नहीं देखा।

जैसाकि मैंने कहा, ये दो अच्छी व्यवस्थाएं हैं लेकिन मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की इस बात से सहमत हूं कि ये पर्याप्त नहीं हैं। आपको और आगे आना होगा और उन लोगों के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी।

अब, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की क्या स्थिति है? मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक अन्य छोटे संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, सरकार उनकी कम चिन्ता नहीं कर सकती। एक तरह से संघ राज्य क्षेत्र नौकरशाही के सुपुर्द कर दिए गए हैं। काफी लम्बे संघर्ष के बाद उन दिनों हम दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों, 73वें संशोधन और 74वें संशोधन का विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों तक कर सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन द्वारा कभी भी लोगों को कोई भी शक्ति हस्तान्तरित नहीं की गई हैं। संविधान में और इससे संबंधित बने कानूनों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना के बारे में प्रावधान है जो राज्य के वित्त का संविभाजन करेंगे अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय निकायों के मामले में इनके बीच वित्त का संविभाजन करेंगे। इस प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगमों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पास धन की कमी है। एक मात्र बात जो उन्हें सरकार और दिल्ली में अधिकारियों द्वारा बार-बार बताई गई है, वह यह कि उन्हें लोगों पर अधिक से अधिक कर लगाने चाहिए।

मैं अपने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्व के अतिरेक वाला संघ राज्य क्षेत्र है। जहां तक आय कर का संबंध है, निकटवर्ती लुधियाना सर्कल के मुकाबले चंडीगढ़ भारत सरकार के कोष में अधिक राजस्व देता है। उसके बावजूद वहां भूमि बहुत ही कम मूल्य पर अर्जित की जाती है। किसी ठोस और सुनिश्चित विकास कार्य के बिना, यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ विकास कार्य किया जाता है - उन भूखंडों की नीलामी अत्यधिक ऊंचे दामों पर की जाती है। जब लोग विकास कार्य जिसे उनकी नीलामी से पूर्व किया जाना चाहिए था, के बारे में पूछते हैं, तो वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते।

यही बात पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ है। पंचायत समिति के लिए चुनाव नहीं हुए हैं और वर्षों तक लड़ने के बाद जिला परिषद के चुनाव हुए। तीन वर्ष के अन्तराल के बाद परिणाम अधिसूचित किए गए और 29 मदों में से किसी भी मद को प्रशासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में हस्तान्तरित नहीं किया गया है। यही दुर्दशा सभी संघ राज्य क्षेत्रों की है। हम

चाहते हैं कि उनकी स्थिति संघ राज्य क्षेत्र के रूप में कायम रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत सरकार उन संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान रखे जो संसाधनों की कमी के कारण कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। केन्द्र सरकार भी उन्हें संघ राज्य क्षेत्र बनाए रखना चाहती है क्योंकि यह उन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। यहां बैठे अधिकारी उन स्थानों पर जाना चाहेंगे और चाहेंगे कि उनके साथ राजाओं के समान व्यवहार हो। वे आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न एक बार प्राक्कलन समिति द्वारा बड़ी सक्रियता से उठाया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रत्येक पहलू पर विस्तृत सिफारिशें की गई थीं। लेकिन किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। माननीय मंत्री खड़े होकर बताएं कि क्या उन्होंने एक भी सिफारिश मानी है। एक भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। अब पांडिचेरी राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है और दिल्ली के लोग और अधिक अधिकार चाहते हैं, यह केवल अधिकारों के भोग के लिए नहीं बल्कि लोगों की प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका आकांक्षाएं पूरी हों। लेकिन इस सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मुझे आशा है कि जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है इन व्यवस्थाओं से कार्य शुरू हो जाएगा।

पुन:, लघु संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी विधान सभाएं नहीं हैं, की चर्चा पर वापस आते हैं, क्या लोगों को यह अनुभव कराना आवश्यक नहीं है कि प्रजातंत्र निचले स्तर पर कार्य करता है, विशेषकर उस समय जब आप राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजातंत्र की बात करते हैं। आपने नगर पालिकाओं की स्थापना की है। जो अधिकार आप एक हाथ से देते हैं उसे दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिमाह अनिवार्य बैठकों में उपस्थिति के अलावा और कोई भूमिका नहीं होती। यहां भी अधिकारी राजनीति करते हैं क्योंकि निर्णायक शक्ति उन्हीं के पास है।

मैं सभा की जानकारी में चंडीगढ़ के बारे में कुछ ऐसे तथ्य लाना चाहता हूं जो सरकार की जानकारी में पहले से ही हैं। जब नगर निगम बनाया गया तो प्रशासन से जो कर्मचारी एक साथ निगम में स्थानान्तरित किए गए थे उन्होंने मांग की थी कि समस्त प्रयोजनों के लिए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनको ऐसे कतिपय लाभ और सेवा शर्तें उपलब्ध नहीं रहेंगी जो उनके प्रशासन में कार्यरत साथियों को मिलेंगी। मुझे पता चला है कि सरकार ने यह प्रस्ताव एक वर्ष पहले स्वीकार कर लिया था परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। देखिए, सरकार इस गति से काम करती है। अधिनियम में संशोधन करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने मात्र इतना ही किया है कि संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्य को निगम की सदस्यता दे दी है। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या यह जरूरी था? निगम को जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का वाहक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि सीमित अधिकार क्षेत्र में भी निगम सार्थक भूमिका निभा सके। ऐसा नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है जो अभी तक नहीं की गई है। मुझे अपने संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी है। परन्तु, लगता है कि सभी जगह यही स्थिति है।

संविधान में जिला योजना बोर्डों की स्थापना का महत्वपूर्ण उपबंध शामिल किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और निगमों द्वारा एक समेकित योजना तैयार की जानी थी। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। यह भी उपबंध है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में गृह मंत्री सलाहकार समिति के नाम से एक व्यवस्था होती है। पिछले दो वर्ष से हम संसद में हैं और तब से मुझे ज्ञात है कि इस समिति का गठन नहीं किया गया है। ईश्वर ही जाने कि इस समिति का गठन कब होगा। हो सकता है कि इस लोक सभा के पूरे कार्यकाल में केवल एक या दो बैठकें ही हो पाएंगी। यहां तक कि प्रशासक की जो स्थानीय सलाहकार परिषद होती है, उसकी बैठक भी जल्दी-जल्दी होनी चाहिए जो नहीं हो रही। हमने तीन महीने में कम-से-कम एक बैठक करने का निर्णय लिया था ताकि लोगों के मुद्दों को उठाया जा सके। लेकिन महीनों से ये बैठकें नहीं हुई हैं।

इन संघ राज्य क्षेत्रों के लोग बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्यों और वहां के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएं। संघ राज्य क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, यह जानने के लिए जनता के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों के निवासी वर्षों से भवन निर्माण उप नियमों की अव्यावहारिकता के बारे में आवाज उठाते रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपने 'लीज-होल्ड' सम्पत्ति अधिकारों को 'फ्री-होल्ड' अधिकारों में परिवर्तित करने की योजना चलाई थी। परन्तु, साथ ही आपने ऐसे खंड जोड़ दिए, जिनके कारण किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का आवेदन करना भी मुश्किल है। योजना का लाभ किसी को नहीं मिला है। क्या आपने इन प्रश्नों के बारे में सोचा है? जब हमें संसद में कोई प्रश्न उठाना होता है तो 20 दिन पहले सूचना देनी होती है। बीस दिन की सूचना के बाद हमें जो उत्तर दिया जता है, वह कुछ ऐसा होता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी। कोई प्रशासन नहीं है, इस सरकार को यह कहने वाला कोई नहीं है कि यह जानकारी सभा-पटल पर कब तक रख दी जाएगी। जब हम उस प्रश्न को पुन: पूछते हैं तो फिर हमें ऐसा ही उत्तर मिलता है। इसलिए, यही वह

[श्री पवन कुमार बंसल]

अवसर है जब हम संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण के बारे में भारत सरकार की लापरवाही के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करें।

सरकार को अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए कि संघ राज्य क्षेत्रों की उपेक्षा न हो।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, जब मैंने आपका नाम पुकारा, तो आप मौजूद नहीं थे। अब कृपया जल्दी करिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मुझे इसके लिए खेद है। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यदि माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है, तो मुझे लगता है कि हमें निर्धारित एक घंटे की अवधि से अधिक समय की आवश्यकता होगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हां, अधिक समय की आवश्यकता होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं भी दे सकते हैं इस बारे में आप जानें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक लाया गया था तो मैं दूसरी सभा में था। मैंने राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा के विचार का विरोध किया था। कारण यह था कि यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो क्या अन्य राज्यों से दिल्ली में आए लोग इसे अपनी राष्ट्रीय राजधानी मान सकेंगे? यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलता है तो यह पूर्णत: अलग मुद्दा है। इस पर भी मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि अगर सरकार संघ राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने जा रही है, तो वित्तीय समस्याएं पैदा होंगी। मुझे लगता है कि हम आज इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

जो विधेयक पुर:स्थापित किया गया है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि जहां तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है, इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये भारत सरकार के पास हैं। हमारे पास विधान सभा है जो राष्ट्रीय राजधानी में संग्रहीत सभी करों पर नियंत्रण रखती है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राष्ट्रीय राजधानी को विकास के लिए निधियों की आवश्यकता है। इस आश्यकता की पूर्ति कैसे की जाए? भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए धन देकर सराहनीय कार्य किया है। लेकिन दूसरे राज्य इस पर आपत्ति करने लगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार इसीलिए विधेयक लेकर आई है।

यह विधेयक वस्तुत: अनुच्छेद 292 और 293 की ही प्रतिकृति है, जिनमें भारतीय संविधान द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकारों को ऋण लेने की अनुमति दी गई है। जहां तक शक्तियों का प्रश्न है, सरकार संशय में है।

सभापति महोदय, मैं विधेयक के अध्याय-II, अनुच्छेद 48क, पृष्ठ 2 पढ़ता हूं:

> ''संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक है.....।''

संसद ने आज तक भारत सरकार द्वारा उधार लेने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

क्या मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि आजादी के पचास वर्ष बाद वह ऐसा विधेयक संसद में ला रहे हैं जिसमें भारत सरकार की उधार लेने की सीमा निर्धारित की जाएगी? ऐसा विधेयक बहुत पहले लाया गया था, पर मुझे नहीं लगता कि यह आएगा। यह पुर:स्थापन संविधान में परिलक्षित भावना से बिल्कुल अलग है। यह अनुच्छेद 292 के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह केवल उधार लेने के लिए है और विधेयक में परिभाषित उधार इससे बिल्कुल अलग है।

महोदया, जहां तक राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उधार लिए जाने का संबंध है, यह कार्यपालिका का ही एक काम है। लेकिन, कितनी राशि उधार ली जाए, इस अधिकार से संबंधित निर्णय विधान सभाओं को लेना होगा। इस खंड में, जैसाकि मैंने उल्लेख किया, सीमा निर्धारित करने की शक्तियां उन्होंने संसद को दी हैं। इसका परंतुक है:

> ''बशर्ते इस उप-खंड के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का उपयोग प्रशासक भी कर सकेंगे परन्तु उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे।''

महोदया, यह विरोधाभास है। उपरोक्त पैरा 48(क)(1) में, संशोधन कर उपबंध किया गया है 'कि सीमा निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है।' उसी अतिरिक्त परन्तुक के अनुसार 'यह शक्ति भारत सरकार द्वारा प्रशासक को दी गई है।'

जैसाकि मैंने कहा, यह निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है। लेकिन, उधार की राशि कितनी हो? उधार ली जाने वाली राशि का निर्णय संसद या विधान सभाओं को करना है।

माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करें कि क्या विधान सभा, संसद और प्रशासक में विवाद है कि मामले का निर्णय कौन करेगा? क्योंकि संसद ने सीमा निर्धारित नहीं की है, विधान सभा अपने विवेक से सीमा निर्धारण कर सकती है और प्रशासक अपने विवेक से सीमा निर्धारण कर सकते हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से इन तीनों को शक्तियां दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विवाद की स्थिति में उधार की सीमा निर्धारित करने का अंतिम प्राधिकार किसका है?

विधेयक में दूसरा विरोधाभास है। उनका कहना है कि 'उधार भारत की संचित निधि पर होगी।' यदि संघ राज्य क्षेत्र का उधार भारत की संचित निधि पर होगा, तो उस राष्ट्रीय राजधानी निधि का क्या होगा जो हमने राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम के तहत बनाई है और उस संघ राज्य क्षेत्र निधि का क्या होगा जो हमने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के अधीन बनाई है? ये तीन स्पष्टीकरण हैं, जो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदया, मैं संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं।

यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं, बस, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं इन सुझावों पर लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। अत: मैं आपके द्वारा दिए गए पांच मिनट के समय से पहले ही अपनी बात पूरी कर लूंगा।

इसके तीन पहलू हैं। प्रथम, सात में से उन दो संघ राज्य क्षेत्रों को उधार लेने की शक्ति दी गई है जिनकी विधान सभाएं हैं। एक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और दूसरा पांडिचेरी, जहां निर्वाचित विधान सभाएं हैं। दूसरे, संचित निधि की तरह लोक लेखा का गठन किया गया है। प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ और शक्तियां दी गई हैं। दो संघ राज्य क्षेत्रों के इस संशोधन विधेयक के ये तीन प्रमुख पहलू हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली की जनसंख्या उत्तरांचल सहित विशेष दर्जा प्राप्त किसी भी राज्य से अधिक है। विशेष दर्जा प्राप्त 12 राज्यों में दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है।

जहां तक भारतीय संविधान का संबंध है, अनुच्छेद 112 में भारत की संचित निधि और अनुच्छेद 202 में राज्यों की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। संविधान में इन दो निधियों, नामत: भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि को मान्यता दी गई है।

महोदया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि एक केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से बनाई गई है। लोक लेखा संविधान के तहत नहीं बल्कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत बनाया गया है जो अनुच्छेद 292 और 293 के आधार पर है। उनमें ऋण उठाने की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें ऋण लेना चाहिए। बजाय इसके कि इसे भारत सरकार दे, वह इसे पांडिचेरी का मामला हो, तो इस केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि की प्रतिभूति-राशि से यह रकम उठाए और यदि दिल्ली का मामला हो तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संचित निधि की प्रतिभूति-राशि से ऐसा किया जाए।

दूसरा भाग, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिसका उल्लेख श्री प्रकाश अम्बेडकर ने किया, वह है-सीमा। महोदया, संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 में इस भाग विशेष का प्रावधान किया गया है, और केन्द्रीय अधिनियम में भी इसे दिया गया है। इसमें कहा गया है, "यदि संसद द्वारा विधि के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित ऐसी कोई सीमा हो, तो।" लेकिन इसे अभी तक नहीं किया गया है। भारत की संचित निधि से ऋण लेने के विषय में राष्ट्र भर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, न ही किसी राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया है। परिणाम यह हुआ है कि भारत ऋण-भार से चरमरा रहा है और कुछ राज्यों में, यह स्थिति खतरे की सीमा तक पहुंच गई है। ये राज्य अब ऋण जाल में फंस चुके हैं। तीन राज्यों के तो मैं नाम बता सकता हूं-उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार। उड़ीसा के मामले में तो उसकी राजस्व राशि का 93 प्रतिशत भाग ब्याज चुकाने और पूंजी-भुगतान के रूप में व्यय हो जाता है और ऐसा लगातार चलता आ रहा है। उड़ीसा को 'घाटाग्रस्त राज्य' घोषित किया गया है। यह तीनों राज्य ऋणभार के बोझ तले झुके हुए हैं। अतएव, मेरा सुझाव है कि जैसे ही यह विधेयक पारित हो, सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी - दोनों की ऋणार्जन-शक्ति को सीमित कर दे। ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिये। अन्यथा, ये भी उसी मुसीबत में जा फसेंगे, जिसमें उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्य फंस गये हैं।

दूसरी बात लोक लेखा के बारे में है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भारत की संचित निधि से रकम क्यों उठायी जाय, उसे सीधा राज्यों की संचित निधि से ही क्यों न दिया जाय? इसे लोक लेखा की मद में डाला जाता है। क्यों? यह मेरी समझ में नहीं आता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श किया जाना चाहिए और इसे राज्यों के लोक लेखा में डालने की बजाय राज्यों की संचित निधि में

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

लिया जाना चाहिए। राज्यों में भी, इसी तरह, इसी प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, और भी कई वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं। यदि मैंने आपको बुलाया, तो मुझे सारे लोगों को फिर से बुलाना पड़ेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): महोदया, हमारी तरफ से केवल एक ही वक्ता था।

सभापति महोदय : मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने उसे अधिक समय दिया था।

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे केवल दो मिनटों का समय चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): महोदया, मैं अपने पड़ोसी राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के प्रति-जिसके निर्वाचित प्रतिनिधि यहां नहीं आ पाए हैं-सौजन्यतावश खड़ा हुआ हूं। स्वयं मेरा निर्वाचन-क्षेत्र भी इससे लगा हुआ है।

मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यह एक अत्यंत स्वागतेय कदम है कि पांडिचेरी की सरकार को इस विधेयक के द्वारा अतिरिक्त शक्तियों से संपन्न किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पांडिचेरी ने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर ली है। यदि अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र को 14 वर्ष पहले ही एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, तो फिर कोई कारण नहीं कि पांडिचेरी को - जिसने 1954 में ही स्वतंत्र भारत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी - इतने वर्षों बाद, 47 वर्षों के बाद - लगभग आधी शती का समय हो गया - यह अधिकार क्यों न दिया जाय। अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुनय करूंगा कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल होने की 50वीं वर्षगांठ मनाए, तो आप उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में कार्यवाही करें। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी करूंगा कि वे देखें कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति न आए, जैसा कि समय-समय पर होता आया है, विशेषकर - शिक्षा के क्षेत्र में। मात्र अच्छे केन्द्र - राज्य संबंधों का ही नहीं, अपितु अच्छे केन्द्र-राज्य क्षेत्र संबंधों का भी वातावरण बनाने की आवश्यकता है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं माननीय सदस्य, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया किन्तु साथ में विचारणीय सुझाव भी दिए।

मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे गरीब व्यक्तियों के प्रति चिंता से पूर्ण सहमति व्यक्ति करता हूं।

महोदया, सभा को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस विधेयक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी को उप राज्यपालों को, 1963 व 1991 के अधिनियमों में संशोधन करते हुए, प्राधिकार प्रदान करने की बात की गई है। इसमें उन्हें संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि से धनराशि ऋण स्वरूप लेने के लिए प्राधिकृत करने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपनी-अपनी संचित निधि हो। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दिल्ली के पास दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संचित निधि है। वर्ष 2000-01 में इसमें 7239.59 करोड़ रु. की धनराशि थी। वर्ष 2001-02 में इसमें 7,575 करोड़ रु. की राशि थी। जहां तक पांडिचेरी का प्रश्न है, उसकी संचित निधि में वर्ष 2000-01 में 1,106 करोड़ रु. की राशि थी और 2001-02 में इसमें 1151 करोड़ रु. थे। अतः, इन दोनों संशोधनों के जरिये, हम दोनों राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों को यह प्राधिकार दे रहे हैं कि वे दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि से ऋणस्वरूप प्रतिभूति-राशि निकाल सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने ठीक ही कहा कि कुछ कल्याण योजनाएं शुरू की जानी चाहिए और राजस्थान की उन महिला सदस्या ने इस बात का समर्थन किया। बांडों और लॉटरी के जरिये भी धन एकत्रित किया जा रहा है। निस्संदेह, लाटरियां अब प्रतिबंधित हैं। ऋण लेकर कई समझौते किए जा रहे हैं और उसके द्वारा गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इसी भांति, जहां तक विकास कार्यक्रमों का प्रश्न है इस तरह का प्राधिकार मिल जाने से दिल्ली में भी स्वीय कल्याण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जा सकता है। जहां तक प्रावधानों का संबंध है, कोई विरोधाभास नहीं है।

इसका संबंध केवल संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि से है न कि भारतीय संचित निधि से।

जहां तक श्री पवन कुमार बंसल द्वारा उठाये गये मुद्दे का संबंध है, पूर्व वित्त आयोग की स्थापना वर्ष 1995 में की गयी थी और अगले वित्त आयोग की स्थापना किये जाने की संभावना है। पूर्व आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जा रहा है।

जहां तक पंचायती राज प्रणाली का संबंध है, संघ राज्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और स्व-शासित बनाने के लिए इसे संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने का संबंध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विचारों की मांग की गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचार प्राप्त हो जाने के बाद अगली कार्रवाई की जायेगी।

जहां तक पाण्डिचेरी का संबंध है, पाण्डिचेरी विधान सभा पहले ही इसे विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के अनुरोध वाले प्रस्ताव को पारित कर चुकी है। योजना आयोग पांडिचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है। पाण्डिचेरी सरकार को एक विशेष रिपोर्ट भेजने, इस विशेष दर्जे का औचित्य बताने के लिए कहा गया था, जिसका आना अभी शेष है। इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों से इन रिपोर्टों को प्राप्त कर लेने के बाद ही इस विषय पर विचार किया जायेगा।

यह एक बहुत साधारण विधेयक है। इसका उद्देश्य उप-राज्यपालों को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को अर्थोपाय उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय अनुशासन बरतने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक खाता खोलना है ताकि दोनों संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन की अपनी क्षमता को जान सकें। अत: मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): ट्रेजरी बैंचिज वाले कहते हैं कि हम कोआपरेट नहीं करते हैं जबकि हम को-आपरेट करते हैं। आज हमने यह बिल बहुत जल्दी पास करवा दिया।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 2.58 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण विधेयक

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 11 पर विचार करेगी। ऊर्जा संरक्षण विधेयक के लिए नियत समय दो घंटे हैं।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरकार ने कुछ समय पहले संसद के समक्ष ऊर्जा संरक्षण विधेयक पुर:स्थापित किया था। इस विधेयक को बाद में संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

हम सभी इस बात से परिचित हैं – आज सुबह भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे – कि वस्तुत: हमारे पास देश में ऊर्जा का अभाव है। देश भर में ऊर्जा का बड़ा अभाव है। चाहे वह देश का पूर्वी भाग हो, पश्चिमी भाग हो, उत्तरी अथवा दक्षिणी भाग हो, वस्तुत:, देश के सभी भाग वाणिज्यिक ऊर्जा के अभाव से ग्रस्त हैं। इसीलिए, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री सुरेश प्रभु]

इसके साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे द्वारा अधिकाधिक ऊर्जा उत्पादन किये जाने के साथ यह भी आवश्यक है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें। अधिक ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करके हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही पर्याप्त नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें और अपने लिए ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराएं। इसीलिए, सरकार ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक को पुर:स्थापित करना आवश्यक समझा है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदया, आप जानती हैं कि हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भारत ऊर्जा की सबसे अधिक खपत करने वाले देशों में से एक है। यह तो तब है जबकि भारत में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सबसे कम है। यदि आप वास्तव में भारत की ऊर्जा की कार्यक्षमता को देखें और जापान के साथ इसकी तुलना करें तो आप पायेंगे कि यह जापान की ऊर्जा कार्य क्षमता से 3.7 गुना अधिक है और अगर आप इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करें तो यह संयुक्त राज्य अमरीका की ऊर्जा कार्य क्षमता से 1.5 गुना अधिक है। इसीलिए, कई कारणों से, हमें वास्तव में ऊर्जा खपत कार्य को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिसकी एक कार्यक्रम के रूप में देश की सभी पार्टियां पैरवी करें। इस पहल को कानूनी रूप देने के लिए, हमने संसद में एक विधेयक लाने की बात सोची थी और इसी कारण इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में ऊर्जा का संरक्षण 23 प्रतिशत है। वस्तुत:, स्वयं निर्माण क्षेत्र ही 30 प्रतिशत तक ऊर्जा बचा सकता है। कृषि क्षेत्र 25 प्रतिशत तक ऊर्जा बचा सकता है तथा वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्र 25 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसीलिए, अब हमने यह निर्णय लिया है कि इनमें से उस प्रत्येक उपभोक्ता को जो ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं - चाहे वह 5 मेगावाट अथवा उससे अधिक विद्युत की खपत करने वाला निर्माण क्षेत्र हो अथवा 500 किलोवाट अथवा इससे अधिक विद्युत की खपत करने वाले अन्य क्षेत्र हों - को अभिहित उपभोक्ता समझा जाना चाहिए। इन उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत की लेखापरीक्षा की जाएगी। इस ऊर्जा लेखापरीक्षा से ऊर्जा संरक्षण की क्षमता का पता लग जायेगा। इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से ऊर्जा की बहुत अधिक बचत होगी।

हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि खपत का अधिक से अधिक मानकीकरण किया जाना चाहिए और एयरकंडीशनर, गीजर, हीटर, माइक्रोवेव ओवन और अन्य घरेलू उन उपकरणों पर लेबल लगाये जाने चाहिए, जो ऊर्जा का बहुत अधिक अपव्यय करते हैं। इसीलिए, हम दो चरण वाली प्रक्रिया का प्रस्ताव कर रहे हैं। आरंभ में एक तो लैबल लगाने का काम है जिससे जागरुकता पैदा की जायेगी और यह कार्य अनिवार्य होगा। जब कोई उपभोक्ता कोई उत्पाद खरीदेगा तो उसके सामने यह लिखित विकल्प होगा यह विशेष उत्पाद संभवत: आवश्यकता से अधिक विद्युत की खपत करेगा। इन सभी उपकरणों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाएगा कि एक निश्चित समयावधि में ऊर्जा की खपत को कम कर दिया जाए।

महोदया, हम देश में बने रहे नये भवनों में से कुछ के लिए भवनों की ऊर्जा खपत संबंधी संहिता का प्रस्ताव भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भवन निर्माण की बड़ी योजनायें बनायी गयी हैं। कई आवासीय परिसरों का निर्माण हो रहा है। यदि वे अपने लिए ऊर्जा की खपत संबंधी संहिता का पालन करें, तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। मैंने हाल ही में टी.ई.आर.आई. द्वारा निर्मित एक भवन देखा जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने सहकर्मियों से इस स्थान का भ्रमण करने का निवेदन करूंगा ताकि वे यह जान सकें कि इस भवन में कोई एयर-कंडिशनिंग सुविधा नहीं है और अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले उत्तम ढंग से निर्मित भवनों की तुलना में इसमें कहीं बेहतर सुविधाएं हैं। अत: , यदि आप इस प्रकार की संहिता को लागू करें तो ऊर्जा की खपत में इससे काफी कमी आयेगी।

जैसा कि मैंने कहा, जब इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति को सौंपा गया था तो हमें समिति के सभी माननीय सदस्यों से बहुत समर्थन मिला था और उन्होंने 32 महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सभी 32 सिफारिशों को मान लिया है। वस्तुत:,. मैं इनमें से कुछ सिफारिशों को सरकारी संशोधनों के रूप में पुर:स्थापित कर रहा हूं और इनमें से कुछ सिफारिशों को अभी जो नियम बनाये जायेंगे उनमें शामिल कर रहा हूं क्योंकि इनके लिए कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रशासनिक कार्यों द्वारा कुछ सिफारिशों को लागू करेंगे। मैंने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वस्तुत:, मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सम्पूर्ण सभा इस प्रकार का विधेयक पुर:स्थापित किये जाने के लिए लगभग सर्वसम्मत थी।

मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो स्थायी समिति की सिफारिशों का अंश नहीं है। हम इंसपेक्टर राज लाना नहीं चाहते। हम इस कानून को इस प्रकार लागू करना नहीं चाहते कि इससे उन लोगों को जिनके घरों की तलाशी ली जानी है अथवा जिन्हें सत्यापित किया जाना है को कोई परेशानी हो। अत:, हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि एक स्व-नियामक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। ये स्व-नियामक संगठन स्वयं नियंत्रित होंगे क्योंकि ऊर्जा की बचत भी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता है। मैं समझता हूं कि हमने इसी मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है।

इसीलिए, महोदया, मैं यह अनुरोध करूंगा कि सभा सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदया, मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु, साथ ही, मैं इस विषय पर सरकार के सोचने के तरीके पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। वस्तुत: हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के रास्ते पर अग्रसर हैं। जब विदेशी निवेशक भारत आते हैं तो सर्वप्रथम वे यही जानना चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विनियम हैं।

वे ऐसा महसूस करते हैं कि भारत में बहुसंख्य नियम एवं विनियम हैं और साथ ही यहां नौकरशाही द्वारा विनियम भी बनाए जाते हैं, और उन्हें इन सभी चीजों से गुजरना होगा और इसी बीच वे बाजार से बाहर हो जाएंगे। निजी क्षेत्र, विशेषकर भारत में धन का निवेश करने को तैयार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यही विचार है। मैं महसूस करता हूं कि विनियम और निगरानी के इस कार्य को धीरे-धीरे उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिए जो वास्तविक रूप से लाभान्वित हैं और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अधिनियमन में कहा, जो पूर्वनिर्दिष्ट उपभोक्ता और पूर्वनिर्दिष्ट अभिकरण हैं। यह उनके कर्त्तव्य का एक हिस्सा होना चाहिए, यह सरकार के कर्त्तव्यों का हिस्सा नहीं होना चाहिए और यह नौकरशाही के कर्त्तव्यों का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए।

अब, हम यह कह रहे हैं कि हम नौकरशाही के विस्तार में कमी लाने जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में घोषित किया था कि सरकार नौकरशाही के आकार को छोटा करने जा रही है और एक संयुक्त सचिव और उनके मातहत कर्मचारियों को हटाया जाएगा। अब मैं यह महसूस करता हूं कि नौकरशाही से हटाए गए उस संयुक्त सचिव को इस आयोग में पुन: स्थापित कर दिया गया है। यह एक नई कार्यविधि है। आप किसी संयुक्त सचिव या उसके मातहत किसी भी अन्य व्यक्ति को दंडित नहीं करने जा रहे हैं। वह तो किसी अन्य भवन से लाभान्वित होने जा रहा है, जिसमें और बेहतर वातानुकूलन और आधुनिक फर्नीचर है और उसके पास नई कारें भी होंगी। वह नई कारें खरीद सकता है क्योंकि आपने परामर्श संबंधी कोष के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपए दिए हैं और वह कार्यालय फर्नीचर पर तत्काल 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है। फिर प्रतिवर्ष एक करोड़ का व्यय भी होने वाला है।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि बड़े ही ऊर्जावान, युवा और ओजपूर्ण हैं। वह सोच सकते हैं कि विधेयकों को संसद के समक्ष लाए जाने के समय नौकरशाही के नियंत्रण को ज्यादा से ज्यादा हटाया जाना चाहिए। यह विधेयक पूरी तरह से नौकरशाहों के लिए शरणस्थल का एक हिस्सा है। वे ऐसा किसी अन्य तरीके से करना चाहते हैं। जब वे सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं या वे अपनी सेवानिवृत्ति के करीब होते हैं, तो वे कुछ और मुफ्त उद्यम चाहते हैं जहां वे पदेन सदस्यों के रूप में आने वाले अपने मित्रों के साथ मिल-बैठ कर कुछ विनियम बना सकें।

मैं पाता हूं कि खण्ड 13 और 14 में काफी विस्तृत मार्गनिर्देश दिए गए हैं, परन्तु मैं इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं देखता कि आप इसे कैसे करने वाले हैं क्योंकि 'ऊर्जा संरक्षण' जैसा शब्द काफी गूढ़ प्रतीत होता है। आपने ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र को संरक्षण केन्द्र में परिवर्तित कर दिया है। आप ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र जैसा नाम क्यों नहीं रखते, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है जो कि व्यापक अर्थ देता है कि यह केन्द्र उन चीजों का प्रबंधन करने वाला है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में उनके अधीन आने वाली हैं? परन्तु अब हम इसे संरक्षण केन्द्र बना रहे हैं। वे क्या संरक्षण करने वाले हैं? वे ढेर सारे विनियम बनाने वाले है, वे एक अन्य पुलिस राज लाने वाले हैं; वे इसका निरीक्षण करने वाले हैं, वे अपने निरीक्षकों को भेजने वाले हैं, जिन्हें वे ऊर्जा प्रबंधक कह सकते हैं। वे कुछ चीजों की मांग करेंगे। यदि आप कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ भुगतान करना होगा। मेरे विचार से यही वे बाते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

हम उस औपनिवेशिक देश में नहीं रह रहे हैं जहां पुलिस राज चलना चाहिए बल्कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में रह रहे हैं। जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते हैं तब नौकरशाही की सोच भी समान होनी चाहिए। लोगों को यह बताएं कि हम आपसे इन नियमों के पालन की अपेक्षा करते हैं और यदि आप इनका उल्लंघन करेंगे तो आप को फलां-फलां तरीके से दंडित किया जाएगा। किसके द्वारा? उन्हें उनके स्वयं के संघ, उनके अपने अभिकरण और उनके अपने सदस्यों द्वारा दंडित किया जाएगा। हम वहां नहीं बैठेंगे क्योंकि नौकरशाही यह कहेगी 'आप ऐसे जाएं या आप इस प्रकार यात्रा करें।' मैं पूरे विधेयक में इस प्रकार की विचारधारा पाता हूं। अतएव, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के लिए अब आप ऐसी विचारधारा न रखें, बल्कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नियमों को बनाते समय आप कृपया इसे लचीला, स्पष्ट, पारदर्शी और सुग्राह्य बनाएं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके तथा जो लोग व्यापार करने के लिए

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

यहां आ रहे हैं वे व्यापार कर सकें एवं अपने स्वयं के नियमों को जटिल बनाने के लिए वकील न बनें जिसमें वे शिकार हो सकते हैं।

इसलिए, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपने महानिदेशक बनाने की एक बहुत ही बढ़िया प्रणाली बनाई है - यह बहुत अच्छी बात हैं - जो कुछ बातों का प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे विभाग से वापस ले लिया है ताकि वह इसका प्रबंधन कर सकें। परन्तु वह एक ब्यूरो बनाने वाले हैं। वे एक संयोजक बनने वाले हैं। वे किस चीज का समन्वय करने वाले हैं? वे पूर्व निर्दिष्ट उपभोक्ताओं और पूर्वनिर्दिष्ट अभिकरणों के साथ समन्वय करने वाले हैं।

इसको भी परिभाषित किया गया है। वे क्या कार्य करने वाले हैं? उनका कार्य अनुशंसा करना, विद्यमान संसाधनों और अवसंरचना का उपयोग करना है। वे किस तरह से लोगों की सहायता करने वाले हैं? वे किस तरह से लोगों की सहायता करने वाले हैं?

हमें यह स्मरण रखना होगा कि हम बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां सभी चीजों पर बाजार का नियंत्रण होने वाला है। यदि कोई रेफ्रीजरेटर कम ऊर्जा का उपयोग करता है, तभी लोग उस रेफ्रीजरेटर को खरीदेंगे। आपको इसका विनियमन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका विनियमन बाजार करेगा। वे इस प्रकार से विज्ञापन देंगे कि यदि आप कोई विशेष रेफ्रीजरेटर खरीदते हैं, तो आपका विद्युत बिल कम होगा, और आप सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं, आदि। वे यह विज्ञापित करेंगे कि रेफ्रीजरेटर अपारंपरिक ऊर्जा से चलता है। इस तरह बाजार कार्य करता है।

मुक्त बाजार के दौर में, आप यह कहना चाहते हैं कि आप लेबल तक पर नजर रखेंगे। यह बड़ा ही मनोरंजक है जब आप मामले को पढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में भी अपना मनोमस्तिष्क नहीं बदल रहे हैं। क्रांति केवल फिक्की अथवा व्यापारियों के परिसंघों में ही नहीं होती बल्कि ऐसा नौकरशाही के साथ-साथ विधायिका में भी होना चाहिए। मैं एक धारा को पढ़ूंगा जोकि यह दर्शाती है कि कितनी बुरी तरह हम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अनुसार:

> ''धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के लिए मानदंडों और ऊर्जा उपभोग मानकों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना है।''
>
> वे विशिष्टियां जिनका उपस्कर या साधित्रों पर संप्रदर्शित करना या लेबल लगाना और धारा 14 के खंड (घ) के अधीन उनके संप्रदर्शन की रीति केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना।''

हम ऐसा कार्य क्यों करें? हम यहां यह कहने के लिए नहीं बैठे हैं कि वे फलां-फलां लेबल लगायें क्योंकि यह तो बाजार का कार्य है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हम ही हर चीज को नियमित कर रहे हों, हर चीज का विनिर्माण हम ही कर रहे हों और हमारा ही उत्पाद अन्य वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा हो। विश्व व्यापार संगठन का लाभ उठाकर यहां ढेर सारी चीजों का अंबार लगाया जा रहा है। फिर आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे और फिर लेबल लगायेंगे? अधिकतर चीजें चीन से आ रही हैं। आप इस सामान पर लेबल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह बेचा जा चुका है। पहले हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती थी और इसलिए इन बातों पर गौर फरमाया जाता था। अब आपको जागृति पैदा करनी है और ऊर्जा के कार्यक्षम उपयोग संबंधी सूचना को लोगों तक पहुंचानी है।

क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं रह रहे हैं? आप कृषि की पूर्णत: अनदेखी करना चाहते हैं। इस पूरे विधेयक में कृषि के बारे में एक भी शब्द नहीं है। इस पूरे विधेयक में रेशम की खेती के बारे में एक भी शब्द नहीं है। क्या आप इस बात को नहीं सोचते कि वे भी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? क्या उन्हें इससे लाभ नहीं हो रहा है? क्या उन्हें उन नए आविष्कारों, उपकरणों या यंत्रों से लाभ प्राप्त नहीं होगा जो ऊर्जा पारेषित करते है? बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं हो सकता। जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसकी परिस्थिति ही ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति का बिना ऊर्जा के जन्म नहीं हो सकता, ऊर्जा के प्रयोग के बिना किसी का दाहसंस्कार नहीं हो सकता है। इसलिए, पूरी सोच को बदलना होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने का कर्तव्य किसका है? अब हम समाजवादी पैटर्न पर आधारित समाज में नहीं रह रहे हैं, हम बाजार चालित विश्व में रह रहे हैं। लोग अनुसंधान कर रहे हैं और बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए वे अपने साथ नई चीजें लेकर आ रहे हैं। अन्यथा वे नहीं बच पाएंगे। हमारी खुले बाजार की अर्थव्यवस्था है। तो फिर स्वायत्तशासी निकायों के पाठ्यक्रम में ऐसी गतिविधियों को शामिल करने हेतु इनके साथ समन्वय करने की यह महत्वकांक्षा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ही इस मुद्दे पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसका भगवाकरण करने के स्थान पर उनसे अपने तरीके से शिक्षा दिए जाने के बारे में पूछा जा सकता है। इसे विधेयक में उल्लिखित

किए जाने की आवश्यकता नहीं है। खण्ड 14 में यही बात फिर से दोहराई गई है। इसमें कहा गया है-

> ''किसी ऐसे उपस्कर या साधित्र जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, पारेषण या प्रदाय करता है, प्रक्रिया के लिए मान और ऊर्जा उपभोग के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना.....।''

मेरे विचार से, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं।

इसलिए कि सारी की सारी चीजों का यहां अम्बार लगाया जा रहा है और हमारे अधिकारियों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। पर्यवेक्षण संबंधी एजेंसियां इस बात का पता नहीं लगा पायेंगी कि कौन सी चीजें बाजार में आ रही हैं।

इसलिए हमें इन सभी चीजों से निपटना होगा और इसके लिए हमें सामान्य विनियमन नहीं रखने होंगे। इसके लिए हमें ऐसे व्यापक दिशानिर्देश ही रखने होंगे जिन्हें हमारे अधिकारियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। यदि बहुत सख्त और विस्तृत विनियमन तैयार किए जाते हैं तो मुझे संदेह है कि इस देश का काफी विदेशी विनिवेश प्राप्त न कर सकने का यह भी एक कारण होगा।

सभापति महोदय : श्री नाच्चीयपन, मुझे आपको कुछ और मिनट तक बोलने देने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी पार्टी के तीन वक्ता और हैं। आपको भी उनके साथ समय शेयर करना है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैडम, मैं राज्य की शक्तियों के अतिव्याप्त होने के पहलू की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड 15(घ) में उल्लेख है ''अभिहित अभिकरण के रूप में किसी अभिकर्ता को राज्य के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों को समन्वित, विनियमित और प्रवर्तित करने के लिए अभिहित कर सकेगी।'' तो माननीय मंत्री जी की मंशा राज्यों को शक्तियां देने की है ताकि वे केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर सकें और ऐसा वातावरण तैयार कर सकें जहां दोनों के द्वारा ही लोगों हेतु विनियम बनाये जा सकें। लेकिन मुझे संदेह है कि केन्द्र सरकार का कोई राज्य नहीं है। जब पूरे का पूरा क्षेत्र राज्य के अंतर्गत है तो फिर राज्यों को पूर्ण शक्तियां प्रदान करना ही बेहतर है, और केन्द्र उनका मार्गदर्शन कर सकता है।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दूसरे पहलू की ओर अर्थात् शासी परिषद् इसके पदेन अध्यक्ष और इसके पदेन सदस्यों के बारे में भी आकर्षित करना चाहता हूं। विधेयक के खण्ड 4 में इसका उल्लेख है। मैंने इस बात का पहले भी उल्लेख किया है कि शासी परिषद में कृषि विभाग की ओर से किसी प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृषि विभाग के सदस्यों को पदेन सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। सभी प्रकार से कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की अत्यधिक खपत हो रही है क्योंकि हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अत: उन्हें भी शासी परिषद का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी संभावित लाभ मिल सके और वे भी एक बेहतर विश्व के निर्माण में सहायता प्रदान कर सकें। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में एक यह भी प्रावधान है कि यहां भी योजना आयोग का एक सदस्य सदस्यों के चयन हेतु बैठता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसी तरह योजना आयोग का एक सदस्य भी इसमें होना चाहिए और व्यापक पहलुओं और भविष्य विकास के बारे में सोच विचारकर कुछ किया जाना चाहिए। इसे नीति मात्र के उद्देश्य से ही नहीं किया जाना चाहिए इसका व्यापक पहलू होना चाहिए। माननीय मंत्रीजी ने इसे विधेयक के किन्हीं खण्डों में शामिल किया है लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना होनी चाहिए।

अन्त में, दण्ड प्रावधानों के संबंध में, मैं अपने सुझाव देना चाहूंगा। खण्ड 26 में प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख रुपये का दण्ड लगाये जाने का उल्लेख किया गया है और यह राशि हर अगली चूक के लिए दुगनी होती जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी विनियम का उल्लंघन करेगा तो इससे राजकोष को करोड़ों रुपये प्राप्त होंगे। ऐसे मामले में चूककर्ता एक लाख रुपये का भुगतान आसानी से कर लेगा और मुक्त हो जाएगा। अत: इसमें कुछ सख्त दण्डात्मक प्रावधान होने चाहिए। यदि इसमें सख्त दंडात्मक प्रावधान होंगे तो लोग इसका उल्लंघन करने से डरेंगे। खण्ड 33 को खण्ड 26 के साथ पढ़ने से चूककर्ता कम्पनियों के बारे में उल्लेख मिलता है, मैं पूछना चाहता हूं कि इसे कौन कार्यान्वित करेगा? यह बहुत ही अस्पष्ट सोच है। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो इसे राजस्व वसूली अधिनियम में अन्तर्निहित प्रावधानों द्वारा वसूल किया जाएगा। यह वसूली करने की बहुत पुरानी प्रणाली है। इसमें कुछ ऐसी मशीनरी बनायी जानी चाहिए, जिससे शीघ्र वसूली की जा सके। इसमें ऋण वसूली अधिकरण जैसे कुछ एजेन्सियां होनी चाहिए। हमें शीघ्रतापूर्वक यह योजना बनानी होगी कि चूककर्त्ताओं से धन की शीघ्र वसूली कैसे की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अंतिम रुप से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को नया रुप दिया जाए। तथापि, इसी रुप में भी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं लेकिन आपको अन्य सदस्यों के लिए भी कुछ छोड़ना होगा।

श्री सुरेश प्रभु : मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य महोदय ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं। शुरूआती सुधारों को लागू करते समय यह कहा गया था कि हम स्वत: नियामक ढांचे की शुरूआत कर रहे हैं लेकिन इसे विधेयक के अंग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। हम इसे उसी उद्देश्य से लागू करना चाहते हैं जिसका उल्लेख माननीय सदस्य महोदय ने किया है अर्थात्, ताकि एक नए प्रकार के इंस्पेक्टर राज की शुरूआत को टाला जा सके। हम वास्तव में ऐसा नहीं चाहते हैं और इसलिए हम इसे सचमुच लागू करेंगे।

जहां तक कृषि संबंधी सूचना का प्रश्न है, कृषि निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष बल दिया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में 25 प्रतिशत संभावना है। कृषि के क्षेत्र में बिजली की खपत कम करने का एक तरीका यह है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का संरक्षण किया जाए। बेहतर पंपों और पंप सैटों जैसे उत्पादों का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार, वास्तव में हमें लाभ पहुंचेगा।

सभापति महोदय : श्री प्रभु, आप अपना उत्तर अन्त में दें। आपको अपना उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): मैं ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे कई साल पहले ही लाया जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब इसे प्रस्तुत कर दिया गया है।

विश्व के प्रत्येक देश में इस प्रकार का संरक्षण अधिनियम है। जापान में ऐसा अधिनियम है। अमेरिका में भी ऐसा अधिनियम है और वहां इसकी शुरूआत सत्तर के दशक में हो गई थी। जापान में भी यह अधिनियम काफी पहले से था। भारत में इसकी आवश्यकता विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को यह विदित है कि बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है। हम काफी लम्बे समय से इस अन्तर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं और यह विधेयक एक ऐसा ही प्रयास या सुधार है जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे।

विद्युत क्षेत्र की स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि हर कोई बिजली की मांग कर रहा है। एक समय ऐसा था जब अधिकांश गांवों में बिजली की मांग नहीं थी। उन गांवों में बिजली की आवश्यकता थी। महसूस नहीं की जाती थी। लेकिन अब सभी बिजली की मांग कर रहे हैं। जैसाकि आपको ज्ञात है, बिहार के अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। राजस्थान में 20 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण अभी शेष है।

इसके लिए हमें दो-तीन कार्य करने होंगे। हम अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करके मांग और आपूर्ति के अन्तर को पाट सकते हैं। लेकिन बिजली के उत्पादन में कठिनाई यह है कि बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाला समय बहुत अधिक होता है। इसके अलावा, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमारी आवश्यकता के अनुरूप विदेशी निवेश नहीं किया जा रहा है। दूसरे, बिजली के पारेषण और वितरण में भी बिजली की हानि होती है। सभी जानते हैं कि बिजली की चोरी की जाती है। बड़े उद्योग और छोटे उपभोक्ता तक इसमें लिप्त हैं। ये उद्योग और उपभोक्ता बिजली के उपयोग के एवज में भुगतान नहीं करते हैं। इस प्रकार, यह एक अलग मुद्दा है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, संरक्षण का वास्तविक अर्थ यह है कि हर वह व्यक्ति जो बिजली का उपयोग करता है, इसकी बचत करे। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि यदि उद्योग बिजली की बचत करते हैं तो इसका लाभ भी इन उद्योगों को ही मिलेगा। इसलिए उन्हें स्वयं ही बिजली की बचत में रूचि दिखानी चाहिए। इस संबंध में सरकार क्या करेगी?

मान लीजिए एक ही उत्पादन क्षेत्र में दो औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से एक इकाई दूसरी इकाई से अधिक बिजली की खपत करती है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिससे बिजली की अनावश्यक खपत करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण रखा जा सके। यह नियंत्रण केवल इस प्रकार के किसी विधेयक की सहायता से ही किया जा सकता है। यह सही है कि इससे पुराने उद्योगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये उद्योग बिजली की बचत करने वाले नए उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके संयंत्र पुराने हैं और पुराने सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसलिए, उन लोगों को इससे कठिनाई होगी। लेकिन इस विधेयक में इन उद्योगों के लिए यह प्रावधान भी किया गया है कि वे अपने संयंत्रों में सुधार और बदलाव ला सकें। इन उद्योगों को इस कार्य के लिए 5 या 10 वर्ष का समय दिया गया है। इसके बाद ये उद्योग स्वयं समझने लगेंगे कि उनकी कार्य-पद्धति प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। यदि वे दूसरे उद्योगों की तुलना में बिजली की अधिक खपत करते हैं तो वे प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं रह जाते हैं। इसलिए, वे स्वयं इस स्थिति को सुधारेंगे। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए यह विधेयक आवश्यक था। यदि वे फिर भी सुधार नहीं करते हैं तो उन पर किसी न किसी रूप में दंड लगाना होगा क्योंकि हमारे लिए बिजली का संरक्षण आवश्यक है। देश के विकास के लिए बिजली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सात से आठ प्रतिशत तक की आर्थिक विकास दर हासिल करना है। लेकिन, यदि

बिजली नहीं होगी तो यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक 20 से 25 वर्ष पहले लाया जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

इसके अलावा, कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस विधेयक का शैक्षिक महत्व अधिक है। उद्योगों को बिजली के संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कुछ और भी बाते हैं। उदाहरण के लिए इस विधेयक में निर्माण संबंधी नियमों का प्रावधान है। अब, भवनों में एयर कंडीशनर भी होंगे जिनका सदस्यगण उल्लेख कर रहे थे। यदि 10 एयर कंडीशनर हों और उनमें से एक बिजली की बचत करता हो और शेष बिजली की बचत न करते हों तो उपभोक्ता को इस बात का पता नहीं चल सकेगा। एयर कंडीशनरों और रेफ्रिजरेटरों का जिक्र करने वाले अपने मित्र के सामने मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता यह नहीं मालूम कर सकता है कि कौन सा एयर कंडीशनर, शेष एयर कंडीशनरों की तुलना में कम बिजली की खपत कर रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि निर्माता अपने उत्पादों के बारे में कोई गलत सूचना न दे सकें। सभी उत्पादों पर लेबल लगाए जाने चाहिए। यदि दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो ऐसे निर्माताओं को दंडित किया जा सकेगा। यदि कोई ग्राहक एक एयर कंडीशनर खरीदता है और बाद में उसे पता चलता है कि यह एयर कंडीशनर लेबल पर दर्शाई गई मात्रा से अधिक बिजली की खपत करता है तो उसके निर्माता को दंडित किया जा सकता है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

महोदय, अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसी नौकरशाह के स्थान पर किसी तकनीकविद् की नियुक्ति की जानी चाहिए। नहीं तो, आई.ए.एस. लॉबी इतनी प्रभावशाली है कि वह हर पद पर काबिज होना चाहती है। उन्हें ऐसे और अवसरों की तलाश है जहां वे सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अपने अधिकारियों को तैनात कर सकें। इस पद पर किसी तकनीकविद् को क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता है? इस पद पर किसी आई.ए.एस. अधिकारी की क्या आवश्यकता है? मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि महानिदेशक के पद पर किसी तकनीकविद् की नियुक्ति की जाए।

सभापति महोदय : इस पद पर सेवारत आई.ए.एस. अधिकारी की बजाय सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति होगी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदया, यह बिल्कुल सही है कि कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा के संरक्षण की काफी संभावना है। अब, यदि कोई अशिक्षित किसान पंपसेट खरीदने के लिए जाता है तो वह लेबल पर दी गई सूचना से यह मालूम कर सकेगा कि वह पंप सेट कितनी बिजली की खपत करेगा। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में अधिक बचत की जा सकेगी। कुछ उद्योगों में बिजली का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। ऐसे उद्योगों में बिजली के संरक्षण की आवश्यकता सबसे अधिक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्यूरो को सचमुच कड़ी मेहनत करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उद्योग आवश्यकता से अधिक बिजली का प्रयोग न कर सकें।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कई वर्ष पहले लाया जाना चाहिए था। देर से ही सही, इसे उस समय लाया गया है जब बिजली के संरक्षण की आवश्यकता सबसे अधिक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली का संचय नहीं किया जा सकता है। आप पेट्रोल और सी.एन.जी. के उपयोग की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन बिजली का भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग इसके उत्पादन के साथ ही किया जाना होता है। इसलिए बिजली के संरक्षण की आवश्यकता किसी दूसरे ईंधन के संरक्षण से अधिक है।

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम): महोदया, मुझे ऊर्जा संरक्षण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। यह विधेयक हर दृष्टि से बहुत ही प्रगतिशील विधान है। प्राय: यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। वास्तव में यह विधेयक इस मूलभूत विचार को ही प्रदर्शित करता है और इसे ही हमारी ऊर्जा नीति की आधारशिला होना चाहिए।

हमारा देश गंभीर अवसंरचनात्मक बाधाओं से जूझ रहा है। इनमें से पहली और प्रमुख बाधा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। बिजली की छोटी-बड़ी चोरियों के अलावा इसके पारेषण और वितरण संबंधी घाटा खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है और ऊर्जा विशेषकर बिजली की बर्बादी पर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। भारत आरम्भ से ही विद्युत की कमी वाला देश रहा है। यह तेल का भारी आयात करता है जो कि हमारे पहले से ही बढ़े हुए आयात बिल में और बढ़ोत्तरी कर रहा है। अत: यह आवश्यक है कि हमारी नीति में ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस विधेयक में "ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफसिएन्सी" जैसे कतिपय स्वागत योग्य उपबंध निहित हैं। यह सही दिशा में कदम है।

[श्री ए. ब्रह्मनैया]

तथापि इस प्रस्तावित ब्यूरो को ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए उपायों को लागू करने हेतु और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। प्रोग्राम आठवीं योजना के दौरान आरम्भ किये गये नेशनल इनर्जी एफिसिएन्सी को भी सुचारू किया जाना है ताकि इससे यह और प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी हो सके।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को दो पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना था। इसमें पहला आपूर्ति संबंधी बचत उपाय और दूसरा मांग संबंधी बचत उपाय था। तथापि इस विधेयक में समस्या की मांग संबंधी पहलू पर ही ध्यान दिया गया है और आपूर्ति संबंधी समस्या के किसी उपाय पर विचार नहीं किया गया है। हमारे जैसे देश में जहां मांग और आपूर्ति में भारी अन्तर है वहां उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग में मितव्ययता वृद्धि में ही इस समस्या की कुंजी निहित है। आपूर्ति के संबंध में हमारे ताप विद्युत स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उस पारेषण और वितरण संबंधी क्षति को भी कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो कि ऊर्जा की भारी और निरन्तर क्षति के लिए जिम्मेदार है। हमारे ताप विद्युत स्टेशन पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी लागू करने और निधियों की अत्यंत आवश्यकता हैं।

महोदया, यह बहुत अच्छा विधेयक है। यह मांग और आपूर्ति के भारी अन्तर की दृष्टि से भी आवश्यक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम अपने देश में बिजली या अन्य प्रकार की ऊर्जा के बिना किसी भी तरह की प्रगति नहीं कर सकते है।

इस संबंध में, मैं ऊर्जा संरक्षण के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न सुझाव देना चाहूंगा। सर्वप्रथम, विधेयक की जिस अनुसूची में अधिक ऊर्जा की खपत वाले उद्योगों को रखा गया है उसमें कुछ ही उद्योग शामिल किए गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि ऊर्जा का अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता और रेलवे, वस्त्र, रसायन, परिवहन, तेल शोधक कारखाने, पन बिजली स्टेशन जैसे अधिक ऊर्जा की खपत वाले उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरा यह कि सरकार को विनिर्माताओं द्वारा आयातित ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क संबंधी रियायत दी जानी चाहिए ताकि ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सके। उन सभी उद्योगों को भी उत्पाद शुल्क में रियायत दी जानी चाहिए जो कि घरेलू और औद्योगिक प्रयोजन हेतु ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का विनिर्माण करते हैं।

तीसरा यह कि ब्यूरो के कार्यकलाप में व्यवसायिकता हो। उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं से व्यवसायिक विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि ऊर्जा संरक्षण नीतियों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।

अपराह्न 3.38 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

अन्त में, ऊर्जा संरक्षण के नाम पर किसी भी प्राधिकारी को घरों, कृषकों के खेतों, लघु उद्योग परिसरों का औचक निरीक्षण नहीं करना चाहिए और उन्हें अर्थदंड नहीं देना चाहिए। घरों, खेतों और लघु उद्योग परिसरों इत्यादि का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के बीच यह बढ़ते भ्रष्टाचार का एक तरीका है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, इस विधेयक के विषय और उद्देश्य का कभी भी विरोध नहीं किया जा सकता। 9 फरवरी, 2000 के विधेयक पर आज 16 अगस्त, 2001 को चर्चा की जा रही है। यह वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाती है। जैसा कि श्री वीरेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा करके इसे बहुत पहले पारित कर दिया जाना चाहिए था। तथापि, मैं इस अवसर पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों की बात करूंगा जिन पर माननीय मंत्री जी विचार कर सकते हैं और नियमों को बनाते समय उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं। मैं, उद्देश्य और कारण के विवरण की मद सं. 3 (क)(भ) को उद्धृत करता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है:

> ''शैक्षिक संस्थाओं, बोर्डों, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायत्तशासी निकायों के लिए ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यचर्या तैयार करें और उनके पाठ्यक्रमों में ऐसी पाठ्यचर्या को शामिल करने के लिए उनके साथ समन्वय करें।''

घटनावश, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात् इस देश में शिक्षा के भगवाकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्य को मानव संसाधन विकास मंत्री को न दें क्योंकि वह इसमें योग द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के वैदिक तरीकों को शामिल कर देंगे और इस विधेयक में गड़बड़ी कर देंगे जिसका प्रारूपण तथा पुर:स्थापन इस सभा के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्व. कुमारमंगलम द्वारा किया गया था।

हमें श्री कुमारमंगलम को विज्ञान द्वारा श्रद्धांजलि देनी चाहिए न कि भगवाकरण के द्वारा। मैं माननीय मंत्री जी से उद्देश्य और

कारण के पैरा 3(क) को देखने का अनुरोध करता हूं। यह कहता है:

> ''जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक उपाय करें और ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार करें।''

ये दोनों उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अधिकतम प्रयास किया जाना चाहिए। एक बार जॉर्ज बर्नाड शॉ ने कहा था:

> ''अनुभवों से मैंने सीखा है कि मैंने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा है''

यहां भी ऐसा ही मामला है। जब भी हम किसी नए अधिकरण की स्थापना करते हैं तो हम उसके मुख्यालय को हमेशा दिल्ली में ही क्यों रखते हैं? आखिरकार, हमारा बहुत विशाल देश है।

हमारे पास एल्युमिनियम, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, लुगदी एवं कागज, कीमिया, चीनी, पेट्रोलियम, रसायन आदि जैसे ऊर्जा प्रचलित उद्योगों की सूची है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये चीजें दिल्ली में उपलब्ध हैं। हमारे यहां ऐसे कई राज्य हैं जहां ये सारे उद्योग स्थित हैं। आपके यहां रेगिस्तान वाले राज्य हैं, आपके यहां समुद्री तट वाले राज्य हैं, आपके यहां कई उद्योगों वाले राज्य हैं और आपके यहां ऐसे राज्य हैं, जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। इन राज्यों में ऐसे मुख्यालय होना उनका अधिकार है। इसलिए मैं पुन: कहना चाहूंगा कि यह अनिवार्य नहीं कि दिल्ली में ही मुख्यालय हो। *...(व्यवधान)*

विधेयक में एक विरोधाभास है। दिनांक 9 फरवरी, 2000 के विधेयक में यह उल्लिखित है कि वह प्रस्तावित उपबंध अवसंरचनात्मक और संस्थानिक तंत्र की स्थापना के भविष्य में किसी संभावित तिथि से लागू होंगे जबकि मद संख्या (1)(3) के अनुसार इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न निधियां रखी जाएं। मैंने ऐसा कोई अधिनियम नहीं देखा है जहां विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें रखी जाती हैं। इससे भ्रम उत्पन्न होगा। समूचे अधिनियम की एक ही तिथि हो ताकि उद्योगपतियों के लिए कोई बचाव का रास्ता न बचे।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दंड संबंधी खण्ड है। हमारा आयकर विभाग का बड़ा ही बुरा अनुभव था जिसमें दंड का उपबंध किया गया था। उपबंध यह था कि अपराध साबित हो जाने पर छह माह की अधिकतम कैद का दंड होगा। अधिकतम दंड तो निर्धारित कर दिया गया परन्तु न्यूनतम दंड निर्धारित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप देश में कुछ न्यायालय दोषी को न्यायालय के उठने तक दंडित करते हैं। फैसला चार बजे होता है और न्यायालय पांच बजे बंद होता है। इस प्रकार सारत: वह वहां केवल एक घंटे तक ही रहा। यहां यह कहा गया है कि ऐसा दंड दिया जाएगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार, अधिकारी केवल एक रुपये का दण्ड लगा सकता है या फिर एक हजार रुपए का। पुन: इससे भ्रष्टाचार की संभावना बनती है। आप न्यूनतम दंड निर्धारित क्यों नहीं करते? तत्पश्चात्, आप अधिकतम दंड भी निर्धारित कर सकते हैं। यदि कोई पेट्रोल पंप का मालिक चूक करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। फिर, यहां दंड इतना कम क्यों है? यही मेरा प्रश्न है।

मैं बोर्ड के गठन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले दो माननीय सदस्यों ने यह बताया कि सरकार सेवानिवृत्त नौकरशाहों का ख्याल रख रही है।

बहरहाल, वहां निम्नलिखित में से प्रत्येक मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं: विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत और उपभोक्ता मामले। आप ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय को पूरी तरह भूल चुके हैं।

भारत एक विशाल देश है। अभी भी 70 प्रतिशत भारतीय गांवों में ही रहते हैं। आपने यह कहते हुए आंकड़े दिये हैं कि कृषि क्षेत्र के मामले में 25 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत और संरक्षण की संभावना है। आपको जिन प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता है उनमें से एक उर्वरक है। आपको पता है कि उर्वरक कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को परिषद के गठन में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

समूचे शासी परिषद में एक प्रमुख चीज जो गायब है वह है वैज्ञानिक। क्या यह वैज्ञानिक का कार्य नहीं है? जैसा कि मेरे सहयोगी श्री विजेन्द्र पाल सिंह ने ध्यान दिलाया है कि आपने एक भी वैज्ञानिक को सम्मिलित करने पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त व्यक्ति ही प्रत्येक आयोग अथवा प्रत्येक बोर्ड का नेतृत्व क्यों करे? वह वैज्ञानिक अथवा तकनीकी विशेषज्ञ हो सकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि विद्युत क्षेत्र से कम से कम दो या तीन वैज्ञानिक उसमें रहें। एक कृषि वैज्ञानिक सरकार के लिए सहायक हो सकता है। अब, सभी पश्चिमी देशों ने यह निर्णय लिया है कि वे उन खाद्यान्नों और अन्य मदों को नहीं खरीदेंगे जिनका उत्पादन रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग से किया गया है। इसलिए ज्यादातर देश जैविक उर्वरकों पर निर्भर हो रहे हैं। यदि इतनी महत्वपूर्ण परिषद का गठन करते

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

समय यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इस विधेयक का मूल उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इसका ध्यान रखना चाहिए। मुख्यालय उसी राज्य में होना चाहिए जहां सभी उद्योग स्थित हों। उन्हें परिषद अथवा बोर्ड जो भी उन्होंने नाम दिया है, में वैज्ञानिकों को शामिल करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात निगमित क्षेत्र पर दंड लगाया जाना है। हमारे पास कंपनी मामले विभाग का अपना अनुभव था जहां आर्थिक दंड निर्धारित किया गया था। वे दंड का भुगतान करेंगे और नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। मंत्री महोदय, उन्हें खुला मत छोड़िए। मैं आपसे ऐसा कठोर दंड निर्धारित करने का अनुरोध करूंगा ताकि निगमित क्षेत्र का कोई भी उद्योगपति या अन्य कोई देश के कानून का उल्लंघन करने से डरे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, ऊर्जा संरक्षण विधेयक पहले से ही लम्बित था। कमेटी में भी गया, जहां इस पर विचार-विमर्श किया गया। कई सुझाव दिये गये। माननीय मंत्री जी भी इस विधेयक में रुचि ले रहे हैं किस तरह से बिजली की समस्या हल की जाये। उन्होंने एक अच्छी परिपाटी शुरु की है। पूर्वांचल के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाकर सब से जानकारी और बिजली समस्या के समाधान के लिये सुझाव मांगे हैं। जैसे जिन्दगी के लिये सांस की जरूरत होती है, यदि सांस बंद हो जाये तो जिन्दगी नहीं रहती, उसी तरह से विकास के लिये बिजली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि हिन्दुस्तान के लोग लकड़ी जलाकर रोशनी पाते हैं। लेकिन आज बिना बिजली के नहीं रहा जा सकता। आज कम्प्यूटर्स, आई.आई.टी. वगैरह शुरू हुये हैं। आज बिजली की अनिवार्यता है। माननीय मंत्री जी पुराना विधेयक लेकर आये हैं और यह महसूस किया गया कि ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिये। हम पहले सरकार से अपील करते हैं कि पहले सरकार बिजली का संरक्षण करे। श्री गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविता में कहा है:

मुमाफिरों से क्या मांगें, धरती से मांग, गगन से मांग।

सूरज की जो किरणें आती, उनसे एनर्जी आती है, उसका संरक्षण पहले किया जाये। समुद्र की लहरों में जो बिजली है, एनर्जी है, उसका संरक्षण किया जाये, उसका संयोजन किया जाये, उसका इस्तेमाल किया जाये। उसके बाद हवा में जो एनर्जी है, उसका संरक्षण किया जाये। इसका इस्तेमाल सरकार करके देखे।

अभी ऊर्जा संरक्षण विधेयक आया है। आज जरूरत है ऊर्जा पैदा करने की। ऊर्जा पैदा करने से संबंधित आज सुबह का प्रथम सवाल था, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 2012 तक एक लाख मेगावट एडीशनल कैपेसिटी चाहिए। उसके लिए आठ लाख करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं है। आठवी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट था, उसका तीस परसेन्ट हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना में तीस परसेन्ट से बढ़कर चालीस परसेन्ट हो गया। एनरॉन विदेशी कम्पनी से भी पूंजी निवेश कराकर देख लिया। इसके बाद हिन्दुस्तान दरिद्र होने की तरफ चला गया। हमें लोग सिखा रहे हैं कि आप ऊर्जा संरक्षण करिये। ऊर्जा संरक्षण के क्या मायने हैं, इसके मायने हैं ऊर्जा का दुरुपयोग रोकना। ऊर्जा की चोरी रोकी जाए। ऊर्जा का दुरुपयोग क्यों होता है, कहां होता है और कौन करता है। बिजली का इस्तेमाल उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता अज्ञानता में कर सकते हैं, बेइमानी से कर सकते हैं अथवा चोरी से कर सकते हैं। विधेयक में प्रावधान है कि एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अधीन ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र था, उसे लेकर ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो बना देंगे और उसे कुछ ताकत देंगे। उसके बाद केन्द्र सरकार को अपनी ताकत चाहिए। कौन ज्यादा पावर लेना चाहते हैं और फिर ऊर्जा संरक्षण को भी पावर देना चाहते हैं। पावर लेने की लड़ाई है। लेकिन असली लड़ाई पावर पैदा करने की और उसे बचाने की है।

सभापति महोदय, इसमें एक प्वाइंट अवेयरनैस का है। लोगों को अभी की टैक्नोलोजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी मशीनें पैदा हों जो कम बिजली खर्च करके ज्यादा काम कर दें। यानी जो ज्यादा बिजली सोख रहे हैं, वे कम में काम करें। जैसे कि कोई गाड़ी ज्यादा डीजल और पैट्रोल खींच लेती हैं और कम किलोमीटर जाती है। यह मशीन की खराबी है, मशीन की त्रुटि है। इसलिए जहां अनुसंधान करके कम बिजली में ज्यादा काम हुआ है, वह ऊर्जा संरक्षण है। वे कहते हैं कि हमें ताकत दीजिए। आपके पास पूरी ताकत है, सारी पावर है। राज्य सरकार को अधिकार है, भारत सरकार को अधिकार है। बीच में आप ब्यूरो बनाना चाहते हैं, ब्यूरों इसमें क्या करेगा, हम जानना चाहते हैं। जो विधेयक आया है, उसके बारे में सुन रहे हैं कि बड़ा भारी विधेयक आया है, इससे बिजली संकट का कुछ समाधान हो सकता है। यह ठीक बात है कि बिजली का दुरुपयोग होता है, पानी का भी दुरुपयोग होता है। जो कि नहीं होना चाहिए। आज अनाज का भारी दुरुपयोग हो रहा है, अनाज कीड़े खा जाते हैं। एफ.सी.आई. में अनाज सड़ गया है। सभी जगह संरक्षण की जरूरत है। सदुपयोग करने की जरूरत है, गांधीयन थ्योरी की जरूरत है। गांधी जी कहते थे कि दुरुपयोग मत करिये। वह सफाई के लिए लिफाफे के ऊपर के कागज का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण होना चाहिए। आप कहां-कहां संरक्षण चाह

रहे हैं। कैसे संरक्षण होगा, यह समझने की बात है। सैन्ट्रली एयरकंडीशंड कमरे ज्यादा बिजली सोख रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्लान्ट्स, लोहा और स्टील पैदा करने वाले कारखाने ज्यादा बिजली सोख रहे हैं, उन्हें ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। जो बिजली खर्च करते हैं, वे उसके दाम भी देते हैं। उन्हें सिखाया जाए कि कम बिजली में ही हमारा उत्पादन हो जायेगा। उस तरह की टैक्नोलोजी, उस तरह के अनुसंधान की जानकारी आज लोगों को दी जाए। अन्यथा कहीं-कहीं अज्ञानता से बिजली का दुरुपयोग होता है, बेइमानी से दुरुपयोग होता है या बिजली की चोरी होती है। लोग बिजली की चोरी कर लेते हैं और दाम नहीं देते हैं। कहीं कांटा फंसा देते हैं, मीटर में खराबी करते हैं, इस तरह से बिजली की चोरी होती है।

सभापति महोदय, इस ऊर्जा संरक्षण में कहां पर सरकार का फोकस है और आपको क्या ताकत चाहिए जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो जाए। जो बड़े-बड़े होटल हैं, वे ज्यादा बिजली सोख रहे हैं। वहां सैन्ट्रली एयरकंडीशंड रूम्स हैं। जिस कमरे में लोग नहीं हैं, उस रुम को भी ए.सी. ठंडा किये हुए हैं। इन सबके द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें उपाय कहां है। इसलिए जहां फोकस होना चाहिए, वहां नहीं है। यह अलग बात है कि बिजली ज्यादा पैदा हो, उसमें ज्यादा पूंजी निवेश हो।

सभापति महोदय, आज सर्वोच्च प्राथमिकता पनबिजली को देनी चाहिए। हमारे पास जो लाखों-लाख बिजली करने के स्रोत हैं, पोटेन्शियल है, पानी बह रहा है, उससे बिजली बनाई जा सकती है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस बहते हुए पानी का संरक्षण कर उससे बिजली पैदा करने का सरकार उपाय करे। नदियों की धारा बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ, उसका संरक्षण करना चाहिए। हवा में जो ऐनर्जी है उसका संरक्षण करना चाहिए। समुद्र की लहरों में ऐनर्जी है, उसका संरक्षण करना चाहिए और सूर्य में भी ऐनर्जी है, उसका भी संरक्षण करना चाहिए। सरकार जो बिजली पैदा कर रही है, मशीनों के जरिये, उसका संरक्षण या उसका दुरुपयोग रोकना या चोरी रोकना मेरी समझ में नहीं आया। क्या है यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैटर्स – पदार्थ की अवनाशिता का नियम कि पदार्थ अविनाशी होता है, उसी तरह से ऐनर्जी भी अविनाशी होती है लेकिन एनर्जी को बचाने और उसका दुरुपयोग रोकने का सुझाव आ रहा है, उसमें फिजूलखर्ची रोकने का सुझाव आ रहा है कि आमदनी जब घटे तो खर्चे पर कटौती हो। लेकिन इनसे कहां खर्चे पर कटौती संभव है? ये हर चीज पर खर्चा बढ़ा रहे हैं। हर जगह देखिये खर्चा बढ़ रहा है। बिजली के संरक्षण के संबंध में लोगों में अवेयरनैस पैदा की जाए, जानकारी दी जाए और जो राष्ट्रपाल जी पढ़कर सुना रहे थे कि किसानों में और पाठ्यक्रमों में लोगों को जानकारी हो कि बिजली का कम इस्तेमाल हो या सदुपयोग करना चाहिए और बिजली का दुरुपयोग न हो और बिजली बरबाद न हो इसकी अवेयरनैस हो और लोगों को साधन से सुसज्जित करने का और लोगों को सहयोग करके मदद करके उस तरह की मशीन देने की और समझाने की जरूरत है जिससे बिजली का दुरुपयोग न हो वह सही बात है। असली मामला तो बिजली की चोरी का है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज़ का है। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में गड़बड़ होती है। फर्ज़ कीजिए कहीं 1000 मैगावाट बिजली का जनरेशन है। बिजली को स्टोर करके रखने का अनुसंधान तो अभी तक नहीं हुआ है। उसका जब तक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन और इलैक्ट्रिफिकेशन ठीक नहीं होगा तब तक जो बिजली पैदा होगी उसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस कमी को दूर करने का सरकार की ओर से क्या प्रावधान किया गया है? जब उपभोक्ता के यहां बिजली जाएगी तब वह बिजली का दुरुपयोग या चोरी करेगा। इसलिए उसका भी उपचार होना चाहिए। इस मोटे बिल को देखकर हम आश्चर्यचकित हैं कि ब्यूरो पहले से था ऊर्जा प्रबंधन आयोग है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में एन.जी.ओ. होगा अब फिर कह रहे हैं कि ब्यूरो बना देंगे। फिर ब्यूरो को अधिकार होगा, केन्द्र सरकार को भी अधिकार चाहिए, राज्य सरकार को भी अधिकार चाहिए, ये अधिकार लेकर क्या करेंगे। बिजली जलाने से रोकेंगे, बिजली को खर्च करने से रोकेंगे, उपभोक्ता का क्या करेंगे? इस मोटे बिल को देखने से हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ लाभ हो सकेगा। असली कमी तो ऐनर्जी की कमी है। ...*(व्यवधान)* ये विरोध कर रहे हैं, इनका बनाया हुआ नहीं है, पहले से लंबित था उसी को इन्होंने चाहा है कि सदन के सदस्य पास कर दें। कौन कहेगा कि बिजली का संरक्षण न हो लेकिन बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। किसान के लिए ये कह देते हैं लेकिन किसान को बिजली मिल ही कहां रही है कि वह उसे बचाएगा। हम लोग महसूस करते थे कि जैसे सूर्य की रोशनी है, जैसे हवा है, उसी तरह से बिजली रहेगी और आम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे मगर अब हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है कि बिजली का संरक्षण करिये।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, संरक्षण तो हर चीज का होना चाहिए। केवल बिजली का ही संरक्षण नहीं, बल्कि संरक्षण पानी का भी होना चाहिए, संरक्षण अनाज का भी होना चाहिए। हर प्रकार की संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए। किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सबका सदुपोयग होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी नई-नई मशीनें बनें जिनसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज और होटलों में बिजली की खपत कम हो। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन उपकरणों पर बिजली बहुत ज्यादा खर्च की जाती है, जिनमें ज्यादा खपत होती है, उनके प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तभी बिजली का संरक्षण होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिना इनर्जी से कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर बिना इनर्जी के चलने वाला नहीं है।

आप हमें बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं, क्या हमारा भाषण आगे जारी रहेगा?

सभापति महोदय : नहीं, आप तो वैसे भी कन्क्लूड कर रहे थे। आपका भाषण समाप्त माना जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप इतनी बिजली कंजर्व मत करिए कि अगली बार भी आपका भाषण जारी रहे।

सभापति महोदय : आपका भाषण समाप्त हुआ माना जाता है।

अपराह्न 4.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

शिक्षा का 'भगवाकरण'

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए मामले लिए जाएंगे। आवंटित समय दो घंटा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या दो घंटे का समय मेरे लिए है? मैं बहुत प्रसन्न हूं।

सभापति महोदय : नहीं, यह पूरी चर्चा के लिए है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि न केवल इस सभा में हमारे लिए, न केवल शैक्षिक संस्थाओं अथवा छात्र समुदाय के लिए अपितु सभी लोगों के लिए और विशेषकर इस देश के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे अथवा हममें से कुछ लोगों के अनुसार देश के मूल्यों, इसकी संस्कृति और परम्परा पर प्रहार करते हुए इस देश में ऐसे शैतानी प्रयास कभी नहीं किए गए जैसे कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

महोदय, मेरे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मित्रगण मेरी कही हुई बात का भारी विरोध कर सकते हैं परन्तु मुझे आशा है कि कम से कम वे इस मामले में दूसरों द्वारा कही गई बात को धैर्यपूर्वक सुनेंगे ...*(व्यवधान)* ऐसी आशा है। यह मेरे अनुरोध पर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। परन्तु मैं रा.ज.ग. और उसके सहयोगियों के उन मित्रों, जिनकी अभी तक धर्मनिरपेक्ष विश्वसनीयता है, से विशेष प्रार्थना करता हूं कि इस बात पर विचार करें कि भाजपा को उनके समर्थन को देश के शासन के अलावा अन्य मामलों के लिए कैसे उपयोग अथवा दुरूपयोग किया जा रहा है और देश के भविष्य को विभाजनकारी शक्तियों, अंधकार और पिछड़ेपन की गिरफ्त में बंधक बनाया जा रहा है जिससे इस देश की एकता और अखंडता तथा उस महान उदार परम्परा, जिसे हमने वर्षों से लगातार पोषित किया है, पर प्रभाव पड़ रहा है।

यह कोई रोजमर्रा का मामला नहीं है जिसे हम सभा में उठा रहे हैं। परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि सरकार की अनर्थकारी पहल का पर्दाफाश करना और अलगाववादी, सम्प्रदायवादी और रूढ़िवादी शक्तियों द्वारा देश में प्रभाव बढ़ाने और विशेषकर जहर फैलाकर हमारे देश के युवा वर्गों और पीढ़ियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे खतरनाक प्रयास का अपनी पूरी क्षमता से विरोध करने के लिए सभी संभव कार्यवाही करना हमारा कर्त्तव्य है।

महोदय, यह सर्वविदित होना चाहिए परन्तु इसे बार-बार दोहराना पड़ता है कि बहुलवाद भारतीय संस्कृति का मूल-भाव है और धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है।

मैं समझता हूं कि आपकी अनुमति से यदि मैं वलसम्मा बनाम कोचीन विश्वविद्यालय के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय से कुछ पंक्तियां पढ़ूं तो हमें लाभ होगा। इसमें हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है, हमारे संविधान ने समानता और भेदभाव रहित सिद्धांत पर आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है। मैं 1996 के उच्चतम न्यायालय के मामले, खण्ड 3 में से पढ़ रहा हूं। पृष्ठ 545

में कहा गया है; 'व्यक्तियों के अधिकारों तथा समतावादी, धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित करने के लिए राज्यों के कर्त्तव्यों और वचनबद्धताओं के बीच संतुलन बनाते हुए।' प्रारूपण समिति की ओर से डा. मुंशी ने कहा था जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> ''धर्म केवल उन्हीं क्षेत्रों तक प्रतिबंधित होना चाहिए जो कि कानूनी रूप से धर्म से संबंधित हैं और शेष जीवन को इस प्रकार विनियमित, एकीकृत और आशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि हम शीघ्रातिशीघ्र एक शक्तिशाली और समेकित राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकें।''

पृष्ठ 562 में कहा गया है कि बहुलवाद भारतीय संस्कृति का मूल-भाव है और धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सभी धर्म समान रूप से अच्छे हैं और पराकाष्ठा पर पहुंचने अथवा भगवद् प्राप्ति का अमोघ मार्ग हैं। यह एक जटिल व्याख्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें धर्म का उत्कर्ष है और फिर भी बहुधर्मों का एकीकरण हैं। दिलचस्प बात यह है कि विद्वान न्यायाधीशों ने श्री अरूण शौरी द्वारा 1986 में लिखे गए लेख से उसे उद्धृत किया है। मुझे इसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उन्होंने स्वयं का विनिवेश कर दिया है। संभवत: वह 1986 में लिखे हुए लेख को अपना नहीं कहेंगे।

हममें से अधिकांश के अनुसार, हम सरकार के सत्ता में आने के समय से इस देश के सामने आने वाला सबसे बड़ा संकट है - संघ परिवार द्वारा युवा मानस में साम्प्रदायिक जहर फैलाने का लगातार प्रयास करना। हम सबको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उग्रवादी तथा कट्टरपंथी गतिविधियों की जानकारी है। अब तक इसकी बहानेबाजी थी कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है परन्तु अब इसका पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि इसके सदस्य सक्रिय रूप से राजनैतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। वे यहां संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अग्रणी संस्था है जिसके माध्यम से यह सरकार की संसदीय प्रणाली में भाग लेता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): सभापति महोदय, राष्ट्रवाद या हिन्दूवाद की बात करना क्या कोई गलत बात है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्या, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सोमनाथ जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने अभी तक 'हिन्दू' शब्द नहीं कहा है।

जैसा मैंने कहा है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य अपने को केवल सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। वे यहां खुलकर भाग ले रहे हैं। यहां हमारे सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहु प्रतिष्ठित विचारक बैठे हैं। यह जानना बहुत अच्छा है कि हमारे प्रधान मंत्री, हमारे गृह मंत्री और आदरणीय मानव संसाधन विकास मंत्री भाजपा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख विचारक हैं और सरकार में हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि यह किसी से छिपा नहीं है कि संघ मेरी आत्मा है। वह 27 अगस्त, 2000 को सरसंघचालक को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में गए थे। मेरा विश्वास है कि मैंने शीर्षक सही चुना है। संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे पर उन्होंने घोषणा की थी, 'प्रधान मंत्री का पद कल जा सकता है परन्तु मैं हमेशा एक विनम्र स्वयंसेवक बना रहूंगा।'

महोदय, उनकी 1939 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत शानदार परम्परा है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि नई दिल्ली में डा. मुरली मनोहर जोशी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक-एक माह का वेतन गुरू दक्षिणा के रूप में अर्पित किया गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। अत: उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति प्रतिबद्धता मान्य और स्वीकार्य है।

अब, बेशक, उनका मान एक ऐसे प्रतिभाशाली विदेश मंत्री की भर्ती कर लेने से बढ़ गया है। जो पहनते तो गैर-संघी पहनावा हैं, लेकिन इस कवायद में भाग लेने लगे हैं। शायद, अब उनकी महत्वाकांक्षा इस सदन में एक नम्बर वाली कुर्सी को पाने की ओर हो रही है।

ये सभी, इसमें सन्देह नहीं, बहुत माननीय और प्रतिभावान लोग हैं और सभी के साथ मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिज्ञा ली हुई है। उनकी प्रतिज्ञा क्या है? यह उनका मामला है। उन्होंने शपथ ली हुई है। मैं उसको पढ़ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : सभापति जी, चर्चा किस विषय पर हो रही है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्या, आप बिना अनुमति के बैठे-बैठे न बोलें। आपकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं आयेगी। आप अपना भाषण जारी रखिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इससे उद्धृत कर रहा हूं और यदि इसमें कोई गलती हो तो डा. मुरली मनोहर जोशी मेरी बात को ठीक कर देंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी तो इसका जवाब देंगे ही, वे इसका जवाब देने में सक्षम हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): जवाब का मतलब यह नहीं है कि वे कुछ भी बोलते जाएंगे। हम यहां बेकार की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बी.जे.पी. की तरफ से मल्होत्रा जी बोलेंगे, वे अपनी बात कहेंगे, आप बैठ जाइये। मल्होत्रा जी, जवाब देने में सक्षम हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं, आप बैठ जाइये।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : वे आर.एस.एस. पर नहीं बोलेंगे, वे विषय पर ही बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह : सभापति जी, यह क्या भाषण है, आप एग्रीकल्चर पर बोलने की अनुमति दे रहे हैं या विदेश नीति पर बुलवा रहे हो - कुछ पता तो चले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं उद्धृत करता हूं और यदि इसमें कुछ गलत कहूं तो श्री जोशी जी मेरी बात को ठीक कर देंगे।

> ''सर्वशक्तिमान ईश्वर और अपने पितृपुरुषों का स्मरण कर मैं यह शपथ लेता हूं। अपने पवित्र हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज के उत्थान के लिए मैं स्वयं को अपनी पावन मातृभूमि की समृद्धि हेतु सेवार्पित करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तन-मन-धन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा करूंगा। मैं आजीवन इस शपथ का पालन करूंगा।''

मैं यह और जोड़ रहा हूं:

> ''हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज के उत्थान के लिए....'' ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठ जाइये, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप आसन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्होंने यही तो किया है। मैं आर.एस.एस. के प्रति इनकी प्रतिबद्धता का आदर करता हूं।

अब, विचारणीय बात यह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की इस सरकार में, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का वेश धारण करने वाले आर.एस.एस. के सदस्यों का बाहुल्य और प्रभुत्व है, क्या हम एन.डी.ए. नामधारी एक ऐसी सरकार और उसकी नीतियों की कल्पना कर सकते हैं, जिस पर आर.एस.एस. की विचारधारा और उसकी नीतियों की छाप न पड़ी हो? इनके घोषणापत्र में अथवा इनके तथाकथित साझा कार्यक्रम में चाहे कुछ भी कहा गया हो - उस सबसे मुझे वास्ता नहीं - लेकिन यह कहना असंभव है कि आज आर.एस.एस. इस सरकार को और इस देश को नियंत्रित नहीं कर रही है। यही हो रहा है। और हमारे वे मित्र, जो गैर-भाजपाई हैं तथा इस सरकार के साझीदार हैं, अब उन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रवर्तन में सक्रिय सहभागी बन चुके हैं, जिनसे इस देश का विनष्टीकरण होगा और यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

भा.ज.पा. और आर.एस.एस. की जनविरोधी तथा विभाजनकारी नीतियों को इन गैर-भाजपाई साझीदारों की मदद से कार्यान्वित किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* हां, आप इसमें साझीदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं।

इस सरकार के सत्तासीन होने से आर.एस.एस. और उसके संबद्ध संगठनों को काफी बल मिला है। आर.एस.एस. मूर्ख नहीं है। वह इस अवसर का लाभ उठा रहा है।

ये लोग जानते हैं कि इनके दिन अधिक नहीं हैं, गिनती के हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं तथा उनके निकायों के संगठनिक और सांस्थानिक संजाल पर इनका नियंत्रण और बढ़ा है तथा जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तबसे इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं में से अधिकतर पर अब इन्हीं का नियंत्रण और अधिशासन है। महोदय, अब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का ही

भगवाकरण कर देने की जानी-बूझी नीति अपनाई जा रही है क्योंकि आर.एस.एस. और भा.ज.पा. यह जानते, समझते और मानते हैं कि उनकी विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक यह होगा कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में गहरी पैठ जमाई जाये। अतएव, बिलकुल चुपचाप और उनकी अपनी समझ में - अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से - डॉ. मुरली मनोहर जोशी यह भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, साफ-साफ इरादा यही है कि शिक्षा का उपयोग ...*(व्यवधान)* यदि आप वहां बैठे होते, तो फिर मैंने आपका ही उल्लेख किया होता।

सभापति महोदय, साफ-साफ इरादा यही है कि शिक्षा का उपयोग अपने मत का आरोपण करने के लिये किया जाय और उसे समाज के एक वर्ग विशेष के लिए निबंधित वस्तु की भांति रखा जाए। महोदय, मैं आपको यह बताने के लिये कुछ उदाहरण दूंगा कि इस देश की शिक्षा के मतनिरपेक्ष स्वरूप को - जिसे वर्षों में विकसित और परिश्रमपूर्वक अनुरक्षित किया गया है - कैसे एक ऐसी पंथविशेष - केन्द्रित शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जो स्वाभाविकत: रूढ़िवादी, पश्चगामी और अपरिणामी दिखती है। भा.ज.पा. और आर.एस.एस. का उद्देश्य क्या है? यह बहुत स्पष्ट है। उद्देश्य यह है कि जनमानस में सांप्रदायिकता भरी जाये और लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था पर से जनता की निष्ठा हटायी जाये। अब तो प्रचुर सरकारी संसाधनों पर भी इनका कब्जा है। यह निधि बढ़ाई जा रही है, वह धनराशि बढ़ा दी गयी है और अनुसंधान के क्षेत्र से उसको हटाकर भिन्न क्षेत्रों को अंतरित किया जा रहा है और ऐसा इस देश में अनुसंधान और विकास का विस्तार करने की अपेक्षा सर्वथा इस मात्र से किया जा रहा है ताकि अपना प्रभुत्व कायम रहे। ये लोग 'हिन्दुत्व' के प्रचार के लिए जिसका भाजपा और आर.एस.एस. की विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में एक विशिष्ट अर्थ है, इन निधियों और धनराशि का मुक्तहस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदय, इनके 'हिन्दुत्व' के उपदेश के फैलाव के प्रयोजनार्थ इस देश को बांटने के लिए, इस काम में अब भारत सरकार की पूरी संसाधन शक्ति और देश की पूंजी उपलब्ध है।

महोदय, इनके आक्रमण से आज कोई शैक्षिक या सांस्कृतिक संगठन अछूता नहीं है और अनेक शैक्षिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को, उनमें से अधिकांश को, 'संघ परिवार' का सांप्रदायिक एजेन्डा लागू करने के उपकरणों के रूप में बदल दिया गया है। महोदय, कृपया देखिए कि ये कौन लोग हैं जो आज यह नियंत्रण करने में लगे हैं। इस देश में कई प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थान हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष हैं प्रो. डी.आर. ग्रोवर, जिन्होंने राम मंदिर स्थल वाले मामले पर आर.एस.एस. का बचाव किया था तथा उसकी ओर से बहस की थी। मुझे इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, ये सब निंदित व्यक्ति हैं। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रमुख थे प्रो. सोढ़ी, जिन्होंने अपना स्वतंत्र निर्णय व्यवहार करने का प्रयास किया था। उन्हें अब अंतिम तौर पर हटा दिया गया है। 'भारतीय प्रगत शिक्षा संस्थान' के प्रमुख के पद पर श्री जी.सी. पाण्डेय हैं, जो आर.एस.एस. के ख्यात शुभचिंतक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो अब ज्योतिष और 'वैदिक' गणित के पाठ्यक्रम का रहा है, के पद प्रमुख हैं डा. हरिगौतम, जिनकी आर.एस.एस. से अभिशंसा जग-जाहिर है। 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' में एक सज्जन पिछले 10 वर्षों से नियुक्त हैं। वे भा.ज.पा. के संसद सदस्य हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पर उन्होंने सांप्रदायिकतावादी और विभाजकतावादी शक्तियों के समक्ष समर्पण कर दिया है। उस केन्द्र के एक अन्य सदस्य हमारे संस्कृति मंत्री के अति निकट सहयोगी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के प्रमुख डा. राजपूत है। निस्संदेह, स्कूल-पाठ्यक्रम के भारतीयकरण, आध्यात्मिकीकरण और राष्ट्रीयकरण तथा मूल्याधारित शिक्षा संबंधी उनके विचार सुविदित हैं।

'भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्' के प्रमुख का दायित्व श्री किरीट जोशी संभालते हैं, जो 'धर्म हिन्दुजा इन्टरनेशनल सेंटर' के अध्यक्ष हैं। चलचित्र क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा गया है। 'राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम' के प्रमुख के पद पर हमारे ही एक भूतपूर्व साथी को रखा गया है, जो भा.ज.पा. में चले गए थे। मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता।

कृपया यह देखें कि अभी-अभी यह कैसे बढ़ा है।

अनिवासी भारतीयों के हितों की देखरेख करने के बहाने आर.एस.एस. के एक सक्रिय कार्यकर्ता की नियुक्ति हो रही है अथवा हो चुकी है - हमें नहीं मालूम, माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देंगे - उन्हें वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में अनिवासी भारतीयों के मामलों के सलाहकार के रूप में रखा गया है, किन्तु इनका प्रमुख परिचय यह है कि वे अमरीका में आर.एस.एस. के प्रतिनिधि अर्थात् 'सरसंघचालक' हैं। ...*(व्यवधान)* बेशक, महोदय, ये अपनी सही व्याख्या प्रस्तुत करें।

सभापति महोदय : इस व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, शिक्षा प्रणाली में सांप्रदायिक विचारधारा को किस तरह लाया जा रहा है - यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी यदि आप भा.ज.पा. शासित राज्यों के स्कूलों और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

'बाल भारती' विद्यालयों तथा 'शिशु मन्दिरों' का स्कूल पाठ्यक्रम देखें और सभापति महोदय, यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह कच्ची उमर के बच्चों को इस विषाक्त दुष्प्रचार का शिकार बनाया जा रहा है। यह अत्यावश्यक है कि हम इसे जानें, जो माननीय सभासद इस बात से अवगत नहीं हैं, वे जानें - कि क्या-क्या बात कही जा रही हैं। ...*(व्यवधान)* आप लोग माननीय मंत्री जी से कुछ प्रेरणा क्यों नहीं लेते, देखिए, वे चुपचाप बैठे हुए हैं और नोट्स बना रहे हैं? आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? एक उदाहरण आपके सामने है।

अपराह्न 4.23 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए)**

महोदय, मैं स्कूल-पाठ्यक्रम से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है:

> ''हमारी भूमि को सदैव लोलुप दृष्टि से देखा गया है। इस पर हुए आक्रमण तथा इसके प्रतिरोध की गाथा तीन हजार वर्षों से भी अधिक समय की एक गौरव गाथा है। यह गौरवशाली परम्परा कब आरंभ हुई, यह कहना मुश्किल है क्योंकि उस समय कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी किन्तु, हमारा विश्वास है कि प्रथम मानव इसी धरती पर जन्मा था और वही हमारा पूर्वज था। ये लुटेरे विदेशियों की भांति यहां आये थे, वे मक्खी-मक्छरों की तरह थे जिनको हमने मसल डाला।''

महोदय, अब ये पाठ्यपुस्तकें रज्जू भैया, तरुण विजय, के.सी. सुदर्शन, और स्वदेशी जागरण मंच वाले जे.एस. रौलट जैसे लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं। इस पुस्तक में उन्होंने जो दावे दिए हैं। उनमें से एक यह है कि, ''यह खोज कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, हजारों वर्ष पूर्व विश्व में सर्वप्रथम भारत के वैज्ञानिकों ने की थी। भारत को 'वेदों' के आधार पर ही 'वैदिक राष्ट्र' कहा गया है।''

महोदय, फिर छात्रों को भ्रमपूर्ण बातें सिखाई जा रही हैं, जैसे:

> ''सर्वप्रथम भारतीयों ने ईरान पर अधिकार किया। होमर ने 'इलियड' नामक महाकाव्य लिखते समय वाल्मीकिकृत 'रामायण' को अंगीकार किया। यूनानी दार्शनिक वेदों से प्रभावित थे। मिस्र की परंपरा भारतीय परम्परा पर आधारित थी। आयुर्वेद विश्व का सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा-शास्त्र है और स्वाभाविकत:, इसका विकास भारत में हुआ। हे जगदीश्वर प्रभु! जगतपिता! मुझे वह शक्ति दीजिये कि मैं हिन्दू धर्म की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर सकूं और उसी की सेवा में अपने प्राण दूं। यदि मैं हिन्दू उद्देश्य के लिए अपना जीवन अर्पित न कर पाऊं तो नर्क में जाऊं।''

महोदय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में यह लिखा है। कुछ कक्षाओं के विद्यार्थियों को 'अखण्ड भारत' का चित्र बनाने के लिए भी कहा गया।

महोदय, इसमें आगे लिखा है:

> ''सती प्रथा उस राजपूताने की परम्परा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। जब तक हिन्दू जाति जीवित है, तब तक भारत भी जीवित है और उसकी संस्कृति, ज्ञान, सभ्यता, धर्म तथा सुकर्म प्रबल रहेंगे। हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परम्परा एक है। हमारी जीवनधारा एक है और हमारा इतिहास भी एक है। मुस्लिम वधिक गौओं की हत्या करते हैं। जिन हिन्दुओं ने उनका विनाश किया, वे पूज्य हैं। उनका दोष केवल इतना था कि उन्होंने उनका वध तब किया, जब वे निद्रित थे।''

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, उसका नाम बता दें। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको बता दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। यह पुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. ने प्रकाशित की है या भारत सरकार ने? ...*(व्यवधान)* क्या यह पुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा लिखित और प्रकाशित है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा लिखी गई ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे उस प्रकाशक, संपादक, लेखक और प्रिंटर का नाम पूछना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* आप इन चारों के नाम बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, यदि किसी झूठ को दस बार दोहराया जाता है तो यह सच हो जाता है ...*(व्यवधान)*

उन्होंने माओ त्सुंग की मार्क्सवादी विचारधारावाली किताब से यही सीखा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, एनसीईआरटी का नाम लिया जा रहा है। यह पुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा लिखी हुई नहीं हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं, उसका नाम बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : सभापति जी, हमें इस पुस्तक के प्रकाशक और लेखक का नाम चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा को महिमा मंडित करेगा, तो वह जेल जाएगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): आप हमें इस पुस्तक के प्रकाशक और लेखक का नाम बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सब बताएंगे, आप सुनिए। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): क्या आप रशिया में छपी हुई किताब यहां लाए हो ...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह : हम जानना चाहते हैं कि इस किताब का लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप खड़े क्यों हैं, आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पूछे गए आपत्तिस्वरूप प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : सभापति जी, एनसीईआरटी की किताब में अगर ऐसा लिखा होता तो हमारे सैयद शाहनवाज़ हुसैन ...*(व्यवधान)* ये ऐसा थोड़े ही बोल सकते हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : एनसीईआरटी के ऊपर बहस हो रही है और किताब कहीं और की पढ़ी जा रही है। हम इस किताब के लेखक, प्रकाशक और किताब का नाम जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप किताब का नाम जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पूछे गए आपत्तिस्वरूप प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैंने यह कभी नहीं कहा कि ...*(व्यवधान)* ये अभी तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि विद्या भारती स्कूलों और शिशु मंदिरों में पढ़ाया जा रहा है। मैं उस किताब का नाम और पृष्ठ संख्या बता सकता हूं जिससे मैं उद्धृत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : पहले किताब का नाम तो आप बताइए? ...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : पहले आप किताब का नाम बताइये। ...*(व्यवधान)* इसका प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है वह बताइये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.33 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने तो यह कहा था कि ये विद्या भारती स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं जो विद्या भारती स्कूलों और शिशु मंदिरों में प्रयुक्त होती हैं ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप उस किताब को लाइए और उससे उद्धृत कीजिये। जो किताब है आप उस किताब से उद्धृत नहीं कर सकते जो आपके पास है ...*(व्यवधान)* कृपया हमें बताएं कि वह कौन सी किताब है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप विद्या भारती की उस किताब को लाएं और फिर आप जो कुछ उद्धृत करना चाहते हैं वह करिये ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह किताबों की सीरीज से हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी के संभाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आप अगले वक्ता हैं? जब आपकी बारी आएगी तब आप इसका खंडन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): **इन्होंने सबको**** कहा है। हमें बताइए कि **कौन**** है। सदन में अगर किसी ने ****शब्द इस्तेमाल किया है तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात असंसदीय अथवा आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं बिना व्यवधान के दो वाक्य भी नहीं बोल पाया हूं। मैंने धैर्य रखने के लिए एक विशेष अपील की है। मैंने अनुरोध किया है। मैं जानता हूं कि उस पक्ष के बहुत से मित्र मेरी कुछ टिप्पणियों पर खुश नहीं हो पायेंगे। लेकिन मैंने उनसे धैर्य रखने की अपील की थी। कम-से-कम यहां जैसाकि आपने कहा था कि उनके पास जवाब देने के लिए बहुत से योग्य व्यक्ति हैं ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री सोमनाथ चटर्जी इस सभा के सर्वोत्तम सांसदों में से एक हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि वे किस किताब से उद्धृत कर रहे हैं। मैंने यही पूछा है। इस सभा का यही नियम है ...*(व्यवधान)* लेकिन यह वो किताब नहीं है जिससे आपने उद्धृत किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. मल्होत्रा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह विद्या भारती की पुस्तक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक किताब से पढ़ रहा हूं, जिसका शीर्षक है ''अगेन्स्ट कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एसेज़ प्रेस कॉमेंट्री रिपोर्टिज'' ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन उन्होंने तो विद्या भारती की पुस्तक से उद्धृत किया है। कृपया उस पुस्तक को लाइए और उसी पुस्तक से उद्धृत कीजिये ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : पाठ्य पुस्तकों की सीरीज़ से उद्धरण लिये गये हैं जो विद्या भारती स्कूलों और शिशु मंदिरों में अभी तक प्रयुक्त होते हैं। उन्हें संस्कार सौरभ सीरीज के नाम से जाना जाता है। मैंने जो कुछ भी उद्धृत किया है उसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रख सकता हूं।

समय सीमा में बंधा होने के कारण मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता। मैंने कुछ तो पढ़ लिया है और आपकी अनुमति से कुछ और पढ़ कर सुना दूंगा।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : इस बुक के राइटर और प्रकाशन कौन हैं? ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यदि यह ऐसे पढ़ेंगे तो हम इन्हें कैसे पढ़ने देंगे? ...*(व्यवधान)* किताब का राइटर कोई न कोई जरूर होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी के संभाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार कहा जा रहा है और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"बाबरी मस्जिद पर हुए आक्रमण का दिन वह ऐतिहासिक घड़ी है जिसके याद करते ही प्रत्येक व्यक्ति की आखों में अश्रु आ जाते हैं, जिस पर विजय बिगुल बज उठता है।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बुक का नाम बताने के लिए कहें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बुक का नाम बताया है। आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप इस किताब को खरीदते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और यह भी अच्छा होगा यदि आप इस किताब को पढ़कर देख लें।

महोदय, हमारी संस्कृति एक है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या इसका प्रकाशन 'सहमत' द्वारा किया जाता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां *...(व्यवधान)* महोदय, मुझे गर्व है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को अपनाते हुए अपने अंतिम दम तक लड़ते रहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये 'सहमत' से सहमत नहीं हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया दूसरों को मत उकसाइये। समय बहुत महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं 'सहमत' को सलाम करता हूं और उस सफदर हाशमी को भी सलाम करता है जिसने इस देश में धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने और इस देश और यहां के लोगों की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया। वे हमारा विभाजन करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर यह विभाजन नहीं होने देंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जहां तक संघ परिवार के विख्यात और कुख्यात साम्प्रदायिक एजेंडे के क्रियान्वयन का सवाल है, इनका लक्ष्य इतिहास है।

यही कारण है कि यदि वे इतिहास को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं तो इस जहर को उगलने में वे सफल हो सकते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा इतिहास और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों को हमले का निशाना बनाया गया है।

पिछली इतिहास संबंधी महा सभा में डा. मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय महासभा के प्रति किंचित चिढ़े हुए थे और जबकि प्रो. अमर्त्य सेन को अपना उद्घाटन भाषण देते समय, मैं समझता हूं कि उनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, ने कहा था मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूं:

"समकालीन राजनीति में एक तिर्यक एजेन्डे को खपाने के लिए इतिहास लेखन की जिस तरह से आलोचना की गई है वह एक तिकड़म है।"

उन्हें उद्धृत करते हुए उन्होंने आगे कहा कि:

"इसका एक अपूर्व उदाहरण रामायण की वह व्याख्या रही है, भले ही एक महाकाव्य के रूप में न सही, अपितु उस दस्तावेजी इतिहास के रूप में ही सही जिन पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकार और स्वामित्व में रखे गये स्थानों और स्थलों पर अपना सम्पदा अधिकार जमाये रखने की दुहाई दी जाती है।"

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

उन्होंने आगे कहा कि:

''इतिहास की वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता जिसके लिए सर्वदा विभिन्न तर्कसंगत दृष्टिकोण के प्रति धार्मिक सहिष्णुता अपनाये जाने की आवश्यकता हैं।''

यह विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों को स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे कितना समय दिया गया है ...*(व्यवधान)* इस चर्चा को यहीं खत्म हो जाने दीजिए। मुझे बिना व्यवधान के 15 मिनट का भी समय नहीं मिला ...*(व्यवधान)* तब हम इस चर्चा में भाग नहीं लेते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न पहुंचाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह सभा इस मामले में ऐसा रुख अख्तियार करती है तो मैं नहीं जानता इस देश का भविष्य क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा इस मुद्दे को हमने दैनिक मामले के रूप में नहीं उठाया है।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): यह सब राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : नि:संदेह जो भी यहां हो रहा है, वह राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। संसद में हम किस पर चर्चा करते हैं? आप शिक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हम इसका विरोध करते हैं, आप हम पर अपने उद्देश्यों को थोप रहे हैं। आप में दूसरों की बात सुनने का थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इस देश के शिक्षा जगत में जो भी हो रहा है वह बहुत खतरनाक है। आज पूरी दुनिया द्वारा हमारी हंसी उड़ायी जा रही है। आज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धन उपलब्ध कराकर ज्योतिष पढ़ाने हेतु विश्वविद्यालयों पर दबाव डाल रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि वैदिक ज्योतिष एक विज्ञान है और कर्मकाण्ड, जोकि वैदिक अनुष्ठान हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। वास्तुशास्त्र, योग संबंधी जागरूकता और मिथक वैज्ञानिक पाठन के हिस्से हैं। इसका उल्लेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र में है, आप उसे पढ़ने की मुझे अनुमति दें, चाहे हमारे मंत्री को इससे जो भी चिढ़ हो, मुझे क्षमा करें, मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्या मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र से उद्धृत कर सकता हूं:

''वैदिक ज्योतिष हमारे परंपरागत और शास्त्रीय ज्ञान का केवल एक प्रमुख विषय ही नहीं है बल्कि यह ऐसा विषय है जिससे समय के पैमाने पर मानव जीवन और ब्रह्माण्ड में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और डाक्टर, वास्तुविद, विण्णन, वित्तीय, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषकों जैसे आधुनिक क्षेत्र के पेशेवरों के लिए लाभकारी होगा।''

प्रो. यशपाल जो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य नहीं हैं और यदि वह हैं, तो मुझे इस बात पर गर्व है और बहुत खुशी है। मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा:

''अब हमारे लिए भूवैज्ञानिकों की तुलना में और ज्यादा सही तरीके से भूकम्प की भविष्यवाणी करना संभव हो जाएगा, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी भूआधारित और उपग्रहीय पर्यवेक्षण या गणितीय नमूने के बिना भी और ज्यादा सही भविष्यवाणी की जा सकेगी। हमारे परम्परागत ज्योतिष ज्ञान पर वापस जाने पर सभी अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी। यहां तक कि जो गणित हम पढ़ते हैं वह अब वेदों से ही पढ़ी जाएगी। सिर्फ इतना ही क्यों? हम यह भी कहने में समर्थ हो सकेंगे कि किसी गुन्डे द्वारा पीटे जाएंगे, स्टॉक मार्केट में धन गवाएंगे, चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनेंगे और किसी करोड़पति से शादी करेंगे।

यह सब इसलिए कि कालक्रम में अंतत: हमें सही जानकारी मिलेगी और उससे हम रूबरू होंगे। हां, ज्योतिष कई संस्कृतियों में प्रचलित था और आज भी यह कई देशों में लोगों के मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है। लेकिन क्या, यह वैदिक ज्योतिष है?''

फिर वे कहते हैं:

''यह सुझाव दिया गया है कि डाक्टर, वास्तुविद और कई अन्य पेशे को वैदिक ज्योतिष के अध्ययन से लाभ होगा। हो सकता है कुछ लोग इस क्षेत्र में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए समय निकालने में समर्थ न हों लेकिन रोगों के निदान और उपचार संबंधी अनिश्चितताएं प्रमाण पत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम पाने के बाद ही दूर हो जाएंगी क्योंकि तब हम यह जान जाएंगे कि रोगी के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। वास्तुविद भवन के अंतिम डिजाइन बनाने के पूर्व प्लाट के मालिकों, भावी निवासियों की जन्मकुण्डली देखने की मांग करेंगे। जन्मकुण्डली से उन्हें यह भी पता चलेगा कि उनके ग्राहक के निवास के दौरान बाढ़ या भूकंप तो नहीं आएगा, कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों के बोने, रोपने और काटने की नई रणनीतियों के बारे में सुझाव देने में समर्थ हो जाएंगे क्योंकि उन्हें वर्षा, तापमान भिन्नता, बाढ़, सूखा और चक्रवात के बारे में सही और पूर्व जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने उत्पादों के संभावित मूल्यों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा, और - क्यों नहीं - दूसरे देशों द्वारा पाटन या किसी अन्य कार्य के बारे में भी जानकारी मिलेगी। विश्वविद्यालय से निकले शोधकर्त्ता से आप और कितनी अपेक्षा कर सकते हैं?''

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : हम लोग अमेरिका जाकर योग पर प्रतिबंध लगाएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय उन्होंने आशा व्यक्त की है:

> ''मैं आशा करता हूं कि कोई आत्माभिमानी विश्वविद्यालय ऐसे विभाग शुरू करने के लिए नहीं कहेगा।''

यह दलील दी जा रही है और दूरदर्शन से हमें ऐसे 22 विश्वविद्यालयों का पता चला जिनको पैसों की कमी है, उन विश्वविद्यालयों को ज्योतिष और वैदिक गणित में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आसानी से धन उपलब्ध कराने की पेशकश की जा रही है।

महोदय, इस देश के प्रमुख गणितज्ञ और वैज्ञानिकों ने दूसरे ही दिन एक संगोष्ठी आयोजित की। उन्होंने यह अपील की कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बंद करो। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्योतिष और वैदिक गणित का यह पाठ्यक्रम धार्मिक बहुलवाद के एक विशेष ब्रांड को बढ़ावा देने वाला है और भारत में गणितीय या वैज्ञानिक पाठन के विकास संबंधी किसी सिद्धांत की तुलना में दकियानूसी विचार से जुड़ा है। उन्होने यह भी कहा कि तथाकथित ''वैदिक गणित'' न तो वैदिक है और न ही गणित, उन्होंने कहा कि ''वैदिक गणित'' थोपने का विरोध विशेष रूप से वे लोग करेंगे जो सार्वजनिक शिक्षा पर निर्भर हैं और उन्हें घटिया स्तर की गणितीय शिक्षा प्राप्त होगी जो उनके लिए घातक होगी। महोदय, हमें इस प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने वालों पर गर्व है।

महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रमों के संबंध में हाल में दो सम्मेलन आयोजित किए गए, मैंने एक का उल्लेख किया है। महोदय, यह इस देश में अपनी तरह का अकेला संस्थान बन गया है। यह 'हिन्दुत्व' का प्रसार करने के लिए काफी है। वे किन्हीं नियमों या विनियमों की चिंता नहीं करते। मुझे बताया गया कि वे संस्कृत में बोलना सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। इस पद के लिए योग्यता मात्र यही है कि अपने आवेदन करें। यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने इसे 'रोजगार समाचार' में विज्ञापित किया है। महोदय, वे शिक्षक, जिनमें कुछ आत्म-सम्मान है, वे इस संस्थान को छोड़ रहे हैं। जो इस संस्थान के निदेशक के निकट हैं, उन्हें उस संकाय में नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। यही सब हो रहा है। हम उचित जांच की मांग करेंगे। लेकिन इसकी योजना क्या है? क्या पढ़ाया जाने वाला है?

एक भद्र पुरुष जिनका नाम श्री अतुल रावत है, उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आर.एस.एस. के कार्यकर्ता हैं। वह 'आर्गेनाइजर' में नियमित रूप से लिखते हैं। यह भद्र पुरुष एन.सी.ई.आर.टी. में काम करते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): एन.सी.ई.आर.टी. के बारे में बताइए। उसका पाठ्यक्रम कुछ गलत हो, उसके बारे में स्पैसेफिकली बताइए दादा, हम सुनने को तैयार हैं, एक घंटा सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने अपनी एक रचना में लिखा है कि:

> ''आज जो विश्व की स्थिति है उसके अनुसार यह वास्तविकता है कि इस्लाम के मानने वाले लोग शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के विश्व में जारी अधिकांश संघर्षों के हिस्सा रहे हैं। आतंकवाद रूपी हथियार को सभ्य समाज और विशेष रूप से अन्य समुदायों के लोगों के विरुद्ध अधिकांशत: इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा ही उपयोग या दुरुपयोग किया जाता रहा है।''

ऐसा जहर कैसे फैलने दिया जाए? यह एन.सी.ई.आर.टी. के सलाहकार द्वारा लिखा गया है। मैं पुन: उनकी लेखनी को उद्धृत कर रहा हूं:

> ''इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा मूर्तियों का तोड़ा जाना एक इतिहास में प्रतिष्ठाजनक कार्य माना जाता रहा है। पवित्र कुरान सहित सभी तथ्य सिर्फ एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं और वह इस्लाम में मूर्तियों का तोड़ा जाना एक पवित्र कार्य के रूप में है जैसा कि किसी अन्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं पैगंबर मुहम्मद द्वारा ही किया गया था।''

ये सारी चीजें प्रकाशित की जा रही हैं। मंत्रालय का सचिव भी अपनी तरफ से कुछ लिखता है। मैं नहीं जानता कि कैसे एक सेवारत कर्मचारी जो भारत की संचित निधि से धनराशि प्राप्त कर रहा है, कैसे घास-भूसा और जनविरोधी रचना लिख सकता है। वह कहते हैं:

> ''हमारी बौद्धिक आजादी, पुरातन धर्म को सबसे ज्यादा हानि उनके द्वारा पहुंचाई गई है जिनका एकमात्र पवित्र ग्रंथ है जिससे उन्हें अधिकार प्राप्त होता है।''

ये कौन से धर्म हैं? वह अभी तक कैसे पद भार ग्रहण किए हुए हैं?

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर): श्री एन.सी. चटर्जी हिन्दू महासभा के प्रचारक थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया है तो मुझे इस बारे में कुछ कहना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निस्संदेह वे हिन्दू महासभा में थे, जब उन्हें यह महसूस हुआ था कि उन्हें तभी तक यहां रहना चाहिए जब तक उनकी उपस्थिति का मतलब है। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि आजादी के बाद हिन्दू महासभा की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और वामपंथी दल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थन से इस सभा में आए। इस सभा के लिए उनको चयनित किया गया था।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह सरासर गलत है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। श्री एन.सी. चटर्जी हिन्दू महासभा के अंतिम क्षण तक अध्यक्ष थे। आप अपने पिता के विरोध में कुछ मत बोलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था कि वे उसमें थे। किन्तु उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ...*(व्यवधान)* क्या सभा में वाद-विवाद संचालन का यही तरीका है? ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री एन.सी. चटर्जी मेरे चुनाव में आए थे और मेरे लिए प्रचार भी किया था। उन्होंने हिन्दू महासभा से कभी इस्तीफा नहीं दिया। वे अपने पिता से अलग हो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे श्री एन.सी. चटर्जी 'पुत्र होने' पर गर्व है। मेरा कहना था कि जब उन्हें यह महसूस हुआ कि भारतीय राजनीति में हिन्दू महासभा की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, तो उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों के समर्थन से निर्दलीय सदस्य के रूप में दोबारा वे इस सभा में चुनकर आए। मुझे उन पर गर्व है। इसलिए महोदय, उन्हें कुछ इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं जानता हूं और जैसा कहा गया है कि उनका उद्देश्य इतिहास से तोड़-मरोड़ करना है। वे इसमें विश्वास करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें संबोधित न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय फिर मैं किसे संबोधित करूं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इस सभा में वाद-विवाद के सभी मानदंडों को भी भूल रहे हैं। हम इस सभा में अब आगे कोई गंभीर चर्चा नहीं कर सकते हैं, केवल इसलिए कि मेरे कुछ विद्वान मित्र फिलहाल यहां बहुमत में हैं। मुझे अफसोस है कि कुछ गैर-भाजपाई सदस्य शांत बैठे हुए हैं और उनके व्यवहार पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस तरह का आचरण अशोभनीय है। वे ऐसा सिर्फ सत्ता के क्षणिक सुख के लिए कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यदि वे लोग इस तरह व्यवधान डालेंगे, तो हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में श्री सोमनाथ चटर्जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे याद है कि दो वर्ष पहले जब माननीय मंत्री द्वारा शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, तो उसमें भारत सरकार की अगली संभावित शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए एक पत्र परिचालित किया गया था और जहां तक मुझे मालूम है, उस पत्र को हमारे शिक्षा मंत्री के एक बहुत अच्छे मित्र श्री चितलंगिया ने तैयार किया था। किन्तु, उस सम्मेलन में कई शिक्षा मंत्रियों ने उस पत्र को न केवल स्वीकार करने पर कड़ा विरोध किया, बल्कि उसे किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा तैयार कराए जाने पर भी आपत्ति जताई; और उन लोगों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। यही कारण है कि माननीय मंत्री का उद्देश्य सफल नहीं रहा। अब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए बिना, शिक्षा मंत्रियों से बिना चर्चा किए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) से बिना विचार-विमर्श किए, बिना संसद में बिना बहस कराए और मैं मानता हूं कि परामर्शदात्री समिति या स्थायी समिति से बिना विचार-विमर्श किए अचानक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा परिचालित कर दी गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

अब कुछ भाजपा शासित राज्य बहुत खुश हैं। पाठ्यक्रम की यह रूपरेखा कुछ न होकर वर्तमान सामाजिक संरचना को अक्षुण्ण रखने वाली सांस्कृतिक विविधता पर सुनियोजित तरीके से प्रहार मात्र है। यही कारण है कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसे किसने तैयार किया, कब तैयार किया गया और किसके साथ इस पर चर्चा की गई। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इस देश की विभिन्न सरकारों को इस बारे में बताया जाना चाहिए क्योंकि स्कूली शिक्षा की जिम्मेवारी अंततोगत्वा संबंधित राज्य की सरकार पर ही होती है? अब एन.सी.ई.आर.टी. हिन्दुत्व की विचारधारा वाले अपने ऐसे लोगों के द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम पेश करना है जो अपने ढंग से हिन्दुत्व की व्याख्या करते हैं। भाजपा शासित राज्यों को यह स्वीकार्य होगा ही और वे इसे लागू भी करेंगे। अन्य सभी स्कूलों को जो सी.बी.एस.ई. के अन्तर्गत चलते हैं, समय से ऐसा करने के लिए कहा जाएगा क्योंकि उनको दिया जाने वाला पैसा इस नए पाठ्यक्रम को लागू करने पर ही निर्भर करेगा। इस तरह, स्कूलों को दिए जाने वाले पैसों के कारण या राज्यों में सरकार होने के कारण इसे दबाव देकर लागू कराया जाएगा। यह भारतीय संस्कृति में आर्य समाज की सत्ता को प्रामाणिक बताना और अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत की महत्ता को अधिक बताना इस सरकार और संघ परिवार के राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। हाल ही में, भारत-जर्मनी सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें इनके प्राधिकारियों या निकायों की ओर से भाषण दिए गए थे। उसमें हिटलर और नाजीवादियों के जर्मनी की भूमि-भूमि प्रशंसा की गई थी। हम समझते हैं कि यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को कम करने और शिक्षा को एक संकीर्ण, सांप्रदायिक और पुराणपंथी दिशा देने का ब्लूप्रिंट है। इससे पूरे देश में स्वीकार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्तमान व्यवस्था का उल्लंघन होता है। इसीलिए हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है। मैं चीखने-चिल्लाने वाले लोगों की बातों का उल्लेख करना चाहता था कि यह कैसे हुआ। मैं उन लोगों को चीखने-चिल्लाने वाला ही कहूंगा। अब जो हम देख रहे हैं वह यह कि दिल्ली में हाल ही में सहमत द्वारा आयोजित सम्मेलन में इसकी चर्चा शुरू होने तक सभी लोग शांत थे। मुझे सहमत पर गर्व है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरा तो मानना है कि यहां बैठे हमारे काबिल दोस्त हिन्दू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे बस सत्ता सुख का आनंद उठाने के लिए सरकार को जीवित रखने की मानसिकता को लेकर इसे चुपचाप लागू कर रहे हैं। इसमें यहां बैठे हमारे कुछ मित्रों की भूमिका है। इस पाठ्यक्रम को पूरे जोर-शोर से लागू करने का एकमात्र मतलब हिन्दुत्व का प्रचार-प्रसार करना, धर्म के आधार पर राष्ट्र को विभाजित करना और स्कूली छात्रों के संवेदनशील मनश्चित्र में पंथवाद का जहर उतारना है। यह देश के लिए महाविनाशकारी होगा। हम इसका विरोध करेंगे। हम इस सरकार की शैतानी और घटिया हरकतों का पर्दाफाश करेंगे। हम इसका सभा के अंदर और सभा के बाहर विरोध करेंगे। इस देश में स्वस्थ विचार रखने वाला समाज का कोई भी व्यक्ति जानबूझकर शिक्षा का भगवाकरण करने और इस तरह यहां के सामाजिक जीवन को प्रदूषित करने के ऐसे किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि यह देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे संघ परिवार के साथ अपने संबंधों के कारण सरकार को तथाकथित समर्थन देने की गलतफहमी में न रहें। भविष्य की चिंता करें। हम अपने लड़के और लड़कियों के बारे में सोचें जो बड़े होकर इस देश के नागिरक बनेंगे।

उनका क्या भविष्य होगा? इस देश के परंपरागत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का क्या होगा? कौन ऐसे लोग हैं जो इस देश के गरीबों की स्थिति को संभाल पाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को क्या कोई अधिकार होगा? क्या आपको उनकी भावना, उनकी संवेदनशीलता की कोई चिंता है? शिक्षा के नाम पर पुराणपन्थी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

और धार्मिक कट्टरवाद के वीभत्स रूप को लाने की बात की जा रही है ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैं इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वे इस पर विचार करें; विशेषकर उन लोगों से जो इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं; अनेकता में एकता पर विश्वास रखते हैं, देश को प्रगति के उस मार्ग पर ले जाने में विश्वास करते हैं जिसकी हमारे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी और उसकी आधारशिला रखी थी। उनमें कुछ लोग तो बहुत ही महान थे। ज्योतिष विज्ञान के बारे में स्वामी विवेकानन्द ने क्या कहा था? कृपया इसे देखिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, इस विषय के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है। मैं समझता हूं कि एक घंटा से ऊपर हो चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, बस मुझे एक सेकेण्ड का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा तो हो चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा आप से अनुरोध है कि मेरी बातों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए ...*(व्यवधान)* स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि जो लोग ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते हैं उन्हें डाक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे भोजन ग्रहण करने चाहिए, आराम करना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानन्द के कथन का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा है:-

> ''आप देखेंगे कि ज्योतिष विज्ञान और वे सभी आध्यात्मिक चीजें आमतौर पर दुर्बल मानसिकता का प्रतीक हैं। इसलिए वे जैसे ही हमारे दिमाग पर हावी होने लगे, हमें किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए, अच्छे भोजन ग्रहण करने चाहिए और आराम करना चाहिए।''

भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है:

> ''तारों को टकटकी लगाकर देखना और ज्योतिष विज्ञान, संकेत से शुभ-अशुभ लक्षणों की भविष्यवाणी करना, अच्छे-बुरे का पूर्वानुमान लगाना, ये सभी चीजें त्यागने योग्य हैं।''

वे भगवान गौतम बुद्ध से उपदेश नहीं लेते। वे अब स्वामी विवेकानन्द को भी भूल रहे हैं। अब उनके पास राजपूत हैं, सुदर्शन हैं, और न जाने कौन-कौन हैं जो इस देश की एकता, इसके परंपरागत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वे इस देश में हिन्दू राष्ट्र कायम करने में लगे हुए हैं। ऐसा इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होगा जिसे कि इसे सहन किया जा सके। मैं उन्हें बता सकता हूं कि जनता ऐसे लोगों को समझने लगी हैं। मेरे मित्र, आज आपने इस देश में नैतिक और राजनैतिक समर्थन सब खो दिया है। आपके प्रधान मंत्री इस्तीफा देने की धमकी दे रहे है। इस देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ...*(व्यवधान)* यह सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। यह घोटालों का सरकार बन चुकी है। यह एक ऐसी सरकार है जिसे इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसने जो रास्ते और विधियां अपनाई हैं उनका माध्यम शिक्षा ही है। वह इसके माध्यम से देश में जहर फैलाने की कोशिश कर रही है। इसमें उसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, पहली बार मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण से इतनी निराशा हुई। एक घंटा 10 मिनट के भाषण में उन्होंने एक भी शब्द, एक भी वाक्य सैफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं कहा। ये दो पुस्तकें

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी.

[हिन्दी]

की हैं

[अनुवाद]

नेशनल करियवयुकलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एण्ड सैलिएन्ट फीचर्स एण्ड समरी

[हिन्दी]

सेलिएंट फीचर्स एंड समरी, जितना कुछ इन्होंने कहा है, उसका एक शब्द इन पुस्तकों में कहीं पर नहीं है। आप कहें तो मैं इन सब को उद्धृत कर सकता हूं। सोमनाथ चटर्जी जी, मुझे हैरानी है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शिक्षा के राजनीतिकरण के बारे में बात कैसे कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक कैडर की मरजी के बिना नहीं लग सकता। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की किताबों को बदलकर उन पर दबाव डाल कर उनकी यहां तक

हालत कर दी कि उनको यह कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि हम माइनोरिटी हैं, कृपया हमें इनसे बचाइये। ये हमारा पूरा का पूरा वामपंथीकरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैस्ट बंगाल में क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी क्या इतिहास पढ़ा रही है - मुझे आश्चर्य होता है जब कांग्रेस पार्टी वाले इस पर तालियां बजाते हैं। यह वहां 1942 का इतिहास पढ़ाते हैं। उसमें लिखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर आन्दोलनों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, *...(व्यवधान)* ब्रिटिश सरकार की 'ट्रांसफर आफ पावर' में जो रहस्य प्रकाशित हुए हैं, उससे पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उस समय कांग्रेस के नेताओं को, क्रांतिकारी नेताओं को ढूंढ-ढूंढकर पुलिस के हवाले कर रहे थे, उनको फांसी पर चढ़वा रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): यह सरासर गलत है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में डा. मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चन्द्र बोस जी को ** नहीं कहा था? महात्मा गांधी को इम्पीरियलिस्ट एजेन्ट कहा या नहीं कहा, यह बताएं। आज महात्मा गांधी जी नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनके रास्ते को छोड़ दिया इसलिए सोनिया गांधी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करने जा रही हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कम्युनिस्टों ने 1942 के आंदोलन का पूरा विरोध किया। उसका विरोध करके अंग्रेजों का साथ दिया। हिन्दुस्तान और चीन की लड़ाई में चीन का साथ दिया। ये लोग बिल्कुल उल्टा इतिहास पढ़ाते चले जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी को कम से कम दस बार इनका साथ देने से पहले सोचना चाहिए था। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मैं सहमत पर गर्व करता हूं। सहमत ने बड़ा भारी काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर तालियां बजा रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं, बाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण में आप श्रद्धा रखते हैं और हर रामलीला में आप लोग जाते हो इनकी नेता सोनिया जी से लेकर हर कांग्रेस नेता रामलीला में जाता है पर सहमत वाले यह सिखाते हैं कि राम और सीता दोनों भाई-बहन थे, तो क्या भाई-बहन का विवाह हुआ था? सरकार के पैसे लेकर यह सब जगह प्रदर्शित किया जाता है। यह है सहमत, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। जो कुछ सहमत ने बताया *...(व्यवधान)* कृपया समझने की कोशिश करें। आप लोग क्या कर रहे हैं, यह देखें। भारतीय संस्कृति पर ये प्रहार कर रहे थे। क्या राम और सीता दोनों भाई-बहन थे, इसको आप मानते हैं?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों पर आता हूं, जिनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। अभी आपने कहा कि नैतिक शिक्षा लागू कर रहे हैं। ये हिटलरवाद, फासीवाद ला रहे हैं। नैतिक शिक्षा हिन्दुस्तान में प्रसारित की जा रही है और उसके माध्यम से ये हिन्दुत्व लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त स्थायी समिति का गठन हुआ है। जिसके सभापति कांग्रेस के एक प्रमुख नेता श्री एस.बी. चव्हाण थे। उस समिति में दोनों सदनों के 45 सदस्य थे। जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य शामिल थे। उन्होंने सर्वसम्मत रिपोर्ट दी है। यहां दोनों सभाओं की रिपोर्ट मौजूद है। उस समिति ने जो सिफारिशें की, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और उसके साथ ही एन.सी.ई.आर.टी. की किताब भी पढ़कर सुनाना चाहूंगा। दोनों में एक शब्द का फर्क नहीं है। क्या एन.सी.ई.आर.टी. का यह गुनाह है कि श्री एस.बी. चव्हाण की अध्यक्षता वाली स्थाई संसदीय समिति में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने, मुस्लिम सदस्यों ने जो सर्वसम्मत रिपोर्ट दी उसके आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट बनाई और यहां पर उसको आप लोग कह रहे हैं कि हिन्दुत्व का प्रोपेगंडा हो रहा है। *...(व्यवधान)* मैं उसमें से पढ़ूंगा। मैं आपकी तरह से सहमत नहीं पढ़ रहा हूं। मैं स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं। यह 1999 की है, उसके बाद एन.सी.ई.आर.टी. का ड्राफ्ट किया गया। मैं दोनों पढ़कर सुनाता हूं। यह रिपोर्ट का प्रीफेस है।

मैं उद्धृत करता हूं:

> "हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दुविधाग्रस्त स्थिति में स्वयं को एक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

चौराहे पर खड़ा पाती है और उसे कुछ नहीं सूझता कि वे किस राह को चुनें।'' दुनिया में अपने देश की स्थिति को संरक्षित करने, बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि एक मूल्यों पर आधारित व्यापक शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। यह पूर्व-प्राथमिक स्तर से आरम्भ हो और इसे शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण परिदृश्य में अपनाया जाना चाहिए, समिति यह जानती है.....

[हिन्दी]

उन्होंने पहले की समितियों को उद्धृत किया है। 1948-49 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। 1964, 1966, 1968 में जब एजुकेशन पालिसी बनी, तो उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। 1992 में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। इनको उन्होंने उद्धृत किया है। इन सब समितियों ने कहा है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वैल्यु-बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए और इसे पढ़ाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्होंने आगे कहा है:

''प्राचीन काल में गुरुकुलों में प्राथमिक रूप से छात्र के चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। आज के समय में, विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों में व्यवसायिक स्तर तक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है न कि मूल्यों पर....''

''सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम और अहिंसा ये सब मूल सार्वभौमिक मूल्य हैं, ये वह नींव के पत्थर हैं जिन पर मूल्यों पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम की इमारत का निर्माण होना है.....''

[हिन्दी]

इस कमेटी में 45 सदस्य हैं और उस रिपोर्ट को आप कन्डैम कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। सबसे पहले, इस समिति के अध्यक्ष श्री शंकर राव चव्हाण थे जो कि इस सभा के सदस्य नहीं थे। यह शिक्षा सम्बन्धी स्थाई समिति थी और शिक्षा संबंधी उस स्थाई समिति ने भी सभापति के दृष्टिकोण के अनुसार रिपोर्ट नहीं दी है। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

इसके अतिरिक्त, जो कुछ यहां पढ़ा गया उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। यह मूल्यों पर आधारित शिक्षा है। 1986 में इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी कि छात्रों को नई प्रकार की शिक्षा कैसे दी जाए। मैं भी उसका सदस्य था। मैं उस समिति में विज्ञान मंत्रालय की ओर से था। उस समिति में इस पर चर्चा की गई थी कि तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा देना तो असंभव नहीं है परन्तु मूल्य आधारित शिक्षा देना बहुत मुश्किल है और हमें इसके लिए बहुत गहराई में जाना होगा। इसके अलावा मूल्यों पर जोर दिया गया है। यदि किसी भी धर्म के बारे में कोई उल्लेख किया गया था तो किसी एक धर्म के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। उसमें कहा गया है ''सभी धर्म''। यह जीवन के प्रति बुहत्ववादी नजरिया है। इसका उल्लेख इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उसी पर आ रहा हूं *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। उन्हें उद्धृत करने दें। यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है। यह श्री शंकर राव चव्हाण द्वारा हस्ताक्षरित है। उसमें कहीं भी असहमति नहीं दर्शाई गई है। सभी दलों के माननीय सदस्य उसमें थे। मैं उनके नाम बता सकता हूं। उनमें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। यदि उस रिपोर्ट और एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम के प्रारुप में से कुछ उद्धृत किया जाता है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? यही मेरा प्रश्न है *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : आप आपनी बात कह चुके हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि इसका कोई गलत प्रभाव न पड़े। श्री शंकर राव चव्हाण एक दल से थे परन्तु उस समिति के सभी सदस्य एक ही दल के नहीं थे। अब मूल्य-आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है, बहुलवाद पर जोर दिया गया है और आपत्ति यह है कि आप एक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हम एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं परंतु इस बहस में आपत्ति यह है कि यदि आप केवल एक धर्म पर जोर देंगे तो फिर इसका कोई अंत नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इस हाउस के स्पीकर रहे हैं और यह इसका इतना गलत इंटरप्रटेशन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे कहने दें। अब मुझे अपनी बात कहने दें। आप यह क्या बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में और एन.सी.ई.आर.टी. की रिपोर्ट में मुझे फर्क बता दीजिए। ...*(व्यवधान)* अब मुझे इसे उद्धृत करने दें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : अब मैं किसी पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब आप श्री शंकर राव चव्हाण के बारे में कहते हैं, वह स्थायी समिति से हैं ...*(व्यवधान)* आपको कहना चाहिए 'शिक्षा संबंधी समिति'।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने रिपोर्ट दे दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह बात उस कमेटी रिपोर्ट के शुरू में है, जो उन्होंने चेयरमैन के तौर पर लिखी है, उसे सुन लीजिए।

> ''मैं मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सभापति.....''

श्री शिवराज वि. पाटील : आप स्थायी समिति कहिए न कि शंकर राव चव्हाण समिति।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल स्थायी समिति है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यही कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्टैंडिंग कमेटी के 45 मेम्बर, दोनों सदनों के मेम्बर सारी पार्टियों के मेम्बर. आप कह रहे हैं इनकी कमेटी है।

[अनुवाद]

यह सदन की समिति है।

श्री शिवराज वि. पाटील : आपने ऐसा कहा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने केवल स्थायी समिति कहा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, इन्होंने पहले एक सब-कमेटी बनाई। उसमें इसे ड्राफ्ट किया। फिर वे इसे बड़ी कमेटी में ले गए, उसने इसे पास किया। फिर उसे हाउस में लाकर रखा। यह इन्होंने जनवरी 1999 में पेश किया और नीचे श्री एस.बी. चव्हाण, चेयरमैन, सो एंड सो लिखा है। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि इन्होंने रिलीजस एजुकेशन की बात भी की है। इन्होंने कहा है सारे रिलीजन्स की शिक्षा दी जाये - उसमें जो कुछ कहा है, सौ प्रतिशत उसी पर आधार करके, अगर एन.सी.ई.आर.टी. ने कोई रिकमेंडेशन बना दी तो क्या हिन्दुत्व आ गया, देश को बर्बाद कर दिया। देश के टुकड़े कर दिए। नाजीवाद, फासीवाद आ गया। क्या कहा जा रहा है? रोज म।धवराव जी शिकायत करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। अगर एन.सी.ई.आर.टी. ने किसी स्टैंडिंग कमेटी को सीरियसली लेकर, उन्हीं की रिकोमेंडेशन पर पूरी तरह से आधारित अपनी एक रिकोमेंडेशन दे दी तो उसमें आफत कहां से आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): गौरव गाथा और इतिहास गाथा में क्या लिखा है, यह बताएं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हां, मैं बता दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गौरव गाथा क्या है, इतिहास गा रहा है उसे मैं अभी आपको पढ़ कर सुनाउं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अभी हम एन.सी.ई.आर.टी. और उनकी किताबों पर बहस कर रहे हैं। सरकार की पुस्तकों में भगवाकरण के बारे में बहस कर रहे हैं। मस्जिदों, मदरसों और मंदिरों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है। यहां कोई यह बहस नहीं कर रहा कि कौन अपने स्कूल में क्या पढ़ाता है। मदरसों में सैफ्रनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। वहां जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं उसे कोट करने लगूं तो आपको कठिनाई होगी। तालिबान को क्या पढ़ाया जा रहा है, यह सवाल यहां पैदा नहीं हो रहा। आपके सामने सवाल यह है कि सरकारी तौर पर भगवाकरण क्या हो रहा है? सोमनाथ जी ने भड़काने की बड़ी कोशिश की। उनका सारा भाषण यह था कि हमारे सहयोगी हमारे साथ क्यों लगे हुए हैं? हिन्दू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं। चव्हाण साहब की कमेटी में ये सब भी मेम्बर थे, आप भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर भी थे।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

[अनुवाद]

यहां तक कि कम्युनिस्ट सदस्य भी वहां थे। मुस्लिम सदस्य वहां थे।

[हिन्दी]

उन्होंने लिखा है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी धर्मों की शिक्षा दो। प्रत्येक धर्म की जानकारी दो, प्रत्येक धर्म की अच्छी चीजों की शिक्षा दो, यह उसमें कहा है। किस ने कहा है कि केवल एक हिन्दू धर्म की शिक्षा दो। इसमें भी वही बातें कही गई हैं, जो उसमें कही हैं। मैं इसलिए कहना चाहता था, आप लोग यहां प्रेतछाया का हौवा खड़ा कर रहे हैं। पता नहीं समाचार पत्रों में ठीक आया या नहीं। यूथ कांग्रेस की रैली में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा गई थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का साम्प्रदायीकरण हो रहा है। शिक्षा की किताबों में साम्प्रदायिकता की चीजें डाली जा रही हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये शब्द किस आधार पर कहे। अभी तक एक भी एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई आरोप अगर है तो यह है कि परिवर्तन क्यों नहीं किया? वह आरोप सही होता। जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं क्या वे आपने देखी हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार और अंग्रेज इतिहासकार दोनों की यह साजिश थी कि यह दिखाओ कि हिन्दुस्तान के पूर्वजों की कोई संस्कृति नहीं थी, वे अनपढ़, मूर्ख, झगड़ालू और गडरिये थे और गडरियों के गीत ही वेद और उपनिषेदों में हैं। यह सब कुछ पढ़ाने की उनकी साजिश थी।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या आप उसे यहां उद्धृत करेंगे?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं बिना उद्धृत किए कुछ नहीं कहूंगा। मैं उसे उद्धृत करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

उद्धृत करने से पहले मैं यह कह रहा था कि यह एक साजिश थी क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि अगर वे कहेंगे कि भारतीय बड़ी महान संस्कृति के लोग थे तो हिन्दुस्तान में उनका रहना कैसे हो सकेगा। कम्युनिस्टों को मालूम है कि जिस देश का राष्ट्रवाद, जिस देश की संस्कृति महान होगी वहां साम्यवाद नहीं होगा। इसलिए दोनों ने मिलकर यह साजिश रची कि यह दिखाओ कि न तुम्हारा इतिहास था न संस्कृति थी। यह पुस्तक मेरे हाथ में है।

[अनुवाद]

इसे 'इतिहास और नागरिक शास्त्र' कहते हैं। यह रोमिला थापर द्वारा लिखित एक पाठ्य पुस्तक है।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या यह एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह एन.सी.ई.आर.टी. की ही पुस्तक है।

[हिन्दी]

...(व्यवधान) सहमत नहीं पढ़ रहे हैं, एन.सी.ई.आर.टी. की किताब पढ़ रहे हैं। दुनिया के प्रमुख इतिहासकारों ने कहा है कि "आर्य लोग बाहर से आये, आक्रमणकारी थे।" यह थ्योरी गलत है। हिन्दुस्तान में आर्य लोग रहते थे, यह थ्योरी मान्य होनी चाहिए। एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक कोट करता हूं:

[अनुवाद]

> "आर्य भारत में बाहर से आए थे, शायद उत्तर-पूर्वी ईरान या कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से। आर्य पशुपालक खानाबदोश के रूप में आए, यानि वे बड़ी संख्या में मवेशी रखते थे। यह उनके जीविकोपार्जन का साधन था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहते थे।" और बाद में जो कहा गया है वह बहुत आपत्तिजनक है? "सत्य तो यह है कि विशेष अतिथियों के लिए सम्मान के रूप में गाय का मांस परोसा जाता था, यद्यपि बाद की शताब्दियों में ब्राह्मणों के लिए गौ-मांस खाना वर्जित कर दिया गया।"

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा को चुनौती देता हूं वे किन्हीं भी इतिहासकारों के पास जाएं और अगर इसे गलत पाएं तो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आर. शर्मा ने अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखा है कि

[अनुवाद]

> ''उन्होंने प्राचीन समाज का तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सशक्त पाठ प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि प्राचीन समय में लोग गो-मांस खाते थे।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के 8 करोड़ बच्चों को क्या यह पढ़ाया जाना चाहिये कि तुम्हारे पूर्वज गो-मांस खाते थे। *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : खाते थे तो पढ़ाने में क्या हर्ज है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब मैं बोल रहा था, उस समय आपने इस बारे में सुना नहीं। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने सुना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जी, हां। मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई मुझ से पूछे कि हिन्दू धर्म का बड़े से बड़ा स्वरूप क्या है तो मैं गो रक्षा ही बताऊंगा। गो रक्षा हिन्दू धर्म की दुनिया को दी गई बख्शीश है। हिन्दू धर्म तब तक रहेगा जब तक गो रक्षा करने वाला हिन्दू रहेगा। मेरे विचार से गो रक्षा का सवाल स्वराज्य के प्रश्न से भी बड़ा है। कई बातों पर मैं इसे स्वराज्य से बड़ा सवाल मानता हूं।

गाय की सब लोग पूजा करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कौन है जो यह कहे कि मेरे पूर्वज गोमांस खाते थे। क्या कांग्रेस के लोग गाय की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं? आप अपने बच्चों को ऐसा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, अगर इतिहास की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैस्ट बंगाल की सरकार ने 1989 में एक सर्कुलर निकाला और उसमें कहा कि इतिहास में ये बातें मत पढ़ाओ जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। मैं उसे कोट भी कर सकता हूं। उसमें कहा गया कि बाहर से आने वाले मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़ा यह मत पढ़ाओ। यह मत पढ़ाओ कि वे लोग अन्याय या अत्याचार करते थे या जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करते थे। उन्होंने यह इसलिए किया होगा जिससे हिन्दू मुसलमानों में वैमनस्य न बढ़े। आप मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे लेकिन 84 करोड़ हिन्दू जिस गाय को माता मानते हैं, उनके बारे में लिखेंगे कि इतिहास में यह कहा गया है कि वे गो मांस खाते थे। क्या ये किताबें जबर्दस्ती बच्चों को पढ़ाओगे और उनके गले के नीचे उतारोगे। कोई भी अपनी किताब छापे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतिहास लिखो और थीसिस लिखो, परन्तु पाठ्य पुस्तकों में यह ठीक नहीं है। क्या यहां बच्चों को जबर्दस्ती ये चीजें पढ़ाई जाएंगी? गुरु तेग बहादुर महाराज के बारे में जो कहा गया, बराड़ जी आप इस बात को नोट करें। उनके बारे में जो लिखा गया उसे लेकर सिखों ने एन.सी.ई.आर.टी. पर केस किया। पाठ्य पुस्तक में कहा गया कि गुरु तेगबहादुर जी की हत्या इसलिए की गई कि उनके परिवार वालों में उनके गुरु बनने पर कोई मतभेद था।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): ऐसा कहां लिखा है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आर. शर्मा जी की लिखी पाठ्य पुस्तक में लिखा है। मैं उसमें से पढ़ देता हूं। उसके बाद उन्होंने केस किया। एक महापुरुष अपना बलिदान देने के लिए 300 मील चल कर आया उसके बारे में कहा जाता है कि यह मत पढ़ाओ कि गुरु तेगबहादुरजी का सिर अलग किया गया, यह मत पढ़ाओ कि गुरु अर्जुन देव को किस तरह उबलती रेत में डाला गया, भाई मतिदास को आरे से चीरा गया, भाई दयाल दास को उबलते कड़ाही में डाला गया - यह मत पढ़ाओ। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : यह कहां लिखा है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अन्य मिथ्या बातें बता देता हूं। जब भगवान महावीर के बारे में अनुचित कहा गया तो जैनों ने एक केस डाला। हमारी पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में सर्व धर्म समभाव, सर्व पंथ समभाव का सिद्धांत

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

होना चाहिये। नैगेटिव चीजें न पढ़ाई जाएं। परन्तु हिन्दुओं के बारे में सब गैगेटिव पढ़ाओ ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : आप फिर मामला टाल रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अभी पढ़ देता हूं और नाम भी बता देता हूं।

श्री जे.एस. बराड़ : यह प्रमाणित किताब नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कोट करता हूं।

[अनुवाद]

''सतीश चंद्र की पुस्तक मैडिवल इंडिया ऑफ गुरु तेगबहादुर किलिंग बाई दि मुगल्स में कहा गया है - सिख परम्परा के अनुसार उनके (गुरु के) परिवार वालों ने उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद किया और फलस्वरूप उनके षडयंत्र के कारण उनकी हत्या हुई। खिन्न सिखों ने एन.सी.ई.आर.टी. पर मुकदमा कर दिया।''

[हिन्दी]

जैनियों ने मुकदमा किया क्योंकि इस पुस्तक में कहा था कि 12 वर्ष तक भगवान महावीर भटकते रहे और उन्होंने 12 वर्ष तक कपड़े नहीं बदले, बाद में उन्होंने सभी वस्त्रों का त्याग कर दिया। ...*(व्यवधान)* इतिहास में होगा या नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है।

श्री जे.एस. बराड़ : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में जितने इतिहासकार हुये हैं, वे यह प्रमाणित नहीं कर सके कि हिन्दू धर्म के लिये गुरु तेग बहादुर जी ने यहां .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इससे सहमत हैं।

श्री जे.एस. बराड़ : एक मिनट। यदि वे इससे सहमत होते तो, मुझे खुशी होती। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यही तो मैं कह रहा हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हिन्दुस्तान के महानतम पुरुष का बलिदान था और उसे इस गलत ढंग से पेश किया गया।

श्री जे.एस. बराड़ : अगर किसी ने मज़हबों में तरफीकात पैदा करने के लिये कोई टिप्पणी की है तो उस टिप्पणी को .....

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : एन.सी.ई.आर.टी. की किताब में है, वही बता रहा हूं।

श्री जे.एस. बराड़ : यह कौन सी किताब में लिखा है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने नाम बताया है।

श्री जे.एस. बराड़ : पहले कहा गया कि किताब की कोई प्रामाणिकता कहां है?

[अनुवाद]

वे कृपया इसे सभा पटल पर रखें।

[हिन्दी]

जिसके खिलाफ प्रीवलेज है। यह आप गलत बात कर रहे हैं। यू.आर. मिसकोटिंग।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं एन.सी.ई.आर.टी. की किताब का हवाला दे रहा हूं जिसे श्री शर्मा ने लिखा है।

श्री विजय गोयल : बराड़ साहब, यह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके विरोध में नहीं जा रहे हैं।

श्री जे.एस. बराड़ : जिस चीज को कोट किया गया है, उसे वह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, एन.सी.ई.आर.टी. की जो किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, उसमें यह लिखा गया था। जैनियों के बारे में लिखा गया था और कुछ टिप्पणियां थीं। उस पर मुकदमे हुये जिसे सुधारने की कोशिश हम लोगों ने की है कि ये गलतियां हैं, इन्हें सुधारो।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इसलिये ही कह रहा था। सबसे बड़ी शिकायत सोमनाथ बाबू ने यह की कि संस्कृत पढ़ाई जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने ऐसा नहीं बोला।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कहा गया कि सभी संस्कृत के लोग रखे जा रहे हैं। संस्कृत के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें की गई हैं कि इसे पढ़ाने से हिन्दुत्व आ जायेगा, धर्म आ जायेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : अध्यक्ष जी, यहां सारा कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है। मुद्दा कुछ है, बात कोई और की जा रही है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत का पढ़ाना सैकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। डा. अम्बेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था संशोधन मूव किया था। उनके साथ चार सदस्य और भी थे लेकिन वह संशोधन पूरा नहीं हो सका कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि यह कहना कि संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है, स्पोकन संस्कृत के टीचर्स लगाये जा रहे हैं, इससे हिन्दुत्व ला देंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : बोले जाने वाली संस्कृत को लेकर आप अध्यापकों की भर्ती करने जा रहे हैं। इसके लिए योग्यता केवल *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इसमें गलत क्या है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका क्या उद्देश्य है? *...(व्यवधान)* क्या बोलचाल की संस्कृत, संस्कृत का अध्ययन नहीं है? कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जा रही है *...(व्यवधान)*। उद्देश्य कुछ और है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के मित्र पं. जवाहरलाल नेहरू में श्रद्धा रखते हैं, शायद गांधी जी में न रखते हों। पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था:

[अनुवाद]

> "अगर मुझसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसकी सबसे बड़ी धरोहर क्या है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहूंगा कि सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ी धरोहर संस्कृत भाषा तथा साहित्य और उसका वाग्डमय है। यह हमारी अनूठी विरासत है ....."

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : केवल श्री नाथूराम गोडसे ने ही ये पंक्तियां नहीं पढ़ी। सभी ने *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा है:

> "यह हमारी अनूठी विरासत है और जब तक यह बनी रहेगी और जब तक यह हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहेगी तब तक भारत की मूलभूत प्रतिभा भी बनी रहेगी। अगर हमारे लोग बुद्ध को भूल जाएं, उपनिषद और महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) को भूल जाएं तो भारत भारत न रहेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने सोमनाथ बाबू का सारा भाषण सुना है। संस्कृत, भारतीय संस्कृति, उपनिषदों के खिलाफ कह रहे थे कि यह पाखंड है, औब्स क्योरिटिज्म है। पोंगापंथी है और हमारे जो महाकाव्य हैं, आप अपना भाषण निकालकर पढ़ लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तव में आप पाखंड के साक्षात अवतार हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अभी कहा गया था, उसका बड़ा जिक्र किया गया था और सबने बड़ी तालियां बजाई थीं। श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने बहुत आपत्ति की कि ज्योतिष पढ़ाई जा रही है। ज्योतिष अभी नहीं पढ़ाई जा रही है। सैकड़ों सालों से ज्योतिष संस्कृत में पढ़ाई जा रही है। श्री जवाहर लाल नेहरू जी के समय में पढ़ाई गई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में पढ़ाई गई। संस्कृत भाषा में ज्योतिष 20 यूनिवर्सिटीज में उस समय भी पढ़ाई जा रही थी। तब आपको नहीं लगा कि ज्योतिष पढ़ाने से बड़ी गड़बड़ हो रही है, तब ऐसा कुछ नहीं था। ज्योतिष में कांग्रेस के एक बड़े नेता गोस्वामी गिरधारी लाल जी ने पी.एच.डी. की और ज्योतिष शास्त्र में की। उस समय ज्योतिष यूनिवर्सिटी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री गोस्वामी गिरिधारी लाल ने विज्ञान कांग्रेस में खगोल विज्ञान पर जोर दिया था, ज्योतिष पर नहीं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वही ज्योतिष अब पढ़ाई जा रही है।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): तो फिर पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्योतिष पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं करता। परंतु अगर कोई आदमी ज्योतिष पढ़ना चाहे, वह 20 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही है और विदेशों में 30 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाए, तो इसमें क्या आपत्ति है। कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई किसी को नहीं कह रहा है कि इसे आप जबरदस्ती पढ़ो। परंतु अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। यह पिछले 50-100 सालों से पढ़ी जा रही है। अब अचानक क्या हो गया। अब अचानक ज्योतिष की बात आते ही क्यों इतना बबाल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कर्मकाण्डों की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई यहां है, कोई मुझे बता दे, कोई कांग्रेस का नेता हो, उनमें दो-चार को छोड़ दें, जिसने कोई सिविल मैरिज की हो, लेकिन क्या कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह बिना कर्मकाण्ड के हुआ हो *...(व्यवधान)* एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

डा. राम चन्द्र डोम : एस्ट्रोनोमी साइंस है, एस्ट्रोलोजी साइंस नहीं है, वह अलग है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सभी कांग्रेसियों को हिन्दू होने की आवश्यकता नहीं है। यहां मुस्लिम हैं और यहां अन्य जातियों तथा समुदायों के भी लोग हैं। हम जाति प्रथा से मुक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, वे अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रो. मल्होत्रा कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई कांग्रेसी हिन्दू बता दे या कम्युनिस्ट बता दे, कोई ऐसा है। अपने विवाह संस्कार को महात्मा गांधी ने पूरे कर्मकाण्ड से किया सात फेरे लेने को ग्लोरीफाई किया। ऐसे किसके पूर्वज होंगे जिसका अंतिम संस्कार कर्मकाण्ड के बिना हुआ हो। क्या कोई है। अगर कोई यह कहे कि कर्मकाण्ड करते समय संस्कृत के श्लोक ठीक तरह से आने चाहिए, उन्हें ठीक तरह से पढ़ना चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा में मुद्दों पर चर्चा करने का यही तरीका है? डा. राम चन्द्र डोम बहुत हो गया। आप क्या कर रहे हैं? बीच-बीच में टीका-टिप्पणी क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसी का विरोध किया, उन्होंने कहा कि यह हिन्दुस्तान को बबांद कर देगा, यह हो जायेगा, भारत तबाह हो जायेगा, अगर इसे पढ़ा दिया गया। महोदय मैं विदेश भी गया हूं, आप सभी गये हैं। वहां हजारों मंदिर बने हैं और उन मंदिरों में लोग कहते हैं कि कोई कर्मकाण्ड जानने वाला पंडित भेजो। जो कर्मकाण्ड जानता हो और जो हमारे संस्कार कराये। हिन्दुस्तान के 84 करोड़ हिंदू जो कर्मकाण्ड से संस्कार करते हैं, यदि उन्हें कोई उसकी शिक्षा दे तो यहां कौन सी आफत या जायेगी। बड़े जोर से इस बात का प्रचार हो रहा है कि आकाश गिर रहा है, पहाड़ गिर रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): आपके पास कोई बहाना नहीं है और आप कोई तर्क नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई आकाश नहीं गिर रहा है। बल्कि जो कम्युनिस्टों की साजिस थी, षड्यंत्र था, वह ध्वस्त होने जा रहा है, वह टूट रहा है। कम्युनिस्टों ने पचास साल तक हिन्दुस्तान के इतिहास को कलंकित किया, हिन्दुस्तान को गलत इतिहास पढ़ाया और पैरासाइट्स बनकर, सरकार के करोड़ों रुपये लेकर, सारे हिन्दुस्तान के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, टिटहरी जब आकाश में चलती है तो वह सोचती है कि आकाश गिर रहा है और वह उल्टे पैर करके सोचती है कि मैं आकाश को रोक रही हूं। कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले परिवर्तन को रोक नहीं पाएगी, कोई इसे रोक नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पिछले 50 सालों से

चलता आया है अब वह नष्ट हो रहा है कुछ और बातें इन्होंने कही, कौन कहता है कि वैदिक गणित ऐसे ही बिना गणितज्ञों से पूछे हुए, पढ़ा दिया जाएगा? बहुत सी बातें सोमनाथ जी ने पढ़कर सुनाई कि वहां पर पुस्तकों में भारत के अतीत को गलत ढंग से लिखा है, फलां जगह पर यह लिखा है और हम गलत प्रचार उसका कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम भारतीय लोगों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती गिनना सिखाया जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी।

[हिन्दी]

क्या यह मुरली मनोहर जोशी जी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है या सुदर्शन जी ने लिखा है? यह लिखा है अलबर्ट आइंस्टाइन ने। अब आइंस्टाइन को भी आप वैज्ञानिक न मानें तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

महोदय, मार्क ट्वेन ने कहा था, भारत मानव जाति का पालना है; इतिहास की जननी है; किंवदंती की दादी है और परम्परा की पड़ दादी है। मानव इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रेरणादायक सामग्री भारत में ही है।

महोदय, पुन: मैक्समूलर ने अपनी सैक्रेड बुक आफ दि ईस्ट में कहा था; यदि मुझे समस्त संसार में एक ऐसे देश का पता लगाना हो जिसमें सभी प्रकार की समृद्धि हो जिसे प्रकृति ने अत्यधिक प्रचुर मात्रा में कुछ भाग में शक्ति और सुन्दरता प्रदान की है - जो धरा का स्वर्ग है - तो मैं भारत का नाम लूंगा।

[हिन्दी]

आपके सामने अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों की ये बातें पढ़कर सुना सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सारे महान वैज्ञानिक कहें कि हिन्दुस्तान का प्राचीन अतीत महान था, उसने सारी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति सिखाई, वे यह कहें और हमारे इतिहासकार यह लिखें कि ये गडरिये थे, घुमन्तू थे, अपने शवों को दफनाते थे, इनके गीत, जो रामायण, महाभारत और उपनिषद्, वेद आदि हैं, वे गडरियों के गीत हैं और लंबे गीत हैं जो वे लिखते थे, मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की मनोवृत्ति पर और जो लोग चाहते हैं कि यही कंटीन्यू रहे, यही कुछ चलता रहे, उनको भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि हिन्दुस्तान की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि आपने प्रारंभ किया भगवाकरण से, वैसे बहस होनी चाहिए थी वामपंथीकरण की। आप कोई नाम दे देते संघीकरण या भाजपाईकरण नाम दे देते। आप भगवे को क्यों अपनामित करते हैं? भगवाकरण कोई कलुषित शब्द है, कोई दूषित शब्द है? हमारे तिरंगे का सबसे ऊपर का रंग है भगवा, प्रात:काल की स्वर्णिम ऊषा का रंग है भगवा, यह अग्निशिखा की ऊर्जा का रंग है, राम का ध्वज था, कृष्ण का ध्वज था, शिवाजी का ध्वज था महाराणा प्रताप का रंग था भगवा। आप भगवाकरण कहकर किस प्रकार से उसको लांछित करने की बात कर रहे हैं? क्या यह कोई गाली है जो आप गाली दे रहे हैं कि आपने भगवाकरण कर दिया? आप यहां पर संघीकरण शब्द का प्रयोग कर लेते, परंतु होना तो यह चाहिए था कि बहस होती वापंथीकरण पर, बहस होती रूस से प्रारंभ हुए मार्क्सवाद पर। रूस ने तो मार्क्सवाद की इसी प्रकार की इतिहास की कलुषित सारी व्याख्याएं नष्ट कर दीं, उनको जला डाला। वे वापस राष्ट्रवाद पर आ गए और आज तक आप उसी पर टिके हुए हैं। कोई मुझे बताए कि विश्व में कहां मार्क्सवाद की बात रह गई हो। और मुझे आश्चर्य है कि सोमनाथ जी गए कांग्रेस की अध्यक्षा के पास कि आओ मिलकर एक बड़ा भारी सवाल उठाएं। इस देश में सिवाय इसके कि सेक्यूलरिज्म की यही परिभाषा रह गई है कि भारतीय संस्कृति से द्रोह करो, उससे द्वेष करो? संस्कृति का विरोध, संस्कृति का विद्वेष, हिन्दू विद्वेष, हिन्दू विरोध, हिन्दू द्रोह यह रह गई है सेक्यूलरिज्म की परिभाषा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, वह नहीं मान रहे हैं। आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इकबाल के एक शेर के साथ समाप्त करूंगा। इकबाल ने एक बड़ा प्रसिद्ध गीत लिखा जो बहुत बार गाया जाता है। उसमें इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया-

"यूनान-ओ, मिश्र-ओ रोमां सब मिट गए जहां से
अब तक मगर है बाकी नामो-निशां हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौरे - जहां हमारा"

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

अध्यक्ष महोदय, कुछ बात ऐसी है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। ये उस बात को मिटाना चाहते हैं, ये उस हस्ती को नष्ट करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में हमारी महान संस्कृति है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमारी संस्कृति विविधता लिए हुए हैं, लेकिन आप उस विविधता को नष्ट करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जब तक यह 'बात' रहेगी, हम उसे जिन्दा रखेंगे, बढ़ाते रहेंगे और हिन्दुस्तान को गौरवान्वित करेंगे। आने वाली सदी, हिन्दुस्तान की सदी होगी, भारत की शताब्दी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, जो इन्होंने यहां वक्तव्य रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। हमारी राष्ट्रीयता वास्तव में प्रत्येक प्रमुख धर्म और आध्यात्मिक परम्परा के सामंजस्य के पांच हजार वर्षों का मिश्रित परिणाम जिसने मानव जाति को प्रेरणा दी है। यही वह अनवरत संश्लेषण है जिससे हमारी सभ्यता को अनुपम चरित्र दिया है। यह विचार और अनुभव का सम्मिलन ही है जिससे हमारी राष्ट्रीयता को विविधता का सतत अनुष्ठान बना दिया है।

संसद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैराग्राफ 8(पांच) में कहा गया है ''हमारे सांस्कृतिक रूप से विविध समाज में शिक्षा को हमारी जनता की एकता और अखंडता के लिए सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों का पालन करना चाहिए।'' इसमें आगे कहा गया है, ''ऐसी मूल्य आधारित शिक्षा को रूढ़िवाद और धार्मिक धर्मान्धता का उन्मूलन करने में सहायक होना चाहिए।'' चूंकि 1986 की राष्ट्रीय नीति में शिक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र द्वारा अनुमोदित ढांचे को शामिल किया गया है जिसे हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र भारतीय संसद के इस उच्चतम मंच के समर्थन से स्वीकृति दी गई है इसलिए ऐसा इस संसद की सहमति से ही राष्ट्रीय नीति के श्रेष्ठ और मौलिक उद्देश्यों में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। वर्ष 1992 में दसवीं लोक सभा में 1986 की राष्ट्रीय नीति की समीक्षा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ पैराग्राफों में कतिपय संशोधन किए गए थे लेकिन इन संशोधनों में 1986 में निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया - ऐसे मूल्य जो हमारे संविधान से लिए गए थे।

निस्संदेह, इस सदन को यह बात याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द के अर्थ के बारे में भाषा विज्ञान संबंधी भ्रांतियां शामिल करने हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद मुझे विश्वास है कि हमारे न्याय शास्त्र को समकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र तथा महत्व को समझने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। अत: जब हम देखते हैं कि किसी विशेष विचारधारा के अनुसरण में हमारी धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर अतिक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं तो यह हम संसद सदस्यों को ऐसे अतिक्रमण के प्रति राष्ट्र को सचेत करना आवश्यक है।

हमें किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु नीति के विकार को रोकना होगा जो पूरे राष्ट्र के उद्देश्य न होकर किसी विशेष धारणा के उद्देश्य हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि इससे पूर्व श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था, वर्ष 1998 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हमारी शिक्षा की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को नष्ट करने के लिए एक निष्फल प्रयास किया गया था। उस विशेष बैठक के लिए कुछ मुद्दों, कार्य सूची पत्रों पर उस समय हुए हो-हल्ले ने इस पहल में रूकावट डाली। उस समय सरकार की तरफ से यह देखने के लिए एक प्रकार की सतर्कता बरती गई थी कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य सीमा से बाहर हो गए थे उन पर नियंत्रण रखा जा सके। तथापि, मैं कहूंगी कि अब वह सतर्कता पूर्णरूप से गायब है।

इस चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शिक्षा में मूल्य पद्धतियों को उन मार्गों की ओर मोड़ने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सतत प्रयास किए जा रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीयता की प्रकृति के बारे में राष्ट्र की सर्वसम्मति को नहीं दर्शाते।

एक सर्वाधिक व्याकुल करने वाला कदम यह है कि स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू किया जाए जो समूचे राष्ट्र की बजाय कुछ लोगों, किसी निश्चित अवधारणा के कुछ दार्शनिकों की अवधारणा और पूर्वाग्रह पर आधारित हो। 1986 में बनाई गई नीति में सर्वसम्मत प्रक्रिया पर अत्यन्त अभिमान प्रकट किया गया था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को विकसित किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से इस मामले में पूर्ण रूप से परामर्श किया गया था और 29 अप्रैल 1986 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाई गई ताकि प्रारूप नीति के संसद में रखे जाने से पूर्व इसके प्रत्येक आयाम के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा सके। वास्तव में इसी बैठक में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक मुद्दे पर स्वयं घोषणा की जिसे हम आज पन्द्रह वर्ष बाद याद करके आभारी हैं। उन्होंने जो कहा था मैं उसे उद्धृत करती हूं:

> ''हमें यह देखना है कि धार्मिक पुनर्जागरणवाद को हमारी शिक्षण प्रक्रिया को रूढ़िवाद हेतु यंत्र के रूप में उपयोग करने की अनुमति न दी जाये।''

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि इस मामले का उद्देश्य स्पष्टतया छिपाऊ और असहमति जन्य दृष्टिकोण प्रतीत होता है जिसका सहारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने तथाकथित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ले रहा है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को नजरअंदाज किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को एक ऐसी संस्था के रूप में अलग किया जा रहा है जहां कुछ कृपापात्रों को इस प्रक्रिया में लगाया जा रहा है और भिन्न और विपरीत विचार रखने वाले लोगों की पूर्ण अनदेखी की जा रही है।

राज्य के शिक्षा मंत्रियों से भी उनके विचार नहीं मांगे गए हैं। अन्तरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श नहीं किया गया है। परामर्श की प्रक्रिया जो वर्ष 1986, 1991 और 1992 में अपनाई गई थी वह इस प्रक्रिया में पूर्णतया अनुपस्थित है।

अत:, हमारी मांग है कि जब तक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों वाले विशेषज्ञों से परामर्श न कर लिया जाए और जब तक सामान्यतया राज्य अपनी सहमति न दे दें तब तक सरकार को किन्हीं परिवर्तनों पर विचार नहीं करना चाहिए। पूर्ण परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए जिस पर सरकार शिक्षा के किसी भी स्तर के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के संबंध में विचार कर रही है।

सायं 6.00 बजे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता संबंधी महत्वपूर्ण उल्लेख है जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनमें कार्यपालिका की कार्रवाई द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता; केवल संसद को ही ऐसा करने का अधिकार है। जब तक ऐसा हो - मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है - सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि ये उल्लेख इस नीति के लिए आवश्यक हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिए, भले ही ऐसा 1992 की कार्य योजना अथवा ऐसे किसी कदम के माध्यम से किया जाए। जिसे यह सरकार उठाना चाहती है। अत:, यह महत्वपूर्ण बात है कि हम यह याद करें कि ये उल्लेख क्या हैं और मैं इन उल्लेखों को पढ़ना चाहूंगी।

वर्ष 1986 में यह घोषणा की गई थी कि:

> ''सभी शैक्षणिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कठोर अनुपालन के साथ पूरे किए जाएंगे।''

आगे यह कहा गया कि:

> ''शिक्षा की भूमिका परिसंस्कृति ग्रहण की होती है, इससे संवेदनशीलता और बोध का परिष्कार होता है जिससे राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलती है।''

वर्ष 1992 के कार्यक्रम में निम्नलिखित को शामिल करके इन सामान्य निर्देशों को पुन: प्रकट किया है, जैसा कि मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> ''यह एक सर्वाधिक वरीयता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मूल्यों तथा विचारों का पालन, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और नैतिक मूल्यों का पालन, समृद्ध विविधता वाली हमारी मिश्रित संस्कृति को मन में बैठाने वाला विषय है।''

इन राष्ट्रीय आदेशों से बचा नहीं जा सकता। हम किसी विशेष विचारधारा के वैचारिक सनकपन को स्थान नहीं दे सकते और न ही हमें देना चाहिए। फिर भी, हमारे देखने में यह आया है कि हमारी शिक्षा की बुनियाद को गिराने के लगातार प्रयास जारी हैं। चहुं ओर यह चिंता की जा रही है कि ये प्रयास किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किये जा रहे हैं, मुझे भय है कि यदि इस इरादे को कार्यान्वित किया गया तो इससे हमारी शिक्षा प्रणाली रुढ़िवाद, विवेकरहित, पूर्वाग्रह और धर्मांधता की ओर अग्रसर हो जायेगी।

सभा को, वैचारिक कारणों से भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास कांग्रेस, इंडियन फिलोसॉफिल कांग्रेस और भारतीय भू सर्वेक्षण पर किये गए इस आक्रमण की जानकारी है।

मैं तो यह कहूंगी कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सांप्रदायिक विचारधारा को जोड़ना आग से खेलने के बराबर है। विविधता और जटिलता वाले हमारे देश में इस प्रकार का व्यवहार न केवल गलत है बल्कि भयानक परिणामों से भरा हुआ है ...*(व्यवधान)*। सभा को एन.सी.ई.आर.टी. और यू.जी.सी. के साथ खेले जा रहे खेल की जानकारी है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा के 'भगवाकरण' का सभी स्तरों पर विरोध करेगी। मैं यह बात पूरे विश्वास से कह रही हूं - और मुझे विश्वास है कि इस सभा में और इसके बाहर प्रतिनिधित्व करने वाले सभी धर्मनिरपेक्ष संगठन इसका विरोध करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सरकार को मैं यह याद दिला दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष भूल सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक साक्षरता का पालन करना है। बार-बार हमने इसी लक्ष्य का वचन दिया है। क्या सरकार को 'धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम' विषय सूची का टॉका

[श्रीमती सोनिया गांधी]

लगाकर बहुमूल्य समय और संसाधनों की बर्बादी के स्थान पर अपनी शक्तियों का उपयोग इन अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं करना चाहिए?

इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले लम्बे समय से लंबित पड़े विधेयक पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अंतत:, क्या हमें भूतकाल से इतना जुड़े रहने के स्थान पर भविष्य पर अपना ध्यान तीव्रता से केन्द्रित नहीं करना चाहिए? क्या यह एक घिसी-पिटी बात नहीं है कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य की सबसे बड़ी धरोहर हैं। इसीलिए, हमें इस बात के लिए सदैव क्रियाशील रहना चाहिए कि हमारे बच्चों की जीवन-वृत्ति और व्यवहार को इस प्रकार से ढाला जाए कि वे विश्व में सबसे अच्छे बनें चाहे वह तकनीकी कुशलता का मामला हो या वैज्ञानिक सूझबूझ का।

अध्यक्ष महोदय, हम यह आशा करते हैं कि इस चर्चा से मानव संसाधन विकास मंत्री यह समझ जायेंगे कि वह राष्ट्रीय एजेंडा के स्थान पर गुप्त एजेंडा नहीं ला सकते। हम यह भी आशा करते हैं कि इस चर्चा से यह सुनिश्चित करने की सतत् सतर्कता की आवश्यकता के प्रति प्रधानमंत्री जी सचेत हो जायेंगे कि इस गलत विश्वास में कि गुप्त एजेंडा, उनकी पार्टी के एजेंडा की आखिरकार पिछले दरवाजे से तस्करी न हो क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हम यह सब देख रहे हैं और हम सरकार को वैचारिक चालबाजी से इस तरह से बचकर निकलने नहीं देंगे।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): अध्यक्ष महोदय, शैक्षिक पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संवैधानिक प्रतिबद्धता के अध्यधीन है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और इस पवित्र वचनबद्धता को बनाए रखने के लिए धार्मिक तत्व के प्रवेश को रोकना चाहिए।

बारहवीं लोक सभा के दौरान, जब भारत सरकार सरस्वती वंदना को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना चाहती थी, कई समुदायों ने विद्यालयों में ऐसी प्रार्थना को विद्यालय में लागू करने का यह कहकर विरोध किया था कि इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि हिन्दुत्व को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जा रहा है। हमने तेलुगु देशम पार्टी की ओर से निरपेक्ष रूप से यह कहा था कि इस प्रकार का प्रयास हमारे संविधान और उसकी वचनबद्धता के हित में नहीं है। इसके बाद, उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री ने विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उस समय की शिक्षा मंत्री, श्रीमती प्रतिभा भारती ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने हमारी पार्टी के रुख को और सरकार के रुख को बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि सरस्वती वंदना को पाठ्यक्रम के रूप में लागू करना वांछनीय नहीं है। इस अवसर पर, हम अपने रुख को पुन: स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी प्रयास वांछनीय नहीं है और सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह संविधान के धर्मनिरपेक्ष रुप को बनाये रखे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, छ: बज रहे हैं। सदन कब तक चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया कि सभा इस विषय पर चर्चा पूरी करने के लिए 8.00 बजे तक बैठ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के भगवेकरण पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह समवर्ती सूची में आता है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों, के अधिकार क्षेत्र में है। हिन्दुस्तान जैसे देश में, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, वहां शिक्षा में कट्टरपंथ शामिल हो जाए, संकीर्णता शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूं कि यह देश की सेहत के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। महात्मा गांधी जी ने एक लाइन में कहा था- शिक्षा का मतलब अच्छी आदतें सीखना है। लेकिन आज शिक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार जो हिन्दुस्तान का धर्म-निरपेक्ष स्वरूप है, उस पर हमला करने का प्रयास हो रहा है। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। यह बात सही है, 1986 और 1992 में जो शिक्षा नीति थी, जिसको संसद ने मन्जूर किया, यह उसका खुला उल्लंघन है। भारतीयकरण, नैतिकीकरण और आध्यात्मीकरण के नाम पर हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, वह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

सायं 6.11 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस पर इनके पाठ्यक्रमों के संबंध में न तो संसद को और न देश को विश्वास में लेने का काम किया गया है। इतने महत्वपूर्ण सवाल पर, सौ करोड़ के देश में सौ लोगों को भी विश्वास में न लेना, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा घृणित प्रयास और कोई नहीं हो सकता है। अक्टूबर, 1998 में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने पूरे हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। वे जानते हैं कि शिक्षा मंत्रियों की जो राय थी, वह राय उनकी राय से इत्तिफाक नहीं करती थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जिस एजेंडे पर विचार हो रहा था, उस विचार में विद्या भारती ने एक नोट भेजा था, जो आरएसएस का शिक्षा विंग है, वह नोट ज्यों-का-त्यों विचार के लिए रख दिया गया। शिक्षा मंत्रियों के उस सम्मेलन के बाद, अभी थोड़े ही दिन पहले, विभिन्न राज्यों के नौ मंत्रियों ने एक सम्मेलन किया था, जिसमें उन शिक्षा मंत्रियों ने दो टूक कहा-यदि इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम बनता है, नैतिकीकरण के नाम पर और आत्यात्मीकरण के नाम पर, तो वह निश्चित रूप से अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। कोई प्रयास सब लोगों को विश्वास में लेकर चलने का नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में एक बात जरूर कही गई, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थायें खोलने और चलाने की आजादी है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। यह काम जरूर हुआ। यह कहने का आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं, शुरु से ही जो उनके संस्कार बने हैं, वे जिस क्षेत्र में रहेंगे, उनका यह प्रयास होगा कि उनके मुताबिक काम हो। ये सावरकर के चेले हैं। सावरकर ने कहा था-हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान, शेष जातियां न सिर्फ गैर-भारतीय हैं, अपितु राष्ट्र विरोधी भी हैं।

सावरकर का हिंदुत्व के रूप में ठोस दार्शनिक आधार मौजूद है। वह कहते थे कि इसाई और मुसलमान, हमारी महान सभ्यता, हमारी महान हिंदू संस्कृति के प्रति, हमारे साझे सम्मान के बंधनों के प्रति भागीदार नहीं हैं। अब यह हिंदू नहीं कहे जा सकते, क्योंकि नया धर्म अपनाकर उन्होंने पूरी संस्कृति का त्याग कर दिया है। इनकी पुण्यभूमि बहुत दूर अरब या फिलिस्तीन में हो सकती है।

महोदय, आज विद्यालयों में क्या पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित स्कूलों में गुजरात में कक्षा नौ में समाज शास्त्र के विषय में महमूद गजनवी के बारे में कहा गया कि उसे कन्नौज के दस हजार मंदिरों को बर्बाद किया और उसने इसलिए किया कि इस्लाम अत्याचार करना सिखाता है। इस्लाम में कहां ज्यादतियां हुई हैं, कहां नहीं हुई हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा काम अकबर ने किया। उसने सर्व-धर्म-समभाव और सब धर्मों को मिला कर दीन-ए-इलाही धर्म शुरू किया, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहते। अभी मल्होत्रा जी बैठे थे, उन्होंने अल्लामां इकबाल का एक शेर पढ़ा। वह मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, वह एक अलग सवाल है। क्या उन्होंने कभी अपने मन से पूछा कि हमारा जो हिन्दू धर्म है उसमें कहां विकृतियां हैं। जो लोग आपसे अलग हट कर बाहर चले गए, मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जैसा रोज अखबारों में छपता है कि फलां मंदिर में फलां को नहीं जाने दिया गया, उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। इस्लाम में कुछ और हो या न हो लेकिन अल्लामां इकबाल ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है-''एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदों अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज।'' इस्लाम की कम से कम यह जो प्रवृत्ति है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। कक्षा सात की लखनऊ की किताब है, उसमें जो भारत का मानचित्र है उसमें बंगलादेश, पाकिस्तान, ये सब चीजें दिखाई गई हैं। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ चीन के पास है। आपके पास भारत के नक्शे में पाकिस्तान और बंगलादेश सब शामिल है। यह बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है।

महोदय, मैं इतिहास के भारतीयकरण का एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है-अमेरका की खोज किसने की, कोलंबस ने, लेकिन आरएसएस के लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, एक भारतीय ने। अफ्रीका से भारत के दक्षिणी तट पर जहाज लेकर कौन आया, वास्कोडिगामा, लेकिन वे कहते हैं नहीं, एक हिन्दुस्तानी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने, लेकिन वे कहते हैं नहीं आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने। पाइथागोरस प्रमेय किसने विकसित की, पाइथागोरस ने, लेकिन वे कहते हैं नहीं, इसका वर्णन शिल्पसूत्र में उस समय से है जब वह पैदा भी नहीं हुआ था।

महोदय, इस प्रकार की खोजों से भरपूर सामग्री संघ परिवार अपने राष्ट्रीय जागरण अभियान के दौरान गांव-गांव में बांट रहा है। यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स में 12 दिसंबर, 2000 को छपी है। विद्या भारती द्वारा संचालित 14,000 स्कूल चलते हैं, जो इन्हीं क संस्था है। उसमें यह पढ़ाया जाता है कि 1525 से 1992 तक राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए कितने रामभक्तों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। उसमें यह पढ़ाया जाता है कि तीन लाख चालीस हजार, जब कि दुनिया के सब युद्धों को जोड़ दिया जाए तो भी तीन लाख चालीस हजार लोग नहीं मरे होंगे। आप देश

[श्री रामजीलाल सुमन]

को क्या बताना चाहते हैं। जिला न्यायाधीश ने किस तारीख को राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया-1 फरवरी, 1986 को। राम मंदिर निर्माण के लिए शिल्प पूजन किस दिन हुआ-30 सितंबर, 1989 को। भगवान राम जन्मस्थल पर सबसे पहले मंदिर निर्माण किसने कराया था-स्वयं भगवान राम के पुत्र राजा कुश ने। किस मुगल धावक ने 1528 में राम मंदिर का विध्वंस किया-बाबर ने। मुसलमानों ने कब स्वेच्छा से राम मंदिर हिंदुओं को सौंप देने का फैसला किया-1857 में। महोदय, यह सब क्या पढ़ा रहे हैं-बच्चों के संस्कारों को विकृत करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि विद्यालयों को आरएसएस की शाखाओं में तब्दील करने का प्रयास हिंदुस्तान में हो रहा है और यह काम ये लोग कर रहे हैं।

यह जो वैदिक गणित और एस्ट्रोलॉजी है विश्वविद्यालयों पर दबाव बनयाा जा रहा है कि वे इस कोर्स को लागू करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इंटर-यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इसके जो डायरेक्टर नरलीकर जी हैं उन्होंने ही इस प्रयास को खारिज किया है कि न तो यह गणित है न विज्ञान। शिक्षा, संस्कृति और इतिहास पर जानबूझकर सब जगह आरएसएस के लोग बैठाए हुए हैं ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विश्वविद्यालय अध्यापकों की भर्ती करता है और विश्वविद्यालय विद्यालय संबंधी कर्मचारियों की भर्ती करता है। हिंदुस्तान के इतिहास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कभी भर्ती नहीं की। अभी समाचार पत्रों में इश्तिहार छपा था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीधे भर्ती करने का काम कर रहा है। यह आरएसएस के लोगों को ऑबलाइज करने के अलावा कोई और प्रयास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को चुन-चुन कर बैठाने का काम और उसी तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति यह रही है कि हम मिल-जुलकर रहें। धर्म-निरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता हमारी रग-रग में बसी हुई है। हम चाहेंगे कि इनकी जो काली करतूतें हैं उन पर अंकुश लगे जिससे हिंदुस्तान की जो गरिमामयी स्थिति रही है उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): आज शिक्षा के उस पाठ्यक्रम पर चर्चा चल रही है जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा है। सन 1964 और 1966 में प्रो. कोठारी जी की देखरेख में एक पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था। चालीस वर्षों से उस पाठयक्रम पर बहस चलती रही और अपने-अपने पक्ष रखे जाते रहे। कोठारी जी ने क्या कहा उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि कोठारी कमीशन ने सन् 1964-1966 में इस विषय पर बारीकी और स्पष्ट रूप से चर्चा की। एनसीईआरटी व्यावसायिक कारणों से मूल दर्शन अथवा भारत के लोगों के धर्मों को शामिल करने की सिफारिश करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है धर्म जो चरित्र रूप से ध्यान देने योग्य है। यद्यपि, धर्म आवश्यक मूल्यों के विकास का एक मात्र स्रोत नहीं है फिर भी मूल्य विकास के लिए निश्चित रूप से यह मुख्य स्रोत है। आज जिस बात की जरूरत है वह धर्म के बारे में शिक्षा, उसके मूलभूत सिद्धांतों, उनमें अन्तर्निहित मूल्यों और सभी धर्मों के दर्शनों की तुलनात्मक अध्ययन की शिक्षा न कि धार्मिक शिक्षा। इस भावना का शिक्षा में इसी सत्र से यहां तक कि प्राथमिक स्तर से प्रसार आरम्भ करने की जरूरत है। यह कोठारी जी ने 1964-1966 में ऐसा कहा था।

1986 में माननीय यशपाल जी की कमेटी ने उस पर चर्चा की और उस पर संशोधन किये गये। उसके बाद 1992 में फिर संशोधन हुआ। संयोग से 1992 में जब संशोधन हो रहा था तब एक केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड बना था जिसका सदस्य मैं भी था। उस बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय में संस्कृत एक ऐच्छिक विषय था उसको खत्म करने का निर्णय लिया। उस पर हमारे एक माननीय मित्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि संस्कृत को हटाया नहीं जाना चाहिए। अभी माननीया सोनिया जी कह रही थीं कि 1992 में जो संशोधन हुए वे संशोधन क्या हुए थे। उसका एक उदाहरण है कि उस संशोधन में कहा गया था कि संस्कृत ऐच्छिक विषय के नाते त्रिभाषा सूत्र से हटा दी जाए। यह संशोधन हुआ था। अब उस संशोधन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है वह मैं बताना चाहता हूं। निर्णय पहले सुना दूं, बीच की बात बाद में सुनाऊंगा।

उनका निर्णय यह है कि हमारी संस्कृति के पोषण में संस्कृत के महत्व को दृष्टि में रखते हुए जिस आधार पर हमारी राजकीय शिक्षा नीति में संस्कृत के अध्ययन के महत्व को प्रकाशित किया है एकमात्र संस्कृत को ऐच्छिक विषय बनाना और अरबी तथा फारसी के लिए स्थान स्वीकार नहीं करना किसी भी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। अत: कोर्ट द्वारा प्रस्तुत प्रथम आपत्ति में कोई तथ्य नहीं है। हम बोर्ड को निर्देश देते हैं कि विचाराधीन पाठ्क्रम में संस्कृत को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। तीन मास की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए जाएं। 1992 में माननीय अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे जिन्होंने बड़ी कृपा इस देश की संस्कृति के ऊपर की। सहमत द्वारा अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगाई थी जिस में सीता और राम को भाई बहन बताया

गया था। केन्द्र की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। यह माननीय अर्जुन सिंह जी के समय का निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का और भी निर्णय है। उसने कहा कि संस्कृत को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूर्त रूप कहा गया है। तत्पश्चात आयोग के मतानुसार इस महान देश के लोगों की दृष्टि में संस्कृत देश के विभिन्न लोगों को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति है। आयोग के अनुसार केरल से कश्मीर और सौराष्ट्र तक की यात्रा की महानतम खोज है। इस यात्रा के दौरान आयोग ने पाया कि यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक विभिन्नताएं हैं परन्तु उन्हें गर्व है कि वे सब एक समान विरासत के भागीदार हैं और वह विरासत संस्कृत है। यह इन्होंने 1957 में गठित संस्कृत आयोग के संदर्भ में कहा था।

देश में दो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और वे पिछले तीन बरस में स्थापित नहीं हुए हैं। उनमें पढ़ाए जाने वाले विषय पुराण, वेद, ज्योतिष और कर्मकांड भी हैं। ये सारे विषय उन दो विश्वविद्यालयों और छः राज्यों में चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। 1992 में जब कोर्ट ने यह निर्देश दिया, उस समय की सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह के समय यह निर्णय लिया गया कि संस्मरण संस्कृत विषय पढ़ाया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

आप मेरी बात सुन लें। आपकी मजबूरी है कि आप बैठ नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। यदि मैं गलत बात कह रहा हूं तो बाद में मौका मिलने पर कह दीजिए कि मैं गलत बात कह रहा हूं। आप सीनियर लीडर हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो बुरी लगे। माननीय अर्जुन सिंह जी के समय संस्मरण संस्कृत यूजीसी द्वारा लागू की गई और उसे सभी महाविद्यालयों में पढ़ाने का निर्देश दिया गया। उस संस्मरण संस्कृत में रिचुअल्स पढ़ाने के बारे में कहा गया था कि पूजा कैसे होती है, विवाह कैसे होते हैं और अन्य संस्कार कैसे होते हैं? *...(व्यवधान)* मैं रिचुअल्स की बात कर रहा हूं।

यहां मैडम ने धर्मनिरपेक्षता की बात की। वह कई वर्षों से भारत में रह रही हैं। वह कम से कम भारत की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को समझने की कोशिश करतीं। अच्छा होता यदि उनकी नजर आपके आसन के ऊपर गई होती। माननीय सोनिया जी ने यदि उसे पढ़ा होता तो अच्छा होता। हमारे सदस्य भी पढ़ लें कि वहां क्या लिखा है? वहां एक बत्ती भी जल रही है। वहां लिखा है ''धर्म चक्र प्रवर्तनाय''।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): धर्मनिरपेक्ष की रक्षा करते हुए, उनकी सास और पति की जान गई-आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: सूचना के लिए धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संत लोग इतने गुस्से में क्यों आते हैं?

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: संतों की आचार संहिता आप तय मत कीजिए। अध्यक्ष के आसन के ऊपर यह बात लिखी है जिसका अर्थ होता है कि हम यहां बैठे हैं देश और विश्व में धर्म चक्र चलाने के लिए। यह भगवा रंग में लिखा है। दूसरा कोई रंग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सीट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या समझे। स्व. इंदिरा जी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध नहीं होता है। ''सर्व धर्म समभाव'' सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना होती है और सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखी जाए। यहां यह बात कही जा रही है कि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में यह बात लाई जा रही है। उसमें सभी धर्मों के बारे में जानकारी देने के लिए बात कही गई है। सभी धर्मों के बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि अगर सभी धर्मों के बारे में जानकारी होगी तो धर्मों का आपस में टकराव नहीं होगा, एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, वह गलत उद्धरण दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: आप लोग चीखिए मत। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बाईबल और कुरान भी पढ़े हैं। बाईबल का एक वाक्य पढ़ता हूं जो इस प्रकार है:

[अनुवाद]

स्वर्ग उन्हें मिलेगा जिनके हृदय में स्वर्ग है।

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

[हिन्दी]

इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से करते हैं:

निर्मल मंडन तू मोहे पावा,
मोहे कपट, छल न भावा।

तब बाईबल और रामायण की दूरियां दूर हो जाती हैं, अंतर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें उन बिन्दुओं की तलाश करनी चाहिए कि धर्म क्या है। अगर हम आज गीता पढ़ायें, उपनिषद्, बाईबल या कुरान पढ़ायें तो उसमें राष्ट्र को जोड़ने वाली बात जितनी पढ़ाई जाये तो इसमें अन्यथा क्या है? मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब गांधी जी की प्रार्थना हुआ करती थी तो प्रार्थना के प्रारम्भ में सभी धर्म-ग्रन्थों के वाक्य दोहराये जाते थे। इससे यह संदेश देश में जाता था कि यह देश सब प्रकार के धर्मों का देश है लेकिन सब में सामंजस्य है जिसको जोड़ा जा सकता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, यह एक सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इसमें शामिल थे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बराड़, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए इस देश में धर्म की व्याख्या वे लोग करने लगे जिनको धर्म का अ ब कुछ मालूम नहीं था। इसलिए धार्मिक कट्टरता जन्म ले रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दास दासमुंशी: जिन्होंने हत्या की, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, वे मान नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: मैं बोल रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप लोगों को भी सुनना चाहिए था, जब हम बोल रहे थे।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: मैंने आपको भी सुना था। आपको परेशानी यह है कि आपको नहीं सुना गया, इसलिए आप हमें नहीं सुनना चाहते। आप इस सदन के बुजुर्ग और प्रिय नेता हैं। हमें आपका संरक्षण मिलना चाहिये लेकिन आप उल्टा हमसे बदला ले रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। एक सीनियर मैम्बर जूनियर मैम्बर से बदला ले रहा है। इस बदले की भावना से राष्ट्रीय एकता की बात नहीं की जा सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्योतिष की बात *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे अब हमें व्याख्यान दे रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वामी कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

आपका टाइम हो रहा है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं। अभी हमारे साथी डा. मल्होत्रा ने कहा कि किसी का विवाह बिना कर्मकाण्ड के नहीं होता। मैं इस बात को नहीं जानता कि...

उपाध्यक्ष महोदय: स्वामी जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलें। अभी तीन मैम्बर्स बाकी हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष जी, मैं अब अगली बात कहना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पं. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हिन्दू वैदिक रीति से हुआ था। यहां तक कि उनकी अस्थियां भी इलाहाबाद में संगम पर प्रवाहित की गई थी। इससे जाहिर है कि वैदिक रीति से ये सब संस्कार किये गये।

मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं। कुम्भ के इतने बड़े अवसर पर गंगा नहाने का लोभ वह भी नहीं छोड़ पाई। वह गंगा में डुबकी न लगा सकें तो उन्होंने पैर डालकर ही गंगा को छू लिया। यह वहां महात्माओं के दर्शनों से भी वंचित न रहीं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द के चरणों में जाकर इन्होंने प्रणाम किया *...(व्यवधान)*। यह सब आपके व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है। सार्वजनिक जीवन में हम ज्योतिष का उपयोग कर सकते हैं।

हम आज ही बता सकते हैं कि आज की तारीख में अगले वर्ष सूर्योदय कितने बजकर कितने मिनट पर होगा और सूर्यास्त कितने बजकर कितने मिनट पर होगा। यह हम ज्योतिष से बता सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह एस्ट्रोलोजी नहीं है, ज्योतिष विद्या नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ऑर्डर प्लीज।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: ज्योतिष का उपयोग अगर हम सामयिकी के लिए करते, मौसम विज्ञान के लिए करते, अगर हम गर्मी, बरसात के लिए करते ...*(व्यवधान)* दादा, आपकी परेशानी मुझे मालूम है। चीजेविस्की ने कहा था कि जारशाही का अंत होना ही था, मुफ्त में इन्हें क्रैडिट मिल गया ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: यह भी बता दीजिए कि भाजपा का अंत अगले साल कब होगा।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: बराड़ साहब, मैं आपके बारे में बता सकता हूं, आपका भविष्य बता सकता हूं ...*(व्यवधान)* मैं भविष्यवाणी की बात नहीं करता जो ज्योतिष की गणना में निहित है। जहां तक करीकुलम को परिचालित करने का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि इसे परिचालित करने में माननीय मंत्री जी ने कोई कसर रखी है। यह परिचालित हुआ और किन-किन लोगों को भेजा गया। यह एच.आर.डी. के सभी मिनिस्टर्स को भेजा गया, आर.आई.ईज एंड जे.डी., पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. को भेजा गया, एक्सपर्ट्स को भेजा गया। सभी न्यूजपेपर्स को भेजा गया, सभी राज्यों के मिनिस्टर्स फॉर एजूकेशन को भेजा गया, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया, सभी डायरेक्टर्स को भेजा गया, एन.जी.ओज. को भेजा गया। यहां तक कि अखबारों तक को नहीं छोड़ा गया, यह अखबारों को भी भेजा गया। पिछले वर्ष दिसम्बर, 2000 से लगातार इसका प्रचार चल रहा है। इस पर जितनी बहस और चर्चा हुई है, उतनी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। संसद में पोलिटिक्स पर डिस्कशन होता है। करिकुलम का डिस्कशन इसके पहले कभी संसद में हआ हो तो कोई मुझे बता दे कि इसके पहले करिकुलम का डिस्कशन संसद में हुआ है। संसद करिकुलम का डिस्कशन नहीं करती। संसद केवल पोलिटिक्स का डिस्कशन करती है और वह डिस्कशन हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय जब श्री चौहान जी के द्वारा मूल्यों पर निर्धारित एक छोटी सी समिति बनी थी। उसमें जोगी, बैरागी और सन्यासी थे। जोगी श्री अजीत जोगी थे, बैरागी श्री बालकवि बैरागी थे और मैं था। उस समय भी यह चर्चा हुई थी कि धर्म एक सूत्र है जिसके द्वारा हम सभी धर्म के उन संगामी बिन्दुओं की तलाश करें और वे बिन्दु शिक्षा में शामिल कर लिये जाएं, जिससे देश को एकता के सूत्र में बांध सकें। यह उस समय भी चर्चा में आया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में हमें प्रान्त की दिक्कतों को भूलना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय एन.सी.ई.आर.टी. ने जो दस्तावेज, जो करिकुलम प्रस्तुत किया है, उसमें किसी का पक्ष नहीं है, वे निष्पक्ष हैं, राष्ट्रवादी है, मानवतावादी हैं, आध्यात्मवादी हैं, संस्कृति के प्रति समर्पित हैं और लोगों के अंदर उत्कृष्टता पैदा करने में, उत्साह पैदा करने में और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझने की दृष्टि देने का उसमें स्पष्ट दर्शन है और उस दर्शन का मैं स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनो बात समाप्त करता हूं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक सेक्युलर देश है और यह देश सेक्युलर हो, यह फैसला कोई जल्दी में नहीं किया गया। यह देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त कान्सीटुएन्ट असैम्बली ने, उन बड़े नेताओं ने जिन नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए हर तरीके की कुर्बानियां दी थीं। जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना खून, अपना लहू इस देश की आजादी के लिए दिया था, उनका यह फैसला था कि यह देश सेक्युलर देश रहेगा।

सेक्यूलर देश का मतलब है, कुरान-ए-पाक में आता है- ''लकुम दीनेकुम वले यदीन।'' मेरा दीन मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए। तुम अपने मजहब पर पैरवी करो, हमें अपने मजहब पर पैरवी करने दो-सेक्यूलरिज्म की यह डैफिनिशन है। ...*(व्यवधान)* आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, माफ कीजिएगा। मैं कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

हमारे पास समय नहीं है. आप क्यों ऐसे डिस्टर्ब करते हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चौबे जी, इतने सीनियर लोग हैं हाउस में, और आप फिर खड़े होकर ऐसे ही बोलने लगते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चौबे जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है आज?

...*(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): उपाध्यक्ष जी, इतना विद्वतापूर्ण भाषण हो रहा है जिससे हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे बोलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: पूरा सिखाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: यह हम सबको शिक्षा देंगे? यह हमें शिक्षा देने आए हैं। हम लोग यहां विद्यार्थी नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कुछ कहना है तो वे यील्ड करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, यह आप क्या कर रहे हैं?

श्री लाल मुनी चौबे: मैं सच कह रहा हूं, अगर ऐसी छूट आप देंगे तो हमें छात्र मान लिया जाएगा। यह छूट आप इनको दे रहे हैं और मैं इसका विरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब चाहे आप खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: इस हाउस की बदकिस्मती है कि कुछ लोग इस तरह के चुनकर आ गए जो इस हाउस को चलने नहीं देना चाहते, जो सिर्फ शोर मचाने का काम करते हैं। *...(व्यवधान)* सर, ये आपको कह रहे हैं कि आप छूट दे रहे हैं। आपकी अथॉरिटी को चैलेन्ज कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो आप कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: ये जो रोज वैल में आ जाते हैं, वे तो आपकी बात ही नहीं मानते। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: ये बड़े विद्वान हैं? इनको समय दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, कृपया मुझे अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनी चौबे कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे पास समय नहीं है। हमें 8.00 बजे तक बैठना है और इस चर्चा को समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: बोलना मुझे चाहिए, बोल ये रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आइए हम सब कुछ भूल जाएं। इस सभा में अच्छी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने की इजाजत होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इजाजत है, मगर आप प्रोवोक न करें।

श्री राशिद अलवी: मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं। मैं तो खामोश खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको विषय पर क्या कहना है, वह कहिए।

श्री राशिद अलवी: आज देश की 54 साल की आजादी के बाद मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि मैं इस हाउस में सेक्यूलरिज्म की बहस करना चाहता हूं मगर बहस नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है कि यह देश सेक्यूलर देश है और यह देश सेक्यूलर रहना चाहिए। इस सेक्यूलर देश के अन्दर बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उसके दूसरी ओर, इस देश में और आज खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सलेबस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंट्रोड्यूशन किया गया है, वह इस देश को सेक्यूलर नहीं रखेगा। वह इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि हिंदुत्व का छिपा हुआ एजेन्डा जो अभी कांग्रेस की अध्यक्षा ने कहा, उसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, ये वैल्यू बेस्ड एजूकेशन की बात करते हैं। कौनसी वैल्यू बेस्ड एजूकेशन की बात करते हैं? धर्म की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से धर्म की बात करते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि राजनीति दो तरह की होती है। एक राजनीति वह राजनीति होती है जो देश के राजा के लिए की जाती है और दूसरी राजनीति वह होती है जो सच्चाई के लिए की जाती है। जब राजनीति गलत शुरू कर दी जाती है तो निष्ठा अर्थ खो देती है और जब निष्ठा अर्थ खो देती है, तो राजनीति में सिर्फ असत्य रह जाता है और असत्य के अलावा कुछ नहीं रहता। आज जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह राजनीति, असत्य के अलावा दूसरी राजनीति नहीं है।

उपध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में 11वीं क्लास के अंदर एकैडेमिक कोर्स के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि

[अनुवाद]

'इस्लाम केवल अत्याचारों की शिक्षा देता है।'

[हिन्दी]

क्या यह धर्म वह सबक हैं, जो आप देश के बच्चों को देना चाहते हैं? नौवीं क्लास की संस्कृत की बुक में कहा गया है कि

[अनुवाद]

हजारों मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले, शिवलिंग की पूजा करने मक्का जाते हैं।

[हिन्दी]

जो मुसलमान मक्का के अंदर हज करने जाते हैं, वे हज करने नहीं जाते बल्कि शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं। यह वह कोर्स है जो आप लोग वहां पढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यहां यह नहीं पढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

जो ये बता रहे हैं वह 1988 के पहले की बात बता रहे हैं।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं गुजरात का हूं। यह गुजरात में नौवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में है। *...(व्यवधान)* मेरे पास उस पुस्तक के उद्धरण हैं। मैं गुजरात का हूं। मैं यह आपको दिखा सकता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: सर, इस कोर्स के अंदर लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद को सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि वहां कभी नमाज नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं। क्या आप पाठ्य पुस्तक से उद्धृत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: सर, नाइंथ क्लास की टैक्स्ट बुक है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं यहां सभा को चलाने के लिए हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अल्वी क्या आप किसी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री राशिद अलवी: यह संसद ग्रंथालय द्वारा दी गई सूचना है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अपनी बात को प्रमाणित करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: यह सूचना संसद, ग्रंथालय द्वारा दी गई है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमंशी: ये हमेशा सभा में बाधा डालते हैं। ये किसी माननीय सदस्य के यहां बोलने के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ये किस नियम के अधीन अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं उनसे यह प्रश्न पूछूंगा। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया मुझे बताएं कि आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: कृपया नियम बताएं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यहां कोई भी रैफरेंस दिया जाए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अल्वी, मैं यहां सभा चलाने के लिए हूं। डा. मल्होत्रा, कृपया नियम बतायें जिसके अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: रूल 376। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे पहले एक व्यवस्था के प्रश्न से निपटने दें।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: कृपया मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि जिस किताब से यह पढ़ रहे हैं, यह अखबार से न पढ़ें, लाइब्रेरी का न पढ़ें बल्कि रैफरेंस बताएं। *...(व्यवधान)* यह कहना कि बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि मक्का में जाकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विनिर्णय देने दीजिए। उन्होंने कोई नियम उद्धृत नहीं किया है। श्री राशिद अलवी आप जो भी पढ़ रहे हैं अथवा उद्धृत कर रहे हैं, उसे प्रमाणित करना पड़ेगा।

श्री राशिद अलवी: हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: यह इसका प्रमाण है। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह किताब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ये इसे प्रमाणित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, जहां तक गुजराती पुस्तकों का संबंध है, संसदीय स्थायी समिति ने मानव संसाधन मंत्रालय से शिकायत की है। मंत्रालय से गुजरात सरकार को एक फैक्स संदेश भेजा गया था और गुजरात सरकार ने स्वीकार किया था कि उनसे

त्रुटि हुई है और वे उसमें सुधार करेंगे ...*(व्यवधान)* यह माननीय मंत्री के उत्तर में दिया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, संसद के उच्च सदन में माननीय सदस्य श्री के.के. बिरला और एक अन्य माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था। वह शिकायत उनके पास भेजी गई थी और उन्होंने उन त्रुटियों में सुधार कर दिया है। परन्तु यह त्रुटि उसमें नहीं थी। वह प्रश्न कतिपय त्रुटियों के बारे में था।

उपाध्यक्ष महोदय: यह नई गलती है।

...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अपना उत्तर देते हुए आप बता सकते हैं। मैं माननीय सदस्य श्री राशिद अलवी की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि वे अपने उदाहरण को प्रमाणित कर रहे हैं। मैं उनकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किये जाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, यदि उन्हें अपने उदाहरण को प्रमाणित करना है तो, मैं समझती हूं कि पहले दिए गए कई उद्धरणों को भी प्रमाणित किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देती हूं कि उन्हें भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: हां।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: पहले के वक्ताओं द्वारा जो भी उद्धरण दिए गए हैं उन्हें भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी यहां किसी भी पाठ्य पुस्तक अथवा कहीं और से उद्धृत करता है उसे प्रमाणित करना होगा और यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, जब अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य बोल रहा है तो, इस तरह से ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह कहना बहुत सीरियस है कि मक्का में शिवलिंग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह बहुत गम्भीर बात है, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें ...*(व्यवधान)* इससे अनावश्यक तनाव पैदा होगा। ऐसी बात करने का कोई अर्थ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां ऐसी बातें नहीं बोली जानी चाहिए, इन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यहां ऐसी बातें क्यों कही जाएं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: यह कहना कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि मक्का में शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह लिखित रूप में है और वह इसे प्रमाणित कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय क्या वह यह प्रमाणित कर रहे हैं कि भाजपा ने इस पुस्तक को अनुमति दी है ...*(व्यवधान)* मैं कहता हूं कि यह ऐसा सबसे बड़ा झूठ है जिसे कभी नहीं किया गया है। भाजपा इसे कभी नहीं करेगी ...*(व्यवधान)*। जिस पुस्तक का वह जिक्र कर रहे हैं वह कांग्रेस द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तक है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, चूंकि वह पुस्तक को उद्धृत कर रहे हैं तो ऐसा जिम्मेदारी की पूर्ण भावना से कर रहे हैं। वह उस दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* उनके पास पुस्तक नहीं है। वह किसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह किसी दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह उद्धृत कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उनके पास पुस्तक नहीं है। वह उस सामग्री का जिक्र कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, वह जब उद्धृत कर रहे हैं तो उस पाठ्य पुस्तक को उद्धृत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: यह दस्तावेज संसद ग्रन्थागार द्वारा दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह सामग्री संसद ग्रंथागार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, सभी सदस्य पुस्तकों से उद्धृत कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन सभी सदस्यों ने जिन्होंने किसी पाठ्य पुस्तक को उद्धृत किया है उन्हें इसे प्रमाणित भी करना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: यह बात निराधार है, इसका खंडन करना चाहिए। किसी किताब में, जो स्कूलों में चलती है, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है। मक्का-मदीने की शिवलिंग वाली बात जो इन्होंने कही है, मैं इसका खंडन करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: किसी बात की कोई सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर ऐसी बात लिखी हो तो गुजरात में आग लग सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: लिखी है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: और इसको आप डिफेंड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप इस प्रकार की बात का बचाव कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा का कोई भी आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी इसे कर रही है।

[हिन्दी]

आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसको डिफेंड कर रहे हैं कि मक्का-मदीना में शिवलिंग है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा: इनके मन में जो आयेगा, वही बोलेंगे क्या?

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह क्या करते हैं?

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपनी सीट पर पहले ही बैठ चुके हैं। मैं उन्हें अपने भाषण को जारी रखने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित किताब है क्या, जिसे आप कोट कर रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय इसका उत्तर भी दे सकते हैं। आप इस मामले को क्यों उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: गुजरात के कोर्स के अन्दर यह दर्ज है, मैं इसे कोट कर रहा हूं कि जो लोग मक्का के अन्दर जाते हैं, वे लोग शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यदि कोई ऐसी बात कही जाती है जो सही नहीं है तो कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यही बात मैं आपको कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे फैसला करने वाले अधिकारी नहीं हैं *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: वे उसे बोलने से कैसे रोक सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस सभा को कैसे नियंत्रित करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यदि हमें वही बोलना है जो वह सुनना पसंद करते हैं तो इस संसद को भूल ही जाएं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: इन्होंने इसी तरीके से सोमनाथ चटर्जी को नहीं बोलने दिया, एक साथ 50 लोग खड़े हो जाते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने चार वाक्य भी नहीं बोले हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: आप लोग पूरे देश के अन्दर आग लगाना चाहते हैं, इसमें कोई शुबह की बात है? आज उत्तर प्रदेश भाइनोरिटी के जो नये स्कूल खुल रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अलवी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: उनको इस शर्त के साथ रिकगनीशन दी जा रही है कि उन्हें वही कोर्स पढ़ाना पड़ेगा, जो कोर्स आर.एस.एस. और बी.जे.पी. चाहती है। सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर यह हो रहा है और उस उत्तर प्रदेश के सारे इतिहास को, सारी तारीख को बदलने की साजिश हो रह है। यह तो मुमकिन है, मैंने लोगों को देखा है कि तवारीख बनायें, लेकिन यह पहली बार देख रहे हैं कि लोग तवारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

सायं 7.00 बजे

अगर आपके अंदर हिम्मत है, कूवत्त है तो नया इतिहास बनाएं, नई तारीख बनाएं, पिछला इतिहास बदला नहीं जा सकता, तारीख के पन्ने नहीं बदल सकते। उत्तर प्रदेश में कोर्स की एक किताब के अंदर, मैंने अपने कानों से दूरदर्शन पर सुना है कि कुतुब मीनार कहा जाता है कि कुतुबद्दीन ऐबक ने बनाई थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी। यह इतिहास बदलने की कोशिश है। कभी जाकर कुतुब मीनार को देखा भी नहीं कि नीचे से ऊपर कितनी आयतें लिखी हुई हैं। कभी जाकर वहां देखते तो ऐसा नहीं कहते। जो चीज दूसरे ने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राशिद अलवी]

बनाई, उस पर अपना नाम लिखकर तारीख नहीं बदल पाओगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी.पी. सिंह बदनोर, कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: संस्कृत को कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं हूं। जोशी जानते हैं, मेरी छोटी बहन ने संस्कृत में एम.ए. किया है और हिन्दी में पी.एच.डी. की है, लेकिन संस्कृत को जरूरी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशनिस्ट, श्री अनिल सद्गोपाल ने कहा है–

[अनुवाद]

> ''संस्कृत एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है और इसे उन्हें ही इसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जहां कि संस्कृत का ज्ञान प्रासंगिक है। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।''

[हिन्दी]

यह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप संस्कृत को जरूरी विषय बनाएं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई जाए। आस्टॉलॉजी को कम्पलसरी नहीं किया जा सकता। अभी हमारे साथी स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा था कि आस्ट्रॉलॉजी से हम 100 साल के बाद भी बता सकते हैं कि सूर्य कब निकलेगा, कब डूबेगा। आस्ट्रॉलॉजी से नहीं, मैथमैटिक्स से बताया जाता है और मैथमैटिक्स का सहारा आस्ट्रॉलॉजी लेती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सारी की सारी बी.जे.पी. की सरकार ही आस्टॉलॉजी पर चल रही है। आस्ट्रॉलॉजर को बुलाकर पूछा जाता है कि किस तारीख को प्रधान मंत्री पद की ओथ ली जाए। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से उपाय नहीं हो सकते। अभी एक डा. के.जी. रस्तौगी को जोशी जी ने दो बोर्ड के अंदर नॉमिनेट किया। डा. रस्तौगी के बारे में श्री के. सुदर्शन, जो आपके आर.एस.एस. के चीफ हैं, उन्होंने कहा ''वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सच्चे सिपाही हैं'' उनके ट्रू सोल्जर होने की वजह क्या है कि कम्यूनल रायट्स के अंदर एक खूबसूरत मुस्लिम लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े थे, उन्होंने कहा कि मैंने उस लड़की को मार दिया, किस्सा खत्म हो गया ताकि उसके ऊपर डिस्प्यूट न हो। यह ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो मैं सदन के अंदर पेश कर रहा हूं। उनको दो बोर्ड के अंदर आपने नॉमिनेट किया। मैं पूछना चाहता हूं कि रस्तौगी साहब एजुकेशन के अंदर क्या काम करेंगे, किसलिए उनको नॉमिनेट किया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्री रस्तोगी जी किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: वह इसे स्वीकार कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: आज नहीं हो सकते, लेकिन जोशी जी आपने किया था। उसकी कापी मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने नॉमिनेट किया था या नहीं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वे किसी भी बोर्ड या समिति के सदस्य नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: एजुकेशन के अंदर उन चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे देश का और उनका मुस्तकबिल ठीक हो सके। विवादित चीजें इतिहास के अंदर हो सकती हैं, लेकिन मासूम बच्चों के लिए ठीक नहीं हो सकती। बच्चों का सिलेबस ऐसा बनाया जाए, जिससे बच्चे हमारा मुस्तकबिल बनें, क्योंकि वे आने वाला कल हैं। इस देश का सारा भार आने वाली नस्ल पर है।

अगर आने वाली नसलें तबाह हो गई, तो यह देश तबाह हो जाएगा। यह देश ऐसा है, जिसमें 4000 से भी ज्यादा कास्ट्स हैं, 325 जुबानें हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का आदमी दिल्ली के कनाट-प्लेस में घूमने आ जाता है, तो लोग उसको फार्नर समझ लेते हैं। इस देश के अन्दर मुख्तलिफ जुबानें हैं, मुख्तलिफ लिबाज हैं और मुख्तलिफ मसायल हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये दबाव डालेंगे कि सबको एक ही कोर्स पढ़ना है, तो यह मुमकिन नहीं है। इससे यह देश खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि संविधान में जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप सांसदों की एक समिति बनायें, जिनमें विभिन्न दलों के सदस्य हों। जो इस देश के स्कूलों और कालेजों का सिलेबस तय करें। इत्तिफाक से आप राम का नाम लेकर सत्ता में आ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अलग सिलेबस देश के बच्चों को पढ़ाने का काम करें।

आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश के अन्दर वही प्रधान मंत्री बन सकता है, जिसकी कुछ सैक्युलर इमेज हो। वाजपेयी जी की इत्तिफाक से 19-20 सैक्युलर इमेज है, इसलिए वे प्रधान मंत्री बन गए। आप प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, तो आप अपनी इमेज को सैक्युलर बनाने की कोशिश कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने शिक्षा के भगवाकरण पर सदन में चर्चा शुरू की है। सोमनाथ चटर्जी जी को बैस्ट पार्लियामेंटेरियन एवार्ड से गौरवान्वित किया गया है। इस सदन में शिक्षा पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, बल्कि इस चर्चा को अधिक महत्व देना चाहिए। आज देश के अन्दर बेरोजगारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं, चाहे वह ग्लोबलाइजेशन के कारण हो, चाहे वह बीमार होने वाले उद्योगों के कारण हो या बढ़ती हुई आबादी के कारण हो, मुझे अपेक्षा थी कि वे, श्री सोमनाथ चटर्जी, नियम 193 के तहत इस संदर्भ को लेकर सदन में चर्चा उपस्थित करते।

महोदय, मैं भगवाकरण का अर्थ अभी तक नहीं समझ पाया हूं। न ही सोमनाथ चटर्जी जी के वक्तव्य में कहीं उसका जिक्र है। दुर्भाग्य से इस सदन में जो भी चर्चा होती है, उसे सीधे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, चाहे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के सदस्य हों। ...*(व्यवधान)* हर घर में विवाद होता है और विवाद होने पर कोई घर को छोड़कर नहीं जाता है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यहां भगवाकरण का जिक्र किया जा रहा है। मैं आल्वी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन कौन सा इतिहास, हम किस इतिहास की चर्चा सदन में कर रहे हैं। किन लोगों ने इतिहास लिखा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धीरे-धीरे हम अपने आपको भी भूलने लगे हैं। यह वास्तविकता है कि हम अपने अस्तित्व को भी भूलने लगे हैं। यह संशोधन का विषय हो सकता है कि हम अपने आपको किसलिए भूल रहे हैं। हिन्दुस्तान का एक समृद्ध इतिहास है, जिसे लेकर हम हमेशा गर्व करते रहे हैं।

महोदय, आज जो शिक्षा हमें मिल रही है, हमें उस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। आज हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, क्या वह हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकती है या उसके मुकाबले हमें खड़ा कर सकती है। हम सदन में कई बार वित्तीय मामलों पर चर्चा करते हैं। जब हम चर्चा करते हैं और हमारे सामने कोई आंकड़े आते हैं तो देखते हैं कि हमारी आबादी के दस प्रतिशत लोग भी स्वेच्छा से इंकम टैक्स नहीं भरते। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि किस प्रकार इंकम टैक्स बचाया जाए। मैं यह बात सदन में इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आजादी के 50 वर्ष के बाद भी राष्ट्र के प्रति हमारे मन में जो प्रेम या श्रद्धा होनी चाहिए, वह बढ़ने की बजाए कम होती जा रही है। हमें राष्ट्रीयता का अभाव दिखाई दे रहा है, इसी कारण कुछ गलत बातें हो रही हैं, कभी धर्म के नाम पर और कभी प्रातींय विवादों के नाम पर इसमें भी राजनीति है।

महोदय, मैं सदन को एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां बार-बार धर्मनिरपेक्षता और सेक्यूलरिज्म की बात की जाती है और कहा जाता है कि यह देश सेक्यूलर है। सेक्यूलरिज्म की बात संविधान बनाते समय नहीं थी, उसके बाद आई। हमारे मूल संविधान में कहीं भी सेक्यूलरिज्म का जिक्र नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक सहूलियतों के लिए अलग-अलग निर्णय समय पर करते रहते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता थी। ...*(व्यवधान)* उस समय बेरिस्टर बाबा साहेब भोंसले महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। जब वह वहां मुख्य मंत्री थे तो हमारे अल्पसंख्यक भाईयों ने किसी पुस्तक के एक पाठ का विरोध किया। महाराष्ट्र के इतिहास पर सारे देश को गर्व है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उसमें एक पाठ था जिसमें अफज़लखां की हत्या शिवाजी महाराज ने किस प्रकार की थी, उसके बारे में चित्र सहित पाठ था। कुछ लोगों ने एतराज किया कि अगर इस पाठ को पढ़ाया जाएगा तो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वे इसकी वजह से अपमानित हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले माननीय अलवी जी बता कर गये हैं कि इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सब कुछ हुआ और राजनैतिक लाभ के लिए उस पाठ को ही उस किताब से हटाया गया। ये बातें लगातार चलती आ रही हैं।

सायं 7.16 बजे

(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए)

सभापति जी, आज भगवाकरण की बात यहां हो रही है। भगवाकरण का मतलब क्या है? यह हमारे सनातन धर्म का ध्वज है और इसको हमारे साधु-संतों से लेकर भारत के सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया था और सभी ने इस पर गर्व किया था। इसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, सभी के ध्वजों का रंग केसरिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: कृपया जैनधर्म और बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म से मत जोड़िए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं रंग की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि इसमें अन्तर्निहित भावना की बात कर रहा हूं जो धर्म की भावना है, उसकी बात कीजिए। इसलिए बौद्ध को हिंदुओं के रंग के साथ मत मिलाओं...*(व्यवधान)* बौद्ध मत में भगवाकरण नहीं है हिंदू धर्म में है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: बौद्ध मत में जो आपके पुजारी हैं वे जो वस्त्र धारण करते हैं उनका कौनसा कलर है? बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरू हैं, वे जो वस्त्र पहनते हैं वे भी सैफरन कलर ही पहनते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): बौद्ध धर्म की बात मत कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम सिर्फ अपने राजनैतिक मतलब के लिए ऐसी बातें करते हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं हैं।

सभापति जी, हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था। वह धर्म के नाम पर हुआ। मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन किसी हिंदू नेता ने देश के बंटवारे की मांग नहीं की थी।...*(व्यवधान)* हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था।...*(व्यवधान)* हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के मानने वाले लोग हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश के जो बहुसंख्यक लोग है उन्हें गाली देना, उन्हें हिंदुवादी कहकर अपमानित करना, उनके देवी-देवताओं को अपमानित करना धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)* आज की धर्म-निरपेक्षता इस ओर मोड़ लेने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: सर, हिंदू धर्म का हम आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए, आपकी बात प्रौसीडिंग में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण करिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मेरा हिन्दू धर्म में जन्म हुआ है। जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उस पर गर्व करना पाप नहीं है, जुर्म नहीं है। आज धर्म निरपेक्षता के नाम पर यह कहना कि तुम हिन्दू धर्म में पैदा हो गए हो इसलिए अपराध है, कहना गलत होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ऐसा किसी ने नहीं कहा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: आज हमारे ऊपर इसी प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं और हिंदू धर्म को मानने वालों को अपराधी माना जाता है। इसे अपराध कहां माना जा रहा है? हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा कहा जा रहा है। हिन्दुस्तान में हिन्दुत्व को अपराध माना जाता है, शाप माना जाता है और गाली मानी जाती है, यह कौन सा तरीका है? हिंदुत्व आगे भी रहेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: आप नहीं रहेंगे तब भी हिन्दुत्व रहेगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम नहीं रहेंगे लेकिन हिन्दुत्व रहेगा। आपका मार्क्सवाद भविष्य में नहीं रहेगा। ...*(व्यवधान)* जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से हिडन एजेंडा की बात हो रही है। बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है। आप उनके ऊपर कौन से संस्कार डालने जा रहे हैं? यदि किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो प्रार्थना के ऊपर भी विवाद होता है। यदि सरस्वती वंदना की जाती है तो इसमें क्या गलत है? हम सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। ...*(व्यवधान)* आप भले न मानते हों लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: टीडीपी ने कहा कि यह ठीक नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। यदि इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं और उन्हें वहां इस्लाम की प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए तो क्या गलत है? ...*(व्यवधान)* सरस्वती वंदना में क्या गलत है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामदास जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत गंगाराम गीते: इस देश की छवि को सैकुलरिज्म के नाम पर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसे बदलने का क्या फायदा होगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

आप बिना अनुमति के बार-बार उठ जाते हैं और सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप बैठ जायें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, स्वामी विवेकानंद का यहां जिक्र किया गया। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म की दूसरे धर्म के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। धर्म की लड़ाई सिर्फ अधर्म के साथ हो सकती है। आप लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधर्म का साथ देने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* अधर्म का मतलब है कि देश में रहकर या इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति की श्रद्धा निवेश में हो तो वह अधर्म है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग बार-बार क्यों उठ रहे हैं? मि. राष्ट्रपाल, आप बैठ जायें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: जिन लोगों की श्रद्धा विदेश पर है, वह अधर्म है और उस अधर्म के खिलाफ लड़ना भी आवश्यक है। हमें दुख इस बात का है कि हमारे ही देश में हमें अपराधी की तरह जीना पड़ रहा है।

सभापति महोदय: श्री गीते, अब आप कनक्लूड करिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, यहां पर धर्म के नाम पर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* आप अपने देश को भूल रहे हैं, अपने इतिहास को भूल रहे हैं। क्या हम अपने इतिहास को भूलना चाहते हैं? सभापति जी, भगवाकरण इस देश की आत्मा है और आप इस देश की आत्मा को नहीं मिटा सकते। इसलिए श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो चर्चा उपस्थित की है, मैं उसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, प्रो. वी.के. मल्होत्रा के साथ-साथ स्वामी चिन्मयानन्द ने महात्मा गांधी के बाद देश के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्तुत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में कहा है कि इसमें भगवाकरण कहां है। और मैं इस दस्तावेज की प्रस्तावना के पहले वाक्य, पहली पंक्ति से शुरू करने की इच्छा रखता हूं जो कि उस भगवाकरण के मूल की ओर हमें ले जाता है जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है, इसकी पहली पंक्ति के अनुसार:

> ''भारत राष्ट्र अपने बच्चों को शिक्षा देने हेतु नवीन और प्रभावी तरीकों का पता लगाने के लिए प्रयासरत है।''

नहीं, महोदय, भारतीय राष्ट्र इसके लिए प्रयासरत नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी है जो शिक्षा के नवीन तरीकों के लिए प्रयासरत है। महोदय, इस राष्ट्र ने तो 1986 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह निर्णय ले लिया था कि हमारे बच्चों को शिक्षा देने के नवीन और प्रभावी तरीके क्या हों। उस नीति को संसद के समक्ष रखा गया था, संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था और 1992 में संसद द्वारा पुन: संशोधित किया गया था।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी की इच्छानुसार हमारे बच्चों को धोखा देने के लिए नवीन और प्रभावी तरीकों का पता लगाने हेतु माननीय मंत्री ने चालाकी का सहारा लिया है। मंत्री ने प्रस्तावना के पैराग्राफ 11.5 को नया रंगरूप दिया है-यह उनके द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि उनके निदेश पर एन सी ई आर टी के निदेशक द्वारा लिखा गया है, और इसे उन्हें अपनी चालाकी को औचित्यपूर्ण बताने के लिए 1986 की नीति हेतु स्वीकार करना पड़ा है। महोदय, मैं अपने साथ पैराग्राफ 11.5 के मूल पाठ को लाया हूं और मैं आपके समक्ष पहली पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके अनुसार:

> ''नई नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन की प्रत्येक पांच वर्षों में समीक्षा की जानी चाहिए।''

नीति की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों पर नहीं की जानी हैं। और तो और, इस समीक्षा का उद्देश्य क्या है? 1992 की कार्ययोजना और प्रस्तावना के दूसरे पैराग्राफ में यह उद्धृत है जिसके अनुसार मौलिक आवश्यकता पाठ्यचर्या के आधुनिकीकरण की है। ज्योतिर्विज्ञान के माध्यम से आधुनिकीकरण। कर्मकांड में अवधि के माध्यम से आधुनिकीकरण। वैदिक गणित के माध्यम से आधुनिकीकरण। महोदय, प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानदण्डों अथवा 13 वर्ष पुरानी, 1988 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के कार्यान्वयन पर नहीं है बल्कि मूल रूप से इन मानदंडों और विषय सामग्री को बदलने पर है।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

महोदय, प्रस्तावना के पृष्ठ VII (छोटे रोमन अक्षर) के इस वाक्य पर विचार करें वह वैदिक गणित को शुरू करने के बावजूद रोमन अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं। जहां आप इस चमत्कारी वाक्य को पाएंगे। वह कहते हैं: ''स्वदेशीपन''-मैं नहीं जानता कि डा. राजपूत ने अपनी अंग्रेजी कहां से ली है। परन्तु वह कहते हैं:

> ''इसलिए पाठ्यचर्या की स्वदेशीयता की जोरदार अनुशंसा की जा रही है। इसलिए, इसने ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है जिसकी जड़ें भारतीय यथार्थता में हों।''

यह आपकी प्रस्तावना में है और मैं देख रहा हूं कि प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा यहां से गायब हो चुके हैं। महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि इस अनर्गल का जवाब दिनांक 12 मई, 1992 को राज्य सभा में माननीय मंत्री महोदय के पूर्ववर्ती श्री अर्जुन सिंह द्वारा दिया गया था जब उन्होंने कहा, और मुझे विश्वास है कि मैं राज्य सभा के रिकार्ड से उद्धृत कर सकता हूं:

> ''महोदया, मैं एक माननीय सदस्य से यह सुनकर बड़ा खिन्न हुआ था कि यह नीति हमारे औपनिवेशिक अतीत का अवशेष थी और हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में अपनाई गई नीतियों को त्याग नहीं पाए थे। मैं पूरी विनम्रता किन्तु दृढ़ता से इस आक्षेप का खंडन करना चाहूंगा। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा जगत के डा. सर्वपल्लि राधाकृष्णन और डा. कोठारी जैसे विद्वान लोगों को स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनमें परिवर्तन करने की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।''

उन्होंने आगे कहा:

> ''मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई यह सुझाव भी दे सकता है कि ऐसे विद्वान व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने हेतु औपनिवेशिक अतीत को अपनाया होगा।''

क्या प्रोफेसर जोशी अपने आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद से भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी अथवा शिक्षा मंत्री मानते हैं? क्या वह अपने आप को डा. कोठारी से भी महान् शिक्षाविद् मानते हैं?

वाह! क्या वह अपने आपको डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी बड़ा हिन्दू समझते हैं? महोदय, इन मंत्री जी का उद्देश्य स्वदेशीकरण नहीं, बल्कि भगवाकरण है और वह भी इसलिए कि वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में राष्ट्रीय आम सहमति से भगवाकरण नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो सही है वे उन्हीं को अपने विलक्षण कौशल से चुपके-चुपके निकाल कर बाहर कर रहे हैं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री को शिक्षा पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की उस तरह की बैठक बुलाने की चुनौती देता हूँ। जैसा कि राजीवजी द्वारा अप्रैल, 1986 में बुलाई गई थी ताकि जिस नई दिशा में प्रो. जोशी हमारे बच्चों की शिक्षा को ले जाना चाहते हैं उस पर चर्चा की जा सके और यदि प्रधानमंत्री बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से यह चाहते हैं कि उन्हें अपने सहयोगी के शिक्षा के विभाजनकारी तौर तरीकों से कुछ लेना देना नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक उसी तरह की बैठक बुलाने की चुनौती देता हूं जैसी उन्होंने 1998 में बुलाई थी। जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा उन्हें अपमानित किया गया था और उनके ही प्रधानमंत्री ने उन्हें छोड़ दिया था। देश को यह देखना होगा कि क्या मंत्री जी के इस भगवाकरण के एजेंडे को तेलगू देशम पार्टी जैसे उनके ही राजग सहयोगियों से समर्थन मिल सकता है, पूरे देश की बात तो छोड़ ही दीजिए क्या यहां यह बात नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन क्यों नहीं कर पाया? 1935 से यह पहली बार हुआ कि देश में इतने समय तक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं हो सका।

मैं वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस पैरा 10.2 की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसे लागू करने के लिए वह कर्तव्यबद्ध हैं, चाहे वे इसे चाहें या न चाहें। मैं पुन: प्रमाणित मूल पाठ से 10.2 पैरे को पढ़ रहा हूं जिसमें कहा गया है:

> ''शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास की समीक्षा करने, पद्धति में सुधार करने हेतु अपेक्षित परिवर्तन निर्धारित करने तथा कार्यान्वयन की निगरानी करने में निर्णायक भूमिका अदा करेगा।''

यह 'निर्णायक भूमिका' कहलाती है। मंत्री महोदय, आपने अपने आभार प्रदर्शन के द्वारा उन सभी को जिनसे आपने सलाह करने का दावा किया है तथा राष्ट्र को धोखा देने का प्रयास क्यों किया है? वे उस शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरते हैं जिसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से निर्णायक भूमिका सौंपी गई है। आपकी शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के पास जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यह हमारे बच्चों के मनोमस्तिष्क को

परिवर्तित करने और उनकी आत्माओं का भगवाकरण करने के आपके एकपक्षीय और अभिप्रेरित अधिकार को निकाल बाहर करेगा। यह संसद शिक्षा के इस भगवाकरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

आपकी प्रस्तावना भारत के वैभवपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में एक विशेष जागरूकता का दावा करती है। यदि आपका यह अभिमान वास्तव में आपकी इस जागरुकता के कारण है, तो फिर आपने, सन्सकृत या संस्कृत, जैसाकि आप इसे अंग्रेजी में बोलते और लिखते हैं, को विशिष्ट गर्व का स्थान क्यों दिया था? सोनियाजी के हस्तक्षेप का संदर्भ देते हुए, स्वामी चिन्मयानन्द हमारी वर्तमान शिक्षा नीति में संस्कृत के आविर्भाव को यहां लाए।

मैं 1986 की नीति जिस की प्रति मेरे पास है, के पैराग्राफ 5.33 की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करता हूं। पैराग्राफ 5.33 में कहा गया है:

> ''भारत के ज्ञान के प्राचीन कोष का गहन शोध करने और इसे समकालीन यथार्थता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रयास का तात्पर्य संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के गहन अध्ययन की सुविधाओं के विकास से होगा।''

वर्ष 1986 की शिक्षा नीति जिसे 1992 में पुनरावृत्त किया गया था, संस्कृत के अध्ययन को अन्य शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन से जोड़ती है। और 1992 की संशोधित नीति निरुपण समीक्षा के मूल पैराग्राफ 5.33 में एक और वाक्य जोड़ा हुआ है और उस वाक्य में यह कहा गया है:

> ''संस्कृत में पाठन, अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु एक स्वायत्तशासी आयोग गठित किया जाएगा।''

औ इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद स्वामी रुक गए परन्तु वास्तव में इसमें कहा गया था, ''संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं में''। स्वामी चिन्मयानंद यह क्यों भूल गए? और ये शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं?

मेरे पास 1992 की कार्य योजना है। मैं पैरा 18.7.5 का जिक्र कर रहा हूं जो कि निगरानी तथा मूल्यांकन के बारे में है। यह पृष्ठ 186 पर है। ये शास्त्रीय भाषाएं कौन-कौन सी हैं? स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। इसमें कहा गया है:

> ''संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तथा संस्कृत, फारसी तथा अरबी भाषाओं के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की जाएगी। ऐसी ही व्यवस्था राज्य स्तर पर करनी पड़ेगी।''

1986 की नीति, 1992 के संशोधन तथा 1992 की कार्य योजना यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हम संस्कृत को कम-से-कम उन तीन शास्त्रीय भाषाओं अर्थात् संस्कृत, अरबी तथा फारसी में से एक मानते हैं जिन्हें भारत में बोला जाता है और प्रयोग में लाया जाता है और इसको सम्पोषित किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु आपने क्या किया है? आपने अरबी तथा फारसी को विदेशी भाषाएं कहा है। मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के पृष्ठ 55 की ओर आकृष्ट करता हूं। खण्ड 2.8.5 में 'विदेशी भाषाएं' शीर्षक के अंतर्गत आपने कहा है 'विदेशी भाषाएं यथा अरबी और फारसी'। आप इसे कैसे बदल सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या आप समझते हैं कि अरबी और फारसी भारतीय भाषाएं हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: हां, हमारा भगवाकरण से यही तात्पर्य है। मुझे खुशी है कि यह मुद्दा उठाया गया है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: संस्कृत का हमारे संविधान में उल्लेख हुआ है परन्तु अरबी और फारसी का नहीं हुआ है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में संस्कृत का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है।

श्री मणि शंकर अय्यर: जब डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा बोले थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। मैंने दो बार उनकी बात मानी है। अब मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा।

इसी को ही हम 'भगवाकरण' कह रहे हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-जिसे संसद् ने तब पारित किया था जब भाजपा के केवल दो संसद्-सदस्य थे-और 1992 की कार्ययोजना के अनुसार, हम संस्कृत, फारसी और अरबी को शास्त्रीय भाषाएं मानते हैं, जिनको हमारी शिक्षा-प्रणाली में प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। जिस बात को डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने बिलकुल प्रत्यक्ष तौर पर कहा, उसी को डा. मुरली मनोहर जोशी परोक्ष रूप से ले आने की कोशिश कर रहे थे। मैं डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा के हस्तक्षेप को न मानते हुए यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं यह प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं या नहीं कि मध्य-पूर्व में जिन धर्मों का अभ्युदय हुआ वे भारत की समृद्ध बौद्धिक व सांस्कृतिक विरासत का एक अनपहार्य भाग हैं? क्या आप यह मानते हैं कि 'अहले किताब, आदिवासियों,

[श्री मणि शंकर अय्यर]

द्रविड़ों और आर्यों की संस्कृति का भी हिस्सा है? यदि हां, तो फिर अरबी और फारसी; और इसी तरह लैटिन, पाली और वस्तुत: तमिल थी-संस्कृत से किस प्रकार कम देशी या कम शास्त्रीय भाषाएँ हैं? ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: चौदह राष्ट्रीय भाषाओं में अरबी और फारसी को स्थान नहीं दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: कौशल से मेरा यही आशय है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): भारत की जनता के पास जाइए और उनसे कहिए कि फारसी और अरबी भारतीय भाषाएं हैं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: हम 1885 से गत 116 वर्षों से भारत के लोगों के पास जाते रहे हैं, और यह बताते रहे हैं कि हम मुसलमानों की इज्जत करते हैं। उनकी पवित्र पुस्तकें जो अरबी और फारसी में लिखी हैं वह हमारा ही एक हिस्सा हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: यह तथ्यों से छेड़छाड़ है। वह कह रहे हैं कि अरबी और फारसी भारतीय भाषाएं हैं ...*(व्यवधान)* यही झगड़ा है। आप भारतीयों को इसके बारे में बताएं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये। ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: मैंने उनका उत्तर सुना है। मैंने यह मंत्री महोदय से नहीं सुना है। लेकिन मैंने उनके समर्थकों को ऐसा कहते सुना है। यह बहुत स्पष्ट है कि उनका उत्तर यह है कि संस्कृत एक स्वदेशी और शास्त्रीय भाषा है क्योंकि इस देश की 85 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है और केवल 15 प्रतिशत और उससे कम ...*(व्यवधान)*। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप कहते हैं कि इस देश की 85 प्रतिशत आबादी हिंदू है और 15 प्रतिशत से कम एहले किताब है। केवल इसी से इस तरफ और उस तरफ का मूल अंतर पता लगाता है। वे 85 प्रतिशत भारतीय हैं। हम सौ प्रतिशत भारतीय हैं। यह एक बड़ा अंतर है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के प्रारूप में पृष्ठ 3 पर आगे लिखा है:

> ''ऐसा प्रतीत होता है कि समकालीन भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से ने स्वयं को धार्मिक-वैचारिक आचार, सामाजिक संरचना और पूर्व की विरासत की समझ से अलग कर लिया है।''

मंत्री महोदय, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप स्वयं देखें कि कौन हमारे आचार-व्यवहार से अलग हो गया है; और आपका भगवा छाप हिन्दुत्व अथवा डा. राधकृष्णन जिनकी ऐतिहासिक पुस्तक ''द हिन्दु वे ऑफ लाइफ'' आपके हिंदुत्व से बहुत अलग है। आगे आपने पृष्ठ 13 पर कहा है:

> ''हमारे बच्चे न्यूटन के बारे में क्यों जानते हैं? वे आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानते। वे कम्प्यूटर के बारे में तो जानते हैं लेकिन वे शून्य या दशमलव प्रणाली के उद्भव के बारे में नहीं जानते।''

मैं मंत्री महोदय के बच्चों के बारे में नहीं जानता। लेकिन मेरे सारे बच्चे जानते हैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो कि गणित में प्रथम श्रेणी स्नातक है जानती है कि भारत ने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी और संसार की मानव सभ्यता को रोमन अंकों की संकीर्णता से बचाया। मैं आपको भारतीय गणित के बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरू के सुविचार संबंधी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने अपनी पुस्तक, ''द डिस्कवरी ऑफ इंडिया'' के पृष्ठ 216 से 221 तक में व्यक्त किए हैं। जो स्वतंत्रता से कहीं पहले प्रकाशित हुई थी।

सायं 7.48 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

> ''गणित के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा की गई आश्चर्यजनक प्रगति अब जगजाहिर है और यह माना जाता है कि भारत में आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव बहुत पहले रख दी गई थी। संभवत: आरम्भ में वैदिक वेदियों के निर्माण में एक प्रकार के रेखागणितीय बीज गणित का उपयोग किया जाता था। भारत में शून्य और दशमलव के स्थान मूल्य प्रणाली को अपनाने से अंकगणित और बीजगणित के क्षेत्र में वृद्धि की तीव्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। गणित के क्षेत्र में यह और ऐसी अन्य विचारधाराओं को

प्रख्यात गणितज्ञों ने पांचवीं से बारहवीं शताब्दी ईसा-पश्चात तक अपनी पुस्तकों में कलमबंद किया। इससे पहले भी आठवीं शताब्दी ईसा-पूर्व में 'बौद्धायन' और पांचवीं शताब्दी ईसा-पूर्व की 'अपस्तम्बा' और 'कात्यायन' जैसी पुस्तकों में भी रेखागणितीय समस्याओं विशेषकर त्रिकोण, आयात और वर्ग जैसी समस्याओं के हल के बारे में लिखा गया है। परंतु इनमें बीजगणित पर सबसे पहली पुस्तक प्रख्यात खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने लिखी जिनका जन्म, ''क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं? ''476 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने खगोलशास्त्र और गणित पर यह पुस्तक तब लिखी थी जब वे केवल 23 वर्ष के थे। आर्यभट्ट, जिन्हें कई बार बीजगणित का प्रणेता भी कहा जाता है, उन्हें चाहे आर्थिक रूप से ही सही कहीं न कहीं अपने कार्य को पूरा करने हेतु अपने पूर्ववर्तियों पर भी निर्भर करना पड़ा होगा। भारतीय गणित के क्षेत्र में जो अगला प्रख्यात नाम है वह भास्कर-प्रथम (522 ईस्वी) है और उनके पश्चात ब्रह्मगुप्त (628 ईस्वी) हुए जो एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री भी थे जिन्होंने शून्य का उपयोग करने के नियम बनाए और अन्य उल्लेखनीय कार्य किए। इनमें अंतिम प्रख्यात नाम भास्कर-द्वितीय का है जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खगोलशास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर तीन पुस्तकें लिखीं। अंकगणित पर उनकी पुस्तक को लीलावती के नाम से जाना जाता है जो गणित के किसी ग्रन्थ के लिए एक विचित्र सा नाम लग सकता है क्योंकि यह एक महिला का नाम है।''

इस पुस्तक में बार-बार एक युवा लड़की का उल्लेख आता है जिसे 'ओ लीलावती' कहकर संबोधित किया गया है और उसके बाद उसे आसन्न समस्याओं के बारे में निर्देश दिया जाता है। यद्यपि इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है परन्तु फिर भी ऐसा माना जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी। इस पुस्तक में बात कहने की शैली स्पष्ट और आसान है और यह युवाओं को आसानी से समझ में आती है। यह पुस्तक 1940 की है। अभी भी इस पुस्तक का उपयोग आंशिक रूप से इसकी शैली के लिए संस्कृत विद्यालयों में किया जाता है। अत: यह क्या है? क्या यह एन.सी.ई.आर.टी. की घिसी-पिटी अभिव्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत और व्याकरण के लिहाज से अधिक स्पष्ट नहीं हैं?

महोदय, यह दावा किया जाता है कि यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम श्री एस.बी. चव्हाण की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की 81वीं रिपोर्ट पर आधारित है और डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने इसे जोर-शोर से उठाया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से इसका उत्तर पूछ रहा हूं। चव्हाण समिति की रिपोर्ट में ऐसी बेसिरपैर की बातें हैं। पृष्ठ 18 पर 'मूल्यों का विकास करने हेतु शिक्षा'? खण्ड के अंतर्गत को छोड़कर कहीं देखने की नहीं मिलती, मैं उद्धृत करता हूं:

> ''उनमें मूल्यों के आधार पर दी गई शिक्षा के माध्यम से स्वयं की पहचान की क्षमता विकसित की जा सकती है और इससे वे अव-चेतना से परा-चेतना के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकेगी।''

क्या यह एक राष्ट्रीय पाठयक्रम का प्रारूप है या किसी 'स्वामीजी का प्रवचन'? अब, कृपया आगे के दो पृष्ठों को देखिए। मैं पृष्ठ संख्या 20 पर लिखे हुए को पढ़कर सुनाता हूं:

> ''इस दिशा में वह सभी कदम उठाये जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षा के नाम पर कर्मकांडों का प्रचार न हो।''

पर उन्होंने स्वयं कहा था। तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'पुरोहित' की डिग्री का प्रचार करने को कोई क्या कहेगा? यदि यह कर्मकांड नहीं है और इससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष निकालें मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: यह किस पृष्ठ पर है?

श्री मणि शंकर अय्यर: यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रलेख के पृष्ठ संख्या 20 पर है।

श्री विजय गोयल: यह कहां है?

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्हें स्वयं देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, आप अगले वक्ता है। आप उस समय इसे उद्धृत कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल हमारे पास अधिक समय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मणि शंकर अय्यर: यह अंतिम पैरा है। मैं उसमें से पढ़ रहा हूं।

इससे पहले कि माननीय मंत्री महोदय किसी निष्कर्ष पर पहुंचें मैं उन्हें एक सुझाव दे दूं कि वे यह न भूलें कि एक 'अय्यर' भी जोशी की तरह एक अच्छे 'पुरोहित' होते हैं। जब उनकी बौद्धिक स्तर (आई.क्यू.) के स्थान पर भावनात्मक स्तर (ई.क्यू.) और अध्यात्मिक स्तर (एस.क्यू.) को तरजीह देने वाली उनकी

[श्री मणि शंकर अय्यर]

काल्पनिक संकल्पनाओं की तीखी आलोचना हुई तो उन्होंने अंतिम प्रारूप के पृष्ठ 27 में बहुमुखी बुद्धिमत्ता के प्रश्न को उठाया है।

मैं उन्हें बधाई देता हूं और यह उचित भी है लेकिन उनका संपादन इतना खराब है कि भावनात्मक स्तर और अध्यात्मिक स्तर की संकल्पनाओं का उल्लेख पृष्ठ 7 पर देने के बाद फिर पृष्ठ 34 पर कहा गया है कि 'हमें जीवन के बुनियादी कौशल और उच्च स्तर का बौद्धिक और अध्यात्मिक स्तर विकसित करना चाहिए। उनहें यह पता ही नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं।

पहले पेपर में इसका उल्लेख पृष्ठ 27 पर किया गया था और उनके पास यह पता लगाने का भी समय नहीं है कि इसका उल्लेख किसी दूसरे स्थान पर भी किया गया है या नहीं। आजकल कम्प्यूटर उपलब्ध है और आपको केवल ई.क्यू और एस.क्यू. लिखना होता है और कम्प्यूटर आपको बता सकता है कि इनका प्रयोग कौन-कौन से पृष्ठों पर हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी समय समाप्ति का संकेत करने वाली घंटी सुन ली है और अत: मैं आपकी बात इस 'अमूल्य रत्न' पर समाप्त कहना चाहता हूं। इसे राष्ट्रीय निरक्षरता के स्मारक स्वरूप से प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के पृष्ठ 128 के अंतिम पैरा से लिया गया है। कृपया इसे ध्यान से सुनें, यह आपको रोचक लगेगा, कौन जाने इससे आपको कोई शिक्षा भी मिले, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपको पूर्णतया भ्रमित कर देगा और आपको बताएगा कि इसका क्या अर्थ है। मैं इसे शब्दश: उद्धृत कर रहा हूं:

> "आदर्शवादी नीति की धारणा और इन्हें कार्यान्वित करने की सच्चाई का आपस में मेल होना चाहिए और यह बौद्धिक विचारों, व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा अविचल वचनबद्धता से मजबूत आधार पर टिकी होनी चाहिए।"

इन अनर्गल बातों का तात्पर्य क्या है? सभा इस बात को कैसे स्वीकार कर सकती है कि इस प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप को देश के उत्कृष्ट लोगों की सहमति प्राप्त है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पाठ्यचर्या के रूप में लिया गया यह बी.ए. फेल का फलसफा असफल दर्शन, मिश्रित रूपकों और उलझनपूर्ण असुद्ध प्रयोगों का बेमेल रूप है।

महोदय, यह मेरा अंतिम शब्द है। कृपया पुन: घंटी न बजाएं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस देश के 128 सबसे अच्छे और उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्रियों-मेरे पास इनकी पूरी सूची है- ने इसके ठीक 128 पृष्ठों के प्रारुप को ऐसा अनर्थक रूप दिया है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "हमारे बच्चों के साथ किये जाने वाली धोखा-धड़ी को रोकें" मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है। कृपया, हमारे बच्चों के साथ की जाने वाली इस धोखाधड़ी को रोकें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: न्यायमूर्ति अय्यर ने बाद में इसे खारिज कर दिया था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, अगले वक्ता श्री विजय गोयल हैं। सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम 8 बजे तक बैठ सकते हैं उसके बाद नहीं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल दो या तीन वक्ता शेष है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसे इस प्रकार निपटाया नहीं जा सकता है *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की है कि हम रात्रि 8 बजे तक बैठेंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें उनकी बात सुनने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने रात्रि 8 बजे तक बैठने का फैसला कर लिया है। यहां दो या तीन वक्ता शेष है। उन्हें कल बोलने दिया जाए और इसके बाद मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हम आज इस पर चर्चा पूरी करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम आज रात्रि 8 बजे तक बैठेंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि इस चर्चा को आज सम्पन्न हो जाना चाहिए। हमें श्री विजय गोयल की बात सुननी है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मणि शंकर अय्यर जी ने काफी उद्धरण देकर अपने अच्छे भाषण को यहां रखा है। मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि उनका प्रस्तुतीकरण अच्छा था, चाहे सब्जेक्ट से उनका संबंध न हो। मैं कोई डिफेंड करने के लिए

खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो एन.सी.इ.आर.टी. के अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अगर यह भगवाकरण है तो ऐसी एजुकेशन देना आज के छात्रों के लिए अनिवार्य है।

श्री राशिद अलवी: भगवाकरण से क्या मतलब है?

उपाध्यक्ष महोदय: अलवी जी आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: जिन शिक्षाविद् ने, जिन अधिकारियों ने इस कैरीकुलम को तैयार किया है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। संसद की स्थायी समिति थी, जिसमें संसद के 45 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष कांग्रेस के एक प्रमुख नेता श्री एस.बी. चव्हाण थे, उसमें सब पार्टियों के सदस्य थे। उस कमेटी की मीटिंग्स श्री एस.बी. चव्हाण समेत सभी सदस्य एटेंड करते थे। बड़ी मेहनत के बाद उस स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को एडाप्ट किया। लास्ट में श्री एस.बी. चव्हाण ने जो लिखा है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं-

[अनुवाद]

''समिति ने विचार किया और उप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार किया'' *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: यह बात तो मल्होत्रा जी भी बोल चुके हैं। आप कोई नई बात बोलिए।

श्री राशिद अलवी: क्या सारी स्थायी समिति की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था। चार घंटे में से डेढ़ घंटा डिस्टर्बेंस में ही चला गया।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.00 बजे

श्री विजय गोयल: आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का मजाक उड़ाना चाहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर संसद में विचार होना चाहिए। इसके बाद सब मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: वे अपना भाषण कल भी जारी रखेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, आठ पहले ही बज चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कम से कम उन्हें अपना भाषण तो पूरा करने दें।

श्री बसुदेव आचार्य: वे आगे और 10-20 मिनट लेंगे। वे कल बोल सकते हैं।

श्री राशिद अलवी: उन्होंने अपना भाषण पहले ही पूरा कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है। उन्होंने अपना भाषण अभी शुरू किया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम उनका भाषण सुनना चाहते हैं। वे काफी समय तक बोलेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा कल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, अब तक चार घंटे बीत गए हैं लेकिन ढाई घंटे ही चर्चा हुई हैं और डेढ़ घंटे का समय केवल व्यवधान में ही बीता। यही हाल है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सभी पर बराबर लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इसकी बराबरी करना चाहते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं, मैं नहीं चाहता लेकिन इसे समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें उनका भाषण सुनना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: वे अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: महोदय, मैं विरोधी दलों से पूछना चाहता हूं, क्या इस समिति की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया, क्या मुख्य मंत्रियों को प्रस्तावित दस्तावेज नहीं भेजे गए, क्या राज्य के मंत्रियों को बुलाया नहीं गया, क्या न्युज पेपर्स के एडीटर्स को कन्सल्ट नहीं किया गया-मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: बुलाया गया 29 जनवरी को और 27 जनवरी को आपने उस मीटिंग को रद्द किया। उसके बाद पूरे सात महीने हो चुके हैं, एक बार भी मंत्री महोदय की हिम्मत नहीं हुई कि राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलायें। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: मैं बताना चाहता हूं कि हाइ-लैवल पर कन्सलटेशन्स हुई हैं। सब को पूछा गया है। जहां तक वैस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आरएसएस के लैवल पर हुआ होगा। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: मेरी समझ में नहीं आता है, आरएसएस को क्यों नहीं पूछेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। मैं आपको बता रहा हूं अपने लिए और मेरे लिए समस्या पैदा न करें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, आठ बज गए, इस विषय पर चर्चा कल कराइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: महोदय, सोमनाथ चटर्जी जी ने जो बिन्दु उठाए हैं, उन्हीं पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। मै किसी को उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप संक्षिप्त में अपनी बात कहिए।

श्री विजय गोयल: महोदय, मैं विषय से संबंधित अपनी बात कह रहा हूं। मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कन्सल्ट करने में कोई बुराई है। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हूं और मुझे उस पर गर्व है। लोगों ने हमारी नीतियों को पसन्द किया है, तभी हम लोग शासन में बैठे हैं और आपको रिजैक्ट किया है, इसलिए आप लोग शासन से बाहर हैं। *...(व्यवधान)* मुझे जो शिक्षा मिली है, संस्कार मिले हैं, देश प्रेम मिला है, मुझे जो मातृ प्रेम मिला है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपको 23 परसेंट वोट मिले हैं, आप कहते हैं कि मैजोरिटी है।

श्री विजय गोयल: कांग्रेस ने तो 40 परसेंट पर राज किया है। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: उत्तर प्रदेश के चुनाव बता देंगे कि आपको कहां बैठना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आर.एस.एस. के लोगों को वर्दी में आना चाहिए ताकि हम उनको पहचान सकें। यदि आर.एस.एस. के लोग ईमानदार हैं तो उन्हें लाठी और टोपी के साथ आना चाहिए ताकि हम उनको पहचान सकें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: महोदय, मैं बहुत छोटा था तब से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में था। आज मेरे अंदर जो देश प्रेम और मोरल वेल्यू की शिक्षा है वह सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की देन है। मैं चाहता हूं कि उसकी शिक्षा आगे बढ़े। *...(व्यवधान)* हम लोग कहते हैं-''नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोअहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वं नमामो वयम्।''

हे वत्सल मातृभूमि, मैं तुझे निरंतर प्रणाम करता हूं। हे हिन्दूभूमि, तूने ही मुझे सुख में बढ़ाया है। हे महामंगलमयी पुण्यभूमि, तेरे हित मेरी यह काया अर्पित हो। तुझे मैं अनंत बार प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हे हिन्दुराष्ट्र के अंगभूत घटक, मैं तुझे आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सारा सदन बेचैन लगता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: महोदय, मैंने इसलिए सिर्फ यह बात की कि जब सोमनाथ दा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में बोला कि पोइजन स्प्रेड किया जा रहा है, यंग जेनरेशन को खराब किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* सेक्यूलरिज्म की बात की। मैं उस चांदनी चौक क्षेत्र से आता हूं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। मैं वहां से दो बार जीत कर आया हूं। वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहां ऐसी भी पाठशालाएं हैं, जिनमें लोग गीता पढ़ने के लिए तैयार हैं-चाहे वे मुस्लिम जाति के हों। ऐसी संस्कृति को लोग समझते हैं। दूसरी तरफ आप लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। एनसीईआरटी ने जो भी प्रक्रिया अपनाई, उसके अंदर सब को शामिल किया। इसमें वेस्ट बंगाल के एक मंत्री थे, शायद उनका नाम कांति भाई था। उनके सुझावों को इसमें सम्मिलित किया गया।

महोदय मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि जो एस.बी. चव्हाण की रिपोर्ट के पैरा नम्बर 13 में लिखा है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें धार्मिक शिक्षा की, धर्म के बारे में शिक्षा की बात नहीं की गई है। इन दोनों चीजों के अन्दर आपको अंतर समझना होगा। केवल एक धर्म की बात नहीं की बल्कि उन्होंने सब धर्मों की बात की है।

[अनुवाद]

पैरा 13 में कहा गया है:

अन्य पहलू जिस पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। जो अत्यधिक दुरुपयोग की गई और न समझी गई धारणा है वह धर्म है। छात्रों को परिचित कराने की प्रक्रिया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: यह क्या पढ़ रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: वह स्थायी समिति के प्रतिवेदन में से पढ़ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल जी, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री विजय गोयल: मैं सिर्फ सब्जैक्ट पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या कोट कर रहे हैं?

श्री विजय गोयल: यह एस.बी. चव्हाण की रिपोर्ट है। वह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। *...(व्यवधान)* मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* जब वाइडर कंसलटेशन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से बात की गई। वहीं वेस्ट बंगाल के एजूकेशन मिनिस्टर से भी बात करके उनके कुछ सुझाव भी सम्मिलित किए गए, जो इस रिपोर्ट में हैं। *...(व्यवधान)* मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इसे पढ़ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह वाक आउट करके चले गए। *...(व्यवधान)* सब प्रोटेस्ट करके निकल गए।

[अनुवाद]

श्री मुरली मनोहर जोशी: ये दोनों अलग-अलग बैठकें हैं। वह एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित बैठक का उल्लेख कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वह 1998 में हुआ था। यह वह बैठक नहीं हैं जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। वह उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं जो एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा शुरु की गई थी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कैसे आ गई? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, यह कुछ और कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चाहे जो हो, जो कुछ यह उद्धृत कर रहे हैं, उसे प्रमाणित कर रहे हैं। बस।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: दादा, संसद में मैं नया सांसद हूं, आप जितना चाहो मुझे तंग कर सकते हो। *...(व्यवधान)* कांतिभाई के बारे में मैं जो कह रहा था कि एनसीईआरटी ने जो अपना कंसलटेंट बनाया था *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अभी तो आप कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, यह पेपर कौनसा है आप हमें बताइये?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, कृपया अब बाधा न डालें। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि यह बात रिपोर्ट से है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह विरोधाभासी है। मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं ये कुछ और कह रहे हैं, पता तो चले कि यह कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: माननीय सदस्यों ने इस नेशनल कैरीकुलम को पढ़ा नहीं है। यह जो नेशनल कैरीकूलम बना है वह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद और एनसीआरटी ने जो वृहद रूप से चर्चाएं की थीं, शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री, एडीटर आदि सबसे की थी उसको मिलाकर यह बना है। मैं यह जो 13 नम्बर पैरा पढ़ रहा हूं यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं जिसके चेयरमैन श्री एस.बी. चव्हाण हैं। जो बात मैं कांति भाई के लिए बता रहा था वह जब एजूकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी *...(व्यवधान)* वैस्ट बंगाल एजूकेशन मिनिस्टर *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कांति भाई नहीं, कांति बिस्वाल।

श्री विजय गोयल: कांति बिस्वाल ही सही *...(व्यवधान)* जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था *...(व्यवधान)* दादा, एक बात तो अच्छी लगी कि आप किसी भी आदमी को अगर चाहो तो बोलने न दो। मेरे जैसे आदमी के बीच में भी आप जैसा सीनियर आदमी इंट्रप्शन करता है जोकि चेयर पर भी बैठता है तो सोचना पड़ता है। एक बैस्ट पार्लियामेंटेरियन और एक पैनल में हो।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री विजय गोयल: एनसीईआरटी ने इस कैरीकुलम को बनाने से पहले वृहद रूप से चर्चा की थी। आज जो लोग बोल रहे हैं वे इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करें तो यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, पहले ही आठ बज चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया हमें उनकी बात सुनने दें। कम-से-कम उन्हें अपनी बात पूरी तरह से कह लेने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, आप उनकी ओर देखकर और उनसे सीधे बात करके परेशानी मोल ले रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: दूसरा एनसीईआरटी ने कई पहलुओं पर विचार किया था, उसमें से केवल दो पहलू उठाए गए। किसी भी विरोधी दल के वक्ता ने एक भी लाइन इसमें से ऐसी कोट नहीं की जिसके कारण वे यह कह सकते हों कि बच्चों की जो एजूकेशन है वह मोरल वैल्यूज की नहीं दी जा रही है और केवल भगवाकरण की शिक्षा दी जा रही है। इसमें से कुछ भी ऐसा कोट नहीं किया गया कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसके उपर यह बुरा असर डालेगी। हम लोगों को उन सब विद्वानों को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है। एनसीईआरटी ने नये पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय कई बातों पर विचार किया था। जैसे, ऐसे समाज का निर्माण करना जहां न्यायसंगत समानता के सभी अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों। दूसरा, विश्व सभ्यता के विकास में भारत के योगदान का उचित स्थान। तीसरा, ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं और उनके बीच की समानताओं के बोध से अवगत कराती हों। चौथा, पाठ्यक्रम का बोझ कम हो तथा पास-फेल की प्रणाली खत्म हो। किन्तु आज लोगों को संस्कृति, परमपराओं में साम्प्रदायिक षडयंत्र सूंघने की आदत है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान न देकर विरोधियों ने केवल दो बिंदुओं पर अपना ध्यान दिलाया। पहला, मूल्यों पर शिक्षा की बात और दूसरा धर्मों की जानकारी देने के संबंध में।

जिस तरह से अपराध जगत में कुछ माफिया गिरोह सक्रिय रहते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वह कुछ उद्धृत कर रहे हैं अथवा अपनी राय दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: पवन जी, मैं जब भी कोट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से कौन सी लाइन कोट की है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें नहीं बताना, हाउस को बताना है।

श्री विजय गोयल: जिस तरह से अपराध जगत में कुछ माफिया गिरोह सक्रिय रहते हैं, उसी तरह से इस देश के शैक्षिक क्षेत्र में पिछले 40-50 साल से सैकुलर के नाम पर कुछ लोग सक्रिय हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। वह पिछले 40 वर्षों की शिक्षा प्रणाली की निन्दा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह घोर आपत्तिजनक बात है *...(व्यवधान)* वह हमें माफिया बता रहे हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक बात है *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है और इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: वह पिछले 40 वर्षों का उल्लेख कर रहे हैं *...(व्यवधान)* यह बहुत ही आपत्तिजनक है। वह माफिया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे पिछले 40 वर्षों से शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया हुआ है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह हम लोगों को माफिया कह रहे हैं। यह घोर आपत्ति की बात है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पता करता हूं कि उन्होंने क्या कहा।

श्री पवन कुमार बंसल: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* यह कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: हम लोग माफिया नहीं हैं *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: वह पिछले 40 वर्षों की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली की आलोचना कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यदि कोई चीज आपत्तिजनक है तो मैं इसे कार्रवाई से निकाल दूंगा। उनका भाषण समाप्त होने दें और फिर सभा विसर्जित होने दें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए। क्या डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से डा. कोठारी तक सभी लोग माफिया थे? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी यदि यहां कोई चीज आपत्तिजनक अथवा असंसदीय है तो मैं इसे कार्रवाई से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इन्होंने किसे माफिया कहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पंडित जवाहर लाल नेहरू से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से डा. कोठारी तक सभी पर उन्होंने आरोप लगाया है। क्या वे माफिया थे? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही यह व्यवस्था दी है कि यदि कुछ भी आपत्तिजनक और असंसदीय है, तो मैं उसे कार्यवाही-

[उपाध्यक्ष महोदय]

वृत्तांत से निकाल दूंगा। कृपया हम लोग उनका भाषण पूरा होने तक इंतजार करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार के बदलने के साथ ही इन लोगों के निहित स्वार्थ खतरे में पड़ गए हैं। इस कारण इन लोगों ने शिक्षा के भगवाकरण का हौवा खड़ा किया है जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल अपने स्कूलों में कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के बारे में जबरन पढ़ा सकती है तो क्या केन्द्र सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह महापुरुषों के बारे में बात कर सके। मेरे बेटे की पांचवीं क्लास की यह डायरी है जिसमें छुट्टियां दी गई हैं। इसमें दीवाली, दशहरा, होली, ईद की जो छुट्टियां दी गई हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? आपने महाशिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयन्ती, बुद्धि पूर्णिमा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस, महाअष्टमी, दीवाली, दशहरा, ईद-उल-जुहा, मोहर्रम, मिलाद-उल-नबी, पैगम्बर मोहम्मद की छुट्टियां दी हैं।

प्रोफेट मोहम्मद का जन्म दिन, गुरु नानक का जन्म दिन, क्या मेरा बेटा इन धर्मों के बारे में नहीं जानेगा? इन सब के लिए स्कूल में छुट्टी किसलिए दी गई है? *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना दिया जाये। इन सब को विभिन्न त्यौहारों के लिए छुट्टी दी गई है ताकि वे बच्चे घर में जाकर छुट्टी के दिन इन महापुरुषों तथा उनके धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैं लंदन गया था और मुझे एक स्कूल में जाने का मौका मिला। उस स्कूल में संस्कृत से मैथ्स पढ़ाया जाता है। मैं वहां से रामायण और हनुमान की यह किताब लेकर आया हूं जो उस स्कूल में पढ़ाई जाती है। एक हमारा देश है जहां हम 32 दांतों से हंस देते हैं जब महाभारत, रामायण, राम, कृष्ण के नाम आते हैं *...(व्यवधान)* जब संस्कृत को अरबी, फारसी के साथ कोट किया जाता है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, ये धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। हमें इस बात का ऐतराज है कि ये धर्म के ठेकेदार बनकर व्यापार करते हैं। हिन्दुत्व इनके लिए धर्म नहीं, एक सौदा है, व्यापार है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल कैरिकुलम के पेज 19 को यहां उद्धृत कर रहा हूं जो नेशनल आधार पर तैयार किया गया है:

[अनुवाद]

> "आज की आवश्यकता धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि धर्म और उसके मूल से संबंधित शिक्षा की आवश्यकता है। वर्ष 1999 में गठित चौहान समिति ने सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम के रूप में धर्म की शिक्षा पर जोर दिया है।"

[हिन्दी]

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हर काम को राजनैतिक रूप से नहीं देखना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें क्योंकि आपका समय खत्म हो गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने ऐजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि एजुकेशन का भगवाकरण किया जा रहा है किन्तु जैसे ही एन.सी.ई.आर.टी. के अध्यक्ष श्री राजपूत जी ने अपना जवाब भेजा, उसके तुरंत बाद जस्टिस कृष्ण अय्यर जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और कहा कि उनके जितने शक थे, वे सब दूर हो गये हैं और काम बहुत अच्छा चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के कब से प्रशंसक हो गए?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यह तो मैं नहीं जानता लेकिन आप जस्टिस कृष्ण अय्यर नहीं हो सकते क्योंकि जो कोई एक बार लाइन ले ले, उस लाइन को वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष जी, स्कूल की एक कमेटी है : नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस जिसमें 100 स्कूल उसके सदस्य हैं। एक दूसरी

कमेटी एक्शन कमेटी ऑफ अनऐडेड रिक्गनाइज्ड स्कूल्स है - इसमें 250 स्कूल्स सदस्य हैं। आज तक इन दोनों कमेटियों के एजुकेशन सिस्टम पर किसी मैम्बर ने उंगली नहीं उठायी है बल्कि यह कहा है कि एन.सी.ई.आर.टी. और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो कैरिकुलम तैयार किया है, आज की तारीख में देश के बच्चों के लिये सबसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : क्या कहा है? आप पढ़िये।

श्री विजय गोयल : मैं उसे पढ़ रहा हूं लेकिन आपके बोलने से पहले मैंने उसके जनरल सैक्रेटरी से बात की है। उन्होंने कहा है कि यह कैरिकुलम सब जगह चल रहा है ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि आप जो बोलेंगे, उसका रिटन डॉकूमेंट आपके हाथ में होना चाहिये। अगर सदन में ऐसी प्रथा डालना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : एन.सी.ई.आर.टी. ने जो किया है उसके समर्थन में देश में किसी ने भी कुछ नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष जी, अब आप हाउस एडजर्नड कीजिये इनके पास बोलने के लिये कुछ नहीं है।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष जी, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, इसका सवाल नहीं लेकिन कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बिठाकर दिखा दिया है। देश की भलाई हेतु शिक्षा के साथ राजनीति न की जाये। कांग्रेस भी किसी समय अच्छी पार्टी थी और हर अच्छी चीज को सपोर्ट किया करते थे लेकिन आज वोट बैंक की पालिटिक्स को लेकर लोगों का तुष्टिकरण करने के लिये इन पालिसीज़ को कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : आप भी वही कर रहे हैं और यह सब उसी के लिये हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह बताइये कि टी.डी.पी. ने क्या कहा है?

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष जी, जब तक लोग इकट्ठे हैं, समझिये सब ने सही बोला है और कुछ भी गलत नहीं बोला है। जिस दिन कोई अलग जाये लेकिन आपके लिये खुश होनेका दिन नहीं आया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को जवाब देना होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, सीनियर लोग बीच में बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनसे सीधे बातें करते हैं तो वे भी बातें करेंगे। हमारे यहां रहने का क्या फायदा है।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एन.सी.ई.आर.टी. के पूरे डॉकूमैन्ट्स को हमारे विरोधी भाई पढ़कर देखें और उनके ऊपर शांति से विचार करें। अगर उसमें एक भी लाइन गलत हो तो आज भी डॉकूमैन्ट्स फाइनल नहीं हो गए हैं। सरकार के पास बड़ा खुला हृदय है। अगर कोई ऐसी चीज आती है जो हमारे बच्चों की एजूकेशन के लिए ज्यादा अच्छी चीज है, शिक्षा मंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, आपके लिए खुला है, आप जाइये और उन्हें सुझाव दीजिए। किन्तु भगवान के लिए स्टैंडिंग कमेटी के जो फैसले हुए हैं अगर आप उन्हीं को यहां आकर पलटना शुरू करेंगे और चेयरमैन भी होंगे। माननीय दादा कम से कम आपके लिए कांग्रेस के लिए खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी जब आपके ऊपर ताली बजाते हैं तब आप यह भूल जाते हैं कि आप उनकी चाय पीने के लिए तैयार नहीं हो। जय हिन्द, जय भारत।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब हाउस एडजर्न कीजिए, बाकी काम कल होगा।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, अब आप हाउस एडजर्न कर दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 अगस्त, 2001/26 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/18/18/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।